संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ४९

---

३ मई, सन् १९४८ से ६ मई, सन् १९४८ तक

इलाहाबाद
सुपरिण्टेण्डेण्ट, प्रिंटिङ्ग व स्टेशनरी, संयुक्त प्रान्त (इण्डिया) के
प्रबन्ध से छपा, सन् १९५० ई०

[मूल्य ४ आना

विषय-सूचो

खंड ४६

सोमवार, ३ मई, सन् १९४९ ई०

मंगलवार, ४ मई, सन् १९४८ ई०

शासन

गवर्नर

हर एक्सिलेन्सी श्रीमती सरोजिनी नायडू।

सचिव-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रधान सचिव तथा सामान्य शासन सचिव।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, यातायात सचिव।

माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी० शिक्षा तथा श्रम सचिव।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी० न्याय, बन तथा माल सचिव।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन सचिव।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए० रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर सचिव।

माननीय श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० जन-स्वास्थ्य तथा स्वशासन सचिव।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, रसद सचिव।

माननीय श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, एम० ए०, सूचना तथा अर्थ सचिव।

माननीय श्री लालबहादुर, गृह (पुलिस) तथा वाहन सचिव।

माननीय श्री केशव देव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा विकास सचिव।

सभा-मंत्री

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री —

१—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

२—श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०।

माननीय यातायात सचिव के सभा-मंत्री—

१—श्री लताफत हुसेन, एम० एल० ए०।

२—श्री उदयवीर सिंह, एम० एल० ए०।

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री—

१—श्री महफूजुर्रहमान, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग सचिव के सभा-मंत्री—

१—श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल सचिव तथा कृषि सचिव के सभा-मंत्री—

१—श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

माननीय स्वशासन सचिव के सभा-मंत्री—

१—श्री चरण सिंह एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१	अचल सिंह, श्री	आगरा नगर।
२	अजित प्रताप सिंह, श्री	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
३	अजीज अहमद खां, श्री	बरेली–पीलीभीत नगर।
४	अब्दुल गनी अन्सारी, श्री	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
५	अब्दुल बाकी, श्री	जिला आजमगढ़ (पूर्व)।
६	अब्दुल मजीद, श्री	मुरादाबाद–अमरोहा–चन्दौसी नगर।
७	अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री	अलीगढ़–हाथरस–मथुरा नगर।
८	अब्दुल वाजिद, श्रीमती	मुरादाबाद जिला (उत्तर-पूर्व)।
९	अब्दुल हकीम, श्री	जिला बस्ती (दक्षिण–पूर्व)।
१०	अब्दुल हमीद, श्री	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
११	अम्मार अहमद खां, श्री	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
१२	अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स, श्री	संयुक्त प्रांतीय भारतीय ईसाई।
१३	अलगू राय शास्त्री, श्री	जिला आजमगढ़ (उत्तर–पूर्व)।
१४	अली जर्रार जाफरी, श्री	जिला गोंडा (उत्तर–पूर्व)।
१५	अल्फ्रेड धर्मदास, श्री	संयुक्त प्रांतीय भारतीय ईसाई।
१६	असगर अली खां, श्री	जिला मुजफ्फर नगर (पश्चिम)।
१७	अहमद अशरफ, श्री	मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुरजा-नगीना नगर।
१८	अक्षयवर सिंह, श्री	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१९	आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	फर्रुखाबाद–इटावा–झांसी नगर।
२०	आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री	संयुक्त प्रांतीय ऐंग्लो इंडियन।
२१	इन्द्र देव त्रिपाठी, श्री	जिला गाजीपुर (पश्चिम)।
२२	इनाम हबीबुल्ला, बेगम	लखनऊ नगर।
२३	उदयबीर सिंह, श्री	जिला बस्ती (दक्षिण)।
२४	ऐजाज रसूल, श्री	जिला हरदोई।
२५	कमलापति तिवारी, श्री	जिला बनारस (पूर्व)।
२६	करीमुर्रजा खां, श्री	बदायूं–शाहजहांपुर–सम्भल नगर।
२७	कालीचरण टंडन, श्री	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
२८	किशनचन्द पुरी, श्री	संयुक्त प्रांतीय चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रांतीय मर्चेंट्स चेम्बर।
२९	कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री	जिला झांसी (उत्तर)।
३०	कुशलानन्द गैरोला, श्री	जिला गढ़वाल (उत्तर–पश्चिम)।
३१	कृपाशंकर, श्री	जिला बस्ती (दक्षिण)।
३२	कृष्ण चन्द्र, श्री	जिला मथुरा (पश्चिम)।
३३	केशव गुप्त, श्री	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
३४	केशवदेव मालवीय, माननीय श्री	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)।
३५	खानचन्द गौतम, श्री	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
३६	खुशवक्त राय, श्री	जिला खीरी (उत्तर–पूर्व)।
३७	खुशीराम, श्री	जिला अल्मोड़ा।
३८	खूब सिंह, श्री	जिला बिजनौर (पूर्व)।
३९	गंगाधर, श्री	जिला आगरा (उत्तर–पूर्व)।
४०	गंगा प्रसाद, श्री	जिला गोंडा (उत्तर–पूर्व)।
४१	गंगा सहाय चौबे, श्री	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४२	गणपति सहाय, श्री	जिला सुलतानपुर।
४३	गिरधारी लाल, माननीय श्री	जिला सहारनपुर (दक्षिण–पूर्व)।

४४	गोपाल नारायण सक्सेना, श्री	..	जिला सीतापुर (उत्तर–पश्चिम)।
४५	गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	..	बरेली–पीलीभीत–शाहजहांपुर–बदायूं नगर।
४६	गोविन्द सहाय, श्री	..	जिला बिजनौर (पश्चिम)।
४७	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	जिला जालौन।
४८	चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	..	लखनऊ नगर।
४९	चरण सिंह, श्री	..	जिला मेरठ (दक्षिण–पश्चिम)।
५०	चेतराम, श्री	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५१	छेदालाल गुप्त, श्री	..	जिला हरदोई (उत्तर–पश्चिम)।
५२	जगन्नाथ दास, श्री	..	जिला सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)।
५३	जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री	..	जिला सीतापुर (पूर्व)।
५४	जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
५५	जगन्नाथ सिंह, श्री	..	जिला बलिया (उत्तर)।
५६	जगन प्रसाद रावत, श्री	..	जिला आगरा (दक्षिण–पश्चिम)।
५७	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	जिला गढ़वाल (दक्षिण–पूर्व)।
५८	जमालुद्दीन अब्दुल वहाब, श्री	..	जिला बाराबंकी।
५९	जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री	..	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
६०	जयपाल सिंह, श्री	..	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
६१	जयराम वर्मा, श्री	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६२	जवाहर लाल रोहतगी, श्री	..	कानपुर नगर।
६३	जहीरुल हसनैन लारी, श्री	..	जिला गोरखपुर (पूर्व)।
६४	जहूर अहमद, श्री	..	इलाहाबाद–झांसी नगर।
६५	जाकिर अली, श्री	..	आगरा–फर्रुखाबाद–इटावा नगर।
६६	जाहिद हसन, श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण–पश्चिम)।
६७	जुगुल किशोर, श्री	.	मथुरा–अलीगढ़–हाथरस नगर।
६८	त्रिलोकी सिंह, श्री	..	जिला लखनऊ।
६९	दयालदास, श्री	..	जिला रायबरेली (उत्तर–पूर्व)।
७०	दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (पूर्व)।
७१	द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री	..	जिला जौनपुर (पूर्व)।
७२	दीनदयालु अवस्थी,	..	श्री जिला इटावा (पश्चिम)।
७३	दीप नारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर–मिर्जापुर–गाजीपुर–गोरखपुर नगर।
७४	नफीसुल हसन, श्री	..	जिला इटावा और कानपुर।
७५	नवाजिश अली खां, श्री	..	फैजाबाद–सीतापुर–बहराइच नगर।
७६	नारायण दास, श्री	..	लखनऊ नगर।
७७	निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	..	जिला मैनपुरी और एटा।
७८	निहालुद्दीन, श्री	..	जिला बदायूं (पूर्व)।
७९	परागी लाल, श्री	..	जिला सीतापुर (उत्तर–पश्चिम)।
८०	पुरुषोत्तमदास टंडन, माननीय श्री	..	इलाहाबाद नगर।
८१	पूर्णमासी, श्री	..	जिला गोरखपुर (उत्तर)।
८२	पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती	..	जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)।
८३	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	जिला मेरठ (उत्तर)।
८४	प्रागनारायण, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
८५	प्रेम किशन खन्ना, श्री	..	जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
८६	फखरुल इस्लाम, श्री	..	जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर–पूर्व)
८७	फजलुर्रहमान खां, श्री	..	जिला शाहजहांपुर।

८८	फतेह सिंह राणा, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
८९	फय्याज अली, श्री	..	जिला फैजाबाद।
९०	फूल सिंह, श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
९१	बदन सिंह, श्री	..	जिला बदायूं (पश्चिम)।
९२	बनारसी दास, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (उत्तर)।
९३	बलदेव प्रसाद, श्री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
९४	बलभद्र सिंह, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
९५	बशीर अहमद अन्सारी, श्री	..	जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व)।
९६	बादशाह गुप्त, श्री	..	जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
९७	बाबू राम वर्मा, श्री	..	जिला एटा (उत्तर)।
९८	बृजमोहन लाल शास्त्री, श्री	..	जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
९९	भगवानदीन, श्री	..	कानपुर नगर।
१००	भगवानदीन मिश्र, श्री	..	जिला बहराइच (दक्षिण)।
१०१	भगवान सिंह, श्री	..	जिला पीलीभीत (दक्षिण)।
१०२	भारत सिंह, श्री	..	जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)।
१०३	भीमसेन, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
१०४	भुवनेश्वरी नारायण वर्मा, श्री	..	जिला बांदा (उत्तर)।
१०५	मंगला प्रसाद, श्री	..	जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
१०६	मसुरियादीन, श्री	..	इलाहाबाद नगर।
१०७	महफूजुर्रहमान, श्री	..	जिला बहराइच (दक्षिण)।
१०८	महबूब हुसेन खां, श्री	..	जिला सुल्तानपुर।
१०९	महमूद अली खां, श्री	..	देहरादून-हरिद्वार-सहारनपुर-मुजफ्फरनगर।
११०	मिजाजी लाल, श्री	..	जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
१११	मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री	..	जिला पीलीभीत (उत्तर)।
११२	मुजफ्फर हसन, श्री	..	लखनऊ नगर।
११३	मुन्फैत अली, श्री		जिला सहारनपुर (उत्तर)।
११४	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	जिला बस्ती (पश्चिम)।
११५	मुहम्मद असरार अहमद, श्री	..	जिला बदायूं (पश्चिम)।
११६	मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री	..	जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
११७	मुहम्मद इसहाक खां, श्री	..	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
११८	मुहम्मद इस्माइल, श्री	..	जिला मुरादाबाद (दक्षिण-पूर्व)।
११९	मुहम्मद इस्माइल, श्री	..	जिला सीतापुर।
१२०	मुहम्मद उबेदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री	..	जिला अलीगढ़।
१२१	मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री	..	जिला मेरठ (पश्चिम)।
१२२	मुहम्मद नबी, सैयद	..	जिला मुजफ्फर नगर (पूर्व)।
१२३	मुहम्मद नजीर, श्री	..	जिला बनारस और मिर्जापुर।
१२४	मुहम्मद फारूक, श्री	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१२५	मुहम्मद याकूब, श्री	..	जिला गाजीपुर और बलिया।
१२६	मुहम्मद यूसुफ, श्री	..	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।
१२७	मुहम्मद रजा खां, श्री	..	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)।
१२८	मुहम्मद रिजवान अल्लाह, श्री	..	गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर।
१२९	मुहम्मद शकूर, श्री	..	बनारस-मिर्जापुर नगर।
१३०	मुहम्मद शमीम, श्री	..	जिला रायबरेली।
१३१	मुहम्मद शौकत अली खां, श्री	..	जिला बुलन्द शहर (पश्चिम)।
१३२	मुहम्मद सआदत अली खां, श्री	..	जिला बहराइच (उत्तर)।

१३३	यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री	.. जिला बनारस (पश्चिम)।
१३४	रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री	.. जिला झांसी (दक्षिण)।
१३५	रघुवंश नारायण सिंह, श्री	.. जिला मेरठ (पूर्व)।
१३६	रघुवीर सहाय, श्री	.. जिला बदायूं (पूर्व)।
१३७	राजकुमार सिंह, श्री	.. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसिएशन।
१३८	राजाराम मिश्र, श्री	.. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१३९	राजाराम शास्त्री, श्री	.. कानपुर औद्योगिक श्रम।
१४०	राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	.. जिला हरदोई (मध्य)।
१४१	राधा मोहन सिंह, श्री	.. जिला बलिया (दक्षिण)।
१४२	राधेश्याम शर्मा, श्री	.. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१४३	रामकुमार शास्त्री, श्री	.. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१४४	रामचन्द्र पालीवाल, श्री	.. जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१४५	रामचन्द्र सेहरा, श्री	.. आगरा नगर।
१४६	राम जी सहाय, श्री	.. जिला गोरखपुर (मध्य)।
१४७	रामधर मिश्र, श्री	.. इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय।
१४८	रामधारी पान्डे, श्री	.. जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
१४९	राम नारायण, श्री	.. अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
१५०	राममूर्ति, श्री	.. जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)।
१५१	राम शंकर लाल, श्री	.. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
१५२	रामशरण, श्री	.. मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी नगर।
१५३	राम स्वरूप गुप्त, श्री	.. जिला कानपुर (दक्षिण)।
१५४	रामेश्वर सहाय सिंह, श्री	.. जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)।
१५५	रुक्नुद्दीन खां, श्री	.. जिला प्रतापगढ़।
१५६	रोशन जमां खां, श्री	.. जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)।
१५७	लक्ष्मी देवी, श्रीमती	.. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१५८	लताफत हुसेन, श्री	.. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)।
१५९	लाखन दास जाटव, श्री	.. जिला बदायूं (पूर्व)।
१६०	लाल बहादुर, माननीय श्री	.. जिला इलाहाबाद (गंगापार)।
१६१	लाल बिहारी टंडन, श्री	.. जिला गोंडा (पश्चिम)।
१६२	लीलाधर अष्ठाना, श्री	.. जिला उन्नाव (पूर्व)।
१६३	लुत्फ अली खां, श्री	.. जिला मेरठ (पूर्व)।
१६४	लोटन राम, श्री	.. जिला जालौन।
१६५	वंशगोपाल, श्री	.. जिला फतेहपुर (पूर्व)।
१६६	वंशीधर मिश्र, श्री	.. जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम)।
१६७	विजयानन्द मिश्र, श्री	.. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१६८	विद्यावती राठौर, श्रीमती	.. जिला एटा (दक्षिण)।
१६९	विनय कुमार मुकर्जी, श्री	.. लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम।
१७०	विश्वनाथ प्रसाद, श्री	.. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१७१	विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री	.. जिला उन्नाव (पश्चिम)।
१७२	विष्णु शरण दुब्लिश, श्री	.. जिला मेरठ (उत्तर)।
१७३	बीरबल सिंह, श्री	.. जिला जौनपुर (पश्चिम)।
१७४	वीरेन्द्र शाह, श्री	.. आगरा, प्रान्त जमींदार ऐसोसिएशन।
१७५	वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री	.. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
१७६	शंकर दत्त शर्मा, श्री	.. जिला मुरादाबाद (पश्चिम)।

१७७	शिवकुमार पान्डेय, श्री	.. जिला इलाहाबाद (दुआबा)।
१७८	शिव दयाल उपाध्याय, श्री	.. जिला फतेहपुर (पश्चिम)।
१७९	शिवदान सिंह, श्री	.. जिला अलीगढ़ (पश्चिम)
१८०	शिवमंगल सिंह, श्री	.. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)।
१८१	शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	.. जिला आजमगढ़ (दक्षिण)
१८२	श्याम लाल वर्मा, श्री	.. जिला नैनीताल।
१८३	श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री	.. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।
१८४	श्रीचन्द्र सिंघल, श्री	.. जिला अलीगढ़ (मध्य)।
१८५	श्रीपति सहाय, श्री	.. जिला हमीरपुर।
१८६	सज्जन देवी महनोत, श्रीमती	.. बनारस नगर।
१८७	सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री	.. बनारस नगर।
१८८	सरवत हुसेन, श्री	.. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।
१८९	सलीम हामिद खां, श्री	.. जिला झांसी जालौन और हमीरपुर।
१९०	साजिद हुसेन, श्री	.. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
१९१	सालिग्राम जायसवाल, श्री	.. जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।
१९२	सिंहासन सिंह, श्री	.. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
१९३	सिराज हुसेन, श्री	.. जिला पीलीभीत।
१९४	सीताराम अष्ठाना, श्री	.. जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
१९५	सुचेता कृपलानी, श्रीमती	.. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
१९६	सुदामा प्रसाद, श्री	.. जिला गोरखपुर (उत्तर)।
१९७	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	.. जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
१९८	सुल्तान आलम खां, श्री	.. जिला फर्रुखाबाद।
१९९	सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री	.. जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२००	सईद अहमद, श्री	.. जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२०१	हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	.. जिला लखनऊ तथा उन्नाव।
२०२	हबीबुर्रहमान खां, श्री	.. जिला खीरी।
२०३	हरगोविन्द पन्त, श्री	.. जिला अल्मोड़ा।
२०४	हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री	.. जिला बाराबंकी (दक्षिण)।
२०५	हरप्रसाद सिंह, श्री	.. जिला बांदा (दक्षिण)।
२०६	हरिहर नाथ शास्त्री, श्री	.. ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र।
२०७	हसन अहमद शाह, श्री	.. जिला फतेहपुर और बांदा।
२०८	हसरत मोहानी, श्री	.. कानपुर नगर।
२०९	हुकुम सिंह, माननीय श्री	.. जिला बहराइच (उत्तर)।
२१०	होती लाल अग्रवाल, श्री	.. जिला इटावा (पूर्व)।
२११	हैदर बख्श, श्री	.. जिला मथुरा तथा आगरा।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

के

पदाधिकारी

स्पीकर

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

डिप्टी स्पीकर

श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

सेक्रेटरी

श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

असिस्टेंट सेक्रेटरी

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०।

सुपरिण्टेण्डेण्ट

श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०

श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए०।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

सोमवार, ३ मई, १९४८

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५७)

अजित प्रताप सिंह,
अब्दुल ग़नी अन्सारी
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल हकीम
अब्दुल हमीद
अलगूराय शास्त्री
असग़रअली खाँ
असरार अहमद
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोबिन्द खेर, मानीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयबीर सिंह
ऐज़ाजरसूल,
करीमुर्रज़ा खाँ
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द्र पुरी
कुंजबिहारीलाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक़्त राय
खुशीराम
खूबसिंह
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोबिन्दसहाय
गंगाधर
गंगाप्रसाद
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरणसिंह
चेतराम

जगन्नाथदास
जगन्नाथ बख्श सिंह, राजा
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जवाहरलाल
जाहिद हसन
जहूर अहमद
जाकिरअली,
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा
त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिकाप्रसाद मौर्य
दीनदयाल
दीपनारायण वर्मा
धर्मदास, एल्फ्रेड
नफीसुल हसन
नारायणदास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
परागीलाल
प्रेमकिशन खन्ना
फख्रुल इस्लाम
फज़्लुर्रहमान खाँ,
फतेहसिंह राणा
फैन्थम, आर्चिबैल्ड जेम्स
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूलसिंह
फैयाज़अली
बन्शगोपाल
बन्शीधर मिश्र
बदनसिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
बाबूराम वर्मा
बिजयानन्द
बीरबल सिंह
बीरेन्द्र शाह
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह
मंगला प्रसाद
मसुरियादीन
महबूब हुसैन खाँ
मिजाजीलाल
मुकुन्दलाल
मुकर्जी, बी० के०
मुहम्मद रज़ा खाँ
मुज़फ्फर हसन सैयद
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद इसहाक़ खाँ
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद)
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद शकूर,
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधामोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री

रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधारी पांडे
रामनारायण
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
रामस्वरूप गुप्त
रामेश्वरसहाय सिन्हा
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव
लालबहादुर शास्त्री, माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़अली खाँ
लोटनराम
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विष्णु शरण दुबलिश
वेंकटेशनारायण तिवारी
शिव कुमार पांडेय
शंकरदत्त शर्मा
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह, कपूर
शौकतअली खाँ
श्यामसुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंघल
श्रीपति सहाय
श्रीवास्तव, जे० के०
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन,
सलीम हामिद खाँ
साजिद हुसैन,
सीताराम अष्ठाना
सुचिता कृपलानी
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी
सैयद अहमद
हबीबुर्रहमान खाँ
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरप्रसाद सत्य प्रेमी
हरप्रसाद सिंह
हसन अहमद शाह
हसरत मुहानी
हुकुमसिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

नोट—माननीय अर्थ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ मई, सन् १९४८ ई०

[शनिवार, १ मई, सन् १९४८ ई० के शेष प्रश्न]

ताराङ्कित प्रश्न

※ ६७—६९ **श्री भारत सिंह यादवाचार्य**—[स्थगित किये गये ।]

मिट्टी के तेल, नमक, लोहा व सीमेंट के कंट्रोल को तोड़ना

※ ७०—**श्री भारत सिंह**—क्या सरकार कृपया बतलायगी कि वह मिट्टी का तेल, नमक, लोहा व सीमेंट के कंट्रोल को कब तक तोड़ने का विचार रखती है?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस मामले पर सरकार विचार कर रही है और स्वयं इस बात के लिये उत्सुक है कि ज्योंही पारिस्थितियाँ अनकूल हों इन चीजों पर से नियंत्रण उठा लिया जाय। इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार की स्वीकृति भी लेनी होगी।

जहाँ तक नमक का सम्बन्ध है हम इस प्रान्त में बाहर से नमक मँगा रहे हैं और प्रान्त में नमक के पहुँचते ही उस पर से नियंत्रण हटा लेने के उद्देश्य से स्थिति पर विचार किया जायगा।

श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या इसके लिए सरकार ने कोई तारीख़ मुकर्रर कर दी है?

माननीय अन्न सचिव—तारीख़ कोई निश्चित नहीं की गई है।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में काम करने के आदेश

※ ७१—**श्री भगवानदीन मिश्र**—(क) गवर्नमेंट ने कोई ऐसे आदेश भेजे हैं जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारी हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में काम किया करें? क्या यह भी सच है कि उन लोगों के लिए ६ मास की अवधि रख दी गई थी जो हिन्दी भाषा तथा लिपि का ज्ञान नहीं रखते?

(ख) अगर यह सही है, तो क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि क्या वह अवधि समाप्त हो चुकी है? यदि नहीं, तो कब समाप्त होगी?

(ग) क्या गवर्नमेंट अवधि पूरी होने पर कोई परीक्षा भी उन कर्मचारियों के लिए करेगी? यदि हाँ, तो कब और कैसे?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)—(क) सरकार के आदेश की एक † प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर "नहीं" है। हिन्दी सीखने के लिए कोई निश्चित् अवधि नहीं रखी गई है।

† छापी नहीं गई।

दफा में अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिये, इसकी
रहे हैं।

*९५—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार
जानती है कि हाकिम तहसील सदर ने किसी एक व्यक्ति को भी
किया गया है, ज़मानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया।

माननीय पुलिस सचिव—हाकिम तहसील सदर का इ
कोई सम्बन्ध नहीं था। एस०डी०ओ० मुसाफिरखाना उसके
और उन्होंने एक आदमी को ज़मानत पर छोड़ा है।

*९६—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरका
इस घटना की निष्पक्ष जाँच कराने का इरादा रखती है ?

माननीय पुलिस सचिव—गवर्नमेंट इस मामले को पुनः देखे

श्री कालीचरण टंडन—जो जवाब प्रश्न नं० ९५ का दि
सरकार इस मामले को पुनः देखेगी, उससे क्या तात्पर्य है ?

माननीय पुलिस सचिव—जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे,
पहले सब-इन्सपेक्टर ने की, उसके बाद जिले के बड़े अफसरों
ज़िला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट, इन दोनों को देखने के बाद आ० स०
डी० आई० जी० को वहाँ भेजा और उन्होंने भी अपनी जाँच की *६४
उनकी जाँच की रिपोर्ट में और पहले के अफसरों की रिपोर्ट में ता०
नहीं था मगर इसके बावजूद भी वहाँ के एम० एल० एज़ ने जो १६-३-४८
उसको देखकर गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि फिर से
को देख लें।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउण्डरों की नियुक्ति

*९७—**श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी**—(क) क्या यह सच है कि *६५ १६-३-४८
मास पूर्व सरकार ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउण्डरों की नि
एक विज्ञापन निकाला था ?

(ख) क्या यह सच है कि प्रार्थना-पत्र मँगवाने की अवधि *६६
सन् १९४७ ई० थी ? १६-३-४८

(ग) क्या उन कम्पाउण्डरों की नियुक्ति अभी तक नहीं
क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—(क) जी हाँ। प्रथम विज्ञापन माह नवम्ब
के अन्तिम सप्ताह में निकला था।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं, नये औषधालयों के स्थान का चुनाव न
ारण कम्पाउण्डरों की नियुक्ति नहीं हुई।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अस्पतालों के लिये स्थान का चुनाव अभी तक क्यों नहीं हो सका ?

श्री चरण सिंह—डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेण्ट असोसियेशन के मशविरे से उनका चुनाव किया जायगा और वह अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि डेवलपमेण्ट असोसियेशन्स की कोई रिक्मेण्डेशन नहीं आई।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब तक यह चुनाव हो जाने की सम्भावना है ?

श्री चरण सिंह—आज फिर हिदायत भेज दी जायगी कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाय।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या जल्द से जल्द के माने इस साल के अन्दर समझा जाय ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई नियुक्ति नहीं की है। यह नियुक्ति भी जल्दी हो जायगी और साथ ही चुनाव भी हो जायगा, महीने डेढ़ महीने की बात है।

*९८—**श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कब तक उनको नियुक्ति करने का इरादा रखती है ?

श्री चरण सिंह—उनकी नियुक्ति शीघ्र ही करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बबीना, जिला झाँसी में सैनिक-शिक्षण के लिए प्राप्त भूमि की वापसी की माँग

*९९—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि फौजी अधिकारियों ने बबीना, जिला झाँसी के आस-पास, २६ गाँवों की ज़मीन जिसका रक़बा लगभग २,४०० एकड़ है, सन् १९४२-४३ ई० में बबीना टैन्क ट्रेनिंग स्कूल तथा फ़ील्ड फ़ायरिंग रेंज के लिये ले ली थी ?

माननीय माल सचिव—बबीना के नजदीक के २२ गाँवों को २४.३७६ एकड़ भूमि फ़ील्ड फ़ायरिंग रेंज और टैंक ट्रेनिंग स्कूल के लिये हस्तगत की गई थी।

श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी—क्या सरकार को मालूम है कि इससे वहाँ के किसानों में बहुत असंतोष है और अप्रैल के पहले हफ्ते में वहाँ के किसान समूह ने वहाँ के कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर आये थे ?

माननीय माल सचिव—असंतोष की खबर तो मुझे नहीं है।

*१००—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या सरकार को मालूम है कि लड़ाई बन्द होने के बाद से अब तक यह ज़मीन किसानों को वापस नहीं दी गई ?

माननीय माल सचिव—लड़ाई ख़त्म होने के बाद ४३५.३ एकड़ भूमि अधिकार से मुक्त कर दी गई है।

❀१०१—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या ऐसे बहुत से गाँवों की आ० स०
ज़मीन भी फ़ौजी अधिकारियों ने ले ली है जिसमें आज तक कभी भी चाँदमारी *५८
नहीं हुई ? ता० १६-३-४८

माननीय माल सचिव—कैम्प एरिया में या उसके पास ही कुछ हस्तगत की हुई भूमि है जिसमें सैनिक अधिकारी चाँदमारी नहीं करते।

❀१०२—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या सरकार का विचार बबीना *५९
व उसके आस-पास के गाँवों में स्थायी रूप से टैंक ट्रेनिंग स्कूल तथा फ़ील्ड १६-३-४८
फ़ायरिंग रेंज क़ायम करने का है ?

माननीय माल सचिव—इस प्रश्न पर गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की मिनिस्ट्री आफ़ डिफ़ेन्स विचार कर रही है।

❀ १०३—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—यदि प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर *६०
'हाँ' में है तो क्या सरकार इन जमीनों को हमेशा के लिये प्राप्त करने का विचार १६-३-४८
कर रही है ?

❀१०४—यदि प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या सरकार इन *६१
ज़मीनों को शीघ्र ही किसानों और ज़मीन के मालिकों को वापस करना तथा १६-३-४८
उन्हें पूरा-पूरा मुआवज़ा देने का विचार रखती है ?

माननीय माल सचिव—प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न इस समय नहीं उठते।

❀१०५—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या सरकार को विदित है कि *६२
श्रीमती मीरा बेन के क्वार्टर मास्टर जनरल से लिखा पढ़ी करने पर फ़ौजी अधि- १६-३-४८
कारियों ने बबीना की फ़ील्ड फ़ायरिंग रेंज से लगभग २,५०० एकड़ भूमि छोड़ने का निश्चय किया है ?

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी—क्या सरकार बतलायेगी कि यह २,५०० एकड़ ज़मीन किसानों को कब तक वापस कर दी जायगी ?

माननीय माल सचिव—इसकी ठीक इत्तला मैं इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी—क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार ने बबीना में मुकम्मल तौर पर फ़ील्ड फ़ायरिंग रेन्ज और टैंक ट्रेनिंग स्कूल रखने का निश्चय कर लिया है ?

माननीय माल सचिव—मेरा ख्याल तो ऐसा ही है।

❀१०६—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या जिला अधिकारियों के बार- *६३
बार स्मरण कराने पर भी अब तक फ़ौजी अधिकारियों ने मौक़े पर जाकर उस १६-३-४८

२,५०० एकड़ भूमि का क़ब्ज़ा दख़ल किसानों और भूमि के मालिकों को नहीं दिया ?

माननीय माल सचिव—जी हाँ

श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी—प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से २,५०० एकड़ भूमि किसानों को वापस दिलाने के लिये कोशिश कर रही है।

माननीय माल सचिव—लिखा पढ़ी की गई है।

श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी—कब तक आशा है कि २,५०० एकड़ ज़मीन वापस दिला दी जायगी ?

माननीय माल सचिव—जितनी जल्द गवर्नमेंट आफ इण्डिया का जवाब आ जायगा उतनी ही जल्द हो जायगा।

श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी—क्या सरकार इस बात का कोई प्रोत्साहन कर रही है कि जिन किसानों की ज़मीनें फ़ौजी फ़ार्मों के लिये ली गई हैं उनको दूसरी ज़मीनों पर बसाने की कोशिश की जाय ?

माननीय माल सचिव—अगर ज़रूरत ऐसी महसूस होगी तो कोशिश की जायगी।

*१०७—**श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी**—क्या बबीना टैंक ट्रेनिंग स्कूल की जो खाली भूमि पड़ी है उसमें से कुछ ज़मीन फ़ौजी अधिकारी उन किसानों और मालिकों के बजाय जिनकी वह भूमि है दूसरे लोगों को बटाई पर काश्त के लिये दिए हुए हैं ? ऐसी भूमि का रक़बा कितना है ?

माननीय माल सचिव—जी हाँ, परन्तु अब ऐसा नहीं होगा। ऐसी भूमि का क्षेत्र लगभग ५० एकड़ है।

*१०८—**श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी**—उस ज़मीन के कितने हिस्से पर और रक़बे पर फ़ौजी अधिकारियों ने इमारतें और सड़कें बनवा ली हैं ?

माननीय माल सचिव—इस संबंध में सूचना मेज पर रक्खे हुये नक्शे में दी गई है। (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१ पर)।

*१०९—**श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी**—क्या यह सच है कि जिस रक़बे पर सड़कें और इमारतें बनवाली गई हैं उनका भी पूरा-पूरा मुआवज़ा अभी तक किसानों और भूमि के मालिकों को नहीं दिया गया है ? यदि उत्तर 'हाँ' में है, तो इसका क्या कारण है ?

माननीय माल सचिव—बबीना में उन किसानों को छोड़कर जिन्होंने बिना आज्ञा के ही अपनी भूमि में खेती की है और सबको पूरा-पूरा मुआवज़ा दिया गया है। ललितपुर में हवाई अड्डे का मुआवज़ा केवल १,३५३ असली के लिये दिया गया है। दूसरे सालों के लिये मुआवज़ों के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग), प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या गवर्नमेंट कृपा करके यह बतलायेगी कि चीफ सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की एक सूची जो हिन्दी में काम कर सकते हैं सब जिलों में और सचिवालय में, तैयार हो चुकी है?

श्री गोविन्द सहाय—अभी तैयार नहीं हुई है लेकिन तैयार करने का प्रबन्ध हो रहा है।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या अब सात महीने की यह अवधि बीतने के बाद सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करेगी जिससे किसी निश्चित समय के अन्दर समस्त कर्मचारी हिन्दी सीख लें और खासकर मुसलमान कर्मचारी जिनको हिन्दी का ज्ञान नहीं के बराबर है?

श्री गोविन्द सहाय—जैसा कि मैंने पहले कहा कि आदेश जारी किये जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सब लोग हिन्दी जल्द से जल्द सीख लेंगे।

*७२—**श्री भगवानदीन मिश्र**—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि अब तक सारे के सारे डी० ओ० और कुल लिखा पढ़ी जो प्रान्तीय सरकार अपने अधीनस्थ जिलों से करती है; अंग्रेजी ही में चल रही है और प्रायः उत्तर भी अंग्रेजी भाषा में ही आते जाते रहते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री गोविन्द सहाय—यद्यपि पूर्ण रूप से सरकारी पत्र व्यवहार हिन्दी में करने में अभी कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं तथापि इसका पूरा उद्योग किया जा रहा है और पत्र व्यवहार हिन्दी में भी आरम्भ होगया है।

नमक और मिट्टी के तेल पर से कण्ट्रोल हटाना

*७३—**श्री भगवानदीन मिश्र**—क्या सरकार कन्ट्रोल हटाने के अच्छे परिणाम को देखते हुए नमक और मिट्टी के तेल से भी इसे हटाने का विचार कर रही है? अगर नहीं, तो क्यों?

माननीय अन्न सचिव—इस मामले पर सरकार विचार कर रही है और वह स्वयं इस बात के लिये उत्सुक है कि ज्योंही परिस्थितियाँ अनुकूल हों इन चीजों पर से नियन्त्रण उठा लिया जाय। इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार की स्वीकृति भी लेनी होगी।

जहाँ तक नमक का सम्बन्ध है हम इस प्रान्त में बाहर से नमक मँगा रहे हैं और प्रान्त में नमक के पहुँचते ही उस पर से नियन्त्रण हटा लेने के उद्देश्य से स्थिति पर विचार किया जायगा।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नमक की स्थिति ऐसी हो गई है जिससे कि कम-से-कम सी साल्ट के ऊपर से कंट्रोल हटाया जा सके?

माननीय अन्न सचिव—नमक की स्थिति अब अच्छी हो गई है और इस वजह से सी साल्ट और क्योर नमक से कंट्रोल हटा लिया गया है लेकिन साँभर नमक के ऊपर से अभी कंट्रोल हटाया नहीं गया है।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या गवर्नमेंट को यह भी मालूम है कि काँग्रेस का विरोध करने के लिये अगर कोई प्रचार किया जा सकता है तो वह केवल नमक और कंट्रोल का है ?

माननीय अन्न सचिव—सरकार को यह भी मालूम है कि कंट्रोल के बारे में लोगों को काफ़ी असन्तोष रहा है, लेकिन सरकार को यह भी मालूम है कि जिन-जिन चीजों से कंट्रोल हटाया गया है उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वही लोग जो कंट्रोल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया करते थे अब यह कहते हैं कि कंट्रोल फिर से उन पर लगा दिया जाय।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या कंट्रोल के हटाते ही जिन-जिन चीजों की क़ीमत बढ़ गई है उनके लिये कण्ट्रोल के अलावा कोई दूसरी बात गवर्नमेंट सोच रही है ?

माननीय अन्न सचिव—अभी फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी तो केन्द्रीय सरकार के फूड मिनिस्टर ने कण्ट्रोल के बारे में ख़ासकर कपड़े के कण्ट्रोल के बारे में बहुत-सी बातें प्रान्तीय मंत्रियों के सामने सुझाव के रूप में रक्खी हैं। प्रान्तीय सरकार उनके ऊपर विचार करके एक महीने के बाद फिर विचार करेगी कि किस तरह से जिन चीजों के दाम बढ़ गये हैं और जिनके ऊपर से कंट्रोल हटा लिया गया है फिर से उन चीजों के दाम मुक़र्रर किये जायँ और उनके वितरण के लिये कौनसी स्कीम लागू की जाय जिससे कि लोगों को चीज़ें कम दामों पर मिल सकें और ब्लेक मार्केट पनप न सके।

शरणार्थियों के आने के कारण सहारनपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के व्यय में वृद्धि

*७४—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सहारनपुर में शरणार्थियों की तादाद किस क़दर है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव के सभा मंत्री श्री (चरण सिंह)—लगभग ४४,५०० ।

*७५—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड, सहारनपुर के अख़राजात इन शरणार्थियों के आने की वजह से बढ़ गये हैं और बदअमनी वग़ैरह की वजह से आमदनी घट गयी है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*७६—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड, [सहारन]पुर ने इन वजूहात की बिना पर गवर्नमेंट से ग्राण्ट की इस्तदुआ की है ?

श्री चरण सिंह—म्युनिसिपल बोर्ड ने तो नहीं परन्तु चेयरमैन ने ग्राण्ट के लिए प्रार्थना अवश्य की है।

*७७—**श्री महमूद अली खाँ**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि गवर्नमेंट ने कितनी ग्राण्ट दी है या किस क़दर ग्राण्ट देने का इरादा रखती है?

श्री चरण सिंह—सरकार ने ५०,००० रु० की ग्राण्ट दी है।

मिस्टर सुहराब खाँ, मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड सहारनपुर की मुअत्तली

*७८—**श्री महमूद अली खाँ**—(क) क्या यह सच है कि मिस्टर सुहराबखाँ मेम्बर, म्युनिसिपल बोर्ड को मेम्बरी से गवर्नमेंट ने मुअत्तल किया है?

(ख) मेहरबानी करके यह बताया जाय कि किस तारीख को मुअत्तल किया गया था?

(ग) क्या इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सहारनपुर की रिपोर्ट तलब की गयी थी?

(घ) अगर रिपोर्ट तलब की गयी थी, तो बताया जाय कि क्या रिपोर्ट आयी?

(ङ) मेहरबानी करके बताया जाय कि इतने अर्से तक इस केस को क्यों और किस वजह से नहीं तय किया गया?

श्री चरण सिंह—(क) जी हाँ।

(ख) सरकारी आदेश १ अप्रैल सन् १९४७ ई० को जारी हुआ था।

(ग) जी हाँ।

(घ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की यह रिपोर्ट थी कि मेम्बर के विरुद्ध जो आरोप था वह साबित न हो सका।

३—केस तय हो गया और मेम्बर को बहाल करने का आदेश १६ जनवरी सन् १९४८ ई० को जारी हो गया।

सहारनपुर म्यूनिसिपल बोर्ड की सहायता के लिए प्रार्थना

*७९—**श्री महमूद अली खाँ**—(क) क्या यह सच है कि सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने गवर्नमेंट से वाटर वर्क्स वग़ैरह के लिए इम्दाद और क़र्ज़े की दरख़्वास्त की है?

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड ने कितनी मरतबा ऐसी दरख़्वास्तें गवर्नमेंट को भेजीं?

(ग) क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उसने इन दरख़्वास्तों पर क्या तवज्जह फ़रमाई?

श्री चरण सिंह—(क) जी हाँ।

(ख) दो बार। एक दफा १९४६ ई० में और दुबारा अप्रैल १९४८ ई० में।

(ग) १९४६ ई० वाली दरख्वास्त के जवाब में कमिश्नर को लिखा गया था कि बोर्ड से कहा जाय कि वह अपनी माली हालत सुधारने के लिये हाउस और टरमिनल टाल टैक्स की शरह बढ़ाये ताकि वह क़र्ज़े की सालाना किश्त अदा कर सके। बोर्ड से यह भी कहा गया था कि वह सरकार को इत्तला दे कि इन दोनों टैक्सों से अलग-अलग उसे कितनी जायद आमदनी होगी।

दूसरी दरख्वास्त पर सरकार गौर कर रही है।

श्री महमूद अली ख़ाँ—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उस कारंवाई का नतीजा कब तक बरामद होगा ?

श्री चरण सिंह—अभी तो दूसरी दरख्वास्त अप्रैल में भेजी गई है। बहुत जल्द नतीजा बरामद हो जायगा।

*८०—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या यह सच है कि सहारनपुर में हिफ़ज़ान सेहत और सफ़ाई की हालत इत्मीनान बख्श नहीं है और पानी जो इस्तेमाल होता है वह भी डाक्टरों के नज़दीक अच्छा नहीं है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ। किन्तु पानी की खराबी के बारे में कोई सूचना नहीं है।

सहारनपुर की बिजली कम्पनी का ठेका टूटना

*८१—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—(क) क्या यह सच है कि सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने बिजली कम्पनी, सहारनपुर को जो लोकल आदमियों के इन्तज़ाम में है, ठेका मन्सूख करके म्युनिसिपैलिटी को देने के मुताल्लिक़ गवर्नमेंट को लिखा था ?

(ख) कितना अर्सा हुआ कि यह लिखकर गवर्नमेंट को भेजा गया था ?

(ग) अब तक इस पर क्या कारंवाई हुई और म्युनिसिपल बोर्ड को क्या जवाब दिया गया ?

(घ) अगर जवाब नहीं भेजा गया, तो मेहरबानी करके बताया जाय कि इसकी क्या वजह है ?

श्री चरण सिंह—(क) जी हाँ।

(ख) लगभग एक साल चार महीने।

(ग) म्युनिसिपल बोर्ड को जवाब दिया गया है कि कम्पनी का लाइसेन्स ५० साल के लिये है जो १९७२ ई० में खतम होगा। कम्पनी के विरुद्ध जो बोर्ड के आरोप हैं, ये उस प्रकार के नहीं हैं कि जिनके कारण कम्पनी का लाइसेन्स रद्द कर दिया जाय। यदि यह आरोप सरकार को विधिवत सूचित

किये जायेंगे तो सरकार विचार करेगी कि उन पर क्या उचित कार्रवाई की जा सकती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

*८२—**श्री महमूद अली खाँ**—क्या यह सच है कि म्युनिसिपैलिटी ने गवर्नमेंट को बिजली कम्पनी के सिलसिले में यह लिखा था कि अगर बिजली कम्पनी का इन्तजाम म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्द हो जाय तो आम पब्लिक को यह फायदा होगा कि इस वक्त बिजली कम्पनी ५-१/२ आना युनिट बिजली दे रही है और म्युनिसिपैलिटी ३-१/२ आना फी युनिट देने के लिए तैयार है, इस के अलावा सड़कों वगैरह पर रोशनी का इन्तजाम है इसके अखराजात में कमी की वजह से म्युनिसिपैलिटी को बचत होगी और इस रुपये को म्युनिसिपैलिटी दूसरे अवाम के फायदे के कामों में खर्च कर सकेगी ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, बोर्ड के पत्र का आशय यही था परन्तु यूनिट के दाम के विषय में कोई विशेष दर का उल्लेख नहीं था।

*८३—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या यह सच है कि यू० पी० की अधिक म्युनिसिपैलिटियों में बिजली सप्लाई का काम म्युनिसिपैलियाँ खुद अन्जाम दे रही हैं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*८४—**श्री महमूद अली खाँ**—[स्थगित किया गया।]

*८५—**श्री हसन अहमद शाह**—[स्थगित किया गया।]

हिन्दी उर्दू अध्यापकों में पोस्ट ग्रेजुएटों की ट्रेनिंग से मुक्ति

*८६—**श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह**—(क) क्या यह सही है कि नये क़ायदे के हिसाब से हिन्दी उर्दू अध्यापक जो हाई स्कूलों में हैं उनमें एम०ए० वाले ट्रेनिंग से बरी कर दिये गये हैं, हालाँकि इसके पहिले कोई भेद ऐसा न था ?

(ख) क्या सरकार इस विभिन्नता को क़ायम रखना चाहती है ? यदि हाँ, तो किस कारण से ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकम सिंह)—(क) नहीं ऐसा नहीं है।

(ख) एम०ए० के लिये जो भाषा के अध्यापक के पद पर नियुक्त थे यह आवश्यक नहीं था कि वे ट्रेंड हों। उनके लिये ट्रेंड होना न पहले आवश्यक था और न अब है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एम०ए० पास वालों को क्यों बरी रक्खा है ?

माननीय माल सचिव—पहले ही ऐसे नियम थे।

ज़मींदारी उन्मूलन समिति द्वारा तैयार प्रश्नावली के सम्बन्ध में पूछताछ ।

*८७—**श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ज़मींदारी मिटाने के सम्बन्ध में उसने जो प्रश्नावली निकाली थी उसके प्रश्न नं० ८ के बारे में जो उत्तर विभिन्न कांग्रेस कमेटियों से आये हैं, वे क्या हैं ?

माननीय माल सचिव—जिन पुस्तकों में ज़मींदारी उन्मूलन समिति के सामने दी गई गवाहियाँ लिखी हुई हैं और जो मुद्रित हो चुकी हैं उनके प्रकाशित होते ही यह सूचना मिल जायगी। सरकार तब तक गवाही का सारांश देना उचित नहीं समझती जब तक कि उस गवाही पर समिति के निर्णय प्रकाशित नहीं हो जाते।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह कब तक प्रकाशित हो जायगी ?

माननीय माल सचिव—तारीख निश्चित नहीं कर सकता लेकिन जल्द हो जायगी।

लखनऊ रोडवेज के स्टेशनों पर विश्राम-गृह न होने से जनता को कठिनाई

*८८—**श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लखनऊ रोडवेज के स्टेशनों पर नवीन और सुचारु ढंग के विश्राम गृहों के न होने से जनता को कठिनाई होती है ? क्या सरकार इस ओर कुछ कार्रवाई कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—जी हाँ। यह कठिनाई पूरी तरह से तभी दूर होगी जब सरकार के अपने बस स्टेशन बन जायेंगे। इस समय जनरल मैनेजरों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे बस के मुसाफिरों के लिये अस्थायी रूप से छप्पर इत्यादि डलवा दें और पीने के पानी आदि का इन्तज़ाम कर दें।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आदेश सरकार ने मैनेजरों के पास भेजे हैं वह अमल में लाये गये या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—बहुत सी जगह तो लाये गये हैं। तमाम जगहों में लाये गये या नहीं मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी बस स्टैंड्स कब तक बन जायँगे ?

माननीय पुलिस सचिव—इसमें समय लगेगा क्योंकि ज़मीनों का मिलना अपने हाथ की बात नहीं है। अधिकतर ज़मीनें ऐसी हैं जो छावनियों से या फौजवालों से ताल्लुक रखती हैं। कुछ जमीनें ऐसी हैं जो इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट या म्युनिसिपालिटी से ताल्लुक रखती हैं। जिससे कि ज़मीन लेने की कोशिश में कठिनाइयाँ पड़ती हैं और प्राइवेट लोगों से लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ पड़ती हैं।

चल-चित्रों पर नियन्त्रण की आवश्यकता

❀ ८९—**श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह**—इस बात को जानते हुए कि चल-चित्रों का प्रभाव युवकों और बालकों के विचारों तथा आचरण पर पड़ता है? क्या सरकार उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुरे चल-चित्रों को रोकने का कोई प्रबन्ध अभी तक हुआ है या नहीं?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार उस पर विचार कर रही है।

अलीगंज बाज़ार, जिला सुल्तानपुर, में पुलिस का जनता पर गोली चलाना

❀९०—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ता० ३० नवम्बर, सन् १९४७ ई० को अलीगंज बाज़ार, जिला सुल्तानपुर में थाना मुसाफ़िरख़ाना के बड़े सब-इन्स्पेक्टर व छोटे सब-इन्स्पेक्टर ने निहत्थी जनता पर गोली चलायी, जिसमें एक व्यक्ति गोली खाकर तत्काल मर गया और अन्य दो व्यक्ति घायल हुए?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को सूचना मिली है कि मुसाफ़िरख़ाना के बड़े और छोटे थानेदार को मजबूर होकर चलानी पड़ी जिसमें एक आदमी तुरन्त ही मर गया और दो घायल हुये।

श्री काली चरण टंडन—क्या सरकार यह बतलायेगी कि थानेदार को गोली चलाने के लिये क्या मजबूरी थी?

माननीय पुलिस सचिव—मजबूरी यह हुई थी कि एक मजमा एक जगह इकट्ठा था और जिसके मकान के पास वह लोग गये थे उस मकान में पहले तो आग लगाने का विचार हुआ और बाद में आग लगाई। इसलिये गोली चलानी पड़ी।

❀९१—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि गोली चलाने के कुछ पूर्व रमजान चूड़ीहार के घर में आग लगवा दी गयी? यदि हाँ, तो क्यों और किसने यह काम करवाया?

नोट—ताराङ्कित प्रश्न सं० ९० से ९६ तक श्री काली चरण टंडन ने पूछे।

माननीय पुलिस सचिव—यह सही है कि रमज़ान चूड़ीवाले का घर हिन्दुओं की एक कुछ भीड़ ने इस सन्देह में जलाया कि वह एक हिन्दू बेवा को जो कुछ समय से लापता थी, भगा ले गया था।

❀ ९२—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थिति)—क्या सरकार यह जानती है कि इस घटना की जाँच जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री व अन्य कर्मचारियों ने की और उसके पश्चात् ज़िले के तीनों असेम्बली के सदस्यों ने भी जाँच की और सब लोग इसी नतीजे पर पहुँचे कि उक्त सब-इन्स्पेक्टरों ने बेजा गोली चलायी और अपनी बचत दिखलाने के वास्ते रमज़ान चूड़ीहार के घर में आग लगा दी ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को पता चला है कि इस मामले की जाँच ज़िला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री और असेम्बली के मेम्बरों ने की और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि पुलिस ने बेजा गोली चलाई परन्तु सरकारी अफ़सरान जिन्होंने जाँच की वे विपरीत नतीजे पर पहुँचे।

❀ ९३—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दामोदर स्वरूप सेठ ने भी १३–१४ दिसम्बर को अलीगंज बाज़ार में स्वयं जाकर इस घटना की जाँच की और उन्होंने भी यही राय क़ायम की जो कि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्त्ताओं तथा तीनों युक्त सदस्यों की थी और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

❀ ९४—**श्री गणपति सहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह जानती है कि उक्त सब-इन्सपेक्टर ने ४५ निर्दोष हिन्दू व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की और उनको गिरफ़्तार कराकर जेल में बन्द कर दिया ?

माननीय पुलिस सचिव—कोतवाली के सब इन्सपेक्टर मामले की जाँच कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक ४२ आदमियों को भारतीय दंड विधान की १४७। ४३६। ३९५ धाराओं में गिरफ़्तार किया है।

श्री काली चरण टंडन—क्या सरकार को मालूम है कि जो ४५ आदमी जेल में बन्द किये गये हैं वह उन्हीं थानेदार साहब की रिपोर्ट पर बन्द किये हैं जिन्होंने गोली चलाई थी।

माननीय पुलिस सचिव—मेरे ख्याल से रिपोर्ट उसी थानेदार की होगी क्योंकि वह उसी थाने के इन्चार्ज हैं।

श्री काली चरण टंडन—क्या वही थानेदार अब इस मामले की आगे की जाँच की कार्रवाई कर रहे हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ, मगर जाँच की कार्रवाई इस माने में नहीं कि उन्होंने ठीक किया या ग़लत। लेकिन कौन मुजरिम हैं और कौन सी

*११०—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या बबीना फ़ील्ड फ़ायरिंग आ० स०
रेंज की घास और सूखी लकड़ी व फलों का ठेका फ़ौजी अधिकारी बजाय *६७
किसानों व मालिकों के अन्य ठेकेदारों को दे देते हैं ? इससे क्या सालाना ता०
आमदनी है ? १६-३-४८

माननीय माल सचिव—जी हाँ, परन्तु सैनिक अधिकारियों ने कलक्टर को सूचना दी है कि आगे से ऐसा नहीं किया जायगा। सन् १९४६-४७ ई० में तेंदू के पत्ते, फल, घास और सूखी लकड़ी बेचकर ६,२६१ रु० की आय हुई। सन् १९४७-४८ ई० में ६,५०० रु० पर ठेका दिया गया।

*१११—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—क्या आज कल इस फ़ायरिंग *६६
रेंज में शनिवार के आधे दिन से सोमवार के प्रातःकाल तक की छुट्टी रहती है १६-३-४८
और सप्ताह में डेढ़ दिन चाँदमारी बन्द रहती है ?

माननीय माल सचिव—जी हाँ, साधारणतया ऐसा होता है परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि चाँदमारी कुछ खास दिनों में ही होनी चाहिये। जब कभी भी खराब मौसम के कारण सप्ताह में किन्हीं दिनों रेंज काम में नहीं आता तो इसे शनिश्चर और इतवार को काम में लाना पड़ता है।

*११२—**श्री कुंजबिहारीलाल शिवानी**—कुल कितना रकबा ऐसा है जो जिला *७०
झाँसी में फ़ौज के इस्तेमाल के लिए सरकार ने लिया हो और यह कहाँ-कहाँ है। १६-३-४८

माननीय माल सचिव—सरकार ने लगभग २४.५६०३ एकड़ भूमि सैनिक प्रयोजनों के लिए हस्तगत की—बबीना के नजदीक २४.३७६ एकड़ भूमि और ललित हवाई अड्डे के लिए २१४.३ एकड़ भूमि।

* ११३—**श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी**—इस कुल रक़बे में से कितने रक़बे *८६
में काश्त होती थी जबकि सरकार ने उसे जब्रिया लिया ? १६-३-४८

माननीय माल सचिव—६,५८५.५ एकड़ भूमि में।

*११४—**श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी**—सरकार ने अभी तक जो मुआवजा *७१
काश्तकारों व भूमि के मालिकों को ज़मीन, घर व पेड़ों का दिया है वह किस १६-३-४८
हिसाब से दिया है और उसकी गांववार सालाना रक़म क्या है ? और कुल कितने आदमियों की जमीनें ली गई हैं ?

माननीय माल सचिव—इस बारे में सूचना इकट्ठा की जा रही है और बाद में मेज़ पर रख दी जायगी।

युक्त प्रान्त में वैदिक और यूनानी औषधालय

*११५—**श्री जाहिद हुसैन**—क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० के
कौन-कौन से ज़िलों में यूनानी व वैदिक शफ़ाखाने सरकार या म्युनिसिपल बोर्ड *६८
के खर्चे पर चल रहे हैं और ऐलोपैथिक के कितने शफ़ाखाने हैं जिनकी माली १६-३-४८
सहायता सरकार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—प्रान्त के प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक या यूनानी या दोनों प्रकार के सरकारी औषधालय हैं। ऐसे औषधालय जो केवल म्यूनिसिपल बोर्डों के खर्चे पर चल रहे हैं। शेष केवल १८ बोर्डों के अन्तर्गत हैं। ८८९ एलो- पैथिक औषधालयों को सरकारी सहायता मिलती है।

आ०स० *८७ तारीख १६-३-४८ ※११६—**श्री जाहिद हुसैन**—क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० प्रान्त में जो वैदिक व यूनानी शफ़ाखाने हैं उनमें जो वैद्य या हकीम काम कर रहे हैं किन-किन कालिजों के शिक्षा पाए हुए हैं और उनकी तनख्वाह का स्केल क्या है?

श्री चरण सिंह—नीचे लिखे कालेजों के पास वैद्य तथा हकीम इन औष- धालयों में (ए) क्लास के रजिस्टर्ड वैद्य तथा हकीम जो शुरू में रख लिये गए थे काम कर रहे हैं।

१ ऋषिकुल कालेज, हरिद्वार।
२ बुन्देलखण्ड कालेज, झाँसी।
३ ललितहरी कालेज, पीलीभीत।
४ कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ।
५ आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी।
६ ए० यू० तिब्बिया कालेज, दिल्ली।
७ स्टेट एडेड कालेज, लखनऊ।
८ तकमिलुत्तिब कालेज, लखनऊ।
९ यूनानी कालेज, इलाहाबाद।
१० तिब्बिया कालेज, मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
११ डी० ए० वी० कालेज, लाहौर।
१२ सनातन धर्म प्रेमगिरी कालेज, लाहौर।

सरकारी औषधालयों के वैद्य हकीमों का वेतन ७५-५-८०-२०० प्रति मास है। लेकिन बाडीज के अन्तर्गत वैद्य हकीमों के लिए कोई खास वेतन तय नहीं है। यह प्रश्न लोकल बाडीज में कमेटी के विचाराधीन है।

※११७—**श्री ज़ाहिद हुसैन**—क्या यह ठीक है कि यू० पी० सरकार की

*८८ १६-३-४८ ऐसी संस्थाओं में काम करनेवाले हकीम ज्यादातर तकमीलुत्तिबिया के शिक्षा पाए हुए हकीम हैं?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

※११८—**श्री जाहिद हुसैन**—सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि किन-किन

*८९ हकीमी शिक्षा देनेवाली संस्थाओं को वह कितना-कितना रुपया सदद के

१६-३-४८ तौर पर दे रही है?

श्री चरण सिंह—तिबिया कालेज मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ६०,००० वार्षिक स्टेट एडेड यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ। १४,००० वार्षिक

इसके अतिरिक्त बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पहिले वर्ष नीचे लिखे हुए तिब्बी कालेजों की सहायता दी गई थी।

तकमीलुत्तिब कालेज, लखनऊ—७००० रुपये।

मुबाउल्लतिब कालेज लखनऊ—१००० रुपये।

यूनानी कालेज इलाहाबाद—६००० रुपये।

श्री ज़ाहिद हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि तकमीलुत्तिबा को जो स्टेट एड दी जाती है वह कम क्यों दी जाती है?

श्री चरण सिंह—यह तो बहुत से उसूलों के मुताबिक मदद दी जाती है। सब ट्रेनिंग कालेजों की मदद देने के उसूलों पर गवर्नमेंट विचार कर रही है कि अगले साल से किस उसूल पर मदद दी जाय। आ० स० *६० ता० १६-३-४८

*११९—**श्री ज़ाहिद हुसैन**—क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० के यूनानी व वैदिक कोई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ मरीज़ों को रख कर इलाज के प्रबन्ध हों?

श्री चरण सिंह—निम्नांकित बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन से सम्बन्धित कालेजों के औषधालयों में रोगियों को अन्तरंग कक्षाएँ (Indoor Wards) चिकित्सार्थ हैं।

१ आयुर्वेदिक कालेज बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

२ तिबिया कालेज मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।

३ ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।

४ ललितहरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।

५ दर्शना क्लब आयुर्वेदिक कालेज, बनारस।

६ बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी।

७ मूलचन्द रस्तोगी ट्रस्ट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।

८ तकमीलुत्तिब कालेज, लखनऊ।

९ लेखराम आयुर्वेदिक कालेज, डोरली, मेरठ।

सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में, जौनपुर में सरकारी अधिकारयों द्वारा किये गये अत्याचार।

*१२०—**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**—क्या सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में जौनपुर के सरकारी अधिकारियों ने कुछ मकानात जलवाये और लुटवाये थे? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ और किन-किन के? *३० ४-३-४८ *१०१ ६-३-४८ *३१

माननीय पुलिस सचिव—इस बात के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। ४-३-४८ *१०२ १६-३-४८

आ स० *३१ ता० ४-३-४८ *१०२ १६-३-४८ *१२१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—सन् १९४२ के आन्दोलन में जौनपुर जिले में किन-किन लोगों ने सरकारी आदमियों की गोलियाँ खाई और किन-किन की उनकी गोलियों से मृत्यु हुई ?

माननीय पुलिस सचिव—सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में जौनपुर में १६ व्यक्तियों के गोलियाँ लगीं जिनमें से ८ व्यक्ति मरे उन व्यक्तियों के नाम नीचे दिये जाते हैं।

घायल व्यक्तियों के नाम

१ शिवलाल, निवासी सराय हरसू, पुलिस स्टेशन बल्ला।
२ रामभरोसेसिंह, निवासी बादीपुर, थाना बल्ला।
३ नीलामल, निवासी सलेमपुर, थाना बदलापुर
४ हरिनाथसिंह, निवासी हादिया, थाना बदलापुर
५ निहोरे, निवासी रामनगर, थाना मीरगंज।
६ माताप्रसाद, निवासी चौकीकलाँ, थाना मीरगंज।
७ सीताराम, निवासी सुल्तानपुर, थाना बल्ला।
८ केदारनाथ, निवासी विशयी रामनगर सभारण, थाना मछली शहर।

मृत्यु व्यक्तियों की संख्या

१ ईमान्दारसिंह, हैदरपुर निवासी, थाना बल्ला।
२ रामफकीरेसिंह, नानामऊ निवासी, थाना बल्ला।
३ रामनिहोरे कहार, गारो निवासी, थाना बल्ला।
४ राम पदारथ अगरारा निवासी, थाना बल्ला।
५ रामानन्द लोनियाँ, अमरारा निवासी, थाना बल्ला।
६ रघुबीर लोनियाँ अमरारा निवासी, थाना बल्ला
७ महाबीरसिंह, धीरलिया निवासी, थाना मड़ियाहू
८ रामकुमार सिंह, करियाँव निवासी, थाना मीरगंज।

*३२ ४-३-४८ *१०३ १६-३-४८ *१२२—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के सिलसिले में जौनपुर के कितने आदमी जेल गए, कितनों को फाँसी हुई और कितने फ़रार रहे? क्या सरकार उनकी नामावली मेज़ पर रखने की कृपा करेगी?

माननीय पुलिस सचिव—शासन प्रथा को बताया गया है कि १३२० व्यक्ति गिरफ़्तार किये गये और जेल भेज दिये गये थे। इनकी *सूची मेज़ पर रखी जाती है।

एक ग्राम व्यक्ति को, जिसका नाम भगवानदास, तनय हरिबरन अहीर था और जो खराहा, थाना मछली शहर का निवासी था भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ के आधीन २५ नवम्बर १९४४ ई० को मृत्यु दण्ड दिया

---

*छापी नहीं गई।

गया था और महादेवसिंह को जो दसनाही गाँव का मुखिया था हत्या करने के अपराध में फाँसी दी गई थी।

पाँच व्यक्ति, जिनके नाम रामपाल चौबे, शिवनीक ब्राह्मण, रामनारायण सिंह, सुरेशप्रसाद गौर जगन्नाथसिंह हैं, प्रच्छन्न (फरार) हो गये थे और उस समय गुप्त और भागे हुये रहे जब तक कि उनको पकड़ने के लिये निकाले हुये आज्ञापत्रों (वारन्टों) का शासन सत्ता द्वारा निराकरण न कर दिया गया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जिन लोगों की गोली से मृत्यु हुई और जिनको फाँसी की सजा हुई उनके आश्रितों को सहायता देने के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है?

माननीय पुलिस सचिव—इस सम्बन्ध में कोई खास नीति तो नहीं बनाई गई है लेकिन व्यक्तिगत मामले देखे जाते हैं और जहाँ-जहाँ जरूरत हो कि उनके घर वाले तकलीफ़ में हैं तो उनकी मदद करने को गवर्नमेंट सोच सकती है।

श्री दीपनारायण वर्मा—क्या भगवानदास के मुक़दमे को गवर्नमेंट ने पोलिटिकल क़रार दे दिया है।

माननीय पुलिस सचिव—इसके लिये नोटिस चाहिये। फ़ाइल देखकर बता सकता हूँ।

तहसीलदार, सिकन्दराबाद-जिला बुलन्दशहर के खिलाफ़ शिकायत

*१२३—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या यह ठीक है कि सिकन्दराबाद, ज़िला बुलन्दशहर के तहसीलदार के खिलाफ़ इस प्रकार की शिकायत हुई है कि उन्होंने सन् १९४६-४७ ई० में वहाँ के इक्के व घोड़े ताँगों की लाइसेन्स फ़ीस का कोई पैसा खज़ाने में जमा नहीं किया? यदि हाँ, तो यह शिकायत कब हुई तथा उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? उक्त तहसीलदार का क्या नाम और वह सिकन्दराबाद में कब से हैं। आ० स० *१८ ता० १९-३-४८

माननीय माल सचिव—जी हाँ, प्रश्न में जिस शिकायत का ज़िक्र किया गया है वह ९ मई १९४७ ई० को मिली थी। उसकी जाँच की जा रही है। तहसीलदार का नाम श्री खुरशीद हुसैन बिलग्रामी है। वह ७ नवम्बर १९४५ ई० से १७ जून १९४७ ई० तक, सिकन्दराबाद में था।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस लाइसेन्स के नाम से कोई रक़म वसूल भी हुई या नहीं?

माननीय माल सचिव—इसकी जाँच हो रही है, जाँच हो जाने पर यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है।

श्री बलभद्र सिंह—उत्तर के अनुसार करीब एक साल हो गया है इस शिकायत को। क्या सरकार बतायेगी कि कितने साल तक यह जाँच और चलेगी।

माननीय माल सचिव—मैं इससे बहुत जल्दी कर रहा हूँ।

आ० स० *१६ ता० १६-३-४८ ❀ १२४—श्री बलभद्रसिंह—साल १९४६-४७ ई० में सिकन्दराबाद में इक्कों व तांगों का कोई लाइसेन्स बदला गया या नहीं? यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है तथा उनसे कितनी फीस इकट्ठा हुई?

माननीय माल सचिव—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "ना" में है। इसलिये दूसरा भाग पैदा ही नहीं होता।

(३ मई, सन् १९४८ के लिये रक्खे गये प्रश्न)

अल्प सूचित ताराङ्कित प्रश्न

कानपुर तथा अनेक स्थानों पर प्लेग का प्रकोप

❀ १—श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या यह सच है कि प्रांत में इस वर्ष कानपुर तथा अनेक स्थानों पर प्लेग का प्रकोप आरम्भ हुआ है? उसको रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, नीचे लिखे साधनों का प्रयोग किया गया:—

(१) बड़े पैमाने पर साइनी गैस से चूहों को मारने तथा दूषित मकानों और वस्तुओं का डी० डी० टी० में शुद्धीकरण,

(२) बुरी तरह से रोग ग्रस्त क्षेत्रों में प्लेग अस्पताल का खोलना,

(३) बड़े पैमाने पर टीका लगाना।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या यह सच है कि इस प्रांत में प्लेग का प्रकोप हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से ज्यादा है?।

श्री चरणसिंह—दूसरे सूबों से तो मुकाबला नहीं किया गया लेकिन पिछले साल ज्यादा था और इस साल बहुत कम हुआ है।

❀ २—श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या यह सच है कि कानपुर प्रांत की एक केन्द्रीय मंडी होने के कारण वहाँ से प्लेग चारों ओर फैलने का अन्देशा रहता है?

श्री चरण सिंह—कानपुर एक केन्द्रीय स्थान होने के कारण वहाँ से प्लेग फैलने की कुछ आशंका है वहाँ के हेल्थ अफ़सर को चूहे मारने की एक जोरदार योजना की व्यवस्था करने तथा मंडियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आदेश दिया गया है, आस-पास के क्षेत्रों के हेल्थ अफ़सरों को इस प्रकार प्लेग के फैलने के विषय में तथा संदिग्ध विषयों का अन्वेषण करने तथा रोक थाम के उपाय शीघ्रातिशीघ्र लेने के लिए सावधान कर गिया गया।

तारांकित प्रश्न

मैनेजर, श्रीकृष्ण हाई स्कूल, बदायूँ की गिरफ्तारी

*१—**श्री रघुवीर सहाय**—(क) क्या यह बात ठीक है कि मैनेजर, श्रीकृष्ण हाई स्कूल, बदायूँ, ५ फ़रवरी, सन् १९४८ ई० को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सिलसिले में गिरफ़्तार हो गये थे और अभी कारागार में हैं ?

(ख) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे किस अपराध में गिरफ़्तार किये गए ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) जी हाँ।

(ख) उनको जन सुरक्षा विधान की (अ)(१)३ धारा के अनुसार बन्दी बनाया गया क्योंकि उनका सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से था।

श्री रघुवीर सहाय—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन मैनेजर साहब ने कोई माफीनामा या अन्डरटेकिंग दी है जब वह गिरफ़्तार हुये थे ?

माननीय पुलिस सचिव—जहाँ तक मालूम है अभी तक नहीं दी है।

श्री रघुवीर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह लोग जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में गिरफ्तार हुए हैं और जिन्होंने अभी तक माफी-नामा या अन्डरटेकिंग नहीं दी है, उनके बारे में क्या नीति है ?

माननीय पुलिस सचिव—आम तौर पर तो लोगों ने अपना पश्चाताप प्रकट कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट यह समझती है कि वह उससे सम्बन्ध रखना या उसी तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट का अपना एक मत है कि उन्होंने ऐसा काम किया जो हिंसात्मक था और ऐसे काम को करने का इरादा रखते हैं इसलिये गवर्नमेंट स्वभावतः ऐसे लोगों के बारे में विचार करेगी कि जो लोग पश्चाताप नहीं प्रकट करते हैं क्या करें।

नगीना, ज़िला बिजनौर में शरणार्थियों के जलूस द्वारा लूट मार

*२—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह सच है कि एक शरणार्थियों का जलूस नगीना, जिला बिजनौर में निकाला गया ?

माननीय पुलिस सचिव—नगीना में दो तीन जलूस निकले जिनमें शरणार्थी और दूसरे लोग शामिल थे। माननीय सदस्य ने किसी खास जलूस का जिक्र नहीं किया है लेकिन उनका मतलब शायद १९ जनवरी सन् १९४८ के सिक्खों के जलूस से है।

*३—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि क्या इस जलूस की इत्तिला हाकिम परगना व पुलिस सुपरिन्टेंडेंट,

ज़िला बिजनौर को दी गई थी ? अगर दी गई, तो क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उन्होंने क्या इन्तज़ामात किये थे ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ । इस जलूस की सूचना सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और हाकिम परगना को थी । हाकिम परगना और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस को इस जलूस की देख रेख के लिये नियुक्त कर दिया गया था, ये लोग मिलिट्री पुलिस की एक टोली और स्थानीय पुलिस के साथ जलूस में थे और जलूस के आगे पीछे सशस्त्र पुलिस भी थी ।

*४—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह सच है कि नगीना में उस ज़माने में दफ़ा १४४ का निफ़ाज़ था और बिना इजाज़त कोई जलूस नहीं निकाला जा सकता था ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ ।

*५—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई इत्तला इस जलूस के मुताल्लिक़ पहले से थी ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ ।

*६—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बिजनौर ने इस इत्तला की बिना पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट और हाकिम परगना से मशविरा किया ? और अगर नहीं किया, तो इसकी वजूहात क्या हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिजनौर ने इस जलूस की सूचना के आधार पर हाकिम परगना से परामर्श किया ।

*७—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि इस जलूस के निकलने से क़ब्ल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नगीने में आ गये थे या फ़साद की इत्तला पा कर आये थे ?

माननीय पुलिस सचिव—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट झगड़े की सूचना मिलने पर नगीना सात बजे शाम को पहुँचे थे ।

*८—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह वाक़या है कि जलूस में जो लोग शरीक थे उनमें ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी जो तलवारों, बल्लमों और दीगर अस्लाह से मुसल्लह थे और दफ़ा १४४ के मातहत कोई असलह लेकर चलना ममनू था ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं । केवल सिक्खों के पास ९ इंच लम्बी कृपाण थी, जिनपर दफ़ा १४४ लागू नहीं थी ।

*९—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह सच है कि जब जलूस आधा रास्ता तय करके एक ऐसे मुक़ाम पर पहुँचा जहाँ आस-पास किसी मुसलमान का मकान नहीं है, तो एक पटाख़ा छूटा ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ, परन्तु धड़ाका पटाखे का नहीं था बल्कि एक देशी बम का था।

*१०—**श्री बशीर अहमद अंसारी**—क्या यह सच है कि बाज़ फ़सादियों ने इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डालते हुए मुसलमानों की दुकानों व मकानात को लूटना शुरू कर दिया ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। जलूस के लोगों ने एक मुसलमान को जो कि जलूस के करीब मौजूद था बम फेंकने का दोषी ठहराया था। मुसलमानों के मकान और उनकी दूकानों की लूटमार करफ्यू आर्डर के लगने और जलूस के तितर-बितर हो जाने के कुछ समय के बाद शुरू हुई।

श्री बशीर अहमद अंसारी—सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो जवाब दिये गये हैं उनकी हिन्दी एक दूसरे से मिली हुई है और वह पढ़े नहीं जाते।

क्या मेहरबानी करके गवर्नमेंट यह बतायेगी कि करफ्यू होते हुए भी यह लूट मार कैसे शुरू हुई ?

माननीय पुलिस सचिव—करफ्यू आर्डर के बाद के माने यह हैं कि करफ्यू का आर्डर जब तक एलान किया जाय और लागू हो, तब तक सब लोग फौरन मकानों के अंदर बंद नहीं हो जाते। करफ्यू के जारी होने के बाद लोग बाहर निकले थे। करफ्यू का जब तक पूरी तरह से निफ़ाज़ किया जा सके लोगों ने हमला किया।

*११—**श्री बशीर अहमद अंसारी**—क्या यह सच है कि इस वक्त मौक़े पर पुलिस ने चंद फ़सादियों को एक दूकान में बंद कर दिया था मगर फिर एक मजमे ने आकर हमला करके इनको छुड़ा दिया और दुकानें वगैरा लूट लीं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं।

*१२—**श्री बशीर अहमद अंसारी**—(क) क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि नगीना में मुसलमानों की दुकानें, मकानात लूटे गये जिनमें अक्सर लोगों ने अपने सामान के जाया होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

(ख) कितनी तादाद में रिपोर्टें दर्ज कराई गई थीं और उनमें क्या उन्होंने कुछ लूटने वालों को भी नामज़द किया था ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। लगभग २०० रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीं और लूट मार करने वालों के कुछ नाम भी लिखाये गये।

श्री बशीर अहमद अंसारी—कितने आदमी लूट मार के सिलसिले में बंद कर दिये गये हैं।

माननीय पुलिस सचिव—इसका जवाब तो मैंने प्रश्न संख्या १३ के जवाब में दे दिया है।

*१३—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जिन लोगों को रिपोर्टों में नामज़द किया गया था, उनमें से कितने गिरफ़्तार किये गये? और बरामदगी माल के लिये कितने लोगों की खाने तलाशियाँ अब तक हो चुकी हैं, और कितने लोगों के खिलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई हो रही है? लूटे हुए माल असबाब की मजमूई तादाद क्या है?

माननीय पुलिस सचिव—जिन लोगों का नाम रिपोर्ट में लिखाया गया था उनमें १४ आदमी गिरफ़्तार किये गये। सब शरणार्थियों और क़रीब ५० स्थानीय हिन्दुओं की तलाशियाँ ली गईं और उन सब आदमियों के खिलाफ़ जिनके नाम रिपोर्ट में दिये गये थे जाँच की जा रही है।

जो माल लूटा गया था उसका पूरा-पूरा ब्योरा अभी नहीं मिल सका है।

*१४—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह सच है कि कुछ लोगों के पास लूटा हुआ माल बरामद किया गया और उसके मालिकों ने उसकी शिनाख्त भी की?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

श्री बशीर अहमद अन्सारी—लूटा हुआ माल जिन लोगों के पास से बरामद किया गया था उनमें से कितनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

माननीय पुलिस सचिव—इस वक्त मैं इसका पूरा ब्योरा नहीं दे सकता।

*१५—**श्री बशीर अहमद अन्सारी**—क्या यह वाक़या है कि नगीने के फ़साद के बाद माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री, पुलिस सचिव, नगीना तशरीफ़ ले गये थे और मुसलमानों ने अपने नुक़सानात उनसे बयान किये थे और जुमला शिकायत उनसे बतायी गयी थी? इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई है?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। झगड़ा हो जाने के बाद ही शान्ति क़ायम करने का उचित प्रबन्ध किया गया। एक बड़ी संख्या में शरणार्थी और स्थानीय आदमी जिन पर शंका थी, गिरफ्तार कर लिये गये और उनके मकानों की तलाशी ली गई। पुलिस की टोलियाँ जगह-जगह पर खड़ी कर दी गईं और पुलिस की गश्ती टोलियों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया।

गिरफ्तारियाँ हुईं और तलाशियाँ ली गईं। नई पुलिस की टोली भेजी गयी। इधर इस सम्बन्ध में नये सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने बहुत सफल जाँच की है। ग़ैरसरकारी प्रयत्न भी शान्ति के लिये किया गया। शान्ति सभायें क़ायम की गयीं।

*१६-२१—**श्री दामोदर दास**—[त्यागपत्र दे दिया।]

*२२-२६—**श्री गजाधर प्रसाद**—[त्यागपत्र दे दिया।]

*२७-३१—**श्री बल्देव प्रसाद**—[स्थिगित किए गये।]

संयुक्त प्रान्त में नमक का वितरण

*३२—**श्री बल्देव प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि युक्त प्रान्त में कहाँ-कहाँ से और कितना नमक आता है ?

माननीय अन्न सचिव—प्रान्त का २३०७ वेगन नमक का कोटा साँभर झील पंचभद्रा से जो साँभर झील के पास से मिलता है। इस विषय में अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि हर केन्द्र से नमक का वितरण जनरल मैनेजर साँभर झील के आधीन है।

सामुद्रिक नमक उत्पादन केन्द्रों उदाहरणार्थ कलकत्ते से भी नमक इस प्रांत में आता है और बहुत कम मात्रा में पाकिस्तान की खवड़ा की खानों से भी। किन्तु इन केन्द्रों से प्राप्त नमक की मात्रा बताना संभव नहीं है।

*३३—**श्री बल्देव प्रसाद**—आये हुये नमकों के वितरण का जिलों में क्या प्रबन्ध है ?

माननीय अन्न सचिव—संयुक्त प्रांतीय नमक नियंत्रण आदेश १९४७ के अनुसार जिलाधीशों को नमक वितरण करने के लिये थोक और फुटकर व्यापारियों को नियुक्त करने का अधिकार है।

*३४—**श्री बल्देव प्रसाद**—क्या यह ठीक है कि सरकार ने बंगाल से किसी प्रकार का नमक मँगाने के लिये किसी एजेन्ट को मुक़र्रर किया है ? यदि हाँ, तो कितने ? उनके नाम और पते क्या हैं ?

माननीय अन्न सचिव—सरकार ने सर्व श्री कार्तिकचंद्र दास, पी. ६६,४ स्ट्रेंड बैंक रोड, कलकत्ता को १००० वेगन (५ लाख मन) समुद्री नमक भेजने का ठेका दिया है।

सिकन्दर जहाँ बेगम का हाकिम परगना पीलीभीत की अदालत में दावा

*३५—**श्री मुहम्मद सुलतान आलम खाँ** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि एक दावा मुनाफा जायदाद मुश्तरका ३ साल याने ५०—५२ फ़सली बउनवान सिकन्दर जहाँ बेगम बनाम नसिरुद्दीन खाँ अदालत हाकिम परगना पीलीभीत में जूलाई सन् १९४६ ई० में दायर हुआ था ?

माननीय माल सचिव—जी हाँ ?

*३६—**श्री मुहम्मद सुलतान आलम खाँ** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इस मुक़दमे का अब तक फ़ैसला नहीं हुआ और अब तक जेर समाअत है ?

माननीय माल सचिव—जी नहीं, अभियोग का निर्णय हो गया है।

*३७—**श्री मुहम्मद सुलतान आलम खाँ** (अनुपस्थित)—इस मुकदमें में अब तक कितनी पेशियाँ हुई हैं ?

माननीय माल सचिव—इस अभियोग की सुनवाई ४० तारीखों पर हुई।

*३८—**श्री मुहम्मद सुलतान आलम खाँ** (अनुपस्थित)—क्या यह भी सच है कि अब तक इसमें सिर्फ दो पटवारियों की शहादत हुई है।

माननीय माल सचिव—पटवारियों के बयान के अतिरिक्त मुख्तार आम के भी बयान लिये जा चुके हैं। पटवारियों के बयान लिखने में ५ दिन लग गये क्योंकि इसमें १२ बड़े-बड़े नकशे पेश हुए थे।

*३९—**श्री मुहम्मद सुलतान आलम खाँ** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इतनी मरतबा तारीखें बढ़ाने का सबब क्या है ?

माननीय माल सचिव—अभियोग बहुत जटिल था और दोनों पक्ष वाले दो-दो तीन-तीन तारीखों से हर प्रार्थना पत्र पर बहुत बहस करते थे इस कारण इस मुक़दमें में इतनी पेशियाँ हुईं।

इमारती सामान की क़ीमत और मज़दूरी में सन् १९४६ ई० के मुक़ाबिले में सन् १९४७ ई० में बढ़ती

*४०—**श्री अब्दुलमजीद ख्वाजा**—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मुहकमा तामीरात में इमारत के सामान की क़ीमत और मज़दूरी में सन् १९३९ ई० के मुक़ाबिले में सन् १९४७ ई० में कितनी ज्यादती हो गयी है ?

(ख) क्या वह अभी क़ायम है ?

(ग) यदि नहीं, तो अभी कितना अन्तर रह गया है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—

(क) १२५ फी सदी।

(ख) जी नहीं।

(ग) १५० फी सदी।

*४१—४५—**श्री जगमोहन सिंह नेगी**—[स्थगित किये गये।]

*४६—५४—**श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल**—[स्थगित किये गये।]

*५५—**श्री सुरेन्द्रबहादुर सिंह**—[स्थगित किया गया।]

*५६—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—[स्थगित किया गया।]

जिला बाराबंकी में औषधालयों की कमी

*५७—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी जिले में शुजागंज, उमापुर, अलियाबाद, कोटवा, जगजीवनदास, बदीसराय, टिकैतगंज, सुबेहा, तिलोकपुर, सादुल्लापुर, देवीगंज, सफ़दरगंज और इन स्थानों के इर्द-गिर्द की जनता की चिकित्सा का दूर तक कोई प्रबन्ध नहीं है ? क्या सरकार इन स्थानों में इस वर्ष अस्पताल या औषधालय खोलने का इरादा रखती है ?

श्री चरणसिंह—जी हाँ। शुजागंज, सादुल्लापुर, अलियाबाद, देवीगंज और सफ़दरगंज को छोड़ कर जहाँ कि पाँच मील के अन्दर पक्की सड़क पर या तो कोई औषधालय है या दवाख़ाना, अन्य स्थानों पर चिकित्सा का कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं है। प्रान्तीय सरकार एक शरणार्थी डाक्टर टिकैतनगर में बसाने की सोच रही है। इस डाक्टर के बस जाने पर कोटवा और जगजीवनदास के निवासियों की चिकित्सा का चार मील की दूरी पर प्रबन्ध हो जायेगा। कुरसी में जो कि टिकैतगंज से ढेढ़ मील की दूरी पर है एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार है। इसके खुल जाने पर टिकैतगंज के रहने वालों को चिकित्सा की सुविधा हो जायेगी। उमापुर और त्रिलोकपुर में औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। सुबहा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक यूनानी दवाख़ाना इस समय है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफ़िसर आफ हेल्थ ने बोर्ड को लिखा है कि वह इस स्थान पर एक अंग्रेजी दवाख़ाना जिसका आधा ख़र्चा सरकार देगी खोल दे और यूनानी दवाख़ाना को यहाँ से हटाकर बदीसराय में स्थापित कर दे। यदि बोर्ड इस सुझाव से सहमत हो जायेगी तो बदीसराय में यूनानी दवाख़ाना खुल जायेगा और वहाँ के लोगों को चिकित्सा के लिये कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।

हैदरगढ़ और रामसनेहीघाट, ज़िला बाराबंकी में मिडिल स्कूलों की आवश्यकता

*५८—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार को मालूम है कि तहसील हैदरगढ़, ज़िला बाराबंकी में केवल दो मिडिल स्कूल हैं?

माननीय माल सचिव—जी नहीं, दो डी० बी० मिडिल स्कूल हैं और सरकारी इमदादी मिडिल स्कूल हैं।

*५९—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी ज़िले के परगना सूर्यपुर के अनिवार्य शिक्षा केन्द्र का एक मात्र मिडिल स्कूल तिवारीपुर गत वर्ष स्थानान्तरित कर दिया गया था, और अब हैदरगढ़ से रामसनेहीघाट तक १८ मील के अन्दर कोई मिडिल स्कूल नहीं रहा है?

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी—क्या गवर्नमेंट यह बताने की कृपा करेगी कि यह स्कूल क्यों हटाया गया था?

माननीय माल सचिव—एजूकेशन कमेटी के चेयरमैन ने रिपोर्ट की थी इसलिये हटाया गया था।

औसानेश्वर घाट और नैपुराघाट, ज़िला बाराबंकी में पीपों के पुल के बह जाने से हानि

*६०—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष में औसानेश्वरघाट और नैपुराघाट, ज़िला बाराबंकी में पीपों के पुल के बह

जाने से कितनी हानि हुई ? क्या यह सही है कि यह हानि प्रान्तीय सरकार के आदेश से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को उठाना पड़ी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन घाटों पर पुल बनाने का इरादा रखती है ?

श्री चरणसिंह—गत वर्ष औसानेश्वर घाट तथा नैपुराघाट में पीपों के नहीं बल्कि नावों के पुल थे और उनके बह जाने से लगभग सात हजार रुपये की क्षति हुई। सरकार ने इस क्षति का भार उठाने के संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया है। चूंकि यह पुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थे इसलिये घाटा उन्हीं को उठाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अभी तक सरकार से इस संबंध में कोई माँग भी नहीं रक्खी है। नैपुराघाट अब पी. डब्लू. डी. को दे दिया गया है और वहाँ पीपों का पुल बन रहा है। औसानेश्वर घाट पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नावों का पुल बना रहा है।

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी—क्या गवर्नमेंट यह महसूस करती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बहुत हानि उठानी पड़ी और उसकी मदद की जरूरत है ?

श्री चरणसिंह—मेरे ख्याल में तो नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर होगी तो मदद की जायगी।

* ६१—६६—**श्री महावीर त्यागी**—[त्यागपत्र दे दिया।]

बनारस तहसील में बरुणा नदी पर नये पुल के बनाने की योजना

* ६७—**श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—(क) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस तहसील में बरुणा नदी के ऊपर कोई नया पुल बनाया जायगा और क्या उसके लिए १ लाख के ऊपर व्यय की स्वीकृति अर्थ समिति से हो चुकी है ?

(ख) यह पुल किस स्थान पर बनाया जायगा ? क्या बनारस की कांग्रेस कमेटी या बनारस के ज़िला मैजिस्ट्रेट की राय स्थान के बारे में ली जायगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—(क) जी हाँ। पाँच कोसी सड़क के खालीसपुर-राजघाट हिस्से पर बरुणा नदी के ऊपर एक पुल पैदल चलनेवालों के लिये बनाने की तजवीज़ है। इसके लिये इस साल के बजट में ८८,००० रु० रक्खा गया है।

(ख) पहला हिस्सा: यह पुल मांटेसिरी स्कूल के पास बरुणा और गंगा नदी के संगम से २०० फुट ऊपर की तरफ बनाया जायगा।
दूसरा हिस्सा—जी नहीं।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इस पुल के बनाने के लिये स्थान के निश्चय करने के सम्बंध में बनारस की म्यूनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कांग्रेस पार्टी या डिस्ट्रिक्ट मैजिसट्रेट से सलाह ली गई थी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जवाब में कहा गया है कि नहीं ली गई थी।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस स्थान से थोड़े ही फ़ासले पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से हज़ारों आदमी आते जाते हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी हाँ, यह मालूम है। इसलिये मैं खुद उस जगह को देख आया हूँ और जहाँ सबसे नजदीक था ऐसी जगह तजवीज़ किया है।

[प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न अगले दिन के कार्यक्रम में रख दिये गये]

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय न्यायालय व्यवहार शुल्क (संशोधक) बिल के सम्बन्ध में शुभमूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषित करता हूँ कि संयुक्त प्रांतीय न्यायालय व्यवहार शुल्क (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २६ फरवरी सन् ४८ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल ने अपनी २० मार्च, सन् ४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभमूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति ३० मार्च सन् ४८ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रांत का १४वाँ ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर बिल के सम्बन्ध में शुभमूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषित करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १५ मार्च सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था और संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी २० मार्च सन् ४८ ई० की बैठक में मुक्त संशोधनों के साथ स्वीकार किया था। (जिन संशोधनों को संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २३ मार्च सन् ४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया) शुभमूर्ति गवर्नर की स्वीकृति ३० मार्च सन् ४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रांत का १५वाँ ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रन्तीय स्टाम्प (संशोधन) बिल के सम्बन्ध में शुभमूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति का घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषित करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय स्टाम्प (संशोधन) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २४ फरवरी सन् १९४८ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी २० मार्च सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभमूर्ति गवर्नर

[माननीय स्पीकर]
जनरल की स्वीकृति ३१ मार्च सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का १७वाँ ऐक्ट बन गया।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का पशु-उन्नति बिल

माननीय स्पीकर—अब हम सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त पशु-उन्नति के बिल पर जैसा कि वह लेजिसलेटिव कौंसिल से स्वीकृति हुआ है, विचार जारी रखेंगे।

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—श्रीमान् स्पीकर साहब इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन आये हैं। शायद मैं नहीं समझता था कि इसमें इतना समय लगेगा। हम चाहते हैं कि जितनी जल्द काम हो सके करें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि इस बिल का कंसीडरेशन (विचार) इस वक्त मुल्तवी कर दिया जाय। फिर जब और काम हो जाय तो उसके बाद अगर समय होगा तो उस पर विचार कर लिया जायगा नहीं तो अगले सेशन के लिए मुल्तवी कर दिया जायगा। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसको इस वक्त मुल्तवी कर दिया जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय पशु उन्नति बिल पर विचार इस समय उठा रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने) का बिल

माननीय प्रधान सचिव—मैं सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्ति के बिल पर जो कि शरणार्थियों के बसाने के बारे में है, उस पर विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करता हूँ।

माननीय स्पीकर—कल तीसरे पहर इस बिल पर विशिष्ट समिति यानी सेलेक्ट कमेटी नियुक्त हुई थी। असेम्बली के उठ जाने के बाद मेरे कार्यालय ने सब नामों की मुझे सूचना दी है और मुझे बताया कि उसमें एक भूल हुई है। नियम यह है कि विशिष्ट समिति में २० सदस्य सचिव के अतिरिक्त या अलावा होने चाहिए लेकिन भूल से केवल १९ नाम आपने रखे थे। जो नियम सेलेक्ट कमेटी की नियुक्ति के बारे में है उसमें यह लिखा है कि २० नाम तो मंत्री के अलावा होने ही चाहिए यह भूल हो गई और अब भवन के हाथ में है कि इस भूल को ठीक करे या फिर से दूसरी कमेटी बनाए और फिर से उस पर विचार करे।

माननीय प्रधान सचिव—मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इस कमी के होते हुए भी यह सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली जाय और जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी उसमें जो कमी रह गई है उसे यह हाउस मुआफ़ कर दे।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—माननीय स्पीकर महोदय, मैं केवल इस कमी की वजह से बिल पर कोई आक्षेप करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ परन्तु इस बिल में एक और कमी रह गई है जिसकी ओर भवन का ध्यान दिलाने के मैं लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय स्पीकर—परन्तु इस समय इतना ही प्रश्न है और उसी पर विचार होगा। आपको अगर इसी विषय पर कुछ और कहना हो तो दूसरा विषय है। मैंने तो एक छोटा-सा सवाल आप के सामने रख दिया है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—इसी कारण से इस कमी पर ही कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय स्पीकर—आप इसी पर अपनी राय जाहिर करें। दूसरे विषय पर भी विचार होगा लेकिन वह अलग बात है। अभी इतना ही टुकड़ा है कि आप इस भूल के रहते सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को विचार के लिए स्वीकार करते हैं या नहीं।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—मैं चाहता हूँ कि इस भूल की वजह से सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार न किया जाय परन्तु इस बिल में दो-चार ऐसी आवश्यक बातें थीं जो रह गई हैं। विशिष्ट समिति में मेरा भी नाम था और मैं उन बातों को विशिष्ट समिति में उपस्थित करता, परन्तु खेद है कि उसका नोटिस तो मुझे मिला परन्तु यह मालूम न हुआ कि समिति की बैठक कब है और इतना कम समय था कि कल दस ग्यारह बजे से मुझे इत्तिला मिली और मैं उम्मीद करता था कि कमेटी की बैठक आज किसी वक्त होगी और आज मैंने देखा कि वह तो खतम हो गई। मुझे उसमें आवश्यक बातें अवश्य पेश करना है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसमें कमी के कारण से ही और थोड़ा मौक़ा सेलेक्ट कमेटी को विचार करने के लिये दिया जाय।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—जनाब सदर, आपने जो एतराज़ किया वह बिल्कुल सही है और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे रूल के ख़िलाफ़ है जिसमें यह है कि वह दो महीने के अन्दर आनी चाहिए और यह एक दिन में बहुत जल्द आ गई है और इतनी जल्दी तैयार करने में इसमें बहुत जबरदस्त ख़ामियाँ रह गई हैं और यह एक नाक़िस रिपोर्ट है और उस पर अच्छे तरीके से ग़ोरोख़ोज नहीं किया गया है। फिर से भेजने का तरीक़ा भी आपके पास मौजूद है।

माननीय प्रधान सचिव—मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह सेलेक्ट कमेटी २० मेम्बरों की बनी है और सारे हाउस ने इसे मंजूर किया था और सब नाम यहाँ पढ़े गये थे। अगर हर एक आदमी गिनती कर लेता तो मालूम हो जाता कि इतने हैं मगर वह पढ़ा गया और उसमें २० नाम ही लिखे हैं और स्लिप से एक नाम रह गया नक़्ल करने में और वह महज़ एक काग़ज की स्लिप है। नाम १६ ही पढ़े गये, २० नहीं। सारे हाउस ने उसको मंजूर किया और अगर गलती है तो सबही की है और उसमें कुछ हद तक सभी शरीक हैं उस वक्त

मानतीय प्रधान सचिव

इसहाक़ साहब नहीं थे तो उनके न होने से कोई नया हक़ पैदा नहीं होता। उनको तो अपनी मौजूदगी से हमको ज्यादा फ़ायदा पहुँचाना चाहिये था। इसमें १६ मेम्बरों ने हिस्सा लिया था और यह उनकी तरफ़ से यूनानिमस (सर्व सम्मति) रिपोर्ट है जो आपके सामने पेश है यह एक नानकन्ट्रोवर्शियल (निर्विवादक) बिल है और सेलेक्ट कमेटी में यह बिल भाषा को ठीक करने के लिए भेजा गया था ताकि उसमें कोई ऐसी ग़लतियाँ न रहें। उसके साथ-साथ एक काम और सेलेक्ट कमेटी ने किया और वह खास बात यह थी कि अपील राइट (अधिकार) भी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़ हो गया। मैं यह अर्ज करता हूँ कि मैं क़ानूनी सवाल तो उठाना नहीं चाहता कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मंजूर हो जाय। आनरेबिल स्पीकर इसका एलान करते हो कि कोई भी कमी बग़ैर हाउस के इल्म में आए हुए न रह जाय वर्ना किसी को इस बारे में इल्म भी नहीं था और कोई शिकायत भी न होती वैसे क़ानूनी तरीक़े पर तो ठीक है और क़ानूनदाँ लोग तो बहस किया करते हैं। वैसे इस रिपोर्ट को न मंजूर करने की वजह ही क्या हो सकती है। मैं इसके बारे में कोई बहस तो नहीं करता लेकिन मैं तो केवल यह अर्ज करता हूँ कि जो एक कमी है उसको नजर अन्दाज़ करके इसे मंजूर फ़रमाया जाय और इस पर ग़ौर किया जाय।

श्री साजिद हुसेन—जनाब वाला, मेरे ख्याल में मसला हाउस के हुक़ूक़ का है और यह आपके सामने आया है तो आप खुद ही फ़ैसला करें यह एक मामूली सी बात है। अगर एक दो दिन इधर से उधर भी हो जाय तो इसमें सरकार का क्या हर्ज होगा।

माननीय स्पीकर—मैंने इस मसले को इस भवन के सामने इसीलिये रख दिया कि इस भवन ने यह कमेटी बनाई थी। अब भवन के सदस्यों के अख्तियार में है कि वह सोचें कि क्या जो कमी रह गयी है उसकी वजह से एक नयी कमेटी बनायी जाय या उसकी रिपोर्ट पर हम विचार करें। यह मसला भवन के सामने है कि क्या इस कमेटी की रिपोर्ट पर हम विचार करें यह जानते हुये कि इसमें नियम के विरुद्ध एक सदस्य की कमी रह गयी है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—क्या मुझको वैधानिक अड़चन उपस्थित करने की आज्ञा है?

माननीय स्पीकर—नहीं। उसका समय था। अब जबकि मैं सम्मति ले रहा हूँ कोई वैधानिक अड़चन उपस्थित नहीं की जा सकती।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने के) बिल पर विशिष्ट समिति की रिपोर्ट विचार के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और भवन के निम्नलिखित प्रकार से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)।

हाँ १०४

अब्दुल मजीद
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविंद खेर, माननीय श्री
इंद्रदेव त्रिपाठी
किशन चन्द्र पुरी
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गेरोला
कृपा शंकर
कृष्ण चन्द्र
केशव गुप्त
केशव देव मालवीय, माननीय श्री
खान चन्द गौतम
खुश वक्त राय
खुशी राम
खूब सिंह
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविंद वल्लभ पंत, माननीय श्री
गंगा धर
गंगा प्रसाद
चतुर्भुज शर्मा
चरण सिंह
चेत राम
जगन्नाथ दास
जवाहर लाल
जाहिद हसन
जयपाल सिंह
जैराम वर्मा
त्रिलोकी सिंह
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्म दास, ऐल्फ्रेड
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
परागी लाल
प्रेम किशन खन्ना
फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
बंश गोपाल
बंशी धर मिश्र
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
भगवान दीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह
मँगला प्रसाद
मसुरिया दीन
महफूजुर्रहमान
महमूद अली खाँ
मुकुंद लाल अग्रवाल
मुकर्जी, विनय कुमार
मुजफ्फर हसन
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय हाफ़िज़
राम चन्द्र पालीवाल
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुबीर सहाय
राजा राम मिश्र
राधा कृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधे श्याम शर्मा
राम कुमार शास्त्री
राम चंद्र सेहरा

रामजी सहाय
रामधारी पांडे
राम मूर्ति
रामशंकर लाल
राम शरण
रामेश्वर सहाय सिंह
लक्ष्मी देवी श्रीमती
लाखन दास जाटव
लाल बिहारी टंडन
लुत्फ़ अली खाँ
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु शरण दुबलिश
वेंकटेश नारायण तिवारी
विजया नन्द मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिव कुमार पांडे
शिव दान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
शंकर दत्त शर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंघल
श्रीपति सहाय
सरवत हुसेन
सीताराम अस्थाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्रबहादुर सिंह
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सूर्यप्रसाद अवस्थी
सैयद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरप्रसाद
हरप्रसाद सिंह
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

नहीं (२०)

अजित प्रताप सिंह
अब्दुल ग़नी अन्सारी
ऐजाज रसूल
जगनाथ बख्श सिंह
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब
जहूर अहमद
जाकिर अली
प्रयाग नारायण
फ़खरुल इस्लाम
फ़ैंथम, आर्चिबैल्ड जेम्स
वीरेंद्र शाह
मुहम्मद इसहाक़ खाँ
मुहम्मद शकूर
राज कुमार सिंह
राम नारायण
शौक़त अली खाँ
श्रीवास्तव जै कृष्ण
साजिद हुसेन
हबीबुर्रहमान खाँ
हसन अहमद शाह

माननीय प्रधान सचिव—मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने के) बिल, पर, जैसा कि वह विशिष्ठ समिति से संशोधित हुआ, विचार किया जाय।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ—प्वाइंट आफ़ आर्डर सर (वैधानिक प्रश्न, महोदय) कब्ल इसके कि आप इस पर कोई स्पीच दें कि इस पर ग़ौर किया जाय, मैं अपोज़ीशन की तरफ़ से आपकी तवज्जह स्टैंडिंग आर्डर (स्थायी

नियम) ५५ की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ। जनाब वाला, स्टैंडिंग आर्डर (स्थायी नियम) ५५ (१) सबक्लाज़ (उपधारा) (८) मुलाहज़ा फ़रमावें। उसमें यह है कि तैयारी के लिये कम-से-कम ७ दिन मेम्बरों को मिलने चाहिये जब सिलेक्ट कमेटी से कोई रिपोर्ट आवे और डिसकशन (विवाद) के लिये आनरेबिल मेम्बर तहरीक करें तो हमको हक़ हासिल है कि हम जनाब से इस्तदुआ करें कि वह हमारी हिफ़ाज़त करें। आज ११ बजे यह बिल मेज़ पर रखा गया है और क़रीब साढ़े बारह बज रहा है। डेढ़ घंटे के टाइम में हम इसको देखें भी, ग़ौर भी करें और तरमीम भी पेश करें, यह ग़ैर मुमकिन है। इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि जनाबवाला हमारे हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करते हुए लायक़ मुहरिक को इजाज़त न दें जब तक कि ७ दिन न गुज़र जायँ और हम इस पर ग़ौर न कर लें।

माननीय प्रधान सचिव—स्पीकर महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं इस प्रस्ताव को फिर दोहराता हूँ कि संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने) के बिल, सन् १६४८ ई० पर, जैसा कि वह विशिष्ट समिति से संशोधित हुआ है, विचार किया जाय। इसहाक़ खाँ साहब ने इस बारे में कुछ उज्र किया है। मुझे अफ़सोस है कि उनको ज्यादा वक्त न मिल सका मगर मैं फिर भी यक़ीन करता हूँ कि उनको कोई खास शिकायत इस बिल के प्रावीजंस (व्यवस्थाओं) से नहीं होगी और एक बात शायद वह भी मंजूर करेंगे कि इस बिल की सिलेक्ट कमेटी में उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि) भी थे। हाउस की सब पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि) थे और सब की तरफ़ से एक यूनैनिमस (सर्वसम्मति) रिपोर्ट इस हाउस में आई है। एक भी मिनट आफ़ डिस्सेंट (मतभेद का नोट) नहीं है। किसी को कोई बात की शिकायत नहीं है। उस सिलेक्ट कमेटी में हाउस के जो मेम्बर थे उन सब की गुफ्तगू का जो कुछ नतीजा हुआ वह इस रिपोर्ट में है। ऐसी हालत में इस क़िस्म का उज्र करना कहाँ तक फैयाज़ी की बात है यह कहने की मुझे ज़रूरत नहीं मालूम होती है। आख़िर जो भी क़ायदे होते हैं वह इस ग़रज़ से बनाये जाते हैं कि एक तरफ़ तो असली काम में दिक्क़त न पड़े और दूसरी तरफ़ जो भी बिल सुधार सकते हों उनके सुधारने में कोई वक्त की कमी न हो। जब एक सिलेक्ट कमेटी हो और उस सिलेक्ट कमेटी में, जैसा कि इस सिलेक्ट कमेटी में था, १६ मेम्बर मौजूद हों, जो कि एक ग़ैर मामूली तादाद है, और उन सब की तरफ़ से एक मुत्तफ़िक़ा रिपोर्ट पेश हो, फिर उसके बारे में किसी क़िस्म का उज्र करना बिना किसी बुनियाद और वजह के मुखालिफत सा करना मालूम होता है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि अब कम-से-कम उनको और ज्यादा वक्त इसमें खराब करने की ज़रूरत नहीं मालूम होगी।

जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, इसमें बिल्कुल वही बातें हैं जो कि पहले इस बिल में थीं। जैसा मैंने शुरू में कहा, दो तीन ातों में इसमें

तरमीम की गई है। एक तो यह कि अपील का हक़ पहले से नहीं था और अब वह हक़ हो गया है जिससे कि बजाय इसके कि किसी क़िस्म की दिक्कत हो मैं समझता हूँ, आसानी होनी चाहिये। और जो कुछ इसमें अदालत की तारीफ़ थी वह कुछ ग़लत थी। उसको सही कर दिया गया है जिससे कि कोई ग़लतफ़हमी का मौक़ा न रहे। इसके अलावा और जो बातें इस बिल में हैं वह जो पहले थीं वही अब भी हैं। जिस वक्त यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था उस वक्त इसके उसूलों को हाउस ने मंज़ूर कर लिया था फिर ऐसी सूरत में कोई बात ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई उज्र करने की गुंजायश हो। बिल में जो पहले से प्राविजन्स (व्यवस्थाएँ) थे वही अब भी हैं। लिहाज़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हाउस न सिर्फ इसके प्राविजन्स (व्यवस्थाएँ) को मंज़ूर करे बल्कि बहुत जल्द इसे पास भी कर देगा जिससे हम जल्द-से-जल्द ज्यादा-से-ज्यादा मुफीद तरीके पर अमल में लाकर इस बिल को यहाँ मंज़ूर कर सकें और यह अपर हाऊस में जा कर जल्द क़ानून बन जाय ताकि इसके मातहत अमल हो सके। आज कल हर कोई जानता है कि इस सूबे में शरणार्थियों की कितनी तादाद है। उनके लिये मकानों के न होने की वजह से कितनी भारी दिक़्क़तें हो रही हैं। यह एक ऐसा काम है जिसमें एक घंटे की भी देरी होना अच्छा नहीं है। लाखों की तादाद में वे आये हैं और वैसे ही हमारे शहरों और कस्बों में इतनी क़िल्लत लोगों के रहने के लिये मकानों की पहले ही से थी और अब उनकी तादाद इतनी बढ़ जाने से तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जितनी जल्द हो सके और मकानात बनाये जायँ, कुछ-न-कुछ इन्तज़ाम किया जाय जिससे वे अपना सर ढक सकें और कुछ-न-कुछ हिफ़ाज़त से रह सकें। यह भी अन्देशा है कि अगर इस किस्म का काम करने में ज्यादा गफलत हुई या पूरी कोशिश न की गई तो कुछ वबाई बीमारियाँ फैल जायँ, कुछ और दिक़्क़तें पैदा हो जायँ। थोड़ी-सी जगह में जब बहुत ज्यादा आदमी जमा होते हैं तो इससे परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिये यह पब्लिक इंटरेस्ट (जन-हित) में है कि इस क़िस्म का क़ानून जल्द-से-जल्द पास हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी अहमियत और अरजेन्सी (अविलम्ब्यता) को देखकर अब इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जायगी।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ—जनाब वाला को मेरी वह तहरीकें मिल गई होंगी। दो तहरीकें मैंने दी हैं।

माननीय स्पीकर—इस वक्त माननीय सदस्यों के सामने एक तहरीक पेश है यानी जो प्रधान सचिव ने पेश की है। आप उसी पर बोल सकते हैं। आपकी अपनी कोई तहरीक आपके सामने नहीं है।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—जनाब वाला, आपकी तवज्जह मैं फिर दिलाता हूँ स्टैंडिंग आर्डर ५५, सब्क्लाज (२) पर।

"If the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration any member may move as an amendment that the bill be recommitted or recirculated for the purpose of obtaining further opinion thereon."

(यदि प्रस्तावक सदस्य यह निश्चय उपस्थित करें कि बिल को विचारार्थ लिया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह निश्चित उपस्थित कर सकते हैं कि उसको या तो पुनः निर्वाचित समिति के अधीन कर दिया जाय या अतिरिक्त मत प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे पुनः घुमाया जाय ।)

माननीय स्पीकर—आप जो कुछ करना चाहते हैं जाब्ते से करें । आपको सुधार पेश करने का हक़ है, आप उस हक़ को इस्तेमाल करें, कौन रोकता है ।

***श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ**—मैं तहरीक करता हूँ कि यह बिल जो सिलेक्ट कमेटी से वापस होकर आया है उसे फिर सिलेक्ट कमेटी में वापस किया जाय और हिदायत की जाय कि १५ मई तक अपनी रिपोर्ट इस हाउस के सामने पेश कर दे । लायक़ मुअज्जिज वज़ीर आज़म साहब ने हाउस में इस बिल को पेश करते हुए यह कहा है कि यह फैयाज़ी की बात नहीं होगी अगर हम जल्द-से-जल्द इसको पास न कर दें । हमें शरणार्थियों से पूरी दिलचस्पी है । लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ऐवान की तरफ से जो क़ानून बनाया जाय वह क़ानून ऐसा नाक़िस न हो जिसकी वजह से बजाय फायदा के नुक़सान पहुँचे और यहाँ के रहने वालों को काफी नुक़सान पहुँच जाये । इस वक़्त हमारे यहाँ लैंड अक्यूज़ीशन ऐक्ट है । इसमें गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह कम्पलसरी अक्यूज़ीशन (अनिवार्य प्राप्ति) कर सकती है, गवर्नमेंट किसी भी इमारत को पब्लिक इंटरेस्ट (जन-हित) में अक्वायर (प्राप्त) कर सकती है । लेकिन इस कम्पलसरी अक्यूज़ीशन (अनिवार्य प्राप्ति) के अन्दर यह बात रख दी गई है कि १५ फीसदी गवर्नमेंट को और ज्यादा देना पड़ेगा । इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट ने एक दफा को उड़ा दिया है । दूसरे के अन्दर गवर्नमेंट ने निहायत ही मुबहम तरीक़े से एक अफसर को रखा है जिसका नाम कम्पेनसेशन आफिसर (मुआविज़ा अधिकारी) है और यह भी नहीं बतलाया गया है कि वह एग्ज़ीक्यूटिव आफिसर होगा, जुडीशियल अफसर होगा या कौन शख्स रहेगा । हम यह बात देखते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट पन्द्रह अगस्त के बाद से जो क़ानून बना रही है, उनमें दीवानी के अख्तियारात ले रही है । अभी प्रीमियर साहब ने कहा कि खुशी की बात है कि अदालत का हक़ सिलेक्ट कमेटी के अन्दर दे दिया गया है । हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस पर राज़ी हो गये कि अदालत का हक़ दे दिया । लेकिन क्या वजह है कि हाईकोर्ट को इसके अन्दर दखल देने का अख्तियार न हो ? आपने एक दफा रख दी कि अगर कोई अफसर ज्यादती करे, बदद्यान्ती करे तो हाईकोर्ट को रोकने का अख्तियार नहीं होगा ।

* माननीय सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री मुहम्मद इसहाक़ ख़ां]

मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपके कम्पेंसेशन आफिसर्स (मुआविज़ा अधिकारी) लाखों करोड़ों रूपया बनायेंगे अगर उनके ऊपर कोई रोक न होगी। वह कहेंगे कि तुम्हारी जायदाद ५० हज़ार रुपये की है। हमें १० हज़ार रूपया दिलवा दो तो हम तुमको ४० हज़ार या ३० हज़ार रूपया दिलवा देंगें वर्ना ५००/६०० में एक्वायर (प्राप्त) कर लेंगें। चाहे कम्पेंसेशन आफिसर्स (मुआविज़ा अधिकारी) ईमानदार हों लेकिन उनकी भी वही हालत हो जायेगी जैसी कि डी० आई० आर० के बड़े-बड़े आफिसर्स की हुई थी। डी० आई० आर० के बड़े-बड़े आफिसर्स गिरफ्तार किये गये। रूपये के लालाच की वजह से उनकी ईमानदारी बदल गई और वह रिश्वत लेने के आदी हो गये। इसलिये इस बिल के अंदर जो आप जल्दबाज़ी कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। इसके अंदर आप तशरीह नहीं कर रहे हैं कि किस आफिसर को अख्तियारात होंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन (अधिकृत विधान) के सिलसिले में आपने हाउस के अख्तियारात ले लिये हैं। बिल में दरअसल तशरीह करनी चाहिये थी। आपने लिखा है तकर्रुर या अख्तियारात समाअत कम्पेंसेशन आफिसर (मुआविज़ा अधिकारी) जो होंगें वह रूल में किये जायँगे। आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर (तरीक़ा) रूल के अंदर बताया जायेगा। मैं कहता हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे पर मैं यह अल्फाज़ इस्तेमाल करूं कि इससे हाउस की तौहीन है। हमारे इख्तियारात आप रूल में कैसे ले रहे हैं। हमें आपको बताना चाहिये कि आप कौन-सा प्रोसीजर (तरीक़ा) अख्तियार करेंगें। आप हुकूक़ खुशी से लीजिये लेकिन उनको कैसे लेंगे यह भी तो इस बिल में नहीं है। फिर आपने एक गोल दफा रख दी है जिससे कोई मामला जैसा आप करना चाहें कर दें। यह कहीं भी डेलीगेटेड लेजिसलेशन में नहीं होता अगर मैंने तर्जुमा सही किया है। "For any matter which is to be or may be presented"

(किसी भी मसले के लिए जो पेश होने को हो या पेश किया जा सके)

माननीय स्पीकर—दफ़ा का हवाला दे दीजिये।

श्री मोहम्मद इसहाक खाँ—दफ़ा १५ का आखिरी क्लाज। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बिल इस लिये नाक़िस है कि अभी तक वज़ीर साहब भी अपनी राय क़ायम नहीं कर सके हैं। आपके ला आफिसर्स भी राय क़ायम नहीं कर सके हैं कि कम्पेंसेशन आफिसर्स (मुआविज़ा अधिकारी) क्या क़ानून बनायेंगे। सब गोल लिख दिया है ताकि जैसा मौक़ा होगा वैसा बना दिया जायेगा। ऐसा क़ानून नहीं बनाना चाहिये। डेलीगेशन आफ पावर्स (अधिकारों को देना) के अख्तियारात हाउस को हैं लेकिन वे इंसीडेंटल कांसीक्वेंसेज़ (आकस्मिक परिणाम) होते हैं।

इसके अंदर नाकिस चीज़ यह भी है कि आपने कहा है कि अपील का हक रहेगा लेकिन अगर इसके बाद कोई बेजब्तगी हुई तो मैं पूछता हूँ कि उसको कौन देखेगा। अगर आप मौजूदा कानून यानी लैंड एक्वीजीशन रूल

ही रखते तो हाईकोर्ट तक चला जाता और वहाँ सब मामला साफ़ हो जाता किसी क़िस्म की बेज़ाब्तगी नहीं होती। हमारे वज़ीर साहब ने इलाहाबाद में जुडीशियल आफ़िसर्स कांफ्रेंस के इनआगूरेशन (उद्घाटन) के वक्त निहायत उम्दा बयान दिया था। आपने कहा था कि हमें निहायत मसर्रत है कि अपने प्रोविंस में जुडीशियरी (न्याय विभाग) को आज़ादी मिली हुई है और हम हमेशा इसको आज़ाद रखने की कोशिश करेंगे ताकि शहरी रिआया के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त कर सकें।

अगर आप जुडीशियरी (न्याय विभाग) के अख़्तियारात लेते जायेंगे और आपका जो बयान है जिसको चीफ जस्टिस ने बड़ी मसर्रत से पढ़ा था और मेम्बरान जुडीशियरी सर्विस ने पसंद किया था यह बिल्कुल बेमानी हो जाता है क्योंकि अमल से गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ कर रही है। यह क़ानून निहायत अहम है। शरणार्थी से भी हमें हमदर्दी है उनके लिए पूरे इंतज़ामात किये जायँ लेकिन खूब सोच समझ कर इंतज़ामात हों क़ानून में कोई नुक़ायस न हों और यहाँ की जो रिआया है उसकी कोई हक़तल्फ़ी न हो। जहाँ तक रिकुइज़ीशन आफ लैंड (भूमि की प्राप्ति) का सवाल है मेरी अपनी रीडिंग (अनुमान) यह है और जनाब की तवज्जह में गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया की दफ़ा २६६ सब क्लाज़ २ की तरफ़ दिलाऊँगा। क्लाज २ के अन्दर यह है कि मुआवज़ा दिया जावे तो लैंड रिकुइज़ीशन ऐक्ट के मुताबिक़ गवर्नमेंट एक्वायर (प्राप्त) कर ले। क्लाज़ ४ पर ग़ौर कीजिये।

Nothing in this section shall affect the provisions of any law in force at the date of the passing of this Act. (इस धारा की स्वीकृति की तारीख को जो भी क़ानून लागू होगा उसकी शर्तों पर इस दफ़ा का कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा)। जो ला (विधान) एनफ़ोर्स (लागू) है उसमें हक़ हासिल है १५ परसेंट से ज्यादा लेने का। इस वक्त अगर आप इस ऐक्ट को बना देते हैं तो वह अपोज (विरोध) हो जाता है और वह हक़ ले लिया जाता है जो पहले से मौजूद है। अगर लैंड अक्विज़ीशन ऐक्ट में तरमीम लावें तो पैरेलल (समानांतर) ऐक्ट मौजूद है। अगर पब्लिक परपज (जन हेतु) के लिये लेंगे तो १५ परसेंट ज्यादा देना पड़ता है। यह आप २६६ के तहत में नहीं कर सकते। इसे बचाने के लिये आपने मुआवज़ा देने की बात कही। इस मुआवज़े की रक़म न देकर दफ़ा ४ को नज़रंदाज किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह बिल इतना मामूली नहीं है जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया। आपने सेल्स टैक्स ऐक्ट को पेश किया था कि बहुत मामूली है और चंद दिन ही बाद आप देख रहे हैं कि तरमीम लाई जा रही है। खुदा जाने इसके बाद कितनी ७२ तरमीमें लाई जावेंगी। सेल्स टेक्स ऐक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी तरमीम से मतलब है जो ऐवान के सामने पेश है। उसमें बहुत से क़ानूनी नुक़ायस हैं। सही क़ानून बनाने के लिये मेरी राय में यह ज़रूरी है

[श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ]
कि यह फिर सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे। एक जरूरी मसला जो है वह यह है कि आपने रिफ्यूजी जो रक्खे हैं वह पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं। मैं लायक़ वज़ीर आज़म साहब से आपकी वसातत से पूछूँगा कि हमारे सूबे के जो नेशनल्स (निवासी) हैं जो मकान छोड़कर भाग गये हैं। बड़ी मुसीबत में हैं आया आप उनको अपने नेशनल्स (निवासियों) को किसी तरह की हमदर्दी का मुस्तहक़ समझते हैं या नहीं? दूसरे नेशनल्स (निवासियों) की आप इमदाद करेंगे? और मैं भी कहता हूँ कि जरूर कीजिये, लेकिन अपने नेश्नल्स (निवासियों) को भी लीजिये। रिफ्यूजी टर्म की जो डेफीनीशन (परिभाषा) है उसको वसीय करिये। हमारे देश ही में बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों तबाह हो गये हैं। उनको भी जरूरत है मकान की, कर्ज़े की और आपकी हर मुमकिन इमदाद की। मैंने वज़ीर साहब के इस बिल को बहुत सरसरी तौर से देखा है और अगर मौक़ा मिलता तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जितने भी नुक़ायस और थे वह भी मैं निकालता। हमारा अपोज़ीशन का फ़र्ज़ है कि बिल के अन्दर जितनी ख़ामियाँ हों, गवर्नमेंट को बतलाई जावें। दो तीन घंटे में पढ़कर मैंने यह नुक़ायस देखे हैं। मैं नेकनियती और दयानतदारी से यह चाहता हूँ कि इस बिल में जरूरत है कि यह फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे।

यह रिप्लेस (स्थानांतर) किया जाय। पब्लिक ओपीनियन (जन-सम्मति) ली जाय और उसके मुस्तफ़ीद होकर फिर हम इसको एवान में पेश करें। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि एवान मेरी इस तहरीक को मंजूर करें कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुख़ालिफ़त बिना किसी इख़्तिलाफ़ और प्वाइंट के नहीं हुआ करती हैं। मैंने आपको वजूहात भी दिये हैं। आप कहते हैं कि, "वक़्त ख़राब करने की जरूरत नहीं मालूम होती" यह अनपार्लियामेण्टरी है, जैसाकि हुजूर आपने भी कहा है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वक़्त ख़राब करने के लिये यह कहा जा रहा है। बहरक़ैफ़ मैं कहूँगा कि हम वक़्त नहीं ख़राब कर रहे हैं। हम हत्तुलवसीय कोशिश करते कि हम बिल ऐसे बनाकर निकालें कि बार-बार यह न कहना पड़े कि यह बिल अल्ट्रावाइरिस (अधिकार बाहर) है, रद्दी है, ख़राब है।

अपील का हक़ आपने दे दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दीवानी के अफ़सरों को पूरे अख़्तियार मिलें जो लैंड अक्वीज़ीशन एक्ट के मातहत उनको मिलने चाहिये।

हम कोशिश करते हैं कि दरअस्ल ऐसी तरमीमात पेश की जायँ जिनसे बिल अच्छा बने।

(इस समय १ बजे भवन जलपान के लिये स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर डिप्टी स्पीकर के सभापतित्व में फिर भवन की कार्यवाही आरम्भ हुई।

* **श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह**—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं श्री मुहम्मद इशहाक खाँ के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ कि यह बिल विशिष्ट समिति के पास पुनः भेजा जाय। मेरा ऐसा कहने का कारण मुख्य यही है कि यह बिल ऐसा आसान नहीं है कि जैसा अभी बतलाया गया है। इसमें अभी ऐसी खामियाँ हैं जिन पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। मुख्य बात इस छोटे से बिल में यह है कि मुआविजे का विषय इसमें संशोधित रूप में रखा गया है। जमीन लेने में मुआविजे का कितना बड़ा सवाल है इस बात पर मैं इस भवन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद से ही कितने मामले ऐसे पेश हुये जिनमें जमीन लेने का सवाल पैदा है। इसी प्रान्त में नहीं, अनेकों प्रान्तों में और हर जगह पर यह देखा जायगा कि मुआविजे का सवाल सबसे पहले रक्खा गया है। इस वास्ते मैं समझता हूँ और मुझे आशा है कि भवन के और भी योग्य सदस्य इससे सहमत हैं कि जमीन के ले लेने में मुआविजे का बहुत बड़ा प्रश्न है। यह सरकार जमीन लेने का वृहद् रूप में आयोजन कर रही है। वहाँ भी मेरा विचार है कि मुआविजे के प्रश्न पर बहुत विशेषता से विचार किया जा रहा है। मैं देखता हूँ कि इतने बड़े प्रश्न को, एक ऐसी जरूरी बात को, इस बिल में ऐसी आसानी से और ऐसी कमियों के साथ रखी गई है जिसे इस भवन को कभी मंजूर नहीं करना चाहिये। मैं अपने इस वक्तव्य के प्रमाणस्वरूप कुछ बातें इस बिल की दिखलाऊँगा। इस बिल में मुआविजे का सवाल दफा ११ में रखा गया है। दफा ११ यह कहती है कि मुआविजा ऐक्ट अव्वल १८९५ की दफा २३ के अनुसार दिया जाय। यह ऐक्ट वही है जिसके जरिये से बहुत दिनों से यानी १८९५ से जमीन ली जाती है। इस दफा के अन्दर ६ उप-धारायें हैं। जिनमें से दफा ११ कहती है कि सिर्फ तीन दफाओं के जरिये से मुआविजा दिया जायगा और बकिया तीन दफाओं के जरिये से मुआविजा नहीं दिया जायगा। जिन दफाओं के जरिये मुआविजा दिया जायगा वे सिर्फ वे ही हैं। यह आवश्यक है कि मैं इस दफा को भवन के सामने पढ़ूं। पहली दफा में मुआविजा देने के सम्बन्ध में यह लिखा है :—

"The Market value of the land at the date of the publication of the declaration relating thereto under section 6."

("दफा ६ के अन्तर्गत सम्बन्धित घोषणा के प्रकाशन की तिथि को भूमि के बाजार मूल्य ")

दूसरी दफा में—The damage sustained by the person interested by reason of the taking of any standing crops or

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]
trees which were on the land at the time of the collector's taking possession thereof. (किसी भूमि को कलेक्टर द्वारा हस्तगत करने के समय उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को उस पर खड़ी फस्ल या वृक्षों के कारण जो नुक़सान होता है।)

The damage, if any, sustained by the person interested at the time of the collector's taking possession of the land by reason of severing such land from his other land;

(यदि कोई हानि उस व्यक्ति को होती है जो भूमि में हित रखता है जब कलेक्टर उसको उसकी दूसरी भूमि से अलग करने के कारण हस्तगत करता है) इन तीन दफाओं का मुआविज़ा दिया जायगा मगर ४, ५ और ६। चौथी—

The damage, if any, sustained by the person interested at the time of the Collector's taking possesion of the land by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, moveable or immoveable, in any other manner, or his earnings. (जब कलेक्टर हस्तगत करने के कारण से किसी भूमि पर अधिकार करता है तो उस समय उस भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति को जो हानि उसकी चल सम्पत्ति अथवा अचल सम्पत्ति अथवा उसकी आमदनी को होता है।) इसका कोई मुआवज़ा नहीं है। पाँचवी—

If, in consequence of the acquisition of the land by the collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business the reasonable expenses, if any, incidental to such change. (यदि, कलेक्टर द्वारा हस्तगत की गई भूमि के फलस्वरूप उस भूमि में हित रखने वाला व्यक्ति अपना निवास स्थान अथवा अपने काम धन्धे की जगह को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उचित व्यय, यदि, कोई हो, जो ऐसे परिवर्तन के समय अवश्य हो जाते हैं) अगर उस आदमी को अपना मकान हटाना है तो वह किसी मुआवज़े का हक़दार न होगा। छठे—

Damage, if any resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 6 and the time of the oollector's taking possession of the land.

यदि कोई हानि धारा ६ के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन और कलेक्टर द्वारा उस भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के बीच के समय भूमि का नफ़ा घटा देने के फलस्वरूप हुई।

इस बीच में जो डिक्लेरेशन (घोषणा) होगा और जिस वक्त ज़मीन ली जायगी उस बीच में अगर उसका कोई नुक़सान होगा तो उसको भी कोई मुआवज़ा न दिया जायगा। मैं यह दिखला रहा हूँ कि मुआवज़े के हक़ूक़ किस क़दर तोड़े गये। इसके बाद दफ़ा २३ की दूसरी उपधारा में जिसमें लिखा गया है कि जब किसी शख्स की ज़मीन उससे ख़ामख्वाह ली जायगी और कम्पलसरी एक्वीज़ीशन (अनिवार्य प्राप्ति) किया जायगा तो १५ फ़ीसदी वेल्यू से और ज्यादा दिया जायगा। मगर इस सूरत में वह १५ फ़ीसदी क्या १ फ़ीसदी भी न दिया जायगा। इसका कोई ज़िक्र इस वक्त के मुआवज़े में नहीं रखा गया है।

इतना तो उस धारा ११ में रखा गया है जिसमें कि मुआवज़ा एक्ट १८९५ के बमूजिब दिलाना है। अगर उसमें एक प्राविज़ो लिखा गया है जिसके मानी यह हैं कि जो कुछ मुआवज़ा दिया भी गया है वह भी तरमीम कर दिया जाय। इसका मतलब यह है कि सन् १९३९ ई० में जो क़ीमत उस मकान, ज़मीन या जायदाद की रही हो जो कि अब ली जा रही है और इस वक्त जो क़ीमत उसकी क़रार दी जाती है और इन दोनों में जो कम होगी वह दी जायगी। अगर किसी गाँव में एक शख्स का मकान लिया जा रहा है और उसके मकान की क़ीमत सन् १९३९ ई० से अब कहीं ज्यादा हो गई है जैसे कि आप शहरों में जानते हैं कि सन् १८९३ से सन् १९४८ ई० तक कितनी क़ीमतें बढ़ गई हैं, अगर किसी का मकान लिया जाता है तो सन् ४८ की क़ीमत नहीं दी जायगी बल्कि ३९ की दी जायगी और अगर ज़मीन पर राजनैतिक होने से दाम कम हो गये हैं तो सन् १९३९ की क़ीमत नहीं दी जायगी बल्कि सन् १९४८ ई० की दी जायगी यानी जो भी कम-से-कम होगी वही दी जायगी यह मुआवजे की सूरत होगी।

इसके साथ ही यह नहीं बतलाया गया कि मुआवज़े के मामले में इस क़दर कमी और ज्यादती क्यों की गई और यह भी नहीं बतलाया गया कि मुआवज़े का अफ़सर कौन होगा इस एक्ट से यह भी मालूम नहीं होता। मैं मानता हूँ कि अपील के अख़्तियार दिये गए हैं जो पहले बिल में नहीं थे। मैं सिलेक्ट कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपील के अख़्तियारात दिये जिनको सरकार ने मंजूर नहीं किया था। इसके बाद किसी ख़ास अदालत में अपील न होगी, मगर खैर हुई कि सिलेक्ट कमेटी ने अपील के अख़्तियार दिए हैं। मगर मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि आप जो मुआवज़ा देंगे उसमें आप ऐसी सूरत रखते हैं कि जिससे १०० फ़ीसदी अपील की गुंजायश रहेगी। हर शख्स कहेगा कि वह अपनी ज़ायदाद का मुआवज़ा कम पा रहा है तो ज़ाहिर है कि १०० फ़ीसदी अपीलें होंगी अगर कोई अपील न कर सकेंगे तो वही लोग होंगे जो गरीब हैं। मालदार तो सब मुक़दमा करके अपनी ज़ायदाद को बचाने की कोशिश करेंगे, ग़रीबों में तो दस फ़ीसदी भी अपील न कर सकेंगे। सरकार

(श्री जगन्नाथ बख़्श सिंह)
ने जो अपील के अख़्तियार दिये हैं वे मालदार के लिये ही होंगे लेकिन ग़रीब के लिए सेलेक्ट कमेटी का क़ानून घातक है। दूसरे आप यह देखेंगे कि जहाँ परिभाषा में यह बताया गया है कि शरणार्थी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो देशों से हटाये गये हैं। क्या इसको साफ़ करने की जरूरत नहीं है कोई जाकर हट गया या इसी तरह के और घपले नहीं हो सकते ? जब आप शरणार्थियों को इतने अधिकार दे रहे हैं और वह आपकी सहानुभूति के पात्र हैं तो सच्चे शरणार्थियों को ही फ़ायदा पहुँचे और इस तरह से कितने ही आदमी शरणार्थी बन कर नाजायज तौर से फ़ायदा उठाने का प्रयत्न करेंगे। इसको रोकने के लिये कोई परिभाषा नहीं है रजिस्ट्री का अख़्तियार किस को होगा।

माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी वक्तृता में यह कहा कि विरोधी दल से। लेकिन मैं नहीं जानता कि हम लोग जो जमींदारों के नुमाइन्दे हैं उनको भी इससे कुछ लाभ लेने का अधिकार है अथवा केवल विरोधी दलवालों से ही है। उनकी पार्टी के मुहम्मद इसहाक खाँ साहब नहीं थे और मेम्बर मौजूद थे। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा कोई भी मेम्बर वहाँ नहीं था। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मुझे उस कमेटी में स्थान पाने का सौभाग्य मिला था और एक पत्र द्वारा सूचना मिली थी पर यह न मालूम हुआ कि सेलेक्ट कमेटी कब हुई। मैं सब बातें कमेटी में कहता और माननीय प्रधान मंत्री मेरा विचार ऐसा था कि ज़रूर मानते। अब इस भवन में उनका कहना और मनवाना आसान नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि अगर यह बिल फिर सेलेक्ट कमेटी में गया तो मैं प्रधान सचिव को विशेषता से समझा सकूंगा। और मैं इस गर्मी में भवन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह बिल विशिष्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

दूसरे मैंने अभी निवेदन किया और मैं पुनः-पुनः निवेदन करता हूँ कि जो दुखी शरणार्थी कष्ट से यहाँ चले आये हैं वह सर्वथा हमारी सहायता के पात्र हैं। मगर मैं नहीं समझता कि हम किस तरह उनकी सहायता में कमी करेंगे अगर हम चार दिन इस बिल पर और विचार कर लें।

जब मैं इस भवन में आया तो मैंने विचार किया कि मैं कहूँ कि मुझको इत्तला नहीं मिली। लेकिन जब मैंने देखा कि पशु-उन्नति का बिल इसके पहले है और उसमें बहुत से संशोधन हैं तो मैंने सोचा कि आज इस बिल का नम्बर नहीं आयेगा। और जो बातें मुझे कहनी हैं मैं कल या परसों कह दूँगा। लेकिन मैंने देखा कि प्रधान मंत्री ने उस बिल को स्थगित करा दिया। तब मैं मजबूर हुआ कि इन बातों को पेश करूं और भवन से और प्रधान मंत्री से निवेदन करूं कि यह बिल इतना सहज नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह भी जानते हैं कि यह बिल सहज नहीं है। इसमें सरकार का कोई हर्ज नहीं है यदि इस बिल पर पुनः विचार हो जाय। कितने ही दिन विशिष्ट समितियों में निकल जाया करते हैं। अगर इस पर एक दिन और

विचार हो जायगा तो सरकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर वह समय नहीं देते तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जो आये दिन कहते हैं कि हमारी सरकार फ़ासिस्ट नहीं है, हमारी सरकार डिमाक्रेटिक (प्रजातान्त्रिक) है, वह सही नहीं है। क्या कोई डिमाक्रेटिक (प्रजातान्त्रिक) सरकार अपनी वोटों के जोर से कानून पास कराती है? इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावकर्ता के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

श्री रघुवीर सहाय—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे सामने इस वक्त दो प्रस्ताव पेश हैं। एक तो श्रीमान् प्रधान मंत्री ने रखा है कि जो रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी से आयी है उस पर विचार किया जाय। उसके साथ ही साथ एक प्रस्ताव श्री मुहम्मदइसहाकखाँ साहब ने रखा है कि यह रिपोर्ट दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दी जाय और वहाँ उस पर पुनः विचार किया जाय। मैं श्रीमान् प्रधान मन्त्री साहब के प्रस्ताव की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो बातें श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ साहब ने और श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने अभी कही हैं मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत कुछ तत्व है और जो ऐतराजात उनकी तरफ़ से किए गये हैं उनमें बहुत कुछ वज़न है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि वह ऐतराज़ इस तरीके पर हल हो सकते हैं कि वह अपने अमेंडमेंट्स इस हाउस में पेश कर दें। यह सब को मालूम है कि शरणार्थियों का मसला एक बहुत ज़रूरी मसला है और इस पर गवर्नमैन्ट को काफी परेशानी और दिक्क़त इस समय हो रही है। मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आज कल शहरों में और जिन-जिन जगहों पर कि बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थी लोग पहुँचे हैं वहाँ पर उन्हें बसाने के लिए, वहाँ पर उनके रोजगार के लिये और उसके सम्बन्ध में जितनी बातें हैं उनमें कितनी कठिनाई पड़ रही है। अब यह सवाल आज ऐसा नहीं है कि इसको मुल्तवी करके इन तमाम मामलों में और भी परेशानियाँ पैदा की जायँ। मैं समझता हूँ कि इस बिल के लाने में गवर्नमैन्ट ने कोई जल्दबाजी नहीं की है बल्कि अगर देखा जाय तो यह ज़रा देर से पेश हुआ है। इसलिए ऐसी सूरत में जबकि इस हाउस के सब मेम्बरों को शरणार्थियों से हमदर्दी है और वह समझते हैं कि यह बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि जल्द हल होना चाहिये तब इस बिल में देर करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे दोस्त श्री मुहम्मद इसहाक खाँ साहब ने अपनी तक़रीर में यह कहा था कि कम्पेंसेशन आफिसर के मुक़र्रर करने के बारे में गवर्नमेंट ने अपने बिल में कोई वजाहत नहीं की है कि वह अफसर एग्ज़ीक्यूटिव डिपार्टमैन्ट (कार्यकारिणी विभाग) का होगा या जुडीशियल (न्याय विभाग) का होगा।

मैं मिस्टर मुहम्मद इसहाक खाँ के इस एतराज से बिलकुल इत्तिफ़ाक करता हूँ कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर (मुआविज़ा अधिकारी) जुडिशिअरी (न्याय विभाग) का आफ़िसर होना चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि इसके बारे में या तो आपोजीशन के मेम्बर साहबान और दूसरे मेम्बर साहबान अपने ख्यालात का

[श्री रघुबीर सहाय]
इज़हार करके गवर्नमेन्ट पर इस बात का असर डाल दें कि एक्जीक्यूटिव (कार्यकारिणी के अधिकारी) के मुकाबिले में जुडिशिअरी (न्याय विभाग) का आफ़िसर मुकर्रर करना मुनासिब है या अगर वह मुनासिब समझते हैं तो इसके बारे में अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं इसी तरीके पर राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने जो कम्पेन्सेशन (मुआविजा) का सवाल पेश किया है इसके बारे में मैं समझता हूँ कि वह मसला भी इसी तरीके पर हल हो सकता है। अगर आप यहाँ मुनासिब अमेंडमेंट पेश करना चाहें तो आप पेश कर दें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह बिल जैसा कि आम मेम्बर साहबान के विचारों से मालूम होता है बहुत अहम और जरूरी है। इस पर सभी बातों को गवर्नमेंट के सामने जाहिर कर देना चाहिए। आजकल जितने शरणार्थी आये हुए हैं वे ज्यादातर शहरों में बसे हुए हैं और जो जमीनें इस बिल के जरिये से गवर्नमेन्ट लेना चाहती है वह उनके बसाने के लिये उनको आराम देने के लिये लेना चाहती है लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट के ध्यान देने योग्य यह बात है कि आम तौर से जो शरणार्थी दूसरे सूबों से आये हुये हैं वे सब ज्यादातर शहरों में ही बसना चाहते हैं और बसे हुये हैं। इससे कुछ काम्पलीकेशन्स (उलझन) पैदा हो रही है, कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनकी तरफ़ भी गवर्नमेन्ट को ध्यान रखना चाहिये।

मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि आसानी से जो लोग शहरों में बसाये जा सकते हों उनको बसने का मौक़ा दीजिये और उनके लिये मकानात बनवाइये, बाजार बनवाइये और व्यवसाय दीजिये, यह सब कुछ कीजिये, लेकिन सब शरणार्थियों का शहरों में बसाना नामुनासिब होगा। मेरा ख्याल यह है कि इनमें बहुत से शरणार्थी ऐसे हैं जिनको आसानी से गाँवों में और दूसरे देहाती इलाकों में बसाया जा सकता है। आज कल शरणार्थियों के शहरों में आने से बावजूद इसके कि शहर के लोगों की और साथ ही साथ गवर्नमेन्ट की भी हमदर्दी उनके साथ है फिर भी ऐसी-ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं और ऐसे लोकल प्रोबलम पैदा हो रहे हैं जिनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। आमतौर से देखने में आता है कि शहर की तिजारत पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं समझता हूँ कि यह किसी को ख्याल नहीं हो सकता है, न गवर्नमेन्ट का ख्याल हो सकता है और न दूसरे लोगों का ही ख्याल हो सकता है कि शरणार्थियों को बसा कर उनको तिजारत की सहूलियत दी जावे और जो लोग बरसों से यहाँ रहते आये हैं और तिजारत करते हैं उनकी हालत शरणार्थियों की-सी कर दी जावे। शहरों में हम देख रहे हैं कि तमाम बाजारों के अन्दर जितने भी रोज़गार हैं कपड़े का रोज़गार, तरकारी का रोज़गार, जेनरल मर्चेन्डाइज का रोज़गार यानी तमाम रोज़गार पर शरणार्थी क़ब्ज़ा करते जा रहे हैं। बहुत से लोग जिनके बाप दादे बराबर से यह काम करते आ रहे हैं आज हाथ पर हाथ रखे हुये बैठे हैं। इस लिये उनकी तरफ़ भी ख्याल करना गवर्नमेन्ट का फ़र्ज

है। यह इसी तरीके पर हो सकता है कि जो शहर की कैपेसिटी (सामर्थ्य) हो उतने ही शरणार्थी वहाँ बसाये जायँ। और कैपेसिटी से बाहर जितनी ज्यादा तादाद हो उनको देहातों में बसाया जाय। उनसे काश्तकारी का काम, जंगल कटवाने का काम लिया जाय, कारखानों में इनको लगाया जाय और इसके अलावा जो गवर्नमेन्ट की स्कीमें हैं उनमें लगाया जाय।

मगर गवर्नमेन्ट ने इन चीजों पर अब तक तवज्जह नहीं की है। मेरा ख्याल है कि आगे चलकर बहुत से प्राबलेम्स (गुत्थियाँ) ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जो गवर्नमेन्ट को दिक्कतों में डाल देंगे। अमौसी में एक नया शहर बसाने की जो स्कीम है वह दूसरी जगह भी की जा सकती है। शहरों और देहातों का मुआइना करने पर, इसके बारे में वहाँ पर इनक्वारी करने के बाद यह मालूम किया जा सकता है कि किन इलाकों में शरणार्थी बसाये जा सकते हैं। आराजी को एक्वायर (प्राप्त) करके इस्तेमाल करने का अख्तयार आपने अपने हाथ में हासिल कर लिया है। ख्याल है कि उस अख्तयार को आप शहरों में ही न बरतें बल्कि देहातों में भी बरतना चाहिये। ऐसी बहुत सी जगहें देहातों में हैं जो आसानी से डेवलेप की जा सकती हैं और इस मैन पावर को डेवलेपमेन्ट में लगाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेन्ट के बारे में या इस भवन के बारे में यह ख्याल किया जा सकता है कि शरणार्थियों के साथ हमदर्दी नहीं है। जहाँ तक हमदर्दी का सवाल है गवर्नमेन्ट शरणार्थियों के साथ बहुत कुछ कर रही है और जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है वह भी बहुत तरीक़े से उसे दिखा रही है। पिछले सेशन के मौके पर एक पैम्फलेट बाँटा गया था जिसमें गवर्नमेंट ने वह सब बातें दिखलाई थीं कि गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में कितने शरणार्थियों को जगह दी है कितनी व्यवसाय में उनको जगह दी गई हैं। कितने आदमियों को बसाने के लिये कैम्प खुलवाये हैं, वहाँ मुफ्त खाना वगैरा दिया जाता है। और एक दूसरा बिल भी गवर्नमेंट ने पास किया है जिसके ज़रिये से शरणार्थियों को क़र्ज़ा भी आसानी से मिल सकेगा। इन तमाम बातों के देखने से मालूम होता है कि गवर्नमेंट की शरणार्थियों के साथ पूरी-पूरी हमदर्दी है और कोई भी शख्स जिसके ज़रा भी दिमाग़ है ईमानदारी से यह नहीं कह सकता है कि गवर्नमेंट शरणार्थियों के बारे में कमी कर रही है या उनके साथ सरकार की हमदर्दी कम है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो और बहुत सी बातें शरणार्थियों के हमारे सूबे में आने से पैदा हो सकती हैं उनकी तरफ़ भी सरकार को निगाह रखना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि बहुत बड़ी तादाद में ये लोग शहरों के अन्दर बस कर पुराने रहने वालों में ज़बर्दस्त असन्तोष पैदा करदें, जिसके ज़रिये से कोई नई चीज पैदा हो जाय। उस असंतोष को दूर करने के लिये यही तरीक़ा है कि बहुत मुनासिब तादाद में ही शरणार्थियों को शहरों के अन्दर बसाया जाय और जो शहरों में नहीं बसाये जा सकते उनको देहातों में भेजा जाय और वहाँ पर बसाया जाय। मेरा ख्याल है कि शरणार्थियों के रहन-सहन और उनके तरीक़े जिन्दगी में और

[श्री रघुबीर सहाय]
हमारे यहाँ की शहरी जिन्दगी में बहुत फ़रक है। इस तरफ़ भी गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना होगा जिससे आगे चलकर नये प्राबलेम न पैदा हो जायँ। मैं इन बातों को कहकर प्रधान मंत्री जी के प्रस्ताव की ताईद करता हूँ।

श्री मुहम्मदरज़ा खाँ—जनाबवाला, मुझे और नीज़ इस हाउस के हर मेम्बर को शरणार्थियों के साथ पूरी हमदर्दी है। मेरा ख्याल यह है कि इस सूबे में जब से शरणार्थी आये हैं करीब-करीब हर शख्स कुछ न कुछ उनके साथ हमदर्दी कर रहा है। मैं यह समझता हूँ कि ऐसे क़ानून की जरूरत थी कि जिसके जरिये से कुछ शरणार्थियों को यहाँ बसाने के लिये इमदाद हासिल कर सकें। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जो मौजूदा बिल रक्खा गया है उसमें बहुत सी खामियाँ हैं। मेरे ख्याल में एक खामी तो यह है कि इसका दायरा कुछ वसीअ नहीं रखा गया है। मैं समझता हूँ कि शरणार्थी वही लोग नहीं हैं कि जो पाकिस्तान से भाग कर आये हैं। वह क़ाबिले हमदर्दी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से हिन्दुस्तान के अन्दर भी ऐसे हिस्से हैं कि जिनमें लोगों को तकलीफें हुई हैं, मसलन् बाज़ रियासतों से लोग भाग कर हिन्दुस्तान को आये हैं। वह भी मुस्तहक़ हैं इस बात के कि हम उनके साथ वही तरीक़ा अख्तियार करें जो कि हम मग़रबी पंजाब से आये हुये लोगों के साथ करते हैं।

यह इस बिल में रखा गया है कि क़ीमत जो दी जायगी वह सन् ३९ की शरह से दी जायगी। मैं यह समझता हूँ कि इस ज्यादती को शायद हर शख्स महसूस करेगा कि क्यों सन् ३९ की शरह दी जाय। क़ीमत तो इस शरह पर दी जानी चाहिये जो शरह उस वक्त है। मसलन् किसी शख्स ने अगर आराजी सन् ४० में या ४१ में खरीदी है तो उसको सन् ३९ की शरह से ज्यादा क़ीमत देनी पड़ी है। अब अगर यह आराजी शरणार्थियों के लिये हासिल की जाती है और सन् १९३९ ई० की शरह से ली जाती है तो मेरे ख्याल में उसको काफी नुकसान होगा।

एक बात मुझे यह भी अर्ज़ करनी है कि इस बिल में औक़ाफ़ की आराजी को मुस्तना नहीं किया गया है। बाज़ आराजी ऐसी हैं कि जो अवाम की मिल्कियत हैं। इनफ़रादी हैसियत से तो मिल्कियत को हासिल कर देना मेरे ख्याल में ठीक है।

लेकिन अगर वे अवाम की मिल्कियत है और औक़ाफ़ है, तो ऐसी सूरत में उनको हासिल करना मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। अभी मेरे दोस्त ने फरमाया कि शरणार्थी को शहरों में नहीं बल्कि देहातों में बसाना चाहिये। मैं यह समझता हूँ कि शरणार्थी इस वक्त देहात में है। लेकिन वे तिजारत पेशा हैं और तिजारत पेशा के लिये देहात में वसीअ मैदान नहीं है। इस लिये उनको शहरों में ही मौक़ा है और वहीं मेरे ख्याल में वे लोग रहना ज्यादा पसन्द करेंगे। मेरे ख्याल में इस बिल के अंदर जो खामियाँ हैं उनको दूर करना चाहिये और वे इसी तरह दूर हो सकती हैं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को

भेजा जाय या वज़ीर आज़म साहब हर पार्टी के लोगों को मशविरा के लिए तलब करें और इस बात का मशविरा करें कि जो खामियाँ हैं वे कैसे दूर की जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो बिल का मक्सद होगा वह भी पूरा हो जायगा और जो बाज दिक्कतें पड़नेवाली है वे भी दूर हो जायँगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिये दोनों में से कोई तरीका अख्तियार किया जायगा। मैं इस बिल की जरूरत महसूस करता हूँ।

*श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा—जनाब वाला, मैं चन्द उन गलतफहमियों को रफा करना चाहता हूँ जो कि हमारे आनरेबिल मेम्बर मि० मुहम्मद इसहाक खाँ की तकरीर से पैदा हुई हैं। पहली चीज जो इसमें है वह यह है कि यह सिर्फ पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिये लेजिस्लेशन है। यह और लोगों के लिये नहीं है यह इसमें नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिये अगर हमारे मेम्बर साहब चाहें जैसाकि कल मुझसे कहा गया था, तो उसके लिये एक बिल आ सकता है। इस बिल का खास मन्शा तो सिर्फ उन लोगों को आबाद करने और बसाने का है जो पाकिस्तान से आये हैं। दूसरे इसमें आप गौर करेंगे कि रेफ्यूजी की जो डेफिनीशन (परिभाषा) दी हुई है, उस डेफिनीशन (परिभाषा) की रू से साफ है कि वही सिर्फ आ सकते हैं जो यूनाइटेड प्राविंसेज़ रेफ्यूजी के रजिस्ट्रेशन एक्ट सन् १९४८ ई० की मातहती में ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० तक अपनी रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और इन में मेरे ख्याल में शायद ९९.९ या १०० फी सदी वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आये हैं, न कि वे लोग जो फरीदपुर की तरह देशी रियासतों से आये हैं। मेरे शहर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फरीदपुर से आये हैं और मुझे यह यकीन दिलाया गया है कि अगर उनके लिये कोई कार्रवाई की जयगी तो गवर्नमेन्ट उसको हमदर्दी के साथ सुनेगी और उसका पहले इलाज करेगी और अगर जरूरत होगी तो उसके लिये भी एक बिल पेश किया जा सकता है। दूसरी चीज जो इस पर एतराज की बताई गई है वह यह थी कि इसमें १५ फीसदी जो कम्पल्सरी अक्यूजीशन में मालिक आराजी को दिलाया जाता है, यह वह इसमें नहीं दिलाया गया।

मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि यह अच्छा होता कि जो हमारे मेम्बरान एतराज करते हैं वह यह दिखाते कि किस तरह से वह इसमें नहीं दिलाया जायेगा। गो मुझे लैंड एक्वीजीशन एक्ट को देखे हुये बहुत दिन हो गये हैं फिर भी मेरा यह ख्याल है कि बावजूद इस १५ फीसदी के यह उनको दिलाया जा सकता है क्योंकि यह एक्ट साफ साफ यह कहता है "Whenever any land is acquired under section so and so, there shall be paid compensation the amount of which, etc. (जब कभी भी इस धारा के अन्तर्गत कोई भी भूमि प्राप्त की जायगी तो मुआवजे की अदायगी होगी जिसकी धन राशि, आदि) जब कि सब सेक्शन में सारे प्रोवीजन्स (व्यवस्थाएँ)

* माननीय सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा]
लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के एप्लाई करेंगे सिवाय उन प्रावीजन्स (व्यवस्थाओं) के जिनको कि उसके लिये एक्सक्लूड (निकाल देना) कर दिया गया है और कोई ऐसी दफ़ा नहीं है कि फ़ीसदी का एक्सक्लूड किया जाना कहा जा सके। मुझे मालूम नहीं है कि उन हजरात के ख्याल में जिन्होंने यह बिल बनाया है यह बात थीं या नहीं। मैं उम्मेद करता हूँ कि इस मसले को तक़रीर में साफ़ कर दिया जावेगा या अमेन्डमेंट कर दिया जावेगा। मैं समझता हूँ कि इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह १५ फ़ीसदी पाने के मुस्तहक़ नहीं होंगे।

अब मारकेट प्राइस (बाजार भाव) का एतराज है। मैं समझता हूँ कि इसमें मारकेट प्राइस (बाजार भाव) १६३६ ई० के बारे में कहा गया है। मैं कहता हूँ कि यह तो वाया मीडिया (मध्य मार्ग) है यानी दरमियानी है। क़ीमत दो तरह की होती है। एक तो लैंड एक्वीजीशन एक्ट के जरिये और दूसरी टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट के जरिये दिलाई जाती है। वह उस लिहाज से इस्तेमाल की जाती है जो नोटिस का वक्त होता है। क़ीमतें इतनी कम होती हैं कि बाज वक्त तो बरायनाम क़ीमत पर जायदाद चली जाती हैं। इसके मुताल्लिक मुकदमे हुए हैं। फुल बेंच हाई कोर्ट से फ़ैसले हुए हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि इसका फ़ैसला प्रिवी कौंसिल से हुआ है या नहीं लेकिन जब मैंने वकालत छोड़ी थी तो उस वक्त एक अपील दायर थी। इसके प्राविजन्स (व्यवस्थाएँ) उसके मुक़ाबले में निहायत फ़ैयाज़ाना और इंसाफ़ाना हैं। मुझे एक शुबा था जिसको मैंने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब से रफ़ा करने की कोशिश की। १६३६ और १६४८ का दरमियानी जमाना ऐसा हो सकता है जिसमें कि कुदरतन क़ीमतें बढ़ी हैं। कोई भी आराजी देहाती, शहरी जायदाद या जमीन सब की कीमत जो ५० साल पहले थी महज जमाना गुजरने से अब दुगनी तिगनी हो गई है। लड़ाई की वजह से जो क़ीमत में बढ़ोतरी हुई है उसको नजरन्दाज करने का मक़सद है। इसलिए उसकी किसी लिहाज से शिकायत नहीं की जा सकती। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वक्त आयेगा और कोई शिकायत होगी तो मुझे तो अपनी गवर्नमेंट पर मुकम्मिल भरोसा है कि वह उस शिकायत को रफ़ा कर देगी जैसाकि आपके सामने एक आर्डीनेन्स बिल आनेवाला है। एक लेजिसलेशन विधान हमारी गवर्नमेंट ने जल्दी में पास कर दिया। सेल्स टैक्स के बारे में जब गवर्नमेंट को बताया गया कि इससे ज्यादती और सख्ती होती है तो गवर्नमेंट ने इस बात का तनिक भी लिहाज नहीं किया कि अब तो हम इसे पास कर चुके हैं इसलिए चाहे सख्ती हो इस पर अमल करेंगे। निहायत फ़ैयाज़ी के साथ गवर्नमेंट ने अमेन्डमेंट बिल तैयार करके हाउस के सामने पेश कर दिया जो आज के एजेन्डे में दर्ज है। इसलिए अगर कोई सख्ती होगी तो उसको रफ़ा न करेगी, ऐसा ख्याल रखना जरा गवर्नमेंट के साथ बदगुमानी है। इसका कोई मौक़ा नहीं है।

अभी जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री साहब ने फरमाया, वाक़्या तो यह है कि कल एक गैरमामूली तादाद मेम्बरों की सिलेक्ट कमेटी में मौजूद थी।

उसमें हर ख्याल और हर स्कूल के मेम्बर शरीक थे और उनकी बिलइत्तफ़ाक राय से यह चीज पास हुई थी। इसलिए मैं तो यह समझता हूँ कि हाउस के लिए यह बहुत ही मुनासिब बात है कि अपने उन तमाम नुमाइन्दों का लिहाज रखते हुए जिनमें कि वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे, कमेटी की रिपोर्ट जैसी कि वह है उस को मंजूर कर लिया जावे। मैं यह नहीं कहता कि वक़्त ज़ाया न किया जावे या वक़्त ज़ाया नहीं होता लेकिन मौसम काफ़ी गरम है, काम है बहुत, और लोगों को घर जाने की ख्वाहिश है इसलिए मेरी यह दरख्वास्त बेजा न होगी कि उसके मुताल्लिक़ तक़रीरें किसी और मौक़े पर उठायें। और मौक़े पर ठंडे दिमाग से इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और उसी वक़्त कोई अमेन्डमेंट लाया जा सकता है और उस वक़्त जरूर उसपर ग़ौर किया जायेगा।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फ़िलिप्स—श्रीमान डिप्टी स्पीकर महोदय, कुछ गलतफ़हमियाँ ऐसी हैं जिनको और साफ़ करने की जरूरत है, गो मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था, मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं खड़ा होकर इसको अभी और साफ़ कर दूँ। अभी एक बात हमारे सामने पेश की गई है—बहुत से रिफ्यूजीज इन्डियन स्टेट्स या बार्डर पाकिस्तान से भागकर आये उनको इस बिल से फ़ायदा नहीं पहुँचता और इस बात को मैंने उस वक़्त भी जब यह बिल पहली मर्तबा इस हाउस में आया था पेश किया था और तरमीम करने के लिये तवज्जह दिलाई थी और आनरेबिल प्रीमियर साहब की तवज्जह इस पर ख़ास तौर पर कमेटी में दिलाई थी। सिलेक्ट कमेटी में यह कहा गया है कि हमारे टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में यह बात नहीं आती और जब यह बात नहीं आती टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में तो इस पर इस तरीके से कैसे ग़ौर किया जा सकता है? कोई तरमीम ही नहीं लाई जा सकती है जबकि असली बिल में यह चीज मौजूद ही नहीं है उसको नये तरीके से कैसे शामिल किया जा सकता है? ग़ालिबन ऐसी बात थी जो मेरे एक लायक़ दोस्त जो मेरे पीछे इस वक़्त भी मौजूद हैं उन्होंने भी इसी किस्म का एतराज किया था। स्टेट्स के आदमी यहाँ भाग कर आवें तो क्या वह रिफ्यूजी हैं? रिफ्यूजी जरूर हैं। यह हमारे सामने दिक्कत थी इसलिये हमारे लायक प्रीमियर साहब ने कहा कि आप इसके मुताल्लिक उस वक्त कह सकते हैं जब हम कोई नया बिल अलेहदा से पेश करें। दूसरी बात जो पेश की गई थी वह यह है कि पहले हक़ औला बनाने का उन लोगों को दिया जावे जो खुद जमीन के मालिकान हैं वह जब खुद न बनाएँ तो गवर्नमेन्ट बनाले। इस बात पर इस वजह से ग़ौर नहीं किया जा सका कि हमारे आनरेबिल प्रीमियर साहब ने बतलाया और जिससे हम यह मतलब समझे कि जभी ऐसा हो सकता है जब कोई शख्स खुद ही बिल्डर होगा। उनका कहना यह है कि हर एक शख्स को यह हक़ देकर कि वह बिल्डर हो जावे बहुत दिक़्कत होगी और ऐसी सूरत में वह दिक़्क़त इस तरह रफ़ा हो सकती है कि मालिक जमीन के मेल का कोई आदमी

[श्री ई० एम० फिलिप्स]
उस ज़मीन पर मकान बना सके और वह मकान शरणार्थियों को मिल सकता है। इसी वजह से हमारे आनरेबुल प्रीमियर साहब पर इस बात का दबाव दिया गया। मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया कि एक मुतनक्फ़िज़ के बनाने का क्लाज़ बिलडर (निर्माणकर्त्ता) की तारीफ़ से निकाल दिया जावे। अगर यह निकाल दिया जावेगा तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होंगी। यह ऐसी बात थी जिसमें सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान को मुत्तफ़िक़ तरीक़े से संतोष हुआ। अलबत्ता एक बात जरूर हुई और वह यह है कि इसमें सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बात आई कि सन् १९३९ के दर से ज़मीनों की कीमत न लगायी जाय। एक बात और यह खास तरीके से आयी कि १५ परसेन्ट फ़ायदा जो लैंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट के जरिये से मिलता था वह इस एक्ट की रू से देने को आनरेबुल प्रीमियर राज़ी नहीं हुए। एक बात और यह हुई जो आनरेबल प्रीमियर साहब की राय थी और जो यहाँ बयान कर देने के काबिल है कि जब हमारे यहाँ शरणार्थी आये हैं और वह दिक्कतों में फँसे हुये हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहये। यह बात सामने थी गो इस पर हमारे सेलेक्ट कमेटी के सब मेम्बरान मतमईन नहीं हुये। इससे यही जाहिर होता है कि कमेटी के मेम्बरान को सब बातों में इत्तफ़ाक़ न था जिससे यहाँ पर कुछ साहबों ने यह बातें कीं जो इस वक्त पेश हैं। लेकन असली बात यह है कि जब हमारे सामने शरणार्थियों की वजह से जमीन के मिलने की दिक्कत है तो जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। दूसरी बात जो अपील के मुताल्लिक थी कि हाईकोर्ट तक अपील की जाय उसको मंजूर किया गया।

डिप्टी स्पीकर—मैं आप की तवज्जह इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी में जो कार्यवाही हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी रिपोर्ट ही क़ाफ़ी है। उसके अलावा जो कुछ आप कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फ़िलिप्स—मैं सिर्फ़ उतना कह रहा हूँ जो जरूरी है और रिपोर्ट में नहीं है। बहर सूरत मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि इन बातों को देखते हुये जो आपके सामने पेश हैं इस बिल को उस तरह से मंजूर कर लेना चाहिये जैसा कि हमारे लायक प्रीमियर साहब ने आज तवज्जह दिलाई है। आनरेबुल प्रीमियर साहब से मुझे इत्तिफ़ाक है कि हम फ़ौरन इस बिल को ख़त्म कर दें। इस वजह से उनके नुक़्ते ख्याल से यह जरूरी है कि यह बिल जिस सूरत में पेश हुआ है उसी सूरत में मंजूर हो जाय।

***श्री खानचन्द गौतम**—जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय,

यह बिल बहुत जरूरी बिल है और बहुत माक़ूल बिल है। मगर कुछ सबेरे से ही आज ऐसी बिस्मिल्लाह गलत हुई है कि खामखाँ एक बहस-सी छिड़ गई है। सबेरे ही एक बात लेकर लोग खड़े हो गये कि २० मेम्बर होने चाहिये

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

थे और रहे १९। इस पर एक अड़चन खड़ी हो गई। वक्त कम मिला। एक साहब जो मेम्बर थे और जिनके पास बुलावा जाना चाहिये था उन तक बुलावा नहीं पहुँचा। इसलिये यहाँ एतराज के काबिल चीजें खड़ी हो गयीं। इस ख्याल से और जो मौजूदा कायदे कानून हैं उनके ख्याल से यह अनियमित है, जनाब वाला, हम लोगों का पेशा कानून बनाना है। पचासों कानून हम लोगों ने बनाकर फेंक दिये। सभी मुकन्निन लोग हैं। हम जानते हैं कि आर्डिनेन्स ईशू होते हैं। अमेंडमेंट्स हम लोग पेश करते हैं और उनमें ऐसी तरमीमें पास करते हैं और ऐसी चीजें पास करते हैं कि १९ को २० समझ लिया जाय, जो वक्त कम लगा है उसको काफी समझ लिया जाय, जिस तरीके से पास हुआ है उसको पास समझ लिया जाय और जो अनियमित कार्यवाही हुई है उस को नियमित समझ लिया जाय। कोई आर्डिनेन्स और अमेंडमेंट्स इस तरह से गुजर सकें कि हम पिछली कार्यवाहियों को नियमित मान लें जो कि अनियमित हो गई हैं। खैर, हाउस ने उसको कबूल कर लिया। एक ऐसी स्टेज आयी कि हम लोग उस पर विचार कर सकते लेकिन अपोजीशन की तरफ से फिर एक अड़चन खड़ी हो गई कि इसको सेलेक्ट कमेटी को फिर वापस भेजा जाय क्योंकि इस पर काफी विचार नहीं हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ कि बहुत ज्यादा सोच-विचार करना भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती। कभी-कभी बहुत ज्यादा सोच-विचार में आप अड़े रह जाते हैं और काम-धाम आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने अभी एक बिल 'बिक्री-कर बिल' पेश था। माननीय ख्वाजा साहब ने यह कहा था कि 'बिक्री-कर बिल' पेश होनेवाला है। उधर के अपोजीशन के लोगों को यह शिकायत थी कि बिक्री-कर बिल बहुत जल्दी-जल्दी में आप लोगों ने पास कर दिया उस पर काफी गौर व खोज नहीं हुआ और काफी कमियाँ रह गयीं। आप देखें कि जहाँ ३ करोड़ की वसूली करनी थी वहाँ-वहाँ उससे ६ सौ करोड़ का इन्तजाम हो गया है। जो कानून आप ३ करोड़ के इन्तजाम के लिये बनाये हुये थे उसमें जल्दी-जल्दी पास करने की वजह से शायद ६ सौ करोड़ की गुंजायश निकल आयी। तो क्या बुरी बात है ? कोई यह कब सोच सकता था कि इतना बड़ा फायदा होगा ? इसपर आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा। बहरहाल ६०० करोड़, फिर मैं उसको दोहराता हूँ और अगर वह रकम लेनी मंजूर नहीं है तो फिर दूसरा बिल आया हुआ है उसमें अमेन्डमेन्ट (संशोधन) कर देंगे। ६ करोड़ या ३ करोड़ ले लेंगे। जल्दबाजी में जो चीजें निकल जाती हैं इनको नजर अन्दाज न करना चाहिये और वह अच्छी चीजें होती हैं।

एक चीज है कि अगर कोई कानून में खामी रह जाय तो उसका इलाज हमारे सामने मौजूद है। आज ११ बजे से हमारी बैठक शुरू हुई, १२ बजे घोषणा हुई कि बिक्री-कर कानून बन गया है उसके एक घंटा पहले दूसरा अमेंडमेंट (संशोधन) तैयार हुआ। इतनी जल्दी-जल्दी एमेंडमेंड ला सकते हैं और सुधार कर

[श्री खानचन्द गौतम]

सकते हैं तो घबराने की क्या ज़रूरत है? मेरे लायक दोस्त डायलैकटिक (वाद-विवाद) से वाकिफ़ नहीं हैं। कभी-कभी क्वानटेटिव (चीजों की मात्रा) से क्वालिटेटिव (गुणों) चेंज में खूबी पैदा हो सकती है। कोई कमी इनडिविजुअल क़ानून में रह जाय तो उसकी दुरुस्ती के लिये हमारे हाथ बँधे नहीं हैं। मुझे तकलीफ़ हुई जब पशु-उन्नति बिल को एजेन्डे से हटा कर बाद में कर दिया गया इसलिए कि बिल में कुछ खामियाँ थीं और भाषा गड़बड़ थी। अगर आज उसको जैसे-तैसे पास कर लेते तो दूसरी मरतबा जब तक एमेंडमेंट लाते तब तक सौ ५० सांडों को बधिया कर लेते और आधा बनारस ठीक हो गया होता और देहात की बहुत सी दिक़्क़तें दूर हो जातीं और बहुत सी बकरियाँ और भेड़ें बच जातीं। मगर सिर्फ़ हमारे दोस्तों की राय से कि एक मुकम्मल और माकूल क़ानून लाने के ख्याल से वह बिल मुलतवी हो गया और न जाने कब तक के लिए। ऐसी सूरत में मेरी राय यह है कि जो बिल हमारे सामने है उस पर अपोज़ीशन के मेम्बर जिद न करें कि वह फिर सेलेक्ट कमेटी में जाय। इसमें जो खामियाँ होंगी वह अमेंडमेंट के ज़रिये से दूर हो सकती हैं। हर क़ानून में एमेंडमेंट हो सकते हैं। ऐसी सूरत में जिदमजिदा में वक्त खराब न किया जाय। शरणार्थियों को जो मदद पहुँचाई जा सकती है वह जल्द से जल्द पहुँचाई जाय और इसको आप पास करके आगे का रास्ता तय कीजिये।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इरादा तो नहीं था कि इस बिल पर इज़हार ख्याल किया जाय लेकिन चूँकि ट्रेज़री बेंचेस के मेम्बरान साहबान ने उसके सिलसिले में ज़िक्र किया है इसलिये इस बिल के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना है। हम यह देखते रहे हैं कि इस भवन में एक ही क़ानून के सिलसिले में एक दो महीने के बाद इतने एमेंडमेंट आए कि अपर हाउस में गया और फिर यहाँ आया और इस तरह से अवामुन्नास का काफ़ी रुपया खर्च हुआ। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि सेल्स टेक्स की सेलेक्ट कमेटी में मैं था और मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था कि सेलेक्ट कमेटी को वक्त काफ़ी हो तो अच्छे तरीक़े से गौरोखोज हो सकता है और उसके बाद आइन्दा जिसमें तरमीम करने की ज़रूरत न होगी और पब्लिक का रुपया ज़ाया न होगा और जो तरमीम आपने सेल्स टेक्स के सिलसिले में अब पेश की है मैंने उसी वक्त पेश की थी और आपने उस वक्त उसको रद्द कर दिया। अब मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि अपोज़ीशन ने उस वक्त वही चीज़ें रखी थीं जो आपने अब अमेंडमेंट्स में रखी हैं और इस वक्त यह न बढ़ाना पड़ता और रुपया जनता का बरबाद न होता। अब इसके अलावा कहा जाता है कि १९ या २० में कोई प्रोसीजर की बात नहीं है और अगर कमी हो गई है तो किसी खास वजह से। इस तरह से अगर लेजिसलेचर के किसी क़ायदे क़ानून पर अमल नहीं किया जाता तो वह गाँव की मामूली चौपाल की तरह है जहाँ क़ानून बनाया जाय

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

और दूसरे रोज़ ऐलान कर दिया जाय कि यह इस भवन के शानेशाया नहीं है। खुद ही अपने बनाए हुए कानून को तोड़ना कहाँ तक जायज है। तब फिर अवामुन्नास भी आपके कानून पर अमल न करेंगे। इस तरह से आप अपनी गलतियों को जायज कर लेते हैं। मुझे यह कहने में दरेग नहीं है कि हमारे लिए यह एक अफ़सोस की चीज़ होगी।

इसके अलावा इस बिल में यह बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि मैंने लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट (भूमि प्राप्त कानून) को नहीं पढ़ा। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है और माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बिल को पढ़ नहीं सकते तो इजहारे राय कैसे कर सकते हैं और दूसरों को राय जताना चाहते हैं तो कैसे डिसकस कर सकते हैं, प्रिएम्बिल (भूमिका) में लिखा है कि पाकिस्तान रिफ्यूजीज तक यह नहीं बढ़ाई जा रही है और पाकिस्तान के बोर्डर से जो लोग हमारे सूबे में आए हैं और नेशनलिस्ट हैं अगर उनको भी इमदाद दी जाती तो मैं नहीं समझता कि क्या तक़लीफ़ होती। पहली फ़रवरी से पहले जो रिफ्यूजी रजिस्टर हो गए हैं उसको ३१ मार्च आपने कर दिया था इसी तरह से भवन को अख़त्यार है कि उसको ३१ मई या ३० जून कर दें। मुझे अफ़सोस है कि यह कैसे कहा गया कि हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि शरणार्थियों से सबको हमदर्दी है और उनसे सब हमदर्दी करना चाहते हैं लेकिन इस बिल के ज़रिए से कौन उनके साथ हमदर्दी कर रहा है। जो इमदाद हो रही है वह भी अवाम के रुपए से हो रही है और कौन अपनी आमदनी में से उनको हिस्सा देने को तैयार है। एक आदमी की आप ज़मीन लेते हैं उससे आप अपना और शरणार्थियों का फ़ायदा करते हैं अगर आप उसको उसकी सही क़ीमत नहीं देते तो इसके मानी यह हैं कि वह शख्स जिसकी आप ज़मीन लेते हैं वह शरणार्थियों की इमदाद करता है वरना आपका रुपया भी जनता का है और पूरी कम्यूनिटी (वर्ग) उनकी इमदाद करती है। इसके अलावा प्रायरटी (प्रथमता) का सवाल दरपेश है। अगर मालिकान जिनकी ज़मीन लेते हैं और अगर कोआपरेटिव सोसाइटी या कोई लोकल बाडी बनेगी जो बिल्डर के नाम से मौसूम की जायगी तो उन्हें गवर्नमेंट हर किस्म की इमदाद देगी ताकि उनको बसा दिया जाय। अगर यही चीज़ मालिकान के लिये भी मुहैया कर दी जाय और उनसे कहा जाय कि एक मख़सूस मुद्दत में वह बना दें या हम बनवाये देते हैं, मिल्कियत उनकी रहेगी लेकिन रिफ्यूजीज को उसी हैसियत से दिया जायगा कि अगर किसी वक्त में शरणार्थी वहाँ से चले जाँय और जिस मकसद के लिये ज़मीन ली गई थी वह मकसद ख़त्म हो जाय तो उस ज़मीन को जो ली गई वह पहले उन मालिकान को वापस हो जिनको उससे महरूम किया गया है। उनके लिये यह प्रावीज़न भी मंजूर नहीं किया गया। क्या यह इक्विटेबिल लेजिस्लेशन (सामानाधिकार देनेवाले क़ानून) है कि हम दूसरों का गला

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]
काटकर रिफ्यूजीज़ की इमदाद करें। सरकार अपने पास से एक पैसा भी सर्फ करने को तैयार नहीं है, होल कम्युनिटी से एक पैसा भी लेने को तैयार नहीं है। यह उनकी इमदाद है।

मैं एक सवाल यह पेश करना चाहता हूँ कि लोकल बाडीज़ बिल्डर्स की शक्ल में आयेंगे। वह एक मेरी ज़मीन का प्लाट दे देंगे कि यहाँ मकान बनना चाहिये, यहाँ स्टाल बनना चाहिये। मैं उनके पास जाऊँगा कि मेरी बख्शिश कर दीजिये और अपनी नज़ूल की जमीन पर बनवाइये। जो वह कहेंगे कि आज कल करप्शन (घूसखोरी) का दौर दौरा है, हमारा भी हिस्सा होना चाहिये। लिहाज़ा हम नज़ूल लैंड पर नहीं बनायेंगे। पहले तो लोकल बाडीज़ की जो नज़ूल लैंड है उसको लिया जाय। अगर वह लैंड इस क़ाबिल नहीं है तो प्राइवेट ओनर्स की ज़मीन को लिया जाय और उस पर इमारत बनाई जाय, लेकिन इसके लिये भी इन्कार किया गया।

इसके अलावा मैंने यह भी अर्ज़ किया था कि इसमें कुछ-न-कुछ एक्सेप्शन (अपवाद) कर दिया जाय मगर इन तमाम बातों के लिये मुझे एक जवाब मिला कि रूल्स के ज़रिये कर दिया जायगा। अगर ऐसा ही है तो आप एक आर्डिनेन्स बना दीजिये जिसमें गवर्नमैन्ट को अख्तियार हो कि वह रूल्स बनाकर हुकूमत कर सके। ऐसा करने से जो हमारा लाखों रुपया इस भवन पर सर्फ होता है वह बच जायगा और अगर एग्जीक्यूटिव को सारा लेजिस्लेटिव (विधान) और जुडीशियल फंकशन (न्याय सम्बन्धी कार्य) भी दे दिया जाय तो बिल्कुल सही इन्तिजाम होगा। या ऐसा क़ानून कर दिया जाय कि अपोज़ीशन को खत्म कर दिया जाय तो और भी ज्यादा फायदा होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी और सारे कानून बनने में और भी आसानियाँ होंगी क्योंकि हम लोग तो बहुत बुरे कानून बतलायेंगे। मगर मैं नहीं समझता कि यह किस तरीके से हो सकता है। अगर हम प्लेसेज़ आफ वर्शिप (पूजा के स्थान) एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (शिक्षा संस्थायें) और वक्फ प्रापर्टी (धर्मादा जायदाद) को मुस्तसना नहीं करेंगे तो यह होगा कि अगर किसी मन्दिर की ज़मीन लेली जायगी तो कुछ काँग्रेसी लोग यह कहेंगे कि यह मन्दिर की ज़मीन नहीं है और इन्सपेक्टर जायगा और देर लगेगी। अगर हम इस बिल में यह लिख दें कि इन चीजों को हमको हर्गिज़ नहीं लेना है तो जो करप्शन होनेवाला है वह नहीं होगा। वह वक्फ प्रापर्टी जो कि हाउसेज़ के लिये इस्तेमाल हो सकती है उसे ज़रूर ले लिया जाय। मैं हर्गिज यह नहीं चाहता कि उसे छोड़ दिया जाय। इसी तरह ग्रेव यार्ड्स् (श्मशान भूमि) को भी मुस्तसना कर देना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो मुसीबत यह होगी कि एक-एक अर्जी लिये चला आ रहा है और दूसरा दूसरी अर्जी लिये चला जा रहा है। आज-कल तो यह है कि जिससे दुश्मनी है उसकी चीज़ को फँसवा दिया। ऐसा हो रहा है।

एक सवाल कम्पेन्सेशन (मुआवजे) का है। यह रिफ्यूजीज के लिये किया जा रहा है। जल्दी और परेशानी में इसकी जरूरत भी है और इससे हर एक को हमदर्दी है। हर एक चाहता है कि यह होना चाहिये।

अगर मेम्बर साहबान् यह रेज्योलूशन (प्रस्ताव) पास कर दें कि हम सन् १९३७, ३९ की भाँति वही ७५ रुपया ही लेंगे तो आप यकीन मानिये कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। जो प्राइवेट ओनर्स (मालिक) हैं उनको आप सन् १९३९ की कीमत ही देना चाहते हैं। जब हर चीज की कीमत बढ़ गई है तो फिर आप किस बिना पर सन् ३९ के हिसाब से सन् १९४७ और ४८ में हर चीज को लेते हैं। यह कहाँ तक जायज होगा कि हम प्राइवेट लोगों को इस तरीके पर जलालत भी दें और उनको नुकसान भी दें। जो चीजें आज उनके अख्तियार में हैं उन सबको अपने अख्तियार में ले लें। मैं समझता हूँ कि यकीनन उनकी जमीन की कीमत उनको आजकल के मारकेट वेल्यू (बाजार मूल्य) के हिसाब से देनी चाहिए। ईमानदारी की बात तो यही है और सही बात भी यही है कि हर चीज की कीमत उनको आजकल के हिसाब से देना चाहिए। अगर आप यह समझते हैं कि इसका बार रिफ्यूजीज पर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी (कोष) से इस रकम को भुगते। लेकिन जिनकी जमीन हम लें उनके साथ सही सलूक करें। इसके अलावा कम्पलसरी एक्वीजीशन (जबरी वसूलयाबी) का एक क्लाज आपने रखा है कि जमीन भी लेंगे, कम रेट में लेंगे और जो निजी लैंड एक्वीजीशन एक्ट में है उससे भी महरूम करेंगे। इससे तो अच्छा यह होता कि आप इसमें यह रख देते कि जो जमीन हम लेंगे वह बिलकुल मुफ्त में लेंगे क्योंकि रिफ्यूजीज के लिए जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी लेजिलेशन हो आज ही करें तब तो बात ही दूसरी है। अगर आप सही तौर पर लेजिस्लेशन (क़ानून बनाना) करना चाहते तो अच्छा तो यह होता कि इसको आप आइन्दा लाते। मैंने देखा है कि जब हाउस में तकरीर करनी होती है तब तो कहते हैं कि हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता है। जब कहीं चन्दे की बात होती है तब तो कह देते हैं कि पाँच लाख चन्दा इकट्ठा होना चाहिए लेकिन वे खुद ढाई रुपया भी चन्दे के तौर पर नहीं देते हैं। इसको भी वे ही गरीब आदमी देते हैं। लेकिन जितने लीडर हैं वे एक पैसा भी नहीं देते। यहाँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ खुद अपने जिले की बात कह रहा हूँ, अगर कोई गलत बात हो तो आप तरदीद कर सकते हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा जो राइट (अधिकार) है वह भी नहीं मिलता है। अगर हम कोई अमेंडमेंट मूव (संशोधन) करना चाहते हैं तो इसके लिये भी दो रोज की नोटिस की बात आती है। यह डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन (जन तन्त्र विधान) का कोई तरीका नहीं मालूम होता है।

डिप्टी स्पीकर—अगर आप चाहें तो अपनी तरमीम पेश कर सकते हैं। उसके लिये कोई रोक नहीं है।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—जनाबवाला, तरमीम के वास्ते मौका मिलना चाहिये। आज १२ बजे के बाद जब बिल ही पेश हुआ है तो तरमीम के लिये कुछ मौका मिलना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर—जैसा कि आपका एतराज़ था कि तरमीम नहीं दे सकते हैं उसके लिए मैंने कह दिया कि आप चाहें तो तरमीम दे सकते हैं दो रोज़ के नोटिस की शर्त उठा दी जायगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाबवाला, मुझे तो आपका निहायत ही शुक्रगुज़ार होना चाहिये कि आपने हमें यह अख्तियार दिया है। मगर बदकिस्मती से हमें यह अख्तियार नहीं मिलता है जो ७ दिन का था। एक-एक लफ्ज देखने के बाद उसको समझना बहुत मुश्किल मालूम होता है उसके अल्फाज़ ही ऐसे हैं जिनको समझने में दिक्कत महसूस होती है। जनाबवाला, अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो कुछ भी मदद हो सकेगी आप करेंगे। जनाबवाला, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपके ही हाथ में हमारे हकूक महफूज हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम बातों पर ग़ौर करके गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुँचेगी कि २४ घंटे और १२ घण्टे के अन्दर सेलेक्ट कमेटी में डिस्कशन कर लेने से कोई फायदा नहीं पहुँचता है। यह मुनासिब है भी नहीं। इसी का यह नतीजा है कि तीन-तीन चार-चार रोज़ के बाद ही हर बिल पर अमेंडमेंट (संशोधन) आ रहे हैं, हर दूसरे रोज़ तीसरे रोज़ अमेंडमेंट आते हैं। आप कोई फोरकास्ट (पेशीनगोई) नहीं कर सकते हैं। दुनियाँवाले इसको देखकर क्या समझेंगे, यक़ीनन यह कितनी ज़िल्लत की बात है कितने अफसोस की बात है।

माननीय प्रधान सचिव—इस बिल के सिलसिले में बहुत-सी बातें बड़े जोश-खरोश के साथ कही गईं। मेरी समझ में बावजूद बहुत ग़ौर से सुनने के अभी तक भी इसकी वजह नहीं मालूम हुई कि क्यों इतनी ज्यादा तेज़ी इसके ऊपर बढ़ गई। शुरू हुआ इससे कि १९ की जगह २० हों और आखिर में तकरीर हुई असरार अहमद साहब की। मुझे यह अजीब बातें सी मालूम हुईं। आखिर एक बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है उसमें कुछ मेम्बर साहब हिस्सा लेते हैं मुखालिफ पार्टी की तरफ से वहाँ पर मेम्बर उसमें जाते हैं। उन सबकी इत्तफाक राय से कोई बिल फिर सेलेक्ट कमेटी से वापस होकर यहाँ आता है। एक बड़ी अजीब बात है और समझ में नहीं आता कि अगर और लेजिस्लेचर में भी इस तरह से कार्यवाही होने लगे तो फिर कोई लेजिस्लेचर कैसे अपना काम कर सकता है। जो पार्टी इस बिल की सेलेक्ट कमेटी में शरीक रहती है, जो उस रिपोर्ट में जो कि सेलेक्ट कमेटी से आती है उसमें शरीक थी, जो बिल जिस शक्ल में यहाँ पर हाउस में आया है उसको मंज़ूर किया है वह सब के सब उसके एक दम खिलाफ चले जायँ, यह बात समझ में नहीं आती है। इसहाक़ खाँ साहब बोले बड़े

जोर के साथ मानों उनकी पार्टी का कोई आदमी वहाँ उस कमेटी में शरीक ही नहीं था। असरार अहमद साहब की स्पीच हुई और वह खुद उसके मेम्बर थे। उस कमेटी में जिसमें इस बिल को जैसा कि उनके सामने आया है उसी शक्ल में उसको मन्जूर किया है। वह इस ढंग से बोले हैं कि मानों उनके ऊपर यह बड़ी जबर हो रही है और उनके लिये यहाँ साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह की बातें होना और किस तरह से यहाँ के लेजिस्लेचर की कार्यवाही चल सकती है। ऐसी राय एक दफ़ा हो सकती है, एक दफ़ा एक बात कही और रात के बाद दूसरे दिन वह सब बदलें तो मालूम होता है कि उनके ऊपर कोई जबरदस्ती और जुल्म हो रहा है और बोलने में पूरी ताकत लगाते हैं और अपने जज़बात को इजहार करने में दिक्कत मालूम होती है और जो इस तरह से बदलें कि कुछ घन्टों के बाद भी बदल सकते हैं तो फिर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनकी राय की क्या वक़त हो सकती है और बाहर के लोग उनकी क्या वक़त समझ सकते हैं। कोई तरमीम हो सकती है लेकिन जो बात कल हुई और चन्द घन्टों के बाद ही वह बदल सकती है। एक ही बिल जो कल एक आदमी ने खुद मन्जूर किया और आज वह उसको ग़लत समझता है तो यह एक अजीब बात है।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ—क्या सेल्स टैक्स में इसीलिये तरमीम की जा रही है?

माननीय प्रधान सचिव—हाँ, हम जरूर तरमीम करने जा रहे हैं जो कुछ हम काम करना चाहते हैं वह डेमोक्रेटिक ढंग पर करना चाहते हैं। किसी ढंग से एक चीज़ को अगर लेजिस्लेचर ने पास कर दिया और अगर हमको यह मालूम हो कि दरअसल जिनका उससे ताल्लुक था जिनका इन्टरेस्ट था अगर वह चाहते हैं कि उसमें कोई तरमीम हो तो बावजूद इसके कि हमने जो कानून बनाया है उससे फ़ायदा उठाकर काफ़ी रकम लेकर जमा करें हम उनकी मरजी के बगैर इस बात को पसन्द नहीं करते कि कानून लागू हो।

यह तो एक सीधी-सी बात है जिसके लिये आपको शुक्रिया अदा करना चाहिये न कि शिकायत करनी चाहिये। आख़िर वह सेल्स टैक्स भी जो निकाला था वह भी सिलेक्ट कमेटी से होकर यहाँ पास हुआ था। लिहाजा उसके बारे में भी कोई शिकायत ऐसी करने की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। और अगर उसमें कोई कमी थी तो हम सब उसमें शरीक थे और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो तरमीमें आज उसमें हो रही हैं वह सिर्फ इस गरज से हो रही हैं कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। उनको शिकायत है और हम हमेशा इस बात के लिये तैयार हैं कि कोई भी क़ानून पास कर लिया जाय अगर उसमें हम किसी की तकलीफ को रफा कर सकते हैं तो बावजूद इस बात के कि कानून यहाँ पास हो गया हो हम फिर उसकी तरमीम करने के लिये तैयार हैं। इसके लिये आपको मुबारकबाद देना चाहिये और खुश होना चाहिये कि गवर्नमेन्ट इस तरीके से पब्लिक सर्विस करने को तैयार है।

खैर, जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें कौन-सी बात है जिसकी शिकायत हो। अगर सिलेक्ट कमेटी में आप शरीक न होते और नाराजगी ज़ाहिर करते तो ठीक था। मुझे अफ़सोस है कि राजा साहब को इत्तिला देर में मिली। १० या ११ बजे उनको इत्तिला मिली और साढ़े बारह बजे मीटिंग थी। जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी बनी थी मैंने यहाँ ऐलान किया था कि साढ़े बारह बजे मीटिंग होगी। मगर राजा साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। तो हाउस में न रहने की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं हो सकती कि जो यहाँ मौजूद रहकर अपना काम करना चाहते हैं। इसके लिये वह ज़िम्मेदार नहीं हैं मुझको अफ़सोस है कि उनकी गाइडेंस (राय) हमको सिलेक्ट कमेटी में नहीं मिल पायी। मगर हम तो चाहते थे कि मिले और अगर वह उस वक्त भी कहला देते कि उनको देर से इत्तिला मिली है तो ......

श्री जगन्नाथबख्शसिंह—मेरा विचार है कि इन कमेटियों का नोटिस होना आवश्यक है।

माननीय प्रधान सचिव—ज़रूर, वह तो आपने फरमाया कि नोटिस आपको ११ बजे के करीब मिली।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—उनको नोटिस नहीं मिली।

माननीय प्रधान सचिव—आप कहते हैं कि उनको नोटिस नहीं मिला और वह खुद कहते हैं कि उनको देर से ११ बजे के करीब मिला। मैं आपकी बात मानूं या उनकी?

श्री जगन्नाथबख्शसिंह—मीटिंग का नोटिस तो मुझको मिला नहीं। मैं सिलेक्ट कमेटी में रखा गया हूँ, सिर्फ इसकी इत्तिला मुझको ११ बजे मिली।

माननीय प्रधान सचिव—खैर, मुझको अफ़सोस है कि आपको इत्तिला नहीं मिली और मैं आपके बारे में यह नहीं कह सकता कि आपने सिलेक्ट कमेटी में हिस्सा लेकर इसको मंजूर किया। आप मौजूद नहीं थे, इसमें हमारी बदकिस्मती रही। हम चाहते थे कि आपकी मदद हमको मिले. लेकिन वह नहीं मिल सकी। मगर जो लोग मौजूद थे उनके बारे में तो कम-से-कम यह पार्लियामेंटरी कनवेंशन (रिवाज़) होना चाहिये और अगर उनकी मरज़ी के मुताबिक यह बिल मंजूर किया जाता है और फिर उनको यहाँ ऐतराज़ होता है तो उसके क्या माने होते हैं। अगर इसी तरह ऐतराज़ होते रहें तो फिर क्या ज़रूरत है कि सिलेक्ट कमेटी बनाई जाय और वहाँ यह बिल भेजा जाय और क्यों हम लोग आपस में बैठकर गुफ्तगू करें। फिर तो यहीं यह खींचातानी होती रहे। मेरी समझ में यह ढंग नहीं होना चाहिये।

जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है कोई खास ऐतराज़ नहीं किया गया है और अगर किसी क्लाज के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मुझे जो कुछ उसके बारे में कहना होगा मैं अर्ज़ कर दूँगा। यह कम्पेन्सेशन अफ़सर क्यों हो, यह

बात इसहाक खाँ साहब ने कही। उनको तो यह हर चीज गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट के सेक्शन २९९ के खिलाफ़ मालूम पड़ती है।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—मैंने आपको सुना नहीं, आप क्या कह रहे थे?

माननीय प्रधान सचिव-मैं यह कह रहा था कि आप इसको गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट की दफ़ा २९९ के खिलाफ़ समझते हैं।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—मैंने कुछ समझा तो यही था।

माननीय प्रधान सचिव—मगर अब आपकी राय कुछ ढीली मालूम होती है।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—आप जोर से बोल रहे हैं लेकिन मैं आहिस्ता से बोल रहा हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—खैर, अब आपको समझ आ गयी तो अच्छा है। अब आप वह बात जोर से कहने को तैयार नहीं हैं, लिहाजा मुझको उस पर ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं हैं।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—यू आर इन पजेशन आफ दी हाउस एंड आई एम नाट स्पीकिंग। (आप इस समय तक़रीर कर रहे हैं और मैं नहीं बोल रहा हूँ)।

माननीय प्रधान सचिव—थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल टु यू। खैर, हाउस इस बिल को पास कर सकता है इसके बारे में दो रायें नहीं हैं। एक उज्र यह था कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर कौन होता है और इसमें कोई सिविल आथोरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह की बातें की जाती हैं तो एक अजीब-सी बात लगती है। कम्पेन्सेशन आफ़िसर हमेशा लैंड एक्वीजीशन आफ़िसर (भूमि-प्राप्त अधिकारी) होता है और लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत एग्जीक्यूटिव से होता है।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—यह भी हाईकोर्ट तक जाता है।

माननीय प्रधान सचिव—जी हाँ, इसमें भी काफी गुंजायश आपके लिए रखी है।

इसमें भी आपके लिये काफ़ी गुन्जायश वकालत की रखी है। घबराने की कोई बात नहीं है। कम्पेन्सेशन आफिसर जो होगा वह जैसा लैंड अक्वीजीशन आफिसर होता है वैसे ही होगा। इसके बाद अगर कम्पेन्सेशन आफिसर के अवार्ड (फैसला) के बारे में पार्टी को कोई उज्र है तो वह डिस्ट्रिक्ट जज को रेफरेंस कर सकती है। और कौन कमी रह गयी है? डि० जज के फैसले को आप गलत समझते हैं। नहीं तो फिर आप कौन-सी दूसरी तजवीज़ कर सकते हैं कम्पेन्सेशन आफ़िसर के अवार्ड को अगर पार्टी अप्रूव नहीं करती तो डि० जज के पास रेफरेंस किया जायगा और डि० जज का फ़ैसला होगा और डि० जज के फ़ैसले की अपील होगी, कानून की रू से जहाँ होनी चाहिये। आप ज़रा इस

[माननीय प्रधान सचिव]

को पढ़ तो लेते कम-से-कम। फिर यह उज्र करने की गुन्जायश ही न होती। इस में सिविल कोर्ट्स और हाईकोर्ट के लिये काफी गुन्जायश है। कहीं पर कोई प्राविजन ऐसा नहीं किया गया है जिससे लैंड अक्वीजीशन ऐक्ट के प्रोसीड्योर में और इसमें कोई फर्क हो। पहले इसमें अपील का प्रावीजन नहीं था लेकिन कल सेलेक्ट कमेटी ने तजवीज किया कि अपील होनी चाहिये और हम लोगों ने समझा कि अपील होना मुनासिब है और इसमें रख दिया गया है। अब फिर लैंड अक्वीजीशन ऐक्ट (भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट) के मुकाबले में किसी किस्म की दिक्कत रहती नहीं। अब इसके अलावा, यह शिकायत की गई है कि इसमें सन् १९३९ ई० के पैमाने के मुताबिक कीमत दी जायगी। यह बहुत हद तक सही है। इसके अलावा इसमें यह भी है कि अगर किसी शख्स ने सन् १९३९ ई० के बाद जमीन खरीदी है तो जो कीमत उसने दी हो वही उसे मिलेगी। ऐसे आदमी आये हैं जो करोड़पति थे और उनके सर पर आज टीका नहीं है और जिनको रात को सर छिपाने के लिये कोई जगह नहीं। मगर जिसके पास वही चीज है जो सन् १९३९ ई० से पहले थी, उसकी कीमत में अगर फर्क हो गया है तो समाज की वजह से पैदा हुआ है। उसका किया हुआ नहीं है। ऐसी हालत में जिनकी आराजी सन् १९३९ ई० के पहले से थी उनको वही दिया जा रहा है। और कोई वैसी बात नहीं है। रिफ्यूजीज का काज ह्यूमनटेरियन काज (शरणार्थियों की सहायता करना मनुष्य का धर्म है।) मैं आपको बतला दूँ। लड़ाई के जमाने में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया था उसमें यह था कि जो कोई जमीन एक्वायर [प्राप्त] की जायगी वह सन् १९३९ ई० के बेसिस (आधार) पर की जायगी। मगर वह लड़ाई के लिये लेते थे और हम सुलह के लिये ले रहे हैं, फर्क इतना ही नहीं है। उस वक्त बहुत से लोग मदद ...

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—सन् १९३९ ई० में कानून बना था इसलिये सन् १९३९ ई० रखा था, और आप सन् १९४८ ई० में कानून बना रहे हैं।

माननीय प्रधान सचिव—जी नहीं, सन् १९३९ ई० का कानून नहीं था। खैर, कुछ भी हो वह सन् ४२, ४३, ४४, ४५ ई० में बदला जा सकता था, लेकिन सबने यही पसन्द किया कि सन् १९३९ ई० का कानून सन् १९४४ में भी रहे। चूंकि वह लड़ाई के लिये दिया जाता था। लेकिन आज वही पसन्द नहीं है क्योंकि आज वह शरणार्थियों के लिये दिया जा रहा है। मैं यकीन करता हूँ कि उनके साथ हमदर्दी है तो हमदर्दी की कीमत भी देने के लिये तैयार होजाना चाहिये। अगर जरूरत आये नुकसान उठाने की। कहा जाता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कीमत देती। गवर्नमेंट आखिर टैक्सपेयर के पैसे से देती है। टैक्सपेयर के रुपये से करोड़ों रुपया रेफ्यूजीज पर खर्च किया जा रहा है। जिसका इल्म सबको है। इस लिहाज से अगर थोड़ी सी कुर्बानी भी करनी पड़े और इसके लिये जगह एक्वायर प्राप्त करने के लिये कम कीमत मिल जाए तो अच्छा है और अगर कुछ भी न मिले तब भी अच्छा है उसे खुशी होनी चाहिये

इस बात की कि उसको ऐसे लोगों की ख़िदमत करने का मौक़ा मिला है कि जिनकी हालत इतनी पस्त है और उनको ऐसी दिक्क़तें हैं कि अगर हम कहीं ऐसी हालत में होते तो परेशान होकर बरगलाते। इसलिये अगर थोड़ा-सा भार आ भी जाये तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिये। मैं ऐसी उम्मेद करता हूँ कि हमारे सूबे के रहने वाले निहायत फैय्याज़ तबियत के आदमी हैं और दूसरों के साथ हमदर्दी करने वाले हैं। अगर उनसे यह कहा जाये कि तुम अपनी ज़मीन उनको दे दो तुमको उसके एवज़ में कुछ भी नहीं मिलेगा तब भी वह तैयार हो जायेंगे। मगर इस हद तक हम नहीं गये हैं। जिस हद तक हम गये हैं वह यह है कि मुनासिब तरीके पर मुआवजा मिल जाये। मुझे उम्मेद है कि जिस तरीके से यह बिल रखा गया है आप मंजूर करेंगे। जो कुछ आपने इसके सम्बन्ध में कह दिया है वह हम लोगों के लिये आगे के लिये सबक़ सीखने के लिये काफ़ी है।

डिप्टी स्पीकर—मैं पहले मोहम्मद इसहाक़ खाँ की तरमीम पर राय लेता हूँ।

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त शरणार्थियों को बसाने का बिल सन् १९४८ विशिष्ट समिति में भेजा जाये और वह १५ मई तक अपनी रिपोर्ट दे।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ]

डिप्टी स्पीकर— सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने का) बिल सन १९४८ पर जैसा कि वह विशिष्ट समिति से संशोधित हुआ है, विचार किया जाये।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत]

*श्री **मुहम्मद इसहाक खाँ**—मैं जनाब की तवज्जह इस अम्र पर दिलाना चाहता हूँ कि यह बिल १२ बजे हमारी मेज़ पर रखा गया है और इसके जनरल प्रिंसपल्स भी आज तरमीम होकर सिलेक्ट कमेटी से आये हैं और १२ बजे से अब तक इस पर बहस होती रही है। इसलिये अब तक तरमीम देने का मौक़ा हम लोगों को नहीं मिल सका है। अब हमें तरमीमें करने का मौक़ा मिलना चाहिये क़ानून के मुताबिक ७ दिन मिलने चाहिये। अगर इतने दिन न मिल सकते हों तो कम-से-कम एक-दो रोज़ तो मिलने ही चाहिये। ताकि हम लोग ज़रूरी तरमीमें दे सकें। इसलिये स्टैंडिंग आर्डर २० का हवाला देते हुये मैं इस्तदुआ करूँगा कि इसका कन्सीडरेशन पोस्टपौंड कर दिया जाये और दोनों तरफ़ के मेम्बर्स को तरमीमें पेश करने का मौक़ा मिलना चाहिए। हमारे लायक़ वज़ीर साहब कह रहे थे कि आप लोग ऐसे मामले में भी एतराज़ पेश करते हैं। मैं उनसे ही पूछता हूँ कि अगर वह यहाँ बैठे मिलते या आप स्वराज्य पार्टी के लीडर होते तो क्या वह एक सैकिन्ड के लिये भी यह बरदाश्त कर सकते थे कि घंटे भर में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाये और वह पास हो जाये और तरमीम पेश करने का भी मौक़ा न दिया जाये।

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

माननीय प्रधान सचिव—अगर मेरा एक भी आदमी विशिष्ट समिति में होता तो मैं कभी भी जबान न हिलाता।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—हम इस बिल पर जरा कुछ सोच समझ लें। दो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। यह अपर हाउस में जायेगा सबकी राय है कि इसमें बहुत सी खामियाँ हैं, वह दुरुस्त हो जाना चाहिये और तरमीमें पेश करने का मौका मिलना चाहिये। मैं उसके अल्फाज में ही कहूँ कि यह बड़ा भारी जुल्म है कि पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के खिलाफ एक दिन में रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी की माँगी जाये। आप खुद बताइये कि क्या यह जुल्म है या नहीं, हम कोई फेवर नहीं चाहते हैं बल्कि हम अपने हुकूक़ चाहते हैं। कायदे कानून जो असेम्बली ने बनाये हैं हम उनके मुताबिक जाप्ते में कह सकते थे कि सात दिन से पहले हम नहीं चलने देंगे। लेकिन चूंकि शरणार्थियों का मामला है हम आप से कहते हैं कि एक ही दिन के अन्दर हम आप को दिये देते हैं। आप जल्दी कीजिये और जहाँ तक हो सके इस बिल को जल्द-से-जल्द खत्म करें ताकि अपर हाउस में भेजा जा सके। यों तो हम अपना मतालबा कर सकते हैं जनाबवाला से, और आपकी तवज्जह भी दिलायेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीमियर साहब को १ या दो रोज के बारे में कोई एतराज न होगा।

माननीय प्रधान सचिव—यह बिल जैसा पहले था उसी शक्ल में है। कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अगर इसहाक़ साहब को इस बात में शिकायत है कि अपील की जावे तो उस पर भी मैं खुशी से ग़ौर करने को तैयार हूँ। अपील का हक़ न देना चाहिये और जो भी तरमीम वहाँ दी गई है वह वापिस की जावे। मैं समझता हूँ कि यह उनकी शिकायत कोई मुनासिब नहीं है। जहाँ तक और बातों का सम्बन्ध है जो इस बिल में हैं कोई नई नहीं हैं। बावजूद इसके कि कई दिन पहले यह छप चुका है लेकिन इसके देखने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर वक्त नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है वह जरूर देख सकते थे। वह कानून और कायदों के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे थे तो उन्हें पहले से नोटिस लाना चाहिये। बहुत देर से हम इस पर बहस कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ—परसों तक ले लीजिए।

माननीय प्रधान सचिव—आज का वक्त खराब चला जाएगा।

श्री मुम्हमद इसहाक खाँ—दूसरा, तीसरा, या चौथा बिल लिया जावे।

माननीय प्रधान सचिव—दूसरा बिल ले लिया जावे।

डिप्टी स्पीकर-फिलहाल इस पर कल के लिए विचार मुल्तवी किया जाता है।

माननीय अर्थ सचिव—(**श्री कृष्णदत्त पालीवाल**)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर संशोधन बिल, सन् १९४८ ई० को पेश करता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—मैं इस वक्त यह जानना चाहता हूँ कि यह गजट में शाया हो चुका है या नहीं।

माननीय अर्थ सचिव—जी हाँ, गजट में शाया हो चुका है।

डिप्टी स्पीकर—मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा था कि यह गजट में शाया हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होता तो ऐवान से इजाजत लेना पड़ती और आपको प्रस्ताव करना पड़ता कि यह भवन इसके पेश करने की अनुमति दे।

माननीय अर्थ सचिव—जी हाँ, हो चुका है।

माननीय अर्थ सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (संशोधन) बिल सन् १९४८ ई० पर विचार किया जावे। यह बिल अभी पिछले ही बजट के अधिवेशन में प्राप्त हुआ था। इसके पास होने के बाद इस बीच में इसके चालू होने में कठिनाई मालूम हुई। जिनको इससे सम्बन्ध था उन्होंने अपने आवेदन पत्रों द्वारा सरकार के पास लिखकर भेजा था और चूंकि यह सरकार जनता की सरकार है। इसलिए अपना फर्ज समझती है कि जनता को जो कठिनाइयाँ मालूम होती हों वह उसके लिये जल्द-से-जल्द ऐसे उपाय, ऐसी तरकीबें करे कि वह जल्द-से-जल्द दूर हो जायँ। इन शिकायतों को दूर करने के लिये ही यह संशोधक बिल पेश किया जा रहा है। जो खास-खास संशोधनों किये गये हैं वह यह है कि एक तो इन संशोधनों के मुताल्लिक सरकार को यह अख्तियार होगा कि वह १२ हजार से ज्यादा रक़म को भी कुछ हालतों में मुस्तसना कर सके। दूसरे यह कि सरकार को यह अख्तियार होगा कि कुछ चीजों पर टैक्स की दर को कम कर सकती है। तीसरे यह कि कुछ चीजों पर सिर्फ सिंगिल टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि सब चीजों पर एकसा टैक्स लगे। लेकिन सिंगिल टैक्स लगने पर दर बढ़ जायगी, जैसे कि मोटर कार वगैरा पर एक आना रुपया तक टैक्स लगेगा और बाकी चीजों पर ३ पैसा तक और आम चीजों पर तो अब तक था ही एक पैसा। अब उसको भी कम करने का अख्तियार इस संशोधन द्वारा रहेगा। इसके अलावा बदनी के सौदों पर जो टैक्स लगाया गया था वह बहुत ज्यादा हो जाता था। अब उस पर फ़ी यूनिट एक रुपया टैक्स लग जायगा और इसके अलावा हर क्लास के सौदों पर टैक्स इसके कायदों के मुताबिक लगाया जायगा। अगर कोई क्लासेज ऐसी हैं जिन पर कुछ कम हैं तो उस का भी ख्याल किया जायगा और पाँचवीं बात यह है कि जैसी कि लोगों की शिकायत थी, इस भवन में और कौंसिल में भी कि अपीलेट अथारिटी बिल्कुल सेल्स टैक्स कमिश्नर से आजाद होनी चाहिये, इस बात को इस संशोधक बिल में स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही यह भी कि रिवाइजिंग अथारिटी बिल्कुल अलग होगी और उसमें जो लोग रखे जायँगे वह इस किस्म के लोग होंगे जो कि हाई कोर्ट के जज होने की योग्यता रखते हैं, जैसे ५ साल के सब जज या सेशंस जज वगैरा। छठी बात यह की गई है कि कोई ऐसा व्यापारी जो टैक्स वसूल कर लेता है चाहे

[माननीय अर्थ सचिव]

उसकी बिक्री १२ हज़ार या उससे कम हो तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराये टैक्स नहीं लिया जा सकता और अगर वह वसूल करेगा और जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं लेना चाहिये उन पर लेगा या ज्यादा दर लगायेगा तो उस पर मुक़दमा चलेगा और जो रुपया वसूल करेगा उसे सरकार ले लेगी और साथ ही यह भी कि व्यापारियों को यह अख़्तियार दिया गया है कि वह चाहे तो अपने पिछले हिसाब पर दर मुक़र्रिर करे वरना इस साल जो उसका व्यापार हो रहा है उस पर टैक्स लगाये। यही इसकी ख़ास-ख़ास बातें हैं और जैसा कि मैं अभी आपसे कह चुका हूँ कि जो जनता में और ख़ास तौर पर व्यापारियों में और कंज़्यूमर्स में शिकायतें इस बिल के बारे में सरकार को मालूम हुईं या उनके आवेदन द्वारा भी मालूम हुई हैं उन्हें दूर करने के लिये यह संशोधक बिल पेश किया जा रहा है और सरकार को अख़्तियार दिये जा रहे हैं। मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि जिन लोगों की कंज़्यूमर्स और व्यापारियों की तकलीफ़ दूर करने के लिये यह संशोधक बिल पेश किया जा रहा है उन्होंने यह इत्मीनान दिलाया है कि इसके पास हो जाने पर उनकी शिक़ायतें दूर हो जायँगी और वह इस संशोधक बिल को स्वीकार कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से उन लोगों ने इस बिल को स्वीकार किया है उसी तरह से यह भवन भी उसे स्वीकार करेगा और जल्द ही स्वीकार कर लेगा।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—मुझे यह एतराज करना है कि यह बिल आज ही हमारी मेज पर रखा गया। ७ दिन का नोटिस नहीं मिला है और यह भी दूसरे बिलों की तरह हमारे सामने ठूंसा जा रहा है। यह भी १२ घंटे के लिये सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ था और जल्दबाजी में पास किया जा रहा है। लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि इस का कंसीडरेशन (ग़ौर) आज की तारीख में नहीं हो सकता।

माननीय प्रधान सचिव—इसरार अहमद साहब ने जब अपनी तक़रीर में रिफ्यूजीज़ के लैंड एक्वीजीशन बिल (भूमि-प्राप्त ऐक्ट) पर उत्तर दिया था तो यह कहा था कि इस बिल में अब गवर्नमेन्ट ने वह सब तरमीमें की हैं जो कि हम चाहते थे उस वक्त जबकि सेल्स ऐक्ट पहले पेश हुआ था। लिहाज़ा उनको तो इस्तक़बाल करना चाहिये था और कोई शिकायत का मौक़ा उनको नहीं था। जब इस बिल में वही तरमीमें गवर्नमेन्ट ने की हैं जो कि वह पहले चाहते थे कि की जायें तो फिर कोई वजह नहीं मालूम होती कि वे इसका खैरमकदम करने के बदले क्यों इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी तो इस बिल पर जनरल डिस्कशन (साधारण वाद-विवाद) हो रहा है। इसका आज खत्म होना भी मुश्किल है। मेरी समझ में जनरल डिस्कशन तो

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आज चले। और डिप्टी स्पीकर महोदय आपने दर असल यह पहले ही फर्माया था कि लोगों को इस पर ग़ौर करने का वक़्त बहुत कम मिला और इसलिये यह बिल परसों के लिये लिया जाय। मैं जैसा जनाब हिदायत देंगे वह करूँगा। लेकिन मैं चाहता था कि जनरल डिस्कशन इस वक्त किया जाय। इसहाक साहब ने यह भी कहा था कि इसको इस वक्त मुल्तवी कर दिया जाय और नेक्स्ट आइटम (दूसरी मद) ले लिया जाय।

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—नेक्स्ट आइटम जिसका नोटिस है?

माननीय प्रधान सचिव—नेक्स्ट आइटम से मतलब अपका नेक्स्ट बिल से होगा?

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ—यू आर ओल्ड पार्लियामेन्टरियन। (आप सभाकार्य में अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं।)

माननीय प्रधान सचिव—ओल्ड पार्लियामेन्टरियन (पुराना सभा चतुर) और नया पार्लियामेन्टरियन (नवीन सभा चतुर) यह तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नया पार्लियामेन्टरियन कहलाने के बाद भी चीज सही तरीके पर ली जाये तो मुझे नया पार्लियामेन्टरियन कहलाने से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट आइटम लेना चाहते हैं तो इस पर जेनरल डिस्कशन होने दिया जाय।

डिप्टी स्पीकर—मैं यह जानना चाहता हूँ कि अलावा इस बिल के जो कि एजेन्डा में दर्ज है और कोई काम गवर्नमेन्ट के पास है या नहीं?

माननीय प्रधान सचिव—एक बिल शायद और है।

श्री फखरुल इस्लाम—कौन बिल है?

माननीय प्रधान सचिव—शायद रुरल डेवलेपमेंट बिल होगा।

डिप्टी स्पीकर—मैं समझता हूँ कि आज यह बिल मेज़ पर रखा गया है, इसलिये मेम्बरान को इस पर तरमीमें पेश करने का मौक़ा नहीं मिला और न वे इसे अच्छी तरह से पढ़ ही सके। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पास इतना काम नहीं है और यह मुमकिन नहीं है कि यह असेम्ली की बैठक सात दिनों तक जारी रहे इस लिए मैं इस बिल को परसों के लिये मुल्तवी करता हूँ। दूसरा बिल लिया जायगा और उस पर विचार जारी रहेगा और परसों यह बिल लिया जायगा। इस बिल को इस वास्ते मैं परसों तक के लिये मुल्तवी करता हूँ।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ग्राम-सुधार (भूमि-अपेक्षित) बिल

माननीय उद्योग सचिव—मैं संयुक्त प्रान्तीय ग्राम-सुधार (भूमि-अपेक्षित) बिल, सन् १९४८ ई० को उपस्थित करता हूँ।

(कुछ ठहर कर)

श्री केशवदेव मालवीय—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय ग्राम-सुधार (भूमि-अपेक्षित) बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—इस को भी मैं परसों के लिये मुल्तवी करता हूँ और कल शाम के ५ बजे तक जो तरमीम आ जायगी वह वक्त के अन्दर समझी जायगी।

अब इस कार्यक्रम में कोई काम बाकी नहीं है। इसलिये अब हम उठते हैं।

इसके बाद भवन ३ बजकर ५८ मिनट पर मंगलवार, ४ मई, १९४८, को ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ,
३ मई, १९४८

कैलास चन्द्र भटनागर,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

नत्थी 'क'

नक़्शा जिसका हवाला १ मई, सन् १९४८ ई०, के तारक प्रश्न सं० १०८ के उत्तर में दिया गया है।

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

नक़्शा जिसका प्रश्न संख्या १०८ के उत्तर में उल्लेख है।

		वह क्षेत्र जिनमें इमारतें बनाई गई हैं। एकड़	वह क्षेत्र जिनमें सड़कें बनाई गई हैं। एकड़
१.	बबीना कैम्प फील्ड फायरिंग रेंज	५२. ३०	३२. ६०
२.	मिलिटरी पिग फार्म	५. ००	१. ००
३.	ललितपुर हवाई अड्डा	२. ९२	७१. ५७

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, ४ मई, १९४८

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५४)

अजित प्रताप सिंह,
अब्दुलग़नी अन्सारी
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुलमजीद ख्वाजा
अब्दुल हकीम
अब्दुल हमीद
असग़र अली खाँ
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ऐजाजरसूल,
करीमुर्रजा खाँ
कालीचरण टन्डन
किशनचन्द्र पुरी
कुञ्जविहारीलाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द
केशव गुप्त
केशव देव मालवीय, माननीय श्री
खान चन्द गौतम
खान मुहम्मद रज़ा खाँ
ख़ुश वक्त राय
ख़ूबसिंह
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण, सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
गंगाधर
गंगाप्रसाद
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद
जगन्नाथ बख़्श सिंह
जमालुद्दीन अब्दुलवहाब

ज़ाहिद हसन
ज़हूर अहमद
ज़ाकिर अली
जौपाल सिंह
जौराम
त्रिलोकी सिंह
दयाल दास, भगत
दाऊ दयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नरायण वर्मा
धर्म दास, एलफ्रेड
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्राग नारायण
प्रेम किशन खन्ना
फ़ख़रुल इस्लाम
फ़ज़लुर्रहमान ख़ाँ
फ़तेह सिंह राणा
फ़ैन्थम, आर्चिवल्ड जेम्स
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
फ़ैयाज़ अली
बन्श गोपाल
बन्शी धर मिश्र
बनारसी दास
बल्देव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बाबू राम वर्मा
विजयानन्द
बीरबल सिंह
बीरेन्द्र शाह
भगवान दीन
भगवान दीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह
मंगला प्रसाद
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली ख़ाँ
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल
मुकर्जी, विनय कुमार
मुनफ़ैयत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद)
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद याक़ूब
मुहम्मद युसुफ़
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञ नारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवीर सहाय
राज कुमार सिंह
राजा राम मिश्र
राजा राम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधे श्याम शर्मा
राम कुमार शास्त्री
राम चन्द्र सेहरा
रामजी सहाय
राम धर मिश्र
राम धारी पांडे
राम मूर्ति
राम शंकरलाल
राम शरण

राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिन्हा
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीला धर अष्ठाना
लुत्फ़ अली ख़ाँ
लोटन राम
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विष्णु शरण दुबलिश
वेंकटेश नारायण तिवारी
शिव कुमार पांडे
शंकर दत्त शर्मा
शिव दयाल उपाध्याय
शिव दान सिंह
शिव मंगल सिंह
शिव मंगल सिंह सरदार
शौकत अली ख़ाँ, मुहम्मद
श्याम सुन्दर शुक्ल

श्रीचन्द्र सिंहल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद ख़ाँ
साजिद हुसैन
सालिग्राम जायसवाल
सीता राम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान ख़ाँ
हर प्रसाद सत्यप्रेमी
हर प्रसाद सिंह
हरिहर नाथ शास्त्री
हसरत मुहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

माननीय अर्थ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे।

मंगलवार, ४ मई, सन् १९४८

प्रश्नोत्तर

[सोमवार, ३ मई, सन् १९४८ ई० के शेष प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड एवं हिन्दू सभा के आदमियों की गिरफ्तारी

*६८—**श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रांत के अलग-अलग जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम स्वयं सेवक तथा हिन्दू सभा के कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ? क्या इनके पास हथियार भी मिले हैं ? क्या इनमें कुछ जमींदार भी शामिल हैं ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर शास्त्री)—मालूम हुआ है कि विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड और खाकसार संस्थाओं के क्रमशः ३२५६,८२३ और १५६ सदस्य बन्दी बनाये गये । हिन्दू महासभा के कुछ कार्यकर्ता अपने साम्प्रदायिक कार्यों अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध रखने के कारण पकड़े गये, परन्तु उनकी संख्या इनी गिनी ही है ।

(२) हाँ कुछ ऐसे उदाहरण हैं ।

(३) हाँ

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५१ पर)

श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से कुछ लोगों को घर पर रहने का वचन देने पर छोड़ दिया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ ।

श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय—क्या गवर्नमेंएट कृपा करके बतायेगी कि उनकी जीविका के लिए और दवा वगैरह का कुछ प्रबन्ध गवर्नमेंएट ने किया ?

माननीय पुलिस सचिव—शायद वह बन्द ही न रहें ते. इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवान दीन मिश्र—क्या गवर्नमेंएट कृपा करके बतायेगी कि वह लोग जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड या हिन्दू महासभा

के सदस्य होने के कारण गिरफ्तार हो चुके थे उनके पास अब भी लाइसेंसेज मौजूद हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—आमतौर पर तो गवर्नमेण्ट ने यही किया है कि उन लोगों के पास लाइसेंस न रहें। अगर कोई विशेष केस ऐसा हो जिस में इस पर अमल न किया गया हो तो उसका कोई विशेष कारण होगा।

यूनानी कालेजों को सरकारी सहायता

*६६—**श्री जयराम वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि लखनऊ के किन किन यूनानी कालेजों को सरकारी सहायता मिलती है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)-सरकारी सहायता केवल स्टेट् एडेड् यूनानी कालेज को मिलती है, किन्तु तकमीलुत्तिब व मंबाउल्तिब कालेजों को बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन द्वारा सहायता दी जाती है।

श्री जयराम वर्मा—क्या यह सही नहीं है कि यूनानी कालेजों में छात्रों की संख्या बहुत कम है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—जी हाँ, यह बात सही है कि काफी तादाद में संख्या नहीं है ?

श्री भगवानदीन मिश्र—सरकारी सहायता प्राप्त यूनानी कालेजों पर सालाना खर्च कितना है और उसमें कितनी सरकारी सहायता है ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव-स्टेट एडेड यूनानी कालेजों में करीब २७,००० का खर्चा है और सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता मिलती है क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है।

पिछड़ी हुई जातियों के उम्मीदवारों की डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट के पद पर नियुक्ति

*७०-**श्री जय राम वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि—

[क] पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिंटेण्डेण्ट के पद के लिए इस साल [सन् १९४७-४८ ई० में] कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

[ख] उनमें से कितने चुने गये ?

[ग] उनमें से पिछड़ी हुई जातियों के कितने उम्मेदवार थे ?

[घ] पिछड़ी हुई जातियों में से कोई चुना गया कि नहीं ?

[ङ] यदि हाँ, तो कितने और कौन कौन ?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविंद वल्लभ पंत)—

[क] लगभग २५००

[ख] २६

[ग] सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ है।

[घ] सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ है।

[ङ] यह सवाल पैदा नहीं होता है

श्री जयराम वर्मा—क्या सरकार ने ऐसी कोई नीति बना ली है कि नौकरी के मामले में पिछड़ी हुई जातियों को कोई खास सुविधा न दी जाय?

माननीय प्रधान सचिव—सरकार की जो नीति नौकरी के मामले में है वह कई दफा इस भवन में घोषित की जा चुकी है।

*७१–७२—**श्री चंद्रिकालाल**—[त्याग पत्र दे दिया।]

*७३–७७—**श्री रघुवीर सहाय**—[स्थगित किये गये।]

*७८—**श्री कालीचरण टंडन**—[स्थगित किया गया।]

*७९–८१—**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—[स्थगित किये गये।]

*८२–८७—**श्री जमालुद्दीन अब्दुलवहाब**—[स्थगित किये गये।]

*८८–८९—**श्री अजितप्रसाद जैन**—[त्याग पत्र दे दिया।]

बनस्पति घी के हानिकारक होने का प्रमाण

*९०—**श्री अचलसिंह** (अनुपस्थित)—क्या इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई अन्तिम प्रमाण है कि जन स्वास्थ्य के लिए बनस्पति घी हानिकारक है? यदि ऐसा है तो वह प्रमाण क्या है?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—अभी ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। भारत सरकार बनस्पति के खाद्य गुण (फूड वेल्यु) के बारे में और अधिक जाँच पड़ताल आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ़ हाईजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ कलकत्ता, हापकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई और नुट्रीशन रिसर्च लेबोरैटरीज, कुनुर में करा रही हैं।

ऊपर बताये हुए केन्द्रों में जो जाँच पड़ताल की जा रही है उसके अन्तिम नतीजे १९४८ ई० तक मालूम होने जाने की उम्मीद है। सवाल का दूसरा भाग पैदा नहीं होता।

*९१—**श्री अचल सिंह** (अनुपस्थित)—क्या वैटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्ज़तनगर, बरेली में या प्रान्त में कहीं और इस सम्बन्ध में कोई रिसर्च (खोज) की गई है? यदि कोई रिसर्च (खोज) हुई है तो उसका क्या परिणाम हुआ?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—जी हाँ। वैटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्ज़तनगर में जाँच पड़ताल करते समय जो बातें मालूम हुईं वे थोड़े में नीचे दी जाती हैं।

१–अच्छे भोजन में अर्थात् ऐसे भोजन में जिसमें अच्छे किस्म का प्रोटीन विटेमिन और खनिज पदार्थ [मिनरल्स] काफी मात्रा में हो बनस्पति मिलाना हानिकारक नहीं होता।

२–पर जब बनस्पति ऐसे भोजन में मिलाया जाता है जिसमें विटेमिन और खनिज पदार्थ या तो कम मात्रा में हो या ठीक मात्रा के लगभग ही हो तो उस बनस्पति से विटेमिन और खनिज पदार्थ की कमी के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं।

बनस्पति को गरम करने से इसका हानिकारक प्रभाव और भी बढ़ जाता है।

※९२—**श्री अचल सिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि संयुक्त प्रांत की सरकार निकट भविष्य में बनस्पति-उद्योग को बढ़ाने की आज्ञा देनेवाली है? अगर यह सच है तो क्या सरकार कृपा करके इसके कारण बतलायेगी? अ० स० *२५ ता० २०-३-४८

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—सरकार ऐसी किसी बात पर इस समय विचार नहीं कर रही है। सवाल का दूसरा भाग उठता ही नहीं।

[मंगलवार, ४ मई, सन् १९४८ ई० के लिए रक्खे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

※१–६—**श्री गजाधर प्रसाद**— [त्यागपत्र दे दिया।]

ज़िला बुलन्द शहर में लड़ाई के फण्डों में वसूलयाबी

※७—**श्री बनारसीदास**—(क) क्या सरकार कृपा करके यह सूचना देगी कि जिला बुलन्दशहर में लड़ाई के विभिन्न फ़न्डों में कुल कितना रुपया वसूल हुआ?

(ख) प्रत्येक फ़ण्ड में कितना रुपया जमा हुआ?

(ग) ३१ दिसम्बर, सन् १९४७ ई० तक फण्ड में कितना रुपया खर्च हुआ और कितना बाकी है?

माननीय अर्थ सचिव (श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल)—(क) रु० १४,३३,३९४, आ० १३, पा० ६।

(ख) और (ग) बुलन्दशहर के डिस्ट्रिक्ट अफसर ने निम्नलिखित अंकों के बारे में रिपोर्ट दी है जिनका संबन्ध उस धन राशि से है जो युद्ध काल में एकत्रित की गई थी तथा ३१ दिसंबर १९४७ ई० तक का व्यय तथा उस तारीख तक का बैलैंस [बचत] जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त था।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५३ पर)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो हिसाब पढ़ा गया है किसी सरकारी निरीक्षक द्वारा जाँच की हुई है या बिला जाँच के ही यह हिसाब तैयार किया गया है?

माननीय अर्थ सचिव—यह डिस्ट्रिक्ट अफसर ने भेजा है और यही उम्मीद की जाती है कि इसकी जाँच करा ली गई है और अगर मेम्बर साहब चाहें तो उनके नोटिस देने पर इसकी जाँच करा ली जायगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—सरकार इस हिसाब की जाँच कब तक करा लेने का इरादा रखती है ?

माननीय अर्थ सचिव—अभी तो ट्रेजरीज़ से आंकड़े माँगे गये हैं। जिस तरह से बुलन्दशहर से आगये हैं। जब हर जिले के पूरे हो जायेंगे तो उनकी जाँच के बारे में पूछ लिया जायगा और जिनकी जाँच नहीं हुई होगी उनकी करा ली जायगी।

बुलन्दशहर ज़िले में १९४२ के आंदोलन में वसूल किये गये जुर्माने की वापसी

*८—**श्री बनारसी दास**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के समय वसूल किये गये सामूहिक जुर्माने का धन बुलन्दशहर जिले में वापिस कर दिया गया है ?

माननीय पुलिस सचिव—बुलन्दशहर जिले में सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के समय वसूल किया हुआ जुर्माना इस वजह से अभी तक वापिस न किया जा सका कि इस बात की पूछ ताछ हो रही थी कि किस किस गाँव के कौन कौन लोग अपना जुर्माना स्वयं वापस लेना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह सामूहिक जुर्माना उनके गाँव के जन साधारण के लाभ के कार्यों में खर्च किया जाय। जाँच का काम अब खत्म हो गया है।

श्री बनारसी दास—क्या सरकार बतला सकेगी कि यह रुपया कब तक वापस किया जा सकेगा ?

माननीय पुलिस सचिव—यह निश्चय हो गया है कि कितना सार्वजनिक कामों के लिए अलग अलग देना है। मुझे आशा है कि अब यह काम अगले महीने में समाप्त हो जायगा।

ज़िला बुलन्दशहर के राजनीतिक पीड़ितों की, सहायतार्थ सरकार से प्रार्थना

*९—**श्री बनारसी दास**—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर से कितने राजनीतिक पीड़ितों ने सरकार से सहायता की प्रार्थना की है ?

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के प्रार्थियों की एक सूची भवन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ग) सरकार ने इस संबन्ध में क्या किया है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) ६।

(ख) प्रार्थियों की सूची निम्नलिखित है :—

१–श्री गोस्वामी अनगंगार

२–श्री बशीर भाई

३–श्री भीखम लाल

४–श्री सेवा लाल

५–श्री सुखराम सिंह

६–श्री हीरा सिंह

(ग) इनके सम्बन्ध में जाँच की जा रही है और जल्दी से जल्दी इन दरख्वास्तों को निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*१०—११—**श्री बनारसीदास**—[स्थगित किये गये।]

*१२—३१—**श्री ईश्वरशरण**—[त्यागपत्र दे दिया।]

*३२—९२—**श्री महमूदअली ख़ाँ**—[स्थगित किये गये।]

हरिद्वार के स्टेशन के निकट ट्रेन पर आक्रमण

*९३—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या यह वाक्या है कि १९ अक्तूबर, सन् १९४७ ई० को २ बजे दिन के जो ट्रेन देहरादून से सहारनपुर की तरफ़ रवाना हुई, उसमें दो डिब्बों में मुसलमान मुसाफ़िर बैठे हुये थे और उनकी हिफ़ाज़त के लिये कुछ सिपाही बराबर के दर्जे में बिठाये गये थे?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

*९४—**श्री महमूद अली ख़ाँ**—क्या यह वाक्या है कि जब शाम को ट्रेन हरिद्वार के स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ की पुलिस ने जिनके साथ एक मजमा भी था इन मुसाफ़िरों की तलाशियाँ लीं?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को सूचना मिली है कि हरद्वार की पुलिस ने मुसलमान मुसाफिरों की तलाशी ली परन्तु उसके साथ कोई मजमा नहीं था।

*९५—**श्री महमूदअलीख़ाँ**—क्या यह वाक्या है कि ट्रेन हरिद्वार स्टेशन से चला कर फिर सिगनल पर रोक ली गई और यहाँ एक मजमे ने इन डिब्बों पर हमला कर दिया? क्या सरकार बतायेगी कि इस हमले का क्या परिणाम हुआ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। चार मुसलमान मरे और १५ घायल हुये। रेलवे पुलिस ने जो गाड़ी के साथ चल रही थी आक्रमणकारियों पर ५९ बार बन्दूकें चलाईं जिसके फलस्वरूप ६ हिन्दू मरे और १ घायल हुआ। इसके अतिरिक्त और घायल व्यक्ति अंधेरे में भाग चुके थे।

*९६—**श्री महमूदअलीख़ाँ**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि इस हादसे के सिलसिले में क्या कार्रवाई की गयी या की जा रही है?

माननीय पुलिस सचिव—एक केस भारतीय दंड विधान की ३०२ धारा के अधीन चलाया गया था परन्तु किसी का कोई टोह न मिलने तथा दूसरी बातों का पता न चलने के कारण कोई कारवाई न की जा सकी।

*९९—१००—**श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी**—[स्थगित किये गये।]

सन् १९४८ ई० के सार्वजनिक शान्ति रखने के (दूसरे संशोधन) बिल पर शुभ मूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषित करता हूँ कि संयुक्त प्रान्त के सार्वजनिक शान्ति रखने के (दूसरे संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १५ मार्च, सन् १९४८ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभ मूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति ६ अप्रैल सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का १८ वाँ एक्ट बन गया है।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों के रोकने के (संशोधन) बिल पर शुभ मूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषित करता हूँ कि संयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों के रोकने के (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १५ मार्च, सन् १९४८ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभ मूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति ६ अप्रैल सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का १९ वाँ ऐक्ट बन गया है।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय शक्कर के कारखानों के नियंत्रण (संशोधन) बिल पर शुभ मूर्ति गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर—मैं घोषित करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय शक्कर के कारखानों के नियंत्रक (संशोधक) बिल, सन् १९४८ ई० पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २३ मार्च सन् १९४८ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी ३० मार्च, सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभ मूर्ति गवर्नर की स्वीकृति ४ अप्रैल सन् १९४८ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का २०वाँ ऐक्ट बन गया है।

कुछ स्थाई समितियों की सदस्यता से श्री फ़ख़रुल इस्लाम का त्यागपत्र

माननीय स्पीकर—मुझे इस भवन को सूचित करना है कि श्री फ़ख़रुल इस्लाम ने नीचे दी हुई समितियों से त्यागपत्र दिया है :

सामान्य शासन, सार्वजनिक निर्माण, बन, न्याय व विधान, जेल, चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वशासन, सूचना रसद तथा उद्योग धन्धे।

उनके त्यागपत्र से इन कमेटियों में उनका स्थान रिक्त है। मैं तुरन्त माँगता हूँ कि जिसको प्रस्ताव करना है वह तुरन्त उनके स्थान को भरने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

माननीय पुलिस सचिव—स्पीकर महोदय, मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह स्थान अभी रिक्त रखे जांय और पुनः इन पर अभी चुनाव न किया जाय और दूसरी कमेटियों के चुनाव भी अभी रह गये हैं, इस ख्याल से अभी यह स्थान खाली रखे गये थे कि अभी कई चुनाव होने वाले हैं और यह जारूरी था कि हर कमेटी में कोई न कोई सदस्य असेम्बली का जरूर जाय। हाल में जो नया चुनाव होने वाला है और यह कि जिन नए स्थानों की उनसे पूर्ति होगी इसीलिये यह जगहें खाली रखी गई थीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि यह भी अभी खाली रखी जाँय तो अच्छा है और आशा है कि हाउस के सब सदस्य इससे सहमत होंगे।

माननीय स्पीकर—माननीय पुलिस मंत्री ने कहा कि और कमेटियों मे भी स्थान रिक्त हैं। यह मुझको नहीं मालूम। मैंने तो यह समझा था कि सब स्थान भर दिये गये हैं क्योंकि इस भवन ने मुझे अधिकार दिया था कि मैं सब स्थान भर दूँ। जहाँ तक मुझे ख्याल है किसी कमेटी में कोई स्थान रिक्त नहीं हैं, अगर गवर्नमेंट के पास कोई इस्तीफा पहुंचा हो तो दूसरी बात हैं मेरे पास तो कोई इस्तीफ़ा नहीं आया है। मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं चुनाव करा दूँ। इसी अधिकार से मैंने यह कहा कि यह जगहें भरनी चाहिए। यह दस कमेटियाँ हैं जिनमें श्री फख़रुल इस्लाम के इस्तीफे से एक-एक स्थान रिक्त हो गया है। अगर हाउस चाहता है कि यह स्थान रिक्त रहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें यह होगा कि बाक़ी कमेटी काम करेगी और एक स्थान रिक्त पड़ा रहेगा। क्या इस भवन की यह राय है कि यह स्थान भरे न जायँ ?

(भवन की अनुमति से माननीय स्पीकर ने यह चुनाव स्थगित कर दिये।)

सहकारी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति और चुने हुये सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय स्पीकर—सदस्यों को याद होगा कि पहली तारीख को सहकारी समिति के तीन रिक्त स्थानों के लिये आठ नाम प्रस्तावित हुए थे।

[माननीय स्पीकर]
और मैंने उसी दिन चार बजे तक का समय दिया था कि अपने अपने नाम जिनको वापस करने हैं कर लें। इनमें से बहुत सदस्यों ने अपने नाम वापस कर लिए। वापस करने के बाद तीन नाम रहे अर्थात् श्री मुहम्मद नजीर, श्री मिजाजी लाल और श्रीमती प्रकाशवती सूद। मैं घोषित करता हूँ कि यह तीन उन तीनों स्थानों के लिए चुने गये।

संयुक्त प्रान्त के म्युनिसिपैलिटियों के (संशोधन) बिल की विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने के समय में वृद्धि

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—माननीय स्पीकर महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ "कि यतः संयुक्त प्रान्त के म्युनिसिपैलिटियों के (संशोधन) बिल पर विशिष्ट समिति की रिपोर्ट जो असेम्बली के ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० के निर्णय के अनुसार ३१ मई, सन् १९४८ ई० को असेम्बली में उपस्थित होनी चाहिए थी उसकी ३१ मई, सन् १९४८ ई० तक तैयार होने की सम्भावना नही है इसलिए असेम्बली विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने की तारीख १५ जूलाई, सन् १९४८ ई० तक बढ़ाती है"।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि "यतः संयुक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के (संशोधन) बिल पर विशिष्ट समिति की रिपोर्ट जो असेम्बली के ३१ मार्च, सन् १९४८ ई० के निर्णय के अनुसार ३१ मई, सन् १९४८ ई० को असेम्बली में उपस्थित होनी चाहिये थी उसकी ३१ मई, सन् १९४८ ई० तक तैयार होने की सम्भावना नहीं है इसलिए असेम्बली विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने की तारीख १५ जुलाई, सन् १९४८ ई० तक बढ़ाती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने) का बिल

माननीय स्पीकर—अब सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने) के बिल पर जैसा कि वह विशिष्ट समिति से संशोधित हुआ है, विचार जारी होगा।

मेरे पास कुछ सुधार श्री मुहम्मद असरार अहमद और श्री अब्दुल बाकी के दस्तखतों से आज आये हैं। यह समय से बाहर आये हैं, क्या वे कोई कारण बतायेंगे कि मैं उन पर क्यों विचार करूँ ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाबवाला, मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि कल डिप्टी स्पीकर साहब ने गवर्नमेंन्ट की मंजूरी से यह इजाज़त दी थी कि कल हम इस बिल के जो भी अमेंडमेंट (संशोधन) देंगे, उन पर गौर किया जायगा और सिर्फ इसी वजह से यह बिल आज रखा गया है और

बकीया बिल कल के लिये छोड़ रखे गये हैं। और इसके अलावा हमको कोई वक्त भी इससे पहले नहीं मिला जब हम अपने अमेंडमेंट दे सकते।

माननीय स्पीकर—डिप्टी स्पीकर साहब ने वादा किया था कि आज आपके अमेंडमेंट लेंगे और उनके बारे में जो कायदा है, उसको न बरतेंगे ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जी हाँ, और गवर्नमेंट ने भी मंजूर किया था।

माननीय प्रधान सचिव—यह बात कुछ हद तक सही है। मगर जिस वक्त यह बात कही थी, मैं तो यह समझ रहा था कि उसी वक्त कन्सीडरेशन (विचार) होगा और जो चाहेंगे अपना अमेंडमेंट करते जायेंगे। मगर अब भी कोई करना चाहें तो मुझे कोई उज्र नहीं है। जो चाहें अमेंडमेंड दे दें।

धारा २

२—इस एक्ट में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो।

परिभाषायें—

(१) "मुआवज़ा अफ़सर" का अर्थ उस मुआवज़ा अफ़सर से है जिसे प्रान्तीय सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया हो।

(२) "ज़िला न्यायालय" (District Court) का अर्थ प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र का प्रधान दीवानी न्यायालय है और इसमें ऐसा सिविल जज भी सम्मिलित है जिसको उस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो।

(३) "भूमि" में भूमि से प्राप्त होनेवाले लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुयें या ऐसी वस्तुयें, जो भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई रूप से सम्बद्ध हों, सम्मिलित हैं।

(४) "हित रखने वाले व्यक्ति" (पर्सन इन्टरेस्टेड) का वही अर्थ है जो अर्थ उसका भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट, १८९४ ई० (Land Acquisition Act, 1894) की धारा ३ में किया गया है।

(५) "निर्धारित" का अर्थ इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित है।

(६) "प्रान्तीय सरकार" का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय सरकार है।

(७) "शरणार्थी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको उन प्रदेशों से हटना पड़ा हो जो इस समय पाकिस्तान के भाग हैं और जो इस समय संयुक्तप्रान्त में रहता हो, और जिसकी रजिस्ट्री यूनाइटेड प्राविन्सेज़ रिफ़्यूजीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९४८ ई० (United Provinces Refugees Registration Act, 1948) की धारा ४ के अनुसार ३१ मार्च, १९४८ ई० से पहले हो चुकी हो।

(८) "निर्माणकर्त्ता" से तात्पर्य कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट, १९१२ ई० (Co-operative Socities Act, 1912) के आधीन रजिस्ट्री की हुई समिति तथा स्थानीय अधिकारों local authority से है और इसमें ऐसे

अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जिसे प्रान्तीय सरकार इस निमित्त गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित कर दे।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं तहरीक करता हूँ कि दफा २ नं० (१) की सतर तीन में लफ्ज "किया हो" के बाद नीचे लिखे हुए लफ्ज बढ़ा दिये जायँ, यानी:—

"यह मुआविजा अफसर मुन्सिफ के दर्जे से कम का न होगा"।

जनाबवाला, इस तरमीम का मकसद यह है कि आज कल के जमाने में जो गड़बड़ फैली हुई है उस सही तरीके से न्याय नहीं हो रहा है और यहाँ पर बहुत से अफराद की जमीन का इससे ताल्लुक होगा। तो मैं यह चाहता हूँ कि उनको सही तरीके से मुआविजा मिल सके। लिहाजा यह जरूरी समझता हूँ कि इस मुआविजा अफसर का ओहदा वह होना चाहिये जो मुन्सिफ का हो ताकि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को अपीलों की मुसीबत में न पड़ना पड़े और शरणार्थियों को बसाने में हमें और भी इमदाद हासिल हो सके। अगर उनके अलावा कोई और अफसर मुक़र्रर किया जायगा तो मालूम नहीं किस तरह से न्याय करे, मुआविजा दे और मुख्तलिफ सूरतें इसमें पैदा हो सकती हैं। मुन्सिफ जो होगा वह न एग्जीक्यूटिव के असरात लेगा और न किसी और लोगों के असरात लेगा। ऐसी सूरत में जमीन वालों को जो भी मुआविजा मिलेगा वह सही मिलेगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस मामूली सी तरमीम को, जिसका कि असर बहुत ज्यादा है, मंजूर करने की कोशिश करेगी।

श्री अब्दुल बाकी—सदर मोहतरिम, मैं इस तरमीम की ताईद के लिये खड़ा हुआ हूँ। मामला जमीन का है और मुआवजे का। दोनों चीजें अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। जमीन जिसकी होगी उसके लिये जमीन की अहमियत ज्यादा है और उसी लिहाज से मुआवजे की अहमियत जरूरी है। इस लिये इन दो अहम चीजों को तय करने के लिये निहायत जरूरी है कि कोई ऐसा आफिसर मुतय्यन किया जाय, मामूर किया जाय, जो फ़ैसला बेहतर से बेहतर कर सके। जहाँ तक कि तजुर्बात का ताल्लुक है, इस सिलसिले में ज्यूडीशियरी को ज्यादा ग़ैर जानिबदार की शोहरत हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि इन अहम चीजों के तय करने के लिये हमें मुआवजे अफसर के तक़र्रुर और इन्तखाब करने में, बहुत एहतियात से काम करना है और अगर हम यह एहतियात नहीं बरतेंगे तो जहाँ हम एक सहूलियत शरणार्थियों को, पनाहगजी के लिये पैदा कर रहे हैं और जहाँ हम मुआवजा दे रहे हैं उनमें मजीद दिक्कतों की

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

(श्री अब्दुल बाक़ी)

गुन्जायश पैदा हो जायगी। इसलिये यह तरमीम अपनी जगह पर निहायत मुनासिब मालूम होती है कि जहाँ मुआविजा अफसर मुन्तखिब किया जाय वह कम से कम ऐसी हैसियत रखता हो जो कि एक मुन्सिफ की हैसियत हो और वह क़ानून के हर पहलू को अच्छी तरह समझ सके और वह फ़ैसला देने में किसी जानिब झुक न सके। यह चीज़, जहाँ तक कि वाक़यात का ताल्लुक है, मुन्सिफ से ज्यादा या इस ओहदे के बराबर जो ओहदा होता है इससे बेहतर और दूसरी साइड (तरफ) से अंजाम नहीं पा सकती। इसलिये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस मुनासिब तरमीम को दफा २ के अन्दर मंजूर कर लेगी।

माननीय प्रधान सचिव—यह कम्पन्सेशन आफिसर का काम ऐसा है कि उसको सब बातों की वाकफियत होनी चाहिये और मुकाम में जाकर देखने की गुंजायश होनी चाहिये और पूरा तजुर्बा उसको इन बातों का कि मारकेट वेल्यू (बाजार-भाव) क्या है, किस तरीके की और चीजें हैं इन सब बातों का पूरा ख्याल करने का मौका मिलना चाहिये। इस बिल में यह रखा है कि जहाँ कम्पन्सेशन आफिसर के अवार्ड से जिस पार्टी की जमीन ली जाती हो वह नाखुश हो तो रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट जज को किया जा सकता है। तो इस तरह आखिरी फैसला तो डिस्ट्रिक्ट जज का है। ऐसी हालत में कोई वजह मालूम नहीं होती कि मुंसिफ होने से क्या फायदा होगा और वह किस बुनियाद पर कम्पन्सेशन आफिसर का काम करेगा। मगर इसमें कोई मुमानियत मुंसिफ के लिये भी नहीं है। अगर तजुर्बे से यह मालूम हो कि मुंसिफ इस काम को अच्छा कर सकता है तो उसको भी कम्पन्सेशन अफसर मुकर्रर किया जा सकता है। मगर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट को बने हुए अब कोई ६० साल के हो गये और कम्पन्सेशन अफसर और लैंड एक्वीजीशन अफसर हमेशा रखे जाते हैं और वह जमीन को एक्वायर करने का काम करते हैं लड़ाई के जमाने में लाखों एकड़ जमीन एक्वायर (प्राप्त) की गई। उसके अलावा और मौकों पर भी हमेशा कम्पेन्सेशन अफसर एग्जीक्यूटिव आफिसर्स में से रखे गये हैं। कभी कोई मुंसिफ या जुडीशियल अफसर अब तक कम्पन्सेशन अफसर नहीं रखा गया। लिहाजा इस तरह की डेफ़िनीशन (व्याख्या) को रखना जो कि तजुर्बे के और अब तक के रवैये के बिल्कुल खिलाफ है, मैं समझता हूँ मुफीद नहीं होगा। इसलिये मैं असरार अहमद साहेब से यह तजवीज करता हूँ कि वह अपनी तरमीम को वापस ले लें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं इस तकरीर के बाद जो वजीर आजम साहब ने फरमाई है और यह भी फरमाया है कि शायद मुंसिफ भी हो सकें, रूल्स के मातहत या और किसी तरीके से, मैं इस तरमीम को वापस लेता हूँ।

संशोधन, भवन की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं तहरीक करता हूँ कि दफ़ा २ की जिमन ७ की लाईन २ में जहाँ शब्द "भाग है" वहाँ "और के" बीच में नीचे लिखे हुए शब्द जोड़ दिये जाएं।

यानी "या उन जगहों से जो इंडियन डोमीनियन या हिन्दुस्तानी रियासत में हैं" बढ़ा दिये जाँए।

जनाबवाला, यह बहुत जरूरी सवाल है कि हर मुल्क के कायदे हक और ईमान इस बात पर होते हैं और सब से पहला फर्ज उस पर यह आयद होता है कि वह अपने मुल्क के नेशनल्स की इमदाद करे। दूसरे मुल्क में अगर नेशनल्स पर जुल्म हो तो अगर अपने यहाँ जगह दे सकते हों, इम्दाद कर सकते हों तो इंसानियत का तकाजा है कि उनकी मदद करे। हम इंडियन डोमीनियन में रहते हुए यह देखते हैं कि इस इंडियन डोमीनियन के हुदूदी इलाकों में जिनकी हद पाकिस्तान से मिली हुई है वहाँ के बहुत से लोग पाकिस्तान के लोगों की ज्यादती की वजह से सरहद पर रहने से कासिर हैं जहाँ कि वह बहुत अर्से से रहते आए हैं। इसके अलावा बहुत सी रियासतें इंडियन डोमीनियन में ऐसी हैं जिनमें कि इस देश के लोग रहते थे और जिन्होंने पाकिस्तान जाना पसन्द नहीं किया है और अब भी यहीं रहना चाहते हैं ऐसी सूरत में वह लोग भी जो अपने-अपने घरों से भाग कर इस सूबे में आये हैं उनको भी यहाँ जगह मिलना चाहिये। ऐसी सूरत में इस गवर्नमेंट पर हक और ईमान के नाम पर यह फर्ज आयद होता है कि वह इन नेशनल्स की भी मदद करे जैसे कि वह दूसरे मुल्कों में नेशनल्स की मदद करने के लिये तैयार है।

ऐसी सूरत में रिफ्यूजी का टर्म उन लोगों के लिए भी शामिल कर लिये जावें जो इन्डियन डोमीनियन में रहते हैं, अपने मकानात से भाग कर मारे-मारे फिरते हैं और इस सूबे में आये हैं। उनको यह हक़ हासिल हो कि वह और जगहों पर जहाँ गवर्नमेंट मुनासिब समझे वहाँ वह अपने रहने सहने का इन्तजाम कर सकें। इसलिये मेरी इच्छा है कि इसमें यह अल्फाज बढ़ा दिये जावें कि इन्डियन डोमीनियन और उस की रियासतों में रहने वाले लोग जो इस सूबे में आए हुए हैं और जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान के डर या खौफ की वजह से उनकी ज्यादतियों की वजह से सरहदी इलाकों के लोग इस सूबे में चले आए हैं उन को भी यह हकूक जो हमें मिल रहे हैं हासिल होना चाहिये। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ जब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तब हमें अपनी कौम के लिए करना तो उनसे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं मालूम होती, कोई दलील मेरी समझ में नहीं आती कि किसी भी सूरत में हम उनको जो हमारे साथ रहते रहे हैं, हमारी हर तरह से इमदाद करते रहे हैं या जो यहाँ पर लड़ते भी रहे हैं उन को भी हम इसमें शामिल

न करें और उन लोगों को जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं और जिन में से बहुत से करोड़पति हैं उन के लिए तो हम इमदाद पहुँचाये लेकिन यहाँ वालों के लिए जिनके पास कपड़ा नहीं है, न रोटी है और न रहने की जगह है उनको इस बिल से अलहदा रक्खें। ऐसी सूरत में मैं यह मुनासिब समझता हूँ कि इसमें उन लोगों को भी शामिल कर दिया जावे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेरी इस तरमीम को इंसानियत के नाम पर जरूर मंजूर करने की कोशिश करेगी।

श्री अब्दुल बाकी—सदर मोहतरिम, इस बिल का मन्शा यह है कि जो लोग अपनी करतूत की वजह से नहीं बल्कि दूसरों के मजालिम, दूसरों की चीरेदस्ती की वजह से अपने घर को छोड़ कर, अपनी जायदाद को छोड़ कर अपने मालोमता को छोड़ कर मजबूरन दूसरी जगह मुन्तिकल होने पर मजबूर किये गये हैं, वह लोग जो अपना वतन छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो गये कि जबरन उन्हें अपना माल व दौलत सब कुछ छोड़ना पड़ा उनकी परेशानहाली को हम रफा करके और उनको बसाने के लिये उनको खुशहाल जिन्दगी बशर करने का इन्तजाम कर सकें। इस बिल से दरहकीकत उन तकलीफों को दूर करने का मकसद है जो मुसीबदजदा लोगों पर वतन छोड़ने की वजह से, माल जाया होने की वजह से, जायदाद निकलने की वजह से पड़ी हैं। ऐसी सूरत में यह अल्फाज कि पाकिस्तान के इलाकों से जो लोग मजबूर होकर इन्डियन डोमीनियन में आगये हैं उन के बसने का इन्तजाम किया जावे कि जब बिल को तरतीब दी गई उस वक्त यह चीज स्ट्राइक नहीं हुई। जहन इस तरह मुन्तिकल नहीं हुआ कि पाकिस्तान से भागने वालों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्डियन डोमीनियन के अन्दर ही रहते थे, अपनी जायदाद और मकानात रखते थे, मगर झगड़े की वजह से, लोगों की चीरेदस्ती की वजह से या मजहबी मुनाफरत की वजह से उन्हें मजबूर हो कर अपना घर माल दौलत, जायदाद सब कुछ खैरबाद करना पड़ा। ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं मालूम होती कि हम इस बिल को उन पनाहगजीनों ही तक क्यों महदूद रखें जो पाकिस्तान से भाग आये हैं और इन्डियन डोमीनियन के अन्दर जो फसादात की वजह से घरों को छोड़ कर दूसरी जगह चले गये हैं और अब तक वह कैम्प की जिन्दगी बसर कर रहे हैं या घूम रहे हैं या आरजी तौर पर कहीं ठहरे हुए हैं उनके बसने का, उनकी आसाइश का हम इन्तजाम न करें।

मैं समझता हूँ कि दरहकीकत यह सहवन छूट गया है और गलती से छूट गया है और इस तरमीम की वजह से हमको इस बिल की दफा को वसीय करना चाहिये और पनाहगजीनों में यहाँ हम पाकिस्तान से भागे हुओं का इन्तजाम कर रहे हैं हम को इन्तजाम उन वतन से भागे हुओं का भी करना चाहिये जो इन्डियन डोमीनियन के बाशिन्दे हैं मगर हालात

(श्री अब्दुल बाकी)
की वजह से मजबूर हो कर उन्होंने अपना वतन छोड़ा, अपना माल छोड़ा और अब परेशानी की हालत में इन्डियन यूनियन के किसी मकान पर जहां से दर हकीकत, अगर हालात मामूली होते तो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती और मजबूरन वह वहाँ पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत माकूल और निहायत मुनासिब और अच्छी तरकीब है और गवर्नमेंट इस तरमीम को मंजूर कर लेगी और बिल का जो दायरा है उसको और बसीतर कर देगी ताकि यह बिल मुफीद हो उन लोगों के लिये जो इन्डियन यूनियन के शहरी हैं मगर इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं और उनको भी इमदाद की जरूरत है और जिनकी इमदाद करना हमारे और इन्डियन यूनियन के हर फर्दोबशर का फरीजा है और उन के लिए लाजिमी है। इस लिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस मुनासिब तरमीम को गवर्नमेंट जरूर मंजूर फरमा लेगी।

श्रीमती हबीबुल्ला—जनाब स्पीकर साहब, यह एक ऐसी जरूरी तरमीम है जिस पर चन्द अल्फाज कहना मैं जरूरी समझती हूँ। अभी जो तरमीम असरार अहमद साहब ने पेश की है वह निहायत अहम और जरूरी है, इस लिए कि हमको किसी तरह से इस बात से इन्कार नहीं हो सकता है कि आज कल पनाहगजीनों की और उन लोगों की कि जो अपने घर-बार और वतन को छोड़ आए हैं उनकी तरफ से कितनी तकलीफ हम लोगों को महसूस हो रही है, खास कर एक औरत होने की वजह से मेरे दिल पर उन लोगों की तकलीफों का खास असर हैं। हम लोग उनके लिए यों तो कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन जो कुछ इमकान में था उससे हमने दरेग नहीं किया उनके कपड़े सीने, उनको गरमी, सर्दी से बचाने के लिए, जो कुछ भी आराम का सामान मोहइया कर सकते थे उनको बहम पहुँचाने में हमने दरेग नहीं किया। इन्सानियत का तकाजा यही है कि ऐसे लोगों की जो मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इम्दाद की जावे। लेकिन मैं यह नहीं समझती हूँ कि पनाह गजीनों में किसी तरह की तफरीक करना इन्साफ पर मबानी हो सकता है। हर मुसीबतजदा के वास्ते यकसां तकलीफ है और हर एक उस शख्स की जो तकलीफ में मुबतिला है उसकी तकलीफ को दूर करना हर एक इन्सान का जो इन्सानियत का दिल रखता है, फर्ज है। इस लिये कल जो यह कहा गया है कि अभी तो फिलहाल यह इन्तजाम उन लोगों के लिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान से आए हुए हैं पनाहगजीं हैं और उन लोगों का इन्तजाम फिर कभी होगा जो अपने घर के रहने वाले हैं, या रियासतों से आरहे हैं। इससे मुझे सख्त इख्तलाफ है। दुनियाँ का दस्तूर यह है कि पहले इन्सान को अपना घर दुरुस्त करना चाहिये उसके बाद दूसरों का। हमको इस वक्त यह तमीज उठा देनी चाहिये और हर एक इन्सान जो मुसीबत में गिरफ्तार है और जो कि घर बार छोड़ कर आया हुआ है उसके लिए हम को एक ही तरह से अपना हाथ इम्दाद के लिए बढ़ाना चाहिये।

आइन्दा के लिए तो इस चीज़ को उठा न रखना चाहिए इसलिए कि उन गरीबों को थोड़ी इमदाद की जरूरत है। लिहाजा मैं यह समझती हूँ कि इस वक्त जो तरमीम असरार अहमद साहब ने पेश की है वह बहुत जरूरी है और बिला तफरीक इसके कि यह पाकिस्तान से आये हैं या हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं या रियासत के हैं बल्कि सिर्फ यह ख्याल करते हुये कि वे मुसीबतजदा हैं, तकलीफ में गिरफ्तार हैं और बेबस हैं और हर तरह की मुसीबत उठा रहे हैं उन लोगों की मुसीबत को दूर करना हम लोगों का फर्ज है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग इस पर ज़रूर गौर करेंगे।

श्री मुहम्मद शकूर—मोहतरिम सदर, जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है वह काबिले मुबारकबाद है मगर जहाँ तक उनकी हस्ती का सवाल है मुझे थोड़ा सा ताज्जुब है कि उन्होंने इस बात को इतना महदूस कैसे कर दिया क्योंकि मैं उनकी तबियत से वाकिफ हूँ। वे एक साधू और फकीर किस्म के आदमी हैं और आपका विचार निहायत बुलन्द है। इस बिल में जो कुछ अल्फाज़ इस किस्म के रखे गये हैं जिस पर हमारे भाई साहब ने तरमीम पेश की है गालिबन किसी गलती की वजह से ही छूट गये हैं। इस तरह से महदूद करके हमदर्दी के सवाल में इमतियाज़ पैदा हो यह चीज अच्छी सी मालूम नहीं होती और इसी बिना पर मुझे ताज्जुब भी है कि ऐसा बुलन्द मरतबा और आली दिमाग उससे जरूर यह चूक होगई है। ऐसी सूरत में जब हम एक तरफ पनाहगुजीरों की इमदाद का बिल रख रहे हैं जिसे लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं उसके साथ अगर हम इस बिल को किसी गलती की वजह से महदूद कर देंगे तो यह नुमायां धब्बे का मुस्तहाक हो जायेगा। लिहाजा ऐसी सूरत में इस धब्बे को हटा दिया जाय और असरार अहमद साहब की तरमीम को मन्जूर कर लिया जाय। क्योंकि जब हम दुनिया में इन्सानियत के मिआर को बुलन्द करने के वास्ते उठे हैं तो हमारा फर्ज है कि इस चीज को महदूद हरगिज न होने दें। यह ठीक नहीं है कि हम लोगों को अपने और ग़ैरों के निगाह से देखें। एक शायर का शेर है:—

जो कि आशिकों में यगाना है, वही कामियाबे जमाना है।
उसी की मौत हयात है, जिसे तू कहे कि शहीद है॥

लिहाजा इन अल्फाज के साथ में मुहम्मद असरार साहब की तरमीम की मुआफिक़त करता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—जहाँ तक जो लोग तकलीफ में हैं उन के साथ हमदर्दी करने और उनकी मदद करने का सवाल है कोई दो राय

[माननीय प्रधान सचिव]

इस भवन में नहीं हो सकतीं न असरार अहमद साहब ने इस सिलसिले में जो बातें कही हैं उनसे कोई इखतलाफ़ हो सकता है मगर सवाल यह है कि इस बिल के अन्दर जो तरमीम वह चाहते हैं उसकी गुंजायश है या नहीं और उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है यह पाकिस्तान से आए हुये शरणार्थियों पर लागू है जिसका वसूल सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले मंजूर हो चुका है और उसके बाहर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस हाउस ने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की एक खास हैसियत समझी है और उनके बारे में कई कानून बनाए हैं और उनकी रजिस्ट्री और उनको कर्जा देने के कानून वगैरा बनाए हैं और उनको तकलीफ़जदा जानते हुए भी इस बात को मुनासिब और जरूरी समझा है कि उन लोगों के लिए खास कानून बनाए जायँ और इसी सिलसिले में यह कानून भी बनाया गया है। न सिर्फ इस बिल के उसूल बल्कि वह बुनियादी उसूल जिस पर यह बिल कायम है उसको यह हाउस कई कानूनों के सिलसिले में कबूल कर चुका है और उस सारी स्कीम का यह भी एक जुज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जो तकलीफजदा हैं उनके लिए शरणार्थी का लफ़ज काम में नहीं आ सकता है वह तकलीफ में हैं और दुखी हैं और उनको मदद करने की जरूरत है मगर उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। शरणार्थी का एक खास मतलब होता है और वह जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हीं के लिए काम में आ सकता है और फिर अगर कोई कानून ऐसा बन जाय कि जो लोग यहाँ तकलीफ में हैं उनके लिए भी खास कार्यवाही की जाय तो वह कितना मोहमल और वेग होगा या उन्हें जिन को कम्पेन्सेशन आफिसर बनाया जाय और अगर दो आदमी कह दें कि वह तकलीफ़जदा है और उसके लिए जमीन की जरूरत है और वह किसी की जमीन एक्वायर कर ले तो यह तो काफ़ी खतरनाक बात होगी यहाँ जो लोग तकलीफ में है उनके लिए जमीन की जरूरत नहीं है उनकी तो दूसरी तकलीफें हैं उनके पास जमीन है रहने की जगह है बस मकान बनाने की जरूरत उनको है उनके पास बसर करने के लिये जमीन का टुकड़ा है उनको जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर मकान खराब होजाय तो मकान बनाने की जरूरत हो सकती है अगर सब बातें सही भी मान ली जायँ तब भी उनके लिए इस किस्म की कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं हो सकती बगैर इस कानून के जहाँ कहीं जरूरत होती है उनको मदद दी जाती है आपको याद होगा कि आज नहीं बल्कि एक साल से ज्यादा होगया जबकि इतना शोरगुल नहीं था कि गढ़मुक्तेश्वर में बहुत से लोगों को तकलीफ़ पहुँची और एक लाख से ज्यादा रुपया हमने उनको मकान बनाने के लिए दिया। इसके अलावा और मौकों पर भी तकलीफ़जदा लोगों को मदद दी गई है

इसलिए मदद देने का सवाल अलग है वह जरूरत वालों को देना ही चाहिए मगर जहाँ तक इस कानून का सवाल है इस में इस तरमीम की गुन्जायश नहीं है और अगर यह की जाती है तो लोगों पर जब्र और ज्यादती होने का अन्देशा है, इसलिए अफ़सोस है कि मैं इस को मंजूर नहीं कर सकता और मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है उसे सुनकर असरार अहमद साहब शायद इसे वापिस लेना ही मुनासिब समझेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, अभी वजीर आजम साहब ने फरमाया कि यह बिल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से आए हैं। इस सवाल के सिलसिले में यह भी बताया गया कि इस प्रांत के रहने वालों को किस-किस तरीके से मदद दी गई। मगर मुझको अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार यह बतलाए कि पूर्वी पंजाब के बोर्डर्स से हर कौम के जो लोग इस सूबे में आए हैं वह कहाँ जायँ और रहें, अगर उनके मकान भी वहाँ हैं लेकिन किसी खौफ़ से या किसी वजह से वह वहाँ नहीं रहते तो उनके लिए क्या इंतजाम है इसके अलावा कुछ बिलों में उन्हीं तक महदूद किया है तो हम उनमें तरमीम कर सकते हैं और अगर लेजिस्लेचर भी न बैठा हो तो आर्डिनेन्स के जरिये से उसको तरमीम कर सकते हैं। उन लोगों को इन्सानियत के नाम पर हम मदद दे सकते हैं जिनकी हमें मदद करना है। कल इसी सिलसिले में बतलाया गया था कि अगर कोई नाजायज चीज़ जायज़ करार दी जा सकती है और अगर हमको उनकी सही तरीके से मदद करना है और अगर महज अलफ़ाज की रद्दो-बदल करके यह चीज़ बिल में हो सकती है जो चीज़ आप करना चाहते हैं स्कोप हो या न हो अगर आप का दिल है तो स्कोप जरूर है। हाऊस को हक़ है कि जब चाहे तरमीम कर दे। यह कहना कि सेलेक्ट कमेटी में हो चुका तो अब नहीं हो सकता यह बात नहीं है। एक-एक मिनट में रोजाना तरमीम हो सकती है। सही चीज को करने में कुछ हायल नहीं हो सकता। आज वह ढाल की शक्ल में नहीं हो सकती। मैंने एक सीधी सादी तरमीम लोगों की भलाई के लिए की है और सरकार उसे खुशी से मंजूर करेगी। बहरहाल जिस हालत में भी है मैं हाउस से अपील करता हूँ कि वह इस तरमीम को मंजूर कराने की कोशिश करे।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि दफ़ा २, धारा २ की उपधारा(७)में, पंक्ति २ में शब्द "भाग है" और "और के" के बीच नीचे लिखे शब्द बढ़ा दिए जायँ:—

"या उन जगहों से जो इंडियन डोमीनियन या हिंदुस्तानी रियासतों में हैं"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं तहरीक करता हूँ कि दफ़ा २ (७) में लाइन ७ में शब्द हो के बाद नीचे लिखे हुये शब्द बढ़ा दिये जायँ:—

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

"या उनकी रजिस्ट्री बाद को ६ माह के अन्दर हो जाय।"

जनाब वाला, इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि जब इस प्रान्त ने यह तय किया है कि उन परेशान हाल लोगों की जो हर तरीके से परेशान और मुसीबतज़दा हैं मदद की जाय, और जब इस प्रान्त के लोगों को उनसे मुहब्बत है और वह उनको ज्यादा से ज्यादा आराम पहुँचाना चाहते हैं तो आज यह कहाँ तक ठीक है कि यह कैद लगा दी जाय कि जो लोग सिन्ध से इस सूबे में पाकिस्तान के जुल्मोसितम की वजह से आरहे हैं उनमें से हम उन्हीं की मदद करेंगे जिनकी रजिस्ट्री ३१ मार्च तक हो चुकी है। खुदा के फजल से यह सूबा सब सूबों की नाक है, सबसे बड़ा सूबा है, जिसके ऊपर हिन्द डोमीनियन के तमाम सूबों की नजरें हैं। अगर यही सूबा इन शरणार्थियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद में मदद नहीं कर सकता तो मैं नहीं समझ सकता कि वह शरणार्थी जिनकी तादाद लगभग एक करोड़ के पहुँचो चुकी है कहाँ समाये जायँगे। एक सवाल यह हो सकता है कि वह दूसरे सूबों में जा सकते हैं। लेकिन हम देखते है कि बहुत से शरणार्थी जो कि रेलों के जरिये मद्रास और बंगाल जाना चाहते हैं वह रास्ते में ट्रेनों से उतार दिये जाते हैं और जलील किये जाते हैं। इसलिये वह और सूबों में जहाँ की गवर्नमेन्ट यह तै कर चुकी है कि वह वहाँ जायँ, नहीं पहुँच सके। अगर वह ३१ मार्च के बाद हमारे सूबे में आगये हैं और जब हम कहते हैं कि हमें हर ग़रीब और हर परेशान हाल की मदद करनी है तो हमारे सूबे में दरवाज़ा उस दिन तक खुला रहना चाहिये जब तक कि हम यह न देख लें कि यहाँ का एक-एक इन्सान उनकी बराबर हो गया और मदद करने के क़ाबिल नहीं रहा। हम यह दरवाजा ३१ मार्च के बाद बन्द कर देते हैं। बेहतर तो यह होता कि या तो आप शरणार्थियों को घुसने के लिये यह दरवाज़ा ही न खोलते, पर जब आपने दरवाजा खोल दिया है तो हमारा यह फ़र्ज़ है कि जो कोई भी शरणार्थी यहाँ आये उनकी जो कुछ भी इमदाद हम कर सकते हैं करें। इस सूरत में मैं यह तहरीक करता हूँ कि ३१ मार्च के बाद ६ महीने तक और भी शरणार्थिय को जो कि इस सूबे में आयें उन्हें हमें यकीनन बसाना चाहिये और उनकी इमदाद करनी चाहिये। उनकी रजिस्ट्री ३१ मार्च के ६ महीने बाद तक हो सके और जो इमदाद हम उनकी कर सकते हैं, करें। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेन्ट इस तरमीम को मंजूर करेगी।

माननीय प्रधान सचिव—मुझे उन बातों से जो असरार अहमद साहब ने कही है बहुत हद तक हमदर्दी है। मैं भी चाहता हूँ कि जो कोई भी शरणार्थी यहाँ आ जायँ उनकी मदद हम कर सकते और जिस हद तक उनकी मदद हम कर सकते और जिस हद तक उनकी मदद हो सके उसमें कोई कसर न रहे। मगर वाक़या यह है कि इस वक्त तक ५ लाख से ज्यादा शरणार्थी हमारे सूबे में मौजूद हैं। शहरों और कस्बों में हालत यह है कि हर जगह उनके आने

के पहले से ही जगह की बड़ी भारी किल्लत थी, लोगों को रहने के लिये कहीं मकान नहीं मिलते थे। हमारे शहरों और कस्बों की आबादी लड़ाई के ज़माने से करीब करीब दुगनी हो गई। मकानों की तादाद वैसी ही रही है जैसे कि पहले थी। न तो कोयला मिलता है, न ईटें मिलती हैं, न सीमेंट मिलता है। इस वजह से जो लोग रहते हैं उनके लिये भी गुंजाइश नहीं है।

जो ५ लाख आदमी आ गये हैं उनका इन्तजाम करना अजहद मुश्किल हो गया है। हम चाहते हैं कि उनका इन्तजाम कर लें और उनके लिये जो कुछ भी आसायश हम दे सकें दें। पांच लाख आदमियों का इन्तजाम करना कोई आसान नहीं होता है। अगर आप तादाद बहुत ज्यादा बढ़ायेंगे तो अन्देशा यह है कि कहीं और वबाई बीमारियां पैदा हों और उनसे जो लोग आये हैं उनको भी नुकसान हो। इसलिये जो लोग यहाँ बाहर से आ गये हैं उनके फ़ायदे की बात भी यही है कि जो लोग और प्रान्तों से आ रहे हैं इन्डियन यूनियन में सब जगह उनकी तादाद तकसीम होकर रहे। हमारे सूबे के हिस्से में जितने आदमी आ सकते थे हमने उन लोगों को ले लिया है और इन लोगों का इन्तजाम करने के बाद फिर अगर गुंजायश हो या जरूरत हो तो फिर हम औरों को भी लेंगे। मगर जो आ चुके हैं उनका इन्तजाम करना पहले जरूरी है। बावजूद हमारे कहने के कि और लोग यहाँ पर नहीं आवें, हमारे ऐलान जारी करने के बाद भी फिर सैकड़ों की तादाद में रोजाना शरणार्थी बाहर से आ रहे हैं। हमने हर तरह से यह दरख्वास्त की कि यहाँ आने से किसी को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा और खाने पीने की भी दिक्कतें हैं। इस वक्त हमारे यहाँ कंट्रोल और राशनिंग नहीं है, मगर हम किसी न किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। हमारा सूबा, जो बाहर के लोग यहाँ आये हुए हैं उनकी खिदमत करने के लिए और जो कुछ भी उनको फायदा पहुँचा सकता है पहुँचाने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी कुव्वत महदूद है। हमारा सूबा जितना कर सकता है उतना कर रहा है और करेगा। गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ने मुख्तलिफ सूबों के लिए अलग अलग प्लान बना दिया जो कि कहाँ के शरणार्थी कहाँ जायंगे। सिन्ध के शरणार्थियों के लिए उन्होंने यू० पी० को नहीं रखा है। उसके लिए उन्होंने बम्बई, सी० पी० और दूसरे प्राविन्सेज को रखा हैं जो सिन्ध के करीब हैं। इसके लिए उन्होंने जगह महदूद कर दी है। लिहाजा उस प्लान के मुताबिक अगर काम हो तो मुमकिन हैं कि सब जगह इन्तजाम हो सके। मगर उसी प्लान के खिलाफ काम हो, बिना किसी रेगुलेशन के बिना किसी कायदे के जो आदमी जहाँ चाहें चले आवें तो यह तो कैओस (उपद्रव) पैदा करने की बात हो जाती है। इसलिए हमें मजबूरन इस कायदे को बनाना पड़ा। इसलिए हम पहले ही एलान कर चुके हैं कि बाहर से और शरणार्थी हमारे यहाँ न आवें। पंजाब से शरणार्थियों का आना बन्द होगया है। सिंध का सवाल सिंध के

[माननीय प्रधान सचिव]

करीब के जो और अंत मौजूद है वही तक मौजूद हैं। जहाँ तक इस कानून के मुताबिक एक्वीजिशन और रिक्वीजीशन की बात हैं इसमें महदूद रखने की बात जाहिर नहीं हैं। लिहाजा किस हालत में यह बिल मौजूद हैं, मैं हाउस से दरख्वाश्त करूंगा कि वह इसी हालत में इस को मंजूर कर ले। अगर हाउस के सब मेम्बर साहबान इस में मदद दें और जो लोग आये हुए हैं उनका इंतजाम ठीक हो जाय, वे अच्छी तरह से रह सकें, उनके लिए जमीन मुहइया की जा सके, उनके लिए मकानात बनवा सकें और उनके लिए मकानात बनवा सकें और उनके लिए इस तरह की फैयाजी दिखला सकें कि जो कायदे इस समय उनको मुआवजा वगैरह देने के लिए बने हुए हैं उनके खिलाफ कोई उज्र पेश करें तभी हम आगे कोई न कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हम कुछ कर सकते हैं। इन वजूहात की बिना पर मैं समझता हूँ कि मुहम्मद असरार अहमद इसको तस्लीम करेंगे कि जो कायदा इस समय बना हुआ है वही मौजू है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं अपनी तरमीम को वापस लेता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा ३

भूमि हस्तगत करने की विधि

३—यदि प्रान्तीय सरकार के या अन्य किसी अधिकारी के विचार में, जिसे प्रान्तीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, (जिसे आगे नियुक्त अधिकारी कहा जायगा) शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये घरों, दुकानों और कारखानों के निर्माण के लिये और अन्य सुख-सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा उचित हो, तो प्रान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी सूचना (नोटिस) की तामील करके जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि प्रान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी में जैसी भी दशा हो, यह निश्चय कर लिया है कि इस धारा के अनुसार भूमि हस्तगत (Requisition) कर सकता है प्रान्तीय सरकार अथवा नियुक्त अधिकारी ऐसी अन्य आज्ञायें भी दे सकता है जिसमें भूमि पर कब्जा करने की आज्ञा भी सम्मिलित है, जिन्हें वह भूमि को हस्तगत करने के सम्बन्ध में उचित या आवश्यक समझे ऐसी सूचना उस भूमि के स्वामी या अधिवासी (occupier) को दी जायेगी यदि भूमि के स्वामी या अधिवासी (occupier) का आसानी से पता न लग सके अथवा उस भूमि के स्वामित्व या अधिवास करने के अधिकार पर झगड़ा हो अथवा यदि स्वामी या अधिवासी होने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसी हो कि उनमें से प्रत्येक पर पृथक् पृथक् ऐसी आज्ञा की तामील करना सुविधाजनक न हो तो इस निमित्त निर्धारित ढंग से सूचना प्रकाशित करा कर ऐसा किया जा सकेगा।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, में अपना यह संशोधन पेश करता हूँ कि धारा ३ में या जहाँ कहीं किसी स्थान पर भी बिल में शब्द 'हस्तगत' व्यवहार में आया है उसकी जगह पर 'अधिकृत' कर दिया जाय। चूंकि हम हिन्दी में ही अपने बिल पेश करते हैं और हमारे भवन की भाषा हिन्दी ही है इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम कोई भी शब्द व्यवहार में लायें तो वह ऐसा हो जो उपयुक्त हो और उसका अर्थ भी ठीक निकलता हो। यहाँ पर जो शब्द रिक्विजिशन के लिये "हस्तगत" व्यवहार में लाया गया है उसका प्रयोग ठीक नहीं मालूम होता और इस लिए मेरी यह प्रार्थना है कि 'हस्तगत' के स्थान पर 'अधिकृत' शब्द रक्खा जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ३ में और इस बिल की दूसरी धाराओं में जहाँजहाँ शब्द "हस्तगत" आया है उसकी जगह शब्द "अधिकृत" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ३ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ४

४—उस दशा में जब कोई भूमि धारा ३ के अधीन हस्तगत [illegible] हो, प्रान्तीय सरकार अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस सम्ब[illegible] अधिकार दिया जाय, उसका इस प्रकार उपयोग कर सकता है जैस[illegible] उसे शरणार्थियों के फिर से बसाने के लिए घरों, दुकानों और कार[illegible] के निर्माण के लिये तथा अन्य सुख सुविधाओं के प्रबन्ध के लिये [illegible] जान पड़े।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ४ बिल का अंश मानी ज[illegible]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारायें ५, ६ और ७

५—किसी ऐसी भूमि को प्राप्त (Acquire) करने के लिये, जिस[illegible] विवरण स्पष्टरूप से प्रार्थनापत्र में दिया गया हो, कोई निर्माणकर्त्ता शरणार्थि[illegible] को फिर से बसाने के लिये घरों और दुकानों और कारखानों के निर्मा[illegible] के निमित्त और उससे सम्बन्ध रखने वाली सुख-सुविधाओं की व्यवस्था कर[illegible] के लिये निर्धारित ढंग से प्रान्तीय सरकार को प्रार्थनापत्र दे सकता है

धारा [illegible] अधीन [illegible] हो [illegible] के [illegible] भूमि [illegible] किर[illegible]

६—(१) उस दशा में जब प्रान्तीय सरकार को, किसी ऐसी जाँच वे[illegible] उपरांत जिसे वह उचित समझे, इस बात का सन्तोष हो जाय कि भूमि की आवश्यकता है शरणार्थियों के फिर से बसाने के निमित्त घर, दुकाने और

कारखाने बनाने के लिये अथवा उससे सीधी सम्वन्धित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था के लिये वह उपयुक्त है तो प्रान्तीय सरकार अथवा नियुक्त अधिकारी निर्माणकर्त्ता को यह आदेश देगा कि वह प्रान्तीय सरकार के साथ एक ऐसा संविदा [मुआहिदा] करे जिस में नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय जो प्रान्तीय सरकार को सन्तोषप्रद प्रतीत हो, अर्थात्:—

(क) भूमि प्राप्त करने के व्यय का प्रान्तीय सरकार को भुगतान।

(ख) इस प्रकार के भुगतान के पश्चात् भूमि का निर्माणकर्त्ता को हस्तान्तरण।

(ग) शर्तें जिनके अधीन निर्माणकर्ता के पास भूमि रहेगी।

(घ) वह समय जिसके भीतर, वे शर्तें जिनके अधीन और वह विधि जिसके अनुसार घर, दुकान और कारखाने बनाये जायेंगे और कारखाने चलाये जायेंगे और सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी।

(ङ) प्राप्त की गयी भूमि या उस पर बनायी गयी इमारत की बिक्री अदला बदली या पट्टे द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अलग करना।

(च) पानी पहुँचाना, रोशनी का प्रबन्ध करना, पानी के निकास की अन्तर्भू और ऊपरी नालियों का प्रबन्ध करना और गन्दगी को हटाना।

(छ) प्राप्त किये गये क्षेत्र में घरों के आदर्श और परिमाण का निरूपण (स्टैन्डर्ड) और बाजारों और वहाँ के निवासियों के सार्वजनिक प्रयोग के अन्य स्थानों के लिये जगह नियत करना।

(ज) निर्माण की गई इमारतों के साथ या उनके बिना भूमि को वापस लेना और जो परिदण्ड निर्माणकर्ता को दिया जा सकता है और वह विधि जिसके अनुसार उसे कार्यान्वित किया जा सकता है, और

(झ) सब ऐसी अन्य बातों के लिए जिन्हें प्रान्तीय सरकार निर्धारित करे।

(२) ऐसा प्रत्येक संविदा (मुआहिदा) पूरा (तकमील) हो जाने के पश्चात् यथा शीघ्र सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और तब उसका प्रभाव वैसा ही होगा मानों वह इसी ऐक्ट का एक भाग था।

६ के सम्विदा ...ाने ...श्चात् ...का प्राप्त ...ा जाना

७—(१) धारा ६ में उल्लिखित संविदा (मुआहिदा) हो जाने और निर्माणकर्ता द्वारा उस रुपये के जमा किये जाने के पश्चात् जिसका प्रान्तीय सरकार आदेश दे प्रान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी सरकारी गजट में इस सम्बंध में एक नोटिस प्रकाशित कर के कि उसने ऐसी भूमि को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, भूमि प्राप्त कर सकता है और ऐसी अन्य आज्ञा दे सकता है, जिसमें क़ब्जा करने के लिये दी गई आज्ञा भी सम्मिलित है, जिसे वह भूमि प्राप्त करने के सम्बंध में उचित या आवश्यक समझे।

(२) उपहार (१) के अधीन नोटिस प्रकाशित किये जाने पर, प्राप्त की हुई भूमि पूर्णरूप से उस दिन के आरम्भ से जिस दिन ऐसा नोटिस प्रकाशित किया गया हो, प्रान्तीय सरकार के स्वत्व में पूर्ण रूप से आ जायगी और उक्त एक्ट के अन्य सभी आदेश, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह भूमि अगली धारा के अधीन भूमि प्राप्त की गयी हो।

माननीय स्पीकर—धारा ५, ६ और ७ में कोई सुधार प्रस्तावित नहीं है। इसलिए मैं इन सबको एक साथ ही रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि धाराएँ ५, ६ और ७ इस बिल का अंश मानी जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ८

८—(१) प्रान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी धारा ३ के अधीन किसी भूमि को हस्तगत करने के विचार से या धारा ७ के अधीन प्राप्त करने या धाराएँ १० और ११ के अधीन मुआविजा निश्चित करने के लिए आज्ञा द्वारा :—

(क) किसी व्यक्ति से ऐसे अधिकारी को, जिसका आज्ञा में उल्लेख किया जाय, उक्त सम्पति के सम्बन्ध में ऐसे विवरण देने को कह सकता है जो उसको मालूम हो और जिसका उक्त आज्ञा में निर्देश कर दिया गया हो, और

(ख) भूमि के स्वामी या अधिवासी (occupier) या उस व्यक्ति को जिसका उस पर कब्जा हो, आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा जारी करने वाले अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसी अवधि के समाप्त होने तक, जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, भूमि को अलग न करेगा।

(२) उपधारा (१) द्वारा दिये गए अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, प्रांतीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिकारी इस बात को निश्चित करने के प्रयोजन से कि किसी भूमि के सम्बंध में धारा ३ या ७ के अधीन कोई आज्ञा जारी की जानी चाहिए अथवा नहीं और यदि की जानी चाहिए तो किस ढंग से की जानी चाहिए या उक्त धाराओं के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा का पालन कराने के विचार से, उक्त भूमि में प्रवेश तथा उसका निरीक्षण कर सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं तहरीक करता हूँ कि दफा ८, सेक्शन (२) के बाद नीचे दिए हुए शब्द बढ़ा दिये जांयः—

"नीचे लिखी हुई भूमि शरणार्थियों के बसाने के लिये नहीं ली जायगी!—

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

१—इबादतगाहें या उनकी जमीनें,
२—तालीमगाहें या उनकी जमीनें,
३—कब्रिस्तान, श्मशान भूमि या उनकी जमीनें,
४—वक्फ की हुई जमीनें ।"

मैं यह अर्ज करता हूँ कि पेश्तर गवर्नमेंट के मेम्बरान और ग़ालिबन हमारे मोहतरिम वज़ीर आजम साहब भी इस बात से कुल्लियतन इत्तिफ़ाक करते थे और ग़ालिबन इस वक्त तक भी इत्तिफाक करते हैं कि इन चीजों को रूल्स के जरिये करने की कोशिश की जायगी।

अब मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक उसूल की चीज को हम मंजूर करते हैं तो उस बिल में उस चीज को कारपोरेट न करें, इस खौफ़ से कि आया रूल्स में यह चीज कारपोरेट हो सकेगी या नहीं या कोई कानूनी अड़चनें पड़ जायेंगी या नहीं। इस से बेहतर मैं इस चीज को समझता हूं कि इस चीज को बिल में शामिल कर दिया जाय कि इन जगहों पर यानी इबादतगाहों, जहां पर लोग बन्दगी करते हैं, वह इमारतें, उसके इर्दगिर्द मुनासिब जगह, इसी तरीके से कब्रिस्तान, मरघट की जमीनें उनके करीब कुछ जमीनें जिनको गवर्नमेंट खुद मुनासिब समझे और वक्फ की हुई जमीनें और तालीमगाहें यानी मदरसे, स्कूल कालेज और विद्यालय जिनकी जमीनें और इमारतें जब हमें इस मुल्क में तालीम बढ़ानी है, बढ़ती जायेंगी। लेकिन गवर्नमेंट के हर वजीर हर शहर में हर चीज के मुआइने के लिए नहीं पहुँच सकेंगे और उस वक्त ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट लोग या म्यूनिसिपिलटीज या टाउन एरियाज. ऐसी कोशिश करें कि बहुत से विद्यालयों, स्कूल कालेजों की जमीन वे पसंद करें और गवर्नमेंट को हर सूरत से जाहिर करें कि यह सबसे ज्यादा मुनासिब है। तो मैं यह अर्ज करूँगा कि जब यह चीजें बढ़ेंगी तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जमीनों की जरूरत होगी। उनमें कमी के इमकान का सवाल पैदा ही नहीं होता। उन्हें ज्यादा से ज्यादा वसीह हमें करना ही होगा। ऐसी सूरत में हम यह समझते हैं कि यह बात तय कर दी जाय कि इन चीजों या इन की जमीनों को इस गरज से नहीं लिया जायगा और इस तरह से बहुत सी तकलीफ जो रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में सिफारिशों की शक्ल में और बेईमानियों की शक्ल में भी लोग गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश करेंगे। इससे इन्सपेक्टोरेट से जाँच कराने में भी कमी हो सकेगी। तो हम इन चीजों को अगर मुस्तसना कर दें क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा जमीनें हैं, लेकिन यह ऐसी चीजें हैं कि न कब्रिस्तान के पास आप बनाना मुनासिब समझेंगे न स्कूल कालेजों में बनाना मुनासिब समझेंगे, न मरघटों में बनाना मुनासिब समझेंगे। अगर हम इन चीजों को मुस्तसना कर देते हैं तो हमारे सामने

जो कठिनाइयाँ आयेंगी, उन से हम बाज रहेंगे, और तमाम देश के लोग इस से खुश भी रहेंगे। कि गवर्नमेंट ने मुनासिब चीजें मुस्तसना की है। इस के अलावा गवर्नमेंट के लिए जो भी जमीनें मिलेंगी वह यकीनन शरणार्थियों के काम में लाई जा सकेंगी। इसी सिलसिले में जिसका अभी हाल में जिक्र करूँगा, मैंने यह भी पेश किया है कि ऐसा भी हो सकेगा कि लोकल बोर्ड्स बेईमानी करें कि अपनी नजूल की जमीनें तो दें नहीं और प्राइवेट ओनर्स की जमीनें ले लें। उनसे कहेंगे कि इस में कुछ दक्षिणा चढ़ाओ तो छोड़ देंगे। तो इससे करप्शन भी बच जायगा। इसके लिए मैंने तरमीम दी है कि लोकल बाडीज़ के ऊपर स्टैंडिंग आर्डर रहेगा कि किसी सूरत से अगर उनके पास पहले अपनी जमीनें हैं तो वे पहले इस्ते--माल की जायंगी और बाद में प्राइवेट ओनर्स की। ऐसी सूरत में मैं गवर्न--मेंट से और इस हाउस से अपील करूँगा कि यह मुनासिब तरमीम है और इस ऐवान के बेश्तर लोगों को और प्रीमियर साहब को इतफाक़ है, इस लिये यह जरूर मंजूर की जाय।

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—मैं इस संशोधन की मुखालफत करता हूं। वैसे मुझे असरार अहमद साहब की तरमीम से काफी हमदर्दी है, लेकिन उससे झगड़े पड़ने का अन्देशा है। जब किसी आदमी को कोई जमीन बचाना होगी तो वह उस जमीन के बारे में एतराज करेगा, चाहे वह उस तारीफ में न आती हो जो असरार अहमद साहब ने कही है। जो जमीनें इस तारीफ में नहीं आती हैं उनमें भी लोग झगड़े पैदा कर देंगे और अपील वगैरा में इतना वक्त लग जायेगा कि इस कानून का मंशा ही खत्म हो जायेगा और इस प्रकार उन जमीनों और जायदाद में भी जो इस तारीफ में नहीं आती हैं झगड़े पैदा हो जायंगे और दिक्कतें और तवालतें पैदा हो जायंगी। माननीय प्रधान मंत्री ने यह बात कही है कि वह ऐसी जमीनों के बारे में अपने आफीसर्स को हिदायत कर देंगे कि वह हस्तगत न की जांय, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर यह प्रबन्ध किया जायगा जो असरार अहमद साहब चाहते हैं तो इसमें यह अन्देशा रहेगा कि जो जमीन छोड़ने के काबिल नहीं है, लोग उसमें भी एतराज कर देंगे और अदालत की जरूरत हो जायेगी जिससे तवालत बढ़ सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम का विरोध करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी—जनाब सदर मोहतरिम, मैं इस तरमीम की जो असरार साहब ने पेश की है ताईद करना चाहता हूँ। जाहिर बात है कि हम पनाहगुजीं को बसाना चाहते हैं और उनको आराम देना चाहते हैं। और उनकी हम वह खिदमत करना चाहते हैं जिसके लिये इंसानियत हमें मजबूर करती है, मगर दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि हमारे इस

[श्री अब्दुल बाकी]

मुल्क में कुछ ऐसी जमीन भी है जो लोगों के जाती अगराज में किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकती। वह जमीन मस्जिद, स्कूल, कब्रिस्तान और मरघट की जमीन है या जायदाद वक्फ है इन जायदादों की जो शख्सी हैसियत होती है वह जायल हो जाती है, उनकी हैसियत एक उमूमी हो जाती है। उमूमी के माने यह हैं कि वह किसी खास फिरके या अगराज के लिए और मकासिद में ही इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनके लिए उन जायदाद या जमीन का ताय्युन पहले हो चुका होगा। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मकसद के लिए कोई जमीन या जायदाद मखसूस होती है वह जाती अगराज की जायदाद के बिना पर किसी और मकसद के लिये इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इसमें फिसादात होते हैं, मुकदमेंबाजी होती हैं और मुकदमेंबाजी के दौरान में फरीकेन का सर्फा भी होता है। जहां इस बिल के अन्दर प्रोवीजन किया गया है। पनाहगजीं के लिये तो, मैं समझता हूं कि हम उनको वह जमीन नहीं देंगे जिनका ताय्युन दूसरे मखसूस अगराज के लिए हो चुका है।

अगरचे यह चीज इतनी खुली हुई है लेकिन बिल में इसका तजकिरा नहीं आता। इसलिये इस बात का अहतमाल पैदा होता है कि कहीं बसने के सिलसिले में किसी मोहाल के अन्दर एक मख़सूस ज़मीन की जो मखसूस हैसियत से है उसको मिटा दिया जावे और मिटाने के बाद उस पर पनाहगुजीनों को बसाने की कोशिश की जावे। इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है कि हम हर बिल में ऐसी सूरत का इजाफा करें कि किसी हालत में भी कोई तालीमगाह, मन्दिर मस्जिद या वक्फ़ की जायदाद और मरघट की जायदाद इस्तेमाल न की जा सके। मेरे लायक दोस्त ने जो मुखालफत की है यह समझ कर की है या जिद की वजह से। मैं समझता हूँ कि यह समझ से नहीं की गई है। वह फ़रमाते हैं कि इस सूरत के इजाफा करने से झगड़े पैदा होंगे, फसादात पैदा होंगे, कोई भी समझदार आदमी इसको नहीं समझ सकता। यह उन झगड़ों और फसादात से महाफ़िज करेंगे। इसके बढ़ाने की वजह से झगड़ा पैदा होगा यह चीज क़ाबिले समझ की नहीं है और ग़ालिबन मुख़ालफत जो की गई है वह मुख़ालफत की ग़रज़ से की गई है। जहाँ मैं गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस माकूल तरमीम को मंजूर कर ले और वहाँ वजीर आजम साहब के उस मीठे जुमले से मुझे अन्देशा होता है जब वह हर तरमीम के मुताल्लिक़ कहते हैं कि मुझे हमदर्दी है, लेकिन आखिर में फरमा देते हैं मंजूर नहीं करेंगे। बक़ौल ग़ालिब के :

जानता हूँ शबाब ताअत जहद
पर तबियत इधर नहीं आती।

माननीय प्रधान सचिव—बाक़ी साहब से वही बात कहनी है कि हमदर्दी है मगर मंजूर नहीं है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है जो असली इबारत कि मन्दिर

मस्जिद, कबरिस्तान या शमशान की जगह इन कामों के लिये न ली जावे, इससे मैं इत्तफाक करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी जरूरत पैदा नहीं होगी, मगर जिस तरह की तरमीम रक्खी गई है उससे बहुत से झंझट पैदा हो सकते हैं। एक तो मन्दिर के जमीन की बात कही गई है। बहुत से मन्दिर ऐसे हैं कि एक छोटा सा मन्दिर बना हुआ है और एक एक दो २ मील तक उसका अहाता चला जाता है और जमीन बेकार पड़ी रहती है और किसी काम में नहीं आती। इसी तरह से और भी बातें हैं। मसलन ऐसी बहुत सी धर्मशालाएं हैं जिनको हमने रिक्वीजीशन कर लिया है, और जहाँ हज़ारों की तादाद में शरणार्थी रहते हैं। अगर हम तरमीम को मान लें, तो यह भी बहस हो सकती है कि इसके खिलाफ़ किसी धर्मशाला का रिक्वीजीशन (अधिकृत) करना। वक्फ की बात कही गई। यह भी कोई चीज़ नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जायदाद किसी इबादत के काम नहीं आती, मगर निजी काम में आती है। इसलिये कानून में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस पर ग़ौर किया जायेगा कि जो असल इबादत की जगह है उस पर कोई दस्तन्दाजी करने की जरूरत पैदा न हो। और इसके लिये दूसरा अन्देशा यह है कि इस क़िस्म का क़ायदा अगर कानून में रखा जाता है तो हर शख़्स कोई न कोई उसकी आड़ में, कि हमने मन्दिर को चढ़ा दी या मस्जिद को वक्फ करदी, बहुत से बहाने पैदा कर सकता है और इस तरह से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मुझे अफ़सोस है कि मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मुझे ताज्जुब हुआ कि माननीय सदस्य मुकुन्दलाल साहब ने एक ऐसी बात पैदा की जिसका इस तरमीम से ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ इस क़दर मकसद था कि मस्जिद या मन्दिर या गिर्जा और उसके नवाह में मुनासिब जगह जैसा कि आज कल म्यूनिसिपैलिटियों में देखते हैं कि एक के बराबर इतनी दूर पर इमारत नहीं बन सकती ताकि उनकी सैंकटीटी पर कोई असर न हो, यह नहीं कि लखनऊ में तो मस्जिद है और सँदीले की जमीन अगर डेडीकेटिड है तो वह सँदीले में नहीं बन सकती। लेकिन उसी तरीके से अगर इस भवन के चारों तरफ कोई ज़मीन हो जिसमें कि मस्जिद हो और उसके बराबर ज़मीन हो, तो उसके बिलकुल बराबर वह बना दी जाय ताकि वहाँ पर भी एक खलल पैदा हो, एक ऐसी शक्ल की बात पैदा हो जो कि आइंदा जाके कोई मुसीबत डाल सकती है। मेरा तो उस ज़मीन से मकसद था जो रिलीजस परपज़ (धार्मिक कार्य) के लिये हो, वक्फ़ अलल उल औलाद तो उसमें आता ही नहीं। जो मस्जिद के लिये छोड़ दी है, मन्दिर के लिये छोड़ दी है और उस पर वह बनायें या उनसे कहा जाय कि अगर वह नहीं बना सकेंगे तो यह शरणार्थियों के लिये ले ली जायगी। साथ ही साथ तालीमगाहों का मसला तो यह है कि इसमें तो कोई मुसीबत

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

पैदा ही नहीं की जा सकती। हम जो जमीन तालीमगाहों को देंगे उस पर हम कोई इमारत नहीं बना सकते सिवाय तालीम के सिलसिले में। लेकिन चूंकि वजीर आजम साहब ने जैसा कि पहले भी फरमाया है, अब भी यकीन दिला दिया है कि ऐसी सूरत नहीं होगी, ऐसी हालत में मैं इस तरमीम को वापस लेना चाहता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब, मैं तहरीक करता हूं कि दफा ८, उपधारा (२) के बाद यह शब्द उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिये जायँ, शब्द यह हैं कि "म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया व कैन्टोनमेंट बोर्ड के नजूल और दूसरी भूमि जिसके कि लोकल बाडीज मालिक है, इन भूमियों के अधिकृत करने के पहले एक्वायर (प्राप्त) की जायँगी या रिक्वीजीशन (अधिकृत) की जायँगी "।

जनाबवाला, मेरा इस तरमीम से मतलब इस कदर है कि मैं गवर्नमेंट और इस हाउस को यह बतलाना चाहता हूँ और जरूरी समझता हूँ कि मैंने इस तरमीम का नोटिस क्यों दिया है। उसकी वजह यह है कि अब जो म्यूनिसिपल बोर्ड नये कवानीन के मुताबिक बनने वाले हैं उनका तो कोई चुनाव हुआ नहीं है। और १० साल से मालिक और काबिज हैं और बेशतर उनमें से तो वह काबिज हैं जिनकी वजह से बावजूद तरमीमों के जल्दी मुकम्मिल न होने के भी हमने डिस्ट्रिक्टबोर्ड का एलेक्शन किया, लेकिन उनका एलेक्शन नहीं हो सका। अब उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनके मेम्बरान यह समझते हैं कि चलते वक्त जो कुछ हाथ में आये उसे ले लें। जो हासिल कर सकते हों, हासिल कर लें या अगर कहीं म्युनिसिपिल बोर्ड ने तय किया है कि वहाँ पर शरणार्थियों को बसाने के लिये जमीनें लेनी हैं और उनके यहाँ खुद उनकी मिल्कियत में ऐसी जमीनें हैं जहाँ वे मुनासिब तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक रिप्रेंस स्कीम गवर्नमेंट के पास बना कर भेज देंगे हमको फलां जमीन लेनी हैं। आप जानते हैं कि आज कल दुनिया अपने मतलब की है। जब उन लोगों को पता चलेगा कि १०० में १० रुपये जाते हैं और ९० रुपये बचते हैं तो वे कहें कि आओ ५० रुपये में सौदा कर लो, ५० ही बच जायेंगे। ऐसी सूरत में मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक ऐक्ट ऐसा इनकारपोरेट करदे कि अगर ऐसी जमीन है और अगर नहीं भी है तो भी उनके लिये कारामद हो सके। इस तरह से प्राइवेट ओनर्स की जमीन को भी इसके बाद लिया जाय। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बेईमानियाँ जो दुनियाँ में हो रही हैं और जिनको कम करना हमारा फर्ज है वह बहुत हद तक कम हो सकेंगी। यह एक एसी मुनासिब तरमीम है कि जिसको गवर्नमेंट ने खुद दूसरी शक्ल में मंजूर किया है और वह यह चाहती भी है

कि ऐसा हो। इसलिये अगर ऐक्ट में इसे इनकारपोरेट करदें तो धोखे से लोग बच जायेंगे और उनके जेबों का पैसा जो सिफारिश की शक्ल में या दूसरी शक्ल में जायेगा, उससे बच जायेंगे और पवित्रता से लोग रहने की कोशिश करने लगेंगे। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि यह तरमीम तो कम से कम वजीर आजम साहब जरूर ही मंजूर कर लेंगे।

माननीय प्रधान सचिव—जब तक गवर्नमेंट किसी जमीन को बगैर कीमत हासिल कर सकती है तब तक जाहिर है कि वह क्यों ख्वाह मख्वाह किसी जमीन को कीमत देकर खरीदना चाहेगी। अगर कहीं पर ऐसी शर्त हुई तो जमीन लेने की कोशिश की जायेगी। अगर म्युनिसिपिल बोर्ड के जरिये से यह चीज जैसा कि असरार साहब फरमा रहे हैं की जायेगी तो जो असल मकसद इस बिल का है कि काम को जल्दी करना है वह हल नहीं होगा और हम वह काम नहीं कर सकेंगे। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ८ की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित शब्द उपधारा (३) के रूप में जोड़े जायँ।

(३) "म्युनिसपैलिटीज, नोटिफ़ाइड एरिया, टाउन एरिया, कैनटोनमेंट बोर्ड के नजूल और दूसरी भूमि को जिसके कि लोकल बाडीज मालिक हैं, उन भूमियों को अधिकृत करने के पहले प्राप्त अर्थात् एक्वायर की जायँगी या अधिकृत अर्थात् रिक्वीजिशन की जायँगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ८ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ९

९—(१) जब कोई भूमि धारा ३ के अधीन हस्तगत की गई हो, तो प्रांतीय सरकार उसको किसी समय भी सरकारी गजट में यह सूचना प्रकाशित करके प्राप्त कर सकती है कि उसने इस धारा के आदेशों के अनुसार उसको प्राप्त करने का निश्चय किया है। भूमि प्राप्त करना

(२) जब उपर्युक्त ढंग से कोई सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाय तो हस्तगत की हुई भूमि सब भारों से मुक्त होकर उस दिन के आरम्भ से, जिस दिन वह सूचना इस प्रकार से प्रकाशित की जाय, प्रांतीय सरकार के स्वत्व में पूर्ण रूप से आ जायगी और उक्त भूमि के हस्तगत करने की अवधि तुरंत समाप्त हो जायगी।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह कि धारा ९ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर १३ मिनट पर डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

धारा १०

१०—(१) जब कोई भूमि धारा ३ के अधीन हस्तगत की जाय तो इस भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा मुआविजा दिया जायगा जो ऐसे व्यक्ति और प्रांतीय सरकार या नियुक्त किये गये अधिकारी के बीच में निम्नलिखित विषयों के सम्बंध में लिख कर निश्चित किया जायः—

(क) ऐसी भूमि का हस्तगत किया जाना, और

(ख) हस्तगत रहने की अवधि में ऐसी भूमि को पहुँचाई हुई कोई क्षति जिसमें वह क्षति सम्मिलित न होगी जो किन्हीं प्राकृतिक कारणों से हुई हो।

(२) जब ऐसा समझौता न हो सके तो प्रान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी उस विषय को मुआवजा अफ़सर (कम्पेन्सेशन आफ़िसर) के पास मुआविजे की धनराशि की सिफारिश उसके कारणों सहित भेज देगा और मुआवजे की माँग करने वाले व्यक्ति को भी यह आदेश देगा कि वह उक्त अधिकारी के सामने उस तारीख़ पर उपस्थित हो जो निर्दिष्ट की जाय।

(३) उपधारा (२) के आधीन निर्णय के लिये भेजे हुये किसी विषय (रेफ़रेन्स) के आने पर मुआविजा अफ़सर नियत तारीख़ पर या किसी अन्य तारीख़ पर जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, ऐसे व्यक्ति को सुनेगा, और ऐसी अन्य जाँच करने के बाद, जिसे वह उपयुक्त समझे, मुआवजे की धनराशि निश्चित करेगा और वह अन्तिम और निर्णयात्मक होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तहरीक करता हूँ कि दफ़ा १०, जिम्न (३) में पाँचवीं लाइन के शब्द "और वह" से लेकर "होगा" तक के शब्द निकाल दिए जाँय और यह शब्द "कि उसको हक होगा कि हाईकोर्ट में फ़ैसले के खिलाफ़ अपील ६० दिन के अन्दर कर सकेगा" बढ़ा दिये जाँय।

जनाब वाला, इस सेक्शन के जरिये से यह जाहिर किया गया है कि फ़ैसला जो होगा डिस्ट्रिक्ट जज का, वह कतई होगा और उसके लिये कोई आदमी अपील नहीं कर सकेगा जब कि वह हर तरह से सरकार की मदद करे और उसके साथ कायदों की पाबंदी में भी बेईमानी की जाय, तो उसके साथ अहसान किया गया है कि उसको अपील का हक भी न होगा। मैं इस तरमीम के जरिये से यह चाहता हूँ कि उसको ६० दिन के अंदर उस फ़ैसले के खिलाफ़ हाईकोर्ट में अपील का हक हो, ताकि इंटरेसटेड परसन को यह साबित करने का मौका मिल जाय कि जिस कायदे के

मुताबिक सरकार जमीन लेती है और मुआवजा देती है यह ठीक मिल सके, चूंकि हाईकोर्ट ही ऐसी हस्ती हो सकती है जो कतई फैसला कर सके। मैं समझता हूँ यह अखतयार देने से शरणार्थियों को बसाने में कोई रुकावट नहीं है। जिस दिन जमीन लेने की बाबत गजट होगा उसी दिन से जमीन सरकार में वेस्ट करने लगेगी और उस पर हर किस्म की इमारत बन सकेगी। अर्ज यह है कि इस तरमीम के जरिए से वह कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट तक जा सकता है। मैं समझता हूँ कि यह ऐसा हक़ है कि हर शख्स को पहुँचता है और उससे किसी को महरूम करना, दानाई इन्साफ़, हक और ईमान के बिल्कुल खिलाफ़ है। अगर आप यह हक नहीं देते, तो बेहतर है कि हर जगह सूबेजाती और सेन्ट्रल एक्टों में यह तै कर दिया जाय कि एक कोर्ट की तजबीज के खिलाफ़ कोई अपील न होगी और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुक्म दे दें, तो उसका प्रान्तीय सरकार में कोई रिफ्रैन्स न होगा तब तो जायज बात होगी और अगर यह हक आप दे दें तो स्कीम पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि यह तो इसलिए है कि वह अपना सही हक साबित कर सके। मैं समझता हूँ कि इस के जरिए से वह हाईकोर्ट में अपनी प्रार्थना ले जा सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरमीम को जो कि मैंने पेश की है यह हाउस जरूर मंजूर करेगा, ऐसे लोगों के लिए जो कि उनकी मदद कर रहे हैं, जो अपनी जमीनें देंगे आपके कानून के मातहत, आप उनको महरूम करना चाहते हैं यह मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा आप यह तरमीम मंजूर करेंगे।

श्री अब्दुल बाकीः—सदर मुहतरिम, चूंकि मामला जमीन का है और एक जायज हक का है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अपील अव्वल जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होगी, उसी पर इस मामले को बन्द और खत्म न कर देना चाहिए। जैसे लेंड एक्वीजीशन में अपील हाईकोर्ट तक होती है बिल्कुल उसी उसूल के मातहत इस बिल के अन्दर भी जमीनें पनाह-गुजीनों के आबाद करने के लिए हासिल की जा रही है और दोनों में उसूलन कतई कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट में अपील दोयम जायज है और कानून ने हर शख्स को हक दिया है कि अपील सानी करके अगर उसकी हकतलफी हुई है तो हाईकोर्ट से अपने इस्तहकाक को बहाल करा सकें, तो हर सूरत में भी जब हम दूसरे से जमीन ले रहे हैं, उसका मुआवजा उसको अदा कर रहे हैं और पनाह-गुजीनों को हम आबाद करना चाहते हैं, तो ऐसी शक्ल में अगर एक हाकिम ने फैसला कर दिया है और उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आती है, तो मेरे ख्याल में अपील सानी का भी हक ऐसी शक्ल में देना निहायत मुनासिब मालूम होता है। यह तरमीम जो असरार साहब ने पेश की है उसमें गवर्नमेंट से

सिफारिश की है कि जहाँ जमीन वाले को अपील अव्वल का हक दिया गया है, वहाँ उसमें इतना इजाफा कर दिया जाय कि उसको हाईकोर्ट में अपील सानी का हक हो। यह एक जायज़ मतालबा है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसको मंजूर करेगी।

श्री आर्चिवाल्ड जेम्स फैंथम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो यह देखता हूँ कि जब से हमारी कांग्रेस गवर्नमेण्ट यह चाहती है कि इंसाफ की जितनी ऊँची जगहें हैं उनको उड़ा दें। इसमें दो रायें कभी नहीं हो सकतीं कि सही इंसाफ और सोलह आने इंसाफ हाई कोर्ट के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अभी आपने यह देखा होगा कि जितने आदमी हमारी गवर्नमेण्ट के आर्डर्स से डिटेन हुए है वह सिर्फ हाईकोर्ट के अलावा और कहीं से नहीं छूटे हैं। उनके नीचे के किसी इजलास को यह हिम्मत नहीं हुई कि उनको छोड़ दें। इसकी वजह यह है कि डिट्रिस्क्ट जज तक तो एक ही सूबे में जा सकता है और हाईकोर्ट के जज डाइरेक्ट (सीधे सबआर्डिनेण्ट सर्विस से ही सिर्फ नहीं रिक्रूट (भर्ती) होते हैं। मगर वह ऐसे आदमियों में से रिक्रूट होते हैं जैसे वकील और बैरिस्टर जो कि इंडिपेण्डेण्ट प्रोफेशन (आज़ाद पेशे) के होते हैं और सबआर्डिनेण्ट मैंटेलिटी के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तो सबआर्डिनेण्ट मायंडेड हो जाते हैं क्योंकि वह डाइरेक्ट गवर्नमेण्ट के सबआर्डिनेण्ट होते हैं। अगर वह अमेंडमेण्ट जो कि असरार अहमद साहब ने मूव किया है एक्सेप्ट (स्वीकृत) कर लिया जाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर यह कहा जाय कि दो महीने की देर हो जायगी तो मैं यह कहूँगा कि वही किस्सा हो जायगा कि देर आयद, दुरुस्त आयद। मगर अपील के मौके को नहीं हटाना चाहिए।

और अगर यह अमेंडमेंट संशोधन हमारी गवर्नमेंट नहीं मंजूर कर सकती है तो इससे तो हमें यही मालूम होगा कि हमारी गवर्नमेंट इस सूबे के हर सख्स को इंसाफ मिलने का मौका नहीं देना चाहती है। इसलिए मैं इन चंद अल्फाज के साथ कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट मि० असरार अहमद के अमेंडमेण्ट (संशोधन) को मंजूर कर ले।

माननीय प्रधान सचिव—डिप्टी स्पीकर साहब, यह धारा जो है यह सिर्फ अधिकार प्राप्त करने यानी रिक्वीजीशन से ताल्लुक रखता है। जहां तक एक्वीजीशन का ताल्लुक है उसमें तो अपील है और डिस्ट्रिक्ट जज का रेफरेंस है कि हाईकोर्ट में अपील हो। मगर रिक्वीज़ीशन का जहां तक ताल्लुक है अगर उसके लिये हाईकोर्ट में अपील रखी जाय तो हाईकोर्ट को बहुत ज्यादा वक्त उन कार्यों के लिए देना पड़ेगा, और यह आजकल एक्वीजिशन में बहुत होता है। तमाम रेंट कंट्रोल वगैरह का, मगर रिक्वीजिशन की कहीं कोई अपील नहीं होती है। और रिक्वीजिशन आथारिटी जो गवर्नमेंट मुकर्रर कर दे उनके जरिये रिक्वीजिशन किया जाता

है और जो मुआवजा वे मुनासिब समझते हैं दिलाते हैं, ऐसी कोई शिकायत अब तक नहीं आई है रिक्वीजिशन करके मुनासिब मुआवजा नहीं दिया। इसलिए जहाँ तक रिक्वीजिशन का ताल्लुक है यह धारा ठीक है। जहाँ पर अपील की जरूरत थी, वहाँ पहले यह था कि अपील नहीं होगी, वह क्लाज हटा कर उसका मौका दे दिया गया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद-जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस तरमीम को वापस लेना चाहता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

धारा ११

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १० इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

११—(१) जब कोई भूमि धारा ७ या ९ के अधीन प्राप्त की जाय तो ऐसा मुआविजा दिया जायगा जिसकी धनराशि भूमि प्राप्ति करने के ऐक्ट [लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ ई०] की धारा २३ की उपधारा (१) के पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य खण्डों में दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर मुआविजा अफ़सर द्वारा निर्णित की जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपधारा के वाक्य खण्ड (१) में उल्लिखित बाजार मूल्य (market value) वह मूल्य समझा जायगा जो धारा ७ या ९ के अधीन, जैसी भी दशा हो, सूचना के प्रकाशित होने की तारीख या पहली सितम्बर १९३९ ई० को, और यदि इन दोनों में अन्तर हो तो इन दोनों में से जो भी कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य (market value) रहा हो।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि उस दशा में जब कि उक्त भूमि पहली अप्रैल, सन १९४८ ई० के पूर्व किन्तु पहली सितम्बर, सन १९३९ ई० के पश्चात् किसी रजिस्ट्री किये हुये लेख पत्र द्वारा की गई खरीद के अधीन उसके स्वामी के आधिपत्य में रही हो तो उक्त उपधारा के पहिले वाक्य खंड में उल्लिखित बाजार मूल्य (market value) वह मूल्य होगा जिसे खरीदार ने चुकाया हो।

(२) उस दशा में जब उपधारा (१) के अधीन मुआविजा निर्णित किया गया हो, तो मुआविजा अफ़सर भूमि प्राप्ति करने के ऐक्ट १८९४ ई० की धारा ११ में दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार, जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम के विपरीत न हों, निर्णय देगा।

(३) उस दशा में जब किसी व्यक्ति को, उपधारा (२) के अधीन दिये गये निर्णय से सन्तोष न हो और वह निर्धारित समय के भीतर

न्यायालय के सामने विषय भेजने के लिए प्रार्थना--पत्र दे तो मुआविजा अफसर उक्त विषय को उस जिला न्यायालय में निर्णय के लिए भेज देगा जिसका वहाँ अधिकार क्षेत्र हो ।

(४) भूमि प्राप्ति करने के ऐक्ट सन् १८९४ ई० [लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, सन १८९४ ई०] के आदेश जहाँ तक वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (३) के आधीन जिला न्यायालय में निर्णय के लिये भेजे गये विषय पर लागू होंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह तहरीक करता हूं कि दफा ११ जिम्न (१) की लाईन के शब्द "की धारा २३" से लेकर लाईन ४ के शब्द "सिद्धान्तों तक के कुल शब्द निकाल दिये जाँय तथा लाईन ५ के बाद ये शब्द बढ़ा दिये जाँय यानी "इस ऐक्ट के मातहत जो भूमि ली जायगी उसको कम्पलसरी अधिकृत या प्राप्त होना समझा जायगा।"

जनाब वाला, इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि जमीन जो ली जायगी, रिक्विजीशन (अधिकृत) की जायगी या एक्वीजिशन (प्राप्त) की जायगी। एक्वीजिशन (अधिकृत) तो दफा २३ के मातहत की जायगी लेकिन इस दफा के मातहत हक से जमीन वाले को महरूम किया गया है कि अगर कम्पलसरी एक्वीजिशन (अनिवार्यरूप से प्राप्त) हो तो उसमें जो कम्पेन्सेशन हो तो उसमें १५ परसेन्ट जो एडीशनल कम्पेन्सेशन मिलेगा उससे वह महरूम किया गया। सबसे पहिले मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम इस सिलसिले में अगर यह गवर्नमेंट को तरमीम करनी थी तो लैंड एक्वीजिशन एक्ट में तरमीम होती लेकिन इस बात की हद है कि जमीन वाले को कम्पेन्सेशन कम दिया और कम्पलसरी एक्वीजिशन के सिलसिले में जो एडीशनल (अतिरिक्त) हक़ है वह भी उसको न दिया जाय । मेरी समझ में नहीं आता कि शरणार्थियों को मदद करने का ठेका तो हम लें लेकिन सब घरबार अफराद के ले लेवे । अगर एक ऐसा भी क्लाज इसमें होता कि जितने मेम्बरान असेम्बली हैं उनकी सब जमीन बगैर कम्पन्सेशन के ले ली जाँय तो हम देखते कि इस हाउस के कितने सदस्य इस बात को तय करते कि १५ परसेंट जो उनका एडीशनल हक है उससे भी वह महरूम कर दिये जाँय और लैंड भूमि कम्पलसरी (अनिवार्यरूप) से ले ली जाय और उनका १५ परसेन्ट जो हक़ है वह भी न मिले तो यह कहाँ तक इन्साफ की बात हो सकती है । हमारे अलावा बाहर के लोग यह कहेंगे कि जनता के हकूक को लिया जा रहा है। और जब उनको इस हक़ से महरूम किया जायगा तो फिर डिमांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) होंगे और इस सेक्रेटरियट के सामने हम और आप लोग ही कराते हैं। और गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आवाज उठायेंगे जिनको अभी तक इसका पता नहीं है और हमारे मिनिस्टर साहब के ऊपर ारिशों का दबाव पड़ना शुरू हो जायगा कि साहब इसने आर्गनाइजेशन

(संघ) के लिये बड़ा काम किया था—यह हमारा रिश्तेदार है और इसने हमारी बहुत मदद की थी। ऐसी हालत में मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वह ठंडे दिल से सोचे और यह गौर करे कि जमीन वाले को जो हक़ कानूनन हासिल है वह उससे महरूम न किया जाय। इसी लिये मैंने यह मामूली सी तरमीम आपके सामने पेश की है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे वजीर आजम साहब इसको मंजूर फरमायेंगे।

एक तो एक्वीजीशन में प्रोप्राइटर से वैसे कम रेट मिलता है। पूरी जमीन की कीमत भी नहीं मिलती और उस पर आप १५ परसेण्ट से महरूम करते हैं। यह मुनासिब चीज नहीं मालूम होती। मैं यह समझता हूँ कि इस से गालिबन प्रीमियर साहब को भी इत्तिफ़ाक है कि हमने जो यह किया है वह मुनासिब नहीं है लेकिन मजबूरन किया गया है और यह नहीं मालूम किस वजह से यह किया गया है। लिहाजा मैं प्रीमियर साहब से अर्ज करूंगा कि इन जायज तरमीम को मंजूर करके उन अफराद को जो रिफ्यूजीज की मदद करेंगे, जिनकी जमीनों से आपकी गवर्नमेण्ट को क्रेडिट हासिल होगा, कम से कम उनको यह हक़ मिल जाय और इससे वह महरूम न रहें और आप इस तरमीम को मंजूर करें।

डिप्टी स्पीकर—मैं यह देखता हूँ कि असरार साहब ने जो तरमीम पेश की है उसके दो हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्से के मुताल्लिक राजा जगन्नाथबख्श सिंह साहब की भी तरमीम है। तो मैं राय तो दोनों हिस्सों पर अलग अलग लूंगा लेकिन कब्ल इसके कि इसके ऊपर बहस हो, मैं यह समझता हूँ कि राजा जगन्नाथबख्श सिंह साहब भी अपनी तरमीम को पेश कर दें।

***श्री जगन्नाथबख्श सिंह**—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तावित करता हूँ कि धारा ११ (१) की ३ और ४ पंक्ति से शब्द "के पहिले, दूसरे और तीसरे वाक्य खंडों" से निकाल दिये जांय और इनके स्थान पर शब्द "और (२)" जोड़ दिये जाँय।

मेरे संशोधन का नतीजा अर्थात् प्रतिफल यह होगा कि ऐक्ट सन् १८९४ ई० की धारा २३ जो भूमि अधिकृत करने के लिये है बिल्कुल वही हालत इस धारा की भी हो जायगी। मैं यह संशोधन इसलिये उपस्थित करता हूँ कि मेरा विचार यह है कि इस बिल के द्वारा सरकार भूमि लेने का और उसके हेतु मुआवजा देने का जो नियम इस बिल में बना रही है वह अनुचित है और जिस हद तक लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ की तरमीम इस दफा के जरिये से होती है वह बेजा है और बेमौका है। इस वजह से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूँ।

वह बेजा क्यों है और बेमौका क्यों है यह मैं थोड़े से शब्दों में अर्ज कर दूं। जायदाद अथवा जमीन कोई भी लेने के लिये सबसे बड़ा

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ बख़्श सिंह]

सवाल मुआवजे का होता है। यह दफा मुआवजे में इतनी कमी करती है कि इसके बारे में अर्ज कर देना इस मौके पर मुनासिब है। दफा २३, एक्ट न० अव्वल सन् १८६५ ई० में छः और दफायें हैं। जिन के जरिये से मुआवजा देने की रीति स्थापित है। इन छः दफाओं में से सिर्फ तीन दफायें सरकार ने इस दफा ११ में शामिल की हैं बाकी तीन दफायें उसने छोड़ दी हैं। वह तीन दफायें मेरे ख्याल में बहुत जरूरी हैं, मगर फिर भी मैं उनको पढ़ कर ज्यादा वक्त न लूंगा। मेरा ख्याल है कि माननीय सभासद इनको देख चुके हैं और जानते हैं। अलावा इसके दफा २३ (२) में यह अख्तियार दिया गया है कि जब किसी जमीन को अनिवार्य रूप से अधिकृत किया जाय तो मौजूदा कीमत से पंद्रह फीसदी और दिया जायगा। यह दफा भी इस से निकाल दी गई है। इस तरह से मेरा विचार है कि दफा २३ में जो हक मुआवजा का दिया गया है वह बहुत दूर तक तोड़ दिया गया है। अव्वल तो यह जमीन जो इस दफा के जरिये से ली जायगी उसकी तादाद बहुत कम नहीं होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार बहुत थोड़ी सी जमीन लेगी अगर लोगों को मुआवजा कम मिला तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मगर फिर भी मैं इस सवाल के ऊपर ज्यादा जोर देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं इस सवाल पर जोर देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसके जरिये से मालिक आराजी, मालिक जायदाद के असली हकूक पर आघात पड़ता है। इसी को खास-तौर पर सामने रखकर मैंने यह तरमीम पेश की है। अगर यह खास वजह न होती तो शायद मैं इस तरमीम को इस भवन के सामने न लाता और जैसे कि मैंने और कोई तरमीम इस बिल में नहीं की, उसी तरह से एक तरमीम और भी पेश न करता। लेकिन मैं चाहता हूँ और मुझ को विश्वास है कि माननीय सभासद इतने बड़े मौलिक अधिकार पर आघात करना पसन्द नहीं करेंगे, जिसकी इस मामले में बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह दफा बेमौके है और बेजा है। अब फंडामेंटल रायट्स के ऊपर क्योंकर आघात होता है, इस के लिये मैं अवश्य थोड़ा सा समय लूंगा। श्रीमान् देखेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दफा २६६ के मातहत किसी जायदाद को भी बिला मुआवजा दिये हुए और मैं कहूंगा कि पूरा पूरा मुआवजा दिए हुये किसी गवर्नमेंट को लेने का हक नहीं है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस दफा को मैं पढ़ दूँ।

Compulsory acquisition of land

No person shall be deprived of his property save by authority of law.

Neither the Federal nor a Provincial Legislature shall have power to make any law authorising the compulsory

acquisition for public purposes of any land, or any commercial or industrial undertaking, or any interest in, or in any company owning, any commercial or industrial undertaking, unless the law provides for the payment of compensation for the property acquired and either fixes the amount of the compensation, or specifies the principles on which, and the manner in which, it is to be determined.

अनिवार्य भूमि प्राप्ति

(कोई व्यक्ति बिना विधि-अधिकार के अपनी सम्पत्ति से वंचित न किया जायगा।)

न तो संघ के विधान--मंडल और न प्रांतीय विधान मंडलों को ही, कोई ऐसी विधि बनाने का अधिकार होगा जो किसी भूमि अथवा किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) या किसी स्वत्व को, जो किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) में अथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले प्रमंडल (कम्पनी) में है, लोक प्रयोजनार्थ प्राप्ति का अधिकार देती हो, जब तक कि विधि, अवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआविजे का प्रावधान न करती हो और या तो मुआविजे की राशि का निश्चय न कर दे या उन सिद्धान्तों और राशि का उल्लेख न कर दे जिन से मुआविज़े का निश्चय होना है।)

अब आप यह देखेंगे कि इसमें कोई मतभेद नहीं होगा कि पूरा कम्पेन्सेशन देने का दफ़ा के जरिये प्रस्ताव है। अगर यह दफ़ा कहती है कि इसमें तादाद कम्पेन्सेशन देना इख़्तियारात और उसके सिद्धान्तों को निर्धारित करना आवश्यक है तो इसके यह मायने नहीं हैं कि पूरे कम्पेन्सेशन को कम करके ऐसे सिद्धान्त बनायें। मैं कोई कानूनदाँ नहीं हूँ लेकिन इसके सबूत में मैं मौजूदा कांसटीट्यूशन को पेश करता हूँ, फन्डामेन्टल कमैटी ने जो पेश किया है और जो मन्जूर होगया है। उन्होंने बजिन्सहू २६६ दफ़ा की नक़ल कर दी है और यह कहा कि कम्पेन्सेशन के बारे में प्रान्तीय गवर्नमेन्ट को इख़्तियारात हैं वह कम करना है। इसलिये उन्होंने जाहिर कर दिया है कि दफ़ा २६६ में पूरे कम्पेन्सेशन देने के इख़्तियारात हैं। मैं महज़ वह सेक्शन पढ़ देना चाहता हूँ जो इस नुक़्ते को साफ़ करता है और वह यह है—

"वह कहते हैं कि"

No person shall be deprived of his property save by authority of law.

No property, moveable or immoveable, including any interest in or in any company owning any commercial or industrial undertaking, shall be taken possession

of or acquired for public purposes under any law authorising taking of such possession or such acquisition, unless the law provides for payment of compensation for the property taken possession of or acquired and either fixes the amount of the compensation, or/specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined.

Right to constitutional remedies

The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed.

The Supreme Court shall have power to issue directions or orders in the nature of the writs, habeas corpus, mandamous prohibition, que warran to and certiorari whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this part.

Parliament may, by law, empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exerciseable by the Supreme Court under cause 2. of this articles.

(कोई व्यक्ति बिना विधि-अधिकार के अपनी सम्पत्ति से वंचित न किया जायगा।)

कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) में अथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले प्रमण्डल (कम्पनी) में, है, ऐसी विधि के अधीन, जो ऐसी धृति अथवा अवाप्ति का अधिकार देती है, लोक प्रयोजनार्थ धृत अथवा अवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धृत अथवा अवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआविज़े का प्रावधान न करती हो और या तो मुआविज़े की राशि का निश्चय न करदे या उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख न कर दे जिन से मुआविज़े का निश्चय होना है।

सांविधानिक उपचाराधिकार

इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रेरित करने का अधिकार (गारंटी) प्रत्याभूत किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त अधिकारों में से किसी की भी पूर्ति कराने के लिये बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छालेख उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।

संसद, विधि द्वारा, किसी दूसरे न्यायालय को अपने अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह मुआवजा लेने में किसी तरह से इस बात पर फरीकैन को इत्मीनान न हो तो उनको इस बात का हक़ ड्राफ्ट कॉंस्टीट्यूशन के ज़रिये दिया जाता है कि वह क़ानून की शरण लें और ऐसी सूरत में अदालत को इस बात का इख्तियार होगा कि प्रिंसिपल्स और सिद्धान्त के आधार पर ज़मीन देने के निर्णय को स्थापित करें। मेरे कहने का अभिप्राय है कि इस कम्पेंसेशन के सवाल को इस हद तक सोचा जा रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ज़मीन लेने में कम्पेंसेशन का सवाल एक बड़ा सवाल है जिस पर सब प्राविंशियल गवर्नमेण्ट ग़ौर कर रही है। हाल में मैंने अभी पढ़ा केन्द्रीय सरकार के सामने बल्कि मैं यह कहूँगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने, मगर चूंकि इसमें मुख्य हाथ केन्द्रीय सरकार का था इसलिये मैं समझता हूँ कि वह केन्द्रीय सरकार की राय हो सकती है। उसी ने निश्चय किया है कि बिहार का मामला जो अभी पेश है वह एक टेस्ट केस है। टेस्ट केस किस बात का है। इस बात का होगा कि ज़मींदारों के अधिकार क्या हैं? सरकार के अधिकार ज़मीन लेने के क्या हैं? कम्पेन्सेशन की क्या सूरत होना चाहिये? मुआविज़ा कितना देना चाहिये? और उस का आर्थिक प्रभाव जनता पर क्या होगा? जो मुख्य बात कम्पेन्सेशन की है वह इस बिल के द्वारा बहुत कम की जा सकती है। १५ फीसदी तो पहली दफ़ा से निकल जाता है, बाकी तीन दफ़ाओं के निकालने से वह बहुत ज्यादा कम हो जाता है लेकिन इस बिल के बाद मुझे यह मौक़ा नहीं मिला कि मैं यह हिसाब बतला सकता कि बाकी तीन दफ़ाओं के निकालने से मुआविज़े की तादाद में कितनी कमी हो जावेगी। इसलिये पूरी फ़िगर्स नहीं दे सकता। किसी दूसरे प्रान्त का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अपने ही प्रान्त का प्रमाण दूँ तो मैं माननीय माल सचिव के उस वक्तव्य का प्रमाण दूँगा जिसमें उन्होंने अपनी मुश्किलों को ज़मींदारी को मिटाने के बारे में यह भी दिखलाया था कि हमारे विरोधी दफ़ा २९९ गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट को नहीं देखते हैं। दफ़ा २९९ गवर्नमेंट आफ इन्डिया को केवल कम्पेनसेशन पर निर्धारित किया गया है। अतः मैं समझता

हूँ कि इस बात को भी जानते हुये कि कम्पेन्सेशन (मुवावज़ा) का सवाल बहुत बड़ा सवाल है और उस कन्पेन्सेशन के मामले में इस तरह से कमी करना, तोड़ देना मैं समझता हूँ यह इतना अहम सवाल बेकडोर से हल करना है। इस वजह से मैंने इस संशोधन को इस भवन के सामने पेश किया है। मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधान सचिव इन बातों से नावाकिफ़ नहीं हैं। वह अपने इस भवन के बड़े तजुर्बे के साथ साथ क़ानून का भी बड़ा तजुर्बा रखते हैं जिससे मैं महरूम हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि वह इस मामले को मुझ से ज्यादा वखूवी समझ सकते हैं। हाँ यह जरूर है कि वह एक दूसरे नुक़्तेनज़र से इस पर देखते होंगे और मैं इस मामले को एक दूसरी नुक़्तेनज़र से पेश कर रहा हूं। अलावा इसके अगर आप ग़ौर फरमायें तो आप को मालूम होगा कि अभी मैंने साबित किया कि यह इस वक़्त इतना बड़ा तूफ़ान उठाना बेमौक़ा है और अनुपयुक्त है। मैं यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत थी। लैंड रिक्वीजीशन ऐक्ट ५४ साल से देख रहे हैं वह तमाम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का ऐक्ट है, केन्द्रीय ऐक्ट है । उस को इस तरह से बिल में तरमीम करना मुनासिब नहीं मालूम होता । केन्द्रीय ऐक्ट की निस्बत जहाँ तक मुझे मालूम है पेनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीडयोर की जो तरमीमें होती हैं वह उसी नाम से आती हैं। अगर उस को तरमीम करना है तो लैंड रिक्वीजीशन ऐक्ट नाम से ही तरमीम किया जा सकता है । इस तरह से बेकडोर से नहीं यानी शरणार्थियों के नाम से जिन के नाम से हर एक को सहानुभूति है उनका नाम लेकर कम्पेन्सेशन के इतने बड़े सवाल को कलमजद करना मुनासिब नहीं है। इस वास्ते मैंने यह अर्ज किया कि यह बेमौक़ा तरमीम है और बहुत बेमुनासिब है । मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सुझाव पर ग़ौर किया जायेगा हालांकि हम यह हरगिज नहीं चाहते कि शरणार्थियों से कोई सहानुभूति न हो। शरणार्थियों से हमको पूरी सहानुभूति है । हम इन्तजाम जो कुछ कर सकते हैं उनके लिये उपस्थित है और मैं जानता हूँ कि हर एक ज़मींदार इस बात को समझता है कि ये शरणार्थी हमारे भाई हैं और उनको सुख से रखने के लिये सब कुछ करना चाहिये । न ज़मीन देने में, न मकान देने में, न उनको और आराम पहुँचाने में हमको किसी तरह की आड़ है । मगर आड़ हमको इस पर है कि जब हमारे अधिकारों पर अनुचित कुठाराघात होता है। दूसरा ड्राफ्ट कांस्टीटयूशन बन जायेगा उस के बाद अगर आप कहते हैं कि हम को हक है तब इस तरमीम को करने के लिये कम से कम मैं खड़ा नहीं हूंगा । क्या जल्दी है कि दो महीने के अन्दर इतने बड़े मामले इस छोटी सी तरमीम के जरिये से, बिल के जरिये से तै करें। इस वजह से मैंने यह संशोधन किया है और मैं आशा करता हूं कि मैंने भवन के सामने अपने विचार प्रकट करने में कोई बुराई नहीं

की। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से चाहता हूँ कि वह इसको स्वीकार करे।

श्री रामस्वरूप गुप्त—श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे कभी आशा नहीं थी कि जिस वक्त शरणार्थियों को भूमि प्राप्त करने की कुछ सहूलियतों के बारे में कानून पेश होगा तो उसके लिये इस तरह की आपत्तियाँ उठाई जायँगी जैसी इस वक्त हमारे राजा साहब और उनके साथी कुछ और सज्जनों की ओर से उठाई जा रही हैं।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह—प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन सर (श्रीमान जी, व्याख्या का प्रश्न है)। मैं नहीं जानता कि इसे हिन्दी में क्या कहते हैं इसलिये मैंने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया। मैंने बड़ी अच्छी तरह से साफ कर दिया है कि हम शरणार्थियों को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाना चाहते। लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि जो अधिकार भूमि-पतियों के है उन पर कुठाराघात न हो। अगर इतना कहने पर भी नहीं समझे तो मैं नहीं कह सकता कि इस रामायण में राम कौन था और रावण कौन था।

श्री राम स्वरूप गुप्त—यही बात जिसको राजा साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वह मुझे ताज्जुब में डाल देती है कि एक ओर अपने शब्दों द्वारा तो वे पूरी पूरी सहानुभूति शरणार्थियों के लिये देने की बात करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि भूमि क्या अगर कहीं मकानात देने का सवाल भी हो तो उसको भी हम देने को तैयार हैं मगर हमारे हकों पर आघात न हो। चीज़ सब आपकी है मगर मकान के अन्दर कदम मत देना, क़रीब क़रीब बात वैसी ही की जा रही है। शरणार्थियों के लिये यह कम से कम चीज़ थी, कम से कम आसानी और सहूलियत की बात थी कि जो इस क़ानून के मसविदे में हम लोगों ने प्रस्तावित की हैं। अगर सरकार की ओर से एक बार यह क़ानून आता, क़ानून का मसविदा आता कि शरणार्थियों को हम एक प्लान के मातहत, एक अपने इन्तजाम के मातहत इस सूबे में बसायेंगे और उस बसाने के लिये अगर हमको ज़मीन की मुफ़्त ज़रूरत पड़ेगी तो ज़मीन के मौजूदा मालिक स्वागत करेंगे कि अच्छा खुशी से हमारी ज़मीन लीजिये और शरणार्थियों को बसाइये, इस से कम की आशा हमें इस भवन से, इस प्रांत के उदार महानुभावों से नहीं करनी चाहिये थी, लेकिन इतने प्रतिबन्धों के साथ, इतनी शर्तों के साथ एक क़ानून सरकार की ओर से आया और उसके बारे में भी ऐसी आलोचनायें और ऐसे संशोधन इस भवन में पेश किये गये, मुझे तो इस पर सचमुच ही आश्चर्य हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आप शरणार्थियों को क्या सहूलियतें देंगे अगर इतनी भी सहूलियत देने के लिये तैयार नहीं हैं। मुआवज़ा आप उन से लें, बिल्कुल ठीक है, सरकार आपको मुआवज़ा दिलाती है। यह भी एक तरीके से ठीक

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

है कि अगर आप उस १५ फीसदी और वैसे बने हुए मकानों की कीमत है इस प्रकार की जो सहूलियतें हैं उनका भी मुआवजा लेना चाहते हैं, जिसको लैंड एक्वीजीशन एक्ट में दिया गया है तो खैर सरकार उस पर भी विचार कर लेती। कि उस प्रकार की सहूलियतें भी जमींदार भाइयों और जमीनों के मालिकों के हित में दे दी जांय। लेकिन अगर आप जो तीन या चार साल से जमीनों की क़ीमतें ज्यादा हो गई हैं तिगुनी या चौगुनी कीमतें हो गई हैं उसे यह चाहते हैं कि उसका सारा बोझ शरणार्थियों पर डाल दिया जाय और फिर भी खातिरदारी मेहमांनिवाजी के वादे आप करते जाते हैं तो वे दोनों बातें तो मेल नहीं खातीं। आप आशा करते हैं कि जो जमीनों की कीमतें कोई लम्बे अरसे से नहीं वल्कि लड़ाई के ज़माने में तीन या चार साल के अन्दर किसी वजह से बढ़ गईं उनका तिगुना या चौगुना आप वसूल करें। होना तो यह चाहिये कि इस सूबे की जनता की भलाई के लिये उसके लाभार्थ किसी काम के लिये मसलन् स्कूलों के लिए या और किसी चीज़ के लिये ज़मीनों की जरूरत पड़े तो हमारे ज़मीनों के मालिक यह दावा न करें कि हमको बढ़ी हुई क़ीमत पर मुआवजा दिया जाय। वल्कि लड़ाई के पहले की जो कीमत थी उस कीमत पर मुआवजा मिलना चाहिये। और खास कर जब उन भाइयों के लिए जिन्हें हम मुसीबतजदा कहते हैं जिनका हम अपने प्रान्त में स्वागत करते हैं और जिनकी खातिरदारी करने के लिये हम हृदय के उद्‌गार पेश करते हैं उनसे हमारा तिगुना या चौगुना क़ीमत माँगना सचमुच ही बेजा बात है। यह मैंने अब तक सिद्धान्त और भावना के आधार पर बातें कहीं अब मैं वास्तविकता के आधार पर भी कुछ निवेदन करूँगा।

मैं वास्तविकता की दृष्टि से देखने के बाद भी यही कह सकता हूँ कि इसमें कोई बड़ा नुकसान ज़मींदारों या ज़मीनों के मालिकों को नहीं होगा। बहरहाल जब सूबे में शरणार्थियों के बसाने का सवाल होगा जैसा कि मौजूदा है तो शुरू में तो यह विचार किया जायगा कि उन शरणार्थियों को इस प्रकार बसाया जाय कि सूबे के रीब क़रीब क़सभी ज़िलों में फैल जाँय। ऐसा तो सरकार नहीं करेगी कि दो चार चुनी हुई जगहों में या रियासतों में तमाम जायदादों को क़ानूनों के जरिये से हासिल कर लिया जाय और उनमें सब शरणार्थियों को एक साथ बसा दें। ऐसा करने में तो सरकार का नुक़सान है, यहाँ की जो अर्थ-व्यवस्था है और तिजारत है उन सब में एक प्रकार से जनता का भी नुक़सान होगा। कोई भी सरकार इतनी आखें बन्द करके अपनी अर्थ-व्यवस्था को तो बेकार नहीं होने देगी। और लाखों आये हुए भाइयों को कुछ थोड़ी सी ही जगहों में बसा दे और उन्हीं जगहों पर उन सब का बोझ डाल दे। सारे सूबे के हित के लिये यह आवश्यक है कि इन भाइयों को सारे सूबे में फैलाया जाय।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फेन्थम—आन ए प्वायंट आफ आर्डर (विधान के प्रश्न पर)। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त संशोधन पर बहस कर रहे हैं या गवर्नमेंट की पालिसी पर अपनी तक़रीर कर रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर—आप अपनी तक़रीर को जारी रखें।

श्री रामस्वरूप गुप्त—मैं तो सिर्फ इस वक्त जमीन की क़ीमत पर बहस कर रहा हूँ। और ज़मीन की कीमत पर बहस करते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें किसी भी तबके को किसी भी वर्ग को ज्यादा नुक़सान नहीं पहुँचेगा। जिसके क़ब्जे में ज़मीन है और उसके लिये मेरी दलील यह है कि एक प्लान के मुताबिक ही शरणार्थियों को बसाया जायेगा। तभी शरणार्थियों का लाभ है, तभी इस प्रांत की जनता का लाभ है। हम यह जिलेवार जरूर चुन लें कि कौन-कौन सी जगहें ऐसी हैं, कौन कौन से कस्बे ऐसे हैं जहाँ फलाँ तिजारत ज्यादा पनप सकती है, जहाँ फलां क़िस्म की कारीगरी की जरूरत है और दूसरी तरफ़ इन सब शरणार्थियों की रजिस्टरी हो चुकी हो और उस रजिस्ट्रेशन में यह दिया हुआ हो कि उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है, यह सब उस प्लान में दिया हुआ है। तो इन दोनों चीजों का मिलान मिलाना पड़ेगा। यह जो कारीगर हैं और ख़ास ख़ास पेशे का अभ्यास रखते हैं और तमाम दूकानदार हैं ऐसे लोगों को हर जिले में हर क़स्बे में तादाद मुक़र्रर करके बसाना होगा और उसी हालत में उनको रोजगार भी मिल सकता है और उस जिले या कस्बे की तिजारत में भी तरक्की हो सकती है और प्रांत की आर्थिक अवस्था भी गड़बड़ न होगी बल्कि उसकी भी उन्नति होगी। ऐसी प्लान के मुताबिक उनको बसाना होगा तो साफ सी बात है कि उनका वितरण समान रीति से सारे प्रांत में हो जायगा और किसी ख़ास ताल्लुकेदार की रियासत पर उसका असर न होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की आशंकाएँ मन में उठाना और इस प्रकार की तजवीजें करना जिसमें स्वागत के बजाय यह मालूम हो कि आप उनको अपने दरवाजे से धक्का दे रहे हैं और ऐसे वर्ग जो उदार हैं और उदारता का दावा करते हैं और यह बहुत कुछ सही भी है उनके लिये यह उचित नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि राजा साहब अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री साजि़द हुसैन—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अपनी पार्टी के लीडर की तरमीम को सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जितनी तक़रीरें मैंने सुनीं उनसे बहुत सी ग़लत फहमियाँ हो रही हैं। साफ तरीके से हमारी तरफ से कह दिया गया था कि हम शरणार्थियों की मदद करने के लिये तैयार हैं। यह एक ऐसी आम बात है कि शरणार्थी क्या कोई भी

इन्सान मुसीबत में हो. शरीफ इन्सान का फर्ज है कि उसकी हमदर्दी जहाँ तक हो सके करे यह बात महदूद कर देना कि गैर शरणार्थियों का लिमिटेशन आप कायम करते हैं यह ठीक नहीं है। इन्सान का फ़र्ज है कि इन्सान के काम आए। अब रहा सवाल मुआवज़े और कम्पेन्सेशन का, इसमें जो कमी की गई है वह किसी ख़ास तरीक़े और ख़ास बुनियाद पर नहीं है यानी बेबुनियाद है और बे इन्साफी की बात है अगर कोई शरणार्थी यहाँ आए, या यहीं का कोई गरीब मारा मारा फिर रहा हो तो यह एक आदमी का ही फ़र्ज नहीं है बल्कि यह तो एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, हमारे तमाम सूबे और मुल्क की। लिहाजा इसको मुश्तरका जिम्मेदारी के तरीके से हमको देखना चाहिए। एक यह नहीं कि किसी की ज़मीन ले ली किसी का मकान ले लिया, यह तो बेजा बात है। अगर मदद करना है तो आप टैक्स क़ायम कीजिए ताकि उसका बोझ सब पर बराबर हस्बे हैसियत पड़े। इन्डीविजुअल मुआवजे से कोई वास्ता नहीं है। एक कस्बे या मौजे में तो आपने थोड़ा सा कम्पेन्सेशन दे कर जायदाद ले ली और दूसरे बिलकुल बच गए यह तो इन्साफ नहीं है। आप एक स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से तै कीजिए चाहे नकद की शक्ल या कर्जे की शक्ल में दीजिए और उनको ज़मीन मकान वग़ैरा दीजिए लेकिन जिसकी चीज़ लीजिए उसको मुनासिब मुआवजा मिलना चाहिए, यही समझदारी और इन्साफ का तरीका है, चूंकि हमारे पास अख्तयारात हैं इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, मेरा तो यह तरीक़ा रहा है कि जो कुछ अपने इल्मोयक़ीन में ईमानदारी के साथ समझ में आया वह पेश किया आप उसको मानें या न मानें, खुदा और परमेश्वर के सामने आप जवाब देंगे, बहरहाल मैं तो पेश करना अपना फर्ज समझता हूँ कि आप स्लाइडिंग स्केल पर एक टैक्स लगाइए और एक फंड कायम कीजिए और शरणार्थी या गैर शरणार्थी जो भी मुस्तहक़ हैं सबकी आपको मदद करना चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। यह आपका फ़र्ज है।

श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस तरमीम को सपोर्ट (समर्थन) करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मालूम होता है कि पालिसी तो बड़ी अच्छी है मगर मुझे थोड़ा शक होता है कि उनकी थ्योरी (लेखात्मक) और प्रेक्टिस (क्रियात्मक) में बड़ा भारी फर्क होता है। थ्योरी तो अच्छी होती है मगर (प्रेक्टिस) में धोखा हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमको शरणार्थियों की मदद करना चाहिये सिर्फ शरणार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए। इसी वास्ते मेरे लायक़ दोस्त असरार अहमद साहब ने जो तरमीम पेश की है उसको सरकार को मँजूर करनी चाहिए। मगर इसके मानी यह नहीं है कि आप एक की मदद कीजिए और दूसरे का गला काटिए। आपको यह देखना चाहिए कि

शरणार्थी कौन है। आज तक हमारा तजुर्बा है कि शरणार्थियों को फ्री पब्लिक कैरियर के लाइसेन्स दिए गए हैं मगर उसके साथ हर शख्स के पास १२,००० रुपया होना चाहिए तो यह पैनीलैस पापर इतना रुपया कहाँ से लाए। अभी देहरादून का किस्सा है कि एक ईसाई कालोनी है। वहाँ जिस जमीन की १५,००० रुपया कीमत थी उन्होंने ६०, ७० हजार रुपया देकर कब्जा कर लिया है और १५ फी सदी जो घटाना चाहते हैं और सन् ३९ का मुआवजा देना चाहते हैं उससे शक होता है कि जो लोग ऐवान में बैठे हैं वह लोग भूल गए हैं कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि जैसे अँग्रेजी में कहावत है कि 'चैरिटी बिकिन्स एट होम' उन्होंने यह कहा था कि हर शख्स हिन्दुस्तान में एक एक शरणार्थी को अपने घर में रख ले और उसकी हिफाजत करे, तो यह सब मसले हल हो जाँयगे। यह जो कासिल्स रोड पर मकान बने हैं, अगर छोटा सा गेस्ट हाउस पाँच पाँच, दस दस शरणार्थियों के लिए हो जाय तो सब ठीक हो सकता है, तो थ्योरी में एक चीज होती है और प्रैकटिस में दूसरी। जब हम एलेक्ट होकर आए थे, उस वक्त अगर कहते कि आपकी जमीन १५ फी सदी कम एक्वायर की जायगी और सन् ३९ का मुआवजा दिया जायगा और तब पब्लिक की राय ली जाती तो आपको मालूम होता कि वह आपको भेजती या नहीं, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ जैसा कि राजा साहब ने कहा था कि आपके पास एक्ट है, आप सिर्फ दुनियाँ को दिखाना चाहते हैं थ्योरी में कि आप के लिए हमने पलट दिया और आप जो क़ानून चाहते हैं हम वही बना रहे हैं। मन्शा आपकी एक है और करते हैं आप दूसरा। अगर आप शरणार्थियों की मदद करना चाहते हैं बगैर किसी की जमीन को कम कीमत पर लिए हुए चन्दा बटोरिए, जायदादें लीजिये और उनको पूरी कीमत दीजिए और ३९ का मुआवजा न दीजिए। मैं यह भी पेश करना चाहता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट को जायदाद की जरूरत हुई है तो उसने इसी सूबे में सन् ३९ की नहीं बल्कि सन् ५० की कीमत दी है। जो काम साउथ ऐवेन्यू रोड पर १५ या २० हजार का बना था उसको हमारी गवर्नमेंट ने ७५ हजार रुपया दे कर खरीदा है। अगर उसमें दस पाँच हजार कम कर देती, तो कोई हरज न था। तो एक तरफ तो रुपया बरबाद किया जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि रुपये की जरूरत है शरणार्थियों के लिए।

एक शक और पैदा होता है। क्योंकि हम इन्सान हैं इसलिए इसमें रिश्वत आ सकती है। यह हो सकता है कि कोई मोटा तगड़ा शरणार्थी जो कि अपने को शरणार्थी कहता है लम्बे लम्बे सारटीफिकेट दिखाकर जायदाद खरीद ले। एक शरणार्थी साहब मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि वह दस हजार रुपया लगाना चाहते हैं। मैंने पूछा कि आप शरणार्थी हैं, आपके पास दस हजार रुपया कहाँ से आया। उसने कहा कि वह जायदाद पर ६० हजार रुपया लगा

[श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम]

सकता है। उसने कहा कि इस फटी हालत में मेरे पास चार पांच लाख रुपया है और जब अच्छी हालत थी और वह अच्छा था तो उसके लिये २५, ३० लाख तो कोई चीज नहीं थी। ऐसे भी लोग हैं जो अपने को शरणार्थी कहते हैं और अपने को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो क्या आप इन शरणार्थियों के मुकाबले में जिनकी मैंने मिसाल दी है अपने शहरों के रहने वालों का, जो कि यहीं पैदा हुये हैं और यहीं रहना और काम करना चाहते हैं, गला काट कर उनकी जायदाद लेंगे १५ परसेंट पर और १९४९ का मुआवजा देंगे और इस तरह शरणार्थियों का इंतजाम करेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को उनसे हमदर्दी है लेकिन इस बिल में ऐसे वर्डस नहीं रक्खे गये हैं कि शरणार्थी वही समझे जांयगे जिनका कोई ठिकाना नहीं है। आपने इस बिल में जो वर्डस रक्खे हैं वह वेग हैं और जो आपने १५ परसेन्ट और सन् ३९ का मुआवजा रक्खा है इससे शक होता है। हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती न हो। १५ परसेन्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको नये बिल में १५ परसेंन्ट ज़रूर रखना चाहिये नहीं तो आप लेंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट में ले सकते हैं।

मैं इन चन्द अल्फाज़ के साथ अपने लायक़ दोस्त के अमेंडमेंट (संशोधन, की ताईद करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र—मेरे मित्र मिस्टर फैन्थम साहब ने अभी जो भाषण इस भवन में दिया उसी से मुझे यह जरूरत मालूम हुई कि मैं भी भवन के सामने अपने ख्यालात जाहिर करूं।

मिस्टर फैन्थम कहने को तो गरीबों के हमदर्द कहते हैं और जो लोग निराश्रित हैं उनके मददगार बनने की कोशिश करते हैं लेकिन मकसद उनका यही है कि जिनके बड़े बड़े महल हैं और जिनकी बड़ी जायदादें हैं उनका यदि कोई हिस्सा गवर्नमेंट शरणार्थियों के वास्ते लेना चाहे तो उनको वह मदद करते हैं। आपने अपने भाषण में फरमाया कि कैंसिल्स रोड पर जो बंगले हैं उनको लिया जाय, क्योंकि 'चैरिटी बिगिन्स एट होम' लेकिन आपने यह नहीं कहा कि कैंसिल्स रोड के पास जो बड़े बड़े राजे महराजों के बंगले हैं उनमें से क्यों न जगह ली जाय। उन्हीं को लेने की इस बिल में गुंजाइश है।

श्री जगन्नाथ बख्स सिंह—कितने तो ले लिए।

श्री कृष्ण चन्द्र—इसमें तो राज का सवाल नहीं है। मुझे ताज्जुब सबसे ज्यादा यह है कि जो जनता-पार्टी है वह कांग्रेस पर हमेशा यह इल्जाम लगाती है कि वह कैपिटलिस्ट लोगों के साथी हैं और पूंजी पतियों के सहायक हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आज इस बिल के आने से उनकी पोल खुल रही है, यह बिल जमींदारों के खिलाफ नहीं आया है। इस बिल के मातहत जो मकानात बनाये जायँगे वह

ज्यादातर शहरों में होंगे, कुछ छोटे शहरों में भी होंगे, और शहरों में जो जमीनें हैं वह जमींदारों की नहीं हैं। जमींदारों की भी हो सकती हैं, लेकिन वह ज्यादातर पूंजीपतियों की जमीनें हैं। अगर उन पूंजीपतियों के साथ जरा भी ज्यादती होती है इस बिल में, तो जनता पार्टी उनकी तरफदारी लेकर इस बिल की मुखालिफत करने के लिये हमारे सामने भवन में तरह तरह के तरीके अख्तियार करती है। मुहम्मद असरार अहमद साहब ने तरह तरह की कोशिशें कीं इस बिल को टालने की। जब पूंजीपतियों का मसला आता है तो कहा जाता है कि आप नेशनेलाइज़ेशन (राष्ट्रीयकरण) नहीं करना चाहते हैं, आप पूँजीवाद कायम रखना चाहते हैं। पर जो कोई जरा सी भी चीज आती है जिससे पूंजीवाद को जरा सा भी धक्का लगता है तो फौरन पूँजीवाद की मदद के लिए जनता-पार्टी तैयार हो जाती है।

अभी फैन्थम साहब ने जो कुछ कहा है उसमें कोई भी दलील उन्होंने नहीं की। यह जो रियायत १५ परसेंट की मांग रहे हैं वह तो लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट में मौजूद है। उस ऐक्ट में जितनी रियायतें हैं वे रियायतें दे दी गईं तो फिर शरणार्थियों के लिये आपने खास बात क्या की। अगर आप यह समझते हैं कि शरणार्थियों की समस्या एक ऐसी समस्या है, जिस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये, विशेष तौर पर रियायत करनी चाहिये तो जिन लोगों के पास चीजें हैं, जिन लोगों के पास जायदाद है उनको विशेष तौर पर शरणार्थियों के साथ रियायत करनी चाहिये। लैंड एक्वीज़िशन ऐक्ट के मुताबिक तो आप तमाम सार्वजनिक कामों के लिये ले ही सकते हैं लेकिन शरणार्थियों के लिये तो विशेष तौर पर रियायत करनी चाहिये। सवाल हमारे सामने जो आता है वह यह है कि एक तरफ तो आप हमदर्दी दिखाते हैं और जाहिर करते हैं कि शरणार्थियों के प्रति बड़ी हमदर्दी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि साहब शरणार्थियों में बहुत से पूँजीपति भी हैं, बहुत से बड़े बड़े आदमी भी हैं। उनमें बहुत से लोग बड़े आदमी हो सकते हैं, वे अपने बड़े बड़े महल और मकानात और रोजगार भी वहाँ पर छोड़ कर चले आये हैं और अगर कोई आदमी है जिसके पास दस लाख, बीस लाख और पचास लाख का कारोबार है और वह अपना घर बार छोड़ कर चला जाता है तो उसको बड़ा धक्का लगता है। जो इस तरह से अपना रोजगार छोड़ कर चला आया है उसकी दशा के ऊपर आपको गौर करना चाहिये। यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि फटी हालत में भी उसके पास ५, ६ लाख रुपये हैं। इन पांच, छः लाख रुपयों को देख कर फैन्थम साहब को रश्क होता है और ऐसे लोगों के साथ आपकी कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल की, इस धारा की मुखालिफत उन

की तरफ से की जा रही है जो बराबर अपने आप जाहिर करते रहे हैं कि वे पूँजीपतियों को कतई खतम करना चाहते हैं। उनकी तरफ से तो यह कहना चाहिये था कि जितनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, जितनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं वह गवर्नमेन्ट इन शरणार्थियों के लिये, सार्वजनिक काम के लिये ले ले। अगर वाक़ई वे ऐसी बात कहते तो मेरी समझ में यह बात आ सकती थी कि वाक़ई में वे पूंजीवाद के मुखालिफ हैं। जहाँ बराबर वे कहते आये हैं कि पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिये वहाँ जब कभी भी पूंजीपतियों का सवाल आता है तो वे उसकी ताईद करते हैं और दुबक कर चुपक कर और तरह तरह से बातें करके और तरह तरह के तोहमत लगा कर उसकी मुख़ालिफत करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उस संशोधन की जो राजा साहब ने पेश किया है मुखालिफत करता हूँ और राजा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर राजा साहब शरणार्थियों को कोई रियायत देना चाहते हैं तो लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्दर जो उनको रियायत दी गई है, लैंड प्राप्त करने की वे जबरदस्ती उसको पकड़े न रहें। अगर आप कुछ रियायत इनके साथ करना चाहते हैं तो लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट की बात को छोड़ दें और उसके ऊपर रियायतें दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूँ।

श्री प्राण नारायण—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने जो अपनी तरमीम पेश की हैं मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैंने यह देखा है कि यहाँ हमारी तरफ से जब कभी कोई तरमीम पेश होती है तो उसकी मुख़ालिफत ही की जाती है हम चाहे अच्छी बात भी कहें, लेकिन वह बुरी ही मालूम होती है। राजा साहब ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि हम शरणार्थियों के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं और हम लोगों से जो कुछ भी हो सकेगा उनकी हर तरह से मदद करने के लिये तैयार हैं। सिर्फ यह मुआवजे का सवाल जो आया है, उस मुआवजे के सवाल पर गवर्नमेंट को यह देखना चाहिये कि यह जो लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट है उसी को देखते हुए मुआविजा देना चाहिये। सिर्फ मैं गवर्नमेंट से यही कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि वह मुआवजा समझ कर कर दें। जैसा कि आजकल महँगाई का जमाना है। क्योंकि हर चीज़ की कीमत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुआवजा तो हर चीज़ का मुनासिब ही होता है। गैर मुनासिब कभी नहीं होता है। और हमदर्दी हम लोग हर तरह से करेंगे सिर्फ यह बात जबानी ही नहीं है, हर मौके पर हमने जैसा कि गवर्नमेंट जानती है उसकी मदद की है। जब जैसे उसने चाहा है उसी तरह से हमने उसकी मदद की है जैसा कि राजा साहब ने भी कहा है। यही मंशा भी है, महज़ जबानी बात नहीं है। अगर महज़ जबानी ही बात हो

तो वह एक ग़लत बात होती है। इन शब्दों के साथ में इस तरमीम की ताईद करता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—यह जो इसमें तरीका रक्खा गया है मुआवजा का वह तो इस ख्याल से रक्खा गया था कि शरणार्थियों के बारे में शायद सभी लोग इस हद तक त्याग करने को तैयार होंगे, यह चीज़ समझ ली गयी थी। यह तो सिर्फ इस गरज़ के लिये इस एक्ट के मुताबिक लिया जायगा और वह गरज़ है सिर्फ शरणार्थियों के लिये मकान बनाना तो उसमें कोई बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी जायदाद भी नहीं ली जायगी। कहीं कोई जगह खास हुई तो शायद ली जा सके नहीं तो मामूलन इससे किसी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। इस ख्याल से इसमें मुआवजे का तरीका ऐसा रक्खा गया है कि जिससे बहुत ज्यादा कीमत इसकी न देना पड़े और शरणार्थियों का काम चल सके। शरणार्थियों की हालत से सब लोग वाकिफ हैं सबकी उनके साथ हमदर्दी है और हमदर्दी सही भी है। सब लोग उनकी मौजूदा हालत को देखकर उनके लिये अपने दिल में जगह रखते हैं इसी ख्याल से यह बात रक्खी गई थी मगर मैं देखता हूँ कि इस छोटे से मसले के बारे में काफी यहाँ मेम्बरों को इस बात की ख्वाहिश है कि मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिये मैं खुद यह समझता हूँ कि जिस किस्म के काम के लिये यह जमीन ली जा रही है उसमें काफी मुआवजा इसमें रक्खा गया है। इंगलैंड में कुछ अरसा हुआ इस तरह की स्कीम बनाई गई थी कि वहाँ पर मकान कैसे नये बनाये जायँ और जो किल्लत मकानों की वहाँ पर होगई थी वह कैसे बढ़ाई जाय। तो वहाँ पर भी यह बात समझी गई कि जो कीमत मकानों की है अगर वह देना पड़े तब तो मकानों का बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और उसमें सिर्फ मालदार आदमियों के लिये ही बनाने में कामयाबी हो सकती है; नहीं तो कोई और तरीका होना चाहिये। तो उस उक्त इंगलैंड में यह तय हुआ कि बाज़ार की मौजूदा कीमत है वह नहीं बल्कि बजाय इसके जो लड़ाई के पहले कीमत थी वह देकर इस तरह की इमारतों को बनाना है। आज हमारे सूबे में इस वक्त जो जरूरत है वह तो इससे भी ज्यादा संगीन है और अहम है और उसके लिये हमारे वहाँ के सब लोगों की ख्वाहिश यह है कि किसी न किसी ढंग से इलाज होना चाहिये। इसलिये मैं तो यह समझता हूँ कि जो इसमें तजवीज की गई है वह तो इस काम के लिये काफी इन्साफन् सही है और गवर्नमेंट, आप जानते हैं, करोड़ों रुपया इस काम में खर्च कर कर रही है और इससे कोई दिक्कत किसी को होती नहीं, अगर छोटा सा टुकड़ा किसी की जमीन का आ जाय और उसको मुआवजा इस ढंग से दिया जाय। मगर तब भी चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज श के साथ इस

[माननीय प्रधान सचिव]

सिलसिले में बातें कही गईं मैं यह मानने को तैयार हूँ कि अगर हाउस बहुत ही इसके लिये ख्वाहिशमन्द हो तो १५ परसेन्ट जो और मुआवजा मिल सकता है वह लिया जाय। उससे काफी फर्क पड़ जायगा। मगर जो बेसिस दूसरे प्रोवाइजो में नीचे रखा गया है उसे मैं बदलने को किसी तरह तैयार नहीं हूँ क्योंकि फिर तो कुछ रहता ही नहीं है और मैं आप साहबों से दरख्वास्त करूंगा कि आप उसको पेश न करें। लिहाजा मैं यह कहता हूँ कि उसमें जो प्रावीजन है वह रहे और १५ परसेन्ट और मिल जाय, सिवाय इस केस के जिसमें बैनामा बाद को हुआ है तो उसमें बैनामे की कीमत मिले और ज्यादा न मिले। तो मैं उस तरह की तरमीम को मंजूर करने के लिये तैयार हूँ और अगर आप पसन्द करें तो मैं इस क्लाज को उसी तरीके से बनाने को तैयार हूँ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी जो तरमीम इस वक्त जेर बहस है वह तो गालिबन प्रधान सचिव साहब के कहने के मुताबिक मंजूर होती है बशर्ते कि मैंने जो एक और तरमीम जिसका नोटिस दिया है वह वापस ले लूं यानी वह पेश न करूं। इसके बारे में मैं उनको यक़ीन दिलाता हूँ कि वह तरमीम मैं इस हाउस में पेश नहीं करूंगा, जैसा कि प्रधान सचिव ने कहा अगर वह मेरी इस तरमीम को मंजूर कर लेंगे।

लेकिन चूंकि इस भवन में कई बातें कही गई हैं और उनमें जनता पार्टी के सिलसिले में भी बातें कही गई हैं मेरा यह फर्ज है कि मैं अपनी पार्टी की पोजीशन को साफ कर दूँ। काश इस बिल में कोई ऐसा प्रावीजन होता, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि १,००० रुपये से ज्यादा साल भर की आमदनी वाले लोगों की जमीन ली जायगी तो मैं आज इस भवन को यक़ीन दिलाता हूँ, और अब भी अगर यह तजवीज लाई जाय तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, कि मैं उसकी हिमायत करूंगा कि बगैर किसी मुआवजे और कम्पेन्सेशन के उनकी जमीनें ले ली जाँय। या यहाँ ऐसी तजवीज लाई जाय कि इस भवन के जितने मेम्बरान हैं वह यह तय करें कि अपनी एक माह की तनख्वाह इस फंड में देंगे जो कि जमीन लेने के लिये खर्च की जायगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं देखता यह हूँ कि जमींदारी अबालीशन का रिजोल्यूशन पास करके आपने जमींदारों और काश्तकारों में फूट डाल दी है और वह बेचारे अदालतों में जाते हैं, लेकिन किसानों की क्या प्रेक्टिकल हमदर्दी दो साल के अन्दर आपने की है। इसी तरीके से आप एक और गुत्थी डालना चाहते हैं कि जिनको शरणार्थियों से हमदर्दी है उन लोगों की वह हमदर्दी अलहैदा हो जाय। अगर आपकी

शरणार्थियों से वाकई हमदर्दी होती तो आप एक ऐसा बिल लाते कि शरणार्थी सैस लगाया जाय और वह भी एक स्लाइडिंग स्केल पर होता, जिनकी आमदनी ज्यादा है वह ज्यादा सैस दें। इसके लिए मैं आज भी तैयार हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि अपनी हैसियत से प्रोफेसर साहब जितना देंगे उससे मैं १० गुना देने को तैयार हूं। लेकिन अफसोस है कि पार्टी को बिला वजह, बिना किसी वजह के, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारा यह फर्ज है, और डिमाक्रेटिक गवर्नमेन्ट में हमारा फर्ज है कि जितने भी डिफेक्ट्स (कमियाँ) हों हम चाहते हैं कि वह जाहिर कर दें और यही वजह है कि आपके प्रधान सचिव जी ने उसको मंजूर करने की कोशिश की है लेकिन आप उस पर परदा डालने की कोशिश करते रहे हैं। मुमकिन है कि आप शहरों में जो जमीनें लें वह बड़े आदमियों की जमीनें हों और आप उसके लिए ऐसा कोई प्रावीजन लायें। मगर इसके साथ यह भी तो प्रावीजन [व्यवस्था] कीजिये कि जो जमीनें गरीबों की ली जावेंगी उनकी पूरी कीमत दी जायगी। बड़े अफसोस की बात है कि कहने के लिये तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि हम केपिटैलिस्टों [पूंजीपतियों] की मदद नहीं करते। क्या यह वाक़या नहीं कि यहाँ की जो लेबर प्राबलम [समस्या] है उनमें आप कितनी हमदर्दी लेबर के साथ कर रहे हैं। खैर इन अलफाज के साथ मैं अपनी तरमीम को वापस लेता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—अगर आप इजाजत दें तो मैं अमेंडमेंट रख दूँ। जिस शक्ल से यह धारा रहेगी उसे पढ़ता हूँ।

११—(१) जब कोई भूमि धारा ७ या ९ के अधीन प्राप्त की जाय तो ऐसा मुआविजा दिया जायगा जिसकी धनराशि भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट (लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ ई०) की धारा २३ की उपधारा (१) के पहले दूसरे और तीसरे वाक्यखंडों और उपधारा (२) में दिये गए सिद्धांतों के आधार पर मुआविजा अफसर द्वारा निर्णित की जायगी यानी संशोधन यह है कि धारा ११ (१) की पंक्ति ४ में शब्द "वाक्य खंडों" और "में" के बीच में शब्द "और उपधारा (२)" बढ़ा दिये जांय।

किन्तु पहला प्रतिबंध इस प्रकार से होगा कि उक्त धारा की उपधारा (१) के वाक्य खंड (१) और उपधारा (२) से उल्लिखित बाजार मूल्य (Market Value) वह मूल्य समझा जायगा जो धारा ७ या ९ के अधीन जैसी भी दशा हो सूचना के प्रकाशित होने की तारीख या पहली सितम्बर १९३९ ई० को, और यदि इन दोनों में अंतर हो तो इन दोनों में से जो भी कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य [Market Value]

रहा हो। अर्थात् प्रतिबंधों में यह संशोधन किया जाय कि पहली पंक्ति में शब्द "उपधारा के वाक्यखंड (१)" निकाल दिये जांय और उसके स्थान में शब्द "धारा की उपधारा (१) के वाक्यखंड (१) और उपधारा (२)" रख दिये जांय।

और दूसरा प्रतिबंध बदल कर इस प्रकार होगा—

प्रतिबंध यह भी है कि उस दशा में जब कि उक्त भूमि पहली अप्रैल सन १९४८ ई० के पूर्व किंतु पहली सितम्बर सन् १९३९ ई० के पश्चात् किसी रजिस्ट्री किये हुए लेखपत्र द्वारा की गई खरीद के अधीन उसके स्वामी के आधिपत्य में रही हो तो उसका वही मुआविजा दिया जावेगा जो मूल्य खरीददार ने वास्तव में चुकाया हो। अर्थात् प्रतिबंध (२) में निम्नलिखित संशोधन किया जाय—

पंक्ति ४ और ५ में शब्द "उक्त उपधारा के पहले वाक्य खंड में उल्लिखित बाजार मूल्य [Market value] वह मूल्य होगा जिसे खरीददार ने चुकाया हो" के स्थान में शब्द "उसको वही मुआविजा दिया जायगा जो मूल्य खरीददार ने वास्तव में चुकाया हो" रख दिये जांय।

इसी के साथ साथ अगर आप इजाजत दें तो मुकुन्दलालजी अग्रवाल का अमेंडमेंट भी इस में शामिल कर दिया जाय।

उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबंध की तीसरी पंक्ति में शब्द "खरीद" और शब्द "के" के बीच में शब्द "या उपरोक्त तारीखों के बीच किसी ऐसे हकशुफा की डिग्री" बढ़ाये जावें और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जावें—

"या जिस धनराशि के भुगतान पर उसको शुफा की डिग्री में अधिकार मिला हो, जैसी भी दशा हो।"

डिप्टी स्पीकर—आप चाहते हैं कि इसी में उसको भी शामिल कर दिया जाय।

माननीय प्रधान सचिव—जी हां। उसका नतीजा यह होगा कि १५ फीसदी मिलेगा उन केसेज में जिनमें सन् १९३९ ई० के हिसाब से वेल्यू असेस होगी। और जहां सिर्फ सेल हुआ है वहां नहीं। अगर डिग्री हुई हो तो वहां भी सन् १९३९ से ४८ तक जो डिग्रियां हुई हैं, उनमें जो रकम हो वह मिल जाएगी।

श्री जगन्नाथबख्श सिंह—मैं यह समझा हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री का जो संशोधन है उसका मतलब यह है कि धारा (११) की उपधारा

(१) में लैंड एक्वीजीशन एक्ट की धारा २३ की उपधारा (१) व (२) दोनों सम्मिलित कर दी गई अर्थात् १५ फीसदी मुआविजा उसको कम्पेंनसेशन मुआविजा के एक्वीजीशन (प्राप्त) का मिलेगा ।

माननीय प्रधान सचिव—धारा (२) और बढ़ा दी है ।

श्री जगन्नाथबख्श सिंह—धारा (१), (२) व (३) तो हैं ही । इसके अलावा यह और सम्मिलित कर दी गयी है । और प्रतिबंध में भी उपधारा (१) और (२) का लिहाज करके सन् १९३९ और १९४८ के बीच का मुआविजा मुकर्रर किया जावेगा ।

माननीय प्रधान सचिव—प्रतिबंध में जैसा है वैसा ही रहेगा सिर्फ इतना ही फर्क है कि जहाँ मारकेट वेल्यू का सवाल है इसमें सिर्फ क्योंकि प्रतिबंध (२) में इसका जिक्र आया नहीं था तो वह प्रतिबंध (१) ही लिखा था अब उसमें उपधारा (२) का भी जिक्र आ गया है ताकि १५ फीसदी का उसमें प्रौवीजन हो जाये । दूसरी बात यह है कि सन १९३९ और १९४८ के बीच जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनमें १५ फीसदी नहीं दिया जायगा । इसके अलावा सेल्स और प्रीएम्पशन में फुल वेल्यू दी जायगी जो इसमें नहीं है ।

***श्री जगन्नाथबख्श सिंह**—मैं यह हमेशा से आशा करता हूँ कि जब विरोधी लोग किसी बात पर एकमत होते हैं तो प्रधान मंत्री अपनी न्याय प्रकृति के अनुसार उस पर विचार करते हैं । मैं जानता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको वह मंजूर नहीं कर सकते परंतु मैं यह मानता हूँ कि १५ फीसदी के सवाल को बढ़ा देने से जरूर काफी लोग नुक़सान से बच जायेंगे ।

मैंने पहले अर्ज किया था अपनी पहली तक़रीर में कि मैंने धारा ४, ५, ६, का हिसाब नहीं देखा कि उनसे क्या नुक़सान होगा । मगर बहरहाल मैं ज्यादा इस मामले में बाल की खाल नहीं निकालना चाहता हूँ दो वजहों से एक तो यह कि मैंने इस बिल में छोटी छोटी बातों के लिए संशोधन नहीं दिया जैसा कि शायद कुछ मेम्बरों ने समझा हो । मैंने केवल मुआविजे के मौलिक सिद्धान्त के ऊपर आघात के मामले में संशोधन दिया है अगर जमींदारों को उसके खिलाफ शरणार्थियों को कुछ ज्यादा दे देना पड़े तो मुझको इस पर कोई संशोधन देने की आवश्यकता नहीं थी । इस लिहाज़ से भी मैं जानता हूँ कि अब भी इस मुआविजे के मामले में संशोधित धारा के होते हुए भी आघात लगता है । मगर मैं उसी रियायत के साथ मुआविजे के मामले में जो मेरी पहली राय

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ बख्श सिंह]

थी वही क़ायम रखता हूँ क्योंकि अपने संशोधन को वापिस लेने से उस पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो यह और दूसरे यह जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि शरणार्थियों का मामला है इस वास्ते मैं ज्यादा इस मामले को प्रेस करना नहीं चाहता और अपने संशोधन को वापस लेता हूँ और इसके बाद जो मेरा दूसरा प्रतिबन्ध का संशोधन है उसको भी वापिस लेता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—क्या भवन की अनुमति है कि मुहम्मद असरार अहमद और राजा जगन्नाथ बख्श सिंह दोनों अपने अपने संशोधनों को वापिस लें।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ११ की उपधारा (१) की पंक्ति ४ में और शब्द "वाक्य खंडों" और शब्द "में" के बीच में शब्द "और उपधारा (२)" जोड़ दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ११ उपधारा (१) के पहले प्रतिबन्ध की पहली पंक्ति में से "उपधारा के वाक्य खण्ड (१)" यह शब्द निकाल दिए जावें और उनके स्थान पर यह शब्द अर्थात् "धारा की उपधारा (१) के वाक्य खण्ड (१) और उपधारा २" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ११ उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबंध की चौथी और पाँचवीं पंक्ति में से यह शब्द हटा दिये जायँ, यानी "उक्त उपधारा के पहले वाक्य खण्ड में उल्लिखित बाजार मूल्य (Market-value) वही मूल्य होगा जो खरीदार ने चुकाया हो।" और उनके स्थान पर यह शब्द लिख दिये जायँ, अर्थात् "उसको वही मुआविजा दिया जायगा जो मूल्य खरीदार ने वास्तव में चुकाया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११ की उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "खरीद" और "के" के बीच में "या उपरोक्त तारीखों के बीच किसी हक़ शुफ़ा की डिग्री" बढ़ा दिया जावे और अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जावें "या जिस धन राशि के भुगतान पर उसको शुफा की डिग्री में अधिकार मिला हो जैसी भी दशा हो।"

डिप्टी स्पीकर महोदय—धारा ११ उपधारा (१) के पहले प्रतिबन्ध में यहाँ बाजार मूल्य का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार बाजार मूल्य वही होगा जो सूचना के प्रकाशित होने की तारीख पर रहा हो, किन्तु यदि १ सितम्बर सन् १९३९ को किसी भूमि का बाजार मूल्य सूचना प्रकाशित होने की तारीख पर जो मूल्य हो उससे कम हो तो १ सितम्बर १९३९ वाला मूल्य ही बाजार मूल्य माना जावेगा। इसके विपरीत यह होता प्रतिबन्ध में उन भू-स्वामियों की रियायत की गई है कि जिन्होंने भूमि १ सितम्बर सन् १९३९ के पश्चात् और १ अप्रैल सन् १९४८ के पूर्व रजिस्ट्री किये हुये विक्रय पत्र द्वारा खरीदी हो। ऐसे भू-स्वामियों की भूमि का बाजार मूल्य वही समझा जावेगा जो उन्होंने वास्तव में चुकाया हो यद्यपि वह १ सितम्बर सन् १९३९ के बाजार मूल्य से अधिक हो।

किंतु प्रत्यक्ष है कि उपरोक्त रियायत का लाभ केवल वही भू-स्वामी उठा सकते हैं जिन्होंने भूमि क्रय पत्र द्वारा खरीदी हो। प्रस्तुत शब्दों से उन भू-स्वामियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने उपरोक्त तारीखों के बीच भूमि शुफा के हक़ से प्राप्त की हो—क्रय से या शुफा से प्राप्त करने में वास्तव में जहाँ तक मूल्य का संबंध है कोई भेद नहीं है शुफा से प्राप्त करने वाले भी इस रियायत के अधिकारी हैं मेरे संशोधन से शुफा के द्वारा प्राप्त करने वाले भू-स्वामियों को भी वही मुआविजा मिल सकेगा जो वास्तव में उन्हें देना पड़ा हो इस कमी को दूर करने के अभिप्राय से ही मैंने इस संशोधन के प्रस्ताव को उपस्थित किया है। माननीय प्रधान सचिव की अनुमति भी इस संशोधन के पक्ष में प्रकट होगई है इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को इस भवन की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—मैं इसको मंजूर करता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ११ की उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबंध की तीसरी पंक्ति में शब्द "खरीद" और शब्द "के" के बीच शब्द "या उपरोक्त तारीखों के बीच किसी हक़ शुफा की डिग्री" बढ़ा दिये जायँ और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायँ—

"या जिस धनराशि के भुगतान पर उसको शुफा की डिग्री में अधिकार मिला हो, जैसी भी दशा हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ११ संशोधित रूप में बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२

हस्तगत किये जाने से मुक्ति

१२—(१) उस दशा में, जब कोई भूमि जो धारा ३ के अधीन हस्तगत की गयी हो, प्राप्त न की जाय और उसे हस्तगत अवस्था से मुक्त करना हो तो प्रांतीय सरकार या नियुक्त अधिकारी, जैसी भी दशा हो, ऐसी जाँच पड़ताल के बाद, यदि कोई की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का उल्लेख कर देगी जो उसे ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का अधिकारी प्रतीत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में उल्लिखित व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि का कब्जा देने पर प्रांतीय सरकार उस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा देने के उत्तरदायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी यद्यपि ऐसे अन्य व्यक्ति को कब्जा पाने का न्यायोचित अधिकार हो, किंतु इससे उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार पर विपरीत प्रभाव न पड़ेगा जो उसे उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे भूमि का कब्जा दिया गया है, कानूनी कार्यवाही के आधार पर प्राप्त हो सके।

(३) उस दशा में जबकि वह व्यक्ति, जिसे धारा ३ के अधीन हस्तगत की गयी भूमि का कब्जा दिया जाना हो, नहीं मिल सकती हो या उसका तुरन्त पता न चल सकता हो या उसका कोई ऐसा एजेन्ट या दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसे उसकी ओर से कब्जा पाने का अधिकार हो, तो प्रांतीय सरकार, सरकारी गजट में यह नोटिस प्रकाशित करायेगी कि वह भूमि हस्तगत किये जाने [रिक्वीजीशन] से मुक्त कर दी गयी है और उस नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसी भूमि के किसी प्रमुख स्थान पर लगवा देगी।

(४) उस दशा में जब उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाय, तो उस नोटिस में उल्लिखित भूमि इस प्रकार प्रकाशन की तारीख से हस्तगत अवस्था से मुक्त हो जायगी और उस भूमि के सम्बंध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गयी है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था।

(५) उपधारा (२) या (४) के अधीन कब्जा दिये जाने के उपरांत प्रांतीय सरकार ऐसी भूमि के सम्बंध में किसी भी मुआविजे या अन्य दावों के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तहरीक करता हूँ कि दफा १२ के सब सेक्शन (५) में यह अल्फाज़ बढ़ा दिये जांय "हर ... इस एक्ट के मातहत ली गई हो और उस भूमि पर कोई इमारत भी ... असली मालिक या उसके वारिस को मुनासिब मुआविजे पर ...यगी और मुआविजा किश्तों में या एक मुश्त लिया जायगा।"

जनाब वाला, मैंने यह तरमीम इस गरज से दी है कि यहाँ पर जितने भी हम शरणार्थी बसावेंगे उनके खाने पीने के लिये भी इन्तजाम करेंगे ताकि वह अपनी जिन्दगी को अच्छा बनावें और अपने पैरों पर खड़े हों। उनके रहने सहने का इंतजाम कर दें लेकिन हम देखते हैं कि अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये गांव से आकर लोग शहरों में आबाद होते हैं और छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं और नतीजा यह होता है कि हमारे मुल्क के अफराद एक जगह से दूसरी जगह अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये मुस्तकिल तौर पर चले जाते हैं, ऐसा अकसर जगह हो जायगा कि अगर किसी जगह इमारतें बनवा दें और वहाँ पर से वह असहाब जिनके लिये वह तैयार की गई हैं और अगर वह किसी वजह से फिर वहाँ वापिस हो जांय जहाँ उन्होंने लाखों की जायदादें छोड़ी हैं या दूसरे शहरों और गांवों में चले जायं और वह गरज ही खत्म हो जाय और अगर उस ज़मीन पर कोई इमारत बन गई है तो उसकी क़ीमत मालूम करने के बाद उस ज़मीन के असली मालिक को मुनासिब क़ीमत लेकर वापिस कर दी जाय और मालिक न हो तो उसके वारिसान को अगर वह चाहें, ऐसी क़ीमत दी जाय। अगर ऐसा प्राविजन आप न करेंगे तो यह इमारतें जायज और नाजायज़ तरीके से मजीद फायदा उठाने की गरज से इस्तेमाल की जायंगी, या तो उनको लोकल बाडीज इनकम का जरिया बना लेंगे या जो इसके हक़दार ही न होंगे क्योंकि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, शरणार्थियों की असली मदद तो ज़मीन देने वाला करता है, अगर ज़मीन खाली होती है तो जैसा कि सरकारी कानून में है कि जिस गरज के लिये जमीन ली जाय और उस गर्ज के लिये इस्तेमाल न की जाय या जरूरत बाकी न रहे तो वह असली मालिक को वापिस हो जाती है। लिहाजा इसी बिना पर मैं चाहता हूँ कि यह क्लाज इसमें रख दिया जाय। इमारत बनने से कीमत बढ़ जायगी, सरकार चाहे तो एक मुश्त रुपया ले सकती है अगर रुपया न हो तो वह किश्तों की शक्ल में रुपया ले सकती है। मैं समझता हूँ कि यह तरमीम ऐसी नहीं है जो क़ाबिल क़बूल न हो। लिहाजा मैं हाउस के सामने इसे मंजूर करने के लिए पेश करता हूँ।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ पेश किया गया है वह बेज़रर है। इससे बिल पर किसी किस्म का कोई नुक्स या कोई रुकावट नहीं पैदा होती और यह वाकया है कि ऐसी सूरतें पेश आ सकती हैं गो यह कहा जा सकता है कि ऐसी सूरतें मुश्किल से पेश आवेंगी लेकिन फिर भी पेश आ सकती हैं कि वह शख्स जिसके लिए ज़मीन ली गई है वह छोड़कर चला जाय और उस वक्त कोई ज़मीन मय इमारत के लिए खाली हो जाय। ऐसी सूरत में जैसा कि मेरे लायक दोस्त

[श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स]

श्री असरार अहमद ने जो तरमीम पेश की है उसकी ताईद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह उसूल बिलकुल बेजरर है। उसको मान लेने से बिल में कोई कमजोरी या कमी बेशी नहीं आती जिससे सरकार को कोई दिक्कत हो और मैं प्रधान मन्त्री जी से प्रार्थना करूँगा कि इस पर ग़ौर करके मंजूर करें क्योंकि इससे बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जायँगी।

माननीय प्रधान सचिव—मैं समझता हूँ कि शायद असरार अहमद साहब ने ग़ौर से इसको देखा नहीं है। जो कुछ वह चाहते हैं वह इसमें है और वह देखेंगे कि इसमें इस बात का प्राविजन है कि जिस समय रिक्वीजीशन की हुई जमीन छोड़ी जाय तो वह उसको दी जायगी जो उसका मुस्तहक़ है और जिसकी वह चीज है वह उसको वापिस मिल जायगी और सरकारी आफिसर इंचार्ज उसको देखेगा अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो यह बहुत साफ है कि इस्तेमाल में आई हो या न आयी हो और रिक्वीजीशन किया गया हो तो उसका कब्जा फिर से करा दिया जायगा। इसमें शुबह की बात नहीं है। इसके अलावा आप क्लाज ६ में देखेंगे कि जिसमें रिडम्पशन की शर्त है कि पहले ही शर्त हो जायगी कि वह वापिस कैसे होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—अगर वह कोआपरेटिव सोसाइटी में चली जायगी तो कोई दफा उसमें ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर उसको कोई रेस्टोर (वापिस) कर सके और इस तरह से सोसाइटी मालिक हो जायगी।

माननीय प्रधान सचिव—आप दफा १२ और दफा ६ अगर घर जाकर पढ़ लेंगे तो जो बात मैंने कही है वह आपको सही मालूम होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब वाला, मुझे इस तरमीम के सिलसिले में यह कहना है कि जैसा कि प्रधान सचिव ने फरमाया है कि इसमें कुछ क्लाजेज हैं उनको मैं फौरन देख नहीं सका लेकिन अगर एक उसूल माना जाता है और एक रिडंडेंट क्लाज पड़ा रहता है। मान लीजिए कि एक्वीजीशन करने के बाद बनाने वाले या बिल्डर्स कोआपरेटिव सोसाइटी या लोकल बाडीज होंगे और वही किसी न किसी शक्ल में हक़दार हो जांयगे तब उनसे निकालने के लिए हमारे पास कोई क़ानून न होगा कि असली यह दावा कर सके कि उसकी चीज उसको वापस हो सके। अगर हम ऐसा क़ानून बना दें तो हम उन सोसाइटीज या बाडीज को मजबूर कर सकेंगे कि वह जमीन असली मालिक को मिल जाय। अगर आपको लीगल रिमेम्ब्रेंसर या एडवोकेट जनरल इस क्लाज को रिडंडेंट बतलावें तो आप एक एमेंडमेंट के जरिये से इसको हटा सकते हैं। डेमोक्रेसी के माने ही यह है कि रोजाना बिल बने और रोजाना तरमीमें आवें ऐसी सूरत में यह क्लाज अगर इसमें शामिल हो जायगा तो सबका

फायदा होगा और बिल पर कोई असर भी न पड़ेगा क्योंकि शरणार्थियों की इमदाद करना हर शख्स और इंसान का फर्ज है।

माननीय प्रधान सचिव—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १२ उपधारा (५) के बाद उपधारा (६) जोड़ दी जाय जिसके शब्द यह हैं।

(६) "हर भूमि जो इस ऐक्ट के मातहत ली गई हो और उसकी जरूरत न रहे चाहे उस भूमि पर कोई भी इमारत बनायी गयी हो, असली मालिक या उसके वारिसों को मुनासिब मुआवजे पर वापस की जायगी और उससे मुआवजा किस्तों में या एक मुश्त लिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १२ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें १३, १४ और १५

१३—(१) इस ऐक्ट के अधीन या द्वारा दिए गये किसी भी अधिकार को काम में लाकर दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी उस दशा के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई हो।

इस ऐक्ट के अधीन दी गई किसी आज्ञा के सम्बंध में न्यायालय कोई आपत्ति नहीं करेगा।

(२) उस दशा में जब किसी आज्ञा से यह प्रतीत हो कि वह किसी अधिकारी ने इस ऐक्ट द्वारा दिए गये किसी अधिकार को काम में लाकर दी है, तथा उस पर हस्ताक्षर किये हैं तो कोई भी न्यायालय भारतीय साक्ष्य विधान, सन् १८७२ ई० [इण्डियन एविडेंस ऐक्ट, सन् १८७२ ई०] के अंतर्गत यह मान लेगा कि ऐसी आज्ञा उस अधिकारी द्वारा दी गई है।

१४—(१) उस दशा के अतिरिक्त, जिसकी इस एक्ट में व्यवस्था की गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसने इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के अनुसार सद्भावना से किया हो या करने का विचार किया हो, कोई मुकदमा या अन्य, कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

इस ऐक्ट के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

(२) प्रांतीय सरकार के विरुद्ध, किसी ऐसी क्षति के लिए जो इस ऐक्ट या इसके आधीन बनाए गए किसी नियम या दी गई किसी आज्ञा के पालन में किसी ऐसी बात से, जो सद्भावना से की गई हो या जिसके

[डिप्टी स्पीकर]

करने का विचार हो, किसी व्यक्ति को हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

१५—(१) इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रांतीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकार की सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा सकती है।

(क) मुआविजा अफसर तथा अन्य निर्धारित अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों तथा उनके अधिकार सीमा के सम्बन्ध में;

(ख) मुआविजा अफसरों के पास निर्णय के लिये भेजे गये विषयों (रिफरेंसेज) के संचालन तथा सुनवाई के लिये तथा ऐसे अफसरों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्य-विधि के संबंध में;

(ग) ऐसे प्रार्थनापत्र के रूप [फार्म] निर्धारित करने के लिये जिस पर निर्माणकर्ता भूमि प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र देगा;

(घ) नोटिसों के रूप [फार्म] तथा उनके तामील किये जाने के ढंग के सम्बन्ध में;

(ङ) किसी और काम के लिए जो निर्धारित होने को हो या निर्धारित किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—दफा १३, १४ और १५ में किसी संशोधन की इत्तला नहीं है और अगर किसी माननीय सदस्य को एतराज न हो तो मैं एक सवाल के जरिए से इस पर राय ले लूँ।

सवाल यह है कि धारा १३, धारा १४ और धारा १५ इस बिल का हिस्सा मान ली जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा १

छोटा नाम विस्तार और आरम्भ

१—(१) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई० होगा।

(२) यह ऐक्ट सारे संयुक्त प्रांत में लागू होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भूमिका

क्योंकि यह उचित है कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को बसाने के निमित्त भूमि प्राप्त करने और इस प्रकार प्राप्त की गयी भूमि का मुआवजा नियत करने के लिये कोई शीघ्रगामी विधि नियत की जाय। भूमिका

इसलिये नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है:—

डिप्टी स्पीकर—प्रश्न यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा मान ली जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय प्रधान सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने) का बिल सन् १९४८ ई० जैसा कि वह संशोधित हुआ है स्वीकार किया जाय।

श्री अब्दुल बाकी—प्वाइंट आफ आर्डर। (विधान का प्रश्न है) क्योंकि इस बिल में खासी तरमीम दफा ११ में हो चुकी है इसलिए इसका थर्ड रीडिंग (तृतीय पाठ) नहीं हो सकता।

डिप्टी स्पीकर—सिवा १५ फी सदी जोड़ने के और कोई तरमीम नहीं हुई है और यह कोई ऐसी तरमीम नहीं है जिससे इस बिल की सूरत बदल जाय। इसलिए जिस आदेश के मातहत यह ऐतराज किया गया है उसी आदेश के मातहत मुझे अख्तियार है कि मैं उस आदेश के अमल को मुअत्तल कर दूँ। चुनाँचे मैं इस आदेश को मुअत्तल करता हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—मुझे अफसोस है कि बाकी साहब ने यह उज्र करना जरूरी समझा। अपोजीशन कुछ हद तक मुस्तहक़ है उजरात करने का, मगर जहाँ पर कोई तरमीम और संशोधन इसलिए माने जायँ कि उनकी हिदायतों के मुताबिक़ आइंदा काम हो सके, उस पर इस किस्म का उज्र उठाना यह कोई बहुत मुनासिब और खूबसूरती की बात नहीं मालूम होती है। दरअसल जहाँ तक इस हाउस का ताल्लुक़ है अगर कोई संशोधन माना जाता है तो वह तो इस गरज से माना है कि हम यह चाहते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो हम काम को इस ढंग से करें कि सब की मदद होती रहे और सबके सहयोग से हम अपना काम करें। वरना जो संशोधन या अमेंडमेंट मैंने माना, उसके मानने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया। सेलेक्ट कमेटी में अपोजीशन के मेम्बरान से जिस शकल में यह सेलेक्ट कमेटी में आया इसे मंजूर किया। असल में मैं इसको पार्लियामेंटरी कंवेंशन के खिलाफ समझता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर सिलेक्ट कमेटी में रिप्रेजेंटेड हो

[माननीय प्रधान सचिव]
और कंवेंशनली किसी बिल को मंजूर किया हो तो फिर उस बिल में कोई संशोधन पेश करें या उसको फिर यहाँ आकर किसी तरीके से बेजा नाकाफी और जिस किस्म के अल्फाज यहाँ काम में लाये गए उसको करें। मगर जैसा मैंने कहा मुझे इस बात की कोई ज्यादा ख्याल करने की जरूरत नहीं थी कि टेकनीकली या कंवेंशनली क्या बात हमारे खिलाफ जाती है। हमारी बहुत काफी तादाद है और हम समझते हैं कि जहाँ तक भी मुमकिन हो हम अपोजीशन की ख्वाहिसात को पूरा कर सकें हमें करना चाहिये। और इसी गरज से जहाँ भी गुंजायश होती है उनके ख्यालात को क़बूल करने की, उसके मुताबिक़ चलने की कोशिश की जाती है। मैं चाहता हूँ कि जो कंवेंशन हैं जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का तरीका अमल में आता रहा है उनको जहाँ तक मुमकिन हो आपके नजर-अंदाज न होने दें।

दूसरी बात तो मेरी समझ में इस सिलसिले में कहना गैर जरूरी न होगी कि अब "फेंथम साहब भी अपोजीशन पार्टी में शरीक हो गये हैं और उन्होंने भी एक भाषण किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। उनको पूरा हक़ है कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं, कहें। हम कोई प्वायंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) की बात उठाना भी नहीं चाहते हैं, मगर डिस्कशन (विवाद) जहाँ तक मुमकिन हो जातीयता की लाइन्स पर अच्छा नहीं होता है। रोड का जिक्र करना और यह बात कहना कि वे लोग कैसे मकानों में रहते हैं यह शोभा नहीं देता है। यहाँ जो मेम्बर साहबान हैं अव्वल तो यह कि इस क़िस्म के मसले पर किसी मेरिट पर डिस्कशन करना अच्छी बात है मगर ख्वामख्वाह वल्गर तरीके से किसी चीज को करने से किसी को फायदा नहीं होता। और उससे बाज़ वक़्त यह असर पैदा होता है कि चाहे कोई अच्छा काम भी कोई आदमी क्यों न करना चाहता हो लेकिन वह उसकी वजह से नहीं करा पाता है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सही भी कोई तरमीम होगी तो उसको वह नहीं करा पायेगा लेकिन बाज़ वक्त ऐसा मौका आ सकता है। दूसरी बात यह है कि हम उनके साथ जितनी भी हमदर्दी कर सकें करें। मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें अपने सामने रखना चाहिए। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, कब्ल इसके कि यह बिल पास हो हम यह भी चाहते थे और चाहते हैं कि शरणार्थियों के साथ हमदर्दी हर तबके के हर शख्श की इस हाउस में और इस हाउस के बाहर भी रहे। और जब मैंने कुछ तरमीमें मंजूर की और यह दरख्वास्त की कि इस सिलसिले में और तरमीमें भी ले लीजिये तो इसका अर्थ यही था कि हम सबकी मदद लेना चाहते थे। अगर उन तरमीमों को मूव नहीं करने देना

चाहते तो यह हो भी नहीं सकता था। क्योंकि वोट भी होता तो तरमीम वहीं रहती जो हमें करना था अगर हम चाहते कि जरिया इस बिल को पास करें तो ऐसा कर सकते थे। मगर हम तो चाहते हैं कि हर शख्स से शरणार्थियों को मदद मिले। कानून के अलावा भी लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। हर शख्स को दुनियाँ में बहुत से काम करने होते हैं। और कानून की धाराएँ इन सबके बाहर रहती हैं। शरणार्थियों के लिए अगर कुछ जजबात पैदा हुआ है तो हम कानून बना रहे हैं मगर उनसे बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए कि कानून के अलावा भी हम शरणार्थियों के साथ मलमनसाहत का बर्ताव कर सकते हैं जो कि ज्यादा फायदेमंद होगा बमुक़ाबले कोई क़ानूनी अल्फाज़ के उनकी मुआफ़िक़त में हो जाने के इसी कारण से मैंने यह तजवीज़ की थी कि जो कुछ भी तरमीम हैं उसको सब वापस ले लें। फिर यह बिल जिस तरह से निकले सबकी रजामंदी से निकले जिससे शरणार्थियों को यह मालूम हो कि सब लोग उनके मददगार हैं और असल में इस बिल के पास हो जाने से कहीं पर भी कोई अड़चन की गुंजायश न हो क्योंकि उस अड़चन से शरणार्थियों के लिए नुकसान की गुंजायश हो सकती है जो कुछ भी तरमीम थीं वह रोकी गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब साहबान इस शरणार्थियों के मसले में कम से कम दिल से काम करेंगे और जिससे भी जितनी गुंजायश हो इन ग़रीब और मुसीबतज़दा लोगों को मदद देंगे और मैं चाहता हूँ कि शरणार्थी और आम लोग जो भी इस बिल से फ़ायदा हो सकता है वह फायदा उठाने की कोशिश करें। ताकि मकानों की तादाद काफी बढ़ सके। मकानों के बनने से शरणार्थियों के लिये ही नहीं बल्कि सबके लिए रहने की गुंजायश हो सकेगी और सबको मदद देने का मौक़ा मिले। यह सिर्फ शरणार्थियों का फायदा नहीं है यह सभी लोगों के फायदे की बात है क्योंकि अगर शरणार्थियों को रहने के लिये मकान नहीं मिलते हैं तो फिर जहाँ भी वह जमा होते हैं ऐसी बीमारी फैलने और सेहत खराब होने का अंदेशा होता है जिससे कि सबको नुकसान पहुँचता है और फिर उनका सही इन्ताजाम न होने से और नई दिक्कतों में फँस जाने से सब के लिए अंदेशा रहता है। इसलिये मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आज जो यह बिल पास हो रहा है इसको अमल में लाने में और शरणार्थियों को मदद देने में इस हाउस में और इस हाउस के बाहर सब लोग इम्दाद देंगे।

श्री फ़खरुल इसलाम— जनाब वाला, जो बिल हमारे सामने है और जिसको यह एवान आज पास कर रहा है मैं उसके लिये इस हाउस के

[श्री फखरुल इसलाम]

मेम्बर साहबान और, आनरेबिल प्रीमियर साहब को मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन मुसीबतजदा लोगों की तरफ जो तवज्जह की और उनके लिये ऐसा कानून बनाया कि जिससे उनकी मुसीबतें दूर हो सकें। इस सिलसिले में इस एवान में जो तरमीम मंजूर की गई है वह भी जहाँ तक कि यहाँ के रहने वालों का सवाल है किसी जायदाद के मुताल्लिक़ ही थी उनके लिये वह ऐसी तसल्लीबख्श और बहुत बेहतर नहीं लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि तसल्लीबख्श है और हम यह समझते हैं कि हाउस में हर जहनियत के लोग उसे मंजूर फरमायेंगे। इसी सिलसिले में मैं यह समझता हूँ कि यह एक ऐसा मसला शरणार्थियों का है जिसकी कि बुनियादी चीजें हमारे सामने हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर इस एवान के सामने खासतौर से शरणार्थियों का मसला जो लोग कि अपने मुल्क से और अपने घरों से किसी बजह से निकाले गये उनका एक ऐसा मसला है जिस पर मैं समझता हूँ कि अब वक़्त आगया है कि हम उस पर फिर संजीदगी से ग़ौर करें और सोचें कि आया हमसे यह मुमकिन हो सकता है और क्या यह उम्मेद हो सकती है? अगर हम इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि यह मुसीबतजदा लोग अपने अपने मुल्क को वापिस चले जायँ इसलिये कि वह वहाँ के रहने वाले हैं, उनका वह देश है, वह वहीं की आबहवा में पले हैं और उनके मुवाफिक़ वहाँ की आबहवा है, वह वहाँ पर अपना कारोबार करते थे इसलिये वह वहाँ जायँ। इसकी तरफ़ हमको अब तवज्जह करनी चाहिये और जो आदमी जहाँ से आया है जहाँ उसने अपना घर छोड़ा है वह वहीं पर जाकर आराम से रहे और अपना कारोबार करे। इसके लिये हमको अब रायआम्मा को फैलाना चाहिये और इसके लिये अपनी आवाज़ को बुलन्द करना चाहिये। अगर कोई आपसी झगड़ा है तो वह अब खत्म होना चाहिये ताकि जो आदमी अपने मुल्क से आया वह वहाँ पर जाय। इसलिये मैं समझता हूँ कि वहीं पर वह ज्यादा अच्छा काम और रोजगार कर सकता है। फ़ारसी में एक कहावत है कि मिश्र का रहने वाला जो है वह वहीं पर जाय वहाँ की आबहवा, वहाँ की रहन सहन उसको मुआफिक है। जो शख्स जिस मुल्क में रहता है वह उसी ज़मीन और उसी इलाके का रहन सहन उसके लिये अच्छा इसलिये होता है कि उससे उसकी जिन्दगी बुलन्द होती है और अच्छी होती है। वहाँ पर कुछ भी तकलीफ हो उसके लिये कोई भी बात वह करे वह उसके लिये अच्छी होती है। इसलिये अब वक़्त आगया है कि हम इस बात पर ग़ौर करें कि जो लोग अपने घरों से अलग हो चुके हैं अपने यहाँ से उनको वापिस भेजना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में राय आम्मा को और पाकिस्तान की राय आम्मा को यह हक़ हासिल है कि वह यह मतालबा करे कि यह जो ट्रान्सफर

आफ पापुलेशन (आबादी का स्थानांतर) हुआ है तो यह महज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के चन्द लीडरों का ही फ़ैसला है और उन लीडरों के फ़ैसले पर ज्यादा पाबन्दी नहीं हो सकती है अभी भी पंजाब के बाशिन्दों से यह नहीं पूछा गया कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो और न इसी तरह पाकिस्तान के हिन्दुओं से पूछा गया कि तुम हिन्दोस्तान जाना चाहते हो या नहीं यह चन्द लोगों का फ़ैसला है और इसके हम पाबन्द नहीं हो सकते जब तक कि जनता की राय न ली जाय। हम यह जानते हैं कि मुल्क की हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि वहाँ जिन्दगी दुश्वार हो गयी थी और लोग वहाँ ला और आर्डर की वजह से इस तरह ख़तरे में पड़ गये थे कि वहाँ रह नहीं सकते थे। इन्सान को हक़ हासिल होना चाहिये कि वह जहाँ चाहे वहाँ रहे चाहे वह किसी मज़हब का क्यों न हो। उसे उसकी मरजी के मुताबिक़ उस जगह पर रहने का हक़ हासिल होना चाहिये और उसके ख़िलाफ किसी क़िस्म की ज़हमत पैदा नहीं होनी चाहिये। इस बिल के जरिए से जो शरणार्थियों को रिलीफ दी गयी है वह बहुत खुशी की बात है। आप इस रिलीफ को उन्हें जरूर दीजिये जिससे कि उनकी जो आज हालत है वह बेहतर हो और उनकी परेशानी दूर हो, उनकी तकलीफें दूर हों। यह जो काम आप कर रहे हैं इसके लिये आप क़ाबिले मुबारिक-बाद हैं और मैं समझता हूँ कि इस बिल के जरिये से जिन लोगों के पास ज़मीन खाली पड़ी हैं वे उन्हें खुशी के साथ देने को तैयार होंगे। इस बिना पर मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की तीसरी रीडिंग हमारे सामने पेश है। माननीय प्रधान सचिव ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब सिलेक्ट कमेटी में सब पार्टियाँ मौजूद हों और वह नोट आफ डिस्सेंट न दें तो उनको अमेंडमेंट पेश करने का अख्तियार और हक़ हासिल नहीं होता। मुझे अफसोस के साथ अर्ज करना है कि साढ़े बारह बजे सिलेक्ट कमेटी का वक्त मुकर्रर हुआ था और पौन बजे के बाद, एक बजे के करीब, वह शुरू हुई और साढ़े चार बजे के क़रीब खत्म हुई। हम से सादे कागज पर दस्तख़त कराने चाहे। मैं भी उनमें से हूँ कि जिन्होंने दस्तख़त करने से इन्कार किया। माननीय प्रधान सचिव ने पिछले सेशन में हमारी हिम्मत अफजाई के लिये और गवर्नमेंट के हर काम में मदद करने के लिये दो हिंदी के रिपोर्टर्स हमारी असिस्टेंस [सहायता] के लिये देने को कहा था कि जिनके ज़रिये से हम अपनी दुश्वारियां सही तरीके पर पेश कर सकें। मुझे अफसोस है कि उसके बाद मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिल सका कि जो नोट आफ डिस्सेंट लिखता और सिलेक्ट कमेटी में मैं कई बातें रखना चाहता था तो

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

मुझसे कहा गया था कि जनरल डिसकशन में उन चीजों को पेश किया जा सकता है। तो मेरी यह हिम्मत हुई कि मैंने यह अमेंडमेंट इस हाउस में पेश किया और मैं आपको बता सकता हूँ कि न मैंने रिपोर्ट पर दस्तखत किये और न ही मैंने नोट आफ डिस्सेंट दिया। लिहाजा मुझको हक़ हासिल था कि मैं अमेंडमेंट पेश करूं। और उसके पेश करने का नतीजा यह है कि हमने एक सबस्टेंशियल अमेंडमेंट गवर्नमेंट से मंजूर करा लिया है। और आप जानते हैं कि अगर यह अमेंडमेंट पेश नहीं करते तो फिर आपको सेल्स टैक्स की तरह इस ऐक्ट में भी अमेंडमेंट लाना पड़ता।

दूसरा सवाल जो वाकी साहब ने पेश किया वह अपोजीशन का राइट है। जहाँ डिमाक्रेसी प्रिवेल (प्रजातंत्र राज्य होता है) करती है वहां हमें हक़ है कि हम हर नुक्ते ख्याल से अपने नज़रिए को पेश करें। यह पार्टी इन पावर का काम है कि वह उसको ध्यान से सुने या न सुने। बहरहाल, आपने अपनी स्पेशल पावर से इसको ससपेंड [स्थगित] कर दिया। हमें हक़ था कि हम उसकी तरफ़ आपका ध्यान दिलाते और अगर आप चाहते तो हम उसे वापस भी ले लेते। यह काम ऐसा है कि जिसमें हर शख्स और हर पार्टी की मदद का कोटा होना चाहिये। और इसमें शक नहीं कि वज़ीरे आज़म साहब सबसे ज्यादा मुबारकबाद के हक़दार हैं। और हम उनके लिये मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ग़मज़दा लोगों को, परेशान लोगों को इमदाद देने के लिये जो दो तीन बिल इस ऐवान में पेश करके पास कराये हैं यह उन्हीं की ज़ात थी उन्होंने इस ऐवान में आसानी से पास करा लिये ताकि उन लोगों को जल्दी इमदाद हासिल हो सके। मैं इस ऐवान को और वजीरेआज़म साहब को इत्मीनान दिलाता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से भी यक़ीन दिलाता हूँ कि शरणार्थियों की इमदाद के सिलसिले में जो बिल आइन्दा आते रहेंगे उनमें हम कोई टेकनिकल आबजेक्शन जिससे बिल को कोई हानि पहुँचने का अन्देशा हो, उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी वक्त ऐसा किया भी जायगा तो यह अच्छी नियत से किया जायगा और बिल को अच्छा बनाने के लिये जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तरमीम अच्छाई के लिये हो ही गई है चाहे वह शरणार्थियों के लिये हो या इस सूबे के रहने वालों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी हमारी तरमीमें थीं वह डेमोक्रेसी को अपहोल्ड (स्थिर) करने के लिये थीं कि वह अच्छी निगाह से देखे जाते रहेंगे। अब हम यह देखते हैं कि अक्सर अज़ला में इन शरणार्थियों के खिलाफ कुछ घृणा पैदा हो गई है। लेकिन यह शरणार्थियों के किसी काम की वजह से नहीं। हमारे जिले में भी ऐसी

चीज़ पैदा हो गई है और वह तिजारत के सिलसिले में है। मैं समझता हूँ कि हमको सूबे में एक ऐसी राय क़ायम करना है कि लोगों में जिस किस्म के जज़्बात पैदा हो गये हैं उन्हें हम जल्द से जल्द दूर करें। अगर किसी किस्म का प्रोपेगेंडा हो तो हम लोगों के दिलों से यह चीज़ दूर करें और उन से नफ़रत न करें। बल्कि उनसे ज्यादा से ज्यादा मुहब्बत पैदा करें। मुझे अफसोस के साथ यह भी अर्ज़ करना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी जो बरसरे इक़्तदार है उन के अराकान और असहाब अक्सर व बेश्तर उन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं और बजाय इसके कि उनको इम्दाद दें इसके खिलाफ कोशिश करते हैं। यह मैंने अक्सर अज़ला में देखा और इसकी जिन्दा मिसाल मेरे ज़िले में भी है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी ने भी अपनी आँखों से देखा है। फूलसिंह साहब ने यह देखा है जो बात मैं कह रहा हूँ। और एक हक़ीकत यह है कि नान-कांग्रेस के आदमियों ने जितनी मदद शरणार्थियों की की है, अगर प्रोपोर्शन (अनुपात) लगाया जाय तो उतनी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है ऐसी सूरत में यह कहना कि जनता पार्टी या पब्लिक की दूसरी पार्टियाँ शरणार्थियो की मदद नहीं करतीं, ग़लत है। मैं यक़ीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस में किसी किस्म का काम बढ़ाएँगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। आपको इस पर यक़ीन करना चाहिये।

श्री शिव मंगल सिंह कपूर—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे सामने जो बिल मौजूद है, वह आज से कुछ दिन पहिले इस हाउस के सामने आना चाहिये था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सामने बहुत सी अड़चनें थीं और बहुत से बिल पास करने थे। इसलिये आज इस बिल को प्रधान सचिव ने इस हाउस में पेश किया है और मैं उनको कांग्रेस की तरफ़ से और हाउस की तरफ़ से धन्यवाद देता हूँ। यह बिल यह महत्व रखता है कि जो पंजाब से और सिंध से क़रीब २५ लाख जनता हमारे प्रान्त में आई हुई है, जो बिना घर बार, इतनी कड़ी धूप में, जहाँ उनके खाने और रहने का ठीक प्रबन्ध नहीं है उनका प्रबन्ध करना अत्यावश्यक है। जैसा कि हमारे सचिव ने अपने भाषण में बतलाया है कि हमारे सूबे की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसके अलावा जब पाँच लाख आदमी दूसरे सूबे से हमारे सूबे में आजाते हैं तो हमारी सरकार की और यहाँ के नागरिकों की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है यह हमारी सरकार और यहाँ के नागरिकों को महसूस करना चाहिये और महसूस कर रहे हैं। आज दूसरी तरफ के लोगों ने बतलाया है कि नान कांग्रेसियों ने जो मदद शरणार्थियों को दी वह कांग्रेसवालों ने नहीं दी। यहाँ पर यह सवाल नहीं

आता है लेकिन मैं अपने भाइयों को बतला देना चाहता हूँ कि मनुष्यमात्र के लिये इन्सानियत का तक़ाज़ा है कि जो मुसीबतजदा हों उनके लिये हर एक आदमी का धर्म और फर्ज हो जाता है कि उनकी मदद करें और सहायता करें। आप विश्वास रखिये। मेरा दो जिलों से तालुक़ है। एक तो आजमगढ़ से और दूसरा बनारस से। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि बनारस कांग्रेस कमेटी ने शरणार्थियों के कैम्प से जिस प्रकार मदद की शायद ही किसी जिले में किसी ने की होगी। हजारों की तादाद में ऐसे ठंड के जमाने में उन्होंने शरणार्थियों को रजाइयां दीं उन शरणार्थियों को जिनके घर में लाखों रुपया था और जिसको उजाड़ कर यहाँ आये हैं और वह लोग बिना घर द्वार के त्राहि मचा रहे थे न उनके बच्चों और बीबी के पास रजाई थी न पहनने को कपड़े थे और न खाने के लिये बर्तन थे। बनारस कांग्रेस कमेटी ने और वहाँ के नवयुवकों ने शरणार्थियों को पूरी पूरी मदद दी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के अधिकारियों और स्वयं प्रधान मंत्री ने बनारस जाकर देखा कि किस प्रकार कांग्रेस कमेटी ने शरणार्थियों को मदद दी।

इसी प्रकार शरणार्थी आजमगढ़ में आये थे। मैं अपने लायक़ भाइयों को बतलाना चाहता हूँ जैसा कि प्रधान सचिव ने बतलाया क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में मैं भी था कि जब वहाँ एक एक्ट (धारा) पर विचार हुआ। फिर भी विरोधी पार्टी के लोग संशोधन पेश करते गये और कमेटी ने जिस बिल को मंजूर कर लिया था तब फिर कोई वजह नहीं थी कि इस हाउस में सिलेक्ट कमेटी के बिल पास करने के बाद मेम्बर्स द्वारा संशोधन पेश करके उसका विरोध करना एक अनुचित बात है और जो रवैया और ख्यालात उन्होंने जाहिर किये उनसे तो बिल का विरोध करना है। मैं अपने भाइयों को बतलाना चाहता हूँ कि जो संशोधन पेश किये हैं कि जो आनेवाले शरणार्थी हैं उनको भी मदद दी जाये। अगर आप इस प्रकार मदद देने का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो इतनी तादाद में सूबे में आदमी आजायेंगे कि उनको मदद देना तो दूर रहा आपके यहाँ जो मौजूदा शरणार्थी हैं उनकी भी आप मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि एक मार्च से पहले जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर्ड करा लिया है उनको मदद देने का गवर्मेंट का फर्ज हो जाता है और क़ानून बनाकर इस चीज को कार्यरूप में परिणित करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है।

यह बिल जो आज इस हाउस में आया है अति उत्तम है। इस बिल के जरिये से शरणार्थी भाइयों को हमारी सरकार और जनता हर क़िस्म से मदद देगी। उनको भी संतोष होगा और आपको भी संतोष होगा क्योंकि वह भी आपके भाई हैं उन्होंने इस मुसीबत में देश की आजादी में पूरा हिस्सा

लिया है और इसी में वह तबाह और बरबाद हुये हैं। ऐसी हालत में हमारा और आपका धर्म होता है कि हम इस बिल के पास होने में कोई अड़चन न लायें। उनके बसाने और खिलाने में हमें पूरा सहयोग देना चाहिये। एक मनुष्य जो मुसीबतों में होता है उसका दिमाग़ ठीक काम नहीं करता है। उसकी मानसिक-शक्ति बिगड़ जाती है। फिर भी आप देखें कि वह शरणार्थी जो आये हुए हैं न विशेष आप की तरफ देखते हैं और न सरकार की तरफ ही देखने की कोशिश करते हैं। वह ज्यादातर चाहे उनमें कोई बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा अपनी तपस्या से, मेहनत से काम करते अपने पैरों पर खड़े हो कर अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर आप उन को बसने के लिये जमीन और रहने के लिये मकानात का प्रबन्ध करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मुझे यक़ीन है कि जब एक मुसीबत-जदा आदमी एक प्रांत से आकर दूसरे प्रांत में बसता है और जहाँ की सरकार मुसीबत उठा कर उनको बसाने की कोशिश कर रही है तो उस के बाद उस स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना ग़ैर मुमकिन सी बात है और उसका सोचना भी कुछ दूसरे किस्म की बात होगी। यह बिल अति उत्तम है और मैं इस बिल की ताईद करता हूँ और अपनी सरकार को बधाई देता हूँ और साथ ही हाउस को भी बधाई देता हूँ जो इस बिल को पास करने के लिये तैयार है।

श्री महमूदअली खाँ—मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब को इस बिल के पेश करने पर और यहाँ इस तरीके से बाज़ अहम चीज़ों पर हाउस की तवज्जुह दिलाने के लिये उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारा ज़िला उन ज़िलों में से है जहाँ सब से ज्यादा शरणार्थी आये हुए हैं और अब भी वहाँ बहुत बड़ी तादाद में शहर में भी और ज़िले में भी पड़े हुए हैं। देहरादून वग़ैरह जो हमारे क़रीब के ज़िले हैं वहाँ भी बड़ी काफी तादाद में शरणार्थी भाई मौजूद हैं। यह वाक़या है कि जिस तरह से उन्होंने सर्दी का मौसम गुजारा है मैं समझता हूँ कि निहायत तकलीफ उन्हें थी बड़ी परेशानी उन्हें थी और हालाँकि हुकूमत ने भी बहुत काफी मदद उन्हें पहुँचाई। लेकिन फिर भी बहुत काफी तादाद में सामान ऐसा नहीं था कि उनकी मदद की जा सकती। और दूसरी बहुत सी मुश्किलात रास्ते में आ सकती थीं। बाज ऐसे लोग भी थे जो उनकी मदद की चीजें दरमियान में खा जाते थे मसलन गवर्नमेंट ने रजाइयाँ काफी तादाद में उनको तकसीम करने के लिए इन्तजाम किया लेकिन बाज आदमी जो तकसीम करने वाले थे उन्होंने बीच ही में उनको उड़ा दिया और शरणार्थियों को बहुत थोड़ी तादाद में रजाइयाँ मिल सकीं। हर किस्म के लोग होते हैं। बाज आदमियों ने इन मुसीबतजदा शरणार्थियों की तकलीफ की परवाह न करते हुए अपना पेट भरने की

[श्री महमूद अली खाँ]
कोशिश की। इसके साथ साथ दूसरी चीज यह है कि शरणार्थी अभी तक बहुत सख्त परेशानी में मुबतिला हैं। हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क के टुकड़े हुए और मुल्क की तकसीम के ही नतायज हैं कि हालात इस तरह बिगड़ चुके थे कि अमनोअमान के साथ मगरिबी पंजाब में इन लोगों का और मशरिकी पंजाब में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया था इन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और आज बेघरबार होकर मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं। अभी यह कहना मुश्किल है कि कब फिर वह अब वापिस जा सकेंगे। फिर भी अभी उन्हें यहीं आबाद होना है। लिहाजा उनको आसानी मिलनी चाहिए और ऐसे इन्तजामात होना जरूरी है ताकि वह अमन और सकून के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। बगैर इसके न वह इत्मीनान की जिन्दगी व्यतीत कर सकते हैं और न यहाँ के लोग इत्मीनान के साथ रह ही सकते हैं। सहारनपुर में मैं यह भी अर्ज करूं कि दूसरे लोग भी हैं ज्वालापुर के लोग, देहरादून के लोग। मैंने बारबार आनरेबिल प्रीमियर साहब की तवज्जह उनकी तरफ दिलाई है और मुझे इस बात के बताने में खुशी है कि आनरेबिल प्रीमियर साहब ने उनके लिए बहुत काफी इन्तजामात किये हैं। वह लोग भी बेघर होकर सख्त परेशान हैं। उन को भी मदद की जरूरत है और मैं यह समझता हूँ कि हुकूमत मुनासिब मौके पर उनकी मदद करेगी। मैं इन अल्फाज के साथ दोबारा प्रीमियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और यक़ीन दिलाता हूँ कि सहारनपुर में हम उन लोगों की परेशानियाँ दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और उनको जैसी कुछ सहूलियतें जो हम पहुँचा सकते हैं पहुँचाने में कोई कोताही नहीं करेंगे।

श्री फूलसिंह— जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर मैंने अभी तक इस वजह से बोलने से परहेज किया कि यह बिल जल्द से जल्द पास हो जाय हालांकि बहुत सी ऐसी बातें थीं कि जिन पर मैं बोलना चाहता था। मगर अब चूंकि मेरे एक दोस्त ने मेरा हवाला दिया और कांग्रेस के मुताल्लिक़ भी कुछ कहा तो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मैं कुछ बातें इस हाउस के सामने पेश करूं। यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि कांग्रेस की जमाअत ने शरणार्थियों के मामले में पूरी मदद नहीं की है। सूबा कांग्रेस की तरफ़ से हमने इस बात को दिसम्बर से शुरू किया था और अब तक लगभग २०, २५ जिलों का मैंने खुद भी दौरा किया है कांग्रेस कमेटियों में मुख्तलिफ तरीकों से फ़ौरी इमदाद करने का जो कदम उठाया है उसमें मैं मिसाल के तौर पर एक जिले को पेश करता हूँ—आगरा शहर की कांग्रेस कमेटी ने एक हफ्ते में २५ हजार कपड़े शरणार्थियों की मदद करने के लिये इकट्ठे किये थे। रुपयों के सिलसिले में मैं इतना अर्ज करना काफी समझता हूँ कि अकेले मेरठ जिले में शरणार्थियों की मदद के लिये ३ लाख रुपया इकट्ठा किया और

अब हम ने उस फंड में रुपया जमा करना बन्द कर दिया है। मेरठ और आगरा कमिश्नरी में १० लाख रुपया शरणार्थियों की मदद के लिये हमारे कांग्रेसी भाईयों ने जमा किया है। बेशक हम तनहा कांग्रेस कमेटियों के इन्तजाम में चल रहे हैं और मेरे साथियों को यह जान कर खुशी होगी कि शरणार्थियों के बच्चों की तालीम का भी अच्छा इन्तजाम है। बनारस जिले में मिसाल के तौर पर जहाँ के केम्प में ३ हजार शरणार्थी हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि शरणार्थी बच्चों की तादाद जो स्कूल में पढ़ती है ६०० है, जिनमें ३०० लड़के हैं और ३०० लड़कियाँ हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस कमेटीयाँ शरणार्थियों की तालीम का, उनकी फौरी इम्दाद का पूरा-पूरा इन्तजाम कर रही हैं। अभी जो असली मसला हमारे सामने है वह शरणार्थियों को पूरे तौर पर बसाने का है। एक भाई ने इस इजलास में यह भी जिक्र फरमाया कि शरणार्थी लोग वापस जायँ। यह मसला हमारे बापूजी के सामने था और उन्होंने एक रोज यह फरमाया था कि मेरा इरादा यह है कि मैं इन शरणार्थियों को लेकर पाकिस्तान में बसाऊँ और उस वक्त मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बापूजी की खिदमत में यह अर्ज़ किया था कि हम सब आपके साथ चलेंगे और पाकिस्तान में जाकर शरणार्थी बसायेंगे। मगर अब बापूजी के चले जाने के बाद ऐसे आदमियों का होना जरूरी है कि जो पहले खुद पाकिस्तान में बसने को तैयार हों। जो लोग खुद पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं हैं, जो जमीन दी जा रही उसमें मुआविजे का झगड़ा कर रहे हैं, उनसे यह तवक्के करना कि वह पाकिस्तान में जायेंगे, शरणार्थियों को न बसाने के लिये बहुत ज्यादा है। बहर हाल इस वक्त शरणार्थियों के वापस जाने का मसला एक तरह से बहुत पीछे हट गया है और अब उनको यहाँ बसाने का सवाल हमारे सामने है और उनको बसाने का सवाल भी जल्द से जल्द बसाने का सवाल है चूंकि बरसात में हमारे जो कैम्प हैं वह इस क़ाबिल नहीं हैं कि सब कैम्पों में शरणार्थी खातिरख्वाह रह सकें। इसलिये सिलेक्ट कमेटी में जब यह बिल गया तो मैंने प्रीमियर साहब से यह दरख्वास्त की थी कि कोशिश यह होनी चाहिये कि जल्द से जल्द मकानात मिल जायँ। कुछ लोगों ने यह भी जिक्र किया कि काफी कानून हैं जिन की रू से जमीन भी ले सकते हैं और मकान भी ले सकते हैं।

मैं महज तीन ऐसे क़ानून का जिक्र करता हूँ :—

१—एविक्शन ऐक्ट,

२—फिक्स्ड प्रापर्टी ऐक्ट,

३—लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट।

इन तीनों कानूनों में हमारे बहुत से दोस्त जो बड़ी तारीफें करते हैं और शरणार्थियों की मदद करने की बहुत सी बातें करते हैं वे काफ़ी

अड़चनें डालते हैं। मसलन अड़चन डालने का तरीका यह है कि जो नोटिस तामील होती है उन नोटिसों को ही तामील न होने दें। फिर दूसरी बात गजट की है गजट में छपने में काफी देर लगती है। इसी तरह से जो एविक्शन ऐक्ट है उसमें दिक्कत यह है कि अगर कोई मकान खाली है तो उसको मालिक मकान ने खिलाफ़ क़ायदे उठा दिया या जमीन पर क़ब्जा कर लिया तो उस क़ानून के मातहत महज जुर्माना हो सकता है लेकिन वह इसके लिए तैयार हो जाता है कि जुर्माना हो जाय तो हो जाय मगर मकान मिल जायँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क़ानून की परवाह न कर और शरणार्थियों को न देकर पगड़ी के तरीके से ले दे कर मकान को उठा देते हैं। प्रापर्टीज एक्ट का भी गलत इस्तेमाल हुआ है और उस ऐक्ट का बेजा इस्तेमाल करने वाले शायद जनता के वह दोस्त भी हैं जो यहाँ बड़ी लम्बी-लम्बी तकरीरें फरमाते हैं। होता यह है कि किसी के चाची के नानी के फूफी के ताई का नवासा है। १५, २०, २५, ३० पीढ़ी में भी अगर कोई ऐसा नहीं है तो उस मालिक का नौकर ही है तो उस नौकर को मकान में बैठा दिया जाय। इसी तरह से काफी मकान ऐसे हैं जिनके मालिक पाकिस्तान चले गए। मकान मिस्सार हो रहा है खराब हो रहा है दूकानें इसी प्रकार से काफी ऐसी हैं जिसमें ऐसे ही छोटी मोटी चीजें रख दी गई हैं और दूकाने खाली नहीं की जाती हैं। मैं यह अर्ज करता हूँ कि वहाँ पर लाकर शरणार्थियों को बसा दिया जाय। मैं आपसे इस हालत की वाक़फ़ियत यह भी अर्ज करता हूँ कि गाँव गाँव में घूमकर हर ज़िले का नक़शा बना दिया जाय कि किस किस ज़िले में कितने कितने मकान खाली पड़े हुए हैं बहुत सी ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ मकान बनाए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनको हासिल करले तो बहुत सा खर्चा जो गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है वह बच सकता है। मेरठ के एक कस्बे में ही मैं आपको बतलाता हूँ कि एक हज़ार मकानात मिल गए हैं। इतने मकान खाली पड़े हुए हैं जिनको हमारे दोस्त हथिया रखने की कोशिश करते हैं। दूकानें खाली पड़ी हैं। कुछ नहीं हो तो दो चार मिट्टी के बरतन रख देते हैं और कहते हैं कि ये बरतनों की दूकानें हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि यह एक ऐसा मसला है जिसको फ़ौरी हल की आवश्यकता है। अच्छा होता कि हम तमाम जितनी फारमेल्टीज हैं उनको हटाकर तमाम सूबे का सेंसस लें कि कितने मकान खाली हैं। बहुत सारी ज़मीन सूबे भर में खाली पड़ी हुई है। मेरठ में है, मैनपुरी में है बहुत सारी दूकाने हैं, आलीशान इमारतें हैं। बहुत सी इमारतें ऐसी है जिनमें हजारों आदमी बसाये जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इन इमारतों को एक्वीजीशन (प्राप्त) करने का इंतजाम कर लेती तो इन शरणार्थियों की बहुत मदद हो सकती है। इस वक्त सर्दी और बरसात का इंतजाम हो जाय और आहिस्ता आहिस्ता मकान का इंतज़ाम हो जाय तो यह अर्ज़ करता हूँ

कि इस क़ानून की रू से जो कुछ होगा वह शायद बहुत काफ़ी नहीं है। मेरी दरख्वास्त सरकार से यह है कि इस क़ानून को जल्द से जल्द ऐसे तरीके से तरमीम करे जिससे यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाय। जो लोग पाकिस्तान से आने वाले थे वे आ गये हैं। अब जब तक वे लोग बस नहीं जाते तब तक मुल्क की तरक्की रुक गयी है। अगर मुल्क को तरक्की देना है तो जितने लोग पाकिस्तान से आये हैं उनको बसा देना चाहिए। तो अगर हमको मुल्क को तरक्की देना है तो जल्द से जल्द पाकिस्तान से आए लोगों को बसा देना चाहिए और उसमें इन सब चीजों को बालाए ताक़ रख देना चाहिए। मेरे दोस्त ने ज्वालापुर का जिक्र किया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग मुसलमान भाइयों से लापरवाह नहीं हैं। जो मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके मकान खाली हो गए थे या वह उनको खाली करके चले गए थे उनको बसाने का मामला तो हमारे भाइयों के सामने है। अब काफी आदमी ज्वालापुर वापिस आ गए हैं। पहले हम भी मुनासिब नहीं समझते थे कि कुछ भाइयों को वहाँ ले जाकर खतरे में डाला जाय। अगर वहाँ एक को भी पहुँचा दिया जाता और एक के साथ भी कोई बात हो जाती तो उसका बड़ा बुरा असर होता। कांग्रेस के कारकुनान काफी मुसलमानों को लेकर वहाँ गए थे और अब वहाँ काफी लोग पहुँच रहे हैं और आबाद हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन मुसलमानों को भी जो यहाँ मौजूद हैं उनको वहाँ पहुँचा देंगे। मैं इन चन्द अल्फ़ाज के साथ हाउस से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बिल को मंजूर करे।

श्री महफ़ुजुर्रहमान—मैं तहरीक करता हूँ कि इस पर बहस खत्म की जाय।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि इस मसले पर बहस खत्म की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रधान सचिव—मुझे भवन का और समय लेना नहीं है। इस बिल को सभी ने स्वीकार किया है और इसका स्वागत और खैरमकदम किया है। मैं भवन के सब सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने आगे के लिये जो इत्मीनान दिलाया है कि वह शरणार्थियों के लिये मदद करेंगे और इस काम में कोई भी पीछे नहीं रहेगा उसके लिए मैं सबका मशकूर हूँ। असरार अहमद साहब ने कई बातें कहीं। मैं किसी मेम्बर के लिये यह मुश्किल पाता हूँ कि यह बात सही नहीं है मगर उन्होंने कुछ बातें कहीं जिनका मुझे इल्म नहीं और जिनकी मुझे याद नहीं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं उम्मेद करता हूँ कि इस बिल को सब मंजूर करेंगे और हर तरह से मुसीबतजदा लोगों की मदद करेंगे।

[माननीय प्रधान सचिव]

और कांग्रेस कमेटियाँ, जिनका फर्ज है और जिनको हिदायत है और मुझको मालूम हुआ है कि वह कई जगह कैम्प रन करा रही हैं, उनकी भी मदद है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे उम्मीद करता हूँ और इस काम में हमारा इन्सानी फर्ज भी है कि हम इन शरणार्थियों के दुखों में उनका साथ दें।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि संयुक्त प्रांत का भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने का) बिल, सन् १९४८ जैसा कि वह इस भवन में संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद भवन ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचंद्र भटनागर,
मन्त्री लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
४ मई, १९४८

नत्थी 'क'

(देखिये ३ मई १९४८ के शेष प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६ पर)

जन-सुरक्षा-विधान के अन्तर्गत बंदी बनाए गये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड तथा खाकसार संस्थाओं के सदस्यों की तालिका।

बीस अप्रैल तक ठीक

जिला	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ	मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड	खाकसार
देहरादून	२८	१	...
सहारनपुर	३३०	१०३	२
मुजफ्फरनगर	१९०	३४	...
मेरठ	१८५	१२	१०
बुलन्दशहर	१६७	३२	६
अलीगढ़	९५	१७	१
मथुरा	१५१	१४	...
आगरा	४७	४	१५
मैनपुरी	४२	४०	...
ऐटा	१३०	३४	६
बरेली	६३	८	...
बिजनोर	७८	१९	२
बदायूं	३१	१४	...
मुरादाबाद	३८	३७	...
शाहजहांपुर	२८	२०	७
पीलीभीत	५१	२०	५
फरूखाबाद	६७	२०	३
इटावा	३७	११	...
कानपुर	३४५	३२	२१
फतेहपुर	३४	२	...
इलाहाबाद	८९	४	५
बांदा	११	...	५
हमीरपुर	२५	...	...
झांसी	८०	२	४
जालौन	१४	२	...
बनारस	४८	२५	१३
मिर्जापुर	९६	६	...
जौनपुर	३०	४	...
गाजीपुर	१५	१२	...

जिला	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ	मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड	खाकसार
बलिया	२५	८	...
गोरखपुर	८१	६३	...
बस्ती	२५	१७	...
आजमगढ़	२१	३४	...
देवरिया	४०	३	...
नैनीताल	४५	४	...
अल्मोड़ा	१३	...	...
गढ़वाल	१४	...	...
लखनऊ	४९	२०	४
उन्नाव	७२	७	...
रायबरेली	६१	१३	...
सीतापुर	६२	...	...
हरदोई	१९	४	...
खीरी	५०	११	...
फैजाबाद	५२	१६	...
गोंडा	८६	२८	३५
बहराइच	२९	४७	१२
सुल्तानपुर	३९	६	...
प्रतापगढ़	३७	१०	...
बाराबंकी	११	३	...
	३२५६	८२३	१५६

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बुधवार, ५ मई, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४६)

अजित प्रताप सिंह
अब्दुलग़नी अन्सारी
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल हमीद
असग़र अली खाँ
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ऐजाज रसूल
करीमुर्रज़ा खाँ
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द्र पुरी
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक़्त राय
खूब सिंह
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपालनारायण सक्सेना
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
गंगा प्रसाद
गंगासहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरणसिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ बख्श सिंह
जमशेद अली खाँ, मुहम्मद

जमालुद्दीन अब्दुलवहाब
ज़ाहिद हसन
जहूर अहमद
ज़ाकिरअली
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा
त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊ दयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्मदास, एल्फ्रेड
नफ़ीसुल हसन
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना
फ़ख़रुल इस्लाम
फ़तेह सिंह राणा
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फ़ैयाज़अली
बंशीधर मिश्र
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बदन सिंह
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
बिजयानन्द
बीरेन्द्र शाह
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह
मंगला प्रसाद
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली ख़ाँ
मिजाजीलाल
मुकुन्दलाल
मुकर्जी, विनय कुमार
मुजफ़्फ़र हसन
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद)
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद याक़ूब
मुहम्मद रज़ा ख़ाँ
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुवीर सहाय
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन राय
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामचन्द्र सेहरा
रामचन्द्र पालीवाल
रामजी सहाय
रामधारी पांडे
रामधर मिश्र
रामनारायण
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
रामस्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह

लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव
लालबहादुर माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़अली खाँ
लोटनराम
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रसाद
विष्णु शरण दुबलिश
वेंकटेशनारायण तिवारी
शिव कुमार पांडेय
शंकरदत्त शर्मा
शिवदयाल उपाध्याय
शिवमंगल सिंह कपूर
शौक़त अली खाँ
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
श्रीवास्तव, जयकृष्ण
सईद अहमद
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खाँ
साजिद हुसैन
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सिंह
हसरत मुहानी
हुकुमसिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

नोट—माननीय अर्थ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ मई सन् १९४८ ई०

अल्प सूचित ताराङ्कित प्रश्न

गोरखपुर जिले में मुस्लिम नेशनल गार्डों की गिरफ्तारी

*१—श्री फ़ख़रुल इस्लाम—क्या सरकार जानती है कि गोरखपुर में कोई मुस्लिम नेशनल गार्ड १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० के पहले से और उसके बाद से नहीं कायम था ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड संस्था गोरखपुर में १५ अगस्त १९४७ से पहिले से क़ायम थी और उसके बाद भी रही।

*२—**श्री फ़ख़रुल इस्लाम**—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर में कितने आदमी मुस्लिम नेशनल गार्डों के नाम पर गिरफ़्तार किये गये हैं ? उनमें से कितने अब तक छोड़े जा चुके हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—६३ मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सदस्य गोरखपुर ज़िले में वन्दी बनाये गये और इन सब को छोड़ने की आज्ञा दी जा चुकी है।

*३—**श्री फ़ख़रुल इस्लाम**—क्या सरकार ने कमिश्नर, गोरखपुर और बनारस से कोई रिपोर्ट गोरखपुर के गिरफ़्तार लोगों के मुतल्लिक माँगी थी ? कमिश्नर ने कितने मुस्लिम नेशनल गार्ड और कितने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों की रिहाई की सिफ़ारिश की और उनमें से कितने अब तक रिहा हो चुके हैं और बकिया को सरकार कब छोड़ने का इरादा कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—(१) जी हाँ।

(२) वह सब लोग जिन्हें कमिश्नर गोरखपुर-बनारस डिवीजन ने छोड़ने की सिफ़ारिश की थी अब तक छोड़े जा चुके हैं। ८७ व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्बन्ध में वन्दी बनाये गये और ७४ अब तक छोड़े जा चुके हैं। शेष १३ व्यक्ति भी जो ६ मास के लिये नजरबन्द बनाये गये हैं जब उचित समझा जायगा छोड़ दिये जायँगे।

ताराङ्कित प्रश्न

आ० स० ता०
*३५-३६ २३-५-४७
*२६-२७ ५-११-४७

*१-२—**श्री ईश्वर शरण**—[त्यागपत्र दे दिया।]

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोतवाली शाप वेस्ट ब्लाक हजरतगंज, लखनऊ की दुकान नं० ४ का किराये पर दिया जाना

‌* ३—**श्री विष्णु शरण दुबलिश**—क्या गवर्नमेंट कृपा करके उस अफसर आ० सं०
का नाम बतायेगी जो लखनऊ में ५०) रु० माहवार या उससे ज्यादा किराये की *५५
दूकानों को किसी को किराये पर देने का हुक्म जारी करता है ? *३२

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ।

‌* ४—**श्री विष्णु शरण दुबलिश**—क्या यह सच है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोतवाली शाप वेस्ट (पश्चिमी) ब्लाक— हजरतगंज में दुकान नं० ४ खाली हुई थी!

माननीय अन्न सचिव— जी हाँ।

‌* ५—**श्री विष्णु शरण दुबलिश** (क) अगर ऐसा है तो वह दुकान किस *५६
व्यक्ति को और किन कारणों के बिना पर दी गई है ? *३३

(ख) क्या इस व्यक्ति ने दूकान के लिये कभी दरख्वास्त दी थी ? अगर ऐसा है, तो किस तारीख को ?

माननीय अन्न सचिव-(क) यह दुकान मिस्टर गोविन्द प्रसाद को दे दी गई है जो सबसे अधिक योग्य व्यक्ति थे।

(ख) जी हाँ। १६ दिसम्बर सन् १९४६ ई० को उन्होंने इस दुकान के *५७
लिये दरख्वास्त दी थी। *३४

श्री विष्णु शरण दुबलिश—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उनके सामने ऐसी क्या मुश्किलात थीं कि जिनकी वजह से इन प्रश्नों के उत्तर देने में उन्हें एक साल लग गया ?

माननीय अन्न सचिव—असेम्बली का सेशन अब बाद को हो रहा है अगर पहले हुआ होता तो इन सवालों का उत्तर उनको पहले मिल गया होता।

श्री विष्णु शरण दुबलिश—क्या यह सही है कि १६ दिसम्बर से पहले और लोगों ने भी इस दुकान के लिये दरख्वास्तें दी थीं जिनमें एक भूतपूर्व काकोरी के क़ैदी भी थे ?

माननीय अन्न सचिव— हो सकता है।

श्री विष्णु शरण दुबलिश— क्या सरकार बतायेगी कि वह कौन सी बातें हैं जिनके कारण श्री गोबिन्द प्रसाद इस दुकान के लिये सबसे योग्य समझे गये ?

माननीय अन्न सचिव— दुकान इत्यादि देने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को है। वह अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करते हैं। बाज वक्त उनके पास

बहुत सी दरख्वास्तें एक दुकान के लिये आ जाती हैं तो जिन अफसरों को डिस्क्रीशन दे रखा है वह अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करते हैं और जिसको समझते हैं उसको दुकान देते हैं।

ता०
२३-५-४७
५-११-४७

आर्डिनेंस फैक्टरियों में काम करने वालों की [सर्विस] को युद्ध की सर्विस मान लेना

❀६—श्री गिजाजी लाल— क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या इस के आर्डिनेंस फैक्टरियों में युद्धकाल में जो लोग काम कर रहे थे उनकी सर्विस को लड़ाई की सर्विस मान लिया गया है?

❀७— अगर ऊपर दिये हुये सवाल का जवाब हाँ में है, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या इन फैक्टरियों में काम करने वाले मेडिकल अफसरों की सर्विस लड़ाई की सर्विस मान ली गई है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं?

२३-५-४७
५-११-४७

❀ ६-७—माननीया स्वशासन सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)— आर्डिनेंस फैक्टरीज से सम्बन्ध आई. एम. डी. आय. ए. एम. सी. या आई. एम. एस. के डाक्टरों की सेवा युद्ध-सेवा मानी गई है। ऐसी फैक्टरियों से सम्बन्ध सी. एम. पी. डाक्टरों की सेवा अभी तक युद्ध सेवा नहीं मानी गई और यह मामला विचाराधीन है और कर्मचारियों के लिये कोई आम घोषणा नहीं की गई है और करने का इरादा है।

२३-५-४७
५-११-४७

आर्डिनेंस फैक्टरियों के किसी विशेष व्यक्ति की सेवा युद्ध सेवा मानी जाये या नहीं, यह इस पर अवलम्बित होगा कि उसकी सेवा 'युद्धसेवा' जैसा कि भारत सरकार ने उसकी परिभाषा की है, के अन्तर्गत है।

इरीगेशन, ऐग्रीकल्चर, और इण्डस्ट्रीज़ विभागों के चीफ इन्जीनियरों की योग्यता एवं आयु

४७
४७

❀८—श्री सलीम हामिद खाँ (अनुपस्थित)— क्या सरकार मेहरबानी करके इरीगेशन, [ऐग्रीकल्चर] और इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के कुल चीफ इंजिनियरों की योग्यता और उम्र बतायेगी?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)— उद्योग विभाग में कोई चीफ इंजिनियर नहीं है। एक नकशा मेज पर रख दिया गया जिसमें सिंचाई उप-विभाग के चीफ इंजिनियरों और कृषि विभाग के चीफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर की योग्यतायें और उम्र दी हुई है।

आ० स०
*३५-३६ २
*१६-२७ ५

(देखिये नत्थी 'क' आगे २४३ पृष्ट पर)

-५-४७
११-४७

❀ ९—❀११— श्री सलीम हामिद खाँ (अनुपस्थित)—[स्थगित किये

*१८—*२४—श्री हसन अहमद शाह [वापस लिये गये ।] आ० सं०

*७४-८६ २

मौजा भोकरहेरी जिला मुज़फ्फ़रनगर में पानी की निकासी का कुप्रबन्ध *४७-५६ ६

*२५—श्री फतेहसिंह राणा—(अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि *२८ ३
मौजा भोकरहेरी, जिला मुज़फ्फ़रनगर में पानी की निकासी का इन्तज़ाम बहुत *२८ ८
ख़राब है और बरसाती पानी गाँव के चारों तरफ़ जमा हो जाता है। जिसकी वजह से लोगों की जिन्दगी और जायदाद ख़तरे में पड़ जाती है और मलेरिया बड़े ज़ोर से फैल जाता है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी हाँ।

*२६—**श्री फतेह सिंह राणा**—(अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि *२६ ३-
भोकरहेरी के रहने वालों ने एक साल हुआ एक पक्का नाला बनवाने के सिलसिले *२६ ८-
में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मुहकमा नहर के पास एक दरख्वास्त भेजी थी और वह नाला बनवाने के आधे खर्च को उठाने पर तैयार थे और उन्होंने गवर्नमेंट से आधा खर्च उठाने की दरख्वास्त की थी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी हाँ।

*२७(क)—**श्री फतेहसिंह राणा**—(अनुपस्थित)—मौजूदा सूरत क्या है *३० ३-
और गवर्नमेंट सम्बन्धित मुहकमा नाला बनवाने के सिलसिले में क्या कर *३० ८-
रहे हैं ?

(ख)—क्या आने वाली बरसात से पहले इस नाले को बनवाने का इरादा है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—(क)—इस क्षेत्र की जाँच पड़ताल तथा पैमाइश (सर्वे) सिंचाई विभाग ने की है। इससे पता चलता है कि यदि एक नाला बनाया जाय तो करीब २४० एकड़ ज़मीन में पानी जमा होना बन्द हो जायगा। नाला बनवाने में २२,००० रु० लगेगा और इसके लिए १२ एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख)—यदि गाँव वाले बरसात के पहले इस रकम का आधा, अर्थात् ११,००० रु० सरकारी खज़ाने में जमा कर सकें तो उसके जमा किये जाने के बाद ही जल्दी से जल्दी नाला बनाने का काम शुरू किया जा सकता है।

शामली, ज़िला मुज़फ्फ़रनगर में चीनी के कारख़ाने के गंदे पानी से हानि

*२८—श्री फतेहसिंह राणा (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है कि
शामली, जिला मुज़फ्फ़रनगर में एक चीनी का कारखाना है जिससे निकला *३१ ३-६
हुआ गन्दा पानी एक नाले में बहता है ? *३१ ८-२१

नोट—प्रश्न सं० २५-३३ तक, श्री रामजी सहाय ने पूछे।

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*२९—**श्री फतेहसिंह राणा** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है क लोगों की तन्दुरुस्ती और खास तौर से मवेशियों के लिए यह गन्दा पानी ानिकारक साबित हो रहा है?

श्री चरण सिंह—जहाँ तक मनुष्यों का सम्बन्ध है दुर्गन्ध उनके लिए क विशेष कष्टदायक प्रश्न है। पानी पीने वाले पशुओं पर इसका निश्चित ्प से बुरा प्रभाव पड़ता है।

*३०—**श्री फतेह सिंह राणा** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है के इस नाले के सिवाय आस-पास के गाँवों के मवेशियों के पानी पीने के लिए ोई नदी या पानी का दूसरा जरिया नहीं है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। गाँवों के तालावों के अतिरिक्त नाले से एक ील की दूरी पर पूर्वी यमुना नहर है और नहर की एक धारा शामली से लग-नग दो मील की दूरी पर नाले से मिलती है।

*३१—**श्री फतेह सिंह राणा** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है कि पेछली गर्मियों में बहुत से मवेशी इस नाले का पानी पीने से मर गए थे?

श्री चरण सिंह—सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

*३२—**श्री फतेह सिंह राणा** (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि गाँव वालों और असेम्बली के स्थानीय मेम्बरों ने प्रधान मंत्री और स्थानीय हाकिमों से दरख्वास्त की थी कि वह मिल के हाकिमों से दरख्वास्त करें कि गन्दा पानी इस नाले में न छोड़ा जाय?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*३३—**श्री फतेह सिंह राणा** (अनुपस्थित)—अगर सवाल नं० ३२ का जवाब हाँ में है, तो गवर्नमेंट गाँव वालों की शिकायतें दूर करने के सिलसिले में क्या कार्यवाही कर चुकी है?

श्री चरण सिंह—यह प्रस्ताव किया गया है कि भट्टी (डिस्टिलरी) के चारों ओर इस प्रयोजन से २४ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली जाय कि दूषित पदार्थ भाप बन कर उड़ जाय। इस बात के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच हो रही है कि यह योजना कहाँ तक कार्य रूप में काम में लाई जा सकती है।

संयुक्त प्रान्त में विद्युत-शक्ति की मात्रा

आ० स० *३५-३६ *३६-३७

*३४—**श्री केशव गुप्त**—क्या गवर्नमेंट कृपा करके बतायेगी कि हमारे सूबे में बिजली की शक्ति की कितनी मात्रा है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—प्रांत में कुल विद्युत कलों (प्लांटों) की जिसमें वे विद्युत कलें भी सम्मिलित हैं जो पूर्व विद्युत कलों के अकस्मात्

खराब हो जाने पर काम में लाये जाते हैं, बिजली उत्पादन करने १५१५९३ किलोवाट है और इस समय प्रांत में कुल १३८०५८ किलोवा प्रयोग में लाई जाती है।

*३५—**श्री केशव गुप्त**—क्या गवर्नमेंट कृपा करके यह ब आजकल इसकी कुल मांग कितनी है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—बिजली के कनेक्शनों प्रार्थियों की मांग ६०४४४ किलोवाट के लिए है।

*३६—**श्री केशव गुप्त**—क्या यह सच है कि पिछले छः महीं मेंट लोगों को बहुत से बिजली के कनेक्शनों के लिए या तो स्वयं मंजूरी दी है या उसके आदेशानुसार ये कनेक्शन दिये गये हैं ? है, तो क्या गवर्नमेंट कृपा करके एक ऐसी सूची मेज पर रक्खेंगी लोगों के नाम दिये हों जिन्हें कनेक्शन दिये गये हों और यह भी ब हो किस काम के लिए ये कनेक्शन दिये गये हैं और हर दशा में वि पावर की बिजली दी गई ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव— जी हां। इस प्रकार कनेक्शनों की एक †सूची मेज पर रख दी गई है।

*३७—**श्री केशव गुप्त**— क्या यह सच है कि गवर्नमेन्ट कनेक्शन देने के लिये कुछ नियम बनाये हैं ? यदि उत्तर हाँ में है गवर्नमेन्ट कृपा करके इन नियमों की एक नक़ल देगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव— जी हाँ। इस विषय मे ‡आदेश नं० १४८ ई० एल० सी० २३/८१ ई० एल० २६०३ तारीख सन् १९४६ ई० तथा सरकारी ‡आदेश नं० ३५२० ई० एल० सी०, २ ई० एल० ... १९४७ तारीख ११ जून सन् १९४७ ई० में से प्रत्येक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

*३८—**श्री केशव गुप्त**—यदि ऊपर के सवाल का जवाब नहीं क्या गवर्नमेंट कृपा करके बतायेगी कि ये कनेक्शन किस आधार पर दि

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

*३९ — **श्री केशव गुप्त** — क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके ब कितनी बिजली की ताक़त जो पहले लड़ाई के कामों में इस्तेमाल की अब नहीं की जाती ? और इस तरह जो बिजली की ताक़त बच वह किस तरह इस्तेमाल की जाती है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव — उन समस्त कनेक्शनों के में जो युद्ध प्रयोजनों के लिये स्वीकृत किये गये थे उस अवधि का उल्ले

† छापी नहीं गई।

‡ छापे नहीं गये।

किया गया था जिसके लिये बिजली दी गई थी। इसलिये उस बिजली के बारे में जो पहले युद्ध सम्बन्धी कार्यों के लिये प्रयोग की जाती थी और अब गैर युद्ध सम्बन्धी कार्यों के लिए प्राप्त है आंकड़े देना अथवा यह कहना कि इस प्रकार बची हुई बिजली किस प्रकार खर्च की गई है, सम्भव नहीं है। गवर्नमेन्ट इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि युद्ध सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये दिये गये कनेक्शन जो अब भी जारी हैं रहने दिये जायेंगे अथवा नहीं।

सेना से हटाये गये मेडिकल लाइसेंशियेट्स के लिये एम० बी० बी० एस० की डिग्री का कोर्स

*५०—**श्री ज़ाकिर अली** (अनुपस्थित)—(क) क्या गवर्नमेंट सेना से
ता० हटाये हुये मेडिकल लाइसेन्शियेटस् को एम० बी० बी० एस० की डिगरी
१-४८ हासिल करने के लिये हर साल लखनऊ और आगरा के मेडिकल कालिजों में भेजने का इरादा रखती है?

(ख) क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि और ज्यादा लाइसेन्शियेट्स को केवल उस वक्त भेजा जाय जब पिछले लाइसेन्शियेट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हों?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—(क) जी हाँ, अगले कुछ वर्षों के लिये।

(ख) जी नहीं। इस वर्ष नये बैच मेडिकल कालेज लखनऊ में पहले ही भर्ती किये जा चुके हैं और मेडिकल कालेज आगरा में नवम्बर सन् १९४७ ई० में भर्ती किये जायँगे।

*५१—**श्री ज़ाकिर अली** (अनुपस्थित)—लखनऊ और आगरा के मेडिकल कालेजों ने गवर्नमेंट की इस तजवीज़ को नहीं माना है कि सेना से हटाये हुये मेडिकल लाइसेन्शियेटस् को जो आर्मी मेडिकल ट्रेनिंग पा चुके हैं, एम० बी० बी० एस० कोर्स के कुछ मेडिकल विषयों से बरी कर दिया जाय?

माननीय स्वशासन सचिव—आगरा यूनिवर्सिटी ने युद्ध से लौटे मेडिकल लाइसेंशियेटों को आगरा मेडिकल कालेज के एम० बी० बी० एस० के क्लीनिकल के काम से सम्बध न रखने वाले विषयों में परीक्षा देने से बरी कर दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस प्रश्न पर विचार कर रही है। यूनिवर्सिटी से सरकार ने कहा है कि वह अपने कालेज में उम्मेदवारों को इस सुविधा के न प्रदान करने के पुराने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

बनस्पति के सम्बन्ध में आनरेबिल फूड मेम्बर का वक्तव्य

*५२—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या बनस्पति के सम्बन्ध में आनरेबिल फूड मेम्बर का वक्तव्य सरकार के नोटिस में आया है।

नोट:—प्रश्न संख्या ४२ से ५४ तक श्री अब्दुल मजीद ने पूछे।

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ, यह वक्तव्य गवर्नमेन्ट के सा
है किन्तु सिर्फ समाचार पत्रों के द्वारा

*४३—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इ
में कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ? यदि हाँ तो क्या

माननीय अन्न सचिव—भारत सरकार अपने वनस्पति तेल के प
नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश सन् १९४७ (वेजिटेबुल आयल प्राडक्टस
आर्डर १९४७)की शर्त्तों के अनुसार वनस्पति तेल के पदार्थों का नियः
रही है, प्रान्तीय सरकार इस आदेश का केवल पालन करा रही है,
माननीय खाद्य-सदस्य के वक्तव्य पर कार्यवाई करने का काम भारत
का है। इस बात के जाँच करने पर भारत सरकार ने संयुक्त प्रान्तीय स
सूचना दी है कि जहाँ तक हाइड्रोजिनेटेड आयल का मनुष्य के ः
हानिकारक प्रभाव के बारे में माननीय सदस्य के व्यक्त किये हुये वि
सम्बन्ध है इस समय केवल इतना कहा जा सकता है कि यह एक वि
विषय है और भारत सरकार वनस्पति के पौष्टिक मूल्य के स
निर्णयात्मक परिणाम पर पहुँचने के उद्देश्य से अन्वेषण का एक व्याप
क्रम बनाया है जिसमें व्यक्तियों पर प्रयोग करना भी सम्मिलित है।

सन् १९४० से ४५ तक शराबखानों के लाइसेन्स

*४४—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—(क) सन् १९
से सन् १९४५ ई० तक ऐडवाइजरों के शासन-काल में देशी या विदेशी
की कितनी नई दुकानों या शराबखानों (बार) को लाइसेन्स दिया गया

(ख) वर्तमान सरकार के शासन-काल में इनमें से कितने लाइसें
से दिये गये हैं ?

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त दी गई
ऐसी नई दुकानें या शराबखाने खोलने की आवश्यकता है ?

श्री चरण सिंह—(क) सन् १९४०-४१ और सन् १९४५-४६
देशी शराब की ४१ और विदेशी शराब की १८८ नई दुकानों को ला
दिये गये।

(ख) इसमें सन् १९४७-४८ ई० के लिये देशी शराब की ३६
विदेशी शराब की १२१ दुकानों के लाइसेंसों को नियत किया गया है।

(ग) इन सम्पूर्ण दुकानों को एक्साईज लाइसेंसिंग बोर्ड डि
एक्साइज एडवायजरी कमेटी या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफ़सर के अनुरो
खुलने दिया गया है।

सरकार की मोटर ट्रैफिक स्कीम

*४५—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—(क) सरकार

मोटर ट्रैफिक स्कीम के सम्बन्ध में वर्तमान कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने से पहले कितनी बसें सरकारी खर्चे से खरीदी गईं ?

(ख) संयुक्त प्रांत में ऐसी बसों की कुल लागत कितनी थी ?

[ग] क्या यह सच है कि पिछले दो सालों से ऐसी बसें धूप और बारिश में खुली जगह पर पड़ी हुई हैं ?

[घ] उस स्कीम को प्रयोग में लाने में देर होने के कारण सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

माननीय पुलिस सचिव—[क] एक भी नहीं।

[ख] से [घ] तक के सवाल पैदा ही नहीं होते।

गन्दे पानी से तरकारियों के बागों की सिंचाई का प्रभाव

ता० २६-२-४८ *४६—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है कि तरकारियों के बागों को सींचने के लिये म्युनिसिपैलिटियाँ नालों के गन्दे पानी को बेचती हैं और इस तरह से उन्हें इस जरिये से काफ़ी आमदनी होती है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

२६-२-४८ *४७—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि जो कीड़े इस गन्दे पानी में होते हैं वे उन तरकारियों की क्यारियों में फिर से पैदा हो जाते हैं जो खाने के लिये बेची जाती हैं खास तौर पर कच्ची तरकारियों में ?

श्री चरण सिंह—ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसी तरकारियों को जो कच्ची खाई जाती हैं स्यूएज फार्मों में उगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। दूसरी सब सूरतों में, जब तरकारियों को खाने के पहले पकाना जरूरी होता है ऐसे सब कीटाणु जो इन तरकारियों में रह जायँ पकाने के दौरान में नष्ट हो जाते हैं।

२६-२-४८ *४८—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—लोगों में इस तरह बाकायदा जो जहर फैलता है उसे रोकने के लिये क्या म्युनिसिपैलिटियों के मेडिकल अफ़सरों ने कभी कोई कार्रवाई की ? अगर की, तो वह क्या है ?

श्री चरण सिंह—ऊपर बताई हुई शर्त को मेडिकल आफ़िसर आफ़ हेल्थ कार्यान्वित करते हैं।

२६-२-४८ *४९—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या म्युनिसिपैलिटियों के मेडिकल अफ़सरों ने आम तौर पर साफ़ सुथरे रहने और स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण नियमों के बारे में लेक्चरों, पोस्टरों या दूसरे तरीक़ों से आम पब्लिक को शिक्षा देने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

कोढ़ से बचाव

*५०—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि म्युनिसिपैलिटियाँ इस बात के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती हैं कि कोढ़ियों को कोढ़ीखानों में रख कर लोगों में कोढ़ के फैलने को रोकें ? अगर नहीं तो इस बारे में गवर्नमेंट क्या कारवाई करने का इरादा रखती है ? *३६

श्री चरण सिंह—जी नहीं, कोढ़ के चिकित्सालयों की संख्या सीमित है और यह चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

*५१—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि म्युनिसिपैलिटियों में पब्लिक पार्कों के अन्दर बहुत से कोढ़ी आकर जमा हो जाते हैं जहाँ असावधान लोगों के लिये जो हवा खाने आते हैं इस बात का डर रहता है कि कोढ़ियों के खुले हुये घावों से कीड़े उड़ कर उनके न लग जायँ ? *३७

श्री चरणसिंह—जी नहीं। चूंकि कोढ़ वास्तविक संस्पर्श से फैलता है यह आवश्यक नहीं है कि कोढ़ के रोगियों का खुले स्थानों में रहना कोढ़ फैलने का कारण बने।

भिखमङ्गों को भीख माँगने से रोकने के लिये सरकार की कार्यवाही

*५२—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—तनदुरुस्त मरदों, औरतों और बच्चों को भीख माँगने से रोकने के लिये क्या गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही की है ? *३८

श्री चरण सिंह—संयुक्तप्रान्त के म्युनिसिपैलिटियों के ऐक्ट की धारा २४८ में यह आदेश है कि भिखमंगों को किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा से जेलखाने या मोहताजखाने में रक्खा जाय।

*५३ **श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है कि पेशेवर फक़ीर बच्चों को उनके बचपन में ही लंगड़े, लूले बना देते हैं और उनके शरीर में घृणास्पद घाव डाल देते हैं ? *३९

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

लोकल बाडीज़ द्वारा क़ब्रिस्तानों की देख भाल

*५४—**श्रीमती अब्दुल वाजिद** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट जानती है कि लोकल बाडीज कब्रिस्तानों की देख भाल करने के कर्त्तव्य का पालन नहीं करती ? लोकल बाडीज से उनके इस क़ानूनी कर्त्तव्य का पालन कराने के लिये गवर्नमेंट क्या कार्यवाई करने का विचार करती है ? *४०

श्री चरण सिंह—जी नहीं, सवाल का दूसरा हिस्सा पैदा ही नहीं होता।

*५५—*५८—श्री ईश्वरशरण—[त्याग पत्र दे दिया।]

ता०

२६-२-४८ *५९—*६१—श्री मलखान सिंह—[त्याग पत्र दे दिया।]

अनाज एकत्रित करने पर अभियोग

*६२—श्री सुलतान आलम खां (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य के प्रश्न सं० ६८ जिसका अन्तःकालीन उत्तर २५ अप्रैल, १९४७ को दिया गया था। माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में १९४६ ई० में अनाज एकत्रित करने पर कितने लोगों पर मुक़द्दमे चलाये गये हैं और कितना जुर्माना किया गया है]?

२६-२-४८ माननीय अन्न सचिव—[श्री सुलतान आलम खाँ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर में २५ अप्रैल सन् १९४७ ई० को जैसा कहा गया था यह लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है]।

सन् १९४६ ई० में कसूर करने वालों के खिलाफ ८२६ मुक़द्दमे चलाये गये और २७३७ रुपये ८ आने का जुर्माना किया गया।

*६३—श्री रामनरेश सिंह—[त्याग पत्र दे दिया।]

सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक आंदोलनों या संस्थाओं में भाग लेने की मनाही

२६-२-४८ *६४—श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि संयुक्तप्रान्त की गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने कोई ऐसा सरकुलर निकाला है जिससे सब सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वसेयंवक संघ के सदस्य बनने या उसके किसी काम में भाग लेने का निषेध किया है? यदि निकाला है, तो क्या चीफ सेक्रेटरी ने यह सरकुलर गवर्नमेंट के आदेश से निकाला है?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त). सवाल के दोनों

२६-२-४८ भागों के जवाब हाँ में हैं।

*६५—श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट या चीफ सेक्रेटरी ने कोई ऐसा सरकुलर जारी किया है जिससे इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के सदस्य बनने या उसके किसी काम में भाग लेने से रोका है? यदि नहीं निकाला है, तो इस बात के क्या कारण हैं और इन दोनों संस्थाओं के सम्बन्ध में यह भेद क्यों किया गया है?

२६-२-४८ माननीय प्रधान सचिव—सरकार ने आम हिदायतें जारी कर दी हैं जिनके अनुसार सब सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक आन्दोलन या संस्था में जिसमें स्वयं-सेवक संस्थायें भी सम्मिलित हैं, भाग लेने की मुमानियत कर दी गई है। इस क़िस्म की कार्यवाहियों से सरकारी कर्मचारियों के चाल-चलन सम्बन्धी

नियमों (गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल) का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में जो हिदायतें जारी की गई थीं वे एक खास शिकायत के सम्बन्ध में थीं और इनके जरिये सरकारी कर्मचारियों को इस विषय पर दी हुई आम हिदायतों का स्मरण कराया गया यह बात २४ मार्च सन् १९४७ ई० के प्रेस नोट में भी स्पष्ट कर दी गई थी इसलिये भेद भाव का सवाल पैदा नहीं होता।

*६६—**श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी** (अनुपस्थित)—क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी विशेष कर पुलिस विभाग के कर्मचारी, मुस्लिम लीग और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के कामों में सक्रिय भाग ले रहे हैं और उनमें से बहुत अधिक लोग साम्प्रदायिक संस्थाओं के सदस्य हैं? अ० स० *७२

माननीय प्रधान सचिव—सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन अगर कोई खास शिकायत उसके सामने लाई जायगी तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जायगी।

प्रान्त में बेकारी बढ़ने का भय

*६७—**श्री राजाराम शास्त्री**—क्या गवर्नमेंट जानती है कि फौजी और केन्द्रीय सरकार के दूसरे जंगी मोहकमों में बड़े पैमाने पर बिना कोई दूसरी नौकरी दिये हुये छटनी की जाने की वजह से प्रान्त में बेकारी बहुत अधिक बढ़ जाने का डर है? *५३

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मन्त्री (श्री महफ़ूजुर्रहमान)—सरकार के पास बेकार व्यक्तियों के सम्बन्ध में आँकड़े नहीं हैं। परन्तु सरकार जानती है कि सेना और अन्य युद्ध काल के कर्मचारी वर्ग में छँटनी किये जाने के फलस्वरूप बेरोजगारी काफी रही है।

*६८—**श्री राजाराम शास्त्री**—(क) आम बेकारी बढ़ने की वजह से जो स्थिति पैदा होगी उसका सामना करने के लिये गवर्नमेंट क्या कार्यवाहियाँ करने जा रही है? *५४

(ख) क्या गवर्नमेंट के पास संयुक्त प्रान्त के एम० ई० एस० वर्क्स फेडरेशन की तरफ से इस बारे में कोई दरख्वास्त आई है कि गवर्नमेंट बेकारी के मामले पर विचार करने और उसे हल करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करे?

(ग) अगर ऐसा है, तो गवर्नमेंट इस मामले में क्या करने का विचार करती है?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जैसा कि प्रश्न के भाग ख में संकेत किया गया है सरकार को फेडरेशन (संघ) की ओर से कोई आवेदन पत्र नहीं मिला। फिर भी सरकार को संयुक्त प्रान्तीय मिलिटरी इंजिनियरिंग सरविसेज वर्क्स फेडरेशन की काउंसिल द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव की प्रतिलिपि एम०

एस० वर्क्स फेडरेशन, बनारस के प्रधान मन्त्री (जनरल सेक्रेटरी) से प्राप्त
समें कि कम किये गये नौकरों के लिए अतिरिक्त नौकरियाँ देने की प्रार्थ
गई थी इस आवेदन पत्र के उत्तर में सरकार ने सरकारी आदेश ६४७,११,
४६ तारीख २४ मार्च सन् १९४७ ई० के साथ पढ़ते हुए सरकारी आदे
१५०५,१९ पी०डब्ल्यू०आर०सी० ८०...४५ तारीख २२ फरवरी सन् १९४६
ओर आकर्षित किया है जिसमें कि कमी में आये हुए सरकारी नौकरों के लि
जनल इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नौकरी प्राप्त करने के ढंग बताए गये हैं।
मी में आये हुए नौकरों से कहा गया है कि अपने निवास स्थान से सम्बन्धि
जनल एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा लें और उसके द्वारा नौकरी पाने
वसर प्राप्त करें। जिले में सब नियुक्ति सम्बन्धी अधिकारियों को यह बतला
या है कि वे इन एक्सचेंजों से अलग किये गये योग्य कर्मचारियों से काम
रें। इन सरकारी †आदेशों की प्रतिलिपियाँ मेज़ पर रखी गई हैं।

सरकार की धारणा है कि यदि इन सरकारी आदेशों में उल्लिखित आदे
का उपयुक्त रीति से पालन किया गया तो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा एक
संख्या में कमी में आये हुए लोगों को उचित नौकरियाँ मिल जायेंगी। लेकि
अत्यधिक मूल्य बढ़ने तथा औद्योगीकरण के विषय में भारी कठिनाइयों
कारण सरकार अधिक नौकरियाँ देने में असमर्थ है। यह मामला भारत
सरकार के ध्यान में है और निर्माण समिति द्वारा वह इसे कार्यान्वि
करने का विचार कर रही है। मूल्यों का स्थिरीकरण करने का प्रश्न केन्द्री
सरकार के ध्यान में है। इन्हीं सब कार्यवाहियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्य
रूप से नौकरी के साधन बढ़ाये जा सकते हैं। स्पष्टतया इस प्रकार की समस्या
का प्रान्तीय आधार पर प्रभावोत्पादक हल निकालना असम्भव है।

मिलिटरी इन्जिनियरिंग सर्विस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारियाँ

*६९—**श्री राजाराम शास्त्री**—क्या मिलटरी इन्जिनिरिंग सर्विस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियाँ एक सी हैं? अगर ऐसा है, क्या गवनमेंट इस सम्भावना पर विचार करने का इरादा रखती है एम० ई० एस० के फ़ाजिल अमले को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की पुनर्निर्मा की योजनाओं के लिये इस मोहकमे में ले लिया जाय?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—पी० डबल्यू० डी० और एम० ई० एस० के इंजी नियरों के कतिपय कार्य एक समान हैं। तथापि पी० डबल्यू० डी० व एम० ई० एस० के उन्हीं व्यक्तियों को अपने यहाँ नौकरी में ले सकते हैं अमुक निर्धारित योग्यताएँ रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमी

† छापे नहीं गये।

के द्वारा नौकरी मिलेगी जिसके अनुसार उनकी अन्य व्यक्तियों के साथ पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन इंजीनियरिंग सर्विस की नियुक्ति के लिये योग्यता प्राप्त करने वालों के साथ प्रतियोगिता में सम्मिलित होना पड़ेगा।

संस्कृत पाठशाला औरैया, जिला इटावा का प्रबन्ध

※७०—**श्री होती लाल अग्रवाल**—क्या सरकार जानती है कि संस्कृत पाठशाला औरैया, जिला इटावा (जो अब संस्कृत कालेज कहलाता है) का प्रबन्ध २१ मेम्बरों की एक प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा होता था जिन्हें एक रजिस्टर्ड विधान के अनुसार चुना जाता था?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ।

※७१—**श्री होती लाल अग्रवाल**—क्या यह सच है कि संयुक्त प्रान्तीय संस्कृत पाठशालाओं के इन्सपेक्टर, बनारस ने सन् १९४२ ई० में विधिपूर्वक चुनी हुई प्रबन्धकारिणी कमेटी को समाप्त करके ५ मेम्बरों की एक कमेटी को स्वयं नियुक्त की थी।

श्री महफूजुर्रहमान—जी नहीं।

※७२—**श्री होतीलाल अग्रवाल**—क्या यह सत्य है कि १७ अगस्त सन् १९४६ ई० का उपर्युक्त कमेटी के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी के निवेदन पत्र पर संयुक्त प्रान्तीय संस्कृत पाठशालाओं के इन्सपेक्टर ने यह सूचना दी थी कि पुरानी कमेटी को फिर से नियुक्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ।

※७३—**श्री होती लाल अग्रवाल**—क्या यह सच है कि कथित ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर से कई बार सरकार से प्रार्थना की और माननीय शिक्षा मन्त्री से मिले जिन्होंने इस बात का अश्वासन दिया था कि इसके बारे में उचित निर्णय किया जायगा?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ।

※७४—**श्री होती लाल अग्रवाल**—क्या यह सच है कि बहुत समय व्यतीत होने के बाद संस्कृत पाठशालाओं के इन्सपेक्टर ने ३ जनवरी, सन् १९४७ ई० को विद्यालय में जाकर जाँच की?

श्री महफूजुर्रहमान—जी नहीं। इसका निरीक्षण और अन्वेषण संस्कृत पाठशालाओं के इंसपेक्टर ने दिसम्बर १९४६ ही को किया था।

※७५—**श्री होती लाल अग्रवाल**—क्या सरकार जानती कि अब भी केवल मनोनीत कमेटी ही काम कर रही है और ३ वर्ष का नियुक्त समय समाप्त होने के बाद भी पिछले ६ वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुआ है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी नहीं। पाँच सदस्यों की मनोनीत समिति ने जुलाई १९४६ से काम बन्द कर दिया है। जुलाई १९४६ से २१ सदस्यों

बन्ध कारिणी समिति कार्य कर रही है। सदस्यों का निर्वाचन अभी हीं हुआ है।

श्री होती लाल अग्रवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिति चुनी हुई है या बिला चुनी हुई है ?

सं० ता० **श्री महफ़ूजुर्रहमान**—यह कमेटी वहाँ के लोगों की चुनी हुई है।

२३-३-४८ **श्री होती लाल अग्रवाल**—किन मेम्बरों का चुनाव नहीं हुआ है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—यह तफ़सील से मालूम नहीं है, लेकिन पिछले ो लोग मुक़र्रर किये गये थे उन्होंने ठीक काम नहीं किया और इस से पाठशाला बिल्कुल टूटने के क़रीब हो गया था। तो वहाँ के लोग

२३-३-४८ उससे दिलचस्पी रखते थे एक कमेटी बना ली थी।

*७६—**श्री होती लाल अग्रवाल**—क्या सरकार यह जानती है कि वर्तमान ने रजिस्टर्ड आदेशों के विपरीत अंग्रेजी शिक्षा की कक्षायें आरम्भ ी हैं जिसके कारण संस्कृत के कक्षाओं की नामावली बहुत कम हो गई है

श्री महफ़ूजुर्रहमान—जी हाँ। पाठशाले में अंग्रेजी कक्षायें भी प्रयोग

२३-३-४८ ये खोली गई हैं, परन्तु उनमें संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। यह कहना कक्षायें पाठशाले की नियमावली के विरुद्ध खोली गई हैं ठीक नहीं मालूम । अंग्रेजी कक्षाओं के खोलने से छात्र संख्या में कमी नहीं हुई है।

*७७—**श्री होती लाल अग्रवाल**—उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने रजिस्टर्ड विधान पूर्वक चुनाव करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने

२३-३-४८ विचार करती है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान—यथा समय समिति आगामी चुनाव के सम्बन्ध में य करेगी। अभी तक समय और तिथि निश्चित नहीं की गई है।

लावठी, ज़िला बुलन्दशहर १९३० के गोलीकांड के पीड़ितों को सरकार की ओर से सहायता।

२३-३-४८

*७८—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या सरकार को मालूम है कि दिसम्बर, १९३० ई० में कस्बा गुलावठी जिला बुलन्दशहर में काँग्रेस के एक जलसे हाँ के थाने की पुलिस ने गोलियाँ चलाई थीं जिसके फलस्वरूप जनता में छ व्यक्ति मारे गए थे और उत्तेजित जनता में से एक व्यक्ति ने पुलिस

२३-३-४८ इन्स्पेक्टर थाना इन्चार्ज के लाठी मारी और वह तत्काल मर गया ?

माननीय पुलिस सचिव—गुलावठी पुलिस थाने पर १२ सितम्बर १९३० ो हमला हुआ और पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे कुछ आदमी मरे कुछ घायल हुए। थाना अफसर रजा अहमद खाँ भी घटनास्थल रे।

*७९—**श्री बलभद्र सिंह**— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस अवसर पर जनता तथा पुलिस के कितने व्यक्ति मरे तथा आहत व्यक्तियों के परिवारों को सरकार की ओर से क्या क्या सहायता मिली ?

माननीय पुलिस सचिव—मरे हुये और घायल हुए मनुष्यों की संख्या इस प्रकार है:—

	मरे हुये	घायल हुये
जनता	५	८...१०
पुलिस	एक [सब-इंसपेक्टर]	४ [कान्सटेबिल]

जनता के जो आदमी मरे या घायल हुए उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। सब इंसपेक्टर रजा खाँ की विधवा को ५० रु० मासिक पेन्शन और उसकी लड़की की शादी के लिए ५०० रु० दिए गए।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस की गोलियों से मारे गये लोगों के परिवार या घायल हुए लोगों को राजनीतिक पीड़ितों में शामिल किया जाता है या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—राजनीतिक पीड़ितों का अभी तक जो अर्थ माननीय सदस्यों ने लगाया था वह शायद यह था कि जो राजनीतिक कार्य-कर्ता रहे हों और उन्होंने जो कष्ट उठाए हों वही राजनीतिक पीड़ितों में आते हैं।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार को पता है कि वह जलसा जिस पर कि गोलियाँ चलाई गई थीं काँग्रेस का जलसा था ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

श्री बलभद्र सिंह—इसमें और शरीक़ होने वाले जो लोग मारे गये क्या वह काँग्रेसजन थे ?

माननीय पुलिस सचिव—यह तो नहीं कहा जा सकता कि सभी काँग्रेस-जन थे, और भी बहुत से लोग शामिल थे। उनको काँग्रेस से सहानुभूति जरूर थी।

श्री बलभद्र सिंह—यह जो थानेदार की यादगार आपने बताई वह हटा दी गई है लेकिन कब हटाई गई ?

माननीय पुलिस सचिव—समय तो नहीं बतला सकता लेकिन हटा दी गई है यह सूचना मिली है।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार को पता है कि बुलन्दशहर की कचह-रियों में अब भी इस थानेदार के नाम से एक नज्म हर एक कचहरी में टँगी है ?

माननीय पुलिस सचिव—माननीय सदस्य अगर यह कहते हैं तो ठीक होगा लेकिन इन चीज़ों को हटाने की खास जरूरत नहीं है। परिस्थिति ऐसी हो गई है जिसमें इन चीज़ों का रहना ही शायद मुमकिन नहीं है।

प्र० सं० ता०

*३३ २३-३-४८ ❀८०—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के चालान हुए ? कितने पहली अदालत से छोड़े गए तथा कितनों की सेशन जज व हाई कोर्ट से सजा बहाल रही तथा कितनी कितनी ?

माननीय पुलिस सचिव—५० आदमियों को भारतीय दण्ड विधान की १४८, १४९, ३०२ धाराओं के आधीन चालान किया गया जिनमें से ४८ सेशन्स सुपुर्द हुए और दो को छोड़ दिया गया। सेशन्स कोर्ट ने १४ आदमियों को काले पानी की सजा दी। ३० आदमी छोड़ दिए गए। दो आदमियों को माँफी दी गई। एक जेल में मर गया और एक फ़रार हो गया। हाई कोर्ट की अपीलों के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं है परन्तु पता चला है कि उन १४ आदमियों में से जिनको सेशन्स कोर्ट ने काले पानी की सजा दी थी, हाई कोर्ट ने ६ को छोड़ दिया था।

*३४ २३-३-४८ ❀८१—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या सरकार को पता है कि उस आहत सब-इंस्पेक्टर के स्मारक के रूप में थाना गुलावठी व दफ़्तर पुलिस लाइन में बड़े बड़े बोर्डों पर पीतल के चमकते अक्षरों में उस थानेदार की बहादुरी तथा "काँग्रेसी बलवाइयों" का उल्लेख है तथा कलक्टरी बुलन्दशहर के और दफ़्तरों में भी इसकी स्मृतियाँ लटकाई हुई हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार को सूचना मिली है कि एक स्मारक पीतल की प्लेट के रूप में गुलाहठी पुलिस थाने में और एक पुलिस लाइन्स में टँगा था परन्तु अब वे हटा लिये गये हैं।

प्रान्त की राष्ट्र विरोधी स्मृतियों व स्मारकों का हटाया जाना

*३५ २३-३-४८ ❀ ८२—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या सरकार को पता है कि सूबे के अन्य बहुत से नगरों में इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी स्मृतियाँ व स्मारक पिछले विदेशी शासन के समय की मौजूद हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इस प्रकार के कुछ स्मारक दूसरे जिलों में भी मौजूद हैं।

*३६ २३-३-४८ ❀ ८३—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या सरकार इस प्रकार की स्मृतियों व स्मारकों को हटाने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो इस ओर अब तक क्या कुछ किया गया है ?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार ने अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं किया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

ईविंग क्रिश्चियन कालेज में बाइबिल की वैकल्पिक शिक्षा

✱८४—**श्रीराधेश्याम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि बाइबिल की शिक्षा ईविंग क्रिश्चियन कालेज में वैकल्पिक है ? यदि ऐसा है तो यह बात कालेज के प्रवेशपत्र में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दी हुई है ?

श्री महफूज़ुर्रहमान—जी हाँ। प्रवेशपत्र में इसके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत प्रवेशपत्र में जो उल्लेख वर्तमान है उसको हटा देने के लिए आदेश भेज दिया गया है।

✱८५—**श्री राधेश्याम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि श्री अमरनाथ वर्मा को सेकेन्ड ईयर क्लास में भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कृश्चियनों को छोड़ कर अन्य विद्यार्थियों पर अनिवार्य बाइबिल शिक्षा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और इस बात की माँग पेश की थी कि बाइबिल की शिक्षा प्रवेशपत्र में वैकल्पिक विषय के रूप में छापी जाय

श्री महफूज़ुर्रहमान—जी नहीं।

✱८६—**श्री राधेश्याम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या जब कालेज के छात्रों का प्रतिनिधि मंडल विशेषरूप से माननीय शिक्षा मन्त्री की सेवा में उपस्थित हुआ तो मन्त्री महोदय ने न्याय करने का आश्वासन दिया था और हड़ताल बन्द करने को कहा था ? इस विषय पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री महफूज़ुर्रहमान—इसका उत्तर प्रश्न ८४ के उत्तर के अन्तिम वाक्य में दे दिया गया है।

✱८७—**श्री राधेश्याम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कालेज कौंसिल के विधान को जानती है जिसके अनुसार केवल क्रिश्चियन अध्यापक ही उसमें सम्मिलित किए जाते हैं ?

श्री महफूज़ुर्रहमान—जी हाँ।

"कृषि सम्बन्धी आय कर" बिल

✱८८—**श्री जगन्नाथ बख्श सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि "कृषि सम्बन्धी आय कर" बिल इस सभा में किस तारीख़ को उपस्थित किया जायगा ?

✱८९—क्या उक्त कर कृषक अथवा ज़मींदार अथवा दोनों पर लागू होगा ?

✱९०—उपरोक्त कर लगाने का आधार क्या होगा ?

✱९१—कृषि सम्बन्धी आय की परिभाषा क्या होगी ?

माननीय माल सचिव (हुकुम सिंह)—ये प्रश्न ठीक समय से पहले पूछे गये हैं। माननीय सदस्य को इस बिल के पेश होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

नोट—प्रश्न संख्या ८४—८७ तक श्री बल्देव प्रसाद ने पूछे।

ग्राम सुधार विभाग, ज़िला नैनीताल के कुछ कार्य

*९२—**श्री खुशीराम** (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य के ताराङ्कित प्रश्न सं० ११४—११६ जिनका अन्तःकालीन उत्तर ५ नवम्बर, सन् १९४७ ई० को दिया गया था।]

[* ११४—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के ग्राम-सुधार विभाग ने अब तक कितने सुपरवाइज़रों व आर्गनाइज़रों को मुअत्तल किया है ? उनके नाम क्या हैं और किन अपराधों के कारण वे मुअत्तल हुए हैं ?

* ११५—क्या यह सही है कि ग्राम-सुधार ने कुछ सहायता मौज़ा मभेड़ावालों के तीन व्यक्तियों को पानी की डिग्गी बनाने के वास्ते दी है ? यदि दी है तो यह डिग्गियाँ सार्वजनिक हैं या व्यक्तिगत ?

*११६—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के पट्टी पच्छिमी आगर के मौज़ा मेवड़ा के पानी के नाले बनाने के सम्बन्ध में जो शिकायत डिप्टी कलेक्टर नैनीताल को श्री देवदत्त शिल्पकार पंच ने दी है उसकी कोई जाँच की गई या नहीं ? यदि की गई तो क्या नतीजा निकला ? यदि नहीं की गई, तो क्यों।

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशव देव मालवीय)—[श्री खुशीराम के ताराङ्कित प्रश्न सं० ११४—११६ के अन्तःकालीन उत्तर में ५ नवम्बर १९४७ को जैसा कहा गया था, एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है।]

* ११४—नैनीताल जिले के ग्राम-सुधार अधिकारियों ने अब तक श्री दुर्गाराम आर्य नाम के एक आर्गनाइज़र और श्री भूमित्र आर्य नाम के एक स्थानापन्न सुपरवाइज़र को मुअत्तिल किया है।

श्री दुर्गाराम को इसलिए मुअत्तिल किया गया था कि वह ड्यूटी से ग़ैरहाजिर रहे और आज्ञा लिये बिना अपना सेन्टर छोड़ कर चले गये। बाद में बहाल कर दिया गया।

श्री भूमित्र आर्य को इसलिये मुअत्तिल किया गया कि उन्होंने यात्रा भत्ते के झूठे बिल पेश किये और गम्भीर अवज्ञा (ग्रास डिसओबीडियन्स) का अपराध किया बाद में सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया।

*११५—नैनीताल ज़िले के ग्राम सुधार एसोसियेशन ने मभेड़ा बी० एल० सोसाइटी के पं० जयदत्त पांडे को २१५ का ग्रान्ट सब लोगों के उपयोग के लिए पानी की डिग्गी बनाने के लिए दिया था उनके निजी उपयोग के वास्ते डिग्गी बनाने के लिए नहीं।

* ११६—मेवड़ा गाँव के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में की गई शिकायतों की जाँच की गई थी। जाँच करने पर यह पता चला कि शिकायतें निराधार थीं और अनुमानों के अनुसार ही निर्माण-कार्य किये गये थे।

पिछले साल गल्ले की वसूलयाबी पर खर्च

*९३—श्री फूल सिंह (अनुपस्थित)—माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न सं० ३७ जिसका अन्तःकालीन उत्तर १५ मई सन् १९४७ ई० को दिया गया था।

*३७—पिछले साल गल्ला वसूल करने के सिलसिले में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था ?

माननीय अन्न सचिव—[श्री फूलसिंह द्वारा १५ मई सन् १९४७ ई० को पूछे गये तारांकित प्रश्न नं० ३७ के सम्बन्ध में जानकारी देने का मैंने जो वचन दिया था उसके विषय में मैं एक वक्तव्य मेज पर रखता हूँ।]

	रु०
(१) कुल व्यय जो १९४६...४७ ई० में अन्न संग्रह योजना [प्रोक्योरमेंट] पर हुआ	१,९५,५२,६००
(२) संग्रह किये गये अन्न की लागत	१७,१७,८५,८००

१९४२ में आतिशी हथियारों के लाइसेंसों की मंसूखी

*९४—**श्रीमती लक्ष्मी देवी**—[माननीय सदस्या के तारांकित सं० ७५—७६ जिनका अन्तःकालीन उत्तर २ जून, सन् १९४७ ई० को दिया गया था।]

[*७५—इस प्रांत में पिस्तौल और रिवाल्वरों के लाइसेंसों की कितनी संख्या है ?

*७६—काँग्रेस के सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के दौरान में आतिशी हथियारों के कितने लाइसेंस मंसूख किये गये ?]

माननीय पुलिस सचिव—[श्रीमती लक्ष्मी देवी के तारांकित प्रश्न सं० ७५-७६ के उत्तर में २ जून सन् १९४७ को जैसा कहा गया था उसके अनुसार मैं सूचना प्रस्तुत करता हूँ।]

*७५—युक्त प्रान्त में रिवालवर और पिस्तौल के लाइसेन्सों की संख्या ४३१४ है।

*७६—हथियारों के कुल ८९९ लाइसेन्स १९४२ में रद्द किये गये।

श्रीमती लक्ष्मी देवी—जब्त किये हुये हथियार कितने वापिस कर दिए गए हैं।

माननीय पुलिस सचिव—इसकी जानकारी अभी नहीं है।

गढ़वाल के १९४२ के कैदियों के सम्बन्ध में पूछताछ

*९५—**श्री जगमोहन सिंह नेगी**—[माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न सं० ४२ जिनका अन्तःकालीन उत्तर १३ फरवरी, सन् १९४७ ई० को दिया गया था।]

[*४२—क्या सरकार कृपा करके गढ़वाल के सन् १९४२ ई० के ऐसे कैदियों, नजरबन्दों, और फरार मुल्जिमों के नाम बतायेगी जिन्होंने सरकार को

दरख्वास्तें दी हैं कि उनकी गाँव मालगुजारी जो ज़ब्त कर ली गई थीं और बन्दूक़ के लाइसेन्स जो रद्द और ज़ब्त कर लिये गये थे, उन्हें फिर से वापिस दे दिये जायँ?]

माननीय पुलिस सचिव—मेज़ पर एक नक़्शा रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४४ पर)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर (संशोधन) बिल

माननीय स्पीकर—अब मैं मद नम्बर २ लेता हूँ। माननीय अर्थ सचिव ने प्रस्ताव उपस्थित किया है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर (संशोधन) बिल पर विचार किया जाय।

***श्री फख़रुल इस्लाम**—जनाब वाला, अभी थोड़े ही दिन हुये कि इस ऐवान ने सेल्स टैक्स के मसविदे पर क़ाफ़ी ग़ौर ख़ोज़ के बाद एक ऐक्ट पास किया था और अभी हाल ही में गवर्नर ने उसकी मंजूरी दी है और उसके नताइज हमारे सामने हैं। जहाँ तक कन्ज्यूमर्स का ताल्लुक़ है उनकी राय हमारे सामने आ चुकी है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो मैं यह कह सकता हूँ कि ऐक्ट के बनने से पहले पब्लिक ओपीनियन (जनमत) इस एक्ट के ख़िलाफ़ थी। वह यह महसूस करती थी कि गवर्नमेंट को ऐसा एक मेजर (विधि) न लाना चाहिये था और इस कानून को इस ऐवान के सामने न रखना चाहिये था। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी मजबूरियाँ जाहिर कीं और यह बतलाया कि हमारी आमदनी कम हो जायेगी। इसलिये गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी आमदनी बढ़ जाय। उन्होंने यह कहा था कि प्राहिबिशन (मद्यनिषेध) के जरिये से हमारी आमदनी क़रीब ५ या ६ करोड़ कम हो जायेगी और उसे हम पूरा नहीं कर सकते और इसके अलावा हमारे डेवलपमेंट (उन्नति) के ऐसे काम हैं जिनमें रुपये की जरूरत है और इन रुपयों को हम पूरा नहीं कर सकते इसलिये हमें रुपये की जरूरत है। परसों इसी ऐवान के अन्दर उधर एक बुजुर्ग ने तक़रीर करते हुए यह कहा था कि इस ऐक्ट के जरिये से हमारे सूबे की आमदनी ६०० करोड़ होगी। मालूम नहीं यह उनका अन्दाजा कहाँ से था और क्यों कर सही था। हो सकता है कि यह सही हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जितना ख्याल किया जाता था उससे जायद आमदनी होगी। यह ऐक्ट इस मुल्क का एक कानून बन चुका है कंज्यूमर्स की तरफ़ से कोई सवाल अब तक हमारे सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि हम इस टैक्स के ख़िलाफ़ हैं।

बजुज़ बिजनेस कम्युनिटी (कारबारी समुदाय) की तरफ़ से कुछ सावालात हमारे सामने आये हैं, मैं नहीं समझता कि उन सवालात पर हम ध्यान दें ग़ौर करें और सोचें। अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इन कन्ज्यूमर्स ने इस चीज को ख़ुशी से या नापसन्दीदा तौर से मंजूर कर लिया कि एक चीज़ पर ... भी टैक्स लगाया जाय तो वे ख़ुशी से अदा कर रहे हैं या ज़ब्रिया

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

अदा कर रहे हैं। लेकिन वे इस उम्मीद में कर रहे हैं कि इससे हमारे सूबे की गवर्नमेंट की आमदनी ज्यादा बढ़ जायगी। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने अपने इस अमेंडमेंट के ज़रिये से कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। उनके नज़दीक़ जो बात है वह यह है कि वह यह समझते हैं कि इस दफ़ा को रखने से एक स्टेज पर टैक्स लगेगा। और उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा यानी अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स लगेगा तो होलसेलर पर नहीं लगेगा, अगर होलसेलर पर लगेगा तो रिटेलर पर नहीं लगेगा। अगर इस वक्त आप बाज़ार के किसी कोने में चले जाइये तो चाहे किसी की बिक्री साल में बारह हज़ार हो या न हो, चाहे वह चार आने का सौदा बेंच रहा हो लेकिन वह एक पैसा टैक्स आसानी से जो कन्ज्यूमर है उससे वसूल कर रहा है। आपके उस क़ानून में यह दफ़ा मौजूद थी कि जिनकी आमदनी, बिक्री बारह हज़ार साल भर में नहीं होगी उनसे टैक्स नहीं लिया जायगा लेकिन बावजूद इस क़ानून के होते हुये भी आज हम देख रहे हैं कि हर गली और कूचे के अन्दर जो भी चीज फरोख्त होती है उससे टैक्स लिया जाता है। आप यह करना चाहते हैं कि इस स्टेज पर टैक्स बन्द कर दिया जाय और उसके बाद जो लेने वाले हैं उनको मुजरिम करार देंगे। मैं समझता हूँ कि आप कन्ज्यूमर्स का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं बल्कि कन्ज्यूमर्स के साथ तो वही दिक्कतें और दुश्वारियां रहेंगी और उसे वह अदा करना ही पड़ेगा जिस तरह से कि वे आज अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन कंज्यूमर्स की भलाई के नाम पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्यों बरबाद करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट की आमदनी जैसा कि मेरे उधर के दोस्त ने कहा कि ६ सौ करोड़ हो जायगी, मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सही है लेकिन अगर २५ करोड़ सालाना भी इससे आमदनी हो जाय तो मैं समझता हूँ कि कन्ज्यूमर्स को मजबूरन उसे देना पड़ेगा। क्योंकि यह पैसा गवर्नमेंट की जेब में पहुँचता है और यह तरीक़ा जो आपने अख्तियार किया है इससे कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनसे दुश्वारियों में किसी तरह की भी कमी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि यह तरीका भी कि वे लोग जो समझते हैं कि उनकी सालाना बिक्री बारह हज़ार से कम होगी उनको लाइसेंस दिया जायगा, आपके सामने मैं बाअदब यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आपसे यह कह दूँ कि जो शख्स इस सूबे के अन्दर कारोबार करना चाहता है, कोई तिजारत करना चाहता है चाहे वह किसी किस्म का क्यों न हो उसको टैक्स देना होगा और उनको लाइसेंस मिलना चाहिये उसके बाद भी वे कन्ज्यूमर्स से पैसा लेगें। आपका क़ानून होते हुये भी वे ले रहे हैं और कल जब यह क़ानून बन जायगा तो फिर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे कन्ज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) सेफ़गार्ड (हिफाजत) नहीं होता है। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी से जिस जिस स्टेज पर टैक्स वसूल किया जाता है वह क्यों न गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाय। इससे आपको क्यों परेशानी

[श्री फखरुल इस्लाम]

होती है। इस तरह से तो गवर्नमेंट किसी हालत में भी यहाँ के बाशिन्दों की मदद नहीं कर रही है। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और सोचना चाहिये कि इस तरह कैसे इमदाद दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी और हमारी भी यह ख्वाहिश है कि कंज्यूमर्स एक बार टैक्स दें लेकिन आपको मालूम होगा कि जो कारबारी आदमी हैं वे जानते हैं कि हर व्यापारी धर्म खाते के नाम पर अपना एक खाता खोले रहता है, चाहे मिल ओनर्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सभी खोले रहते हैं तो इसी तरह से क्यों न गवर्नमेंट के नाम से भी एक खाता खोल लें और जहाँ जहाँ जो चीज़ फरोख्त हो उस टैक्स को अदा कर जमा करते जायँ। चूंकि धर्म के खाते के लिये उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। होलसेलर जिसको भी माल देता है वह उससे जो कुछ भी तय किया हुआ है ले लेता है और रिटेलर भी कंज्यूमर को जब माल फरोख्त करता है वह भी ले लेता है। इस तरह से यह कारोबार चलता है आखिर में जाकर कंज्यूमर पर ही यह बार पड़ता है। इसलिये इसमें आपके अमेंडमेंट से कोई फर्क नहीं आयेगा। यह चीज़ जारी है और इसकी रोक थाम नहीं हो सकती है तो आप क्यों एक इस तरह की दफ़ा रखने जारहे हैं जिससे कंज्यूमर का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। जब आप यह चाहते हैं कि कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुँचे और उसका ख्याल करना चाहते हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ही यह दफ़ा इसमें मौजूद रहने दें जो कि दफ़ा लाजमी है और उससे जो रुपया आपके पास आये उससे आप पब्लिक के लिये हर तरह के डेवलपमेंट (उन्नति) के काम के लिये, मुल्क की तरक्की के लिये उससे काम करें इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। इसी सिलसिले में आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप यह चाहते हैं कि स्पेक्यूलेटर सट्टे बाज या ऐसे लोग जो सट्टा करते हैं पूरा टैक्स अदा करना चाहिये उनके लिये भी आपने क़ानून बनाया लेकिन अब आप उनके ऊपर भी वह टैक्स नहीं लगा रहे हैं और लगाया है तो सिर्फ एक आना यूनिट के हिसाब से आपने अब लगाया है। आपको आखिर उन लोगों से क्या हमदर्दी है कि इस स्पेक्युलेशन के ज़रिये से जो कारोबार करते हैं और नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाते हैं कि उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाय मैं यह समझता हूँ कि उनके साथ यह हरगिज नहीं होना चाहिये कि अगर वह इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और विदाउट डिलेवरी (बिना दिये) उनको मुनाफ़ा मिलता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि उनसे टैक्स वसूल न किया जाय और उनके साथ इस तरह की रियायत क्यों की जाय। आप जब वहाँ जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि यह जो कारोबार है एक तरह से नशा है। अभी पिछले दिनों एक हैंडबिल बुलियन का बाँटा गया था उसमें यह दिखाया गया था कि यह एक तरह से नशा है और इस नशे के सिलसिले में हर आदमी वहाँ पर जायगा चाहे वह कुछ भी करता हो। इसलिये मैं समझता हूँ कि ऐसी दिक्कतों और दुश्वारियों के अन्दर जो एक बात चल रही है जिससे नाजायज़ तरीके से लोग फ़ायदा

उठाते हैं उन पर कोई रियायत की जाय। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि यह अमेंडमेंट (संशोधन) जो आपकी तरफ़ से इस बिल के मुताल्लिक रक्खा गया है इसकी मैं पुरज़ोर मुख़ालफ़त करता हूँ और आपसे यह उम्मेद करता हूँ कि आप इस अमेंडमेंट से आप मुतासिर न हों। यह तो बिजिनेस कम्युनिटी व्यापारी समुदाय का एक प्रचार है कि उस पर इसका भारी असर होगा इससे आप डरिये नहीं। आपको तो जनता से डरना चाहिये। जनता ही आपकी सब से बड़ी मददगार है और उसी की मदद के ज़रिये से आपको जिन्दा रहना है। मगर फिर भी जनता आपसे मुतालबा नहीं करती है क्योंकि वह जानती है कि हमारी सरकार को रुपये की जरूरत है और यह रुपया बेकार नहीं खर्च होगा अच्छे कामों में सर्फ़ होगा। यह रुपया डेवलेपमेंट के कामों में खर्च होगा तमाम सूबा आपको रुपया देने को तैयार है। आपको उससे १० करोड़ या १६ करोड़ जो भी मिलेगा इस बात का मुझे यक़ीन है कि आप उसको नाजायज़ सर्फ़ नहीं करेंगे बल्कि सूबे की तरक्क़ी के लिये सर्फ़ करेंगे। इन अलफाज़ के साथ में इस हाउस के सामने अपनी यह तरमीम रखता हूँ कि यह बिल इस हाउस में कंसीडर (विचार) न किया जाय।

श्री किशन चद पुरी—मोहतरिम स्पीकर साहब, जो अमेंडमेंट बिल (संशोधन बिल) सेल्स टैक्स पर इस वक़्त हमारे सामने है इसका जो ओरीजिनल (प्रारम्भिक) बिल है वह लास्ट सेशन (गत सत्र) में पास हुआ था। जिस वक़्त वह पास हुआ और उसके बाद उसके प्राविजन्स पर जो कानपुर में चेम्बर्स हैं और प्राविन्स में जो और भी एसोसिएशंस हैं उन्होंने ग़ौर किया तो ग़ौर करते वक़्त यह मालूम हुआ कि इस टैक्स में बहुत सी त्रुटियाँ रह गयी हैं जो कि साफ़ हो जानी चाहिए। जहाँ तक कि इस टैक्स के प्रिन्सिपिल्स का सवाल है उसमें बिजिनेस कम्युनिटी (व्यापारी समुदाय) को कोई भी एतराज़ न था और न है। मगर उसके प्राविजन्स के एप्लीकेशन लागू करने में कुछ ऐसे वजूहात थे कि डीलर्स और उसमें कुछ कंज्यूमर्स भी शामिल थे, उसके ग़ौर करते वक़्त यह मालूम हुआ कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें बहुत सी बातें अनफेयर (असंगत) हैं कि जो टैक्स वसूल होगा उसमें करप्शन और इवेजन के बहुत ज्यादा चान्सेज हैं। इन सब बातों पर ग़ौर किया गया। और बहुत सी मीटिंगें करके यह प्वाइंट गवर्नमेंट के सामने रखा गया। उन्होंने उसको समझा और मैं इस वक़्त यह क्लीयरली (सफ़ाई के साथ) कह देना चाहता हूँ कि बहुत सिम्पेथटिक कंसीडरेशन (सहानुभूतिपूर्ण विचार) से उन्होंने उन सब प्वाइंट्स को देखा। उसके बाद बहुत से डिसकशन्स (बहसें) हुए और उन डिसकशन्स का यह नतीजा निकला कि बहुत से प्वाइंट्स साफ़ हो गये। जनरल प्रिंसिपल्स यह थे कि जो गवर्नमेंट की जरूरत है वह पूरी हो जाय। टैक्स जो लगे वह सब गवर्नमेंट के घर में आवे और उसमें कोई इवेजन न हो और टैक्स हर चीज़ पर फेयरली (न्याय से) लगे। अगर ज्यादा

[श्री किशन चन्द पुरी]

रुपये की जरूरत हो तो लग्ज़रीज (विलास की सामग्री) की चीज़ों पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाय यानी जैसा कि दूसरे प्राविंसेज में है उसका रेट बढ़ा दिया जाय। तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अभी हाउस में मेरे दोस्त ने रिप्रेजेंट किया कि कंज्यूमर इस टैक्स को बड़ी खुशी से पे करने को तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि वह कौन सा कंज्यूमर है। मुझको नहीं मालूम कि अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाय तो एक बार नहीं, दो दो दफ़ा, चार चार दफ़ा, छः छः दफ़ा, आठ आठ दफ़ा और दस दस दफ़ा तक टैक्स लग जायगा और इतनी दफ़ा एक ही चीज़ पर टैक्स लग जाने पर कहाँ उस चीज़ का दाम पहुँच जायगा। मेरी समझ में यह एक बड़ी मुश्किल की चीज़ होगी। यह ठीक है कि आजकल सरप्लस मारकेट है और इनफ्लेशन (मुद्रास्फीति) भी है। कंज्यूमर (ख़रीदार) आजकल चीज़ चाहता है और दाम का ख्याल नहीं करता। मगर यह हालत कितने दिन रहेगी। गवर्नमेंट को और उस कमेटी को जिसका इसमें खास हिस्सा है फ्यूचर (भविष्य) का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर टैक्स इस तरह नारमल टाइम्स में लगाया गया तो जो ट्रेड (व्यापार) हमारे प्राविंस (प्रांत) का है उसको बड़ा धक्का लगेगा।

दूसरे हमको यह भी देखना है कि यह टैक्स दूसरे प्राविंसेज में लग चुका है। उससे भी हमारे प्राविंस (प्रांत) की इंडस्ट्री (उद्योगधन्धे) किसी तरह अफेक्टेड (प्रभावित) न हो, यह भी हमें देखना है। मैं तो यह समझता हूँ कि इसकी मोटी मोटी जो ग़लतियाँ थीं, ख़राबियाँ थीं, वह इस अमेंडमेंट ऐक्ट में बहुत सी दूर कर दी गई हैं। डिटेल्स के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास काफ़ी पावर्स (अधिकार) रख लिए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी (व्यवहारिक कठिनाइयाँ) उनके सामने आवेंगी तो उसको वह प्रेक्टिकल प्वाइंट आफ़ व्यू (व्यवहारिक दृष्टिकोण) से दूर कर सकेंगे।

मेरे ख्याल में ज्यादा पावर्स (अधिकार) गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए और लेजिस्लेटर्स को भी कुछ करना चाहिए। मगर इन खास हालात में जब कि पूरे डेटा हमारे पास नहीं हैं कि इसमें से कितनी आमदनी होगी, कोई खराबी तो नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों का गवर्नमेंट के हाथ में रहना बहुत लाज़िम हो जाता है। मैं समझता हूँ कि कन्ज्यूमर्स के प्वाइंट आफ़ व्यू (दृष्टिकोण) को रिप्रेजेंट (प्रतिनिधित्व) करने के लिए बहुत से लोग हैं, मैं बिज़िनेस कम्युनिटी (व्यापारी समुदाय) को ज़रूर रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन शायद वे लोग कन्ज्यूमर्स ख़रीदार के व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है यह सुन कर कि कन्ज्यूमर्स (ख़रीदार) इस टैक्स का स्वागत करते हैं और वह कंट्रीब्यूट (प्रदान) करने को तैयार हैं। आर्थिक दशा के अनुकूल टैक्स लगाना ज़रूरी हो जाता है, और लोग उसके लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन उसके बहुत से तरीके होते हैं। आम तौर से अगर पहले हिसाब से टैक्स लगाया जाय तो मेरा रफ़ अन्दाज़ा है कि ६ प्रतिशत औसत

आदमी पर भार पड़ जायेगा। अब इस रेजोल्यूशन से उसमें बहुत सी रिलीफ (छूट) कन्ज्यूमर्स (खरीदार) को मिल गई है। यह तो ठीक है कि ट्रेडर जो माँगेगा वह मिल जायगा, मगर हमको कम्पेटीशन [प्रतिद्वन्द्व] में क़ीमतों को कम रखना है। इतना इंटरेस्ट है डीलर या प्रोड्यूसर का। मैं समझता हूँ कि यह अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट, हमारी दरख्वास्त को मंजूर करके और सब बातों को सोच करके फ़ौरन लाई है वह बहुत ठीक है और मैं उसका पूरे तौर पर समर्थन करता हूँ। मेरा ख्याल यह है कि उससे बहुत सी खराबियाँ दूर हो चुकी हैं। हाँ, दो एक बातें रह गई हैं जैसे इंडस्ट्रियल, रा मटीरियल, या जो चीज़ें यहाँ बिकेंगी इनके बारे में एतराज रह गये हैं। उनके मुताल्लिक़ से बन कर बाहर गवर्नमेंट के पास काफी पावर्स हैं।

यह चीज गवर्नमेंट बाद में रूल्स मेकिंग में समझ सकती है। जनरली मैं इसको सिपोर्ट करता हूँ।

*श्री राम नारायण—जनाब स्पीकर साहब, जिस असोसिएशन की तरफ़ से मैं हूँ वह साठ वर्ष की हो चुकी है और साठ वर्ष के आदमी की, कहा जाता है, कि अक्ल घट जाती है। मगर यही असोसिएशन इस सूबे की इंडस्ट्री और कामर्स की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है। इस असोसिएशन को सेल्स टैक्स पर किसी क़िस्म का एतराज़ नहीं है। जहाँ तक उसूल का ताल्लुक़ है, वह सहमत है। जो प्राबलेम मिनिस्ट्री के सामने है उनको इम्प्लीमेंट (कार्य में परिणत) करना है तो सेल्स टैक्स लगाना इस मिनिस्ट्री का फर्ज़ है। इस असोसिएशन को जो कुछ एतराज़ हैं वह यह हैं कि सेल्स टैक्स जिस तरह से लगाया गया है वह इलडाइजेस्टेड और इलएग्ज़ीक्यूटेड है और असोसिएशन ने यह कोशिश की वह ऐसे इक्वीटेबिल फार्म में हो जाय जिससे किसी क़िस्म की रेवेन्यू की सैक्रीफाइस (बलिदान) न हो और किसी को किसी क़िस्म का एतराज़ भी न हो। यह खुशी की बात है कि इस असोसिएशन ने दूसरी असोसिएशनों के साथ मिल कर रिप्रेजेन्ट किया और मिनिस्ट्री ने उस पर ठंडे दिल से ग़ौर किया और बहुत जल्द उसका अमेंडमेंट बिल ले आई ताकि वह एतराज़ दूर हो जाय। क़रीब क़रीब जितने एतराज़ से वह इस फ़ार्म में जिसमें यह बिल आया है, वह सब दूर हो जाते हैं। मगर कुछ डिफेक्ट्स कमियाँ अब भी हैं। फर्ज़ कीजिये कि सबसे बड़ी माँग जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की थी वह यह थी कि रा मटीरियल (कच्चा माल) जो है वह फ्री होना चाहिये।

यह चीज़ इस नये बिल में भी साफ़ नहीं की गई है और भी एक दो बातें हैं जैसे डीलर्स की डेफीनेशन (व्याख्या) सफ़ीशियन्टली (पूर्ण रूप से) कम्प्रीहेन्सिव (पर्याप्त) नहीं है। ऐसे कुछ डिफेक्ट्स (कमियाँ) रह गई हैं

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राम नारायण]
लेकिन जब मिनिस्टर साहब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आनरेबिल प्रीमियर साहब सिम्पेथीज (सहानुभूति) के साथ ऐसे रूल बनायेंगे कि जो इसमें इस समय मौजूद हैं वह सब जाते रहेंगे। हम एसोसिएशन की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं और कांग्रेचूलेट (बधाई) देते हैं कि इस रेडीनेस (तत्परता) के साथ उन्होंने इसको किया है।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् स्पीकर महोदय, पिछली मर्तबा जब सेल्स टैक्स बिल इस भवन के सामने आया था तो यह तजवीज़ पेश की गई कि इसको एक सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाये लेकिन सिलेक्ट कमेटी के पास वक्त बहुत कम था और उस कम वक्त में सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल को दुरुस्त करके पेश किया। जब यह बिल इस भवन में पेश हुआ और जो सिलेक्ट कमेटी में मेम्बरान को समझाया गया कि यह टैक्स उन दुकानदारों के ऊपर पड़ेगा जिनको ज्यादा बिक्री करने का मौका होता है और इसी वजह से यह मुक़र्रर किया गया था कि जिन दुकानदारों की बिक्री १२ हज़ार रुपये या इससे ऊपर है यानी टर्न ओवर कहना चाहिये उनको यह टैक्स देना है। यह तो मैं भी समझता हूँ कि यह सेल्स टैक्स कंज्यूमर के ऊपर इनडाइरेक्ट टैक्स है लेकिन जब सिलेक्ट कमेटी में मन्त्री महोदय ने ऐसी बात पेश की तो इसको इस तरीके से तसलीम नहीं किया गया और अब जब कि हमारे सामने क़रीब एक महीने के सेल्स टैक्स तजुर्बे में आ चुका है तो हर शख्स को जो बाज़ार गया होगा और जिसने खरीदारी की होगी तो उसको बखूबी तजुर्बा हो गया होगा कि जितने दुकानदार हैं सब सेल्स टैक्स बिल में लिख कर ले लेते हैं। वे चीज़ों की क़ीमत लिखने के बाद सेल्स टैक्स अलग लिख कर चार्ज करते हैं। मैंने तो बहुत से वाउचर्स इसलिये रख छोड़े हैं अगर वह माँगे जाँय तो मैं पेश कर दूँ और दिखा दूँ किस तरह से सेल्स टैक्स लिया जाता है। अब इसके साथ ही गुजारिश यह है कि ऐसी जगहों में जहाँ कि तिजारत हो रही है एक एक चीज के ऊपर कई कई दफा टैक्स पड़ रहा है। मुझे आगरा शहर में पंजाबी जूते की दुकान वाले अपने साथ बाज़ार ले गये इसलिये कि आप देख लीजिये कि सेल्स टैक्स की क्या हालत है। उन्होंने फ़ील, फीते और कई चीजें खरीदीं जिनसे कि जूता बनता है और यह कहा कि देख लीजिये कि इन सब चीज़ों पर सेल्स टैक्स हमको देना पड़ा है। इसके अलावा हमारे बेचने पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। ग़र्ज यह है कि उन्होंने १२ रुपयों की चीजें खरीदीं और १२ पैसे सेल्स टैक्स के उनको देना पड़े। अगर १२ रुपये में उनका जूता बिकेगा तो १२ पैसे फिर उनको सेल्स टैक्स के देना पड़ेंगे। ग़र्ज यह कि नतीजा यह हुआ कि एक एक चीज़ के ऊपर ५०-५० जगह टैक्स लगेगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को रुपयों की ज़रूरत है और इसलिये सेल्स टैक्स जरूर लगना चाहिये लेकिन

इन सब दुखों को दूर करके इन सब बातों को हटा करके, इन दुश्वारियों को कम करके, सेल्स टैक्स लगना चाहिये। जो अमेंडमेंट पेश किया जारहा है उसमें ऐसी सूरत निकालनी चाहिये जिससे यह सब दुख दूर हो जायें।

मेरा हर्गिज़ यह कहने का मंशा नहीं है और न मैं इसके विरोध में हूँ और न मैं विरोधी दल के साथ हूँ। लेकिन एक बात मैं सफ़ाई के साथ पेश करना चाहता हूँ और वह यह कि यह दुःख की चीज है, उस पर पब्लिक प्वाइंट आव व्यू (जनता के दृष्टिकोण) से गौर करिये। मैं एक चीज़ और बतलाता हूँ। लकड़ी वाले ने शिकायत की कि लकड़ी की क़ीमत और बढ़ गई। चीज़ यह है कि जो होलसेल वाले हैं पहले उन्होंने सेल्स टैक्स वसूल किया और जब रिटेलर ने खरीदा तो उन्होंने सेल्स टैक्स दे दिया और जब कंज्यूमर ने खरीदा तो उसने सेल्स टैक्स दिया। इस तरह से एक एक चीज़ पर तीन चार मर्तबा सेल्स टैक्स पड़ गया इस बात पर वाक़ई में आप को गौर करने की जरूरत है। मैं तो समझता हूँ कि सेल्स टैक्स का बार इनडायरेक्ट तरीक़े से कंज्यूमर पर पड़ता है और वह बजाय १ पैसे के १२ पैसे पड़ रहे हैं। मैं पेश करता हूँ कि इस दुःख को दूर करने के लिये इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे जो इसके ऊपर गौर करे और इस बिल को और पिछले बिल को मिला कर एक रिपोर्ट हाउस के सामने जल्द से जल्द पेश करे।

श्री अब्दुल बाक़ी—सदरे मोहतरिम! पहली बार जब सेल्स टैक्स वाला बिल आया था तो वह बड़ी उजलत में हाउस के सामने आया और पास हो गया। उस वक्त भी हम लोगों की राय थी कि इसमें जिस उसूल पर टैक्स लगाया जा रहा है वह बजात खुद तो अहम चीज़ है और काफ़ी गौरो-खोज की उसमें जरूरत है। लेकिन वह पास हो गया और फ़ौरन ही उसका निफ़ाज भी हो गया। निफ़ाज के साथ साथ गवर्नमेंट ने महसूस किया और वही चीज, जिसका हमें अन्देशा था, जिस पर हमें एतराज़ था, गवर्नमेंट के सामने असली शक्ल में आई और गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जिस शक्ल में असली ऐक्ट पास हुआ है वह नाकाफ़ी है। उसमें कमी रह गई है और उस कमी को पूरा करने के लिये उसमें तरमीम करने की जरूरत है। इस ऐक्ट पर अभी अमलदरामद भी नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी इस पर तरमीम आ गई और वह भी काफी लम्बी तरमीम है। इस वक्त जैसा कि फ़िलिप साहब ने कहा है कि जिस वक्त कानून बना था शायद यह बात जहन में नहीं थी कि एक ही चीज़ पर मुताद्दिद टैक्स पड़ जायेंगे। वह चीज़ अब सामने आ गई। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि थोक फरोशों से जो चीज़ खरीदते हैं मसलन कपड़े वाले हैं वहाँ वह असली क़ीमत से ज्यादा भी दे आते हैं उसे ब्लेक मार्केट प्राइस कहिये या कुछ और लेकिन बीजक जो बनाया जाता है वह ब्लेक मार्केट की रक़म निकाल कर बनाया जाता है। फ़र्ज़ कीजिये कानपुर में यह मामला हुआ और लखनऊ वह माल लाया गया। यहाँ उसे म्यूनिसिपल टैक्स देना

[श्री अब्दुल बाकी]

पड़ा। खरीदार क्या करता है। वह अपना बीजक निकालता है उसी पर वह टैक्स देता है और जब वह खुद उसे कंज्यूमर को बेचता है तो उससे वह तीन रकमें वसूल करता है एक तो ब्लेक मार्केट में जो अदा करता है वह लेता है फिर जो सेल्स टैक्स है उस सेल्स टैक्स की रक़म लेता है और उसके बाद जो मानला निज का तै होता है वह लेता है। वे खुद एक रसीद दे देते हैं और उस रसीद में सेल्स टैक्स की तादाद होती है और जो उसके अलावा ज्यादा वसूल करते हैं उसको वह उसमें जाहिर नहीं करते बल्कि उसे काट करके रसीद दे देते हैं। यह सब पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स (खरीदार) पर इतना बार पड़ रहा है। यह तरमीम बजात खुद अहम है और चन्द चीजें इसमें ऐसी हैं जिन पर वाक़ई गौर व खौज के बाद और निहायत ही गायर तौर से सोचने के बाद इस बिल को आना चाहिये था। जहाँ मैं खुद दरहक़ीक़त इस राय का हूँ कि क़ब्ल इसके कि इसके ऊपर बहस मुबाहिसा जारी हो, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं इससे क़तई इत्तिफ़ाक नहीं करता कि यह काम जल्द ही हो जाय। एक या दो दिन के लिये पेश होना तो बेकार है। जैसा कि आपने असली ऐक्ट के सिलसिले में जो कार्रवाई की गई उसे देखा होगा कि उस पर एक या दो दिन के लिये बहस हुई थी तो वह खामियाँ दुरुस्त नहीं हो सकीं। उसका नतीजा यह हुआ कि अभी उस पर अमलदरामद भी नहीं हुआ है पर तरमीम आ गई। तो अगर इसी तरमीम का भी यही अन्जाम करेंगे कि रवारवी में और उजलत में और चन्द लमहों में बैठकर आप बिल को तै करना चाहते हैं तो वह क़तअन इन्साफ़ न होगा और बिल का जो मन्शा है, गवर्नमेंट का जो मन्शा है इस बिल को लाने का वह क़तअन पूरा न होगा। अभी गवर्नमेंट के सामने जो चीज है। वह यह है कि जितने रुपये की जरूरत है वह रुपया गवर्नमेंट को दिया जाय। हम लोग तैयार हैं कि वह रुपया गवर्नमेंट को दिया जाय। सोचना यह है कि गवर्नमेंट जिस तरीक़े से रुपया वसूल करती है उसका बार किस पर जा करके पड़ता है, आया दौलतमन्दों पर या गरीबों पर और कंज्यूमर्स पर। यह बहुत गौर करने की चीज है। जैसा कि हो रहा है कि दौलतमन्द पूरी चीज वसूल कर लेता है और उसको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता है। तो हमें तरमीम में यह चीज मद्दे नजर रखना चाहिये कि हम कौन सी ऐसी तरमीम करें जिससे यह बार गरीबों पर हल्का पड़े और जितना ही ज्यादा दौलतमन्द हो उस पर निस्बतन उतना ही ज्यादा पड़े। अगर हमको इस पर गौर करना है तो यक़ीनन इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होना चाहिये ताकि गौर व खौज के बाद, आपके टैक्स लगाने का जो मन्शा है उसकी लाइट में हम इस पर गौर कर सकें और उसके बाद मुकम्मिल शक्ल में बहस के लिये इस एवान में लावें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इस बिल को रखा है बहस मुबाहिसे के लिये तो उसका वक्त नहीं है। गवर्नमेंट को भी मौका देना चाहिये कि मेम्बरान् इस पर काफ़ी गौर कर लें और मुल्क में जो सेल्स टैक्स की वजह से लोगों को परेशानी है, लोगों ने मुखालिफ़त में हर तरफ़ से

सदाये एहतिजाज बुलन्द की है और खास तौर से बिजनेसमैन ने जो की है तो उस सबका ख्याल करते हुये डिमाक्रेसी का यह तक़ाज़ा है कि हम उन एतराज़ात को अपने सामने रखें और जांचें कि उनमें कहाँ तक असलियत है और कहाँ तक खुद गरज़ी पर मबनी हैं, कहाँ तक हमें बिल में उस पर अमल-दरामद करना चाहिये और कौनसी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नज़रअन्दाज़ कर सकते हैं। फिर मुल्क की जो हालत है, उन हालात में इस टैक्स को हम किस तरीके से तरतीब दें ताकि फ़ायदा भी हमको ज्यादा हो और नुक़्सान कम हो और जो आम तौर पर नाराज़ी है इस ऐक्ट के मुताल्लिक़ उस नाराज़ी को भी हम एक हद तक खत्म कर सकें और पब्लिक ओपीनियन (जनमत) भी हमको सही तौर से मालूम हो जाय। मैं समझता हूँ कि पहले जो बिल पास हुआ और अब जो बिल है उस पर हम ने पब्लिक ओपीनियन (जनमत) का लिहाज़ नहीं किया है। इसलिये पहले उनकी रायों का मुवाज़िना करना है और मुवाज़िना करने के बाद जो सही चीज़ हो, मुस्तक़िल चीज़ हो उसका हमें इस्तक़बाल करना है और उसकी रोशनी में उसको मुरत्तिब करना है। इसकी जो मौजूदा शक्ल है वह बिल्कुल नाक़ाफ़ी है इसलिए मैं फिर यह अर्ज़ करूँगा कि इस शक्ल में बिल पर बहस करना मुनासिब नहीं है। फ़िलिप्स साहब ने जो तहरीक़ की है उसकी मैं ताईद करता हूँ।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब स्पीकर साहब! मुझे निहायत मसर्रत है कि मिनिस्ट्री की तरफ़ से सेल्स टैक्स ऐक्ट पर एक अमेंडिंग बिल आया। ग़ालिबन जहाँ तक मुझे इल्म है और जहाँ तक मुझे याद है चन्द बेश्तर तरमीमें जो आज हमारे सामने बिल की शक्ल में पेश हैं उन्हें हमने सिलेक्ट कमेटी में पेश करने की कोशिश की थी और उन खतरात से आगाह करना चाहा था जिसको गवर्नमेंट ने खुद अब माना है। लेकिन जहाँ तक उन तरमीमात को इस बिल में इनकारपोरेट (रखा) किया गया है उनमें चन्द ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं। इस बिल के जो क़ायदे और ज़रूरियात फ़रमाये गये हैं उनसे तो सिर्फ़ यह ज़ाहिर होता है कि गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि उसके एक्सपर्ट्स ने और उसके वज़ीरों ने अपनी समझ के मुताबिक़ इस बिल को तरतीब दिया होता बिज़िनेस कम्यूनिटी (व्यापारी समुदाय) को खुश करने के खातिर यह बिल तैयार किया है। उसने ऐक्ट के नुक़ायस को दूर करने के लिए यह बिल पेश नहीं किया है। इसमें दो चार चीजें जहाँ अच्छी हैं दस पाँच चीजें ग़लत भी मिला दी गई हैं। इसमें कोई शक़ नहीं है कि आजकल बाज़ार में हर तरफ़ चाहे कोई सेल्स टैक्स देने के क़ाबिल हो या न हो सेल्स टैक्स उससे लिया जाता है और एक ही कमाडिटी (सामग्री) पर एक हाथ से दूसरे के पास गुज़रने के बाद, हर जगह पर सेल्स टैक्स आयद होता है और इसको रोकने के लिये ही दफ़ा ३ और ४ में जो तरमीमें पेश की गई हैं

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]
उसके लिए मैं मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूँ कि इसके ज़रिये से उन्होंने कन्ज्यूमर्स (ख़रीदार) के लिए एक ऐसी रिलीफ़ देने की कोशिश की है जिसके लिए कन्जूमर्स की काफ़ी माँग थी और जो उसका जायज़ हक़ है। इस माँग के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है तो मैं समझता हूँ कि वह किसी दलील की बिना पर और किसी अख़लाक की बिना पर यह बात नहीं कहता है। गवर्नमेंट ने यह करके जो बेजा पैसा बहुत ज्यादा पैसा कन्ज्यूमर्स से रियलाइज किया जा रहा है वह गवर्नमेंट दूकानदार से वसूल कर लेगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ ऐसे प्राविजन रखे गये हैं कि कुछ डीलर्स को अगर गवर्नमेंट चाहे तो १२ हजार या १२ हजार से जायद के टर्न ओवर पर वह जब चाहे तो मुस्तस्ना कर दे या उसके टैक्स में तरमीम करदे। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आख़िर इसका क्या मतलब हो सकता है। आया यह है कि बिजिनेस कम्यूनिटी के लोग जब उनके पास फिर दौड़ कर आयेंगे तो जो टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है। उससे उनको माफ़ कर दिया जायगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह किस उसूल और किस प्रिन्सिपल की बिना पर रखा गया है। इसकी वजह से यह भी रखा गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें किसी तरीके से किसी गुड्स या किसी क्लास आफ गुड्स को रख सकती है। पिछले बिल में तो यह गवर्नमेंट को अख़्तियार दे ही दिया गया था कि वह जिस जरूरी चीज को चाहे मुस्तस्ना कर दे लेकिन इस सेक्शन में इस चीज को लाने की क्या जरूरत थी। इसमें राज़ कुछ और ही मालूम होता है। मालूम नहीं कि वह राज क्या है। इसके अलावा मुझे अर्ज़ यह करना है कि तीन या चार सेक्शनों में जहाँ गवर्नमेंट ने सक्सेसिव सेल्स टैक्स को रोकने के लिए जो तरमीम रखी है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बयान की गई हैं जिन पर टैक्स उस रेट से रखा गया है जैसे फ़ोटोग्राफ़ी की चीज़ें हैं और उसके सिलसिले में जितनी चीज़ें हैं उनपर पिनांग रेट पर टैक्स लिया गया है।

इस सिलसिले में चन्द और चीज़ें रखी गई हैं और बिल्कुल सही हैं और भी लग्ज़री की जितनी चीज़ें शामिल हो सकें वह भी करदी जाँय और उन-पर ज्यादा टैक्स लिया जाय तो मुझे ख़ुशी होगी लेकिन मुझे फोटोग्राफी के सिलसिले में यह कहना है कि सिवा पेशेवर फोटोग्राफरों के ज्यादातर सेल स्कूल के तालिबइल्मों और नौजवानों का है जिनको अपने वालदेन से इन चीज़ों के लिये रुपया बड़ी मुश्किल से हासिल होता है और अगर इस तरीके से सर-कार यह करे कि उन तालिबइल्मों को जो सामान अपनी जरूरत के लिये खरीदें और चूंकि इस सूबे में फोटोग्राफी के इल्म की कमी भी है तो अगर इसका सेल्स टैक्स एन्हान्सड (बढ़े हुए) रेट के बजाय आरडिनरी करदे तो मुनासिब बात होगी इससे तालिबइल्मों को फ़ायदा होगा उनको आजकल वैसे ही रुपया कम मिल रहा है इसमें कोई शक़ नहीं है कि सरकार ने कुछ और ऐसी तरमीमें पेश

की हैं जिनका इस हाउस को फ़ख्र होना चाहिये कि गुजिश्ता साल के हिसाब से जो टर्न ओवर होता है गवर्नमेंट ने मन्जूर किया है कि वह साल हाल का ही माना जायगा यानी सन् ४८ और उसके बाद जो परेशानी दूकानदारों को और कन्ज्यूमर्स (खरीदार) को थी वह एक हद तक दूर हो जायगी साथ ही जहाँ तक डीलर्स की रजिस्ट्री का ताल्लुक है यह भी सरकार ने एक जबर्दस्त तरमीम पेश की है जिसका हमको फख्र होना चाहिए और जिसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिये कि इससे सब वह डीलर जो रजिस्टर होंगे वह टैक्स ले सकेंगे और वह ट्रेजरी में अपने टर्न ओवर के मुताबिक़ टैक्स दे सकेंगे लेकिन इसमें मैंने नहीं देखा कि अप्रैल से आज की तारीख तक या जब यह अपर हाउस से मन्जूर हो कर या गवनर साहिबा की मन्जूरी हासिल करके उस वक्त तक जो टैक्स लिया गया है वह आया डीलर के पास रहेगा या कन्ज्यूमर्स को वापिस होगा न कन्ज्यूमर्स वहाँ जायँगे और न वह वापिस हो सकेगा मैं तो यह-इल्तजा और मुतालबा करना चाहता हूँ कि आज की तारीख तक या उस तारीख तक जब कि यह ऐक्ट की शक्ल में आये जिन्होंने भी टैक्स लिया है चाहे उसको हक़ था या नहीं वह टैक्स सरकारी खजाने में भेज देना चाहिए।

इसमें शक नहीं है कि हम यह देख रहे हैं कि इस एवान में रोजाना एक ऐक्ट पास करने के बाद दूसरा तरमीमी एक्ट फ़ौरन लाते हैं इस की खास वजह यह है कि जो ऐक्ट हम पास करते हैं उस पर गौरोखोज करने की नौबत नहीं आती और महज इस वजह से कि अपोजीशन अगर कोई सही बात भी कहता है तो मजारिटी (बहुमत) की वजह से आप उसकी नहीं मानते, यह मुनासिब नहीं है और इसी वजह से रोजाना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है या अगर इस तरमीमों के बिल को सिलेक्ट कमेटी में १२ या १४ घण्टे के लिए नहीं जैसा कि होता है बल्कि १०, १२ दिन का ऐसा मौक़ा मिले कि हम बिल को हर नुक़्तेनजर से देख सकें और यह समझ सकें कि आइन्दा आने वाले जमाने में कोई दिक्क़त तो न होगी। अब तक इस टैक्स के सिलसिले में ज़िलों और सूबे में जो कार्यवाही की गई है उसमें अब तक क्या हुआ है। न तो तक़रीरों में पब्लिक को बतलाया ही गया है किस तरीके से टैक्स लिया जायगा, किस शक्ल में लिया जायगा न कुछ छापा ही गया है, क़ानून की किताबें भी गवर्नमेंट प्रेस में नहीं मिलती हैं और वह पब्लिक के लिए नहीं मिल रहीं हैं। इस के पास होने के बाद मैं नहीं समझता कि आप के स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग वालों के पास क़ागज है या नहीं। जिस तरह से मेम्बरान् असेम्बली के लिए बनाए हुए क़ानूनों की क़िताबें क़ीमत पर भी नहीं मिल सकती हैं क्योंकि कहा जाता है कि कागज नहीं मिला है और सरकार ने छापने की इजाज़त दी है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह से कोई तरमीम ला सकता है। कहा जाता है कि लाइब्रेरी से मिल सकती हैं लेकिन वहाँ भी वह सेशन के ज़माने में

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

किसी न किसी के नाम चढ़ी रहती हैं और अगर सेशन के जमाने में मिलती भी हैं तो जल्दी इतनी की जाती है कि आज बिल मेज पर रखा और पास करा लिया। ऐसी सूरत में मैं चाहता हूँ कि एक पैम्फलेट की शक्ल में मए रूल्स और और क़वायद के ऐक्ट को छपवा कर जगह जगह बड़े शहरों और कस्बों में किसी एजेन्सी के ज़रिए से अवाम तक पहुँचा दिया जाय कि अवाम को डीलर्स धोखा न दे सकें। जहाँ तक टर्न ओवर का सवाल है इस में शक नहीं है कि डीलर जिस तरह से इनकम टैक्स से बचने के लिए क्या क्या नहीं करता उसी तरह से इसमें भी करेगा। आजकल के ज़माने में अगर कोई रेडियो सेट ख़रीदता है तो उसको ७०० रुपया ५०० की जगह देना होते हैं और रसीद ५०० की मिलती है मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत में कोई प्राविजन गवर्नमेंट ने किया है या अपने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस तरीके से ऐसी हालत में क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ़ तवज्जह देगी। एक सेक्शन ३ बी० है जिसका अंगरेजी तरजुमा यह है।

Not withstanding anything contained in section 3, the turnover of any dealer in respect of transactions of forward contracts, in which goods are not actually delivered, shall be taxed at a rate not exceeding Re. 1 per unit as may be prescribed.

(धारा ३ में दी हुई किसी चीज़ के होते हुए भी बदनी के सौदों के सिलसिले में जिनमें माल वास्तव में न दिया गया हो, किसी व्यापारी के पूर्ण धन पर, एक रुपया प्रति यूनिट की दर से, जैसा कि सरकार नियत करे, कर लगाया जायगा।)

फ़ारवर्ड और इनवर्ड डीलर या पास्ट डीलिंग के सिलसिले में सवाल यह है कि जो बुलियन या ग्रेन मारकेट या कोई मारकेट जिसका——— में जो चीज़ डिलीवर हुई हो या न हुई हो अगर उस पर कोई नफ़ा करता है तो सेल टैक्स वाजिब होना चाहिए और उससे मुस्तसना करना सरकार के लिए ग़लत होगा। हमें हर सूरत से उस टैक्स को ले लेना है। वह हमारी आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स (साधन) होगा जिसका अन्दाज़ा आप नहीं कर सकते, और अगर बिज़नेस कम्युनिटी (व्यापारी समुदाय) कहती है कि उनको मुस्तसना किया जाय तो यक़ीनन यह उसकी ज्यादती है क्योंकि वह तो किसी न किसी शक्ल में टैक्स वसूल करेगी ही। आपने कहा था कि हम टैक्स इसलिए लगाते हैं कि हमें नेशन बिल्डिंग (राष्ट्र निर्माण) का प्रोग्राम जारी करना है। तो फिर मुस्तसना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम उन चीज़ों को मुस्तसना करने के क़ायल हो सकते हैं जिनसे जनता का कोई खास फ़ायदा हो, जिसके लिए हमने पिछली सिलेक्ट कमेटी में तै कर दिया था और पूरा अख़्तियार गवर्नमेंट को दिया है कि इस क़िस्म की चीज़ों को मुस्तसना कर दे जिनकी लिस्ट

खुद उनके सामने पेश की गयी है। मुझे नहीं मालूम कि जब यह ऐक्ट बनाया गया उस वक़्त बम्बई या बंगाल के सेल्स टैक्स ऐक्ट को सामने रखा गया था या नहीं। हमें उसकी कापी यहाँ पर तो नहीं मिली लेकिन हमने थोड़ी बहुत नज़र की। यह बिल इसलिए लाया गया है कि कुछ शिकायतें आईं या इसलिए कि कुछ बिज़नेस कम्युनिटी ने ज़ोर दिया। इस हाउस में भी जो बिज़नेस कम्युनिटी के मेम्बरान हैं उन्होंने ही ज़्यादा ज़ोर दिया और इसका स्वागत किया है। हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट के सामने वह कौन से आदाद शुमार हैं, वह कौन से कागजात हैं या वह कौन सी ज़रूरत थी जिसकी वजह से यह बिल लाना पड़ा। माननीय सचिव ने ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं पेश की। लेकन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी चीज़ें जो पेश की गई हैं वह क़ाबिले मुबारकबाद हैं और मैं आनरेबिल मिनिस्टर को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र—माननीय स्पीकर महोदय, मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बिक्री कर के सम्बन्ध में जो इन थोड़े दिनों के अन्दर दिक़्क़तें पेश आईं उनको दूर करने के लिये जितनी जल्दी हो सका यह बिल इस भवन के सामने पेश किया। दूसरी तरफ़ से इस बिल की मुख़ालिफ़त की गई और यह प्रस्ताव रखा गया है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के लिये भेजा जाय और अभी मुझसे पहले मेरे दोस्त मिस्टर असरार अहमद साहब ने जो भाषण दिया है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चाहे १२ घण्टे के लिये सिलेक्ट कमेटी मुक़र्रर की जाय और १२ घण्टे की ही मियाद उसे दी जाय, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में यह ज़रूर जाना चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न है) मुझे यह अर्ज़ करना है कि अभी यह फ़रमाया गया है कि मैंने यह कहा था यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय चाहे १२ घण्टे के लिए ही भेजा जाय। मैंने यह हरगिज़ नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि १२ घन्टे के लिए न भेजा जाय, अगर भेजा जाय तो सात आठ दिन के लिए ताकि उस पर ठीक तौर से ग़ौर हो सके।

श्री कृष्ण चन्द्र— अगर आपका यह मतलब है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय और इस ख्याल से भेज दिया जाय कि सिलेक्ट कमेटी अपने समय को देकर और खूब अच्छी तरह ग़ौर ख़ौज करके अपनी सुविधा के अनुसार रिपोर्ट दे तो यह बिल सिलेक्ट कमेटी से इस सेशन में नहीं आ सकता। नतीजा यह होगा कि यह बिल अगले सेशन के लिए मुल्तवी हो जायगा और जो दिक़्क़तें बिक्री कर के लागू होने से इस सूबे के लोगों को हो रही हैं वह दूर नहीं हो सकेंगी। मुझे यह अर्ज़ करना है कि यह बिल एक संशोधन के रूप में है और यह संशोधन इस गरज़ से लाया गया है कि बिक्री कर के क़ानून में जो दिक़्क़तें इन थोड़े दिनों के अन्दर दिखाई दी हैं उनको दूर किया

[श्री कृष्ण चन्द्र]
जा सके। इन दिक़्क़तों को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है। विरोधी लोगों की तरफ़ से, जिन्होंने कि सिलेक्ट कमैटी का प्रस्ताव किया है, यह बात न कही गई है और न दिखाई गई है कि किस तरह से इन संशोधनों की वजह से असली बिल जनता के लिये ज्यादा हानिकारक हो जायगा और जो तजवीजें इस बिल में हैं उनसे किस तरह से किसी शख्स को कोई हानि पहुँचेगी। जिस वक्त कि बिक्री कर का बिल इस भवन के सामने था तो चारों तरफ़ से इस बात के लिये ज़ोर दिया गया था कि यह बिल बड़ा सख्त है और बहुत जल्दी में पास किया जा रहा है, इस बिल के नतीजे बहुत खराब होंगे और बहुत से लोगों को परेशानी होगी।

लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिये जब गवर्नमेंट नेकनीयती के साथ जितनी जल्दी उससे मुमकिन हो सका उन तकलीफ़ों को दूर करने की गरज़ से यह संशोधन बिल लाई है तो उस बिल का जो असेम्बली की आवाज़ थी उसका मुख़ालिफ़ पार्टी की तरफ़ से विरोध किया जाता है, तो मुझे यह कहना पड़ता है कि यह विरोध महज़ विरोध के लिये हो रहा है और नहीं तो कोई बात तो इस बिल में ऐसी दिखाई जाती जिससे यह साबित किया जा सकता है कि पहले जो बिल की तजवीजें हैं, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को तब्दील करके कोई ऐसी नई व्यवस्था या नये नियम लाने की कोशिश की जा रही है जिससे किसी को नुक़सान होता हो। व्यापारियों ने ज़ोर दिया और व्यापारियों की, प्रार्थना पर यह बिल लाया गया है ताकि उनकी जो दिक्क़तें हैं, वे दूर की जा सकें। हमारे माननीय प्रधान सचिव ने इस भवन के सामने यह साफ़ तौर पर कह दिया है, उन्होंने उसे छिपाया नहीं कि उनके पास व्यापारियों का जो डेपुटेशन आया है और उनकी जो तकलीफ़ें हैं और उचित तकलीफ़ें हैं, उन उचित तकलीफ़ों को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। और यह भी बात नहीं है कि उनकी उन सब तकलीफ़ों को जो व्यापारियों ने बतलाई हैं उनको गवर्नमेंट ने मान ही लिया है। इस बिल में तो गवर्नमेंट ने किसी पार्टी की बात को तसलीम नहीं किया है बल्कि गवर्नमेंट ने व्यापारियों की बात को सुन कर अपने लिये इस भवन से एक अख्तियार ले लिया है कि वह उनकी तकलीफों की जाँच करा, कर उनकी अच्छी तरह से देख भाल करके एक ऐसी तजवीज, एक ऐसा नियम बनावें ताकि व्यापारियों की तकलीफें जो उचित हैं वे दूर हो जायँ और आम जनता को भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। वह बिक्री कर क़ानून हमने पिछले सेशन में पास किया था और उसके पास करने के बाद जैसा कि हमारे दोस्त असरार अहमद साहब ने कहा कि जब इस बिल का निफाज़ हुआ उससे चारों तरफ बहुत काफी शिकायतें लोगों में बरपा हो गईं। हर चीज़ पर बिक्रीकर वसूल किया जाने लगा। यहाँ तक हुआ कि कहीं कहीं खाने पीने की चीजों पर फूड ग्रेन पर भी यह कर वसूल किया जाने लगा। यह आम तकलीफ़ थी और बहुत

ज्यादा तकलीफें थीं। अगर आप इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहते हैं तो उसका नतीजा यही होगा कि जो तकलीफें आज हैं, जिनका इजहार खुद उन लोगों ने किया है जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजे जाने की तजवीज की है तो वह तकलीफ बदस्तूर तब तक क़ायम रहेगी जब तक कि इस भवन का दूसरा अधिवेशन नहीं होता। जब उन्हीं तकलीफों को दूर करने के लिये गवर्नमेंट ने यह तजवीज पेश की है, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन साहबान ने सिलेक्ट कमेटी की तजवीज की है इस ख्याल से है कि यह बिल वहाँ जाकर और अच्छा हो जाय और मुकम्मल हो जाय और वैसे यह तजवीज निहायत मुनासिब भी है। लेकिन इस समय तो हमारे सामने एक बहुत ही परिमित सवाल है, महदूद सवाल है कि क़ानून तो लागू हो गया और बिक्री कर वसूल किया जाने लगा। अगर बिक्री कर वसूल किया जाना शुरू नहीं होता, अगर बिक्री कर का क़ानून न होता तो जो तजवीज सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये है मैं उसको ताईद करता, समर्थन करता। लेकिन जो बुराई फैल गई वह तो हो ही गई, जो तकलीफ लोगों को बिल से हो रही है वह तो बरपा है ही। उनको तो आप कम कर नहीं सकते हैं। और आज उसी को कम करने की जो कोशिश की जा रही है तो यह कोई भी आदमी जो जनता का हित रखता है, जो तकलीफें लोगों को हो रही हैं उनको दूर करने की नियत रखता है उसको यह चीज गवारा नहीं हो सकती है कि एक दिन भी ऐसी अच्छी तजवीजों को रोका जावे।

हाँ अगर यह बात होती और हमारे सामने आती तो दूसरी बात थी। जो दिक़्क़त सामने आ गई है और लोगों को महसूस हो रही है उस दिक़्क़त को जितनी जल्दी हम से हो सके उसको हमें दूर करना चाहिये। अगर कोई नई बात किसी मेम्बर साहब को लानी है तो वह अलग से ला सकते हैं और गवर्नमेंट को भेज सकते हैं और उसके मुताबिक़ बिल बिलकुल मुकम्मिल किया जा सकता है लेकिन जो बिल इस वक़्त आया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में यह कहा जाय कि वह जनता के हक़ में बहुत ख़राब है। जब इसके अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर इसकी मुख़ालिफ़त क्यों की जाती है। इसमें कुछ ऐसी बातें आई हैं कि जिनसे जनता को जो बहुत तकलीफ हो रही है वह कम या दूर हो जावेगी।

श्री अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स—आप बतला दीजिये कि जनता को इससे क्या फ़ायदा है?

श्री कृष्ण चन्द्र—सन्तोष रखिये। अभी आपको बतलाता हूँ। अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन के सिलसिले में बहुत जगह गाँवों में जाने का मौक़ा मिला। उसमें हमने देखा कि हरएक चीज़ पर गाहक से बिक्री कर वसूल किया जा रहा है। दुकानदार लोग काश्तकारों से भी यह कह कर वसूल कर लेते हैं और उनके लिये यह खुली छूट है कि वह बिक्री कर वसूल करें गवर्नमेंट के पास

कोई ऐसा क़ानून नहीं है कि जिससे उनके ऊपर मुक़दमा चलाया जा सके। इस बिल के अन्दर इस क़िस्म की व्यवस्था रक्खी गई है कि यदि ग्राहकों से कोई दुकानदार बिक्री कर वसूल करना चाहता है तो उसको अपनी रजिस्ट्री पहले करानी पड़ेगी। कोई दुकानदार जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है वह बिक्री कर ग्राहकों से वसूल नहीं कर सकेगा। दूसरी उसकी शर्त है कि अगर कोई दुकानदार अपनी रजिस्ट्री कराता है और बिक्री कर वसूल करता है तो उसको हर सामान के लिये जो ग्राहक को वह बेचता है उसका नक़द चिट्ठा काटना पड़ेगा। उसको बिक्री का कैशमेमो देना पड़ेगा। और तीसरी एक बात और रक्खी गई है और वह यह है कि अगर कोई दुकानदार जिसको हक़ नहीं है कि किसी से बिक्री कर वसूल करे या उसको जितना हक़ है उससे ज्यादा कर वसूल करता है तो उसको इस संशोधन बिल में जुर्म क़रार दिया गया है इस संशोधन के जरिये से जो कि बिल में किया जा रहा है अगर वह ऐसा करता है तो उस पर मुक़दमा चलाया जा सकता है और उसको सजा भी हो सकती है। ऐसी बातें भी इसके अन्दर रक्खी गई हैं कि जितना कोई दूकानदार बिक्री कर वसूल करेगा वह सब उसे खजाने में दाखिल करना पड़ेगा। यदि वह रुपया दाखिल नहीं करेगा तो उस पर मुक़दमा चलाया जा सकता है। तो जहाँ तक यह शिकायत थी और वह बहुत आम शिकायत थी कि दुकानदार बहुत ही जबरदस्ती कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, बहुत अन्धेर कर रहे हैं कि हरएक ग्राहक से हरएक चीज़ पर बिक्री कर के नाम से जितना चाहें उतनी क़ीमत बढ़ा सकते हैं, वसूल कर सकते हैं तो वह इस संशोधन से जो इस बिल में हम पास कर रहे हैं वह दिक़्क़त दूर हो जायगी और कोई नई दिक़्क़त न होगी। बदनी के बारे में अगर यहाँ भवन की ख्वाहिश है कि यह बदनी का काम रोक दिया जाय तो उसमें किसी को एतराज़ न होगा। सब लोगों की यह ख्वाहिश है कि बदनी का काम बन्द कर दिया जाय, बदनी के सौदे नहीं होने चाहिये क्योंकि यह एक क़िस्म का जुआ है। लेकिन मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल के जरिये से हम उस मक़सद को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा यह मक़सद है कि हम बदनी को बन्द करें तो उसके लिये हमको अलग से ही क़ानून बनाना पड़ेगा अगर किसी की यह ख्वाहिश है तो वह इस तरह का बिल ला सकता है। हर शख्श की यह ख्वाहिश है कि इसको बन्द कर दिया जाय इसके लिये क़ानून बनाया जाय और उसके जरिये से इसको बन्द किया जाय लेकिन इस बिल के जरिये से वह मक़सद हासिल नहीं हो सकता है। इस बिल का मक़सद यही है कि सही तौर पर बिक्री कर वसूल किया जाय। ताकि गवर्नमेंट की आमदनी में वृद्धि हो और गवर्नमेंट बदनी के सौदे से बिक्री कर में और फ़ायदा उठा सके। गवर्नमेंट ने जब यह देखा कि जो आम मामूली बिक्री पर एक पैसा रुपया है, लाखों रुपया की तादाद में जो बदनी का काम होता है उस पर भी यदि यही एक पैसा रुपया लिया गया तो बदनी से ज्यादा नफ़ा होगा। उससे बदनी का काम

कम हो जायगा या ब्लैक में चला जावेगा और जो इस बिल का मकसद है कि गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा हो वह नहीं होगा मुमकिन है उससे और नुकसान होने लगे।

इस बिल के अन्दर केवल यही व्यवस्था की है कि हम बदनी पर टैक्स लगा दें। इसके अलावा और कोई व्यवस्था हमने नहीं की है। कोई अगर चोरी से या छिपकर बदनी के सौदे करे तो हम उसको रोक सकें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वाक़ई हमको बदनी बन्द करनी होगी तो हमें उसको चारों तरफ़ से रोकना होगा कि कोई त्रुटि न रहने पावे और चारों तरफ़ से ऐसी व्यवस्था हो कि बदनी वाक़ई में बन्द हो जाय। इस बिल के जरिए से तो यही हो सकता है कि ज्यादा पैसे का कर लगा दें। बहुत कर लगाने से बदनी के सौदे कम हो जायँ या व्यौपारी उनको इस तरह चोरी से करेंगे या गुप्त रूप से करेंगे कि वह टैक्स के बोझ से बच जायँ तो उससे हमारा मक़सद हासिल नहीं होगा। यह तो संशोधन बिल है और उसके लिये सिलेक्ट कमेटी की ख्वाहिश करना कोई सिद्धान्तः अच्छी चीज़ नहीं है जब कि यह संशोधन बिल महज़ इसलिए लाया गया है कि असली क़ानून के कारण जो तकलीफें लोगों को पहुँच रही हैं उनको दूर किया जाय। इन चन्द लफ़्जों के साथ, मैं, जो सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव यहाँ लाया गया है, उसकी मुखालिफ़त करता हूँ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर अब वाद-विवाद बन्द कर दिया जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि वाद विवाद अब बन्द किया जाय और प्रश्न रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अर्थ सचिव (श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन करने वाले बिल पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बहस अब तक हुई है उसके लिए मैं इस भवन को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुफ़्ती फखरुल इसलाम साहब को छोड़ कर और किसी माननीय मेम्बर ने इस बिल का विरोध नहीं किया है और फ़खरुल इसलाम साहब ने भी इसका विरोध करते हुये जो तक़रीर की है, मुझे वह ऐसा कहने के लिए माफ़ करेंगे कि वह क़ाबिले फ़ख्र नहीं थी। उन्होंने उसकी मुखालिफत में सिर्फ़ एक बात कही और वह यह कि कंज्यूमर्स ने इस बिल से, इस टैक्स से ऐतराज़ नहीं किया था और महज़ व्यौपारियों के कहने से इसमें संशोधन किया गया है, कंज्यूमर्स तो जो टैक्स उनसे वसूल किया जाता है खुशी से दे रहे थे। जाहिर है कि यह बात वाक़यात के बिल्कुल खिलाफ़ है। कंज्यूमर हरगिज़ इस बात को पसन्द नहीं कर सकता कि उसके टैक्स, जायज़ और नाजायज़, ज्यादा और कम, जितना चाहे उतना ले लिया जाय। भवन के माननीय मेम्बर को यह याद होगा कि शुरू

[माननीय अर्थ सचिव]
में गवर्नमेंट की मंशा थी और अब भी है कि जहाँ तक हो सके इस टैक्स का भार कंज्यूमर्स पर न पड़े और जब यह देखा गया कि कंज्यूमर्स से बेक़ायदा यह वसूल किया जा रहा है और एक जगह नहीं बल्कि कहीं कहीं तो आठ आठ और दस दस जगह पर कंज्यूमर्स पर बेजा बोझा डाला जा रहा है तो जो संशोधन लाया गया है उसमें कंज्यूमर्स को उस तक़लीफ़ से बचाया जा रहा है। यह कज्यूमर्स के हित में है, उनके इंटरेस्ट में है। इसलिए यह कहना कि इस संशोधन की जरूरत नहीं थी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, क़तई ग़लत है । बल्कि सही बात तो यह है कि अपोजीशन के (विरोधी दल के) जो माननीय मेम्बर बोले उनमें से ज्यादातर ने फख़रूल इसलाम साहब की तक़रीर का खंडन किया उसका प्रतिवाद किया। असरार अहमद साहब ने तो साफ़ साफ़ ज्यादातर बातों में गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री को इस बात पर मुबारकबाद दिया के उन्होंने इस संशोधन करने वाले बिल में इतनी अच्छी बातों को शामिल किया। बाकी मेम्बरान ने भी दो एक बातों के बारे में अपनी राय उनके खिलाफ़ ज़ाहिर की मगर आम तौर पर बिल का स्वागत ही किया, इस्तक़बाल किया। और फ़ख़रूल इसलाम साहब की बातों का जवाब तो पुरी साहब ने ही दे दिया और बाक़ी साहबान की बातों के जवाब में आखिर में प्रोफ़ेसर कृष्णचन्द्रजी ने अच्छी तरह कह दिया है।

जो प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी के लिए किया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द वह हो चुका था और उस वक्त जो बातें रह गई थीं और जिनके बारे में जनता को शिकायतें थीं उनको दूर करने के लिए यह बिल पेश किया गया है । और व्यौपारियों की जो शिकायतें थीं उनको भी दूर करने के लिए यह बिल पेश किया गया है तो जहाँ तक सरकार से इस बिल का ताल्लुक़ है जो तजुर्बा इस बिल का अब तक हुआ और जो शिकायतें सामने आईं उन सब को दूर करने के लिये इस बिल में इन्तज़ाम किया गया है और जो संशोधनों का नोटिस इस बिल के सम्बन्ध में आया है उनके देखने से भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस बिल के सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है। न इस बिल में कोई बात है और न कोई बात संशोधन, अमेंडमेंट या तरमीम की है कि जिसकी बाबत यह कहा जा सके कि उसकी वजह से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए, इस भवन में ही उसका फ़ैसला बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।

एक बात यह कही गई कि अब भी बहुत से लोग जिनको जायज़ तरीके पर यह टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए वह ख़रीदारों से, ग्राहकों से वसूल कर रहे हैं और इस बात का इन्तज़ाम होना चाहिए कि जो पैसा वह इस तरह नाजायज़ तरीके से ले रहे हैं वह गवर्नमेण्ट के पास आवे उनके पास न रहे। तो मैं भवन को इत्मीनान दिला देना चाहता हूँ कि इस संशोधन करने वाले बिल की मंशा यही है और गवर्नमेंट की कोशिश भी यही है और गवर्नमेंट यही कर रही है

कि जिन्होंने इस तरह से पैसा वसूल किया वह सब गवर्नमेंट को उन्हें देना पड़ेगा उसे वह अपने पास नहीं रख सकेंगे। और जैसा कि कहा गया है कि यह पैसा उनके पास रह जायगा, गवर्नमेंट नहीं लेगी, बिल्कुल गलत है।

कुछ बातें बदनी के बारे में भी कही गई और यह कहा गया कि कंज्यूमर को इससे कोई नुक़सान नहीं था बिल जो लाया गया है वह इसलिये लाया जा रहा है कि जिन साहबों को ऐतराज था उनके ऐतराजों को दूर किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में साफ़ साफ़ यह कह देना चाहता हूँ कि अगर उनको इसकी ठीक जानकारी हासिल होती तो वह ऐसा नहीं कहते। जितना टैक्स पहले लगाया गया था उस हिसाब से यह कहा कि ६०० करोड़ रुपए की आमदनी गवर्नमेंट को होती है। वह तो उसी हालत में होती जबकि बदनी पर भी टैक्स रहे, जैसा कि मूल ऐक्ट में था, और अगर उस हिसाब से ६०० करोड़ रुपयों की आमदनी होती है तो नतीजा वही होगा जो कि पुरानी कहावत के अनुसार सोने की मुर्गी का होता है। एक मुर्गी सोने के अण्डे तो दे देती है लेकिन जब अण्डा दे तब लिया जाय तो ठीक है। अगर एकदम सब अण्डे लेने के लालच में आप मुर्गी का पेट फाड़ दें तो न अण्डे ही मिलते हैं और न मुर्गी ही मिलती है। तो जिस हिसाब से टैक्स लगाया गया था वही रहे तो जाहिर है कि व्यापार बिल्कुल बन्द हो जायगा और आपको आमदनी नहीं होगी। एक दलील यह दी जा सकती है कि जहाँ तक सरकार की आमदनी का ताल्लुक़ है तो जो रेट पहले था वही रखना चाहिये। उसके विषय में सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि जितना भी टैक्स हमने रखा है उसके ऊपर हम ग़ौर करने को तैयार हैं और उस पर ग़ौर करने से हम यह कह सकते हैं कि जो टैक्स रखा गया है उससे आमदनी काफ़ी होगी और अगर इससे ज्यादा लगाया जाता है तो न तो वह वसूल हो सकता था और न व्यापार ही चल सकता था। बल्कि कई जगह में तो उसके प्रोटेस्ट (विरोध) में कारोबार बन्द कर दिया गया था। तो इसलिये यह अब इस तरह से इस संशोधन बिल में रखा गया है। लक्जरीज (विलास की सामग्री) के बारे में कहा गया और कुछ बातें मुस्तसना करने के बारे में कही गई। तो मुस्तसना करने का अख्तियार हमने लिया है। फोटोग्राफ्स के बारे में भी कहा गया। तो हम इस मसले पर अच्छी तरह से विचार कर रहे हैं। जिन चीजों की शिकायतें आ रही हैं हम उनको देख रहे हैं और विचार करने के बाद जिनको मुस्तसना करना चाहिये उनको हम कर देंगे और इस संशोधन बिल के अनुसार वह मुस्तसना कर दी जावेंगी। फोटोग्राफी के मसले पर भी विचार किया जायगा। इन्हीं बातों को सोच करके, कि किन किन चीजों पर टैक्स से नुक़सान होगा, किन किन को बरी करना चाहिये, किन पर टैक्स कम करना चाहिये, लक्जरीज पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये, इन्हीं सब बातों पर ग़ौर करके ही यह संशोधन लाया गया है। गवर्नमेंट ने इन सब बातों पर विचार करने से सोचा कि यह सब काम करना चाहिये लेकिन मूलऐक्ट में उनका प्रावीजन न होने से

[माननीय अर्थ सचिव]

हम नहीं कर पा रहे थे। अब उनके करने का अख्तियार हमने लिया है और उस अख्तियार के पाते ही यह सब बातें की जावेंगी।

रूल्स के बारे में जो कहा गया कि रूल्स जल्दी बनाये जायँ सो वह जल्दी ही बन जावेंगे। रूल्स क़रीब क़रीब तैयार हैं और यह भी आप को मालूम ही है कि वह रूल्स भी इसी बुनियाद पर बनाये जावेंगे कि जिससे जनता की शिकायतें न रहने पावें और जो दिक्कतें हों वह दूर हों। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो कोई भी रूल्स बनायेंगे, उनको भवन के सामने रखा जायगा और आप देख सकेंगे कि वे जनता के हित में हैं या नहीं। अगर आप संशोधन करना चाहेंगे तो संशोधन भी कर सकेंगे। इसलिये इस बारे में कोई शिकायत नहीं रह जाती। आपने कहा कि जिलों में मशीनरी नहीं कायम हुई है। वह क़ायम की जा रही है और बहुत ही जल्द कायम हो जायगी। इसलिये जो यह एतराज़ है उसमें जल्दी ही की जा रही है। आपने प्रचार करने की बात कही कि जो कुछ भी बने उसका पैम्फलेट (पुस्तिका) निकाला जाय और इस बात की पूरी इत्तिला हो कि ऐक्ट में क्या क्या खास बातें हैं। इसका भी ख्याल किया जाय। इस बात को मद्देनजर रखते हुये, मैं उम्मीद करता हूँ कि भवन इस बिल को सर्वसम्मति से मंजूर करेगा।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि यह संयुक्त प्रांतीय बिक्री कर (संशोधन) बिल विशिष्ट समिति यानी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रांतीय बिक्री कर (संशोधन) बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर श्री नफ़ीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, के सभापतित्व में पुनः भवन की कार्यवाही आरम्भ हुई।)

धारा २

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १५ १९४८ ई० की धारा २ (ज) के स्पष्टीकरण ३ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे इसके पश्चात "मूल ऐक्ट" कहा गया है) की धारा २ के वाक्य खंड (ज) के स्पष्टीकरण ३ में शब्द "बदनी के सौदे के अन्तर्गत माल चाहे दिया जाय या न दिया जाय" के स्थान पर शब्द "उस दशा में जब बदनी के सौदे के अन्तर्गत माल वास्तव में न दिया जाय" रख दिये जायँगे।

***श्री फख़रुल इस्लाम**—"जनाबवाला दफ़ा (२) की पंक्ति ४ के यह अल्फ़ाज़ "उस दशा में जब बदनी के सौदे के अन्तर्गत माल वास्तव में न दिया जाय" निकाल दिये जायें।

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जनावबाला, मुझे बहुत अफ़सोस है कि वज़ीरे मालियात ने मेरी तक़रीर को बहुत हद तक ग़लत समझने की कोशिश की। मैंने कभी यह नहीं कहा कि टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया है उसमें कंज्यूमर्स बहुत खुश हैं राग़िब हैं। मैंने तो यह कहा था कि कज्यूमर्स खिलाफ़ थे, भवन खिलाफ़ था, सिर्फ़ आप ही राज़ी थे। हमेशा यह कोशिश की गई कि यह टैक्स न लगे। हर आदमी इसके मुख़ालिफ़ था। मैंने जो चीज़ कही वह फिर कहता हूँ। आपके मौजूदा टैक्स में जो नतीजा मुरत्तिब हो रहा है वह अपनी जगह पर है। आप क्या बिज़नेस कम्युनिटी का फ़ायदा करना चाहते हैं। कंज्यूमर्स का नुक़सान करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को नुक़सान पहुँचाना चाहते हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जेब भर जाये। लेकिन कंज्यूमर्स को नुक़सान न पहुँचे। अगर कंज्यूमर्स को नुक़सान पहुँचता है तो गवर्नमेंट को भी नुक़सान होगा लेकिन इससे कैपीटैलिस्टस फ़ायदा उठाते हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि आप जो टैक्स लगाते हैं उससे लोग खुश हैं या राग़िब हैं। अब भी मैं कहता हूँ कि आप ने जो यह जुम्ला कहा है कि हम एक जगह पर इसको रोक देंगे क्योंकि हम कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। आपके अल्फ़ाज़ बहुत ऊँचे हैं लेकिन जब हम गहराई में जायेंगे तो देखेंगे कि कंज्यूमर तो जिस तरह आज मुसीबत में हैं उसी तरह कल भी मुसीबत में रहेगा। वह तो मुसीबतज़दा ही रहेगा। यह तरमीम मैंने आपकी ख़िदमत में रखी है जो कि बहुत मुख्तसिर है। जब हमने ऐक्ट पास किया था तो यह सोच समझ कर रखा था। फ़ारवर्ड कांट्रैक्ट्स जो होते हैं उन पर भवन में सवाल हुआ था कि स्पेकूलेशन्स को कैसे रोका जायगा।

डिप्टी स्पीकर—आप ज़रा यह तो बताइये कि आपकी जो तरमीम है उसके अल्फ़ाज़ कैसे रहेंगे। मैं देखता हूँ कि जो मूल धारा है उसमें यह ठीक बैठते नहीं हैं।

श्री फ़ख़रुल इस्लाम—तरमीम यह होगी कि जो ऐक्ट मौजूदा है जिसमें अमेण्डमेण्ट्स आये हैं उन पर विचार न हो।

डिप्टी स्पीकर—यह तरमीम की हैसियत नहीं है।

श्री फ़ख़रुल इस्लाम—मेरी तरमीम यह है कि इसको सब्सटीट्यूट न किया जाये।

डिप्टी स्पीकर—मैं इसकी इजाज़त नहीं देता क्योंकि यह तरमीम नहीं है बल्कि असल दफ़ा के मुख़ालिफ़ है। इसके अलावा किसी और तरमीम की मेरे पास इत्तिला नहीं है। दफ़ा २ पर और कोई माननीय मेम्बर कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं।

श्री फ़ख़रुल इस्लाम—जनाबवाला, मैं यह कह रहा था कि दफ़ा २ जिस सूरत में मौजूदा ऐक्ट में मौजूद है उसको बहुत सोच समझ कर इस हाउस को

[श्री फ़खरूल इस्लाम]
पास करने की जरूरत है। हमारे सामने यह ख्याल था कि आया जो फार्वर्ड कान्ट्रेक्ट (वदनी के सौदे) होता है जिसमें हम जानते हैं कि डिलीवरी नहीं होती है वह इस्पेकूलेशन बेसिस पर होता है। इस चीज़ के खिलाफ़ गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अन्दर डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स में यह चीज़ मौजूद है कि इस्पेकूलेशन किस प्रकार से रोका जावे यानी यह जो सट्टेबाज़ी है जिनसे हज़ारों आदमी तबाह हो जाते हैं उनके पास कोई ज़रियामाश नहीं रहता यह चीज़ किस तरह से रोकी जावे। आज यह सवाल है कि यह चीज़ तब्दील कर दी जावे मेरी समझ में नहीं आता कि अभी ऐक्ट को २, ३ दिन आये हुए हैं और उसके कोई नतायज़ मालूम नहीं हुए। उस बिज़नेस, उस कम्युनिटी जिसके सिलसिले में यह चीज़ें रखी गई हैं जो इस्पेकुलेटर्स हैं उनको क्या नुक़सान हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह तरमीम आपने किस बेसिस पर रखी थी। मैं समझता हूँ कि जो ओरिजीनल चीज़ आपने रखी थी वह बदस्तूर अपनी जगह पर है। यह सही है कि आपने इस्पेकुलेशन को चैक किया है और वह इस्पेकुलेटर्स जो कि फार्वर्ड कान्ट्रेक्ट करते हैं जिससे कंज्यूमर को नुक़सान होता है जहाँ तक हो सके उसको रोका जावे मैं समझता हूँ कि यह किसी तरह से जायज़ नहीं है और दूसरे मेम्बरान भी इस पर ग़ौर करेंगे और इसको किसी हालत में मंजूर करने की कोशिश न करेंगे

माननीय अर्थ सचिव—डिप्टी स्पीकर महोदय, जो विरोध अभी इस धारा का श्री फ़खरुल इस्लामिखां साहब ने किया है वह मामले को अच्छी तरह समझे बिना किया है क्योंकि यहाँ इस भवन के सामने इस वक़्त सवाल यह नहीं है कि सट्टे को रोका जाये या न रोका जाये बल्कि यह सवाल है कि जो टैक्स लगाया जावे वह कितना हो, कैसा हो क्योंकि यह इस्पेकुलेशन बन्द करने वाला बिल नहीं है इसलिए यहाँ वह सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि पहले जिस तरह से टैक्स लगाया गया था उसके लगाने के बाद उसका नतीज़ा साल भर तक देखने की जरूरत नहीं हुई। महीने भर के अन्दर बल्कि एक ही हफ्ते के अन्दर गवर्नमेंट को, जनता को फ़ौरन ही मालूम हो गया कि इस पर तरमीम लाने की जरूरत है। टैक्स को अगर ऐसी सूरत में लगाया जाता तो जैसा आज सुबह मैंने कहा था वह व्यापार बन्द हो जाता, चौपट हो जाता। सही बात यह है कि मुजफ्फरनगर वग़ैरह में यह व्यापार बन्द कर दिया गया और हालत यह थी कि एक चेम्बर पर जो टैक्स लगता वह चेम्बर अदा नहीं कर सकता था, क्लोज़ डाउन हो जाता। अगर टैक्स लगता तो गवर्नमेंट को एक पैसा भी वसूल नहीं होता। व्यापार बिलकुल चौपट हो जाता। इसलिए यह संशोधन किया गया है इसको दुरुस्त करने के लिए। लिहाज़ा उनके मक़सद वाली बात नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि भवन इस धारा को मंजूर करेगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—३

३—मूल ऐक्ट की धारा ३ में वर्तमान प्रतिबन्धक वाक्यखण्डों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायँगे— संयुक्त प्रान्तीय एक्ट नं० १५ १९४८ ई०, की धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खण्डों का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) प्रान्तीय सरकार, सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति देकर, किसी व्यापारी अथवा व्यापारियों के वर्ग के विक्रय-धन पर अथवा किसी माल या माल की क़िस्मों की बिक्री से प्राप्त विक्रय धन पर कर का दर घटा सकती है;

(२) किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय-धन पूर्व वर्ष में १२,००० रुपया अथवा ऐसी बड़ी रक़म से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के आधीन कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा ;

(३) जब कभी किसी व्यापारी को धारा ७ के पहले प्रतिबन्धक वाक्यखण्ड के अधीन विवरण पत्र देना हो, तो इस धारा का ठीक पहला प्रतिबन्धक वाक्यखण्ड इस प्रकार लागू होगा मानों उसमें लिखे हुए शब्द "पूर्व वर्ष" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण" "वर्ष" लिख दिया गया है ;

(४) किसी ऐसी विद्युत-शक्ति के सम्बन्ध में जो डोमीनियन सरकार को अथवा किसी ऐसे रेलवे कम्पनी को, जो भारत शासन विधान (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट), १९३५ ई० की परिभाषा के अन्तर्गत फेडरल रेलवे चलाती हो, बेची जाय और जो फेडरल रेलवे के निर्माण, रख-रखाव अथवा संचालन में खर्च हो कोई कर देय न होगा।"

श्री राम स्वरूप गुप्त—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूँ कि धारा ३ की प्रतिबन्ध संख्या (२) में "१२,००० रुपया" की जगह पर "१५,००० रुपया" कर दिया जाय। ऐसा करने पर जो रूप इस प्रतिबन्ध का हो जायगा वह यह होगा कि "किसी ऐसे व्यापारी पर जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १५,००० रुपया" अथवा ऐसी बड़ी रक़म से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण वर्ष के लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा।"

यह प्रतिबन्ध धारा ३ के जिस प्रतिबन्ध के पश्चात् आता है उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रान्तीय सरकार का मन्शा इस संशोधक बिल को उपस्थित करते समय यह है कि लोगों पर और व्यापारियों पर अगर ज़रूरत न पड़े तो कम विक्रय पर टैक्स न लगाया जाय, यानी पहले ऐक्ट में जहाँ हम ने यह पास किया था कि १२ हज़ार रुपया सालाना की बिक्री पर टैक्स लगाया जायगा उस में हम महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि पहला प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार, सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति देकर, किसी व्यापारी अथवा व्यापारियों के वर्ग के विक्रय धन पर अथवा किसी माल या माल की किस्मों की बिक्री से प्राप्त विक्रय धन पर कर का दर

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

घटा सकती है। अर्थात् पहले जो यह तय कर दिया गया था कि ३ पाई फी रुपया टैक्स होगा तो उस दर में भी सरकार को यह अधिकार रहेगा इस संशोधन के मातहत कि वह दर घटा दी जाय और इस तरह इस अवधि में कि जो १२,०००) की पहले हम ने पास की थी उस में भी प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि प्रतिबन्ध संख्या २ के द्वारा उस अवधि को कम या ज्यादा कर सकती है, यानी १२,००० रुपया से ज्यादा कर सकती है कि उस पर टैक्स न लगे। १२,००० रुपये से कम करने का सवाल ही इस प्रतिबन्ध के द्वारा नहीं उठता तात्पर्य यह है कि अब १२,००० रुपये से कम पर टैक्स लगाने का कोई भी मन्शा सरकार का नहीं है बल्कि अगर सम्भव हो तो वह मियाद बढ़ा सकती है। १२,००० रुपये पर टैक्स न लगाकर सरकार को अधिकार है कि उस की मियाद १५,०००, १६,००० करदे या उसको रुपये की जरूरत न पड़े तो मियाद को और बढ़ा दे तो वहाँ जो कम से कम मियाद थी जिस पर टैक्स न लगे वह १५,००० रुपया कर दी जाय। इस तरह से बहुत से नीचे और मध्यम श्रेणी के व्यापारी और उन व्यापारियों के यहाँ जो खरीदार माल खरीदने जाते हैं वे इस टैक्स से मुक्त हो जायँगे, यानी छोटे दर्जे में और बीच के दर्जे में बहुत बड़ी संख्या को इस टैक्स से राहत मिल जायगी और टैक्स लगेगा ऊँचे दर्जे में ऊँची मियाद में, अगर यह संशोधन हम स्वीकार कर लेंगे। मैं समझता यह हूँ कि प्रान्तीय सरकार का यह विक्रय कर लगाते समय कुछ भी इरादा नहीं है कि प्रान्तीय कोष को जितने रुपये की जरूरत है उस से भी ज्यादा कोई रक़म प्रान्त से वसूल की जाय। हम सब जानते हैं और जनता भी इस बात को जानती है कि इस विक्रय कर की जरूरत केवल इस कारण से पड़ गयी कि प्रान्तीय सरकार ने अपनी मद्य निषेध नीति के अनुसार जो एक बड़ी भारी आमदनी का जरिया जो कि शराब और दूसरे मादक द्रव्यों से था, जो आमदनी क़रीब ५ करोड़ सालाना के हो गयी थी और जो सूबे के भूमिकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया प्रान्तीय सरकार की आमदनी का था वह धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। कुछ अंशों में खत्म हो गया है और बाकी अंशों में जल्दी ही हमारे प्रान्त से वह आमदनी का जरिया उठ जायगा। इसकी पूर्ति के लिये टैक्स की जरूरत पड़ी और इसलिये यह बिक्री कर लगाना पड़ा। अतएव जब हमको एक खास जरूरत से इस बिक्री कर को लगाने की आवश्यकता हुई तो कभी भी हमारा यह तात्पर्य या प्रयोजन तो हो ही नहीं सकता कि हम जनता से उससे ज्यादा रकम वसूल करें जिसकी कि हमको नितान्त आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, अथवा जिसके बिना हम जनता के लाभ के, उपयोगी कार्य नहीं कर सकते केवल उतना ही धन जनता से वसूल किया जाय इस आशय से मैं यह तजवीज़ करता हूँ कि इस अवधि को १२ हज़ार रुपये के बजाय १५ हज़ार रु० कर दिया जाय क्योंकि इस अवधि से जहाँ हम बहुत बड़ी संख्या में कन्जूमर्स या खरीदारों को इस टैक्स के भार से बचा देंगे वहाँ जितने धन

की आवश्यकता प्रान्तीय सरकार को है उतना धन हमें प्राप्त भी हो जायेगा।

श्री अब्दुल बाकी— सदरे मुहतरम, गवर्नमेंट ने जब बिक्री टैक्स लगाया था तो अपना ख्याल यह जाहिर किया था कि चूंकि प्राहिबिशन (मद्य निषेध) की स्कीम गवर्नमेंट नाफ़िज करने जा रही है और चन्द जिलों में नाफ़िज भी कर चुकी है इसलिये गवर्नमेंट की आमदनी में काफ़ी तख़फ़ीफ़ पैदा हो जायगी और उस कमी को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट ने एक दूसरा जरिया तलाश किया था ताकि जो आमदनी घटती है उसको दूसरे जरिये से पूरा कर लें। चुनांचे ऐवान ने जो असल बिल था उस पर रजामन्दी दी और वह पास हो गया और उसमें जो बिक्री टैक्स की हद मुक़र्रर की गई थी वह १२ हजार रुपये थी। अब जब वह ऐक्ट नाफ़िज हो गया है और उस वक्त भी मालूम था कि इस टैक्स का ज्यादा बार कन्जूमर्स पर पड़ेगा और जो लोग कि फ़रोख़्त करेंगे उन पर से वह बार हट जायगा और चूंकि टैक्स गवर्नमेंट वसूल करेगी। इसलिये बराहरास्त तो नहीं मगर बिलवास्ता तो उसका ज्यादा बार गरीब पर ही पड़ेगा। तो इस-लिये मुनासिब यह मालूम होता है बल्कि ज़रूरी है कि ग़रीबों से इस बार को हटा लें। जो ऐक्ट में हमने हद मुक़र्रर की है १२ हज़ार की उसमें तौसीह दे दी जाय यानी उसको और बढ़ा दिया जाय। इस वक्त जो तरमीम गवर्नमेंट के सामने पेश की गई है, रामस्वरूप साहब ने पेश की है वह १५ हज़ार रुपये कर देने की है क्यों कि सिर्फ़ ऐक्ट में १२ हज़ार रुपया है और मेरी जाती राय यह है कि वह २० हज़ार कर दिया जाय मगर चूंकि यह मेरी तरमीम नहीं है मेरी जाती राय यह है कि कम से कम इस की इब्तदा २० हज़ार से होनी चाहिये ताकि इस टैक्स का बार कंज्यूमर पर कम से कम पड़े। अब जब कि इस ऐक्ट का अमलद-रामद हो गया है सरकार को जितनी ज़रूरत है वह उससे ज्यादा वसूल कर सकेगी तो कोई वजह नहीं है कि जो जदीद हालात रूनुमा होने के बाद इस हद को क्यों न बढ़ने दिया जावे यह ज़रूरी मालूम होता है कि १२ हज़ार की इब्तदाई हद को तोड़कर ज्यादा बढ़ा दें। इसलिये यह १५ हज़ार की तरमीम ज़रूरी नहीं, मुनासिब ही नहीं बल्कि शदीद तौर पर ज़रूरी है। आप १५ हज़ार की उसकी इब्तदाई हद क़ायम कर दीजिये। मेरी राय है और ज़बानी दरख्वास्त है और इस में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। जब सरकार को वह चीज़ वसूल हो रही है जिसकी वह ख्वाहिशमन्द है तो १२००० की इब्तदाई हद को तोड़कर उसे १५ हज़ार की तरमीम को मंजूर करना चाहिये। इसलिये इन अल्फ़ाज के साथ मैं इस तरमीम की ताईद करता हूँ।

माननीय अर्थ सचिव— डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन इस समय भवन के सामने पेश है उस पर किसी ताईद की ज़रूरत नहीं थी लेकिन बाकी साहब की ताईद हुई और वह पूरी हो गई। वैसे संशोधन का जो मन्शा है और उसकी जो भावना है उसको सरकार मंजूर करती है और उसको पूरा करने के लिये ही यह धारा रची गई है। अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो भवन को मालूम

[माननीय अर्थ सचिव]

होगा कि १५ हजार का ही सवाल नहीं है। हम तो पूरा अख्तियार ले रहे हैं और अगर जरूरत होगी तो १५ हजार से ज्यादा भी रख सकते हैं तो उसको १५ हजार से महदूद करके जनता की भलाई को क्यों कम करते हैं। सरकार को जितनी जरूरत होगी बढ़ा देगी और हरएक केस को उसके मैरिट पर देखा जायगा। इसके अलावा एक सवाल यह हो सकता है कि १२ हजार के मयार से यह हो सकता है कि १२००० से कम वालों को भी परेशान किया जाय। उनके कूतने में सरकार पूरा पूरा इंतजाम करेगी कि ऐसा न हो और उसके लिये अगर जरूरत होगी यह भी हिदायत कर दी जायगी कि पहले १५००० की आमदनी पर ही कूता जाय और कम पर न कूता जाय और १२००० से नीचे न जाना चाहिये। इस तरह से संशोधन की पूरी मन्शा इस धारा में आ जाती है और सरकार उसको पूरा कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि संशोधक महोदय इस को वापिस ले लेंगे।

श्री रामस्वरूप गुप्त— सरकार की मन्शा मालूम होने के बाद मैं समझता हूँ कि इसका अमलदरामद ऐसे ही होगा कि १५००० से कम बिक्री वाले लोगों पर यह टैक्स नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं इस संशोधन को वापिस लेता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामस्वरूप गुप्त—धारा ३ में दूसरे प्रतिबंध के पश्चात् निम्नलिखित वाक्यखंड जोड़ दिया जाय।

"किन्तु यदि कोई ऐसा व्यापारी ग्राहकों से विक्रय कर वसूल करेगा तो वह उतनी धनराशि का देनदार होगा जितनी धनराशि कर के रूप में उसने वसूल की है।"

धारा ३ में यह जोड़ने के बाद इसका आशय यह हो जायगा कि अगर किसी आदमी की साल भर की मजमुई बिक्री १२ हजार या १५ हजार से कम है, मान लिया जाय कि ८ हजार है और उससे अगर इस बीच में कर वसूल कर लिया है तो वह सारा बिक्री कर उसे सरकार को देना होगा। इससे यह लाभ होगा कि लोग अभी से जो प्रथा चल पड़ी है कि छोटे छोटे दूकानदार भी बिक्री कर वसूल कर रहे हैं उनका वसूल करना बन्द हो जायगा अगर उनको यह मालूम हो जायगा कि जो पैसा वह वसूल कर रहे हैं वह सरकारी खजाने में जायगा और उनका उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमको मालूम है कि इस तरह से टैक्स वसूल किया जा रहा है इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह चीज साफ हो जाय। शायद मेरा संशोधन बिल में आ गया है लेकिन स्पष्ट शब्दों में नहीं आया है। छोटे से छोटा दूकानदार भी अगर कोई पैसा वसूल करता है तो उसको सब देना पड़ेगा। इसी को साफ करने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

माननीय अर्थ सचिव— माननीय डिप्टी स्पीकर, यह संशोधन जो पेश किया गया है संशोधित बिल की धारा ८ और ४ के देखने से मालूम होगा कि

उन्होंने जो संशोधन पेश किया है वह उसमें मौजूद है इसलिये यह संशोधन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। संशोधक बिल की धारा ८ (क) की उपधारा ४ में यह है कि किसी माल की बिक्री पर कर के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा वसूल की गई रक़म इस ऐक्ट के किसी अन्य आदेश में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, सरकारी ख़ज़ाने में उस मास के जिसमें उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त होने के ७ दिन के भीतर उसके द्वारा जमा कर दी जायगी तो उनके संशोधन से बेहतर इंतज़ाम इस धारा में मौजूद है इसलिये यह संशोधन ग़ैर ज़रूरी है। मैं उम्मेद करता हूँ कि इन बातों का ख्याल करके वह इसको वापिस ले लेंगे।

श्रीराम स्वरूप गुप्त—यह धारा ८ जो पढ़ी गई है उसके शब्द इतने साफ़ नहीं दिखाई दिये जिससे जिसने टैक्स वसूल किया है उसको अदा करना ही पड़ेगा और इसी वजह से मैंने यह संशोधन पेश किया। अगर उस से यह बात साफ़ हो जाती है तो मुझको इसको प्रैस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—यह "अगर" मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ। यह बताइए कि आप इसको वापिस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री राम स्वरूप गुप्त—जी हाँ, वापिस लेता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—४

४—मूल ऐक्ट की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें जोड़ दी जायेंगी:— **संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १५ १९४८ ई० की धाराए ३-क और ३-ख का जोड़ा जाना बिक्री-क्रम में केवल एक बार कर का लगाया जाना।**

"३—क (१) धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी प्रान्तीय सरकार, सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति देकर, यह घोषित कर सकती है कि क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा विक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी बिक्री को छोड़कर जो निर्धारित की जाय, किसी भी माल अथवा माल की क़िस्मों की बिक्री से प्राप्त आय व्यापारी के विक्रय-धन में सम्मिलित न की जायगी

"(२)— यदि प्रान्तीय सरकार इस धारा की उप-धारा (१) के अधीन घोषणा करती है तो वह यह भी घोषणा कर सकती है कि व्यापारी के विक्रय-धन पर, जिसके विक्रय-धन में ऐसे माल की बिक्री सम्मिलित है, ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में, ऐसे दर से कर लगाया जायगा जो निर्दिष्ट किया जाय, किन्तु वह १ आना प्रति रुपया से अधिक न होगा यदि बिक्री निम्नलिखित माल के सम्बन्ध में हो:—

(१) मोटर गाड़ियाँ जिनमें मोटर कार, मोटर टैक्सीकैब, मोटर साइकिल और साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर, मोटोरेट्स, मोटर ओमनी बस, मोटर वैन और मोटर लारी......

मोटर गाड़ियों का ढाँचा......

मोटर गाड़ियों के पुर्जे और......

ऐसी चीजें (जिनमें रबर, दूसरे टायर ट्यूब और बैटरी सम्मिलित हैं) सम्मिलित हैं, जो मोटर गाड़ियों के पुर्जों तथा सहायक उपकरणों की तरह प्रयोग किये जाने के लिये हों, और जो ऐसी चीजें नहीं हैं जो साधारणतया मोटर गाड़ियों के भागों अथवा सहायक उपकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये भी प्रयोग किये जाते हों,

(२) रफ़्रीजरेटर और एयर कंडिशनिंग यंत्र।

(३) (क) बेतार द्वारा सूचना आदि प्राप्त करने के यंत्र तथा उपकरण और उनके सम्बंधित पुर्जे जिनमें बिजली के ऐसे सब वाल्व एकामूलेटर (बैटरी) एम्पलीफायर लाउड-स्पीकर (ध्वनि प्रसारक) सम्मिलित हैं जो बेतार द्वारा सूचना आदि प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी और विशेष प्रयोजनों के लिये न बनाये गये हों।

(ख) रेडियो ग्रामोफोन,

(४) सिनेमैटोग्राफ के फोटोग्राफ के तथा अन्य केमरा प्रोजेक्टर और इनलारजर और ऐसे फिल्म प्लेट कागज और कपड़ा जिनकी इन्हें प्रयोग करने के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ती हो,

(५) इत्र और सुगन्ध,

और ९ पाई प्रति रुपया से अधिक न होगा यदि किसी दूसरे माल के सम्बन्ध में हो।

बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के विक्रय धन पर कर

"३-ख—धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी किसी भी व्यापारी का ऐसे बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदे के सम्बन्ध में जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता है विक्रय धन पर ऐसा कर एक रुपया प्रति इकाई (यूनिट) की दर से जो निर्धारित किया जाय अधिक न लगाया जायगा।

***श्री मुहम्मद असरार अहमद**—जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तहरीक करता हूँ कि धारा ४ की उपधारा ३ 'ख' की तीसरी पंक्ति में "एक रुपया प्रतिइकाई 'यूनिट' को हटाकर उसकी जगह नीचे लिखे शब्द रक्खे जाँय। "एक पाई प्रति रुपया।" जनाबवाला, मैंने जो तहरीक पेश की है तरमीम की शक्ल में उससे गवर्नमेंट को बड़ा लाभ होगा। गवर्नमेंट ने यह रक्खा था कि अगर किसी क़िस्म के ट्रान्जेक्शन (सौदा) पर जिसमें डिलीवरी (अदायगी) हुई हो या न हुई हो जिसमें फारमली किसी क़िस्म की कार्रवाई हो यानी किसी आदमी ने हज़ार बोरा बेचा हो

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तो उन हज़ार बोरों पर गवर्नमेंट को एक रुपया ही मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अगर हज़ार बोरा की बिक्री हुई है तो हज़ार बोरा की क़ीमत जितने रुपये हैं। हम चाहते हैं कि हर रुपये पर कम से कम एक पाई टैक्स लगना चाहिए बजाय इसके कि उसने हज़ार रुपया बेचा और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में महज़ एक रुपया ही आया। अब जब कि आप टैक्स लगाना चाहते हैं और टैक्स लगाने की हमको ज़रूरत भी है और गवर्नमेंट का काम उसके बग़ैर रुका हुआ है तो इन लोगों पर टैक्स लगाना निहायत ज़रूरी है। उनसे काफ़ी रुपया गवर्नमेंट के खज़ाने में आयेगा। आपने एक यूनिट पर रुपया लगाया है पता नहीं कि एक यूनिट एक हज़ार बोरे का है या दस हज़ार का जो कि अभी डिसाइड (निर्णय) भी नहीं हुआ है। उस पर आप लगा रहे हैं। आपको बेज़नेसमैन (व्यापारी) ने कह दिया है कि उनको घाटा है लेकिन मैं कहता हूँ कि शरणार्थी इसी की चौथाई में करने को तैयार हैं और उन्होंने इतने में ठेका लिया और आपके सामने यह पेश कर दिया है कि उनको कोई मुनाफ़ा नहीं है अगर उनको मुनाफ़ा नहीं है तो आप कैसे उनसे इन बोरों पर टैक्स लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो एक रुपया फ़ी यूनिट रक्खा गया है अगर एक पाई फ़ी रुपया लिया जाय तो गवर्नमेंट को कोई नुक़सान होगा। इससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रक़म मिलेगी। अगर गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ने कोई बात उनसे अलग ही करली तो ख़ुदा ही जानता है तब तो बात दूसरी है नहीं तो जब कि एक उसूल क़ायम कर लिया गया है उस उसूल से हटना हमारी गवर्नमेंट के लिये निहायत नाज़ेबा बात है। इस बिल के अन्दर मैंने कोई तरमीम पेश नहीं की है बजाय इस तरमीम के जो कि मैंने यह पेश की है और मुनासिब है और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा ज़्यादा है, जनता का भी फ़ायदा है, क़ौम का भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट के लिए ज़रूरत भी है और बिजनेसमैन ने जो यह गवर्नमेंट को ग़लत फीगर्स (आँकड़े) दिखाकर यह रुपया फ़ी यूनिट के हिसाब से रखाया है यह बिलकुल ग़लत है। ट्रान्ज़ेक्शन (सौदा) तो होगा लाखों रुपयों का लेकिन गवर्नमेंट के पास आयगा सिर्फ़ एक रुपया। इससे ज़्यादा तो उसके मैनेजमेंट (प्रबन्ध) में ही गवर्नमेंट का सरफ़ हो जायगा। लिहाज़ा मैं उम्मेद करता हूँ कि जो तरमीम मैंने उनके सामने पेश की है उस पर गवर्नमेंट ग़ौर करेगी और समझेगी कि यह तरमीम उन के फ़ायदे के लिए है। पास तो जो आप चाहें कर ही सकते हैं अगर इस पर ग़ौर करें तो यह सब के फ़ायदे की चीज़ है गवर्नमेंट को खुद रुपये की ज़रूरत है। और अगर इसको नामंज़ूर कर दिया गया तो यह एक ज़बर्दस्त ज़ुल्म होगा। ये लोग तो बीच के लोग हैं उन पर कोई इसका ख़ास बार नहीं पड़ता है। और यह जो आपने एक रुपया लगाया है यह तो दिखाने की चीज़ है कि एक रुपया लगाया गया है। लेकिन मेरी तरमीम में जो तरीक़ा रक्खा गया है वह एक यूनिफोर्म तरीक़ा है। इससे इतफ़ाक़ है कि इस बिल को पास किया जाय और सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। इस तरमीम को मंज़ूर करने से

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

गवर्नमेंट के खज़ाने में लाखों रुपये का फ़ायदा होगा। मैं उम्मेद करता हूँ कि मेरी इस तरमीम को ज़रूर मंजूर करने की कोशिश की जायगी।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फ़िलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे अफ़सोस यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सी बातों को जो सुझाव पेश किये गये विरोध समझ लिया। हालाँ कि एक मुदब्बिर हुकूमत को इस बात को गौर से सुनना और देखना चाहिए कि जो बात पेश की जाती है या जो सुझाव पेश किए जाते हैं वाक़ई में जिस नज़र से जिस नुक़्ते ख्याल से पेश है वह खाली विरोध है या ऐसी सुझाव की बात है जो कि जनता का दुःख दूर करने के लिये है। अगर इसमें गवर्नमेंट क़ासिर रही है तो मेरे ख्याल में उस गवर्नमेंट को यह जल्द से जल्द समझ लेना चाहिये कि जनता के दुःख को दूर करना उनका फ़र्ज़ है। यह जो तरमीम इस वक्त हमारे लायक़ दोस्त मुंशी असरार अहमद साहब ने पेश की है मैं उसकी ताईद इस बिना पर करता हूं कि अगर इसको मंजूर कर लिया जाय तो जो तरीक़ा गवर्नमेंट ने रक्खा है यानी जो पेश है वह ज्यादा से ज्यादा रुपया कन्ज्यूमर्स के पास से निकलने का है उसमें बहुत सी कमी हो जायगी और बहुत कुछ असली दुःख में कमी हो जायगी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको मंजूर करने में कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह तरमीम वैसी नहीं है कि जैसे दफ़ा ४ निकलवा देना चाहते थे। उसके निकालने के तो मैं मुख़ालिफ़ था लेकिन इस तरमीम के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ (समझौता) करना चाहिये क्योंकि यह जरूरी है। आपको यह नहीं समझना चाहिये कि यह सिर्फ़ विरोध है। और हर बात को अगर विरोध की नजर से देखा जायगा तो यह तरीक़ा गवर्नमेंट का बहुत ही नाकिस और बहुत गलत है।

माननीय अर्थ सचिव—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुहम्मद असरार अहमद साहब ने जिस जोश खरोश के साथ अपनी ग़ैर जानकारी का इक़बाल किया उसके बाद मैं समझता था कि उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फ़िलिप्स साहब ने उनकी ताईद की तो मुझे ख्याल आया "एक न शुद दो शुद"। ऐसी हालत में जवाब देना ही है। हमें ये आँकड़े देखना है कि एक पाई एक रुपए के हिसाब से टैक्स का कितना भार पड़ता है और इसका यह नतीजा होता है या नहीं जिस को गवर्नमेंट बचाना चाहती है जिस की वजह से कहीं तिजारत बन्द होने की नौबत न आये। सोना चाँदी और ऐसे ही बड़े बड़े सौदे कितने कम मुनाफ़े पर होते हैं, इन तमाम बातों को देखते हुए कि टैक्स कितनी जगह देना होता है, उसका भार इतना ज्यादा न होना चाहिए कि वह सौदा ही बन्द हो जाय। इन सब बातों को देखते हुए आप सिर्फ़ तीन पाई एक रुपये पर कर रहे हैं। तीन पाई एक रुपया पर करने के बाद भी नतीजा यह होता है कि तीन पाई करना बहुत ज्यादा बोझा होगा। व्यापार नहीं चल पायगा। इसलिए फी यूनिट के हिसाब से कितना होगा,

गवर्नमेंट को कितनी आमदनी होगी इन सब बातों को देख कर अच्छी तरह से गौर करके इससे ज्यादा लगाने पर व्यापार को नुक़सान होता है और इतना लगाने पर गवर्नमेंट जितनी आमदनी चाहती है उसमें कोई कमी नहीं होती है. इतनी बातों पर गौर करके एक रुपया की यूनिट मंजूर किया है। इसलिए मुझे अफ़सोस है कि मैं इस तरमीम को मन्जूर नहीं कर सकता।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुहतरम वजीर मालियात ने इन मुबहम अल्फ़ाज में मेरी तहरीक़ का जवाब दिया। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के पास वह कौन की फीगर्स है जो इस ऐवान में बयान करने से गवर्नमेंट कासिर है जिसकी बिना पर वह समझती है कि सब बिजिनेस खत्म हो जायगा। मैं आज इस ऐवान में चेलेन्ज (चुनौती) के साथ कह सकता हूँ कि जिस रूप में मैंने अपनी तहरीक़ तरमीम की शक्ल में पेश की है उससे कोई बाजार बन्द नहीं हो सकता। इस में सिलें की सिलें चाँदी की भी शामिल होंगी सोना भी शामिल होगा और बोरियाँ भी शामिल होंगी।

जिससे रुपया मिलेगा। आज यह बिजिनेस कम्युनिटी यह कह सकती थी कि जहाँ कहीं भी ठेके लिए वहाँ दो दो हजार से ज्यादा पर नहीं मिले मगर आप देख लीजिये कि शरणार्थियों ने ८ हजार में लिया है। बिजिनेस खत्म नहीं हुआ है। मैं तो यह समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट केपीटैलिस्टस (पूंजी-पति) की इम्दाद करना चाहती है। अगर हम कोई सही चीज भी समझाते हैं तो वह भी नहीं मानी जाती है। पहले यह साबित करते कि कहाँ कहाँ बिजिनेस स्टोप (बन्द) हुआ है उसके बाद यह बिल आ सकता था। हम साबित कर सकते थे कि हम ज्यादा बिजिनेस करके देंगे आप उनको रिहैबीलिटेट (पुनर्निवास) करते और बिजिनेस चलने देते लेकिन बिजिनेस कमेटी ने जो ग़लत आँकड़े पेश कर दिए आपने उनको सही समझ लिया और हाउस के मेम्बरान का कहना आपने ग़लत समझा। कितनी ग़लत बात है। एक तराजू में एक तरफ़ तो इस हाउस के अपोजीशन के मेम्बरान हैं। और दूसरी तरफ़ बिजिनेस कम्युनिटी है जो चाहती है कि खूब खून चूसे और गवर्नमेंट को एक पैसा भी न दे। आप हाउस के मेम्बरान की बात नहीं मानते और उनकी बात मान सकते हैं क्योंकि वह चेम्बर में जाकर आपकी खुशामद कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमने आँकड़े पेश किये और इस हाउस के मेम्बरान ने कोई आँकड़े नहीं दिये। जरा छै महीने इस तरमीम के मातहत चलने देते फिर आप देखते कि आपको फ़ायदा पहुँचता है या नुक़सान। पिछले बिल के मातहत कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। अक्सैसिव टैक्स ले रहे हैं उन्हें क्या नुक़सान हो रहा है। मुसीबत तो बिचारे कंज्यूमर (ख़रीदार) की है। आप कैपीटेलिस्ट्स (पूंजीपति) की इम्दाद कर रहे हैं जैसा कि कल प्रोफ़ेसर श्री कृष्ण चन्द्र साहब ने कहा था। उनको इस तरमीम में इत्तफ़ाक है। आपको

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद असरार अहमद]

चेलेन्ज करता हूँ कि आपकी पार्टी के ज़्यादातर मेम्बरान को इस तरमीम से इत्तफ़ाक़ है लेकिन पार्टी डिसिप्लिन (अनुशासन) की वजह से वह इसको सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वह यह बात तक कहते हैं कि यह सही है कि गवर्नमेंट नाजायज़ तरीके से उनको फायदा पहुँचाना चाहती है। जहाँ आप एक एक आना रुपया लगा सकते हैं वहाँ एक पाई फी रुपया निकाला जा सकता है क्योंकि उन लोगों से जो करोड़ों रुपया कमाते हैं। एक आध महीना ट्रायल होता तो हम दिखाते कि कितना फ़ायदा पहुँचता है और कितना बिजिनेस बढ़ता है। अब तो वैसे भी जमाना बढ़ने का है। किसी भी लाइन को आप ले लीजिए। इस हाउस में मेम्बरान भी बढ़ कर ४५० के करीब होने वाले हैं तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं इसी तरह टैक्स भी बढ़ सकते हैं घटने का कोई सवाल नहीं है। हम तो टैक्स बढ़ा रहे हैं और आप घटा रहे हैं। अगर हम मुखालफ़त करते तो ग़लत प्रोपेगण्डा करते लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आप कैपीटैलिस्ट्स की मदद करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके बैंक के बड़े बड़े रिफ्रेन्सेज़ हैं और वह इतने हैं कि वह आपके इलेक्शन में काम आयेंगे। आप उनके बल बूते पर यहाँ आने की कोशिश करना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब है कि मैं अपनी तरमीम वापिस नहीं ले सकता यह जानते हुए भी कि मेरी तरमीम जरूर इस हाउस में गिर जायेगी लेकिन उस सूरत में जनता के सामने कुछ कहने का हकदार तो होऊंगा।

माननीय अर्थ सचिव—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे अफ़सोस है कि मुहम्मद असरार अहमद साहब इस गर्मी में इतनी गर्मी लाये। असल में उन्होंने तक़रीर नहीं की बल्कि तक़रार की।

अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो इलेक्शन्स हुए हैं उनमें जनता जिनके साथ है यह तमाम दुनियाँ को मालूम हो गया है। जो हौसले रखते हैं इस बात के कि जनता हमारे साथ है, अपने हौसले पूरे कर सकते हैं। बाकी हम तो इतना कह सकते हैं कि यहाँ केपिटैलिट्स का सवाल नहीं है। ग़ैर जानकारी का उन्होंने इक़बाल किया। मुझे अफ़सोस है उनकी ग़ैर जानकारी के लिए। मैं दो बातों का दावा करता हूँ। एक तो यह कि हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में फ़ार्वर्डट्रांजेक्शंस पर कहीं भी टैक्स इस के पहले सिवाय इस सूबे के नहीं लगाया गया। दूसरी बात यह है कि बुलियन पर जो दूसरे सूबों में टैक्स हैं वह ४ आना सैकड़ा है। हमारे यहाँ तो एक रुपया प्रति यूनिट है। फार्वर्ड ट्रांजेक्शंस पर जहाँ हिन्दुस्तान में और किसी भी सूबे में टैक्स नहीं है वहाँ हम इस पर टैक्स लगा रहे हैं। फिर भी आपको एतराज़ है तो सिवाय इसके कि आपका एतराज़ एतराज़ के लिये है और क्या कहा जा सकता है। केपिटैलिस्ट्स का नाम आप लेते हैं। आप कब से सोशलिस्ट्स हो गये हैं? जनता की पार्टी में आप कब से हुए यह साबित करना है। आप जिस भावना से पहले काम करते थे उसी भावना से, महज़ अपना ग़लत प्रोपेगेण्डा करने के लिए, महज़

गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार करने के लिये. पुराने ख्यालात को जाहिर करने की बात करते हैं लेकिन और लोग भी समझ रखते हैं और वह लोग इस ग़लत प्रोपेगेण्डा में नहीं आ सकते। धोखे की बात आपने कही। इन बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मैं मजबूर हूँ कि इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता। केपिटैलिस्ट्स के ऊपर सबसे पहले हम अपने सूबे में टैक्स लगा रहे हैं। इस के लिये हमारी गवर्नमेंट की तारीफ़ होना चाहिए कि इस सूबे ने इस तरफ़ यह पहला क़दम उठाया है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ४ की उपधारा ३ 'ख' की तीसरी पंक्ति में यह शब्द 'एक रुपया प्रति इकाई (यूनिट)' हटाकर उस के स्थान में यह शब्द रख दिये जावें। 'एक पाई प्रति यूनिट'।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री महमूद अली खाँ**—धारा ४ की उपधारा ३ 'ख' की पंक्ति ३ में शब्द 'एक' को हटाकर उसके स्थान में शब्द 'पाँच' रखा जाये, मैं इसकी तहरीक करता हूँ।

यह ज़ाहिर है कि यूनिट की क़ीमतें बिलकुल मुख्तलिफ़ सी होती हैं मैं यह समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट मेरी तरमीम मंजूर कर लेवे तो इस से आमदनी में भी इज़ाफ़ा होगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा होंगी जिससे सूबे को फ़ायदा होगा। बाज़ बाज़ जगह जहाँ एक ही यूनिट की क़ीमत एक हज़ार है वहाँ २०, २० और २५, २५ हज़ार या इससे ज़ायद भी हो सकती है। अगर एक ही क़ीमत एक यूनिट पर एक रुपया रखते हैं इस से मुख्तलिफ़ चीज़ें हो जावेंगी। मैं अर्ज़ करूँगा कि यह कोई मुनासिब बात न होगी। इन अल्फ़ाज के साथ मैं इस तरमीम की तहरीक़ करता हूँ।

माननीय अर्थ सचिव—मुझे इस तरमीम पर भी वही एतराज़ है जो श्री मुहम्मद असरार अहमद की तरमीम पर था। ५ रुपया आपने किये हैं, ५ रुपये की बात बहुत ज्यादा है और नाक़ाबिले बरदाश्त है। लेकिन मैं १ रुपये की बजाये २ रुपया का संशोधन खुद ही पेश करने के लिए तैयार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस के होने के बाद आप अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

माननीय प्रधान सचिव—मैं इस तरमीम के बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता था मगर इस बदनी के सौदे के बारे में शायद पूरी बात हाउस के सामने नहीं रक्खी गई इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि एक दो मिनट हाउस का मैं ले लूँ जहाँ तक इस तरमीम की अहमियत का सवाल है वह तो मेरे भाई अर्थ मंत्री ने आपके सामने रख दी और वह एक के बदले २ रुपया मानने के लिये तैयार हैं और उसके बाद उस पर कोई उज्र न किया जावे। मगर जहाँ तक बदनी के सौदे का ताल्लुक़ है असलियत यह है कि जैसा

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननय प्रधान सचिव]

कि अभी आपको बतलाया गया कि सारे प्राविन्सेज़ में हिन्दुस्तान में और पाकिस्तान में भी सेल्स टैक्स जारी है। हमारा प्राविन्स क़रीब क़रीब आख़ीर है जिससे सेल्स टैक्स लगाया है। मगर किसी भी प्राविन्स में आज तक बदनी पर एक पैसा भी नहीं लगाया गया। इसलिये हमने एक नई चीज की। इसमें यह कहना कि हम किसी के साथ रियायत करना चाहते हैं अगर कोई चीज ऐसी करते हैं। जो कि नई है तो वह इस ग़रज़ से करते हैं कि किसी ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँच जावे यह गैर इंसाफ़ की बात है और ग़लत बात है और वाक़यात के ख़िलाफ़ बात है। जो साहबान उस तरफ़ से तक़रीरें करते हैं उनको वाक़यात पर नज़र रख बातें करना चाहिये और यह भी दिक्क़त की बात है किसी ने जो समझा वही कह कर चले गये लेकिन ठीक बात सुनने के लिये रहते ही नहीं। ताकि उनकी ग़लतियाँ क़ायम रहें और वह फिर कोई मौक़ा न अपने लिये हासिल करें न दूसरों को दें कि उनकी ग़लती दूर होकर वह उससे ज्यादा कुछ समझ सकें। ख़ैर, दूसरी बात जो समझने की है कि गवर्नमेंट का आख़िर क्या फ़ायदा इस में हो सकता है कि ज्यादा आमदनी हो सके तो इन्कार करे। मगर एक सेचुरेशन प्वाइंट ऐसा आता है कि जिसके ऊपर अगर आप कोई टैक्स लगाते हैं तो बजाय आमदनी होने के ला आफ़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का तो उस मौके पर बिल्कुल एक्सटिंक्शन हो जाता है। यानी इनमें जो सौदे इस क़िस्म के होते हैं कि बेशक़ १०० रुपये में २ पैसे का मुनाफ़ा होता है, दो आने का भी होता है। बाज़ी मौक़े पर रुपये और दो रुपये होता है मगर जहाँ यह कहा जाय कि जहाँ एक पैसे का मुनाफ़ा होता है तो एक पैसे का मुनाफ़ा लगाया जाय तो वह चीज़ हो नहीं सकती तो इसलिये जो टेक्सेशन मेज़र्स होते हैं तो उन में यह देखना पड़ता है कि किस उसूल से टैक्स लिया जा रहा है उस उसूल से आमदनी होगी या नहीं। अगर आमदनी नहीं होगी तो उससे फ़ायदा ही क्या वह तो बिल्कुल एक बेमानी सी चीज़ हो जाती है। क्योंकि इस तरह की बदनी की चीजें जो हैं, यह क़ायम रहें यह अलग सवाल है और मुमकिन है कि गवर्नमेंट कोई कमेटी अप्वाइंट करे जो कि राय और सलाह दे कि इस क़िस्म के सौदों का क्या करना चाहिये; तो ये सौदे केवल हमारे प्रान्त ही में नहीं होते बल्कि हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में होते हैं और दुनियाँ के हर मुल्क में होते हैं। तो हम उसके लिए कोई ऐसी चीज़ कर दें जिससे वह बिल्कुल ख़त्म हो जाय तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। यह सोचने की बात है, अच्छी तरह देख कर और ग़ौर करने के बाद अगर हाउस और लोगों की राय हो कि यह बातें ऐसी हैं कि यह न हों तो उसको स्ट्रेट फारवर्ड तरीके पर करना चाहिये। मगर टेक्सेशन मेज़र तो टेक्सेशन मेज़र की तरह ही लाना चाहिये। तो मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो तरमीम रखी गई है कि २ रुपये तक बढ़ा दी जाय उससे भी कोई धक्का नहीं होना चाहिये। २ रुपया मेक्ज़ीमम लिमिट हैं, ख़ास मौक़ों में जहाँ तक जा सकते हैं आम तौर

पर मुझे खयाल है कि एक रुपया तक जाना भी मुश्किल होगा। आप खुद किसी चेम्बर आफ़ कामर्स में चले जायँ और स्टडी (अध्ययन) करें कि आखिर इन सौदों में कितना मुनाफ़ा होता है, फी यूनिट कितना पड़ता है तभी आप सही तरीके से अन्दाजा लगा सकते हैं कि इतना नहीं इतना होगा। आप खुद यह महसूस करेंगे कि इसको बढ़ाने से कोई नतीजा नहीं हासिल होगा। हाँ यह जरूर होगा कि वह काम बन्द हो जायगा और टेक्सेशन मेजर जिस मक़सद से बनाया जाता है उसके ख़िलाफ उसका नतीजा निकलेगा। मगर जैसा मैंने कहा मुमकिन है कि ऐसे केसेज़ हों जहाँ एक रुपया नाकाफी हो और जहाँ सवा रुपया, डेढ़ रुपया लगाने की गुंजाइश हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे बहुत से केसेज होंगे, अगर ऐसे हों तो बहुत ही अच्छा है। हमें क्या तकल्लुफ़ हो सकता है अपनी आमदनी बढ़ाने में। तो लिहाज़ा अगर इस तरमीम को इस तरीक़े पर जैसा कि सचिव साहब ने रखा है अगर मंजूर हो तो कर लीजिए मगर इसे यह समझ कर कर लीजिये कि यही मैक्सीमम लिमिट है जो ज्यादा कर दी जाय और गवर्नमेंट को अख़्तियार हो कि वह चाहे तो इस हद तक लगा सके।

श्री महमूद अली खां—मुझे तरमीम मंजूर है। मैं इस तरमीम के साथ अपनी तरमीम पेश करता हूँ कि ५ रुपये के बजाय २ रुपया हो।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ४ की उपधारा ३ (ख) की तीसरी पंक्ति में शब्द "एक" को हटाकर उसके स्थान में शब्द "दो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री फखरुल इस्लाम**—जनाब वाला इस दफ़ा ४ में जो इस वक़्त तरमीम शुदा हालत में है इससे यह कोशिश की जा रही है कि हमको, इस ऐवान के मेम्बरों को और दूसरे बाहर के रहने वालों को इस क़ानून के ज़रिये से फ़ायदा पहुँच जायगा। मैं चाहता हूँ कि यह ग़लत फ़हमी किसी तरह से दूर हो और आनरेबिल मिनिस्टर साहब के सामने यह प्वाइंट आ जाय तो ज्यादा बेहतर है। इसलिये कि लफ़्ज़ों के लौट फेर से जनता की तकलीफ दूर नहीं हो जायगी। हम लोग प्रेक्टिकल (क्रियात्मक) दुनिया के आदमी हैं। हम देखते हैं कि अमली दुनिया में किस तरह से काम होता है। अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि बजाय मेरे हर आदमी ने आपकी इस तरमीम बिल की बड़ी तारीफ़ की है लेकिन अभी तक़रीर करते हुए हमारे दोस्त श्री असरार अहमद साहब ने आप की तमाम बातों पर पानी फेर दिया। मैं यक़ीन दिलाता हूँ कि इस ऐवान के तमाम मेम्बरान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जब वे अपने घरों को जायँगे और ऐक्ट को उठायेंगे तब जनता की तकलीफों और मुसीबतों को खुद देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इसमें जो बिज़िनेस कम्यूनिटी के लोग हैं वह फ़ायदा उठा रहे हैं और न गवर्नमेंट के पास रुपया जा रहा है और न जनता की जेब का पैसा बचता है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप इससे एक दरवाजा और खोलेंगे। यानी जो स्टाफ़ आप ऐप्वाइंट (नियुक्त) करेंगे ख़ुदा करे कि वे बड़े ईमानदार, और

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फखरुल इस्लाम]
पाक़ सही मानों में दियानतदार हो और कोई करपशन न पैदा हो। लेकिन हमको अब तक का जो तजुर्बा सप्लाई डिपार्टमेंट और और डिपार्टमेंटों का रहा है उससे यह पता लगता है कि वह मसयल जिनका ताल्लुक़ पब्लिक से होते हैं वहाँ हर एक यह कोशिश करता है कि उसकी आमदनी ज्यादा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप करप्शन का दरवाजा इससे खोलेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टेट को चाहिए कि जहाँ प्रोडेक्शन (उत्पादन) होता है वहाँ पर टैक्स लगाये तो थोड़ा बहुत सही है। लेकिन प्रोडक्शन (उत्पादन) पर आपका क़ाबू नहीं है। आपके सूबे में यों तो दो प्रोडक्शन हैं एक तो शुगर और दूसरे कपड़ा है। और कोई चीज ऐसी नहीं जिसका प्रोडेक्शन (उत्पादन) आपके हाथ में पानी से लेकर जितनी भी चीजें हैं उन पर आपने टैक्स लगा रखा है। क्योंकि सोर्स पर आपका क़ाबू नहीं है और न उसे आप छू सकते हैं। उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक आप सोर्स पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तब तक मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर कंज्यूमर्स को रिलीफ़ भी पहुँचाना चाहें तब भी नहीं पहुँचा पायेंगे। किसी आदमी ने आपकी तारीफ़ इस मामले में नहीं की है। सिवाय बिज़िनेस कम्यूनिटी तो ऐसी है जो आपकी इस बात में तारीफ़ करती है। आप को यह उसूल मालूम है कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसको हटाती नहीं और यही उसूल सरकारों का है और यहीं उसूल बिज़िनेस कम्यूनिटी का है कि वह एक बार क़ीमत बढ़ा कर मुश्किल से घटाती है और रोज क़ीमत बढ़ती हैं। अगर किसी कार्टर में चीज़ सस्ती नहीं है और दो आने रुपया बढ़ा दिया। उन्होंने एक महीने हज़ारों रुपया बढ़ा लिया है। और इस टैक्स के बहाने दो-चार करोड़ वसूल हो चुका है, सबने वसूल कर लिया और कैश मीमों दिया नहीं और खाते में भी इन्द्राज नहीं किया और वह आइन्दा भी वसूल करते रहेंगे। आपका प्रोडक्शन (उत्पादन) पर कोई कन्ट्रोल नहीं है जैसे मिल क्लाथ हैं। हर आदमी अपनी क़ीमत बढ़ा रहा है और पब्लिक का नुक़सान हो रहा है और सरकार का भी नुक़सान होगा। इसलिए मैं आप से मुतालबा करता हूँ जैसा कि मैंने पहले कहा था और फिर कहता हूँ कि बावजूद इसके कि पब्लिक मुसीबत में है उसको संतोष होता कि वह आपके हाथ में जा रहा है और अच्छे काम में सर्फ़ होगा। आप उस रुपये से क्यों घबराते हैं। उसको वसूल करने की कोशिश कीजिये। एक महीने तक तो पब्लिक ने बरदाश्त किया, ५ आने की सिगरट की डिबिया सवा पाँच आने को मिलती है और रुपये पर ४ पैसा तक लेते हैं आपके क़ानून में रुपये पर एक पैसा ही है। लेकिन यह सब चल रहा है। दियासलाई पर चल रहा हैं। चाहे कितने ही पैसे की चीज लीजिये टैक्स देना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस ग़र्ज़ से बिज़िनेस मैन को लाइसेन्स दें कि टैक्स कम्पलसरी कर दें। बाज लोगों ने कहा कि इससे ५ या ६ करोड़ नहीं बल्कि ६०० करोड़ रुपया वसूल होगा जो योरोप के बड़े से मुल्क़ों में भी नहीं है। अगर हमारे सूबे की इतनी ज्यादा आमदनी होगी तो यह तो

बड़ा भारी फ़ायदा है। मुमकिन है कि सारा कारोबार बन्द हो जाय और कानपुर का तमाम बुलियन मारकेट ख़त्म हो जाय क्योंकि आप तो भरोसा ही नहीं करते। हम बदले या नहीं बदले लेकिन आप तो हक़ीक़ी माने में सोने में ढले हुए हैं। आप इस साल ज़मींदारियाँ ख़त्म करेंगे और इसी तरह से आप मिल ओनर्स को भी ख़त्म करेंगे और सब चीज़ों पर सरकारी कन्ट्रोल होगा। फिर हमें और आपको क्या फ़िक्र आप ज़ुरत से काम लें और पब्लिक के ख़ौफ़ से न घबरायें बल्कि अपनी रेवेन्यू को सेफ़ (सुरक्षित) रखें। मैं आपको यक़ीन दिलाता हूँ कि इससे जनता का कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए उसकी मुख़ालफ़त करता हूँ। इससे तो आप सेल टैक्स हटा दीजिये और प्रोडेक्शन पर लगाइये तो हम उनका स्वागत करेंगे और उन दफ़ाओं का समर्थन करेंगे।

माननीय अर्थ सचिव—माननीय डिप्टी स्पीकर, फ़ख़रुल इस्लाम साहब ने हस्ब मामूल अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। उनका काम है मुख़ालफ़त के लिये मुख़ालफ़त करना, और वही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला है, और चोला भी बदला। और भी बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। अगर उस पार्टी के नमूने फ़ख़रुल इस्लाम साहब हैं तो मुझे हैरत होती है आज आपको जनता का ख्याल हो गया है और कन्ज्यूमर का ख्याल हो गया है। बदनसीबी से उनको सरकार की आमदनी का भी ख्याल हो गया है। जब यह बिल आया था उस वक्त आप कुछ कहते थे और अब आप कुछ कहते हैं। आज आपको बेतहाशा सरकार की आमदनी बढ़ाने का ख्याल है। सुबह को कुछ कहें शाम को कुछ कहें हर वक्त अपनी बातों को बदलने वाले आप हैं। आपने कई बातें कहीं और कहा कि इन अलफ़ाज से क्या फ़ायदा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अलफ़ाज के अलावा क़ानून में और क्या होता है। क्या अलफ़ाज में तोपें होती हैं, एटम बम्ब होते हैं या कौन सी चीज होती है। अगर आप उसमें अलफ़ाज नहीं तो क्या यह मेज और माइक्रोफ़ोन रक्खेंगे या चश्मा रखेंगे। इन्हीं अलफ़ाज से वही नतीजे ज़रूर होंगे जो हम समझते हैं और वही ठीक होंगे और अगर आप कहते हैं कि यह बात न होगी तो मैं ज़ोर से दोह-राता हूँ कि ज़रूर होंगे। आपके दिलोदिमाग़ में शक़ है, एक कहावत है कि वहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं है, आप के शकूक को कौन दूर कर सकता है और उनको दूर करने की कोई गुन्जायश नहीं रह जाती। आपने कहा अस-रार अहमद साहब का हवाला देकर कि उन्होंने हमारी बातों पर पानी फेर दिया। उन्होंने तो अपनी बातों पर पानी फेर दिया। आज आप के पास बैठने का असर यह हुआ कि सुबह को मुबारक़बाद देने के बरक्स शाम को पानी फेर दिया। आपने यह कहा कि हर चीज़ पर और ४ पैसे तक टैक्स ले रहे हैं तो मालूम यह होता है कि इस संशोधन को पढ़कर आपने समझा नहीं है। सरकार को मालूम है कि ऐसा हो रहा है और उसी को रोकने के लिए यह बात इस में रखी गई है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है और जिसको टैक्स लेने का हक़ नहीं

है और वह टैक्स लेता है तो उसको टैक्स अदा करना होगा और उसको सजा भी होगी। ये सब बातें होंगी और अगर वह किसी ऐसी चीज पर टैक्स लेता है जिस पर टैक्स नहीं है तो भी उसको सजा होगी और वह पैसा भी उसको अदा करना होगा। सब बातें इसमें मौजूद हैं। इस के लिये अदालत या पुलिस अलग नहीं बैठी है। यह नाटक या सिनेमा की तरह नहीं दिखलाया जा सकता। आप अगर इसको पढ़ते तो आप भी इसका स्वागत करते जिस तरह से कि असरार अहमद साहब ने किया। पब्लिक और कंज्यूमर की तकलीफ़ को दूर करने के लिये यह बिल पेश किया गया है और मैं समझता हूँ कि आप की जो मुखालफ़त है वह महज मुखालफ़त के लिये है और उसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूँकि आपने जनता के बारे में बात कही थी इसलिये जवाब दे दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाउस इसको सर्वसम्मति से ही नहीं तो भारी बहुमत से इसे अवश्य स्वीकार करेगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि संशोधित धारा ४ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा—५

५—मूल ऐक्ट की धारा ४ के प्रतिबन्धक वाक्य–खण्ड में शब्द "बदनी (भविष्य के मुआहिदे) के सौदे" के बाद शब्द "जिनका उल्लेख धारा ३ में कर दिया गया है" बढ़ा दिये जायँगे।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ५ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ६

६—(१) मूल ऐक्ट की धारा ७ में निम्नलिखित प्रथम प्रतिबन्धक वाक्य–खण्ड के रूप में बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रांतीय सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों का कोई वर्ग इस धारा में वर्णित ऐसे विवरण–पत्र या विवरण पत्रों के बदले में कर निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन के ऐसे विवरण–पत्र या विवरण–पत्रों को ऐसी अवधि पर और ऐसे रूप में तथा ऐसे ढंग से प्रमाणित करके दे सकता है जो निर्धारित किये जायँ और इस ऐक्ट के समस्त आदेश इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त विवरण–पत्र या विवरण–पत्रों को इस धारा के अन्तर्गत नियमानुकूल प्रस्तुत किया गया था।

(२) वर्तमान प्रतिबन्धक वाक्य–खण्ड में शब्द "यह" के पश्चात् और "है" के पूर्व शब्द "भी" जोड़ दिया जायगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ६ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ७

७—मूल ऐक्ट की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ८-क के रूप में जोड़ दी जायगी :—

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० में धारा ८-क का जोड़ा जाना। व्यापारियों की रजिस्ट्री और उनके द्वारा कर की वसूल।

"८-क—(१) कोई व्यापारी (जो इसके पश्चात् 'रजिस्टर्ड व्यापारी' कहा गया है) अपने को इस धारा के अन्तर्गत रजिस्टर करा सकता है और उस प्रयोजन के लिये, कर-निर्धारक-अधिकारी के पास ऐसे ढंग से, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे वार्षिक शुल्क के साथ जो ६ रुपये से अधिक न होगा, जैसा भी निर्धारित किया जाय, एक प्रार्थना पत्र देगा"।

"(२) कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है क्रेता से माल की बिक्री पर कोई भी रक़म कर के रूप में वसूल न करेगा"।

"(३) धारा १२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी जो कोई माल बेचते समय क्रेता से कोई रक़म कर के रूप में वसूल करता है क्रेता को एक नक़दी पर्चा (कैश मेमो) देगा जिस पर व्यापारी या उसके नौकर मैनेजर अथवा ऐजेन्ट के हस्ताक्षर होंगे और जिसमें बेचे गये माल का मूल्य तथा क्रेता से कर के रूप में वसूल की गई रक़म अलग अलग दिखलाई जायगी और वह उस नक़दी पर्चा (कैश मेमो) का प्रतिरूप हस्ताक्षर सहित अपने पास रक्खेगा और ऐसी सब रक़मों का जिन्हें उसने निर्धारित ढंग से वसूल किया हो सही और ठीक लेखा भी रक्खेगा।"

"(४) धारा १४ के वाक्य-खंड (च) के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना इस धारा की उपधारा (१) के अधीन किसी माल की बिक्री पर कर के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा वसूल की गई रक़म इस ऐक्ट के किसी अन्य आदेश में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, सरकारी खज़ाने में उस मास के जिसमें उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त होने के ७ दिन के भीतर उसके द्वारा जमा कर दी जायगी, यदि इस प्रकार वसूल की गई रक़म उस रक़म से अधिक हो जो उस बिक्री के सम्बन्ध में, कर के रूप में देय हो या यदि उस बिक्री के सबन्ध में कोई कर देय न हो।

श्री चरणसिंह—डिप्टी स्पीकर साहब—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ७ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ८ (क) की उपधारा (४) में पंक्ति ५ से ७ तक "उस मास के जिसमें उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त होने के ७ दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "उस अवधि के अन्दर जो कि नियत की जाय" शब्द रक्खे जायँ।

मेरे इस संशोधन को पेश करने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस मसविदे में सात दिन का मौक़ा दिया गया है कि व्यापारी वह कर दाखिल कर दे जो कि गत महीने में वसूल किया हो। मुमकिन है कि गाँवों के व्यापारियों को सात दिन के अन्दर टैक्स दाखिल करने में कठिनाई हो और

[श्री चरणसिंह]

बाद को गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुँचे कि ज्यादा समय देना चाहिए। मसविदे में जो शब्द हैं यदि वही रखे जायं तो बाद को गवर्नमेंट को फिर संशोधन पेश करना पड़ेगा और उसमें देर लग जायगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अख्तियार तमीजी दिया जाय कि वह तजुर्बे के मुताबिक़ जब चाहे और जितनी चाहे मियाद मुकर्रर कर सके।

दूसरी वजह मेरे इस प्रस्ताव को पेश करने की यह है कि यह क़ानून १५ मई के लगभग लागू हो जायगा अर्थात् ७ मई से पहले यह मसविदा कानून नहीं बन सकेगा। इस कानून के मुताबिक़ जो टैक्स व्यापारियों ने अप्रेल में वसूल किया है वह अगले महीने के ७ दिन के अन्दर दाखिल कर देना चाहिए लेकिन यह कानून १५ मई के बाद से लागू होगा। इसलिए जो लफ्ज़ मैंने पेश किये हैं अगर उनको स्वीकार कर लिया जाय तो गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि अप्रैल और मई के महीनों में जो टैक्स वसूल किया गया है उसके लिये कोई खास तारीख मुकर्रर कर सके। मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि माननीय अर्थ मंत्री मेरे इस संशोधन को मंजूर कर लेंगे।

माननीय अर्थ सचिव—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ७ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ८ (क) की उपधारा (४) में जो शब्द पांचवीं पंक्ति से सातवीं पंक्ति तक आते हैं, अर्थात् "उस मास के जिसमें उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त होने के ७ दिन के भीतर" यह शब्द हटाकर उनके स्थान पर यह शब्द अर्थात् "उस अवधि के अन्दर जो कि नियत की जाय" रख दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—धारा ७ में किसी तरमीम की इत्तिला मुझे नहीं है। सवाल यह है कि धारा ७ संशोधित रूप में इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएं ८, ९ और १०

ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन। फिर से कर निर्धारण का अधिकार।

८—मूल ऐक्ट की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा:—

"१०— (१) प्रान्तीय सरकार ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय शासन विधान (गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया ऐक्ट) १९३५ ई० की धारा २२० की उपधारा (३) के अधीन हाई कोर्ट का जज नियुक्त किये जाने के लिये योग्य हो फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising authority) नियुक्त करेगी।

(२) धारा ९ के अधीन नियुक्त अपील सुनाने वाला अधिकारी फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी के निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहेगा।

(३) फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी अपने विवेक से किसी भी समय स्वयं अपनी इच्छा से या विक्रय-कर कमिश्नर के प्रस्ताव पर या असंतुष्ट व्यक्ति के प्रार्थना पर इस ऐक्ट के अनुसार किसी अपील सुनने वाले या कर- निर्धारक-अधिकारी की आज्ञा अथवा किसी लिखित कार्यवाही का लेख उक्त आज्ञा के विधान युक्त अथवा उचित होने अथवा उक्त कार्यवाहियों के नियमित होने के सम्बन्ध में अपने को संतुष्ट करने के लिए माँग सकता है तथा उनकी जाँच कर सकता है और ऐसी आज्ञा जो वह उचित समझे दे सकता है।

(४) फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा ३ के अधीन उस समय तक कोई ऐसी आज्ञा न देगा जिससे किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जब तक कि उक्त व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर न दे दिया गया हो।

(५) यदि फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा ३ के अन्तर्गत निर्धारित की गई रक़म को कम कर देता है तो वह कर की उस अधिक रक़म को यदि वह वसूल कर ली गई हो, लौटा देने की आज्ञा देगा।

९—मूल ऐक्ट की धारा ११ में जहाँ कहीं भी शब्द "बिक्री कर कमिश्नर या "कमिश्नर" आये उनके स्थान पर शब्द "फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी" रक्खे जायँगे।

१०—मूल ऐक्ट की धारा १४ में निम्नलिखित वाक्य-खंड (च) के रूप में जोड़ दिया जायगा:—

(च) किसी क्रेता से किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ या उसके अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया हो बिक्री कर माँगे या वसूल करे या किसी ऐसे दर पर कर माँगे या वसूल करे जो उस दर से अधिक हो जो इस ऐक्ट के आदेशों के आधीन देय हो।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ८, ९ और धारा १० इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा—१

१—(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर (संशोधक) ऐक्ट १९४८ ई० कहलायेगा।

(२) यह १ अप्रैल १९४८ ई० से लागू समझा जायगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाए

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट १६४८ ई० का संशोधन किया जाय, इस लिये निम्नलिखित ऐक्ट बनाया जाता है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अर्थ सचिव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर (संशोधन) बिल, जैसा कि इस भवन ने संशोधित किया है स्वीकार किया जाय।

श्री किशन चन्द्र पुरी—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उस अमेंडेड (संशोधित) बिल की जो अभी पास हुआ है ताईद करता हूँ कि उसे मंजूर फरमाया जाय।

***श्री फखरुल इस्लाम**—जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इस भवन के सदस्यों को मुबारकबाद दिया है लेकिन मैं अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि मैं उनको मुबारक़बाद देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने खुद सुना है कि जो जनता के नुमाइन्दे हैं वे उनके इस फेल को अच्छा नहीं समझते हैं। वे अपनी जबान से कितना ही समझें कि वे जनता की ख़िदमत कर रहे हैं लेकिन जनता इसको अच्छी तरह से जानती है कि आप उन लोगों की कोई ख़िदमत नहीं कर रहे हैं। इसलिये कि अभी चन्द दिनों के बाद ही आप को अमेंडमेंट लाने की जरूरत हुई जिससे जनता की नजर में आपने उसकी कोई ख़िदमत नहीं की क्योंकि वह यह समझते थे कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट लायेंगे जिससे जनता की भलाई होगी जिससे उनकी तकलीफ़ दूर होगी। लेकिन एक बात जरूर है जिससे कि आपको बड़ी हमदर्दी है और वह होनी भी चाहिये और आपने उनकी शिकायत को दूर भी किया है। मैं जानता हूँ कि आप कैपिटल के बड़े हामी हैं। कैपिटलिज्म का ऐम (ध्येय) आपके सामने रहता है। गवर्नमेंट के सामने कैपिटलिस्ट की हमदर्दी हमेशा रहती है। यह ऐसा क्यों है इसको मैं नहीं जानता लेकिन इस गवर्नमेंट के सामने कैपिटलिस्ट की हमदर्दी हमेशा उनके सामने जरूर रहती है। बिजनेस कम्युनिटी या चेम्बर आफ़ कामर्स और यह जितने कारोबार करने वाले हैं वह जरूर आपको धन्यवाद देंगे, मशकूर होंगे। वह कहेंगे कि आपने उनको बड़ी भारी मुसीबत से, बड़े बड़े टैक्स देने से बचा दिया और किसी छोटे कारोबार पर तो इसका असर पड़ेगा नहीं। जहाँ तक कि एवान् के और सदस्यों का आपकी तरफ़ के या इंडिपेंडेंट बेंच के, उन्होंने आपको मुबारक बाद नहीं दिया अगर किसी मेम्बर ने मुबारक दिया है तो वह बिजनेस कम्युनिटी के नुमायन्दे ने, कैपिटलिस्ट के नुमायन्दे ने, ही आपको

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मुबारकबाद दिया है। यह बात अब साबित हो गई है कि अगर इससे मुनाफ़ा हुआ है फ़ायदा हुआ है तो कैपिटलिस्ट को फ़ायदा हुआ है लेकिन जहाँ तक यहाँ ग़रीब जनता का ताल्लुक़ है वह तो रोज़ बराबर आपसे यह मतालबा करती रहेगी कि जनता का नाम लेने वाले के लिए लब्ज़ की कोई वक़त नहीं है। वह तो इस एक्ट के अलफ़ाज़ को रोते रहेंगे। जिनकी वजह से आप यहाँ पर आए और जो जनता आपकी तरफ़ को देख रही है वह हमेशा यही कहते रहेंगे कि आपके लिए अलफाज़ की कोई क़ीमत नहीं है। अगर आप किसी वकील और बैरिस्टर से पूछें कि क़ानून के अलफ़ाज़ को क्या अहमियत है तो वह बतलायेगा कि इन्हीं अलफाज़ की बिना पर लोग फाँसी के तख्ते पर चढ़ाये जाते हैं और बड़े बड़े संगीन मुक़दमे से भी छूट जाते हैं। दुनियाँ के जितने भी काम हैं वह सब अलफ़ाज़ पर ही चलते हैं। यह एक्ट जब उनके पास जायगा और जनता के अमल के अन्दर आएगा तो वहाँ पर इसका फ़ैसला हो जावेगा वह इसकी मैरिट और डिमैरिट पर फ़ैसला करेंगे उस वक़्त आपको मालूम होगा कि उनके फ़ैसले से आपको संतोष होगा कि नहीं। जनता क्या कहती है इस मेजर से उनका क्या फ़ायदा हुआ यह वह जानते हैं वह यह भी जानते हैं कि इससे सिर्फ गवर्नमेंट का या गिने चुने आदमियों का फ़ायदा हो सकता है जनरल पब्लिक का इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क़ानून की अगर ज़रूरत है तो ज़रूर बनाना चाहिए। यह आप जानते हैं कि हमने कभी भी चाहे गवर्नमेंट को कितने भी रुपये की ज़रूरत पड़े इसके मुताबिक़ कोई भी मुखालफ़त नहीं की। हमने कहा कि आप खुशी से इसको ले लीजिये लेकिन जिस तरीक़े से आप रुपया ले रहे हैं उस तरीक़े से जनता को संतोष नहीं है। इससे न जनता का फ़ायदा हुआ और आपको भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी मुझे शिकायत है और रहेगी। मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप देखेंगे कि ६ महीने के बाद आप फिर यहाँ यह कहते हुए आयेंगे कि हमको यह तीसरा अमेन्डमेन्ट ज़रूरी है। जैसे आपने उस वक़्त ग़लत राय क़ायम की थी वैसे ही मैं आपको यक़ीन दिलाता हूँ कि आप अपनी राय को ग़लत पायेंगे और आपको अपनी राय में इसलाह करनी पड़ेगी। मैंने उस वक़्त भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि आपका यह मेजर जनता के फ़ायदे के लिये किसी तरह से नहीं हो सकता है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि इसमें खामियाँ हैं बुराइयाँ हैं जिस वक़्त यह ऐक्ट निफाज़ में आयेगा आप उस वक़्त देखेंगे कि कितनी मुसीबतें कन्ज्यूमर्स (खरीदार) पायेंगे। जो आदमी आप मुक़र्रर करेंगे वे भी इसी तरह के होंगे जनता की परेशानी बढ़ जायेगी। उनमें जो काम करने वाले हैं जो इंस्पेक्टर्स हों और जो आफिसर्स हों वे इस तरह के भी नहीं होंगे। जनता से खूब रिश्वतें चलेंगी। मुझे अफसोस नहीं होता अगर गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती गवर्नमेंट की आमदनी बढ़नी भी चाहिये अगर मुल्क को तरक्की करना है। लेकिन यह सही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को यहीं ठीक कर दें नहीं तो फिर

[श्री फ़खरुल इस्लाम]
महीने दो महीने में वह वक़्त दूर नहीं है जब आपको फिर एक तरमीमी बिल लाने की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसी तरह से बराबर तरमीमों पर तरमीमें पेश करते रहेंगे और जनता का उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत समझ बूझ कर इस बिल को पेश करना चाहिये।

*श्री अब्दुल बाकी—जनाब सदर मुहतरिम, जब असल बिल आया था उस वक़्त भी हमने मुतनव्वे किया था कि आप जो क़ानून ला रहे हैं उसमें अभी खामियाँ और उसमें ग़ौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उस वक़्त आपने नहीं माना। हमने आपको बतलाया था कि मुल्क की आवाज़ आपके खिलाफ़ जा रही है। आपने उसकी परवाह नहीं की लेकिन ज़माने ने आपकी गोशमाली की। और जब ज़माने ने दोनों तरफ़ के गोशमाली की तो आप मजबूर हुये और हमारी आवाज़ को आपने पहचाना। हमने आपको मशविरा दिया था लेकिन आपने उस मशविरे को पसेपुश्त डाल दिया। लेकिन वाकयात ने आपको बता दिया और आप अब उसमें तबदीली करने को मजबूर हुये दूसरी तरमीम लाने पर। आज भी हम आपको मशविरा देते हैं कि जो तरमीम आप ला रहे हैं। अभी आप उसको ला रहे हैं मुल्क ने अच्छी तरह से ग़ौर नहीं किया है और इन तरमीमों में आप उजलत कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरमीम में आप नहीं ला रहे हैं जिसके मुताल्लिक़ मुल्क का कौम का तक़ाज़ा है। लेकिन आप उसे भी पसेपुश्त डाल रहे हैं।

इस वक़्त हमारे मशविरे पर आप ध्यान दे नहीं रहे हैं, हमारे मशविरे पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप उसकी ताबीर दूसरी कर रहे हैं, उसको दूसरी रोशनी से देख रहे हैं, उसका मतलब कुछ और समझा रहे हैं। मगर हम आपसे बतला रहे हैं कि हमारा जो मशविरा है वह नेक मशविरा है, अच्छा मशविरा है और वह आपकी भलाई के लिये है। अगर इसमें आपको भलाई नज़र नहीं आती है तो यह अपकी खीराचश्मी है और जैसा मेरे लायक़ दोस्त फ़खरुल इस्लाम साहब ने कहा कि ज़्यादा देर नहीं है, दो चार महीने ही की देर है कि आप दूसरा तीसरा तरमीमी बिल लावें और तब आपको मालूम होगा कि हमने जो बात कही थी वह सही कही थी। मैं आपसे इस सिलसिले में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप फिर भी उजलत कर रहे हैं। अभी बहुत सी चीज़ें मुल्क में ऐसी हैं आपके सामने और हमारे सामने कि जिनको आपने नज़र-अन्दाज़ कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि आपने क़सदन नज़र अन्दाज़ कर दिया है या किसी की रियायत के लिये किया है। इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि जब सेल्स टैक्स बिल आपके सामने था तो उस वक्त बिजनेसमैन की दबी आवाज़ थी कि इसमें बहुत सी खामियाँ हैं और हमारी बात सुन लीजिये। मगर जब आपने यह बिल पास कर लिया तो यही आवाज़ ज़रा बुलन्द हो गयी और मैं समझता हूँ कि उस आवाज़ का यह ज़ोर था कि आप दब गये और दबने

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

के एक ही महीने बाद आपने फिर तरमीम पेश कर दी। तो मैं समझता हूँ कि यह बिल जो आज ऐवान के सामने है अगर सच्चे ठंडे दिल से आप इस पर गौर करेंगे तो वाक़ई यह वक्त नहीं है कि आप इसको पास कर लें। यक़ीनन आपकी तादाद शुमार ज्यादा है, सही तस्वीर को आप नज़र अन्दाज़ कर सकते हैं और आप इस पर गौर न करें तो यह आपकी मर्जी है। चाहे आप इसको आज मुलायमियत की आवाज़ से टाल दें। मगर वाक़यात को आप रोक नहीं सकेंगे। वाक़यात आपको बतावेंगे और ऐसे आवेंगे कि हालात तब्दील होंगे और उस वक़्त आप मजबूर होंगे इसकी खुद तरमीम करने के लिये और आप अपनी ज़ुबान से इसकी तरदीद करेंगे। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस बिल को ऐक्ट की सूरत में क़तई तब्दील नहीं होना चाहिये और इस बिल को आपको पास कराने में उजलत कतई नहीं करना चाहिये।

*श्री हसरत मोहानी—जनाबवाला, मेरे दिल में जो एक शुबहा पैदा है उसके जाहिर करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आपने जो अपना यह तरमीमी बिल पेश किया है इसमें जो आपके वसूल हैं कि कई कई मर्तबा यह सेल्स टैक्स न लगे यह तो ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सोर्स, असली जगह जहाँ है वहीं पर यह लगाया जाय और बाकी जगहों पर न लगाया जाय। मगर अमली तौर पर आपने इसकी कोई तरकीब नहीं बताई है कि बाद के सब्सी-क्वेंट ट्रांजेक्शन्स जितने होते हैं उनमें आपने क्या तरकीब रखी है। मैं मिसाल के तौर पर और दरमियानी लोगों को छोड़ता हूँ। आखिर में जो रिटेलर है उसी को लेता हूँ। आपने जो रखा है कि जिसकी सेल्स १२ हजार से कम होगी वह नहीं देगा, सेल्स टैक्स। इसके मानी यह हुए कि उसका फ़ायदा इसी में है कि जो उसके पास खरीदने आवें उनको कहे कि छोटे दूकान्दारों से लो। वह जो रिटेल चीज खरीदने जायगा वह कहेगा कि छोटे दूकान्दार से लो। छोटे दूकान्दार से लेने में उसको फ़ायदा यह होगा कि वह उससे सेल्स टैक्स नहीं ले सकेगा जैसे मैं शकर खरीदने जाता हूँ तो मेरी कोशिश यह होती है कि किसी छोटे दूकानदार से लूं जिसकी बारह हज़ार की बिक्री न होती हो ताकि सेल्स टैक्स न लगे। लेकिन वह रिटेलर लोग उसको बताते ही नहीं कि वह सेल्स टैक्स ले रहे हैं वह तो कहते हैं कि यही रेट है। इसी पर लीजिये। अगर हम उनसे कहें कि भाई तुम्हारी बारह हज़ार की बिक्री नहीं है, इसलिये सेल्स टैक्स नहीं ले सकते हो, तो वह कहते हैं कि मेरी बारह हजार की बिक्री है। क्या सबूत है मेरे पास? क्योंकि अगर यह होता कि बारह हज़ार की बिक्री पर उसको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ता तो वह इक़बाल नहीं करता। लेकिन उसके यह कहने पर कि मेरी बारह हज़ार की बिक्री है उसका कोई नुक़सान नहीं यही है कि उसको सेल्स टैक्स बढ़ा देने का हक़ हासिल है। इसके लिए क्या चेक है, मेरी समझ में नहीं आता। आप बता दीजिये। यह जो आप कहते हैं कि

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हसरत मोहानी]

लाइसेन्स दिया जायगा, हर शख्स को। कोई भी लाइसेन्स नहीं लेगा। अमली सूरत यह होगी कि बड़े से बड़े डीलर से लेकर छोटे से छोटे डीलर तक जैसा कि असली तौर पर यह होता है यानी शकर चौदह आने सेर बिकती थी; उससे पन्द्रह आने सेर हो गई, और अब पन्द्रह आने से साढ़े पन्द्रह आने सेल्स टैक्स लगाकर कर दिया है। अब आप रिटेलर के यहाँ लेने जाइये। मैं चैलेंज (चुनौती) करता हूँ कि कोई शख्स एक रुपये से कम ले आवे। वह तो कहता ही नहीं है कि मैं दो पैसा सेल्स टैक्स का लेता हूँ। वह तो कहता है कि एक रुपया का भाव है। चाहे लीजिये या न लीजिये। अगर उससे खड़े होकर कहिये कि तुम्हारी बिक्री बारह हजार की नहीं है इसलिये तुम सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते। तो वह कहेगा कि आप किस तरह से कहते हैं कि मेरी बिक्री बारह हजार से ज्यादा नहीं है। बारह हजार रुपया साल के मतलब एक हजार रुपया माहवार हुआ, रोजाना तीस बत्तीस रुपये की बिक्री हुई। मगर उन के पास लाइसेन्स वग़ैरह कुछ नहीं। तो आप बतलाइये कि हर कन्ज्यूमर (खरीदार) इस बखेड़े को कौन करेगा ? फिर पास लाइसेन्स हो या नहीं वह सेल्स टैक्स बढ़ायेगा। दो पैसे के लिए कौन झंझट करेगा। जैसा कि फखरुल इस्लाम साहब ने फरमाया आपके अल्फाज तो खूबसूरत हैं लेकिन यह जगलरी आव वर्ड्स है। आप अल्फाज के धंधे में फंसे हैं नतीजा यह है कि कन्ज्यूमर्स के लिये हर सूरत से एक दो तीन नहीं बल्कि छः छः जगहों पर सेल्स टैक्स है। सारा बार उसी के ऊपर पड़ता है। आपने जो यह सेफगार्ड रख दिये हैं उनमें से एक भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल है तो यह है कि दो पैसे के लिये जब सब काम छोड़ कर कोई सिर होजाय और उसको दरवाजे तक पहुँचाने को तैयार हो जाय कि रिटेलर को सेल्स टैक्स लगाने का राइट नहीं है। लफ्ज आपके मौजूद हैं 'उसूल भी मौजूद हैं, आपने कैदें लगा दी हैं वे भी मौजूद हैं, लेकिन यह एक कैद काम नहीं आयेगी जैसा कि मैं कहता हूँ कि कज्यूमर्स के ऊपर दो चार गुना नहीं आठ गुना तक बार हो जायगा और उसको रोकने के लिये आपने कोई अमली तजवीज नहीं की। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर रिटेलर के यहाँ जब कन्ज्यूमर जायेगा तो क्या पैसा दो पैसा के लिये वह यह सारा झंझट करेगा। लाइसेन्स दिखाइये, तुम्हारे पास लाइसेन्स नहीं इस लिये तुम सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते। लाइसेन्स है भी या नहीं इसको तहकीकात कौन करेगा ? यह बात आपकी जो है सिर्फ कागजी है और असली शक्ल यह रहेगी कि सारा बार कन्ज्यूमर्स के ऊपर बढ़ जायगा। और जो उसके बाद के स्टेजेज हैं इंटरमीजियेरीज हैं उनकी मुसीबत कोई कन्ज्यूमर तहक़ीक कर सकता है। वह कोई इंक्वायरी कर सकता है न प्रोटेस्ट कर सकता है। दुनियाँ का काम छोड़कर दो पैसे के लिये इतना झंझट कौन करेगा। इसकी मिसाल तो ऐसी ही है कि कभी कभी यह होता है कि स्टेशन पर टिकट नहीं मिलता है। लोग क्यू लगाते हैं। वहाँ पुलिस का आदमी खड़ा होता है। जो शख्स उसको चार पैसे दे देता है उसको वह टिकट लाकर दे देता

है वर्ना कहता है कि क्यू में खड़े हो। अब बतलाइये कि जो शख्स इस तरह से टिकट ले लेगा क्या वह दो चार पैसे की वजह से कोई प्रोटेस्ट करेगा या सबूत देने के लिये दुनियाँ के काम छोड़ देगा। अगर कोई शख्स ऐसा है जो पब्लिक ड्यूटी को बहुत इम्पोरटेन्ट समझता है तो वह दुनियाँ के सब काम छोड़कर इन झंझटों में पड़ेगा और हजार में से ऐसा एक आध आदमी ही मिलेगा।

इस बिल से ब्लैक मार्केट बहुत ज्यादा फैलेगा जितने रिटेलर हैं उनके पास लायसेन्स हो या न हो उनकी बिक्री १२ हजार रुपये से ज्यादा हो या न हो सब सेल्स टैक्स लेंगे। कन्ज्यूमर खरीदार के पास वक्त नहीं है कि वह इन झंझटों में पड़े। इसलिये मेरा ख्याल यह है कि जब तक इस चीज को मिटाने के लिये कोई सेफगार्ड (सुरक्षा) न रखा जायेगा तब तक यह ठीक न होगा। छोटे छोटे दुनियाँदारों के पास कन्ज्यूमर इस लिये जायेगा ताकि उसको सेल्स टैक्स न देना पड़े और वहाँ अगर उससे सेल्स टैक्स लिया जाये तो बिला सबूत उसकी सुनवाई होनी चाहिये और उसने अगर एक पैसा भी सेल्स टैक्स का लिया हो तो उसके ऊपर १२ हजार रुपये के सेल्स टैक्स के हिसाब से टैक्स अदा किया जाये और जो वसूल किया जाकर गवर्नमेन्ट के खजाने में जमा किया जाये। जैसा कि फखरुल इस्लाम साहब ने कहा जब तक नहीं होगा तब तक आप कन्ज्यूमर के इंट्रेस्ट को सेफ नहीं कर सकते और न दुकानदार पर कोई चेक लगा सकते हैं। इसलिये मैं अर्ज करता हूँ कि आप या तो क्लीअरली साफ बताइये कि इसके चेक के लिये क्या इन्तजाम किया है। कन्ज्यूमर यह सोचेगा कि बड़े दुकानदार से चीज क्यों खरीदें उसको दुकान का किराया ज्यादा देना पड़ता है उसी लिहाज से उसके रेट्स भी ज्यादा होंगे और छोटे दुकानदार को उसके बनिस्बत कम किराया देना पड़ता है इसलिये उसी हिसाब से उसके रेट्स कम होंगे और कम से कम छोटे दुकानदार को सेल्स टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। इसलिये इसका चेक जरूर होना चाहिये। अगर आप हर कन्ज्यूमर से यह उम्मेद करते हैं कि वह दो पैसे के लिये इतने झंझट करेगा तो यह जाहिर सी बात है कि कोई भी कन्ज्यूमर नहीं करेगा। इसकी असली शक्ल वही होगी जैसा कि फखरुल इस्लाम साहब ने कहा था कि कन्ज्यूमर के ऊपर दुगुने तिगुने और चौगुने टैक्स पड़ जायेंगे और आपके सेफ गार्ड्स डैड स्टौप हो जायेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की मुखालफत तो नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि इसमें अमली शक्ल से तमाम खराबियाँ हैं जो कन्ज्यूमर्स के खिलाफ हैं। इनके रोकने की आपने कोई अमली तजवीज पेश नहीं की है।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस सवाल पर बहस समाप्त की जाये।

डिप्टी स्पीकर—अब सवाल यह है कि मसले पर बहस समाप्त की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अर्थ सचिव—मैं इस भवन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बिल की सेकिन्ड रीडिंग को स्वीकार कर लिया और मैं आशा करता हूँ कि वह इस बिल को भी स्वीकार कर लेंगे। इतना ही नहीं मैं फ़खरुलइस्लाम खाँ साहब को धन्यवाद देता हूँ इसलिये कि उन्होंने इस बिल की मुख़ालफ़त की। क्योंकि जब वे मुख़ालिफ़त करते हैं तब मुझे इत्मीनान हो जाता है कि बिल सही है और जब वह किसी तजवीज की ताईद करते हैं तो मुझे शक होने लगता है कि मैं कुछ ग़लत काम तो नहीं कर रहा हूँ। उन की मुख़ालफ़त से मेरा यक़ीन बिल के अच्छा होने में और भी बढ़ जाता है और बढ़ गया है। इसके लिये मैं उन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि दुनियाँ में अक्सर नाम बड़ा धोखा देते हैं। अन्धों का नाम भी नैनसुख होता है इसी तरह से फख़रुलइस्लाम साहब जिस पार्टी से सम्बन्धित हैं वह अपने आप को जनता पार्टी कहती है। जनता पार्टी है मगर कैसी जनता पार्टी है। अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हुआ। २ हज़ार से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें जनता पार्टी की जनता ने २० आदमियों को भी नहीं चुना लेकिन फिर भी वह अपने को जनता की पार्टी समझते हैं। अगर वह अपने को मुजस्सिम जनता समझें तो मुझे इसमें क्या ऐतराज होगा लेकिन उनको अपने को ही मुग़ालता होगा।

श्री फख़रुल इस्लाम—जनता पार्टी की तरफ़ से कोई नुमाइन्दा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव में नहीं खड़ा हुआ। मुझे ताज्जुब है कि माननीय अर्थ सचिव क्या कह रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर—आप सवाल कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं।

माननीय अर्थ सचिव—जनता पार्टी का कोई नुमाइन्दा खड़ा नहीं हुआ यह इस बात को साबित करता है कि वह कैसी जनता की पार्टी है। जनता पार्टी से जनता का रत्ती भर भी ताल्लुक़ नहीं है। वह हिम्मत तक नहीं करते कि चुनाव में खड़े हों क्योंकि जनता का एक भी आदमी उनके साथ नहीं है। इसलिये जब यह पार्टी बार बार अपना नाम जनता की पार्टी लेती है तो मेरा तो जी मिचलाने लगता है कि जब यह लोग जनता के नुमाइन्दे हो सकते हैं कौन फिर जनता का नुमाइन्दा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि फख़रुल इस्लाम खाँ साहब और बाक़ी साहब अब नबी भी बन गये हैं अब उनको इल्हाम होने लगा है, वह भविष्यवाणी करने लगे हैं कि अब यह हुआ है, आइन्दा फिर यह होगा मैंने कहा था इसलिये यह हुआ, अब यह कहा है तो यह होगा। उनको मुबारक हो नबी होजाना लेकिन मैं उन्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि किसी बिल के बारे में जनता की मुश्किलों को महसूस करके जम्हूरियत के, डिमोक्रेसी के उसूल के मुताबिक़ उसके संशोधन को लाना कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये एतराज़ किया जाय बल्कि इस बात को तो तारीफ़ करनी चाहिये कि यह गवर्नमेंट जनता की राय का इतना

ध्यान रखती है कि उसकी राय मालूम होते ही उस के मुताबिक़ अमल करती है। आपको मालूम है कि एक ही बिल तो पास नहीं हुआ है, बीसियों बिल पास हुए हैं। उन में कितनों में संशोधन लाये हैं और अगर एक में लाने की जरूरत पड़ी तो वह यह साबित करता है कि हम जनता की राय का, लोकमत का कितना खयाल रखते हैं और उसी के मुताबिक़ महीने भर में नहीं ७ दिन में जनता की तकलीफ़ मालूम हो तो हम ख़ुशी से संशोधन लायेंगे और जरा भी हिचकिचाहट हमें नहीं पैदा होगा।

कुछ बातें कही गयीं कि यह बिल तो केपीटलिस्टस के फ़ायदे के लिये है, इस में कंज्यूमर्स का और जनता का फ़ायदा नहीं है। बार बार मैं आप से पहले भी कह चुका हूँ कि जनता का केपीटलिस्ट का नाम तो लोगों का तकिया कलाम हो गया है बिना समझे हुए। बिल में जो बातें हैं वह पहले मैं बता चुका हूँ और फिर बताता हूँ और देखने की बात यह है कि इनमें कितनी केपीटलिस्ट्स के फ़ायदे की है और जनता के फ़ायदे की कितनी हैं। आप देखें कि जो तरमीम की गयी है कि सरकार को यह अधिकार होगा कि १२,००० की मियाद बढ़ा सकती है, इस में केपीटलिस्टस का फ़ायदा क्या है। १५,००० का संशोधन तो पूरे हाउस ने स्वीकार किया। बाकी साहब ने कहा कि १५,००० से ज्यादा होना चहिये। सरकार ने उनकी बात को मंजूर करके १२,००० की मियाद को बढ़ाने का संशोधन मान लिया क्योंकि सरकार की हर बात तो जनता के हित में होगी। उसे आप केपीटलिस्टस के हित में कहना चाहते हैं और कहते हैं कि जनता के हित के खिलाफ़ हो रहा है। इसी तरह से टैक्स की दर को कम करने की तरमीम हुई वह तो कंज्यूमर्स के सीधे हित में है। जिन चीजों पर हम समझते हैं कि दर बढ़ाने से जनता का फ़ायदा होगा, नुक़सान नहीं होगा वहाँ वह भी किया गया है। क्या यह भी केपीटलिस्ट्स के फ़ायदे के लिये है? इस के अलावा लोग यह समझते थे कि पहले साल पर टैक्स लगाने की वजह से मुश्किल होती है, तो हम ने यह आप्शनल (ऐच्छिक) कर दिया कि जो करेंट साल पर देना चाहें वह करेंट साल पर दें और जो प्रीवियस पर चाहें वह उस पर दें। इस में किसी केपीटलिस्ट का सवाल नहीं आता। बाकी जो सिंगल यूनिट की बात कही गयी वह भी कंज्यूमर्स के हित में है। दसों जगह पर जो टैक्स लगता है उसका भार कंज्यूमर पर पड़ता है। हम देखते हैं कि इस से पबलिक का नुक़सान होता है इस लिये हम ने यह किया कि वह ९ जगह टैक्स लगने से बच जाता है। जिस नुक्ते निगाह से ६, ७ संशोधन इस में किये गये हैं वह जनता के हित में किये गये हैं। अपीलेट अथारिटी का सवाल है वह भी इसी लिये है फखरुल इस्लाम साहब को जनता के हित का कितना ध्यान है वह तो उस संशोधन से मालूम हो जाता है जो उन के नाम में दर्ज है और जिस को पेश करने की हिम्मत वे इस लिये नहीं कर सके कि कहीं जनता की दुहाई देने से उनकी कलई खुल जाय। वह संशोधन यह था कि हर व्यापारी

[माननीय अर्थ सचिव]

के लिये चाहे वह १० रुपये का पनवाड़ी हो उसको भी रेजिस्ट्रेशन कराना होगा क्या यही ध्यान है उनको जनता का। आप की एक एक हरकत जनता के हित के खिलाफ है और दुहाई दी जाती है जनता की और कोसा जाता है केपीटलिस्टस को। छोटे दूकानदारों को परेशान करना है कैपिटेलिस्ट को परेशान करना नहीं है वह तो जनता को परेशान करना है। आज कैपिटेलिस्ट का नाम लेने वालों की अजीब हालत है, वह जनता का नाम तो कहने के लिए लेते हैं। असल में आप बिल की तरफ़ देखें तो एक खास बात मौलाना हसरत मोहानी ने कही कि आपने इसमें कन्जयूमर्स की शिकायतों का ख्याल नहीं किया है। यह मालूम होता है कि उन्होंने बिल की धाराओं को पढ़ा नहीं है। वह ज़रा ध्यान से सुनें कि इस बिल में पूरा पूरा प्राविजन है कि १२ हज़ार से कम के जो लोग हैं अगर वह नाजायज टेक्स लेते हैं तो वह टैक्स उनको अदा करना होगा और उसके अलावा उनको सजा भी होगी। इसलिए कि उन्होंने टैक्स क्यों लिया। अगर कोई ज्यादा टैक्स लेता है दर से, तो उससे भी वह ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया जायगा और वह सरकारी खज़ाने में जमा होगा, अगर वह किसी ऐसी चीज़ पर टैक्स लेता है जो उससे मुस्तसना है तब भी उसको सजा होगी और वह टैक्स उसे अदा करना होगा। यह सब इस क़ानून में साफ़ शब्दों में कन्जयूमर को बचाने के लिए ही और उसके हित में किया गया है यह जितनी बातें मैंने बतलाईं उनसे ज़ाहिर होता है कि इसमें जनता और कन्ज्यूमर का काफ़ी ध्यान रखा गया है। यह जरूर है कि हमने अलग २ फ़िरकों का तरीका नहीं बरता कि एक को बरबाद करे और दूसरों का भला करें। हमने तो आम जनता के हित का धाराओं में ध्यान रखा है। हम आशा करते हैं कि व्यापारी वर्ग भी इससे सन्तुष्ट हैं और उन्होंने संशोधन करने में हमें काफ़ी सहयोग दिया है और हमें उनसे आशा है कि बिल के अमल में लाने में उनकी सहयोग और मदद मिलेगी। हमें यह भी पूरा विश्वास है कि जनता को जब इन संशोधनों की इत्तला मिलेगी तो वह यह महसूस करेगी कि उसकी आज की कठिनाइयाँ बहुत कुछ दूर हो गई हैं और इस एक के मुताल्लिक़ जो एतराज़ात थे वह सब करीब करीब दूर हो गये हैं। आपने कुछ चीजों का नाम लिया कि उन पर टैक्स न लगना चाहिये। यह तो इसमें पहले ही से मौजूद था कि सरकार को अख्तयार होगा कि अगर कुछ चीज़ें मालूम होंगी तो विज्ञप्ति द्वारा सरकार उन चीज़ों को मुस्तसना कर सकती है और जैसे चीज़ें मालूम होती जायँगी उनका एलान होता जायगा। इस तरह से मूल एक्ट में जनता के हित का काफ़ी ध्यान रखा गया है। यह काफ़ी जनता के पक्ष में है। इसके बारे में यह कहना कि इसमें कैपिटेलिस्ट का ध्यान रखा गया है बिल्कुल गलत है और व्यापार का ध्यान रखा गया है और यह तिजारत बन्द करने वाला बिल नहीं है। हर तिजारत से जितना टैक्स वसूल किया जा सकता है उतना ही लगाया गया है। और जिससे तिजारत के बन्द हो जाने का खतरा है उतना नहीं लगाया गया है। यह कैपिटेलिस्ट का सवाल नहीं है यह तो जनता

का सवाल है । मैं आशा करता हूँ कि इस बिल को यह भवन सर्व सम्मति से स्वीकार करेगा

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर (संशोधक) बिल सन् १९४८ ई० को जैसा कि उसे इस भवन ने संशोधित किया है स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल

माननीय उद्योग सचिव—डिप्टी स्पीकर महोदय, यह एक मुख्तसिर सा बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया है इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि जिन तात्पर्यों के लिये, जिस मकसद के लिये यह बिल मैंने पेश किया है इस वक्त वह अहम और बहुत जरूरी है और मैं उम्मेद करता हूँ कि जिस काम के लिए यह बिल पेश किया गया है वह जल्द से जल्द हासिल हो जायगा । इससे हमारे सूबे के १ लाख ११ हजार गाँवों में क़रीब क़रीब ३० या ४० हजार गाँवों में आबपाशी और दूसरे तरक्की के जरिये हासिल हो जायँगे। इस बिल की मन्शा इस वक्त महज दो है, एक तो यह कि हमारे सूबे के पूर्वी २२ जिलों में आमतौर पर रिवाज है कि आबपाशी तालों से हुआ करती है । पिछले १५-२० बरसों में वह ताल मिट्टी से भर गये और यह जरूरी समझा गया कि अगर वह गहरे किये जायँ और सिंचाई के काम में लाये जायँ तो काश्तकारों की मदद होगी। ऐसा एक आन्दोलन सरकार की तरफ़ से चालू कर दिया गया है । दूसरे हमारे सूबे के गाँवों में लाखों टन खाद बनाने का एक आन्दोलन पिछले २, ४ महीने से चालू हुआ है जिसके लिये यह महसूस किया गया कि जगह जगह जिलों में जमीन पाने की दिक्कत होती है, हमने और हमारी एजेन्सीज ने जो जिलों में काम कर रही हैं इस बात की कोशिश की जमींदारों और बड़े बड़े काश्तकारों और ताल्लुकेदारों से जिनके पास जमीन है या तालों के मालिक हैं उनसे वह ताल ले लिये जायँ ताकि किसानों को सिचाई की आसानी हो । इसीलिए यह बिल पेश किया गया है कि आप इसके ज़रिये से सरकार को रिक्वीजीशन करने का हक़ दे दें। जहाँ कहीं पूर्वी २२ जिलों में तालाब खोदने या बढ़ाने के लिये या गहरा करने के लिये या खेत का गड्ढा खोदने के लिये ज़मीन की जरूरत हो तो उस ज़मीन को हम आरजी तौर पर हासिल कर लें, अपेक्षण कर लें। इस जमीन को गाँव में रहने वाले किसानों के खेतों की आबपाशी के लिये जिन तालाबों से होगी रजिस्टर्ड सोसाइटी के जरिये से हासिल करने की कोशिश की जायगी । मैं दो एक बातें जो आज और कल और परसों विरोधी दल के दोस्तों ने कही हैं मैं उनके बारे में आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ । कुछ अन्देशा बिला वजह किया जा रहा है कि हमारी मन्शा ऐसी जमीनों के लेने की भी है जिस जमीन से आमतौर पर हमारे मक़सद के अलावा दूसरे मक़सद भी हासिल हो सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को इतमिनान दिलाना चाहता हूँ कि इस बिल का साफ मकसद

[माननीय उद्योग सचिव]
यह है कि हम लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई तालाबों के जरिये थोड़े वक्त में कर सकें। साथ ही हम चाहते हैं कि हम गाँव के कूड़े करकट से ज्यादा से ज्यादा मिश्रित खाद बनाने की कोशिश करें। इसके लिये भी जमीन की जरूरत है और वह आसानी से नहीं मिल रही है। इन दो मक़सदों के अलावा हमारा कोई मक़सद नहीं है, आप देखेंगे कि इस मशविदे में एक छोटा सा क्लाज़ यह भी है कि अगर दो मक़सदों के अलावा तीसरे मक़सद के लिये सरकार हासिल करना जरूरी समझे तो फिर आपके सामने उन मक़सदों को रखेगी और वह जनता से सलाहमशवरा करेगी और वह अपनी तजवीज़ जनता के सामने रखेगी। अगर जनता की राय होगी और आप लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद यह जरूरत समझी गई कि किसी और मक़सद के लिए आरज़ी तौर पर जमीन हासिल करना जरूरी है तो हम फिर आप लोगों से पूछ कर रिक्वीजीशन(अधिकृत) करने का इन्तिजाम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मक़सद साफ़ है और थोड़ा है और वह ऐसा नहीं है जिससे कि किसी साहब को खास कर बड़े बड़े ताल्लुकेदारों और जमींदारों को अन्देशा हो कि हम उनकी जमीन बिला वजह लेना चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता। हमारा आन्दोलन इस वक़्त जारी है और अगर ताल के लिए और खाद के गड्ढों के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। साथ ही जो टारजेट हमने पिछले बजट के वक़्त पेश किया था हमारा मन्शा है कि हम उसे इस साल के आखिर तक पूरा कर सकें जबकि आप इस रिक्वीजीशन (अधिकृत) करने के क़ानून को बहुत जल्द पास कर दें और हमें अख्तियार दें कि हम सिंचाई के लिए क़ाश्तकारों की रजिस्टर्ड सोसाइटियों के जरिये या गाँव की पंचायत के जरिये से ऐसी जमीन या ताल को ले सकें जिससे सिंचाई हो सके और खाद के गड्ढे खुद सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बिल को बिला ज्यादा बहस के यह ऐवान मंजूर करेगा।

*श्री ऐज़ाज़ रसूल—जनाब वाला, मैंने जनाब मिनिस्टर साहब की तक़रीर सुनी जो कि निहायत सुन्दर तसल्लीबख्श और अच्छी है। लेकिन अगर बिल को पढ़ा जाय तो उसके मानी दूसरे मालूम होते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि यह बिल एक साल के लिए स्टेट्यूट बुक पर रहेगा या हमेशा के लिए।

*माननीय उद्योग सचिव—यह रिक्वीजीशन के लिए बिल है। हम इस वक़्त जो जमीन लेना चाहते हैं वह हमेशा के लिए नहीं ले रहे हैं जिस वक़्त उनकी जरूरत खत्म हो जायगी, जिस काम के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी ने उस जमीन को लिया है अगर वह उस काम में नहीं लायेगी तो फ़ौरन वह जमीन उसके मालिक को वापस कर दी जायगी। आप देखेंगे कि यह चीज़ हमारे मसविदे में मौजूद है।

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री ऐज़ाज़ रसूल—तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत में एक या दो साल के लिए जब तक कि जरूरत हो इसका ड्यूरेशन रख दिया जाय और अगर फिर इसकी जरूरत हो तो दोबारा इस हाउस में लाकर इसकी लाइफ एक्सटेंड कर दी जाय अगर इसमें कोई मुद्दत नहीं रहेगी तो यह परमानेंट हो जायगा और हमेशा गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद कर सकेगी।

अब मुझे इस बिल के ऊपर चन्द तनक़ीदें करनी हैं और वह यह है कि इस बिल के क्लाज़ २ में दिया हुआ है कि इस बिल का आबजेक्ट है—तालाबों को सिंचाई के लिए गहरा करना और गाँवों के कूड़े से खाद बनाना-तो जहाँ तक इन दो बातों का ताल्लुक़ है उनसे तो मुझे हमदर्दी है और मैं इस मामले में मिनिस्टर साहब को सपोर्ट (समर्थन) करता हूँ। लेकिन अगर सब क्लाज़ ३ को देखा जाय तो पता चलता है कि उसके ज़रिये गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत बड़े अख्तियार ले लिये हैं और उसमें लिखा कि गज़ट में नोटीफिकेशन (प्रकाशित) के बाद आबजेक्शन्स एतराज को खुद डिसाइड (निर्णय) कर देगी। इसमें क्या मुश्किल है अगर गवर्नमेंट उन आबजेक्ट्स को हाउस के अन्दर ले आवे। आप यह नहीं चाहते हैं कि आप इस हाउस को बतलावें कि और क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं जिनके लिए आप इस बिल को परमानेंट करना चाहते हैं। जो आपने सब क्लाज़ ३ में लिखा है उसमें तो कोई भी अग़राज़ व मक़ासिद आ सकते हैं। अभी हाल में गवर्नमेंट ने गाँव पंचायत ऐक्ट पास किया है। उसमें तमाम अग़राज़ व मक़ासिद दिये गये हैं। उसमें लिखा है कि इन इन जरूरतों के लिए लैंड (भूमि) एक्वीज़ीशन (प्राप्त) हो सकता है। आप उस क़ानून के मातहत भी ज़मीन ले सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस क़ानून को पास करके इतने अख्तियार क्यों लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लैंड एक्वीज़ीशन के क़ानून को किसी तरह से सरकम्वेंट करें।

मैं आपसे ऐग्री (सहमत) करता हूँ कि लैंड एक्वीजिशन कर लिया जाय। अगर कोई समझौता हो सके तो स्पीडली (तेज़ी से) तै कर दीजिये। लेकिन क्या खराबी है कि जो ऐक्ट परमानेंटली (स्थाई रूप से) है उस ऐक्ट को आप खतम कर देना चाहते हैं। लैंड इक्वीजिशन ऐक्ट और इस से पहिले जो टेम्पोरेरी हाउस रिफ़्यूजीज बिल आया था जिसमें यह था कि सिविल कोर्ट में अपील होगी। अगर कोई कम्पेन्सेशन आफिसर कम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) कम दे तो उसे अख्तियार होगा कि वह सिविल कोर्ट में अपील करे। यहाँ पर दफ़ा १२ की रूह में हम देखते हैं कि आपने लिखा है यानी वह अख्तियार भी आपने गवर्नमेंट को दे दिया है। कम से कम उतनी बात तो आ जाती जितनी उस बिल में जो हाउस में रिफ़्यूजीज के लिये प्रीमियर साहब ने मूव किया और पास हुआ कि सिविल जज को अख्तियार है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस क़दर जल्दी क्या है, गवर्नमेंट इतनी घबराहट में क्यों है कि यह बिल जल्दी ही पास हो जाय। पहली मई को तो यह बिल पब्लिश हुआ है और अभी चार, पाँच रोज़ भी नहीं

(श्री एजाज रसूल)
होने पाये कि आप चाहते हैं कि बिल पास हो जावे। अगर इतनी जल्दी थी तो बिल को अच्छी तरह से लाते। इसलिये जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से यह तजवीज़ करता हूँ कि यह बिल जो है इसको सेलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय और सेलेक्ट कमेटी इस पर ग़ौर करके इसको अच्छी तरह बना दे। अब आपने कहा फ़र्ज कीजिये कि सैकड़ों तालाब ऐसे हैं जिनमें काश्तकारों के धान होते हैं। इन बेचारे ग़रीब काश्तकारों के धान उन्हीं तालाबों में होते हैं। मैं कहता हूँ कि आप गहराई के लिये तालाब एक्वीजिशन कीजिये मगर उन तमाम काश्तकारों की ज़मीन से बेदखल कर दिया जाय तो यह कहाँ तक मुनासिब है। मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप बिल में यह लिख दीजिये कि वह तालाब लिये जायेंगे जिनमें खेती बारी न होती हो। उन तालाबों में जहाँ सिर्फ़ पानी भरा हुआ हो वे तालाब लिये जायेंगे। उन तालाबों में जहाँ धान की पैदावार होती है और किसानों के कब्जे में हैं और उनके आस-पास की आराजी काश्तकारों के कब्जे में है उनको इस बिल के जरिये से आप निकाल देना चाहते हैं। इधर तो आप चाहते हैं कि मुल्क में प्रोडक्शन बढ़े और इस बिल के जरिये से आप प्रोडक्शन कम कर देना चाहते हैं। इसलिये आपको जरा ठंढे दिल से समझ कर इस बिल को पास करना चाहिये। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे बिल को पास करने के पहले गवर्नमेंट को अवाम की, पब्लिक की राय लेनी चाहिये चाहे काश्तकार हो जमींदार हो या कोई भी हो उनकी पब्लिक ओपीनियन लेनी चाहिये। उसके बाद बिल आवे और पास किया जावे। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चाहिये कि वह सोचे कि क्यों उसने ६ महीने पहले इस बात पर ग़ौर नहीं किया और पहले इस बिल को नहीं लाया ताकि यह सवाल ही आज यहाँ पैदा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। पहली मई को बिल पब्लिश (मुद्रित) हुआ और गजट में आया। क़ायदे के मुताबिक तो ७ रोज के बाद बिल को पेश होना चाहिये था। लेकिन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने इस क़ायदे को वेव कर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट को पेश करने की इजाजत दे दी। इसके लिये हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कि बिल क्यों पेश किया गया। लिहाज़ा इसके ऊपर हमें कुछ नहीं कहना है। जो बिल पेश किया गया है उसमें बहुत से क्लाज़ ऐसे हैं जिनको आप देखें तो मालूम होगा कि उससे बहुत तकलीफ़ होती है। लैंड एक्वीजिशन के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है। इसमें आपने गजटेड आफिसर को अख्तियार दे रखा है। तहसीलदार भी अपने मौके पर गजटेड आफिसर होता है और जिस शख्श को चाहेगा खतम कर देगा। नतीजा यह होगा कि कोई ठीक बात नहीं होने पावेगी। यहाँ पर क्लाज २ (१) में अगर आप देखें कि गजटेड आफिसर का परपज़ डिफ़ाइन (व्याख्या) नहीं किया गया है, कहीं भी इसमें डेफ़ीनिशन नहीं दी हुई है। उसके अन्दर आपका क्या आबजेक्ट (ध्येय) है आप किस परपज़ (उद्देश्य) के लिये लैंड एक्वायर करेंगे यह अलफाज़ नहीं है इसलिए

आपके यह अग़राज़ और मक़ासिद इस क़दर मुबहम और ख़राब और ग़लत हैं, आख़िर जैसी सेल्स टैक्स बिल की हालत हुई कि उसके बारे में बाद में गवर्नमेन्ट ने सोचा और फिर दोबारा यहाँ तरमीम लाना पड़ी, वही हश्र इस बिल का होगा। लिहाज़ा इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी में चाहे एक रोज़ के लिये चाहे दो रोज़ के लिये अगर इसको भेज दिया जाय तो इसके अन्दर जो ग़लत चीज़ें हैं वह चीज़ें वहाँ पर रफ़ा कर दी जायेंगी। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम्पन्सेशन (क्षतिपूर्ति) क्लाज़ के अन्दर जो आपने यह रक्खा है कि जो दरख़्त काटे जायेंगे उनका कम्पन्सेशन (मुआविज़ा) दिया जायगा वरना नहीं दिया जायगा। लैंड एक्वीज़िशन के ज़रिये जो लैंड आप एक्वायर (प्राप्त) करते हैं उस पर जो दरख़्त होंगे और वह काटे जायेंगे तो वह उस ज़मीन के अन्दर तो आ जायेंगे उनसे काश्तकार का ताल्लुक़ है या ज़मींदार का ताल्लुक़ है। ज़मींदार कहेगा कि यह हमारी ज़मीन है। और काश्तकार कहेगा कि यह हमारी ज़मीन है। दोनों में आपस में झगड़ा होगा और जैसी कि आजकल लकड़ी की क़ीमत ज्यादा है इसलिये इस पर बहुत बुरा एफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने अपने अग़राज़ और मक़ासिद में यह कहा है कि यह स्कीम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स (पूर्वी ज़िलों) के लिये है। अगर आप उसमें कह देते कि यह स्कीम बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर डिवीज़न में लागू की जायगी और अगर ज़रूरत होगी तो फिर बाद को प्राविंस (प्रान्त) में और जगह भी लागू कर दी जायगी तो ज्यादा अच्छा हो जाता। मिनिस्टर साहब की स्पीच तो निहायत उम्दा, निहायत दिलचस्प, निहायत माक़ूल हुई और उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी राय में यह बिल जो है बिलकुल वेग है। जहाँ तक इसके मक़सद का ताल्लुक़ है अगर वह इस बिल में साफ़ यह लिख देते कि यह बिल सिर्फ़ इस चीज़ के लिये लावे तो मैं इसके लिये तैयार हूँ कि यह बिल एक मिनट में पास हो जाय। अग़राज़ और मक़ासिद को देखा जाय तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मिनिस्टर साहब ने कही हैं वह यह हैं कि :—

In order to increase the manurial resources of the province, Government have launched a scheme for preparation of village compost. It is necessary to requisition land the object of which is to presoribe an expeditious procedure for requisitioning of land for these purposes and for other similar objects which Government may specify after previous publication.

(प्रान्त में खाद के साधनों को बढ़ाने के लिये सरकार ने गाँवों में खाद्य तैयार करने की एक योजना तैयार की है। भूमि अपेक्षित करना आवश्यक है जिसका उद्देश्य यह है कि इन उद्देश्यों के लिये और ऐसे ही अन्य उद्देश्यों के लिये जिन्हें प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति करने के पश्चात् घोषणा करे, भूमि

[श्री एजाज रसूल]
अपेक्षित करने के लिये ऐसी विधि निर्धारित की जाय जिससे अल्प समय में यह कार्य हो जाये।)

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से आबजेक्ट्स हैं उनको लिखना चाहिए था और पूरी तरह से उनको तारीफ़ करनी चाहिये थी। पंचायत एक्ट पास हो गया पंचायत एक्ट के ज़रिये से आप तमाम सूबे में इन्तजाम कर सकते थे लेकिन इस चीज़ को हटाकर, हर दफ़ा के अन्दर आबजेक्ट्स (उद्देश्य) रखना चाहिए था। ग़नीमत है कि सेल्स टैक्स के अन्दर बाद में अमेंडमेंट हो गया और आपने सिविल राइटस दे दिया। मगर इन चीज़ों को ठीक करने के लिये वक़्त की ज़रूरत होगी इसीलिये मेरी यह तजवीज है, डिमांड (माँग) है, मेरा यह प्रपोज़ल (प्रस्ताव) है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय चाहे एक रोज़ के लिये ही सही। वहाँ से उसके बाद यहाँ आ सकता है तो वहाँ पर यह ठीक कर दिया जायगा। आप पास तो इसको कर ही लेंगे, अपोज़ीशन की आवाज़ आपकी अक्सरियत के सामने नहीं टिक सकती लेकिन इसके अन्दर जो खामियाँ हैं जो कमी हैं वह सेलेक्ट कमेटी में ठीक हो जायेंगी तो फिर यहाँ हाउस में इसको पास करने में ज़रा भी मुश्किल और देर नहीं होगी और जो भी वहाँ से छोटी-मोटी बात रह जायगी वह यहाँ पर ठीक कर ली जायगी और आप चाहें तो यहाँ हाउस में सब बातें ठीक हो सकती हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक़्त लगेगा।

मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। अगर मिनिस्टर साहब को ज़रा सा भी पब्लिक का और अवाम का खयाल है तो मेरे इस प्रपोजिशन को कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में रख दिया जाय उसको मंजूर फरमावेंगे।

***श्री भगवानदीन मिश्र**—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, विकास सचिव महोदय ने जो बिल आज भवन के सामने पेश किया है इसका मैं स्वागत करता हूँ और चन्द शब्दों में इसका समर्थन भी करना चाहता हूँ। इसकी आवश्यकता तो इससे कहीं पहले से थी। आज आपके सूबे के सामने और सिर्फ सूबे के सामने ही नहीं बल्कि आपके भारतीय संघ के सामने अन्न की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अन्न का उत्पादन अगर बढ़ाया नहीं जाता है तो किसी तरह से भी मुल्क की अवस्था को सन्तोषजनक नहीं बनाया जा सकता और अन्न के उत्पादन के लिये सिंचाई और खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी आपके यहाँ सिंचाई का समुचित प्रबन्ध सूबे में मुश्किल से हो सका है और बहुत थोड़े से हिस्से में सिंचाई का प्रबन्ध है। आजकल सामान के न मिलने के कारण कुएँ भी अच्छी तरह से बनाये नहीं जा सकते। मैं तो यह कह सकता हूँ कि तालाब जितने सिंचाई के लिये पहले इस्तेमाल किये जाते थे ज्यादातर वह पट्टों पर उठा दिये गये हैं। उसके अलावा बहुत से तालाबों पर लोगों ने क़ब्जा कर लिया है और वह काफी छिछले हो गये हैं। उनमें पानी नहीं इकट्ठा हो सकता और सिंचाई के ज़माने में बराबर इस पर लाठी चलती है और किसी

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तरह से भी सिंचाई का काम पूरा नहीं होता। इसलिये यह बिल जो गवर्नमेन्ट इस भवन के सामने लाई है बहुत ही आवश्यक है। हमारे एक महाशय ने जो अभी यह कहा कि इतनी जल्दी क्या है सो मैं आपके सामने यह साफ़ तौर से रख देना चाहता हूँ कि इसकी तो बहुत जल्दी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की जाय क्यों कि यह काम शुरू तो कर दिया गया लेकिन इस काम में बहुत बड़ी दिक्क़तें पड़ रही हैं। मैं अपने ज़िले का अनुभव आपसे कह सकता हूँ कि कुछ लोगों ने तालाबों के पट्टे कर दिये हैं। कुछ लोगों ने तालाबों पर क़ब्जा कर रखा है जिसकी वजह से किसान उसमें से एक डोल पानी भी नहीं निकाल सकते। इसलिये इस बिल की आवश्यकता है। इस बिल के पास करने से आप जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा तालाबों पर कर लिया है और नाजायज पट्टे कर दिये हैं उनकी समुचित व्यवस्था करने के लिये कलक्टर को यह अख़्तियार होना चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी उन तालाबों को अपने अधिकार में ले ले और उसको इधर बरसात के पहले अगर गहरा करा दिया जाय तो जनता को काफ़ी फ़ायदा अगली फसल में हो सकता है।

मैंने यहाँ पर यह बात देखी कि ज्यादातर लेजिस्लेचर के सामने क़ानूनी बातें पेश की जाती हैं कि साहब अभी ५ दिन नहीं हुए अभी नोटिस पूरी नहीं हुई अभी तो विधान के लिहाज़ से यह चीज़ नहीं आनी चाहिये यह नहीं देखा जाता कि कौन सी आवश्यक चीज ऐसी है कि जिसको हमें जल्दी से जल्दी पूरी करना है और अन्न की समस्या जो देश के सामने और सूबे के सामने उपस्थित है उसे हल करना है। उस समस्या के हल करने के लिये हमको खाद की और जल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई के लिये जो भी क़ानून हम जल्दी से जल्दी पास कर सकें वह हमें पास करना चाहिये और किसानों के लिये सिंचाई और खाद बनाने का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि अन्न उत्पादन काफी मात्रा में हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

एक बात इसके साथ और कही गयी है कि साहब इससे तो बहुत बड़ा नुक़सान होगा और वह यह नुक़सान होगा कि तालाबों में खेती कर ली गयी है। तो बजाय इसके कि फ़सल ज्यादा बढ़ाई जाय कम हो जायगी। मैं इस विचार के सम्बन्ध में क्या कहूँ? यह तो एक सोचने की बात है कि अगर तालाबों के ज़रिए से सैकड़ों किसान अपनी खेती को सींच सकते हों जिससे कि कहीं ज्यादा उत्पादन बढ़ सके इसके बजाय अगर किसी जमींदार या किसी जबरदस्त क़ाश्तकार ने किसी तालाब पर कब्ज़ा कर लिया हो तो किसमें अधिक लाभ है। और इस बिल का मक़सद यही है कि उनके ज़रिए से किसानी सींची जा सके और किसानी की तरक्क़ी की जा सके। उस पर जो नाजायज क़ब्जा कर लिया गया है जिससे कि किसान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाय और अधिक से अधिक

किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाय। इस बिल का यही मक़सद है, यही लक्ष्य है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह बहुत ठीक समय से लाया गया है। इसमें ज़रा सी भी देरी नहीं होनी चाहिये। दो महीने आपके सामने हैं। इनमें किसान जुट कर अगर तालाबों को खोद लेंगे और उसके बाद जो काफ़ी जल बरसात में इकट्ठा हो सकेगा उससे अगली फ़सल में, जो रबी की फ़सल आवेगी, काफ़ी उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा।

जहाँ तक कम्पोस्ट खाद के प्रबन्ध का सवाल है मैं जानता हूँ कि गाँवों में किसानों के पास कोई भी ज़मीन बाक़ी नहीं है जिसको लोगों ने पट्टा पर नहीं उठा दिया है। छोटे छोटे ज़मींदारों ने, और बड़े बड़े ज़मींदारों ने, जो गवर्नमेंट का एक आर्डर जारी हुआ कि अन्न उत्पादन के बढ़ाने के लिये जो पर्ती जमीनें हैं उनको उठा दिया जाय, उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि जो वास्तव में पर्ती ज़मीनें थीं उनको अपने परिवार या मुख्तार के नाम पट्टा कर दिया है। और जो किसानों के दरवाज़ों पर ज़मीनें थीं, उनका पट्टा कर दिया है। ऐसी सूरत में वह खाद कहाँ तैयार कर सकते हैं, इसलिये इस बिल के ज़रिये से बहुत ही आवश्यक चीज़ें लाई गई हैं। मैं खुद ग्राम सुधार में गड्ढे खुदाने के सिलसिले में गाँवों में घूम चुका हूं और जो कठिनाइयाँ मेरे सामने आई हैं, उनका मैं अनुभव कर चुका हूँ। ऐसी सूरत में इस बिल द्वारा बहुत ही आवश्यक काम-अन्न बढ़ाने के लिये खाद और सिंचाई का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया गया है। यह बिल जल्द से जल्द भवन पास करे ताकि आवश्यक सुविधायें अन्न उत्पादन की बढ़ सकें और भारतीय संघ का उपकार कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

***श्री मुहम्मद जमशेद अली खां**—जनाब वाला, इस बिल के सिलसिले में सब से पहले मुझे इस मामले पर अपने ख्याल का इज़हार करना चाहिये कि इसकी ज़रूरत बिल की लाने की थी या नहीं और क्या जल्दी है और खास ज़रूरत है जिसकी वजह से यह बिल लाया गया। बहैसियत उस शख्स के जिसका ताल्लुक़ खेती बारी से है और जिसके खाने पीने का इनहिसार ज़मीन पर है, मैं यक़ीन के साथ कह सकता हूँ अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कि इस बिल को जल्द से जल्द लाने की ज़रूरत यक़ीनी थी। लेकिन मुझे तो शिकायत यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस जल्दी की ज़रूरत को महसूस नहीं किया। मेरे ख्याल में यह बिल इससे पहले लाना चाहिये था। मगर शिकायत जो कुछ है वह यह है कि आप ऐसे ज़रूरी बिल को इतने थोड़े वक्त में लाये हैं कि जिससे इस बिल पर ग़ौर करने का मेम्बरान को मौक़ा नहीं मिला। इसको मंशा यह नहीं है कि इस बिल को लाने की ही ज़रूरत नहीं थी। इस बिल को बेशक़ जल्द लाना चाहिये था और सब से पहले लाना चाहिये था ताकि मेम्बरान को इसके ऊपर ग़ौर करने का क़ाफ़ी मौक़ा मिल जाता और बेहतर तो

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यह था कि इससे पहले जो सेशन हुआ है उसी में यह पेश कर दिया जाता। अब सवाल यह रह जाता है कि यह बिल जैसा कि नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने फरमाया है सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। मुमकिन है कि गवर्नमेंट इस तरीके से समझे कि यह डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। मैं इसके ऊपर इसरार नहीं करता। कि आप लाज़िमी तौर पर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजें। लेकिन यह मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बिल के अन्दर अक्सर बातें ऐसी हैं जिन पर ग़ौर करना है। अगर मिनिस्टर साहब इन्चार्ज इन चीज़ों को इस बिल से अलाहदा करदें तो कम से कम मैं इसके ऊपर इसरार नहीं करूँगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। आनरेबिल मिनिस्टर इन्चार्ज ने बड़ी हमदर्दाना तक़रीर और बड़े साफ़ तरीक़े की तक़रीर फरमाई है जबकि उन्होंने इस बिल को पेश किया। लेकिन मैं आनरेबिल मिनिस्टर से यह अर्ज़ करूँगा कि जिस वक़्त यह क़ानून बन जायगा तो उस वक़्त प्रोसीडिंग्ज़ बुक से आनरेबिल मिनिस्टर की तक़रीर को निकाल कर कोई नहीं देखेगा उनकी तक़रीर पर अमल नहीं होगा। बल्कि उन अलफाज़ पर अमल होगा जो क़ानून की किताब के अन्दर मौजूद रहेंगे। अगर कहीं यह होता कि आनरेबिल मिनिस्टर की तक़रीर के ऊपर फ़ैसला होता और क़ानून के अलफाज़ पर फ़ैसला नहीं होता तो मुझको इस बिल के मुताल्लिक़ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। हुज़ूर वाला, इस बिल के अन्दर मुझसे पहले भी बयान किया जा चुका है कि दो ख़ास ज़रूरतें थीं। तालाब जो सील्ड अप हो चुके हैं जिनके अन्दर रेता भर गया है जो आबपाशी का काम नहीं दे सकते हैं उनकी सफाई और दुरुस्ती होना एक ऐसा काम है कि कौन शख्स जो ज़मींदार है या ज़मीन के मुताल्लिक़ समझता है ऐसा हो जो इन सब बातों के लिये इन्कार कर सके कि इनकी ज़रूरत नहीं है या जल्द से जल्द पूरी नहीं करनी चाहिए। या इस ज़माने से बेहतर और ज़माना बेहतर हो सकता है। अब रह गई दूसरी ज़रूरत जो ख़ास तौर से बयान की गई है और वह यह कि खाद बनाने के लिये गड्ढों की ज़रूरत है। यह भी ऐसा काम है जो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यक़ीनन इसके लिये अगर ज़मीन की ज़रूरत हो तो वह हासिल की जानी चाहिए। क्लाज़ (२) के आख़िर में जो मुहलम कर दिया गया है उसके मुताल्लिक़ मैं यह अर्ज़ करूँगा कि वह तमाम डिलीट कर दी जायँ। अगर ऐसा कर दिया गया तो बहुत कुछ मुख़ालफ़त कम हो जायेंगी।

दूसरी बात इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज़ करना है कि कम्पेन्सेशन के मुताल्लिक़ मुआवज़े के मुताल्लिक़ आप उसी उसूल को क्यों नहीं क़ायम रखते जो आपने लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट में रखा है कि जो मसला कोर ग़ौर हो वह सिविल कोर्ट से फ़ैसल हो। यह मसला ऐसा है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। मुझे उम्मेद है कि अगर आनरेबिल मेम्बर यह गवारा करना फ़रमायें तो इसी पर यह मामला तय हो जायगा और

फिर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं होगी। अगर यह न मानी जायें या और जो वरबल चोज़ पेश की जायें अगर वह भी न मानी जायें तो कोई चाराकार नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी में ग़ौर किया जाये। अगर आप इसकी भी मुखालफ़त करते हैं तो मैं कहूँगा कि यह निगेशन (हटना) होगा डेमोक्रेसी के उन राइट्स का जो इस ऐवान के मेम्बरान को हासिल हैं। उनको यह हुकूक क़ानूनी तौर पर हासिल हैं कि जो कोई लेजिसलेशन पास होना हो उसके लिए उनको काफ़ी ग़ौर व फ़िक्र का मौक़ा मिलना चाहिए ताकि वह ज़िम्मेदारी के साथ उसे पास कर सकें। हैप हैज़ार्डली कोई चीज़ नहीं होना चाहिए।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—यह बहुत क़ब्ल अज़ वक्त है कि इस पर बहस ख़त्म कर दी जाये।

श्री वीरेन्द्र शाह—डिप्टी स्पीकर महोदय, जो बिल इस भवन के सामने है उसके बारे में मुझे यह अर्ज़ करना है कि गवर्नमेंट ने जिस काम के लिये यह बिल पेश किया है वह बहुत ज़रूरी है और खेती बारी के काम के लिये जो तजवीज़ पेश की गई है वह ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह अर्ज़ करना है कि गवर्नमेंट को स्कीम बहुत दिनों से थी फिर क्या वजह है कि जब एक महीना इजलास हुआ था तब यह बिल भवन के सामने क्यों नहीं आया। हम लोगों को मौक़ा नहीं मिला कि इस पर अच्छी तरह से ग़ौर कर सकें, इसकी ख़ामियां देखें और गवर्नमेन्ट के सामने अपने सुझाव रखें। इस वक़्त बिल जल्दी में पेश किया है। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि अभी नवाब साहब ने जैसा अर्ज़ किया था इस में धारा २ की उपधारा 'ग' को निकाल दें तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है पूरा हो जाता है और मेरी समझ में इसमें जो एक बात छोड़ दी गई है जिससे धोखा पैदा हो सकता है वह दूर हो जायेगा इसको पढ़े देता हूँ। 'कोई अन्य उद्देश्य जिसे प्रान्तीय सरकार गजट में छापने के पश्चात् और ऐसे विरोधों और प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् जो इस तरह प्राप्त होते हैं गजट में घोषित करे वह खेती के विकास में या ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के जीवन में सुधार करने के लिये आवश्यक होंगे।' मैं कहूँगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ख़ास उद्देश्य को साफ़ कर दिया है। उसके साथ में इसका जोड़ना ठीक नहीं मालूम होता। अगर इसको निकाल दिया जाय तो अच्छा होगा। दूसरे गवर्नमेंट ने जो संशोधन धारा १२ में यह तजवीज़ किया है उसके लिये, जैसा कि नवाब साहब ने कहा है कि वह रिक्वीजीशन ऐक्ट में मौजूद है उस हिसाब से ज़मीन ली जावे जिस हिसाब से मुआविज़े का रेट रखा गया है। नये तरीक़े की आवश्यकता नहीं है। इन तजवीज़ों के साथ में यह चाहूँगा कि

गवर्नमेंट उनको मंजूर कर ले तब तो इस बिल में हम को कोई विरोध नहीं है वर्ना उस को सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और पुनः उस पर विचार होना चाहिये।

श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, जो यह बिल हमारे सामने है उनकी दफ़ात बहुत गौर से मैंने पढ़ी और समझने की कोशिश की। जहाँ तक बिल की अहमियत का सवाल है कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि बिल बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मेरे और दोस्तों ने कहा कि गवर्नमेन्ट ने इसमें बहुत देर की और इसकी तरफ़ तवज्जह बहुत पहले करना चाहिए थी। मैं तो यह कहता हूँ कि महीने भर पहले या साल भर पहले ही बल्कि ३९ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट बरसरे इक़्तदार आई थी उसी वक़्त उसको यह सोचना चाहिए था कि यह मसला ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये बड़ा अहम है। उस तरफ़ खेती के लिये पानी की बहुत कमी है। नहरों का कोई इन्तज़ाम नहीं है। तालाब ज़मींदारों की वजह से खराब होते चले जाते हैं।

मुझे ताज्जुब है कि गवर्नमेन्ट जो अपने को काश्तकारों का नुमाइन्दा बतलाती है। जहाँ तक काश्तकारों का ताल्लुक़ है उनके मुताल्लिक़ ऐसी दफ़ात रख दी है जिनसे काश्तकारों को सख्त नुक़सान है। मैं चाहता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस मसले पर ध्यान दें और गौर करें। जहाँ तक ज़मींदारों का ताल्लुक़ है उन्होंने बड़े बड़े नज़राने क़ाश्तकारों से लेने के बाद तालाबों को उठा दिया और उन ग़रीब किसानों ने १० वर्ष के अन्दर अपनी गाढ़ी कमाई से उस पर मेंड़ें बनाईं। इन मेंड़ों के बनाने के लिए एक एक काश्तकार को हज़ारों रुपया सर्फ़ करना पडता है। मेंड़ आप जानते हैं कि एक रोज़ में तैयार नहीं होती हैं। कई वर्षों के बाद और हजारों रुपया सर्फ़ करने के बाद वह तैयार होती है। ज़मींदारों ने तो बहुत आसानी से ५ सौ, हज़ार रुपया एक बीघा के हिसाब से नज़राना ले लिया तालाब की ज़मीन स्याह मिट्टी की ज़मीन होती है। खेती के लिये अच्छी होती है। तालाब के पानी को रोकने के लिये पहले वह मेंड़ें बनाते हैं। १ हज़ार रुपया पहले साल, ७ सौ रुपया दूसरे साल, छः सौ रुपया तीसरे साल, ३ सौ रुपया चौथे साल, और दो सौ रुपया पाँचवें साल वह सर्फ़ करते हैं तब जाकर कहीं वह मेंड़ें बना पाते हैं और इस तरह पानी रोकते हैं। यह बिल जब ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के काश्तकारों पर लागू होगा तो किसी एक काश्तकार नहीं बल्कि लाखों काश्तकारों के खिलाफ़ आप का यह बिल होगा जो कि आपके एक स्ट्रोक आफ पेन से इस क़ानून के ज़रिये तबाह हो जावेंगे उनके लिये आपने क्या सोचा है। उनके लिये क्या रवैया अख्तियार किया है। मुझे हैरत हुई कि बिल बनाते वक़्त आपने यह साफ़ नहीं किया कि आप उनके लिये क्या करना चाहते हैं। अगर आप ज़मींदारों के तालाब हासिल करना चाहते हैं तो आप एक

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

पैसा न दें और हासिल कर लें मुझे कोई शिक़ायत नहीं। लेकिन जिन काश्तकारों ने खेत बनाये हैं पहले उनका तो इन्तज़ाम कीजिये लेकिन उसके लिये आपको कुछ और करना होगा यह नहीं कि आप दफ़ा ३ के अन्दर यह कर दें कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर जो फ़ैसला कर देगा वही हो जायगा। मैं समझता हूँ कि मार्केट वैल्यू (बाजार भाव) रेट पर १० परसेंट दी जाती है। एक बीघा खेत है तो मुआविज़ा तो २० रुपया मुआविज़ा तो आप के क़ानून से मिलता है लेकिन उसका तो हज़ारों रुपये का नुक़सान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपका कम्पेन्सैशन का प्रिन्सपिल ग़लत है। आपने क्या किया है कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर को आपने अख्तियारेकुल बना दिया है कि जो फ़ैसला वह करेगा उसकी अपील नहीं होगी क्या यही डिमाक्रेसी (प्रजातन्त्र) है जिसके मातहत आप लैंड (भूमि) अक्वायर प्राप्त करना चाहते हैं यह तो बिलकुल अनजस्ट है, जुरिप्रोडेंस के खिलाफ़ है। आपको चाहिये कि जब आप लैंड अक्वायर करते हैं तो लैंड अक्वीज़ीशन एक्ट के प्रिंसिपिल्स को एप्लाई कीजिये।

माननीय उद्योग सचिव—मैं इसे अपने दोस्त की ग़लतफ़हमी कहना चाहता हूँ। उन्होंने फ़रमाया है कि लैंड अक्वीज़ीशन एक्ट के मातहत ज़मीन लेनी चाहिये। मैंने नहीं समझा कि उन्होंने इस क़ानून को पढ़ा भी है। इसमें उसका सवाल ही नहीं उठता जिस जोशोखरोश से तक़रीर की जा रही है उसके बजाय ठंडे दिल से समझें तो समझ में आ जायेगा।

श्री फखरुल इस्लाम—मुझे अफ़सोस है कि मुझे अब आनरेबिल मिनिस्टर के लिये एक एक बिल पढ़ना होगा क्योंकि अब तो मुझे यह बतलाना है कि कहाँ पर यह रखा है।

The compensation officer shall in fixing the amount of compensation, have regard to (i) the rent, if any, assessed on the land which has been requisitioned; (ii) the sayar income, if any, derived from such land.

(प्रतिकर पदाधिकारी प्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुये निश्चित करेगा :—(१) कोई लगान, जो अपेक्षित की हुई भूमि पर निर्धारित किया गया हो,(२) सायर की कोई आय जो ऐसी भूमि से होती हो)।

सब से पहला उसूल यह है कि जो लैंड अक्वीजीशन एक्ट बना हुआ है उस की रोशनी में हमको अमल करना चाहिये, जैसा कि हमने शरणार्थियों के एक्ट को पास करते हुये यह प्रिंसिपिल इम्बाडी कर दिया है। लैंड अक्वीजीशन एक्ट के मातहत गजेटेड आफ़िसर का फ़ैसला नातिक़ न होगा। वह १५ आने के स्टाम्प पर स्तग़ासा दे सकता है उसके खिलाफ़ फ़ैसला होने पर उस पर मुक़दमा चलेगा। यह सब दरवाज़े आपने बन्द कर दिये जिसे मैं समझता हूँ कि यह क़ानून ग़लत है, जस्टिस के खिलाफ़ है और जुरिस्प्रोडेंस के

खिलाफ हैं। आप कहते हैं कि लैंड अक्वीजिशन एक्ट का कोई सवाल नहीं। लेकिन आपको क्या हक़ है लैंड एक्वीजिशन का। मुझे मंजूर है कि आप टैक्स बनायें लेकिन आपको क्या हक़ है कि जो उसके मुआविज़े का तरीक़ा रायज है उसे छोड़ करके आप एक नया तरीक़ा अख्तियार करना चाहते हैं। आपने क्या किया है कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर जो कर दे वही होगा और उस फ़ैसले की नजरसानी यू० पी० गवर्नमेंट करेगी। लेकिन आपको काम कितना पड़ जाता है। आप एक तरफ़ तो कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक काम करते हैं थक जाते हैं नतीजा यह होगा कि आपको २, ४ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ और २, ४ मिनिस्टर्स की और ज़रूरत पड़ जायेगी।

जब आपके क़ानून मौजूद हैं, तरीक़े मौजूद हैं, लैंड ऐक्वीजीशन आफ़िसर्स मौजूद हैं, उसकी अदालतें मौजूद हैं हाकिम मौजूद हैं, जहाँ पर इन्साफ़ हो सकता है तो फिर आप क्यों उस उसूल को तोड़ते हैं? यह क्या इन्साफ़ है कि आपने किसी काश्तकार की ज़मीन है उस पर उसने एक हजार रुपया लगा कर उसकी तरक्क़ी की और तमाम बातें कीं लेकिन अब आप उससे कहते हैं कि तुमको बीस रुपया दिया जायगा और चालिस रु० दिया जायगा और तुम्हारी ज़मीन ले ली जायगी। यह कहाँ का इन्साफ़ है? आप तो काश्तकारों के बड़े हमदर्द हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी पालीवाल जी के तरीके को न अपनावें। उन्होंने कहा कि साहब जनता पार्टी के लोग जनता के कैसे कहला सकते हैं जब वे इलेक्शन में नहीं उतरे। और साहब अगर जनता पार्टी के लोग एलेक्शन में उतरे होते तो आपको एलेक्शन में वोट कहाँ से मिले होते। हमने तो आपसे हमदर्दी की लेकिन उसका सिला यह मिला कि आप के ख्याल में जनता के हम लोग नहीं हैं। उस चीज़ को छोड़ दिया। हमने तो उस ख्याल को ही तर्क कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर इस चीज़ पर ध्यान देंगे जो मैंने कही है और सोचेंगे कि आखिर इससे काश्तकारों का क्या हश्र होगा। इस वजह से मैं ऐसी तरमीम रख रहा हूँ कि आप इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दीजिये। इसमें ऐसी खामियाँ रह गई हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। यह चीज़ दुरुस्त हो सकती अगर आप सेलेक्ट कमेटी वाली बात मन्ज़ूर कर लें। मेरे दोस्त जो झांसी के तक़रीर कर रहे थे मुमकिन है उनके यहाँ तालाब खोदने का वक़्त आ रहा हो, तालाब खोदने का ज़माना आ रहा है। हमारे यहाँ तालाब खोदने का ज़माना गुज़र गया। हमारे यहाँ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तालाब खोदने का ज़माना माघ का महीना होता है। १५ दिसम्बर से १५ मार्च तक वह वक़्त होता है जब तालाब खोदे जा सकते हैं। गड्ढे बनाये जा सकते हैं।

श्री भगवानदीन मिश्र—किसान खुद खोद लेते हैं मज़दूरों की ज़रूरत नहीं होती।

श्री फ़खरुल इस्लाम—किसान भी मजदूर ही होता है। जितने किसान हैं आज कोई खलिहान पर हैं, कोई ऊख के काम पर लगा हुआ है। इस वक़्त मजदूर मिलते नहीं हैं, मजदूर तो मिलते हैं माघ में। अभी तो यह बिल यहाँ से पास हो जायगा यहाँ से गुज़रने के बाद अपर हाउस में जायगा उसके बाद गवर्नर की कन्सेन्ट, स्वीकृति के लिये जायगा। इसमें एक दो महीने जरूर लगेंगे। १५ जून से बारिश शुरू हो जायगी बारिश हो जाने के बाद तालाब भर जायेंगे उन्हें खोदा नहीं जा सकेगा। आपका यह लेजिस्लेशन तो लेट है ही। तब तक आप इसको सेलेक्ट कमेटी में लीजिये। पब्लिक की ओपीनियन मालूम हो दिसम्बर के महीने से जब फिर काम शुरू होगा तो आप ज़मीनों को ले लीजियेगा। उनको मुनासिब मुआविज़ा देकर ले लीजियेगा, हासिल कर लीजियेगा। अगर आप बग़ैर मुआविज़ा दिये हुये ले लेते हैं तो वे ग़रीब तबाह हो जावेंगे। जो क़ाश्तकार ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वे बड़े ग़रीब हैं। उनकी ज़मीन को खिलाफ़ क़ायदा बिना मुआविज़ा दिये हुये ले लेना मुनासिब नहीं होगा।

माननीय उद्योग सचिव–आपकी राय में क्या है कि नजराना दिया जाय।

श्री फख़रुल इसलाम—नज़राना देना भी मुसीबत है। मगर इसी तरीक़े से और मसले भी ले लें आप खेत लेने के लिए मजबूर हैं, मैं आपको बतलाऊँ कि आप क़ानून के बाद क़ानून पास कर देंगे और बाहर चले जायँगे, आप के कितने ही पायस इरादे हों लेकिन उनको जनता तो नहीं जानती और उसका मरन होगा, इसलिए आपको लेजिसलेचर में जल्द से जल्द क़ानून पास करने से कोई फ़ायदा न होगा, आप इसकी जुलाई के सेशन तक रोक दीजिए, उस वक़्त आप ज्यादा अच्छा इसको बना सकेंगे इस दौरान में आप पटवारियों से पूछ लीजिए कि कितने क़ाश्तकारों ने तालाबों में खेत बना लिए हैं इसका क़ाश्तकारों पर भारी असर होगा, अगर ऐसा है तो आप उन किसानों को कैसे कम्पैनसेट करेंगे आप उनको मुनासिब मुआवजा दें आप अपनी स्कीम को जारी रखें और उस पर मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आप ने कम से कम कुछ तवज्जह तो की और देर नहीं की। अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें तो कोई नुक़सान न होगा और यह सब काम दिसम्बर से शुरू हो सकता है, इस दौरान में पटवारियों और तहसीलदारों से पूछ लें ताकि क़ानून बनने पर फ़ौरन नाफिज़ कर दिया जाय, इससे आपका और क़ाश्तकारों का किसी का कोई नुक़सान न होगा और किसी को कोई शिक़ायत न होगी।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १७ मिनट पर दूसरे दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ:
५ मई, सन् १९४८ ई०

नत्थी 'क'

(देखिए प्रश्न सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६० पर)

नक़शा जिसमें सिंचाई उप विभाग के चीफ इंजीनियरों और कृषि विभाग के चीफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर की योग्यताएँ और उम्र दी गई हैं।

नाम	योग्यताएँ	उम्र वर्ष	उम्र मास	जन्म तिथि
सिंचाई उप विभाग के चीफ इंजीनियर				
१. कुंअर वलवीर सिंह आई० एस० ई०	बी० एस० सी, इलाहाबाद से सी० ई०, थामसन इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की से। इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स के असोशियेट मेम्बर।	५३	६	१२ अक्टूबर, १८९४
२. श्री पीतमचन्द अग्रवाल आई० एस० ई०	बी०एस०सी० इलाहाबाद से टी० सी० ई० कालेज रुड़की से सिविल इंजीनियर। इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया के मेम्बर। अमेरिकन सोसायटी आफ सिविल इंजीनियर्स के मेम्बर।	५२	४	जनवरी, १८९६
३. श्री सुमेर चन्द आई० एस० ई०	बी० ए० इलाहाबाद से टी० सी० ई० कालेज, रुड़की से सिविल इंजीनियर। इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया के मेम्बर।	५३	२	१४ फरवरी, १८९५
चीफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर				
श्री पी०एस० विश्वनाथन	मैथेमैटिक्स और साइंस में इंटरमीजियेट। मद्रास इंजीनियरिंग कालेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री।	५०	४	२४ दिसम्बर, १८९७

नत्थी 'ख'

(देखिए प्रश्न सं० ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

एक नक़शा जिसमें सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में ज़िला गढ़वाल में जिन लोगों की मालगुजारी जब्त कर ली गई थी और जिनके बन्दूकों के लाइसेंस मंसूख़ कर लिये गये थे उनमें से उनके नाम जिन्होंने अपनी मालगुजारी की वापसी के लिये और बन्दूकों के लाइसेंसों को फिर से जारी करने के लिये सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजे हैं।

नाम	मालगुजारी की वापसी के लिये या बन्दूकों के लाइसेंस को फिर से जारी करने लिये
१—ठाकुर नरायन सिंह थोकदार, गाँव परसोली ज़िला गढ़वाल	मालगुजारी
२—ठा० घानसिंह नेगी गाँव कांडी, जिला गढ़वाल	,,
३—ठा० बलवन्त सिंह रावत, जिला गढ़वाल	,,
४—ठा० नरायन सिंह रावत गाँव परसोली मसाव पट्टी मिजिरु पोस्ट आफिस डूंगरी, ज़िला गढ़वाल।	बन्दूक का लाइसेंस

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बृहस्पतिवार, ६ मई, सन् १९४८ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१४०)

अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुलमजीद ख्वाजा
अब्दुल हमीद
असग़र अली ख़ाँ
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज़रसूल
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द पुरी
कुञ्जबिहारीलाल शिवानी
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
केशव गुप्त
केशव देव मालवीय, माननीय श्री
खान चन्द गौतम
खुश वक्त राय
खूबसिंह
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण, सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गंगा सहाय चौबे
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ बख्श सिंह
जमशेद अली ख़ाँ
जमालुद्दीन अब्दुलवहाब
ज़ाहिद हसन
ज़ाकिर अली
ज़हूर अहमद
जैपाल सिंह

जैराम
त्रिलोकी सिंह
दयाल दास, भगत
दाऊ दयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु
दीप नारायण वर्मा
धर्म दास, एलफ्रेड
नफ़ीसुल हसन
नारायण दास
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्राग नारायण
प्रेम किशन खन्ना
फ़ख़रुल इस्लाम
फ़तेह सिंह राणा
फ़ैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल
फूल सिंह
फ़ैयाज़ अली
बदन सिंह
बन्शीधर
बनारसी दास
बल्देव प्रसाद
बलभद्र सिंह
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
विजयानन्द
बीरेन्द्र शाह
भगवान दीन
भगवान दीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
मंगला प्रसाद
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खाँ
मिजाजी लाल
मुकुन्द लाल अग्रवाल
मुज़फ्फ़र हसन
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद)
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद याक़ूब
मुहम्मद रज़ा खाँ
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शौकत अली खाँ
यज्ञ नारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवीर सहाय
राजा राम मिश्र
राजा राम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधे श्याम शर्मा
राम कुमार शास्त्री
रामजी सहाय
राम धारी पांडे
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रामेश्वर सहाय सिंह
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लाखन दास जाटव
लाल बहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खाँ

लोटन राम
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
वेंकटेश नारायण तिवारी
शिव कुमार पांडे
शंकर दत्त शर्मा
शिव दयाल उपाध्याय
शिव दान सिंह
शिव मंगल सिंह, कपूर
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द्र सिंहल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खाँ
साजिद हुसैन
सीता राम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हरगोविन्द पन्त
हर प्रसाद सत्यप्रेमी
हसरत मुहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल

माननीय अर्थ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ मई, सन् १९४८ ई०

अल्प सूचित ताराङ्कित प्रश्न

श्री ब्राउन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर के स्थान पर श्री अब्दुल क़यूम की नियुक्ति

*१—**श्री विष्णु शरण दुबलिश**—क्या यह सही है कि श्री ब्राउन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वे इस विभाग से अलहदा हो रहे हैं?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)—श्री ब्राउन ने रिटायर होने के लिये तैयार होने की छुट्टी माँगी थी जो उनको मंजूर कर दी गई है।

*२—**श्री विष्णु शरण दुबलिश**—क्या यह सही है कि उनके स्थान पर श्री अब्दुल क़यूम रिज़वी नियुक्त किये जा रहे हैं?

माननीय माल सचिव—जी नहीं।

*३—**श्री विष्णु शरण दुबलिश**—श्री रिज़वी का असली ओहदा क्या है? क्या यह सही है कि सिविल लिस्ट के मुताबिक वे चार आफ़िसरों से नीचे हैं जिन्हें वह लांघ (सुपरसीड) कर रहे हैं?

माननीय माल सचिव—जी नहीं।

श्री रिज़वी का मुस्तकिल ओहदा असिस्टेण्ट इंजीनियर का है। तीन आफ़िसर उनसे अधिक पुराने हैं। श्री रिज़वी द्वारा उनके लांघे जाने के सवाल पर ग़ौर किया जा रहा है।

श्री विष्णु शरण दुबलिश—क्या गवर्नमेंट कृपा करके वह वजूहात बतावेगी जिनकी वजह से श्री रिज़वी को तीन सीनियर अफ़सरों के ऊपर तरजीह दी गई?

माननीय माल सचिव—अभी तरजीह नहीं दी गई है। एक कमेटी मुक़र्रर कर दी गई है। कमेटी चार आदमियों के केस को देख रही है और जब फ़ैसला देगी तब आख़िरी निश्चय होगा।

श्री विष्णु शरण दुबलिश—क्या यह सही है कि जिन तीन पुराने अफ़सरों को लांघ कर श्री रिज़वी डिप्टी इंजीनियर का काम कर रहे हैं उनमें एक परमानेन्ट इंजीनियर भी है?

माननीय माल सचिव—मैं इसके लिये नोटिस चाहूँगा।

श्री कृष्ण चन्द्र—क्या गवर्नमेंट ने रिज़वी साहब की नियुक्ति या तरक़्क़ी के मुताल्लिक़ किसी किस्म का कोई हुक्म अभी तक नहीं दिया है?

माननीय माल सचिव—जहाँ तक इत्तला है क़तई हुक्म नहीं दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र—क्या यह सही नहीं है कि उनकी तरक्की का हुक्म दे दिया गया है और अब फिर मौजूदा गवर्नमेंट विचार कर रही है कि उन्होंने जिन अफ़सरों को लांघा है उनके और रिज़वी साहब के सवाल पर फिर से विचार किया जाय ?

माननीय माल सचिव—श्री ब्राउन की पोस्ट सेलेक्शन की पोस्ट है। उसके लिये जैसा मैंने कहा कि यह तय करने के लिये कि कौन सा सबसे बेहतर अफ़सर होगा कमेटी मुक़र्रर कर दी गई है, सब के केसेज़ कंसीडर किये जारहे (विचाराधीन) हैं।

*४—**श्री विष्णु शरण दुर्बलिश**—क्या यह सही है कि श्री रिज़वी शहर माण्टगोमरी पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) के रहने वाले हैं और उनकी सेवायें हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने माँगी थी ?

माननीय माल सचिव— श्री रिज़वी मोण्टगोमरी के रहने वाले नहीं बल्कि पश्चिमी पंजाब में गुजरानवाला के रहने वाले हैं और हाल ही में उनकी सेवायें पाकिस्तान सरकार ने माँगी थीं।

*५—**श्री विष्णु शरण दुबलिश**—(क) क्या सरकार को पता है कि मिस्टर रिज़वी ने पाकिस्तान जाना स्वीकार कर लिया था, परन्तु बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वह नहीं गये ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उन्होंने अपने परिवार को पाकिस्तान भेज दया है ? आ० सं० *८६ ता० २९-३-४८

माननीय माल सचिव—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

ताराङ्कित प्रश्न

*१—**श्री वंश गोपाल**—[स्थगित किया गया।] *२६ २९-३-४८

*२—**श्री अजित प्रसाद जैन**—[त्यागपत्र दे दिया।]

मौज़ा परतावल, ज़िला गोरखपुर की स्पेशल (विशेष) पड़ताल

*३—**श्री सुदामा प्रसाद**—क्या यह सत्य है कि चौधरी शंकर सिंह, एस० डी० एम० महाराजगंज, जिला गोरखपुर ने मौज़ा परतावल, पटवारी हल्क़ा नम्बर २७, क़ानूनगो घुघुली, तहसील महाराजगंज, गोरखपुर की स्पेशल पड़ताल के लिये हुक्म दिया था ? *८० ३०-३-४८

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

*४—**श्री सुदामा प्रसाद**—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सी इन्द्राज की खराबी एस० डी० एम० महोदय के सामने आई थी, जिसके कारण उन्होंने उपर्युक्त मौजे के स्पेशल पड़ताल के लिये हुक्म दिया था ? *८१ ३०-३-४८

(ख) किस तारीख़ को उन्होंने स्पेशल पड़ताल करने के लिये आदेश दया था ?

(ग) किन किन लोगों ने स्पेशल पड़ताल की और किस तारीख को ?

(घ) स्पेशल पड़ताल करने वालों ने क्या रिपोर्ट दी ?

माननीय माल सचिव—(क) हाकिम परगना के सामने बहुत सी आपत्तियाँ उपस्थित की गई थीं और उन्होंने यह उचित समझा कि ग्राम परतावल की फिर से पड़ताल होनी चाहिये ताकि मौके के अनुसार कागजात में जो विषमता हो वह दूर कर दी जाय।

(ख) हाकिम परगना ने १३ नवम्बर १६४५ को विशेष परताल की आज्ञा दी।

(ग) नायब तहसीलदार, २ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कानूनगो एवं ६ पटवारियों ने २० जनवरी १६४६ को विशेष पड़ताल की।

(घ) नायब तहसीलदार जिन्होंने यह विशेष पड़ताल की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, "पड़ताल करने से पता चला है कि ४०६७ खेतों के इन्द्राजों में ६२४ अशुद्धियाँ कब्जे के बारे में थी। दुरुस्ती कागजात के अभियोगों द्वारा इन कागजातों की दुरुस्ती होनी चाहिये। किन्तु इसमें समय लगने की आशंका है इसलिये "रिवीजन आफ रिकार्ड" की कार्यवाही होनी चाहिये। यदि कागजात ठीक कर लिये जांय तो चकबन्दी का काम सफलतापूर्वक हो सकता है।"

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि हाकिम परगना महाराजगंज बंदोबस्त के सिलसिले में इस गांव में गये थे और जब उनको मालूम हुआ कि यहां पर बहुत से काश्तकारों का कब्जा है लेकिन उस पर जमींदार का नाम है इसलिये उन्होंने इस स्पेशल पड़ताल की इजाजत दी थी ?

माननीय माल सचिव—गवर्नमेंट को ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल अफ़सरों ने पड़ताल के बाद रिपोर्ट की कि रेकार्ड्स को दुरुस्त करने के लिये स्पेशल बन्दोबस्त होना चाहिये।

माननीय माल सचिव—मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्पेशल अफ़सर की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। मेरी समझ में तो यह सवाल आया नहीं।

श्री सुदामा प्रसाद—सरकार ने उत्तर दिया है कि नायब तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो ने मिल कर इसकी जांच की और रिपोर्ट दी कि बहुत सी ग़लतियाँ हैं और उन ग़लतियों को दुरुस्त करने में समय लगेगा इसलिये स्पेशल बन्दोबस्त होना चाहिये ?

माननीय माल सचिव—जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक कोई स्पेशल रेकार्ड आपरेशन नहीं हुआ।

आ० ब० *८२ ता० ३०-३-४८

*५—**श्री सुदामा प्रसाद**—(क) क्या यह सत्य है कि स्पेशल पड़ताल के बाद कानूनगो घुघुली ग़लतियों को ठीक कराने के लिए अधिकारियों की तरफ़ से नियुक्त किया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि क़ानूनगो घुघुली ने जांच के दौरान बहुत से काश्तकारों का बयान लिया ?

(ग) यदि हाँ, तो कितने काश्तकारों का और वह बयानात किस क़िस्म के थे ?

(घ) क्या क़ानूनगो घुघुली ने कोई रिपोर्ट अपनी जांच सम्बन्धी दी ? यदि दी, तो क्या ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय माल सचिव—(क) यह बात सच है कि अधिकारियों ने क़ानूनगो घुघुली को गलतियाँ दूर करने का आदेश दिया कि शिकमी काश्तकारान के इंद्राजों को मौके के अनुसार ठीक कर देना चाहिये। उन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि वे उन सब अशुद्धियों को दूर कर दें जिनको वे दोनों पक्षों में समझौता करके दूर कर सकते थे।

(ख) क़ानूनगो, घुघुली ने बहुत से काश्तकारान के बयान लिखे।

(ग) क़ानूनगो, घुघुली ने २५३ काश्तकारों के बयान मौके पर लिखे। प्रायः खेतों के कब्जे के बारे में ये बयान दिये गये थे।

(घ) कानूनगो, घुघुली ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट २० जनवरी १९४७ को दी। तहसीलदार ने २५ मार्च १९४७ को नायब तहसीलदार को यह आज्ञा दी कि वे इसमें छानबीन करके उचित कार्यवाही करें। क़ानूनगो को यह आदेश दिया गया कि वे कागजातों को मौके के अनुसार दुरुस्त कर दें और क़ानूनगो ने यथासम्भव ग़लतियाँ दूर कर दीं।

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि जिन लोगों ने स्पेशल पड़ताल की उन्होंने रिपोर्ट की कि उनके जाँच करने के समय जमींदार उनके सामने नहीं गये ?

माननीय माल सचिव—इसकी भी इत्तला नहीं है।

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि वहाँ पर जमींदार की जितनी सीर कागज में लिखी है उससे बहुत कम जमीन उनके कब्ज़े में है ?

माननीय माल सचिव—इस जमीन की बाबत तो मैं खास तौर से नहीं कह सकता लेकिन गोंडा, बस्ती और गोरखपूर के बारे में कुछ ऐसी शिकायतें थीं।

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि इसी प्रकार की ग़लतियाँ सारे तहसील के गांवों में हैं ?

माननीय माल सचिव—तफ़सील के साथ तो मुझे कोई इत्तला नहीं है।

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क़ानूनगो घुघुली के जो इन्दराज ग़लत हैं उनको अभी तक दुरुस्त नहीं किया है ?

माननीय माल सचिव—मैं इसका पता लगाऊँगा।

श्री सुदामा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में इन ग़लतियों को दूर करने के लिये सरकार कोई रेकार्ड अफ़सर नियुक्त करने जा रही है ?

माननीय माल सचिव— अगर वाक़यात दरियाफ़्त करने के बाद जरूरत होगी तो जरूर की जायगी।

आ० स० *८३ ता० ३०-३-४८ ※६—**श्री महावीर त्यागी** —[त्याग पत्र दे दिया]

*८७-९२ ३०-३-४८ ※७—१२—**श्री हरगोविन्द पन्त**—[स्थ गत किये गये]

इस्लामिया कालेज, बदायूं में राष्ट्रीय झंडे का अपमान

*९७ ३०-३-४८ ※१३—**श्री रघुवीर सहाय**—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि १६ अगस्त को इस्लामियाँ कालेज, बदायूं की इमारत पर जो क़ौमी झंडा फहराया गया था वह कालेज के लड़कों ने गिरा कर जला दिया और अपमानजनक नारों के साथ उसका तिरस्कार किया गया ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री (**श्री महफूजुर्रहमान**)— १५ अगस्त, १९४७ को इस्लामिया कालेज बदायूं के भवन पर राष्ट्रीय झण्डा उचित शिष्टाचार के साथ फहराया गया, परन्तु कुछ उपद्रवियों ने चोरी से रात्रि मे झंडे को हटा लिया। इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि कालेज के क्षेत्र में यह झंडा विद्यार्थियों द्वारा जलाया गया अथवा अपमानित किया गया।

*९८ ३०--३-४८ ※१४—**श्री रघुवीर सहाय**- क्या इसकी सूचना बदायूं की लेडी डाक्टर ने उसी समय जिला मैजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को कर दी ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ।

श्री रघुवीर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मामले की सबसे पहले इत्तिला अधिकारियों क किसने दी ?

श्री महफूजुर्रहमान—मालूम हुआ है कि यहाँ की लेडी डाक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और डिपार्टमेंट को इत्तिला दी थी।

श्री रघुवीर सहाय—स्कूल के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी कोई इस मामले की इत्तिला जिले के अधिकारियों को दी और अगर दी तो कब दी?

श्री महफूजुर्रहमान—इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मामले को कोई इत्तिला पुलिस को भी स्कूल के अधिकारियों की तरफ से दी गई ?

श्री महफूजुर्रहमान—इसको भी कोई इत्तिला नहीं है।

*९९ ३०-३-४८ ※१५—**श्री रघुवीर सहाय**—क्या सरकार ने इस संबंध में कोई तहक़ीक़ात कराई है ? यदि "हाँ" तो किसके द्वारा और उसका क्या परिणाम हुआ ? क्या सरकार तहक़ीक़ात को रिपोर्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महफूजुर्रहमान— जी हाँ, जिला के स्कूलों के इंस्पेक्टर तथा जिलाधीश बदायूं ने इस मामले की जाँच की थी परन्तु झंडे का अपमान करना तथा उसका जलाया जाना साबित न हो सका। इस समय जाँच की रिपोर्टों को मेज़ पर रखना सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित न होगा।

श्री रघुवीर सहाय—जो जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर के द्वारा तहक़ीक़ातें हुई हैं उन दोनों की रिपोर्ट में किसको दोषी ठहराया गया ?

श्री महफूजुर्रहमान—यह तो पहले ही जवाब में बताया जा चुका है कि कुछ शरारती लोगों ने रात ही रात झण्डा उखाड़ दिया। किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता।

श्री रामेश्वर सहाय सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि कालेज के प्रिंसिपल के ऊपर कालेज की कमेटी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था ?

श्री महफूजुर्रहमान—इस क़िस्म की कोई बात नहीं थी। मगर इल्ज़ाम लगाया गया या नहीं, इसका सही पता नहीं है।

श्री रामेश्वर सहाय सिंह—क्या कमेटी ने कोई इस तरह का प्रस्ताव पास किया था कि कालेज के ऊपर झण्डा लगाया जाय।

श्री महफूजुर्रहमान—वहाँ की कमेटी ने झण्डा दुबारा लगा दिया है।

श्री रामेश्वर सहाय सिंह—क्या यह बात सच है कि वहाँ के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी में आपस में बहुत मतभेद है ?

श्री महफूजुर्रहमान—आपको तो मालूम है।

श्री रामेश्वर सहाय सिंह—क्या यह बात सच है कि वहाँ के प्रिंसिपल कन्फ़र्म नहीं किये गये हैं और उसके बाद से वह सेक्रेटरी के खिलाफ़ कार्रवाई करते चले आ रहे हैं।

श्री महफूजुर्रहमान—कन्फ़र्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, इसका पता नहीं है।

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—इस कालेज के अधिकारी कौन हैं ? क्या उन्होंने इस दुर्घटना पर कोई शोक प्रकट किया है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जब कुछ ऐसे लोगों ने झंडा उखाड़ दिया जिनका पता नहीं है और जब कालेज के जिम्मेदार अधिकारियों ने झंडा फिर से लगा दिया जो अब तक फहरा रहा है तो शोक प्रकट करने की क्या बात है।

श्री रघुवीर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस कालेज में रात को निगरानी करने के लिये कोई चौकीदार उस ज़माने में मुक़र्रर था या नहीं ?

श्री महफूजुर्रहमान—अमूमन कालिजों और स्कूलों में चौकीदार तो रहता है

श्री रघुवीर सहाय—क्या उन दोनों तहक़ीक़ातों में उस चौकीदार का बयान लिया गया है या नहीं। और अगर लिया गया है तो उसने इसके बारे में क्या कहा था ?

श्री महफूज़ुर्रहमान—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*१६—**श्री रघुवीर सहाय**—कौमी झंडे के अपमान किये जाने पर सरकार कालेज के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई कर रही है ?

श्री महफूज़ुर्रहमान—प्रश्न १५ के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये कालेज के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात पैदा नहीं होती।

*१७—१८—**श्री शीतलाप्रसाद सिंह**—[मृत्यु हो गई]

सरकारी मिलों के कर्मचारियों की तनख्वाहें

* १९—**श्री भीमसेन** (अनुपस्थित)—क्या वेतन कमेटी की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से सरकारी मिलों के कर्मचारियों को तनख्वाह अब भी अधिकतर पुराने नियम से ही मिल रही है ? क्या सरकार बताएगी कि इस देर का कारण क्या है और अब इस रिपोर्ट को कार्यरूप में लाने के लिए अधिक से अधिक कितना और समय लगने की सम्भावना समझी जाती है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)—हाँ ! इस विलम्ब का कारण यह है कि सरकारी केन्द्रीय औद्योगिक कार्यालय कानपुर और सरकारी औद्योगिक कार्यालय बहरामघाट तथा रुड़की के अध्यक्षों को प्रोपोजीशन टेस्टमेन्ट्स भेजने में कुछ अधिक समय लग गया। इसके उपरान्त एकाउन्टेन्ट जनरल के दफ़्तर में भी कुछ देर हुई। प्रोपोजीशन स्टेटमेंट्स एकाउन्टेट जनरल के दफ़्तर से अब यहाँ आये हैं और आशा की जाती है कि १ महीने के भीतर ही इन कार्यालयों के कर्मचारियों के नये वेतन क्रम की स्वीकृति भेज दी जावेगी। गवर्नमेंट को इस देर के लिये क्षोभ है।

श्री बलभद्रसिंह—यह महीना कब से शुरू हुआ है और कब समाप्त होगा।

माननीय पुलिस सचिव—कौन सा महीना ?

श्री बलभद्र सिंह—जो बतलाया गया कि एक महीने के अन्दर कर्मचारियों को वेतन मिल जायगा।

माननीय पुलिस सचिव—जब यह जवाब लिखा गया उसके बाद।

ज़िला बलिया में ग़ल्ले को चोरी से बाहर भेजना

*२०—**श्री राधामोहन सिंह**—क्या सरकार को मालूम है कि नवम्बर सन् १९४६ ई० में जिला बलिया में कई स्थानों पर चोरी से बाहर ले जानेके सन्देह में ग़ल्ला पकड़ा गया था ?

नोट—स्टार्ड प्रश्न सं० १९ श्री बलभद्रसिंह ने पूछा।

माननीय अन्न सचिव- (श्री चन्द्रभानु गुप्त) जी हाँ। अ० १

*२१—श्री राधामोहन सिंह—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी *३
कि (१) किन किन स्थानों पर, (२) किन किन व्यक्ति के पास, (३) कौन ता ३१-३.
कौन सा और कितना कितना गल्ला पकड़ा गया था ?

(ख) क्या नवम्बर, सन् १९४६ ई० में बुर्धनपुर और शिवरामपुर घाट जिला बलिया पर चोरी से बेचने के लिए ले जाने वाला गल्ला पकड़ा गया था ?

माननीय अन्न सचिव—(क) माननीय सदस्य की मेज़ पर नक्शा रख दिया गया है।

(ख) जी हाँ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२० पर)

*२२—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि ये गल्ले *३९
विन परमिट के बाहर ले जाने के लिए जमा किये गये थे ? ३१-३-

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं।

*२३—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि *४०
इनमें से किन किन व्यक्तियों पर मुक़द्दमे अदालतों में चलाये गये ? और किन ३१-३-
किन पर नहीं और क्यों ?

माननीय अन्न सचिव—माननीय सदस्य की मेज़ पर नक्शा रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

श्री राधामोहन सिंह—क्या गवर्नमेंट यह बताने की कृपा करेगी कि कोई मुक़दमा कांग्रेस कमेटी या मंडल कमेटी की सिफ़ारिश पर रोक दिया गया था ?

माननीय अन्न सचिव—ठीक तो मुझे सूचना नहीं है, लेकिन कांग्रेस कमेटी से जरूर सिफ़ारिश आई थी और उसके ऊपर काफ़ी वादविवाद भी रहा था। बाद को अगर जिला मैजिस्ट्रेट ने उसको वापस लिया हो तो मैं कह नहीं सकता।

*२४—२७—श्री राधामोहन सिंह—[स्थगित किये गये।]

*२८—२९—श्री गजाधर प्रसाद—[त्यागपत्र दे दिया।]

*३०—३२—श्री खुशी राम—[स्थगित किये गये।]

*३३—३९—श्री सर्वजीत लाल वर्मा—[त्यागपत्र दे दिय

गढ़वाल की प्रत्येक तहसील में कालेजों तथा स्कूलों

*४०—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार व
करेगी कि गढ़वाल की प्रत्येक तहसील में (१) कितने इन्टर व
स्कूल, (३) हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल, (४) प्रारम्भिक स्कूल व
पाठशालायें हैं ?

श्री महफ़ूज़ुर्रहमान—

तहसील	इन्टर कालिजों की संख्या।	हाईस्कूलों की संख्या।	हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों की संख्या।	प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या।	संस्कृत पाठशालाओं की संख्या
पौड़ी	१	३	११	१४५	हर एक तहसील में कितनी पाठशालायें हैं यह ठीक से नहीं मालूम हो सका।
लैन्सडाउन	१	०	१९	१९७	
चमोली	०	१	१६	२००	
योग	२	४	४६	५४२	३३

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि चमोली तहसील के उत्तराखंड विद्यापीठ में इंटरमिजियेट तक की पढ़ाई होती है ?

श्री **महफ़ूज़ुर्रहमान**—इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

गढ़वाल में गल्ले का वितरण

*४१—**श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में पिछले दो वर्षों में कुल कितना टन अनाज गया है और प्रत्येक तहसील में कितना कितना बँटा है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गढ़वाल में लोगों की आवश्यकतानुसार अन्न पैदा नहीं होता है ? सरकार ने अपने कार्यकाल में अधिक अन्न पैदा करने की कौन कौन तजवीजें गढ़वाल में की हैं ?

माननीय अन्न सचिव—(क) गढ़वाल ज़िले के पिछले दो वर्षों में कुल ५५४५३९ मन ९ सेर ७ छ० अनाज गया है और प्रत्येक तहसील में निम्नलिखित बाँटा गया है:—

	मन	सेर	छ०
लैन्सडाउन तहसील	३०५९५२	६	०
पौडी तहसील	१७२०९७	१२	१४
चमोली तहसील	७६४८९	३०	९
कुल	५,५४५३९	९	७

(ख) गढ़वाल में लोगों की आवश्यकतानुसार अनाज पैदा नहीं होता है। सरकार की ओर से अभी तक कृषि विभाग अच्छे बीज बांटने और खाद वग़ैरह बनाने व बढ़ाने का यत्न कर रहा है, परन्तु आबपाशी का प्रबन्ध जब तक सुचारु रूप से नहीं होता तब तक अधिक अन्न पैदा नहीं हो सकता।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या चमोली तहसील में बहुत कम गल्ला देने का कारण यही है कि यातायात का वहाँ अभाव है ?

माननीय अन्न सचिव—हाँ, यातायात का भी अभाव है और दूसरी तहसीलों के मुक़ाबिले में इस तहसील में अधिक वितरण करने की आवश्यकता नहीं थी।

गढ़वाल में अच्छी ऊन देने वाली भेड़ों की अधिकता

*४२—**श्री यज्ञनारायण उपाध्याय**—क्या यह सच है कि लाखों की संख्या में अच्छी ऊन देने वाली भेड़ें गढ़वाल के उत्तरी भाग में रहती हैं? क्या इन से ऊन लेने और ऊन की कताई और बुनाई का समुचित प्रबन्ध करने के लिए सरकार कोई योजना सोच रही है? आ० स० *४४ ता० १-४-४८

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। गढ़वाल के उत्तरी भाग में बड़ी संख्या में भेड़ें पाई जाती हैं परन्तु उनका ऊन मोटा होता है और उससे मुलायम ऊनी कपड़ा नहीं बनाया जा सकता है। स्थानीय भेड़ों की उन्नति के लिए सरकार ने पशु विभाग द्वारा एक फार्म (शीप फ्रीडिंग फार्म) ग्वालदम में खोला है और दूसरा पीपल कोटी में क़ायम किया जा रहा है। ग्वालदम फार्म की भेड़ें ५) फी भेड़ बेची जाती है। जब इन भेड़ों की तादाद बढ़ जायगी और उनका ऊन काफ़ी तादाद में मिलने लगेगा तब सरकार उस ऊन की कताई और बुनाई का उचित प्रबन्ध करेगी।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि तिब्बत से बहुत अच्छी ऊन देने वाली भेड़ें जाड़े के दिनों में गढ़वाल के इस हिस्से में आती हैं?

माननीय पुलिस सचिव—इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। संभव है कि यह ठीक हो।

सन् १८५७ ई० के विद्रोह में ज़ब्त की गई जायदादें

*४३—**श्री अलगूराय शास्त्री** (अनुपस्थित)—सन् १८५७ ई० में जो विद्रोह हुआ उसमें क्या कुछ जायदादें व ज़मींदारियाँ ज़ब्त की गई थीं। *५१ १-४-४८

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार ने ऐसी ज़मीनों के मुताल्लिक़ जो सन् १८५७ में ज़ब्त की गई थीं कोई नीति निर्धारित की है कि वह वापिस की जायँगी या नहीं?

माननीय माल सचिव—अभी तक नहीं, ज़ेरे ग़ौर है।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार इस पर विचार भी कर रही है या नहीं?

माननीय माल सचिव—मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि ज़ेरे ग़ौर है।

नोटः—स्टार्ड प्रश्न सं० ४३-४५ श्री बलभद्र सिंह ने पूछे।

श्री सुरेन्द्रबहादुर सिंह—क्या यह आशा की जा सकती है जमींदारी का मुआविज़ा देने के पहले इसके मुताल्लिक़ कोई नीति तय कर दी जायगी ?

माननीय माल सचिव—तय तो पहले ही करना पड़ेगा।

श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि कतिपय मौलिक उत्तराधिकारी सन् १९३१ के बाद से देशद्रोही रहे हैं ?

माननीय माल सचिव—इसका सबूत तो मेरे पास है नहीं।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी—सरकार इस पर ग़ौर करने में कितना समय लेगी।

माननीय माल सचिव—ज़मीदारी खत्म होने से पहले ही हो जायगा।

आ० सं० *५२ त० १-४-४८ *४४—**श्री अलगूराय शास्त्री** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कहाँ कहाँ और किस किस की ज़मीनें इस सूबे में उस सिलसिले में ज़ब्त हुई ?

*५३ १-४-४८ *४५—क्या सरकार को उन जायदादों को उनके मौलिक मालिकों को वापस देने के लिए कोई सुझाव किसी ने भेजा है ? यदि हाँ, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

माननीय माल सचिव—सूचना इकट्ठी की जा रही है और किसी बाद की तारीख़ को दी जायगी।

*५४ १-४-४८ * ४६—**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—[स्थगित किया गया।]

रौनाही पञ्चायत घर, ज़िला फ़ैज़ाबाद पर १५ अगस्त, १९४७ को झण्डा न फहराया जाना

*६० १-४-४८ * ४७—**श्रीमती लक्ष्मीदेवी**—क्या यह सच है कि रौनाही पंचायत घर, ज़िला फ़ैज़ाबाद पर १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० को झण्डा नहीं फहराया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

ज़िला फ़ैज़ाबाद की बीकापुर तहसील के ज़मींदारों का आम के दरख़्तों को कटवाना

* ४८—**श्रीमती लक्ष्मीदेवी**—क्या यह सच है कि ज़िला फ़ैज़ाबाद में बीकापुर तहसील के ज़मींदारान आम के दरख़्तों को कटवा कर बेंच रहे हैं ?

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी—क्या सरकार उसका कोई प्रबन्ध कर रही है कि पब्लिक के आराम के लिये दरख़्त न काटे जायँ ?

माननीय माल सचिव—एक बिल निजी जंगलों की रक्षा करने के लिए इस भवन के सामने पेश किया जा चुका है। उसमें इसका प्रबन्ध करने का विचार है।

आबपाशी के ज़ायद नायब तहसीलदारों के सम्बन्ध में पूछताछ

※४९—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ज़ायद नायब तहसीलदारान आबपाशी को जो पांच साल से अधिक के मुलाज़िम हैं, मुस्तक़िल करने का फ़ैसला कर चुकी है? आ० स० *६२ ता० १-४-४८

माननीय माल सचिव—जी नहीं।

※५०—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपरोक्त श्रेणी के मुलाज़िमों को मेरठ डिवीज़न में मुस्तक़िल कर चुकी है? *६३ १-४-४८

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

※५१—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—यदि हाँ, तो बाक़ी दूसरे डिवीज़नों के उपरोक्त मुलाज़िमों को कब तक मुस्तक़िल करने का इरादा रखती है? *६४ १-४-४८

माननीय माल सचिव—और क्षेत्रों में इन कर्मचारियों को स्थाई करने का प्रश्न अभी स्थगित कर दिया गया है।

※५२—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—उपरोक्त मुलाज़िमों को कब से दैनिक भत्ता देना बन्द हुआ और उसका क्या कारण था? *६५ १-४-४८

माननीय माल सचिव—सन् १९३६ से। इसका कारण आर्थिक कठिनाइयाँ थीं।

※५३—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त मुलाज़िमों को ज़्यादातर दौरे पर रहना पड़ता है जिससे उनकी तनख़्वाह का बहुत कुछ हिस्सा सफ़र ख़र्च व खाना ख़ुराक में ही सर्फ़ हो जाता है? *६६ १-४-४८

माननीय माल सचिव—इन मुलाज़िमों को अधिकतर दौरे पर रहना पड़ता है लेकिन चूंकि इन कर्मचारियों को अपने ही सीमा के अन्दर दौरा करना पड़ता है सरकार यह नहीं समझती कि इनके वेतन का अधिक अंश इनके दौरे में व्यय हो जाता है।

※५४—**श्री कालीचरण टण्डन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन्हें दैनिक भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है? *६७ १-४-४८

माननीय माल सचिव—जी नहीं।

हमीरपुर में सरकारी इमारतों का निर्माण

※५५—**श्री हरप्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार का यह इरादा है कि जब तक हमीरपुर के हेड क्वार्टर रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं *८८ १-४-४८

तब तक हमीरपुर में कुल सरकारी इमारतों का बनाना स्थगित किया जाए और क्या उसका यह भी इरादा है कि वह इसी प्रकार बांदा-कानपुर लाइन को रामपुर होकर ले जाने का निश्चय भी स्थिगित कर दे ?

माननीय माल सचिव--हमीरपुर में सरकारी इमारतों के निर्माण कार्य को रोक देने के किसी प्रस्ताव पर इस समय सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। क्योंकि जिला हेडक्वार्टर को हमीरपुर से महोबा ले जाने के सम्बन्ध में उसके सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कारण के आधार पर किसी सरकारी इमारत के निर्माण कार्य को नहीं रोका गया है। कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है कि बांदा-कानपुर लाइन को रामपुर से लेजाने का प्रस्ताव अन्तिमरूप से गिरा दिया गया है।

आ० स० *८६--६१ ता० १-४-४८ *६२ १-४-४८ *६४:६६ १-४-४६

※५६—५८—**श्री हरप्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

※५६—६२—**श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी** (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

※६३—**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल** — [स्थगित किया गया।]

हाई स्कूल के हिन्दी के अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति

※ ६४—**श्री भगवान सिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० में राष्ट्र भाषा हिन्दी घोषित हो चुकने के बाद भी हाई स्कूल के उन अध्यापकों को स्थाई नियुक्ति के लिये जिनकी प्रथम भाषा हिन्दी है अब भी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विभाग परीक्षा उर्दू में पास करना आवश्यक है ?

श्री महफूज़ुर्रहमान—जी नहीं।

※ ६५—६६—**श्री राधा कृष्ण अग्रवाल**—[स्थगित किये गये।]

※ ६७—६८—**श्री काली चरण टण्डन**—[स्थगित किये गये।]

※ ६६—७०—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—[स्थगित किये गये।]

कमायूं डिवीज़न के विभिन्न ज़िलों की ज़मीन के बाबत दरख्वास्तों पर सरकार की कार्यवाही

※७१—**श्री खुशीराम** (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुमायूं डिवीजन के अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल ज़िलों में ज़मीन रहित शिल्पकारों के काबिल आबाद ज़मीन जंगलात से खारिज कराके मौरूसी हक़ों पर क़ाबिज के लिये दिये जाने के बाबत कोई दरख्वास्तें सरकार के पास आईं ?

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक ज़िले से कितनी कितनी और कहाँ कहाँ से आईं ?

(ग) क्या इन दरख्वास्तों पर कोई कारंवाई की गई ? यदि हाँ, तो क्या, नहीं तो क्यों नहीं ?

माननीय माल सचिव—(क) जी हाँ।

(ख) बहुत सी दरख्वास्तें इस विषय में समय समय पर आईं। ऐसी दरख्वास्तों की जो कि पिछले दो वर्षों के अन्दर आईं, एक सूची मेज पर रख दी गई है।

(ग) अभी तक जो जमीन जंगलात से शिल्पकारों को प्रदान करने के लिये खारिज की गई है उसकी सूचना सम्बद्ध सूची में है। कुछ दरख्वास्तें विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

*७२-७६—**श्री सलीम हामिद खाँ** [स्थगित किये गये।]

बुलन्द शहर ज़िले में विभिन्न सड़कों का निर्माण

*७७—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या यह ठीक है कि जिला बुलन्दशहर की निम्नलिखित सड़कों को प्रान्त निर्माण की प्रथम योजना में ठीक करने का निश्चय किया गया है ?

(क) सड़क सिकन्दराबाद, ककोड़, (झाझर)।

(ख) सड़क दादरी, सूरतपुर, सराय, सदर।

(ग) सड़क सिकन्दराबाद, गुलावड़ी।

(घ) सड़क दादरी जार्चा।

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्री बलभद्र सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि यह सड़कें अल्हैदा अल्हैदा कब तक तैयार हो जायेंगी।

माननीय माल सचिव—पहले योजना में तैयार करने की कोशिश की जायगी।

श्री बलभद्र सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों की मिल्कियत किसकी है। क्या यह प्रान्तीय सरकार की सड़कें हैं या जिला बोर्ड की ?

माननीय माल सचिव—अब चूंकि पी० डब्ल्यू० डी० इसका इन्तजाम कर रही है लिहाजा उसके अख्तियार में है।

*७८—**श्री बलभद्र सिंह**—यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है ?

माननीय माल सचिव—इन सड़कों पर अब तक नीचे लिखी हुई कार्रवाई की गयी है —

१. सिकन्दराबाद-ककोड़ सड़क—इस सड़क के रास्ते की जाँच पड़ताल की जा रही है और एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

२. दादरी-सूरजपुर-सराय-सदर सड़क—दादरी-सूरजपुर वाली सड़क पर काम जारी है। सड़क के बाकी हिस्से के रास्ते की जाँच हो रही है।

३. सिकन्दराबाद-गुलावड़ी सड़क—इस सड़क पर काम शुरू हो गया है

४. दादरी जार्चा सड़क—इस सड़क की जाँच-पड़ताल हो चुकी है और रास्ता मंजूर किया जा चुका है। इस पर काम जल्द शुरू हो जायगा।

गोंडा ज़िले की करनैलगंज से नवाबगंज जाने वाली सड़क को पक्की बनाना

*७९—**श्री गंगा प्रसाद**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा ज़िले में करनैलगंज से नवाबगंज तक की सड़क कच्ची है जिससे यातायात तथा किसान मज़दूरों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं?

माननीय माल सचिव—जी हाँ।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहले फ़ेज़ का प्रोग्राम कब तक ख़त्म होगा?

माननीय माल सचिव—मैं इस वक्त इसकी ठीक इत्तिला नहीं दे सकता।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस सड़क पर कहाँ से कहाँ तक मरम्मत का काम शुरू हो गया है?

माननीय माल सचिव—कर्नैलगंज की सड़क पर काम शुरू हो गया है। माननीय सदस्य ने देखा है और मैंने भी देखा है।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरे फ़ेज़ का प्रोग्राम कब शुरू होगा।

माननीय माल सचिव—पहला फ़ेज़ ख़त्म होने के बाद।

*८०—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार उपरोक्त सड़क को पक्की बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

माननीय माल सचिव—कर्नैलगंज से पारसपुर तक की सड़क प्रोग्राम के पहले फ़ेज में पक्की की जायगी सड़क के बक़िया हिस्से को, यानी पारसपुर से नवाबगंज तक प्रोग्राम के दूसरे फ़ेज़ में पक्के करने की तजवीज़ है।

*८१—**श्री गंगा प्रसाद**—[स्थगित किया गया]

*८२—**श्री राम मूर्ति**—[स्थगित किया गया]

*८३—८५—**श्री राधा मोहन सिंह**—[स्थगित किये गये]

*८६—९५—**श्री कुंजविहारी लाल शिवानी**—[स्थगित किये गये]

आजमगढ़ जिले में अन्न का अत्यन्त अभाव

*९६—**श्री शिवमंगल सिंह कपूर**—क्या सरकार को मालूम है कि प्रान्त के पूर्वी जिलों में खास कर आज़मगढ़ जिले में अन्न का अत्यन्त अभाव है?

माननीय अन्न सचिव—पूर्वी ज़िलों में जैसे आज़मगढ़ में अन्न का अधिक अभाव नहीं है इन जिलों की दशा प्रान्त के अन्य जिलों से विशेष भिन्न नहीं है।

*९७-९९—**श्री शिवमंगल सिंह कपूर**—[स्थगित किये गये]

*१००-१०१—**श्री रामस्वरूप गुप्त**—[स्थगित किये गये]

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल

श्री रघुबीर सहाय—श्रीमान् स्पीकर महोदय, जो बिल इस समय हमारे सामने बहस के लिये पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं सबसे पहले विकास मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह बिल बहुत ही ज़रूरी बिलों में से एक है और इसे अबसे पेश्तर ही आ जाना चाहिये था। लेकिन आज अगर यह बिल हमारे सामने आया है तो मैं समझता हूँ कि इस को हमें बहुत जल्द पास करके वह तमाम अख्तियारात गवर्नमेंट के सुपुर्द कर देने चाहिये जिससे ग्राम सुधार की योजनायें अच्छी तरह पर गाँवों के अन्दर चल सकें

ग्राम सुधार की बात हमारे देश में अब कोई नयी बात नहीं है। लार्ड लिनलिथगो के ज़माने से यह चीज़ हमारे देश में शुरू की गई थी, लेकिन उस समय उसकी महज़ शुरुआत हुई थी। जब कांग्रेस की सरकार सन् ३६ में आयी उसके बाद इस पर क़ाफी तवज्जह के साथ काम किया गया और उन तीन या चार सालों में जब कांग्रेस के हाथ में हुकूमत थी ग्राम सुधार की बहुत सी योजनायें अच्छी तरह सूबे के अन्दर चलाई गई, लेकिन उसके बाद जब कि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़े दे दिये उस वक्त से ग्राम सुधार की योजनायें फिर शिथिल पड़ गईं। उसके बाद जब सन् ४६ में कांग्रेस ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ली तब से फिर यह काम बड़े अच्छे प्रकार से चलाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम बरसों के तजुरबे से यह चीज़ मालूम पड़ती है कि जो दिक्कतें देहातों के अन्दर इस काम के करने में आती रही हैं उनमें से यह दिक्क़त खासतौर पर महसूस हुई कि खाद के और कूड़े के पड़ने के लिए कोई खास जगह नहीं मिल सकी। जब कभी इस बात की कोशिश की गई कि गाँव अच्छे रूप में कर दिये जायँ, वहाँ पर सफाई हो, गाँवों में सेनीटेशन की हालत दुरुस्त हो, उस वक्त यही दिक्क़त सामने आई कि घूरे के लिये कौन सी जगह मुकर्रर की जाय। मौजूदा क़ानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसके ज़रिये से आराज़ियात आसानी से ली जा सकें और न देहात वाले इस बात के लिए तैयार होते थे या अब होते हैं कि वह घूरा कूड़ा अपने खेतों में डालें। इसी तरीक़े से तालाबों की समस्या है उसमें भी बहुत सी दिक्क़तें सरकार को और ग्राम सुधार के

[श्री रघुबीरसहाय]
सम्बन्ध में काम करने वालों को आये दिन पड़ती रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस बिल के आयोजन से वह तमाम दिक्क़तें बहुत आसानी से हल हो जायँगी। मैं मिसाल के तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जिले बदायूं में डेवेलपमेंट बोर्ड की तरफ़ से बहुत अच्छे प्रकार से कई तहसीलों में काम किया जा रहा है और वहाँ पर मॉडिल विलेजेज़ के बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है जिसमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा पूरा सहयोग हमारे कॉंग्रेस के और डेवेलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों को दिया है। उनके परिश्रम से वहाँ पर रास्ते साफ़ हो गये हैं। वहाँ के कुवों की मनें दुरुस्त हो गई हैं। वहाँ पर सोख्ते बन गये हैं, वहाँ पर मॉडिल पिट्स भी बन गये हैं। लेकिन हमलोगों को यह दिक्क़त नज़र आती है कि जो काम वहाँ पर कर दिया गया है वह मुस्तक़िल तरीक़े से नहीं रह सकेगा क्यों कि ऐसी आराज़ियात उन गाँवों में नहीं हैं जहाँ मुस्तकिल तौर से सब कूड़े इकट्ठे किये जा सकें। आज गाँवों के अन्दर यह देखने में आता है कि रास्तों के दोनों तरफ दो दो फर्लांग तक बराबर कूड़े इकट्ठे रहते हैं जिनकी वजह से रास्ते तंग हो जाते हैं और वहाँ की आबहवा भी ख़राब हो जाती है। इससे ज़ाहिर है कि जब तक इस क़िस्म के बिल को नहीं पास किया जायगा और ऐसे अख़्तियारात सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी उस वक्त तक देहातों की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप आराज़ियात ज़रूर लीजिये और उनमें कम्पोस्ट के लिए गड्ढे बनवाइये और गाँवों की गन्दगी को दूर कीजिये लेकिन यह तरीका बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। इसके बजाय किसानों को इस बात के लिये मजबूर किया जाय कि वह अपना सब घूरा कूड़ा अपने खेतों में क़ायदे के मुताबिक़ गड्ढे बनवाकर जमा करें क्यों कि जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसको आख़िर में तो किसान अपने ही खेत में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और अभी से ही किसानों में इस के लिये दिलचस्पी पैदा करे कि वे अपने खाद के गड्ढे कम्पोस्ट के लिए अपने खेतों में ही बनावें तो ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि जिस जगह पर वे इस किस्म के खाद बनाने के लिये कूड़ा इकट्ठा करेंगे, जब बरसात का मौका आयेगा तो वे अपने खेतों को तैयार करेंगे और उसके बाद उनको वह खाद वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर विशेष तौर से ध्यान रखे कि जिन काश्तकारों के खेत बस्ती से करीब में है, उन सब को इस बात के लिये मजबूर किया जाय कि वे जो तरीका स्वास्थ्य विभाग या सरकार मुकर्रर करे उन्हीं तरीक़ों से वे अपने गड्ढे अपने खेतों में बनावें और जो आराज़ियात आप इस क़ानून के ज़रिये से हासिल करें उनमें सिर्फ़ उन्हीं लोगों को गड्ढे बनाने की इजाजत दी जाय जिन लोगों के पास आराज़ियात नहीं हैं या जिनके खेत बस्ती से बहुत फ़ासले पर हैं।

एक जबरदस्त शिकायत जो देहातों में आम तौर से देखने में आती है वह है रास्तों के तंगी की। आपको इस बिल के ज़रिये से रास्तों को चौड़ा

करने के लिये भी आराज़ियात लेनी चाहिये। आज गाँवों के करीब में ही कूड़े इकट्ठा हो जाने से रास्ते तंग हो रहे हैं और गाँवों में बस्ती के अन्दर भी रास्ते तंग हो रहे हैं। इसके अलावा भी गाँवों में जो चौड़े रास्ते हैं उनको भी लोग तंग कर रहे हैं। कोई दूसरा तरीक़ा ऐसा नहीं मालूम पड़ता है जिसके ज़रिये से ये तंग रास्ते चौड़े कर दिये जायँ। मैं चाहता हूँ कि इस विल के ज़रिये से आप उन रास्तों को भी आमतौर पर चौड़ा कर दें। जिससे लोगों को सवारी और दूसरे जानवरों के निकालने में कोई दिक्क़त वाक़य न हो। आज आपोजीशन की तरफ से कम्पेन्सेशन वग़ैरह की बात कही गई है। उसको मैं ज्यादा वजनी बात नहीं समझता। आपोजीशन की बात हर विल में देर लगाना और उसकी वजह से अड़चन पैदा करना मुनासिब नहीं मालूम पड़ती। कम्पेन्सेशन का क्लाज़ इस विल में मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुनासिब मुआवज़ा उन आराज़ियात के लिये दिया जायगा जो इस क़ानून के अन्दर ली जायँगी लेकिन आपोजीशन का इस बात पर इतना ज़ोर देना ठीक नहीं मालूम पड़ता क्योंकि जो आराज़ियात इस तरह पर ली जायँगी वे सिर्फ गाँवों की भलाई के लिये ही होंगी। हम लोगों ने देखा है कि जहाँ किसान अपनी फ़सल को तैयार करते हैं यानी खलिहान और जहाँ मुर्दे जलाये जाते हैं या जहाँ पर क़ब्रिस्तान होता है उसका न तो कोई मुआविज़ा लिया जाता है और न उसका कोई लगान लिया जाता है। वल्कि परम्परा से यह तरीक़ा चलता आया है कि इन सार्व-जनिक बातों के लिए आराज़ियात अलग कर दी जाती हैं। इसी तरह से गाँवों की सफ़ाई के लिए और गाँव वालों के स्वास्थ्य के लिए अगर आराज़ियात ली जावें तो भी मुआविज़ा का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ी बुद्धिमानी से इस प्रोविजन को विल में रख दिया है कि जो अधिकारी इन आराज़ियात को लेंगे वे उन तमाम बातों पर विचार करके उनके लिए मुनासिब मुआवज़ा देंगे। इन तमाम बातों को कह कर मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि इस विल को जल्द से जल्द पास करके इन तमाम अख़्तियारात को अपने हाथ में लेकर ग्राम सुधार की योजनाओं को जल्द से जल्द कामयाब बनावें। यह कहना कि जब तक पंचायत राज विल का चुनाव हो उस वक्त तक के लिए यह विल मुल्तवी कर दिया जाय, मुनासिब नहीं होगा। मालूम नहीं कि दो महीने, चार महीने या ६ महीने में पंचायतराज विल के मुताबिक एलेक्शन होगा उस वक्त तक यह ज़रूरी काम मुल्तवी नहीं रहना चाहिए। मेरे ख़याल में तो पंचायतराज विल के ज़रिये से जो पंचायतें बनेंगी उनको भी इस विल के पास होने से बहुत कुछ सुविधा हासिल हो जायगी। उनको भी तो आख़िर में वह आराज़ियात जिनको वह मुनासिब समझते हैं लेना पड़ेगा और जब यह अधिकार गवर्नमेंट ने ले लिया है तो बहुत आसानी से पंचायतें इन आराज़ियात को अपनी ज़रूरीयात को रफ़ा करने के लिए ले सकेंगी। इन तमाम बातों को कहकर मैं इस विल का

[श्री रघुवीर सहाय]

समर्थ करता हूँ और जो सेलेक्ट कमेटी में जाने का प्रस्ताव किया है उसका ध करता हूँ।

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि इस प्रश्न पर बहस बन्द की जाय।

माननीय स्पीकर— प्रश्न यह है कि बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)—मुझे अफ़सोस है कि इस बिल के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें और ऐसा डर यहाँ पर पेश किया गया कि जिसकी मेरी राय में कोई भी गुन्जायश नहीं है। मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों ने यहाँ इस बिल के सिलसिले में जो एतराजात किये हैं या जो डर इसके बारे में ज़ाहिर किया है उन सबका अलग-अलग ज़िक्र करूं। हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर बातें कहीं वे कड़वी हों, लेकिन मैं इस बिल के सिलसिले में कोई भी तलखी नहीं लाना चाहता क्योंकि न तो वे माननीय सदस्यों को ही अच्छी लगेंगी और न मुझको ही अच्छी लगेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आमतौर पर जो शिकायत यहाँ पर उठाई गई है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ बातें साफ़ कर दूँ। एक बात कही गई है कि इस बिल के पास करने में जल्दबाज़ी से क्यों काम लिया जा रहा है। मैं आपका ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि पिछले बजट के मौके पर जब कि बजट यहाँ पर पेश हो रहा था उस वक्त मैंने गवर्नमेंट की तरफ़ से आपके सामने यह रक्खा था कि हमारी कुछ योजनायें हैं, ताल वगैरा को गहरा करने की और खाद के सिलसिले में, जो गवर्नमेंट ने चालू भी कर दी हैं। उसके बाद से ही इस मामले पर ग़ौर हो रहा था कि ज़मीन का मसला हम कैसे हल करें और बहुत ग़ौर करने के बाद गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुँची कि मौजूदा गाँव पंचायत बिल के क्लाज़ेज को देखना चाहिए और आइन्दा भी जो जमींदारी के सिलसिले में बुनियादी फ़ैसले और कुछ बातें जो हम यहाँ पर करने वाले हैं उनको देखते हुए ज़रूरी नहीं है कि हम सदा के लिए ही, परमानेन्ट तरीके से उन तमाम ज़मीनों को ले लें और उसके लिए यह ज़रूरी है कि हम कोई बिल यहाँ पर पेश करें इसलिये आरज़ी तौर पर लेने के लिये यह बिल पेश किया गया है। आरज़ी तरीके से ये ज़मीनें ली जा रही हैं और इसी तरीके से यह बिल यहाँ पर लाया गया है। अब आजकल गर्मी का ज़माना है इसके बाद बरसात आ जायगी। बरसात आ जाने पर यह स्कीम ठीक नहीं रहेगी। बरसात आने के पहले ही यह सब तय हो जाय और ज़मीन ठीक कर ली जाय तो बरसात के दिनों में इसके लिए इन्तज़ाम करना पड़ेगा। अगर इसको अब रोक दिया जाता है तो हमारी यह स्कीम अगले साल के लिये टल जायगी और १४, १५ महीने फिर हमको इन्तज़ार करना पड़ेगा। हमारा यह इरादा है कि जितनी हमारी

स्कीमें हैं उनको हम इसी साल में पूरा कर दें। अगर यह बिल जल्द पास न हुआ तो हमारा मक़सद पूरा नहीं हो सकेगा।

अपोज़िशन ने जो अपनी पार्टी का नाम जनता पार्टी रक्खा है और जो जनता के नुमायन्दे होने का दावा करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि जनता के फायदे की योजनायें आपके सामने यहाँ पर पेश की जायँ तो बिला वजह आपको डरना नहीं चाहिए और बिला वजह कोई मुख़ालिफ़त भी नहीं करनी चाहिए। १५ महीने तक अगर बिल न बना तो जनता पार्टी का कोई फ़ायदा न होगा और जनता की नुमायन्दगी करने वालों का भी कोई फ़ायदा न होगा। इसलिए मैं दावत देता हूँ कि जनता पार्टी के नुमायन्दे कुरबानी करें और कुरबानी का मक़सद अपने सामने रख कर इस वक्त इस बिल को मंजूर करें। जल्दबाज़ी इसलिए है कि हम इसी साल अपने मक़सद को पूरा करना चाहते हैं। इस बिल के ज़रिए इस स्कीम को पूरा करने का हमारा जो फैसला है उसमें आप कोई अड़चन डालने की कोशिश न करें।

हमारे माननीय सदस्यों ने हमारी तरफ़ से आपके सामने यह सही बात बताई कि काश्तकारों को इस वक्त ज़मीन मिलना मुश्किल है। जिस मकान में वह रहते हैं सिवाय उसके चारों तरफ़ की सब ज़मीन उठा दी गयी है और इस वक्त दो चार गड्ढे भी खाद के लिए खोदने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है। इसलिए हमको और आपको इत्तिफ़ाक़ राय से यह मंजूर करना चाहिये अगर हम वाक़ई चाहते हैं कि काश्तकारों की बेहतरी हो। इसके लिए हम जो योजनायें आपके सामने रखते जाते हैं वे जल्द से जल्द पूरी की जायँ। मैं समझता हूँ कि इस मस्ले पर अब आप कोई शिकायत नहीं करेंगे और हमारा समर्थन करेंगे, हमारी मदद करेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी इसको पास कर सकें और इसको क़ानून बना सकें।

हमारे दोस्त फ़ख़रुल इस्लाम साहब एक बात काश्तकारों की हमदर्दी और हिमायत में कहते हुए ग़लत बयानी कर गये। उनमें कुछ जोश ज्यादा था, गुस्सा भी ज्यादा था। बहरहाल मैं जोश का ख़याल न करते हुए बहुत नर्मी से उनको यह बताना चाहता हूँ कि असल में गवर्नमेंट की स्कीम यह है कि जिन तालों का हम रिक्वीज़ीशन करना चाहते हैं, जनता के लिए, सोसाइटी के ज़रिये या गाँव पंचायत के ज़रिये, उन तालों की हम उतनी ही ज़मीन का रिक्वीज़ीशन करेंगे जितनी कि हमको ज़रूरत है। मसलन् अगर २०० बीघे या २०० एकड़ का एक ताल है। मैं एक बड़ा ताल मिसाल के लिए आपके सामने लेता हूँ। इस वक्त उस ताल में सिल्ट होते होते पानी बीच में सिर्फ़ तीन एकड़ ज़मीन में रह गया है। अगर हमारे सर्वे के इञ्जीनियर की रिपोर्ट से या रूरल डेवलपमेंट एसोसियेशन की रिपोर्ट से मालूम हो कि इस तीन एकड़ वाले ताल को अगर ७ एकड़ कर दिया जाय तो आस पास की चार पाँच हज़ार एकड़ की आबपाशी हो जायगी तो हम उसी ७ एकड़ ज़मीन रिक्वीज़ीशन

[माननीय उद्योग सचिव]

करने की स्कीम आपके सामने रखना चाहते हैं न कि २०० एकड़ जमीन की जो कि ताल की जमीन कही जाती है। जो काश्तकार आस पास में वहाँ खेती करते हैं उनको निकालने का कोई सवाल नहीं है। महज उतनी ही जमीन रिक्वीजीशन करने का सवाल है, उतने ही स्पैसिफिक एरिया को, महदूद एरिया को, जिसकी आबपाशी की जरूरत है और जो हमारे सर्वे इञ्जीनियर या डेवलपमेंट एसोसियेशन की रिकमंडेशन के मुताबिक महसूस हो। तो इस तरह से जो २०० एकड़ का ताल होगा वह ७ एकड़ जमीन में ही संकुचित हो जाता है। हम समझते हैं कि अगर उतनी ही जमीन को लेकर हम काम को पूरा कर सकते हैं तो गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है कि १०० एकड़ या २०० एकड़ जमीन को ले।

हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ और वह यह कि मैं अपने को भी काश्तकारों का नुमाइन्दा मानता हूँ। लेकिन हमको कोई हमदर्दी उन काश्तकारों के साथ नहीं है जिन्होंने कम्युनिटी के खिलाफ अपने गाँव के दूसरे काश्तकारों के खिलाफ हजारों रुपया नजराने की सूरत में, बेईमानी से जमींदारों की जेब में रख कर दूसरे काश्तकारों और पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ जमीन पर कब्जा हासिल कर लिया है। जिनको उन काश्तकारों के साथ हमदर्दी है, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि वह बिल्कुल झूठी हमदर्दी है और वह अपनी हमदर्दी को खत्म कर दें तभी असली माने में पब्लिक के नुमाइन्दे हो सकेंगे। हमें उनको बतलाना है, समझाना है कि तुमने यह गलती की है कि दो चार हजार रुपया नजराना देकर तमाम गाँव के हित के खिलाफ उनकी आबपाशी को रोका है, उनकी चरागाहों को रोका है और जमींदार से ठेकेदारी कर ली है, उनके साथ एक एग्रीमेंट, (मुआहिदा) कर लिया है। तुमने इस तरह से अपने आप को बेचा है और कम्युनिटी को जमींदार के हाथ बेचा है। इसलिये ऐसे काश्तकारों को समझाना है, उनकी मुखालिफत करना है, उनको दबाना है। हमको उम्मीद है कि हम काश्तकारों के नुमाइन्दे होने से उनको समझा भी लेंगे। अगर फखरुलइस्लाम साहब को यह शक है कि वह समझा नहीं सकेंगे तो मैं कहूँगा कि वह अच्छे नुमाइन्दे नहीं हैं।

कहा जाता है कि जो काश्तकार धान की खेती करते हैं उनका बहुत नुक़सान हो जायगा। अगर हम ऐसे खेतों को बन्द कर देंगे तो हजारों मन धान कम हो जायगा। यह बात ऐसी नहीं है। क़तई तौर पर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एक ताल है, उस ताल में चार एकड़ में पानी आना चाहिये। तो इस चार एकड़ जमीन से १५० एकड़ जमीन को आबपाशी कर लेंगे और हम फी एकड़ चार पाँच मन गल्ला बढ़ा लेंगे, इस तौर से सात आठ सौ मन ज्यादा गल्ला महज इसको इस तरह फैलाकर काश्तकारों के खलिहान में बढ़ा देंगे। फखरुल इस्लाम साहब ने इसको बहुत गलत तरीके से हाउस के सामने रखा। उनको साफ़ तौर पर फैक्ट्स को रखना चाहिए और समझाना चाहिए। हमको

ग़लत बात हाउस के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक एकड़ खेती को बन्द करेंगे तो १०० एकड़ खेती बढ़ायेंगे। यह बहुत ग़लत बात है और मैं समझता हूँ कि यह कोई दलील नहीं है।

अब एक बात और कह कर मैं खत्म करूंगा। मैं मुख्तसिर ही अपने ख्यालात का इस सिलसिले में इजहार करूंगा। अपोजीशन के चन्द माननीय सदस्यों ने मुझसे कुछ इस बात का शक़ ज़ाहिर किया कि यह जो हमारे आबजेक्ट्स (उद्देश्य) में और क्लाज़ २ के दूसरे सेक्शन में जो जनरल पावर्स (आम अधिकार) गवर्नमेंट की तरफ़ से हमने ले ली हैं, खाद के गड्ढे खोदने में और ताल खोदने में तथा और भी अगर कोई ऐसा काम हो तो हम उसे भी जनता की राय लेकर इस परपज (Purpose) में शामिल कर लेंगे। उन्हें इसमें शक़ है कि क़ानून बन जाने के बाद कोआपरेटिव सोसाइटी, गाँव पंचायत या और कोई दूसरी बाडी, वह सब बिला ज़रूरत ज़मींदारों की ज़मीनें रिक्वीज़ीशन करने के लिए दरख्वास्त देंगे और रिक्वीजीशन आफ़िसर मंजूर कर देगा और कम्पेन्सेशन आफ़िसर थोड़ा सा कंपेन्सेशन उनको देकर ले लेगा। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल साफ़ है कि इसको महज दो कामों के लिये, जिनकी स्कीमें सूबे में चालू हैं, आपसे ज़ुर्माना लेना चाहते हैं और उस ज़मीन को लेने के लिए एक आरज़ी क़ानून हमने आपके सामने रखा है। इसके अलावा कोई भी मन्शा सरकार का नहीं है कि ज़मीन किसी के पास से ले। गवर्नमेंट का मंशा किसी को परेशान करने का किसी सूरत में नहीं है। हमारे आनरेबिल मेम्बरों ने खुद कहा है कि यह बड़ी अच्छी स्कीमें हैं और उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए, जिनके लिए आरज़ी तौर पर हम ज़मीन ले रहे हैं। मैं आपसे साफ़ तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर या कोई बहाना दिखा कर उनकी ज़मीन हड़प कर लेने का मंशा गवर्नमेंट का क़तई नहीं है। यह हो सकता है कि इन स्कीमों के लिये सरकार को फ़ौरी ज़रूरत पड़े, उन सम्भावनाओं को मैं बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। मान लीजिए कि हमारी किसी योजना के लिए सब सामान मुहैया है, सिर्फ़ ज़मीन की ज़रूरत है, तो हमने ऐसी योजनाओं को पूरी करने के लिए यह गुंजायश रखने के लिए यह क्लाज रखा है कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम पब्लिक ओपीनियन इनवाइट करें और हर तरह से इत्मीनान दिलायें कि यह मन्शा मुनासिब है। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है और इसके लिए हमारे बड़े बड़े ताल्लुकेदारों और ज़मींदारों को कुर्बानी करना चाहिए। जब हम ज़मीन लेना चाहेंगे तो हम उसको आपके सामने रखेंगे और मशविरा लेंगे। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अगर कोई ऐसी गुंजायश हुई और ऐसी ज़रूरत हुई कि हम इस काम के लिए ज़मीन लें तो उस वक्त अगर असेम्बली का इजलास होता रहेगा तो

[माननीय उद्योग सचिव]
मैं असेम्बली के इजलास में वह मसला रख दूँगा कि इस काम के लिए ज़रूरत है और आरज़ी तौर पर हम ज़मीन रिक्वीजीशन कर रहे हैं। उसमें हम हाउस की सलाह लेंगे और तब हम उस काम को करने की बात सोचेंगे। अगर इजलास न होता रहेगा तो उस वक्त भी अपोजीशन के मेम्बरों में से कुछ लोगों को बुला कर कुछ पब्लिक के नुमाइन्दों को बुला कर सलाह लेंगे। हमारा मंशा यही है कि हम पूरा पूरा सहयोग हाउस का प्राप्त करें और बड़े बड़े ज़मींदारों का भी, जो अपने को जनता पार्टी कहते हैं इसलिए हमने वह क्लाज़ इसमें शामिल कर दिया है। अगर यह क्लाज़ इसमें शामिल न किया होता तो सूरत क्या होती यह हमें देखना है। हमारी कई स्कीमें हैं। हमें कोआपरेटिव प्लानिंग करना है और रूरल डेवलपमेंट का काम करना है। कुछ हम गवर्नमेंट पंचायत बिल के ज़रिये पूरी करना चाहते हैं और कुछ डेवलपमेंट के ज़रिये पूरी करना चाहते हैं। हम कोई हेरेस (परेशान) नहीं करना चाहते। हमको परेशान नहीं करना चाहते। अगर ज़रूरत हुई तो हमें असेम्बली सेशन करना पड़ेगा और बिल को अमेन्ड करना पड़ेगा इसमें अर्सा लग जायेगा और इसलिये महज़ ज़रूरत को देखते हुए (शायद ज़रूरत पड़ जाये) हमने यह क्लाज़ रख दिया है। मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की क़तई मन्शा नहीं है कि वह आपको परेशान करे, हेरेस (परेशान) करे। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हमारी स्कीम्स (योजनायें) सफलतापूर्वक आगे नहीं चल सकतीं। हम तो सबका सहयोग चाहते हैं। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है इसलिए हम ज़मीन चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि हमारे माँगने से ज़मीन हमको न मिले। यह मुखालफ़त जो आपने की है उसको आप वापिस ले लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है ।

एक और एतराज़ यह किया गया है कि इस बिल के पास करने के लिए आप जल्दबाज़ी क्यों कर रहे हैं। हमने कम्पेंसेशन का क्लाज़ रखा है। ज़मीन के रिक्वीजीशन के सिलसिले में राइट और रेंट के ऊपर कम्पेन्सेशन क़ायम होगा अगर ज़मीन का मालिक रज़ामन्द न होगा तो कम्पेन्सेशन आफ़िसर उसका फ़ैसला करेगा। मुखालफ़त यह की गई है कि सिविल कोर्ट के ज़रिए आप कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिलाते, इसके लिए मैं यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस काम में बड़ा विलम्ब होगा और इतनी देर लगेगी कि मुमकिन है कि जिसकी ज़मीन हम ले रहे हैं उसे साल दो साल पैसा न मिले। गवर्नमेंट एक पार्टी हो जाती है और ज़मींदार दूसरी पार्टी हो जाते हैं। इसमें साल छै महीने लग जायेंगे और जो रक़म हम ज़मीन के लिये देना चाहते हैं उसके देने में भी देर लगेगी और हमें भी ज़मीन मिलने में देर हो सकती है और हमारी स्कीम्स रुक सकती हैं, विदहैल्ड हो सकती हैं। इसलिए मुनासिब यह समझा गया कि हम कंपेन्सेशन आथारिटी रख दें। अगर किसी को उसका इत्मीनान न हो तो वह गवर्नमेंट के सामने अपना मामला पेश करे और मैं आपको पूरा इत्मीनान दिलाना चाहता

हूँ कि गवर्नमेंट न्याय करेगी। इसके मानी यह नहीं हैं कि हम कम पैसा देकर जमीन लेना चाहते हैं। हाँ यह हो सकता है कि जमीन के मालिक का मक़सद पूरा न हो सके। जैसे किसी जमीन में मुश्किल से दो रुपये का खाद बने और उसके २० हजार रुपये माँगे जायें। यह आपके ग़ौर करने की बात है कि यह कहाँ तक मुनासिब है। इसलिए गवर्नमेंट अन्तिम रूप से क़ायनली फ़ैसला करेगी। इसलिये आपको एतराज़ नहीं करना चाहिये। इस मक़सद को देखते हुए आप को अपनी मुख़ालफ़त वापिस ले लेना चाहिये।

अब मेरा ख्याल यह है कि और कोई एतराज बाकी नहीं रह गया दो तीन बातें थीं जो मैंने आपसे कह दीं। मैं उम्मेद करता हूँ कि हमारे सदस्य जो सामने बैठे हुए हैं इस पर ग़ौर करेंगे और जल्द से जल्द एक घण्टे के अन्दर इस क़ानून को पास कर देंगे जिससे और काम किया जा सके।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह कि संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल, सन् १९४८ एक विशिष्ट समिति (सिलेक्ट कमेटी) के सिपुर्द किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ग्राम-सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल पर विचार किया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा २

२—इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो:—

(१) "प्रतिकर पदाधिकारी, और अपेक्षित (रेक्वीजीशन) करने वाले अधिकारी" से तात्पर्य उन प्रतिकर पदाधिकारी और अपेक्षित (रेक्वीजीशन) करने वाले अधिकारी से है जिन्हें प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे पर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति जिला कलक्टर या उसके द्वारा मनोनीत कोई डिप्टी कलक्टर हो।

(२) "सार्वजनिक प्रयोजन" के अन्तर्गत निम्नलिखित या उनसे संबंधित कोई भी उद्देश्य होंगे:—

(क) सिंचाई के लिए तालाब बनाना, बढ़ाना या उन्हें गहरा करना,

(ख) गाँव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) बनाना,

(ग) कोई अन्य उद्देश्य जिसे प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति करने के पश्चात् और ऐसे विरोधों और प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् जो उस पर प्राप्त हुये हों गजट में घोषित करे कि वह खेती के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

(३) "भूमि" में तालाब और ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो भूमि से संलग्न हों या किसी वस्तु से स्थायी रूप से बँधी हुई हों।

(४) "नियत" का अर्थ इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किया हुआ है।

(५) "प्रांतीय सरकार" का अर्थ संयुक्त प्रांतीय सरकार है।

(६) शब्द "लगान" (रेन्ट) और "सायर" के क्रमानुसार वही अर्थ होंगे जो अर्थ उनके संयुक्त प्रांतीय जोत ऐक्ट, १९३९ ई० (यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई०) में किये हैं।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पेश करता हूँ कि धारा २ में और बिल की जिस धारा में जहाँ कहीं भी 'अपेक्षित' शब्द आया है उसे हटा कर उसके स्थान पर शब्द 'अधिकृत' रखा जाय। श्रीमान् जी अपेक्षित शब्द अच्छा नहीं मालूम होता इसलिये मैंने यह अच्छा समझा कि इसे हटाकर शब्द 'अधिकृत' रक्खा जावे क्योंकि इससे रिक्वीजीशन का अर्थ अच्छी तरह से निकलता है। कल भी हमने एक बिल के अन्दर रिक्वीजीशन के लिए 'अधिकृत' शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए भी यह अच्छा मालूम होता है कि बिलों में जहाँ कहीं भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किये जावें उनका व्यवहार एक सा हो।

माननीय उद्योग सचिव—'अपेक्षित' की जगह पर जो 'अधिकृत' शब्द का सुधार पेश किया गया है वह मुझे स्वीकृत है।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ में और बिल की जिस धारा में जहाँ कहीं भी 'अपेक्षित' शब्द आया है उसे हटा कर उसके स्थान पर शब्द 'अधिकृत' रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***श्री कुंज बिहारी लाल शिवानी**—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से धारा २, की उपधारा (२) (क) में शब्द 'तालाब' के बाद में शब्द 'बाँध या बंधिया' बढ़ा दिये जायें।

श्रीमान् जी मेरे इस संशोधन का मंशा यह है कि धारा २ की उपधारा (२) इस तरह से पढ़ी जावे : 'सार्वजनिक प्रयोजन' के अन्तर्गत निम्नलिखित या उनसे सम्बन्धित कोई भी उद्देश्य होंगे। सिंचाई के लिये तालाब, बाँध या बंधिया बनाने या उनके आदि।

श्रीमान् जी मैं समझता हूँ कि सरकार इस संशोधन को मंजूर कर लेगी माननीय विकास सचिव मैदान के रहने वाले हैं या उन्हें शायद मैदान का ही ख्याल है और उन्होंने हमारे प्रदेश बुन्देलखण्ड पर ध्यान नहीं दिया। तालाब मैदानों में खोदे या बनाये जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड में खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें केवल बाँध बना दिये जाते हैं क्योंकि वहाँ भूमि ऊँची नीची होती है। जहाँ जमीन नीची होती है वहाँ बाँध की शक्ल में एक दीवार बना कर उसमें पानी छोड़ दिया जाता है और वह तालाब की शक्ल में हो जाता है।

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके ध्यान में केवल वही तालाब रहे जो कि खोद कर बनाये जाते हैं लेकिन जो जमीन समतल हो वहीं खोदने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बुन्देलखण्ड में तो जमीन खोदने से काम नहीं चल सकता। वहाँ तालाब खोदने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे खेद है कि यद्यपि हमारे बुन्देलखण्ड के एक सदस्य यहाँ पर हैं लेकिन उनसे शायद इस सम्बन्ध में सलाह मश्विरा नहीं लिया गया वरना उन्हें मालूम हो जाता कि बुन्देलखण्ड में खोद कर तालाब नहीं बनाये जाते। मैं उनका ध्यान उस सेटिलमेंट रिपोर्ट के बारे में दिलाना चाहता हूँ जो मि० लेन ने सन् ४५ में झांसी जिले के बारे में लिखी है और जो कि गत वर्ष इस भवन ने पास की है। मैं उसके पृष्ठ १२ के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि झांसी ज़िले में सिंचाई केनाल से भी होती है और बाँध और बंधियों से अधिकतर सिंचाई होती है। उन्होंने उसका वर्णन लेक्स करके किया है, झीलें करके लिखा है लेकिन उससे मन्शा यही है कि वहाँ बाँध और बन्धियों से सिंचाई होती है और उन्होंने उनके फ़ायदे भी बतला दिये हैं कि किस तरह से वहाँ बाँध और बन्धियाँ पुराने ज़माने से बनी चली आई हैं और उनके द्वारा अच्छी फ़सलें तैयार होती हैं। बंधियों का पानी निकल जाता है और उनसे जो ज़मीन निकलती है उसमें सिल्ट जमा होती है जिससे खाद की जरूरत नहीं पड़ती तो आवश्यकता इस बात की है कि बुन्देलखण्ड के प्रांत की ओर ध्यान रख कर इस संशोधन को मंजूर किया जाय। मैं उन्हें यह बिल लाने पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह बुन्देलखण्ड की ओर विशेष ध्यान देते हुए मेरे इस संशोधन को मंजूर करेंगे।

माननीय उद्योग सचिव—जो कि सुधार बाँध और बन्धियों के सम्बन्ध में आया हैं मुझे उससे पूरी हमदर्दी है। यही नहीं मैं यक़ीनन समझता हूँ कि बांध और बन्धियों की समस्या ताल से भी ज्यादा अहम है और जरूरी है। बुन्देलखंड में बाँध और बन्धियों के जरिये से ही आबपाशी भविष्य में स्थाई रूप में हम जरूर कर सकते हैं पर मैं अपने दोस्त से यह कहना चाहूँगा कि वे इस बैकग्राउंड के ऊपर इसकी पुश्त पर जो बिल आपके सामने है ग़ौर करेंगे तो मालूम होगा कि यह अस्थाई स्कीम है। ताल जो मौजूद हैं उनको गहरा करके या थोड़ा बहुत फैला करके हम जो जमीन का रिक्वीजीशन करते हैं उससे बाँध बनाने की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके ऊपर मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पूरे तौर से विचार कर रही है और जरूरत होगी तो पूरी योजना आपके सामने लायेगी, अगर जरूरत न हुई तो बिना लाये ही वह उसे चालू कर देगी। इस पर गवर्नमेंट ने काफी ग़ौर किया और अख़िर में यह फ़ैसला किया कि इस समय इस बिल में बाँध और बन्धियों का ज़िक्र लाना खप नहीं पायेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ रुपया हमने इसके लिये

मंजूर किया। अभाग्यवश इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स की कमी की वजह से उस योजना पर अमल नहीं हो सका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सुधार को वापस ले लेंगे। हम इस समस्या को ताल से कम अहमियत नहीं देते हैं। उसके टार्गेट भी हमारे सामने हैं और दूसरे बजट के आने से पहले हम कुछ इस सम्बन्ध में अवश्य करेंगे।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी-माननीय विकास सचिव के इस आश्वासन के बाद कि वह बाँध और बन्धियों के लिये आइन्दा एक योजना पेश करने वाले हैं मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ।

(भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया)

श्री केशव गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा २ की उपधारा २ (ख) के स्थान में निम्नलिखित उपधारा २ (ख) रखी जाये।

२ (ख) गाँव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) या अन्य प्रकार की कोई खाद बनाना जिसे प्रांतीय सरकार समय समय पर उचित और लाभ-कर समझे।

श्रीमान् जी, जो मौजूदा उपधारा इसमें रखी हुई है उसमें केवल कम्पोस्ट बनाने के लिये आप भूमि को लेना चाहते हैं लेकिन कम्पोस्ट के अलावा हड्डियों से भी खाद बनती है दूसरे भी विज्ञान के नये स्वरूप खाद बनाने के लिये निकल रहे हैं। सम्भव है कि खाद के बनाने में दूसरे तरीकों पर भी भूमि देना पड़े। इसलिये मैंने इस धारा को और भी विस्तृत बना दिया है। आशा है कि सचिव महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

माननीय उद्योग सचिव—मुझे इस सुधार में कोई विशेष एतराज़ नहीं है यदि माननीय सदस्य इस आख़िरी हिस्सा को जिसे मैं गैरज़रूरी समझता हूँ उसे निकालने के लिये तैयार हों यानी "जिसे प्रांतीय सरकार समय समय पर उचित और लाभकर समझें"। "गाँव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) या अन्य प्रकार की कोई खाद बनाना" इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर इतना ही हो तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं है।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् जी, अभी हमारे मिनिस्टर महोदय ने यह कहा है कि "जिसे प्रांतीय सरकार समय समय पर उचित और लाभकर समझे" शब्द निकाल दिये जायँ तो उन्हें मेरा संशोधन स्वीकार होगा मुझे उन शब्दों के निकाल नेदें में कोई एतराज़ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा २ (ख) के स्थान में निम्नलिखित उपधारा २ (ख) रखी जाय।

'२ (ख) गाँव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) या अन्य प्रकार की कोई खाद बनाना।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा२ की उपधारा २ (ख) के बाद निम्नलिखित नई उपधाराएं (ग), (घ) तथा (ङ) जोड़ी जावें और वर्तमान उपधारा २ (ग) को बदल कर २ (च) किया जाय—

(ग) खेतों की सिंचाई के लिये नालियों या रास्तों की उचित व्यवस्था करना।

(घ) नर्सरी बनाना।

(ङ) पंचायत घर, स्कूल, अस्पताल या गाँव वालों की सामूहिक उन्नति तथा मनोरंजन की उचित व्यवस्था करना।

श्रीमान् जी, अभी जो हमारे मिनिस्टर महोदय ने तालाब बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की है। तालाब बनाने के बाद सिंचाई की नालियों की भी आवश्यकता होती है और साथ ही एक खेत से दूसरे खेत तक जाने के लिए रास्तों की भी जरूरत होती है। आप और हम देखते हैं कि काश्तकारों में पानी की नालियों के और रास्तों की उचित व्यवस्था न होने के कारण से काफ़ी बैर भाव बढ़ जाता है और समय समय पर लड़ाइयाँ होती हैं। इसीलिए आवश्यक है कि अगर नालियों और रास्तों की व्यवस्था के लिए जरूरत पड़े तो भूमि प्राप्त की जाय।

दूसरे नर्सरी बनाना यानी पौधे तैयार करना। नर्सरी की ओर हमारे देश में पौधों और जंगलों की आवश्यकता है और उसके लिये पौधे पर्याप्त नहीं हैं। लिहाजा नर्सरी के बनाने की काफ़ी जरूरत है। ताकि वहाँ से पौधे क़ाश्तकारों को और दूसरे भाइयों को जो बाग लगाना चाहते हैं उनको मिल सकें। उनके लिए भूमि की आवश्यकता है इसीलिये मैंने यह रखा है।

तीसरी बात यह कि अभी हमारे सूबे में शिक्षा के लिए काफ़ी विद्यालय खोलने का प्रबन्ध हो रहा है। काश्तकारों के पास रुपया मौजूद है लेकिन भूमि प्राप्त नहीं होती। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ज़मींदारों की ओर से भूमि नहीं मिलती और वहाँ स्कूल नहीं बन सकते। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की कार्यवाही लम्बी चौड़ी है मुझे मालूम है कि बाज बाज स्कूलों के लिये २ बरस से ज्यादा हो गए लेकिन भूमि नहीं मिल सकी इसी लिए यह संशोधन मैंने रखा है, मैंने ग्रामवासियों के लिए उनकी व्यवस्था ठीक करने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया है। आशा है कि माननीय सचिव इसको स्वीकार करेंगे।

माननीय उद्योग सचिव—धारा २ की उपधाराओं में जो संशोधन मेरे दोस्त ने उपस्थित किया है मुझे इसमें उस सब को स्वीकार करने की सम्भावना न हो सकेगी। आपका पहला संशोधन यह है। खेतों की सिंचाई के लिये नालियों या

माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

रास्तों की उचित व्यवस्था करना।" मेरा ख्याल तो यह था कि खेतों की सिंचाई के लिए जो नालियाँ हैं उनके लिए कोई दिक्कत न होगी लेकिन कहीं कहीं दिक्कतें हो भी सकती हैं, इसलिए यह मुनासिब समझा कि अगर मेरे मित्र इसमें से "या रास्तों" शब्द निकाल कर "खेतों की सिंचाई के लिए नालियों की उचित व्यवस्था करना" रखें तो मुझे कोई एतराज न होगा। इसी प्रकार उनका दूसरा संशोधन "(घ) नर्सरी बनाना" यह जरूरी चीज है इसलिए वह "नर्सरी" से पहले "पौधों की नर्सरी" कर दें। पौधों की नर्सरी के लिए अगर कहीं कहीं पर जरूरत होगी तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं

जहाँ तक (ङ) का सम्बन्ध है मैं अपने मित्र से यही कहूँगा कि वह इसको वापिस ले लें क्योंकि एक्वीजीशन बिल में इसकी कोई गुंजायश नहीं है। पंचायत घर, स्कूल, अस्पताल या गाँव वालों की सामूहिक उन्नति तथा मनोरंजन के लिए यह तमाम स्थायी और मुस्तकिल स्कीमें हैं और उसके लिए दूसरे तरीके हो सकते हैं और यह सब गाँव पंचायत के सिलसिले में हो सकता है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह (ङ) के लिए सरकार पर कोई दबाव न डालें और वह इसे जिस तरह मैंने बतलाया उस तरह रख लें तो मुझे उनके संशोधन को मंजूर करने में कोई एतराज न होगा।

श्री केशव गुप्त— श्रीमान् जी, चाहता तो मैं यह था कि जिस तरह से संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसी तरह से वह स्वीकार किया जाता लेकिन चूंकि उनको इसमें आपत्ति है इसलिए मैं भी उनके रास्ते में नहीं आना चाहता इसलिए उन्होंने जो संशोधन स्वीकार किया है वह मुझे स्वीकार है,

माननीय स्पीकर—वह तो उन्होंने सुझाव दिया है परन्तु यह काम तो आपका है कि आप बतलावें कि आप अपने संशोधनों को अब किस रूप में रखते हैं।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् जी, मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

माननीय स्पीकर—संशोधन आपका है अब आप उसको किस रूप में रखते हैं!

श्री केशव गुप्त—इस तरह से "खेतों की सिंचाई के लिए नालियों की उचित व्यवस्था करना" यही रहेगा और 'या रास्तों' शब्द इसमें से निकल जायँगे,

दूसरे "नर्सरी बनाना" के पहले 'पौधों की' शब्द बढ़ जायँगे तीसरा (ङ) बिल्कुल निकल जायगा।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा २ (ख) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारायें (ग) तथा (घ) जोड़ी जायँ—

(ग) खेतों की सिंचाई के लिए नालियों की उचित व्यवस्था करना।
(घ) पौधों की नर्सरी बनाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर— प्रश्न यह है कि धारा २ संशोधित रूप में इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा ३

३—यदि अपेक्षित (रेक्वीजीशन) करने वाले अधिकारी के मत में सार्वजनिक उद्देश्य के लिये ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा किसी भूमि को, उसके स्वामी और उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति पर इस आशय का नोटिस देकर कि अपेक्षित करने वाले अधिकारी ने इस धारा के अनुसार उस भूमि को अपेक्षित करने का निश्चय कर लिया है, उस भूमि को अपेक्षित कर सकता है तथा ऐसे अन्य आदेश दे सकता है जो उसे भूमि अपेक्षित करने के सम्बन्ध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो। इनके अन्तर्गत ऐसे आदेश हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के उस भूमि पर खड़े हुये किसी पेड़ों और अन्य फसलों के बेचने, उनको अधिकार में रखने और उपभोग करने से सम्बन्ध रखते हों। जब भू-स्वामी या उस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति आसानी से न मिल सके या जब उस भूमि की मिलकियत या उस पर अधिकार सम्बन्धी कोई झगड़ा हो, या जब उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो उसके स्वामी हों या उस पर अधिकार रखते हों, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर सुविधाजनक रूप से अलग अलग नोटिस की तामील न की जा सकती हो, तो नोटिस इस विधि से प्रकाशित कराया जायगा जो इस संबन्ध में निर्धारित की जाय।

अपेक्षित करने की कार्यविधि

श्री केशव गुप्त—श्री मान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ३ की पंक्ति ५ में शब्द 'उस भूमि को' हटा दिये जायें।

यह केवल लेख की भूल है। यह शब्द तीसरी पंक्ति में आ चुके हैं, यहाँ उनको दोबारा रख दिया गया है। इससे मतलब ठीक नहीं होता। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

माननीय उद्योग सचिव—मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूँ।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ३ की पंक्ति ५ में शब्द 'उस भूमि को' हटा दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ३ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा ४

अपेक्षित की हुई भूमि का उपयोग

४—उस दशा में जब कोई भूमि धारा ३ के अन्तर्गत अपेक्षित की जाय तो अपेक्षित करने वाला अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जो नियत किया जाय, उस भूमि को इस प्रकार उपयोग में ला सकता है जो उसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उचित जान पड़े।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ४ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा ५

भूमि अपेक्षित करनेवाले अधिकारी के अधिकार

५—(१) अपेक्षित करने वाला अधिकारी धारा ३ के अन्तर्गत किसी भूमि को अपेक्षित करने या उसके लिये प्रतिकर नियत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि—

(क) वह उस अधिकारी को जो उक्त आज्ञा में बताया गया हो, उस सम्पत्ति के विषय में आज्ञा में वर्णित ऐसी सब बातों की सूचना दे जो उसके ज्ञान में हों और

(ख) उस भूमि का स्वामी या अधिष्ठाता या अधिकारी उक्त आज्ञा देने वाले अधिकारी की अनुमति के बिना उस भूमि को ऐसी अवधि के समाप्त होने तक न बेचेगा जो कि उक्त आज्ञा में बताई गई हो।

(२) उपधारा (१) के द्वारा प्राप्त अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति या अधिकारी जो अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, किसी भूमि में यह निश्चय करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा ३ के अन्तर्गत कोई आज्ञा दी जानी चाहिये और यदि दी जानी चाहिये है तो किस प्रकार या धारा ३ के अधीन दी गई किसी आज्ञा का पालन करवाने के लिये प्रवेश कर सकता है।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ५ (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'प्रवेश कर सकता है' हटा दिये जायँ।

यह शब्द भी जिनके हटाने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है भूल से रख दिये गये हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय उद्योग सचिव— माननीय स्पीकर महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर मेरे माननीय मित्र इन शब्दों को 'प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है" वहाँ से हटा दें और अंत में "प्रवेश कर सकता

है और निरीक्षण कर सकता है" यह रख दें। यदि इस प्रकार के शाब्दिक संशोधन को वे स्वीकार कर लें तो मुझे उनके बुनियादी संशोधन पर कोई एतराज़ नहीं होगा।

अर्थात् "प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है" इन दोनों को यहाँ से निकाल कर अन्त में "प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है" यह रख दिया जाय।

श्री केशव गुप्त—माननीय स्पीकर महोदय, मेरे संशोधन का आशय भी वही था जो माननीय मंत्री महोदय ने अपना आशय इस सम्बन्ध में बतलाया है और इसलिए अब मेरा संशोधन इस प्रकार माना जाय।

"प्रवेश कर सकता है" उसके आगे धारा ४ में जो शब्द "प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है" उसे वहाँ से हटा दिया जाय और अन्त में "प्रवेश कर सकता है" उसके आगे "और उसका निरीक्षण कर सकता है" यह बढ़ा दिया जाय।

माननीय स्पीकर— प्रश्न यह है कि धारा ५ की उपधारा (२) की पंक्ति ४ के ये शब्द घटा दिये जाँय। 'प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है' और उपधारा (२) के अन्त में "कर सकता है" के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायँ 'और उसका निरीक्षण कर सकता है'।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ५ इस बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

धारा ६

किसी समिति या संघ द्वारा भूमि अपेक्षित करने के लिए प्रार्थना

६—कोई समिति या संघ जिसकी रजिस्टरी सहकारी समितियों के ऐक्ट, १९१२ ई० (क्वापरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट १९१२ ई०) के अधीन हुई हो, या संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट १९४७ ई० के आधीन कोई गाँव सभा नियत विधि के अनुसार भूमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेज सकती है कि वह प्रार्थना पत्र में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भूमि को अपेक्षित कर ले।

❀ **श्री केशव गुप्त**—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ६ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ा जाय :—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भूमि को अधिकृत करने के लिये उपरोक्त सहकारी समिति तथा गाँव सभा प्रार्थनापत्र भेजे तो ऐसी

❀माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

दशा में गाँव सभा के दावे को प्रधानता दी जावेगी धारा ६ में रजिस्टर्ड सहयोग समितियाँ और गाँव पँचायतराज ऐक्ट के अधीन जो गाँव सभा खुलने जा रही है उन दोनों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार दिया गया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि गांव सभा भी किसी जमीन के लिये प्रार्थना पत्र और सहयोग समिति भी उस जमीन के लिये प्रर्थना पत्र भेजे तो इससे गड़बड़ हो सकती है। ऐसी दशा में मैं यह चाहता हूँ कि उन दोनों की दरख्वास्तों में गाँव सभा का जो दावा होगा उसको प्रधानता दी जाय और सहयोग समिति को प्रधानता न हो। इसलिये मैं यह संशोधन रखता हूँ और आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय इसको मंजूर करेंगे।

**माननीय उद्योग सचिव*—मुझे खेद है कि मेरे लिये इस सुधार को स्वीकार करना सम्भव न होगा। जो गड़बड़ इस सम्बन्ध में हो जायगी वह हमारे मक़सद से यह होगी कि इस प्रकार का कोई सुझाव पेश करना या ऐसा कोई क्लाज़ रखना जिसमें कि लोगों की समझ में यह बात आवे, यह ख्याल उनके दिमाग़ में पैदा हो, कि गाँव पंचायत फलाँ जमीन के लिये दरख्वास्त दे सकती है और सोसाइटी फलां जमीन के लिये दरख्वास्त दे सकती है तो यह उनके ध्यान में लाने की बात नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि सोसाइटीज गाँव के फ़ायदे के लिये बनती हैं तो उनको भी मौक़ा होना चाहिये, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि उनको इस तरह का मौक़ा पूरी तरह से दिया जाय, ज्यादा सुविधा उनको दी जाय, उनको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिये न कि इस तरह की कोई अव्यवस्था पैदा करनी चाहिये।

कोई ऐसा झगड़ा होने का भी अन्देशा नहीं है। गवर्नमेंट मौजूद है और गवर्नमेंट तमाम ऐसे क़ानून और क़ायदे बनावेगी जिनमें कोई दिक्क़त नहीं होगी इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कि माननीय मेम्बर इस पर दबाव न डालें और अपने सुधार को वापस ले लें।

श्री केशव गुप्त—माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूँ।

(प्रस्ताव भवन की अनुमति से वापस लिया गया)।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ६ बिल का अंश मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएँ ७ और ८

किसी समिति या संघ के प्रार्थना पत्र पर भूमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा घोषणा।

७—यदि भूमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी को, ऐसी और उस प्रकार जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, यह संतोष हो जाय कि धारा ६ के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में बताई गई भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है और वह इस काम के लिये उपयुक्त है, तो

---

*माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वह अधिकारी इस आशय पर एक घोषणा कर देगा और सिवाय उस दशा के जो धारा १४ में बताई गई है वह घोषणा अन्तिम और निर्णयात्मक होगी।

८—जब धारा ७ के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में यह घोषणा की गई हो कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक या उपयुक्त है, तो भूमि अपेक्षित करने वाला अधिकारी, प्रान्तीय सरकार के साधारण नियंत्रण के आधीन ऐसी भूमि को अपेक्षित कर सकता है, और इस ऐक्ट के आदेश, जहाँ तक वे लागू हो सकते हों, ऐसी भूमि पर लागू हो जायंगे। धारा ७ के अन्तर्गत घोषणा करने के पश्चात भूमि का अपेक्षित किया जाना।

माननीय स्पीकर—धारा ७ और ८ में कोई सुधार नहीं है। मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि धाराएँ ७ और ८ बिल का अंश मानी जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ९

९—(१) उस दशा में जब कोई भूमि धारा ३ के अन्तर्गत अपेक्षित की गई हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसका उसमें हित हो, ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जो ऐसे व्यक्ति और भूमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी के बीच लिखित रूप से नीचे लिखी बातों के सम्बन्ध में निश्चित किया जाय:—

(क) ऐसी भूमि का अपेक्षित करना, और

(ख) कोई ऐसी क्षति जो प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति के अतिरिक्त अपेक्षित करने की अवधि में उस भूमि को पहुँची हो।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के उद्देश्यों के लिये किसी तालाब को गहरा करना, और गाँव के कूड़ों का मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) बनाने के लिये गड्ढे बनाना भूमि की क्षति नहीं समझी जायगी।

(२) जब कोई ऐसा समझौता न हो सके तो अपेक्षित करने वाला अधिकारी उस मामले को अपनी इस सिफारिश के साथ कि प्रतिकर की रक़म कितनी होनी चाहिये और वह किन कारणों से दी जानी चाहिये, प्रतिकर पदाधिकारी के पास भेज देगा और प्रतिकर माँगने वाले व्यक्ति को भी ऐसे अधिकारी के निर्धारित तारीख़ पर उपस्थित होने का निर्देश देगा और प्रतिकर पदाधिकारी इस सम्बन्ध में नियत की गई तारीख़ पर या किसी अन्य स्थगित की हुई तारीख़ पर ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसी अधिक जाँच के बाद जो वह उचित समझे प्रतिकर की धनराशि निश्चित करेगा और यह धनराशि सिवाय उस दशा के जो धारा १२ में बताई गई है, अन्तिम और निर्णयात्मक होगी। प्रतिकर का भुगतान।

(३) प्रतिकर पदाधिकारी प्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए निश्चित करेगा:—

(क) कोई लगान, जो अपेक्षित की हुई भूमि पर निर्धारित किया गया हो,

(ख) सायर की कोई आय जो ऐसी भूमि से होती हो,

(ग) उन पेड़ों का मूल्य जो भूमि अपेक्षित किये जाने के कारण भूमि से हटाने पड़े हों, और

(घ) वह प्रयोजन जिसके लिए यह भूमि अपेक्षित की गई हो उक्त पदाधिकारी उस लाभ को भी ध्यान में रखेगा जो उस भूमि का उपयोग किये जाने के कारण किसी ऐसी अन्य सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचने की संभावना हो, जो ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके अधिकार में हो। पर वह निम्नलिखित बातों पर कोई विचार नहीं करेगा।

(अ) वाक्य खंड (ग) में उल्लिखित पेड़ों के अतिरिक्त ऐसे पेड़ों का मूल्य जो उपयुक्त व्यक्ति के अधिकार में बने रहें और जिनका वह उपभोग करता रहे,

(ब) ऐसी फसलों का मूल्य जो भूमि अपेक्षित करने के समय उस पर खड़ी हुई हों और जिन्हें वह ऐसे समय के बाद जो अपेक्षित करने वाला अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्धारित करे, हटाले,

(स) अपेक्षित की हुई भूमि में या भूमि पर किसी व्यक्ति के उस स्वत्व का मूल्य जिसका उपभोग न तो स्थगित किया गया हो और न किसी अन्य विधि से निषिद्ध किया गया हो।

(४) उपधारा (१) के आधीन नियत किया गया या उपधारा (२) के आधीन निश्चित किया गया प्रतिकर इस प्रकार दिया जायगा जिस प्रकार सम्बन्धित पक्ष निश्चित करे या जैसा प्रतिकर पदाधिकारी आदेश दे।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ९ (१) के प्रारम्भ में शब्द "उस दशा में" हटा दिए जायँ। धारा ९ (१) के पढ़ने से यह मालूम होगा कि उस धारा के आरंभ में जो शब्द 'उस दशा में' रखे गये हैं वह बिल्कुल अनावश्यक हैं। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि उन शब्दों को निकाल दिया जाए और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

माननीय उद्योग सचिव—मैं इस सुधार को स्वीकार करता हूँ।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि धारा ९ की उप धारा (१) के आरंभ में शब्द 'उस दशा में' निकाल दिए जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फखरुल इस्लाम—जनाब वाला, मैं यह तहरीक करता हूँ कि धारा ९ की उपधारा (२) में "जो धारा १२ में बताई गई है अन्तिम और निर्णयात्मक होगी" ये शब्द निकाल दिए जायँ।

माननीय स्पीकर—और इनकी जगह पर आप कुछ नहीं रखना चाहते?

श्री फ़ख़रुल इस्लाम—जी नहीं।

जनाब वाला, मैं इन अल्फ़ाज़ को इसलिए निकाल देना चाहता हूँ कि दूसरे तरीक़े, जो ज्यादा मुनासिब हैं और बेहतर हैं जिनमें मुआवज़े का सवाल पैदा होता है, अख़्तियार करना चाहिये। और वह उसूल यहाँ इस हिन्दुस्तान में और इस सूबे में अरसे से रायज है। यानी जब किसी शख़्श की कोई ज़मीन किसी पब्लिक काम के लिये ली जाय तो उसके लिए कौन सा तरीक़ा अख़्तियार करना चाहिए, यह तरीक़ा एक प्रोसीज्योर का तरीक़ा है और उसी पर हमेशा से अमल होता आया है। मुझे ताज्जुब है कि आज सबसे पहली मर्तबा इस ऐवान में एक अनोखा प्रोसीज्योर इस बिल के ज़रिए से पेश किया जा रहा है।

माननीय स्पीकर—ज़रा आप ठहरिये। मैं देखता हूँ कि इन शब्दों के निकाल देने से जुम्ला बेमानी होता है। आपकी बगल में डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं आप उनसे सलाह करलें। आप जो सुझाव पेश कर रहे हैं वह बामानी होना चाहिए।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बज कर १२ मिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, के सभापतित्व में पुनः भवन की कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री फख़रुल इस्लाम—जनाब वाला, धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तिम शब्द "और यह धन राशि सिवाय उस दशा के जो धारा १२ में बताई गई है, अन्तिम और निर्णयात्मक होगी" निकाल दिए जाँय।

ऐसा क़ानून कभी भी इस हाउस में अब तक मंजूर नहीं हुआ कि जहाँ मुआवज़े का सवाल होगा उसमें फ़ैसला गवर्नमेंट के मुलाज़िम एक एक्जीक्यूटिव आफिसर बतौर एवार्ड के करें और उसकी नज़रसानी गवर्नमेंट दफ़ा १२ के मुताबिक़ करे ऐसी चीज़ अब तक इस ऐवान से कभी भी मंजूर नहीं हुई। यह ऐवान एक बहुत ऊँची जगह है। बावजूद इसके कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब कुछ कहें इसकी एक बहुत ऊँची जगह है और अब तक रही है अगर कोई जायदाद किसी पब्लिक परपजेज़ के लिये ली जाये जैसे मदरसा, लायब्रेरी, स्कूल, कालेज और डिस्पेंसरीज़ वग़ैरह के लिये, यह भी बहुत ऊँचे काम हैं व तालाब वग़ैरा से ज्यादा ऊँचे और उत्तम काम हैं। इन कामों के लिये भी अगर कोई ज़मीन ली जाती है तो कलेक्टर या नाज़िमी एक एवार्ड देता है। इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होती है। वह शहादत लेता है और मारकेट वैल्यू फिक्स (नियत) करता है और जब वह फ़ैसला करता है उसकी अपील हाई कोर्ट तक होती है। यह नहीं कि उसका फैसला मान लिया गया। अगर यह दफ़ा ऐवान ने मान ली तो आप एक्जीक्यूटिव को और बढ़ावा देते हैं जिसके ख़िलाफ ७२ तक़रीरें

[श्री फ़खरुल इस्लाम]

इस ऐवान में हुई । इस ऐवान में हम लोगों को जनता पार्टी के नाम से नहीं बल्कि बुरे अल्फाज़ से याद करते हैं और याद करते रहे हैं हमें इसका कुछ गिला नहीं बल्कि हम तो यह समझते हैं कि अपोजीशन का काम ही यह है कि आप जो खामियाँ कर रहे हैं हम उनको बतलायें। आप मानें या न मानें यह हमारा काम नहीं है यह तो आप का काम है। हमारा काम तो यह है कि हम अपको समझा दें। आपने जो इलेक्शन्स जीते हैं और जिनकी बिना पर आप इस ऐवान में बैठे हुए हैं वह कोई सिद्धान्त पर नहीं जीते हैं किसी पालिसी या प्रोग्राम पर नहीं जीते हैं। बल्कि मैं बतलाता हूँ आप जीते इसलिये कि इस मुल्क में एक विदेशी राज था। विदेशी राज के खिलाफ़ सब थे। आप जेल गये सन् ४२ में बड़ी कठिनायाँ उठाईं। यहाँ की जनता ने जिन के आप नुमाइन्दे हैं उन्होंने यह सोचा कि यह जेल गये हैं, मुसीबतें उठाई हैं, बहुत परेशान रहे हैं लिहाज़ा उसने आप को वोट दिया और आप इलेक्ट हो गये। अगर जनता पार्टी कोई प्रोग्राम आपके सामने रखती है तो आप यक़ीन मानिये ऐवान के बाहर बहुत बड़ी जमात ऐसी भी है जो जनता पार्टी के उसूलों से या प्रोग्राम से मुत्तफिक नहीं है लेकिन वह आपके इस क़ानून के खिलाफ़ जरूर है। आप किसी रेल के डिब्बे में सफर कीजिये जैसा कि कानपुर के एक कांग्रेसमैन ने कहा भी था कि अब तो रेल में सफ़र करना भी मुश्किल हो गया है कांग्रेस की बुराई सुनते सुनते। आप इस पर ध्यान दें और ग़ौर करें। इस तौर पर जो दफ़ा १२ आप रख रहे हैं वह पब्लिक के हकूक़ को पामाल करेगी और वह जस्टिस के खिलाफ होगी।

लैंड एक्वीजीशन रूल में जो कम्पेन्सेशन के सिलसिले में बना है यह इस दफ़ा के अन्दर इस तरह से खत्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि यह ग़लत है और यह बहुत ही मुनासिब और जरूरी तरमीम है और गवर्नमेंट को इस के मंजूर करने में कोई जहमत नहीं होगी। आपको यह ख्याल है कि ऐसा करने में आपको तालाबों के बनवाने में ज़हमत उठानी पढ़ेगी यह ग़लत है जिस वक़्त कलेक्टर गजेट में शाया कर देगा कि फ़लाँ फ़लाँ लैंड की जरूरत है वह लैंड आप के कब्जे में आ जावेगी। और जहाँ तक मुआविजे का सवाल है कोई उसे रोक नहीं सकता। टैंक खोदने का सवाल है वह सब होता रहेगा, काश्तकारों को सिंचाई के सिलसिले में कोई दिक़त नहीं होगी जब मुआविजे का सवाल आयेगा तो केस (मामला) कलेक्टर के हाथ से जज के हाथ में आ जायेगा और हाईकोर्ट तक वह जावेगा। जिस शख्स को मुआविजा मिलना है उस को संतोष होगा कि वह अपना मामला हाईकोर्ट तक अच्छी तरह से लड़ा और जो उसे मुनासिब क़ीमत मिल सकती थी वह उसे मिली। मैं फिर कहता हूँ कि जमीन जो बेकार पड़ी है तालाबों के लिये आप ले लें मुझे इस में कोई एतराज नहीं है। न मैं कोई इसका विरोध करता हूँ। मैं तो उन तालाबों के मुताल्लिक कहता हूँ कि जिनको आपने नाजायज तौर पर

घेर लिया है, जमीन की कमी थी जमींदारों ने अच्छे अच्छे नजराने लेकर उठा दी। इस में काश्तकारों का क्या कसूर है। मैं समझता हूँ कि २०, २५, ३० वर्ष हुए तब से यह बात है। उस वक़्त यह क़ानून क्यों नहीं बनाया कि तालाब की जमीन नहीं उठाई जा सकती है सन् ३७ में आप कर सकते थे। और आपके पहले के लोग कर सकते थे कि तालाबों की जमीनें नहीं उठाई जा सकती हैं लाखों बीघा जमीन जो तालाबों से घिरी थी अब खेत बन गये मैं समझता हूँ कि इस तजवीज को मंजूर करना मुनासिब है और इस में आप को कोई जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। बल्कि आपकी जो दुश्वारियाँ हैं वह सब दूर हो जायेंगी। जहाँ तक मुआविजे का सवाल है लोग सिफारिश करने आयेंगे। कोई कहेगा कि मुझ को १०० रुपया मिला है कोई कुछ कहेगा। आप हर मामले को खुद अगर देखेंगे और हाथ में लेंगे तो किसी को तो २ हजार दे देंगे, किसी को ५०० और किसी को १०० रुपया ही मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि यह चीज आप क्यों अपने हाथ में लेते हैं। यह जस्टिस के खिलाफ़ है।

माननीय उद्योग सचिव—हाउस आफ़ कामंस में जो एक लफ़्ज बहुत चालू है जो इस तक़रीर पर लागू होता है जो अभी मेरे दोस्त ने की है। और उस लफ़्ज का अगर मैं प्रयोग करूंगा तो मेरे दोस्त बहुत नाराज हो जायँगे। जब वह नहीं नाराज होते हैं तो इर्रेलीवेंट स्पीचेज किया करते हैं और अगर नाराज हो जायेंगे तो ऐसी बात कहेंगे कि गालिबन खुद अपनी ग़लती महसूस करेंगे, कि ग़लती की। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं इस तरमीम की सख्त मुखालिफ़त करता हूँ जो आपने की है। आपने कोई दलील नहीं दी है। मैंने जो अभी तक़रीर की थी गौर करने के सिलसिले में उसका कोई लिहाज नहीं किया गया इसलिये मैं अब लाचार हो कर यही कहता हूँ कि मुझे कोई दलील नहीं देनी है और मैं इसकी सख्त मुखालिफ़त करता हूँ।

श्री अब्दुल शकूर—मुझे आपकी इजाजत से यह सवाल करना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है कि खुद ही मुद्दई हो और खुद ही मुन्सिफ़ हो ?

डिप्टी स्पीकर—यह कोई सवाल नहीं है बल्कि एक दलील है।

सवाल यह है कि धारा ९ की उपधारा (२) के अन्तिम शब्द "और यह धनराशि सिवाय उस दशा के जो धारा १२ में बतायी गयी है अंतिम और निर्णयात्मक होगी," निकाल दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

***श्री फखरुल इस्लाम**—जनाबवाला, दफ़ा ९ की तहती दफ़ा (३) (क) में इस तरह का इजाफ़ा पेश करना चाहता हूँ यानी "इसके अलावा मेड़ों के

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बनाने के सिलसिले में साल ब साल जो अखराजात हुये हैं अदा किये जायें और जो नजराना दिया है उसका भी मुआविजा जाय।"

जनाब वाला, मैं हाउस के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस कानून से यह हक़ ले रही है कि तालाबों में जो खेत बनाये गये हैं और उन खेतों से आबपाशी में जहमतें पैदा हो रही हैं तो उनको मुआविजा दिया जाने के सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो स्कीम मुआविजे की रखी है वह सिर्फ़ इस क़दर है कि उस पर जो लगान देता हो उसके हिसाब से अदा होगा। सायर इन्कम अगर कोई हो या कोई दरख्त वग़ैरह हों तो वह अदा होगा। इसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तालाब जो तोड़े गये हैं उनकी एक हिस्ट्री है और ख़ास तौर पर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तो है ही। और जब तक ऐवान के मेम्बरान उस हिस्ट्री को अपने सामने न रखेंगे मैं समझता हूँ कि उन्हें शायद मेरा मतलब समझने में दिक्कत होगी। इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के जो तालाब हैं उनकी जो मेंड़ होती है उसमें धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ज्यादा से ज्यादा हो सकती है लेकिन चूंकि वह तालाब बिलकुल पानी से भरा हुआ होता है उसमें खेत का बनाना मुश्किल हुआ करता है। जमींदार भी ऐसी जमीनें काश्तकारों को देते हैं। पहिले तो देता नहीं जब तक मामूली नजराना नहीं ले लेता और जब नजराना ले लेता है तो उनको देता है। यानी पांच सौ, हजार, दो सौ, सौ। जिस जमीन में जिस तालाब में जैसी काश्त हो सकती है। काश्तकार ने जो आज ५० बरसों के अन्दर इन अजला में लाखों रुपया बतौर नजराना के जमीनों पर अदा कर दिया। उन्हें यह नहीं मालूम था कि सन् १९४८ ई० में एक ऐसे वजीर साहब आयेंगे जिन्हें काश्तकारों से कोई दिलचस्पी नहीं होगी और काश्तकारों के मसायल पर ध्यान भी नहीं देंगे। वह एक ऐसा क़ानून इस ऐवान में लायेंगे और उनकी तमाम जमीनें निगल जायेंगे। जब यह खेत बने जब उसने नजराना अदा कर दिया उसके बाद पांच बरस तक हजार डेढ़ हजार रुपये उसकी फेंकवाई हजार हजार रुपये तक देनी पड़ती है। बरसात में उन्होंने मिट्टी डलवाई, बरसात आई, मिट्टी बह गई फिर उन्होंने दूसरे साल मिट्टी फेंकवाई, फिर तीसरे साल फेंकवाई और फिर चौथे साल फेंकवाई। इस तरह पांच बरस में हजारों रुपये उनके सर्फ़ हो गये। और तब जाकर खेत तैयार हुआ और जब खेत तैयार हुआ तब काश्त होने लगी तब कहीं जाकर उस ग़रीब काश्तकार ने धान लगाया तब नतीजा इसका जरूर यह हुआ कि बहुत से तालाब खराब हो गए यह मैं मानने के लिये तैयार हूँ और तसलीम करता हूँ कि ऐसा हुआ और काफ़ी उससे नुक़सान हुआ यह भी जाहिर है, यह क्यों हुआ इसकी जिम्मेदारी मुझ पर या आप पर नहीं है लेकिन पिछली सरकारों ने अगर ऐसा कर दिया होता कि किसी तालाब का पट्टा होगा तो उसको ग़ैर कानूनी माना जायगा जैसा कि इस ऐवान में दो साल से मुतालबा

होता रहा है और अब मजबूर होकर इस क़ानून को लाए हैं जब कि ग़रीब काश्तकारों ने अपनी गाढ़ी कमाई और मेहनत का रुपया सर्फ़ कर के इन मेड़ों को तैयार किया है, अगर आप तालाब के सिलसिले इन में खेतों को लेना चाहते हैं तो लें और अगर आप न लेंगे जैसा कि आपने कहा तो मैं समझता हूँ कि आपकी स्कीम हो पूरी न होगी. आपकी स्कीम यह है कि जो तालाब पड़े हैं इससे खेती बढ़ाई जाय काश्त बढ़ाई जाय और जो खेत ऊसर और बंजर पड़े हुए हैं इन में काश्त होने लगे अगर आपकी यही स्कीम है तो आप मजबूर हैं कि जो खेत तालाबों में शामिल हैं उनको लें और अगर आप उनको लेते हैं तो इन्साफ़ का तकाज़ा यह है कि आप उन काश्तकारों को मुआवज़ा दें जिन्होंने अपनी नासमझी की बिना पर या खेत की कमी की वजह से रुपया नज़राने की शकल में दिया है और मेंड़ों में लगाया है, तो मैं ऐवान के मेम्बरों से पूछता हूँ कि क्या इंसाफ़ यही है कि उससे वह सब छीन लिया जाय और उसको कुछ न दिया जाय. अगर आप हज़ारों तालाब लेंगे तो इस बिल के असर में लाखों काश्तकार आ जावेंगे. अगर आप का यह बिल सिर्फ़ आई वाश है और आपकी ग़र्ज़ यही है कि बिल पास हो जाय और इस ऐवान के कुछ मेम्बर खुश हो जायँ तब तो आप को मुबारक है कि जहाँ पब्लिक जोर में आई तो आपने कुछ कर दिया तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर आप की दिली ख्वाहिश है कि जहाँ बुनियादें खराब हैं और जहाँ पानी बढ़ाना है और ज़रिए आबपाशी बढ़ाना है वहाँ आप इंसाफ़, जस्टिस, और इक्विटी के साथ इस मसले पर गौर करें, अगर आपको लाख दो लाख रुपया देना पड़ता है तो आप ग्रज (ईर्षा) न करें, और आपको वह देना चाहिए उनको जो इसके मुस्तहिक हैं और ऐसों को न दें जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं। इस के लिए आप बेहतर और सही तरीक़ा अख्तयार कर सकते हैं, जब यह नज़राने दिए जाते हैं तो लगान बहुत कम होता है और वह ४ आने, ८ आने, १२ आने या कहीं १ रुपया भी होता है एक बीघे का, इससे ज्यादा तालाबों के खेतों का लगान नहीं है, अगर आप की दफ़ा मान लो जाय यानी जितनी सालाना इनकम है उसका २० फ़ीसदी दिया जाय। उसका मुआवजा हर तौर से, जैसे अगर किसी की २० बीघा आराजी है और उसका एक रुपया बीघा लगान है तो २० रुपया हुआ तो आप उस को ४८ रुपये मुआवज़ा दे देंगे। मैं नहीं समझता कि जिसने हज़ारों रुपया बरबाद किया हो, मेहनत की हो, खेत बनाया हो सब बातें की हों उसको आप अगर २० रुपया मुआवज़ा देते हैं तो आपका क्या गाइडिंग प्रिन्सिपल होगा और मुआवज़ा अफ़सर के सामने जो लैन्ड एक्वीजीशन करेगा उसके सामने क्या उसूल होगा। इन सूरतों में मालूम नहीं कि मेरी तरमीम मिनिस्टर साहब की समझ में आई है या नहीं। अगर आप ऐसी ज़मीनें लेना चाहते हैं तो मैं आप से मुतालबा करता हूँ कि उनको मुआवज़ा दिया जाय जिससे उनका नुक़सान न हो और वह फिर उस रुपये से

दूसरे खेतों को जो बंजर और खराब हैं ठीक कर सकें। आप तो उन काश्तकारों के पालक हैं और हमदर्द हैं और उन्हीं के लिए यह चीज़ रखी जाती है। अगर यह चीज़ मेरी ज़बान से बुरी मालूम होती है और आप के दिल में जगह है तो आप उसे मंजूर कर लें। इन अलफ़ाज के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तरमीम को मंजूर करेंगे कि मेड़ों के बनवाने के सिलसिले में जो खर्च साल ब साल हुआ है वह दिया जाय और नज़राने का भी मुआवजा दिया जाय।

माननीय उद्योग सचिव—मैं इस सुधार को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने दो एक बातें अपने सुबह के भाषण में अर्ज़ की थीं। मुझे अफ़सोस है कि मेरे दोस्त ने महज़ इस ख्याल से कि वह काश्तकारों की हिफ़ाजत के लिये एक सुधार पेश कर रहे हैं मेरी बातों पर गौर नहीं किया। उन्होंने यह नहीं समझा कि इसके मानी क्या है। मैंने सुबह अर्ज़ कर दिया था कि जितनी ज़मीन एक तालाब में समझी जाती है, यह ज़रूरी नहीं है कि वह सारी ज़मीन एक्वायर कर ली जाय। उसका जवाब आपने दिया कि चारों तरफ़ की ज़मीन लेना पड़ेगी। उसके सिलसिले में पटवारी के कागजात में एतराज है आप जरा समझने की कोशिश कीजिए चाहे आप सुधार मंजूर करें या न करें। अगर एक तालाब को ३, ४ फुट गहरा करते हैं तो जितना पानी आज उसमें आता है उससे तिगुना चौगुना उसमें आ जायगा और अगर ज्यादा आ जायगा तो हम ज्यादा खेती के रक़बे की सिंचाई कर सकेंगे। ज्यादा गहरा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें थोड़ा चौड़ा करने के बाद उस तालाब के तमाम रक़बे की जमीन को एक्वायर करें। इसीलिये जिन तालाबों को हम ले रहे हैं उनकी तमाम ज़मीनों को नहीं ले रहे हैं इसलिए यह सवाल नहीं उठता। दूसरे नज़राने की रक़म की बाबत जो आप तजवीज कर रहे हैं वह तो आप एक बुरे काम को भला और जायज कर रहे हैं और हिम्मत के साथ आप यह बात कर रहे हैं, उसकी मैं दाद देना नहीं चाहता। एक काश्तकारों के हमदर्द को शर्म आनी चाहिए कि वह नाजायज नज़राने को जिसका इन्द्राज नहीं है उसे आप कानून में रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी जनसेवक या किसान सेवक को जो जनता पार्टी का स्वयंसेवक होने का दावा करता है उसको यह बात नहीं कहना चाहिए थी। उसको तो कहना चाहिये था कि जिस काश्तकार ने सारे गाँव की आबपाशी का ख्याल न करके और ५० हज़ार रूपया नज़राना देकर ऐसी ज़मीन ली है। उसको तो बरबाद हो जाना चाहिये और उसको खत्म हो जाना चाहिए और उसको कोई मुआवज़ा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जो सुधार आपका है मैं उसको इम्मारल (अनैतिक) और किसानों के हित के खिलाफ़ समझता हूँ और इस तरीके को इनीमिकल समझता हूँ। काश्तकारों का दुश्मन ही ऐसे मुआवजे की बात कह सकता है। आप किसी जगह मीटिंग कीजिये तो मालूम होगा कि किसानों की क्या राय है, मैंने दरजनों मीटिंगें करके काश्तकारों के सामने इस मसले को रखा है, लेकिन किसी ने मुआवज़ा देने की बात नहीं कहीं, बल्कि

उन्होंने कहा कि अगर उनको कुछ भी न मिले तो हमें कोई एतराज न होगा। मैंने आप लोगों का ख्याल करके ही और उन लोगों का ख्याल कर के जिन्होंने बिना सोचे समझे खर्च कर दिया है उनको कुछ मुआवजा दिला देना चाहता हूँ ताकि उनको तकलीफ न हो। इसलिये मेरी राय में इस तरह के सुधार से कोई फ़ायदा न होगा, साथ ही मैं इसकी मुखालफ़त करता हूँ।

*श्री अब्दुल शकूर—मुहतरिम डिप्टी स्पीकर, जो तजवीज ऐवान में आई है वह निहायत मौजूं है। बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी ज़मीनों को एक्वायर करना है यह एक निहायत बुलन्द क़दम है कि उनको मुआवजा दिया जाता है। जो लोग मेंड़ बनाकर तालाब के पानी को रोकते हैं वह खुद थोड़ा सा फ़ायदा उठाकर हजारों इन्सानों को नुक़सान पहुँचाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी और भी दूरन्देशी की होती तो ऐसे लोगों को तो ज़मीन का भी मुआवजा न देना चाहिये था जो हजारों आदमियों के दुख और दर्द के बायस बनें। लिहाजा यह गवर्मेन्ट की बुलन्द ख्याली है कि जब उनसे ज़मीन लेती है तो उनको कुछ न कुछ मुआवजा देती है। यह बहुत बड़ी बख्शिश है। हमारे भाई फखरुल इस्लाम साहब ने जो तरमीम पेश की है मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने वह किस ग़रज से पेश की है। उसका कोई ख़ास पहलू मेरी समझ में नहीं आया। लिहाजा यह तजवीज जो कि एक बिल की सूरत में यहाँ आई है निहायत मौजूँ है और इसमें हाउस को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए।

*श्री फखरुल इस्लाम—मैंने आनरेबिल मिनिस्टर की तक़रीर बहुत ग़ौर से सुनी और उसके हर प्वाइंट को समझने की कोशिश की। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं उनके उस आर्गूमेंट को जो कि उन्होंने अब तक हमारे सामने रक्खा है नहीं समझ सका और बावजूद इसके कि मैं उनको राजी नहीं कर सका, मैं समझता हूँ कि मेरी तरमीम अपनी जगह पर मुनासिब और ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा उनका यह ख्याल कि तालाबों को गहरा कर देने से कम ज़मीनों को लेना पड़ेगा मेरे ख्याल में ग़लत है। अगर तालाब गहरे कर दिये जायेंगे तो एक बड़ी ज़हमत पैदा हो जायगी। अगर तालाब छिछले होते हैं तो उनका पानी पास की आराजी में जो कि थोड़ी ही ऊँची होती है दो एक जगह फेंक कर आसानी से पहुँचाया जा सकता है और इस तरह वह पानी गाँव के हर हिस्से में पहुँच सकता है। लेकिन जब आप उन तालाबों को कुवों की तरह गहरा कर देंगे तो नतीजा यह होगा कि आबपाशी के लिए और ज़हमत पैदा हो जायगी और तालाबों से पानी खींच कर नालियों में लाया जायगा और फिर ऊपर फेंका जायगा। आप कहते हैं कि हम मशीन लगा देंगे। आप का बजट और आपकी स्कीम हमारे सामने है। जो सरक्युलर जारी हुआ है वह भी हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि आप

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री फखरुल इस्लाम]

मुश्किल से ५०–६० मशीनें लगा सकेंगे और अगर बहुत सस्ती मिल गयीं तो शायद १०० मशीनें लगा सकें। मगर यहाँ हजारों तालाब हैं। आप कितनी मशीनें लगायेंगे। इस स्कीम से आप तालाबों को गहरा करना चाहते हैं। मगर तालाबों का छिछलापन, उनकी लम्बाई और चौड़ाई बुनियादी चीजें हैं। तालाब जितना ही लम्बा और चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा पानी गाँवों के हर हिस्से में पहुँच सकेगा। तालाबों की आबपाशी में बेसिक उसूल यह है कि वह आबपाशी कुओं के मुकाबले कम खर्च में होनी चाहिए। तभी काश्तकार उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इसलिए आपकी जो स्कीम है वह अपनी जगह पर बहुत ही नामौजूं है। अगर आप थोड़ी जमीन एक्वायर करेंगे तो उससे आबपाशी में कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं अब भी इसी ख्याल का हूँ कि अपनी तरमीम को वापस न लूं और आखिर में यह भी अर्ज कर दूँ कि सवाल यह है कि जिसका खेत लिया जाय उसे मुआवजा दिया जाय। यह एक बेसिक प्रिंसिपल है। यह जस्टिस का सवाल है। हर शख्स जो जस्टिस का पालन करने वाला है वह कहेगा कि यह कौन-सा इन्साफ़ है कि आप फलां काम के लिए जमीन चाहते हैं इसलिए उसका रुपया नहीं देंगे। यह जस्टिस नहीं है।

दुनिया में ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है या कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यह कहे कि चूंकि हमें जरूरत है इसलिए हम इसको ले रहे हैं और कोई मुआवजा नहीं देंगे। यह कोई उसूल नहीं है। यह बड़ा ही ग़लत उसूल है। इसलिए मैं फ़िर आखिर में उनसे कहूँगा कि वे तालाबों को लम्बा और छिछला करने की कोशिश करें और जब वे जमीन हासिल करें तो लाखों रुपये का ग़रीब काश्कारों को जो नुक़सान हो वह उन्हें मुआवजे में दें। मुझे ताज्जुब है और मालूम नहीं कि कैसे जब आनरेबिल मिनिस्टर साहब गाँव में गये थे तो वहाँ के काश्तकारों ने कहा कि आप हमारे खेत ले लीजिये और खुशी से उनमें तालाब बना लीजिये। मुझे मालूम है कि ऐसे तालाबों में काश्तकारों के खेत होते हैं। हर काश्तकार के पास चाहे एक बीघा हो या पाँच बीघा हो या दस बीघा हो लेकिन कुछ न कुछ तालाबी खेत जरूर होता है। हर काश्तकार के पास तालाबी खेत होता है और वह उनका जरिया-माश होता है। उनकी जिन्दगी का दारोमदार उसी पर होता है। फिर उन्होंने क्योंकर खुशी से यह कह दिया होगा कि आप हमारी जमीन ले लीजिये, इसमें हमारा कोई नुक़सान नहीं है। इसके अलावा नजराने का सवाल जो आपने उठाया, मुझे ताज्जुब है कि नजराना मौजूदा ऐक्ट के बमूजिब इल्लीगल (ग़ैर क़ानूनी) होते हुए भी हजारों रुपया लोग ले रहे हैं और यह बदस्तूर जारी है। अब इस नजराने की हवा देहातों से शहरों में भी पहुँच गई है। पगड़ी की रस्म वही है, जब शहर में कोई दूकान खाली हो तो उसके लिये लोग नजराना लेते हैं और देते हैं। यह देहात की बात नहीं है बल्कि शहर में भी यह पहुँच गई है। और यह बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके कि यह क़ानून में इल्लीगल है और अगर सन् १९३७

के पहले के जितने भी पट्टे इस सूबे में हुये हैं उनको देखें तो पता चलेगा कि उनमें नज़राने की रक़म हर जगह लिखी हुई है और वह लीगल ट्रीट होता है। वह इल्लीगल नहीं है। जहाँ पर नज़राने का इन्दराज है वहाँ पर चार हज़ार रुपया लिया गया है, एक हज़ार रुपया लिया गया है और ५०० रुपया लिया गया है यही नज़राने का लफ़्ज़ लिखा हुआ है। अगर यह नज़राना ज़मींदार साहबान के पास जाता तो इसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता था लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि वे ग़रीब क़ाश्तकार जो यह नज़राना देते हैं यह तो उनको ही वापस किया जा रहा है। इसमें कौन सी बुराई आपको मालूम होती है यह तो सिर्फ़ नज़राने का सवाल है। आप क्यों महज़ जनता पार्टी के ऊपर अलफ़ाज़ कस रहे हैं। नहीं मालूम ट्रेज़री बेंचेज़ की तरफ़ से जनता पार्टी के ख़िलाफ़ क्यों इस तरह की मुख़ालिफ़त की जा रही है। आप तो चाहते हैं कि आपके किसी बिल का अपोज़िशन न हो और वह यहाँ आवे और फ़ौरन पास हो जाय। लेकिन मैं आपको बतलाऊँ कि अब हमारी गवर्नमेंट की टेन्डेन्सी कैपिटलिज़्म (पूंजीवाद) की तरफ़ होती चली जाती है। अवाम में यह आपका मेंडेट फैल रहा है कि आपकी टेन्डेन्सी (झुकाव) कैपिटलिज़्म (पूंजीवाद) की तरफ़ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब आपको न काश्तकारों की फ़िक्र है और न मज़दूरों की फ़िक्र है यह सब मज़दूरों के नुमाइन्दे और काश्तकारों के नुमाइन्दे यहाँ पर कहते हैं कि आपकी टेंडेंसी कैपिटलिज़्म की तरफ़ जा रही है और अब आप इसी पालिसी पर चलना चाहते हैं।

Show yourself merciful, but do not be merciful. Show yourself honest, but do not be honest, and show yourself custodian of the rights of the *kashtkars* and labourers, but do not be custodian of tne rights of *kashtkars* and labourers.

(अपने आपको दयावान ज़ाहिर कीजिये, किन्तु दया न कीजिये, अपने आपको ईमानदार ज़ाहिर कीजिये मगर ईमानदारी न कीजिये और अपने आपको काश्तकारों और मज़दूरों के अधिकारों का रक्षक प्रगट कीजिये किन्तु काश्तकारों और मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा न कीजिये।)

अगर यह उसूल आपका है तो आपको मुबारक है। मैं तो यह बात कहता हूँ कि हज़ारों काश्तकारों का इससे ताल्लुक़ है। न मालूम आपके पास बैठे हुए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के मेम्बर साहबान क्यों आज यहाँ पर चुप हैं। इस क़ानून के बनाने के बाद आप देखेंगे कि इससे काश्तकारों पर क्या असर पड़ता है और जब काश्तकार आपके पास आयेंगे और इसकी बुराई करेंगे तो आप फिर इसमें अपनी तरमीम लायेंगे। बजाय इसके कि आप ख़ुद को और सेक्रेटेरियट को बिज़ी (व्यस्त) करें। आप जिसको २, ३ हज़ार रुपया तनख़्वाह का देते हैं उसको इस काम को

[श्री फ़खरुल इस्लाम]

दें दें न उसके पास पार्टी का सवाल आयगा और न सिफ़ारिश का सवाल ही चलेगा और यह सब दिक़्क़तें बन्द हो जायँगी। इसकी तरफ़ मैं आपका फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप इस पर ग़ौर करें। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं फिर अपनी तरमीम पर बदस्तूर क़ायम रहता हुआ आपसे फिर कहता हूँ कि आप इसको मंजूर करने की कोशिश करें।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ९, उपधारा (३) (क) में यह शब्द बढ़ा दिये जायें।

'इसके अलावा मेंड़ों के बनाने के सिलसिले में जो अख़राजात साल ब साल हुए हैं अदा किये जायँ और जो नज़राना दिया है उसका भी मुआविज़ा दिया जाय।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा ९ संशोधित रूप में इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें १० और ११

अपेक्षित की गई भूमि का मुक्त किया जाना।

१०—(१) यदि धारा ३ या ८ के आधीन अपेक्षित की गई कोई भूमि प्राप्त न की जाय और वह अपेक्षित भूमि की दशा से मुक्त की जाने वाली हो तो अपेक्षित करने वाला अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात्, और यदि वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का निर्णय करेगा जिसको उसके विचार में उस भूमि पर अधिकार मिलना चाहिए।

(२) उपधारा १ के आधीन दी गई आज्ञा में बताये गये व्यक्ति को ऐसी भूमि का अधिकार दिये जाने पर प्रांतीय सरकार उस सब उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायगी जो उस पर उस भूमि के सम्बन्ध में न्यायोचित व्यक्ति को अधिकार दिलाने के विषय में रहा हो किन्तु इससे उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति के उस स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा जो वह वैधानिक कार्यवाही करके उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थापित कर सके जिसको उक्त भूमि पर इस प्रकार अधिकार दिया गया हो।

(३) ऐसी दशा में जबकि वह व्यक्ति जिसे धारा ३ या ८ के आधीन अपेक्षित की गई किसी भूमि पर अधिकार दिया जाने वाला हो, न मिले या उसका सरलता से पता न चले या उसकी ओर से भूमि पर अधिकार करने के लिए कोई अधिकृत एजेण्ट या अन्य व्यक्ति न हो तो प्रांतीय सरकार, सरकारी गज़ट में एक नोटिस प्रकाशित करेगी, जिसमें यह घोषित किया जायगा कि ऐसी भूमि अपेक्षित करने से मुक्त की जाती है और उसकी एक प्रतिलिपि को उस भूमि के किसी प्रमुख भाग में लगवा देगी।

(४) जब कि उपधारा ३ में उल्लिखित नोटिस सरकारी गज़ट में प्रकाशित हो जाय तो ऐसे नोटिस में बतायी गयी भूमि, ऐसे प्रकाशन की तारीख़ को और उस तारीख़ से अपेक्षित की हुई नहीं रह जायगी और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गयी है जिसको उस पर अधिकार मिलना चाहिये था।

(५) उपधारा २ या ४ के आधीन अधिकार दे दिये जाने पर प्रांतीय सरकार उस दशा के अतिरिक्त जब धारा ६ के आधीन दी गई किसी आज्ञा के द्वारा आदेश दिया जाय, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देने या कोई अन्य दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अपेक्षित की गई भूमि की निगरानी तथा प्रबन्ध करने का अधिकार देना।

११—अपेक्षित करने वाला अधिकारी, इस ऐक्ट के आधीन अपेक्षित की गई किसी भूमि के प्रबन्ध या देखभाल का अधिकार सहकारी समिति या संघ या गाँव सभा को ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के साथ सौंप सकता है जो नियत की जायँ, और ऐसी भूमि का जो इस प्रकार किसी समिति, संघ या गाँव सभा को सौंपी जाय, प्रबन्ध उस विधि से होगा जो कि नियत की जाय।

डिप्टी स्पीकर— सवाल यह है कि धारा १० और धारा ११ इस बिल का हिस्सा मानी जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा १२

अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा की गई आज्ञाओं का पुनर्निरीक्षण

१२—यदि प्रांतीय सरकार या नियत अधिकारी संतुष्ट हो जायँ कि किसी पक्ष के साथ घोर अन्याय हुआ है तो धारा ७ के आधीन अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा या धारा ९ की उपधारा २ के आधीन प्रतिकर पदाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा का पुनर्विचार कर सकता है।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १२ की पंक्ति ४ में शब्द 'आज्ञा का' के बाद शब्द 'वह' जोड़ा जाये। यह तो लिखने से रह गया था। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है और यह जरूरी है। मैं समझता हूँ कि इसे माननीय मन्त्री स्वीकार कर लेंगे।

माननीय उद्योग सचिव—मुझे यह मंजूर है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १२ की पंक्ति ४ में शब्द 'आज्ञा का' के बाद शब्द 'वह' जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १२ संशोधित रूप में इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारायें १३, १४, १५ और १६

प्रान्तीय सरकार की देय धनराशि भू कर आगम मालगुजारी के शेष के रूप में उगाही जायगी।

१३—कोई धन जो इस ऐक्ट के आदेशों या नियमों के आधीन किसी सहकारी समिति, संघ या गाँव सभा द्वारा या ऐसी संस्था के सदस्यों द्वारा प्रांतीय सरकार को देय हो, उस समिति, संघ अथवा सभा या उनके सदस्यों से, जैसी भी दशा हो, माल गुजारी की भाँति उगाहा जायगा।

इस ऐक्ट के आधीन दी गई किसी आज्ञा पर कोई अदालत आपत्ति न करेगी।

१४—उसके अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई है और किसी प्रकार से—

(१) किसी आज्ञा पर जो इस ऐक्ट के आधीन या दुबारा प्राप्त किसी अधिकार का उपयोग करने में दी गई हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(२) उस दशा में जब कि किसी आज्ञा के सम्बन्ध में यह समझा जाय कि वह किसी अधिकारी द्वारा इस ऐक्ट के आधीन प्राप्त किसी अधिकार का उपयोग करते हुए दी गई है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं तो न्यायालय इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट "भारतीय साक्ष्य विधान" १८७२ ई०के आशय के अन्तर्गत यह समझेगी कि ऐसी आज्ञा उक्त अधिकारी ने इस प्रकार दी थी।

इस ऐक्ट के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा।

१५—(१) उस दशा के अतिरिक्त जिसके सम्बन्ध में इस ऐक्ट में व्यवस्था की गई है, कोई नालिश अथवा कोई दूसरी वैधानिक कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे काम के लिए जो इस ऐक्ट के अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के अनुसार सद्भावना से किया गया हो, अथवा जिसके करने का विचार हो, न की जा सकेगी।

(२) कोई नालिश अथवा दूसरी वैधानिक कार्यवाही प्रांतीय सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए जो इस ऐक्ट के अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के अनुसार सद्भावना से किये गये किसी काम से हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, न की जा सकेगी।

नियम बनाने के अधिकार।

१६—(१) प्रांतीय सरकार, इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए उस ऐक्ट के अनुरूप नियम बना सकती है।

(२) विशेषकर और उल्लिखित अधिकारों की सामान्यता पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले ऐसे नियम निम्नलिखित बातों को नियत करेंगे:-

(क) वे विवरण जो किसी सहकारी समिति अथवा संघ अथवा गाँव सभा द्वारा भूमि अपेक्षित करने के लिए आवेदन पत्र में दिये जायेंगे।

(ख) वह कार्य विधि (प्रोसीजर) जिसके अनुसार प्रतिकर पदाधिकारी अथवा भूमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा जाँच की जायगी।

(ग) वे व्यय तथा शर्तें और प्रतिबन्ध जिनके आधीन प्रबन्ध और देख-भाल किसी सहकारी समिति, संघ अथवा गाँव सभा को सौंपे जायँ।

(घ) वह विधि तथा सिद्धांत जिनके अनुसार अपेक्षित की हुई भूमि के विषय में लगान और सायर निश्चित किये जायँ।

(ङ वह अधिकारी जो धारा १२ के आधीन अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा का पुनर्विचार कर सकता है, और वह कार्यविधि जिसके अनुसार वह कार्य करेगा, और

(च) कोई अन्य विषय जिसको नियत करना है अथवा जो नियत किया जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि दफ़ा १३, दफ़ा १४, दफ़ा १५ और दफ़ा १६ इस बिल का हिस्सा मानी जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा १

१—(१)इस ऐक्ट का नाम, संयुक्त प्रांतीय ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण) ऐक्ट, १९४८ ई० होगा। छोटा नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(२) यह सारे संयुक्त प्रांत में लागू होगा।

(३) यह धारा तुरन्त लागू होगी और शेष धारायें प्रांतीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञापित तारीख तथा उन क्षेत्रों में जो उस समय किसी म्युनिसिपैलिटी, कैन्टोन्मेंट या नोटिफाइड एरिया में सम्मिलित न हों, लागू होगी।

श्री केशव गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल की धारा १ में पहली और दूसरी पंक्ति में ब्रैकेट के भीतर के शब्द "भूमि अपेक्षण" हटा कर निम्नलिखित रखा जाय।

'भूमि को अधिकृत करने का'

माननीय उद्योग सचिव—जो तरमीम माननीय सदस्य ने पेश की है, यदि वह उसमें थोड़ा सा सुधारकर लें तो मैं उसको मन्जूर कर सकता हूँ। 'भूमि को अधिकृत करने का' यह कोई क़ानूनी शब्द प्रतीत नहीं होता। इसलिए इस पर ग़ौर किया जाय कि 'अपेक्षण' की जगह पर जो 'अधिकृत' लफ्ज़ रखना चाहते हैं उसको बदल कर मैं समझता हूँ कि 'अधिकरण' रख दिया जाय तो 'भूमि अधिकरण बिल' बिल्कुल सीधा सादा हो जायगा। इसलिए 'भूमि को अधिकृत करने का' की जगह पर 'भूमि अधिकरण' यदि माननीय सदस्य स्वीकार करें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा और मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री केशव गुप्त—मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ और मेरा संशोधन इस प्रकार होगा शब्द 'भूमि अपेक्षण' के स्थान पर शब्द 'भूमि अधिकरण' रख दिए जायँ।

डिप्टी स्पीकर–सवाल यह है कि बिल की धारा १ में पहिली और दूसरी पंक्ति में ब्रैकेट के भीतर के शब्द 'भूमि अपेक्षण' हटा कर उसके स्थान पर "भूमि अधिकरण' रख दिये जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर–सवाल यह है कि धारा १ संशोधित रूप में इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना

क्योंकि यह उचित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और आर्थिक स्थिति के विकास तथा सुधार के लिए भूमि अपेक्षित की जाय और इस प्रकार अपेक्षित की हुई भूमि का प्रतिकर नियत करने के लिए ऐसी विधि निर्धारित की जाय जिससे अल्प समय में यह कार्य हो सके।

इसलिए नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है:—

श्री केशव गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल की प्रस्तावना में जिस २ स्थान पर 'अपेक्षित' व्यवहार किया गया है उसको हटा कर उसके स्थान पर 'अधिकृत' रखा जावे।

माननीय उद्योग सचिव—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि बिल की प्रस्तावना में जिस २ स्थान पर शब्द 'अपेक्षित' लिखा गया है, उसको हटा कर उसके स्थान पर शब्द "अधिकृत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि संशोधित रूप में प्रस्तावना इस बिल का भाग मानी जाय, ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय उद्योग सचिव—डिप्टी स्पीकर महोदय,......

श्री अब्दुल बाकी—प्वाइण्ट आफ़ आर्डर सर। (श्रीमान् जी, एक विधान का प्रश्न है) इस बिल के अन्दर एक नई तरमीम लायक़ वजीर साहब ने मंजूर की है इसलिए स्टैंडिंग आर्डर के मुताबिक़ यह बिल आज पास नहीं होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर—मैं यह देखता हूँ कि कोई तरमीम ऐसी मंजूर नहीं हुई जिससे बिल के असल मतलब पर असर पड़ता हो। ऐसे अल्फाज़ जिनसे ठीक मतलब निकलने में शुबहा होता था उनको साफ़ किया गया है यानी जो तरमीमें

मंजूर हुई हैं वह लफ़्ज़ी हैं इसलिये मैं इन कायदे, जिनके मुताबिक़ माननीय सदस्य ने एतराज़ किया है, के अमलदरामद को मुअत्तिल करता हूं और इजाजत देता हूँ कि माननीय उद्योग सचिव प्रस्ताव पेश करें।

माननीय उद्योग सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार। (भूमि अधिकरण)। बिल सन् १९४८ ई० स्वीकार किया जाये।"

इस सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है। बड़ी खुशी की बात है कि यह बिल मंजूर हो गया। अब सरकार को यह मौक़ा मिला कि काश्तकारों की जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं उनको बिला किसी बाहरी सामान पर मुन्हसिर हुये, आबपाशी वग़ैरा को पूरा कर सकें। इसको पूरा करने का आज हाउस ने हमको मौक़ा दिया है गवर्नमेंट ने जो योजनायें बनाई हैं उनको चालू करने में यह ग्राम सुधार बिल एक बड़ी हद तक मददगार होगा और हमने जो प्रोग्राम बना रक्खा है उसको जल्द-से-जल्द इस क़ानून की मदद से पूरा कर सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था इस क़ानून के पास करने में हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी मनुष्य, गिरोह (कम्यूनिटी) या मालिक से बिला वजह जमीन ले लें या उसके लिये कोई दिक्क़त पेश कर दें जिसके पेश करने की कोई खास जरूरत नहीं है। जमीन जो एक अच्छे काम में आ रही है आज जो जनता के या किसी कम्यूनिटी के काम में आ रही है उसको लेकर किसी दूसरे काम में दे देना मुनासिब नहीं है लेकिन अगर किसी विशेष व्यक्ति की जमीन है और वह गिरोह के काम आ सकती है तो हम उसे कम्यूनिटी के फ़ायदे के लिये ले लेते हैं तो अच्छा ही है। इस आधार पर यह बिल बनाया गया है और मुझे खुशी है कि आपने इस बिल को मंजूर कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल के जरिये से हम ग्राम सुधार बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे।

श्री अब्दुल बाक़ी—सदरे मोहतरिम, इस बिल के मुताल्लिक़ मुझे यह अर्ज़ करना है जिस तरीक़े से यह ऐवान के सामने लाया गया है वह बड़ा नामुनासिब तरीक़ा है। युकुम मई, सन् ४८ को यह गजेट में आया हुआ और फिर ३ मई को यह टेबिल पर रख दिया गया। गवर्नमेंट को अगर दरहक़ीकत क़ानून को बरतना नहीं है और वह तरीक़ा अख्त्यार करना है जो एक फ़ासिस्ट गवर्नमेंट अख्त्यार करती है तब तो वह कर सकती है उसकी तादाद इस ऐवान में ज्यादा है और अपोजीशन को नजरन्दाज़ करके हर एक क़ानून पास कर सकती है। बिल को जिस तरीक़े से तरतीब दी गई है मैं समझता हूं कि इस पर बहुत काफ़ी ग़ौर-खोज की ज़रूरत थी लेकिन मालूम होता है कि निहायत उजलत के साथ यह बिल तैयार किया गया है। यह चीज़ ऐसी है कि गवर्नमेंट को इस बात की ज़रूरत थी कि वह तालाब या खाद तैयार करने के सिलसिले में इस ऐवान से अख्तियारात

[श्री अब्दुल बाकी]
हासिल करे। कितनी ज़मीन और किस मुआविज़े पर इस सूबे के अन्दर वह खाद के लिये, तालाबों के लिये और आबपाशी के लिये हासिल करना है वह कर सकती थी लेकिन इसके लिये इतनी उजलत की जरूरत नहीं थी और अगर इतनी उजलत थी तो गवर्नमेंट को पहले से इस बिल को लाना चाहिये था और ऐवान के मेम्बरान को काफ़ी मौक़ा देना चाहिये था कि इस बिल के ऊपर वह काफ़ी ग़ौर कर सकते। इस बिल में जो बड़ी अहम चीज़ें हैं वे ये हैं कि गवर्नमेंट दूसरों की ज़मीने हासिल करना चाहती है इसमें सवाल मुआविज़े का भी आता है कि मुआविज़ा किस तरह से मुतैयन किया जावे, किस मिक़दार में दिया जावे और कौन अथारिटी इस काम को करेगी। यह एक बहुत ही पेचीदा मसला है जिस पर बहुत ही काफ़ी ग़ौर-खोज की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ने जो इस वक्त बिल तैयार किया है उससे यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट के दिमाग़ में भी कोई स्कीम साफ़ तौर पर नहीं है। मैं अर्ज़ करूंगा कि गवर्नमेंट ने दफ़ा २ में दो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं। एक तो कम्पेन्सेशन आफ़िसर और दूसरा रिक्वीज़ीशनिंग आफ़िसर इन दो अल्फ़ाज़ों से मालूम होता है कि दो महक़मे अलग-अलग होंगे। अगर गवर्नमेंट ने लैंड रिक्वीज़ीशन ऐक्ट १८६४ को अपने सामने रक्खा होता तो उसे मालूम होता कि उसको ऐसे दो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स खोलने की आवश्यकता नहीं है। बिल को देखने से मालूम होता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट की निगाह में हैं और गवर्नमेंट तो उनको प्लेस (नियुक्त) करना चाहती है। उनको कुछ पे करना (देना) चाहती है। और कोई जगह न होने की वजह से इस बिल के ज़रिये से गवर्नमेंट उनके लिये जगह खाली कर देगी और कुछ लोगों को रिक्वीज़ीशन आफ़ीसर और कुछ को कम्पेन्सेशन आफ़ीसर बना देगी। गवर्नमेंट इसको साफ़ नहीं बतलाना चाहती। कम्पेनसेशन आफ़ीसर कौन होगा, क्या उसकी पे होगी, क्या उसके अख़्तियारात होंगे। दूसरी पोस्ट जो होगी वह रिक्वीज़ीशन आफ़ीसर की होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों को एक दूसरे से अलग करने की क्या ज़रूरत थी। जब एक बिल मुस्तकिल तौर पर आ रहा है तो फिर दोनों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत रखने में क्या हर्ज़ था एक ही आदमी दोनों काम कर सकता था। ज़मीन भी एक्वायर करता और कम्पेनसेशन का भी काम करता। लेकिन इस बिल के पढ़ने से मालूम होता है कि गवर्नमेंट की निगाह में यह चीज नहीं है और गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहती है एक तो जो जमीन को एक्वायर करेगा उसके अख़्तियार अलग होंगे और जो कम्पेनसेशन का ताय्युन करेगा उस पर फ़ैसला देगा, एवार्ड मुरत्तब करेगा वह अलग होगा।

मगर बाज़ दफ़ा तो पढ़ने से यह मालूम होता है कि रिक्वीज़ीशन आफ़िसर वही होगा जो रेवार्ड देगा तो मेरे ख़्याल में ऐसा खलतमलत है इस बिल में जिससे यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट का ख़ुद भी नज़रिया साफ़ नहीं है।

गवर्नमेंट ने जो स्कीम अपने सामने रखी है वह बिल्कुल नासाफ़ और मख़लूत स्कीम है। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी गड़बड़ी की आ रही है वह यह है कि यह स्कीम गवर्नमेंट रूरल एरिया में चलाना चाहती है। चुनांचे प्रोविन्शियल के देखने से यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट जो तालाब की स्कीम चलायेगी और जो ज़मीन खाद के लिए एक्वायर करेगी वह वहीं पर करेगी जहाँ पर रूरल एरिया हो। अब रूरल एरिया में ३ चीज़ों को उसने गिनाया है: म्यूनिसिपल एरिया, नोटीफाइड एरिया और कैंटोन्मेंट एरिया। या तो सहवन या क़सदन बिल के बनाने वाले ने टाउन एरिया को रूरल एरिया से ख़ारिज कर दिया है। यह तय हो चुका है कि न टाउन एरिया कभी एग्रीकल्चर एरिया में डिक्लेयर किया जायगा न एग्रीकल्चर एरिया कभी टाउन एरिया डिक्लेयर (घोषित) किया जायगा। बिल्कुल यही प्रोवाइज़ो (प्रतिबन्ध) नोटीफाइड एरिया में है। नोटी-फाइड एरिया को तो गवर्नमेंट ने ले लिया है। मेरी समझ में नहीं आया कि टाउन एरिया को क्यों छोड़ दिया। या तो वह गवर्नमेंट के ख़्याल में नहीं आया या वह कि यह एक ऐसी ग़लत कोशिश होगी कि आइंदा चल करके और थोड़े ही दिन में गवर्नमेंट को यह फिर ज़हमत उठानी पड़ेगी कि एक तरमीम लावे और तरमीम के ज़रिये से टाउन एरिया को उसमें दाख़िल करे। मुमकिन है कि यह कहा जाय कि टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया में इन्क्लूड (शामिल) कर दिया है, लेकिन इस्तलाहन यह दोनों लफ़्ज़ अलग अलग हैं, दोनों का मफ़हूम अलग है और जब कोर्ट में इन्टरप्रिटेशन किया जाता है और प्रिएम्पशन एक्ट में, एग्रीकल्चर रिलीफ़ एक्ट में और रिडेम्पशन एक्ट में जहाँ नोटीफाइड एरिया का ज़िक्र आया है तो उसको इंटरप्रेट करते वक़्त टाउन एरिया को उसमें शामिल नहीं करती तो जहाँ गवर्नमेंट ने यह तै किया है कि रूरल एरिया में यह एप्लाई होगा तो यह ग़लती कैसे कर दी कि टाउन एरिया को छोड़ दिया, शामिल नहीं किया। चुनांचे दूसरा बिल आ रहा है कमायूं नयाबाद वाला उस में यह ग़लती नहीं हुई है उस में टाउन एरिया, म्यूनिसिपल एरिया और नोटीफाइड एरिया वग़ैरा सब मौजूद हैं और जो साहब उसको पेश करेंगे वह ज़्यादा समझ रखते हैं इस मामले में और उनकी तबियत थी जो उन्होंने इसे रखा। इस बिल में तो बड़ी फ़रोगुज़ाश्त की गई है। कम्पेन्सेशन का जो इसमें प्रिंसिपिल रखा है वह बड़ा डिफ़ेक्टिव (त्रुटिपूर्ण) है। यह बिल तो एप्लाई करेगा मशरिकी अज़ला में मगर मैं गवर्नमेंट को तवज्जह दिलाना चाहता हूं बजाय इसके कि वह तालाबों को गहरा करे, वसीअ करे, मैंने मशरकी अज़ला में बहुत से मुका-मात को देखा है वहाँ तो ताल बहुत ज़्यादा फैल गये हैं। आम तौर से वे जल-कुम्भ से बहुत घिरे हुए हैं वह आबपाशी के लिए भी मुज़िर हैं। दो-दो साल गुज़र चुके हैं, चन्दा जमा है मगर गवर्नमेंट ने इतनी ज़ेहमत गवारा नहीं की कि उनकी सफ़ाई करा दे ताकि वह आबपाशी के क़ाबिल हो जायँ। जब गवर्नमेंट को इतनी फ़िक्र नहीं है कि जहाँ गढ़हिया मौजूद हैं उनको ठीक करना है तो कहाँ

[श्री अब्दुल बाक़ी]
से गवर्नमेंट ने यह दर्द सर खरीद लिया कि क़ाबिले इस्लाह चीजें हैं उनकी तरफ़ तो तवज्जह नहीं देती और जो क़ाबिले इस्लाह नहीं हैं उनकी तरफ़ तवज्जह करना वह चाहती है। इस बिल के अन्दर यह प्राविजन जरूर होना चाहिये क्योंकि आपका मंशा सिर्फ यह है कि इस सूबे के अन्दर ऐग्रीकल्चर की तरक्की हो, आबपाशी का जो बड़ा अहम मसला है उसमें तरक्क़ी हो। इसको पेशे नज़र रखते हुए कि कुओं के जरिये से, तालाबों के जरिये नहरों के जरिये और जितने आबपाशी के जरिये हो सकते हैं उनके जरिये तरक्क़ी हो सके इस बिल में प्राविजन रखने चाहिये। आपने खुद इस चीज़ को कहा है कि ऐसे तालाबों को मुस्तसना रखना चाहिये। अगर आप मुस्तसना नहीं करेंगे तो जहाँ एक तरफ़ आप दो रुपयों का फ़ायदा करेंगे वहाँ आप १० रुपयों का नुक़सान कर देंगे और यह नुक़सान लाज़िमी तौर पर हो जायगा। इसीलिए जो यह उजलत गवर्नमेन्ट इस बिल को ऐक्ट बनाने में कर रही है उस पर मुझे एतराज़ है। इस बिल में बहुत सी खामियाँ हैं। अल्फ़ाज की नशिस्तें बाज़ जगह बड़ी नामुनासिब हैं। इसीलिये मैं इस बिल पर अपना यह एतराज़ पेश करता हूँ।

※ **श्री शिवमंगल सिंह कपूर**—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस समय हाउस के सामने है मैं उसके लिए माननीय विकास सचिव को धन्यवाद देता हूँ। इस बिल को पेश करके उन्होंने पूर्वी प्रान्त के काश्तकारों के लिए जो सहूलियतें पहुँचाई हैं उसके लिये वहाँ के किसान आपके आभारी रहेंगे। मैंने बजट सेशन के सिलसिले में अपने पूर्वी इलाक़ों के बारे में कुछ बातें कही थीं कि न हमारी तरफ़ कोई सिंचाई का साधन है और न कोई ऐसा तरीक़ा है जिससे उत्पादन बढ़ सके। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और हमारे पूर्वी प्रान्त के लोग इसका स्वागत करेंगे यह मैं आशा करता हूँ। चूंकि इस बिल के अन्दर किसानों के लिये बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं और तालाबों का निर्माण कर के जो आबपाशी में कमी थी उसमें जो कुछ सहूलियत गवर्नमेंट फिलहाल पहुँचा सकती थी उसको पहुँचाने का प्रयत्न इसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि विरोधी पक्ष के लोग क्यों इसका समर्थन नहीं करते। जब मैं यह देखता हूँ कि उचित काम हो रहा है, देश की भलाई के लिए जब कोई बात पेश होती है तो क्यों विरोधी पक्ष वाले उसका विरोध करने के लिये तुल जाते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। बुरी चीज़ बुरी है उसको बुरा कहा जाये तो ठीक है। लेकिन जो चीज जनता की भलाई के लिये पेश होती है उसको खामखा के लिये बुरा कहना यह तो कोई अच्छी बात नहीं मालूम होती। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं अपने विरोधी भाइयों से कहूँगा कि ऐसा अच्छा बिल, ऐसा मुनासिब बिल, जो जनता और किसानों की भलाई के लिये है जिससे देश का फायदा है उसका आपको हृदय पर रख कर समर्थन करना चाहिये। खामखा विरोध करना कुछ अच्छी बात तो नहीं मालूम होती। मैं फिर इस बिल केलिये सचिव महोदय को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे भी

उत्तम बिल वे हमेशा हाउस के सामने लाया करें जिससे जनता और किसानों को लाभ पहुँच सके।

माननीय उद्योग सचिव—मेरे दोस्त मुखालिफ़ बेन्च से खड़े हुए और उन्होंने तक़रीर की लेकिन बदक़िस्मती से मैं उसका ज्यादा हिस्सा न सुन सका वर्ना मैं जरूर कोशिश करता और जो एतराज़ात उन्होंने किये हैं मैं उनका जवाब दे सकता। मैं उम्मेद करता हूँ कि उन्होंने महज़ जाब्ते से ही खड़े होकर मुखालफ़त की थी वाक़यतन तो वह इसको मंजूर करते हैं। इसके बारे में मुझे और कुछ कहना नहीं है।

डिप्टी स्पीकर— सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल, सन् १९४८ ई० जैसा कि वह इस भवन में संशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सन् १९४८ ई० का कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का बिल

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का बिल सन् १९४८ ई० उपस्थित करता हूँ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

श्री अब्दुल बाक़ी—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर

डिप्टी स्पीकर— क्या आपको पेश करने पर कोई एतराज़ है ?

श्री अब्दुल बाक़ी—जी हाँ, पेश करने पर ही एतराज़ है।

मुझे यह अर्ज़ करना है कि यह बिल एक मई सन् १९४८ को शाया हुआ है और ३ मई को मेज़ पर रखा गया है। स्टैंडिंग आर्डर ४७ की रू से यह ७ दिन पहले अवेलेबिल होना चाहिए। इसलिए मेरा एतराज़ यह है कि रूल ४७ की रू से यह पेश नहीं हो सकता।

डिप्टी स्पीकर—अगर माननीय सदस्य वह स्टैंडिंग आर्डर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेश करने में कोई एतराज नहीं होता। जब कोई तजवीज करे कि इस पर ग़ौर किया जाय तब एतराज हो सकता है।

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि के बिल, सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल ऐसा जरूरी है—

श्री अब्दुल बाक़ी—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, मुझे यह एतराज़ है कि आनरेबिल मिनिस्टर ने जो यह पेश किया है कि इस पर विचार किया जाय, मेरा एतराज़ है कि स्टैंडिंग आर्डर ४७ की रू से यह हक़ हासिल नहीं होता कि इस पर विचार किया जाय क्योंकि यह ३ तारीख को मेज पर रखा गया है और अभी ७ दिन हमको नहीं मिले।

माननीय माल सचिव— जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा ख्याल था कि हमारे दोस्त श्री फ़खरुल इस्लाम चले गये विरोध भी लेते गये, लेकिन अपोज़ीशन उनके चले जाने के बाद भी बाकी है। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ३, ४ दिन हुए मेरे लायक़ दोस्त के पास बिल पहुँचा होगा लेकिन इसका ताल्लुक़ पहाड़ से है, न आप से और न मुझसे। ग़ालिबन आपने इसको पढ़ा भी नहीं और शायद आइन्दा भी न पढ़ें। यह बहुत ज़रूरी बिल है। लड़ाई के समय नयाबाद रूल्स स्थगित कर दिये गए थे।

डिप्टी पी कर— अभी जो एतराज़ उन्होंने किया है आप उसी पर कहिये।

माननीय माल सचिव— मैं उसी पर कहना चाहता हूँ और ज़रूरी होने की वजह से मैं अर्ज़ करूंगा कि जनाब के अख़्त्यार में यह बात है कि आप उस आर्डर को सस्पेंड कर दें और उसके बाद यह बिल कन्सीडर (विचार) हो सकता है। इस पर किसी ने भी एक अमेंडमेंट का नोटिस नहीं दिया और मेरे लायक़ दोस्त ने भी नहीं दिया और न दे सकते थे और इस से ज़ाहिर है कि आपको कितनी दिलचस्पी है महज़ एतराज़ करने से, कि जनता का नुक़सान है और आप जनता के पार्टी के हैं, काम नहीं चल सकता, लिहाज़ा मैं आपसे अपील करता हूँ कि जनता के हक़ूक़ की रक्षा के लिए, उनकी बहबूदी के लिए उनकी परेशानी दूर करने के लिये बराए मेहरबानी आप इस पर एतराज़ न कीजिए वर्ना जनता हम को और आप को दोनों को कोसेगी। यह आसान सा मामूली बिल है और इस में जनता का लाभ है। इसमें अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है।

श्री अब्दुल बाक़ी— मैं नहीं समझता कि अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब को जनता की परवाह थी तो वह बिल को रश क्यों कर रहे हैं, इन्होंने इसको पहले से क्यों तैयार नहीं कर लिया ताकि जनता को भी मौक़ा मिलता। हमको तो ७ दिन क़ानूनन मिलने चाहिये और हमारा हक़ है कि कम से कम जो बिल आए उसके लिये कम से कम बहस से पहले हमको ७ दिन मिलें और जनता का भी हक़ है कि वह भी अपनी राय आपके सामने रखे। आनरेबिल मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इस को ख़ामोशी से पास करालें और जनता को मालूम न हो कि यह कहाँ तक जनता के फ़ायदे के लिये है। और वह समझ सके और अपनी आवाज़ बुलन्द कर सके और समझ सके कि इस बिल का क्या असर उस पर पड़ेगा। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जो

कहा है कि जनता परेशान होगी. जनता तो और खुश होगी इस बात पर कि उसको कन्सीडर करने का मौका मिलेगा। यह ठीक है कि जंग के जमाने में बहुत से स्टैंडिंग आर्डर्स सस्पेंड (स्थगित) किये गये लेकिन यह बिल ऐसा नहीं है कि एक दो महीने के लिये मुल्तवी करने से मुल्क में ऐसा इन्क़लाब पैदा हो जायगा जिस की वजह से बहुत सी दुश्वारियाँ, मुसीबतों और ग़ैर मामूली वाक़यात में हम मुबतला हो जायेंगे। ऐसे कोई हालात नहीं हैं। यह कह देना कि फ़लाँ जमाने में सस्पेंड हुए थे मगर उसके साथ यह न बतलाना कि इस वक्त क्या ऐसे हालात हैं। आप इस वक्त बतलाएँ कि इस वक़्त कौन से ऐसे ग़ैरमामूली हालात हैं कि फ़ौरन इस बिल पर विचार न करेंगे तो ग़ैर मामूली नुक़सान पेश आयेंगे और ग़ैर मामूली दुश्वारियाँ मुल्क में पैदा होंगी। ऐसी कोई चीज आपने सामने नहीं रखी है। आप अपनी कसरत राय से जो चाहें करें लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं हैं कि रूल ४७ सस्पेंड किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—मैं माननीय माल सचिव से दरयाफ़्त करना चाहता हूँ कि ऐसी क्या खास अहमियत है कि इस बिल को इसी वक़्त पास होना चाहिए।

माननीय माल सचिव—लड़ाई के दौरान में नयाबाद रूल्स सस्पेंड कर दिए गए थे और बंजर ज़मीनें जो होती थीं वह पट्टे पर दी जाती थीं और अब ग्रो मोर फूड के जमाने में, चीज़ों की कमी की वजह से पैदावार में इजाफ़े की ज़रूरत है। वहाँ की जनता बहुत पीड़ित है। इस लिए अगर यह इस वक़्त पास नहीं होता तो कई महीने पड़ा रहेगा और अब खेती बाड़ी के इंतजाम का मौका आ रहा है। यह दिक्क़तें दरपेश हैं और मुझे कहना है कि यहाँ जो कमायूं डिवीजन के नुमाइन्दे मौजूद हैं वह भी मेरी राय से इत्तफ़ाक करेंगे कि यह कितना जरूरी बिल है, वहाँ जनता को सख्त परेशानी है। मेरे लायक़ दोस्त का भले ही दूसरा ख्याल हो लेकिन अगर वह मेरे साथ नैनीताल चलें तो मैं उनको दिखा दूँगा कि वहाँ की कैसी दशा है और वहाँ के लोग कष्ट में हैं और खेतों की कमी है। ज़मीन सरकार के पास है लेकिन वह किसी को दे नहीं सकती और वह जोती नहीं जा सकती। इसी वजह से मैंने यह बिल एवान के सामने पेश किया है।

श्री हरगोविन्द पन्त—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे यह बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इस ऐवान में इस सीधे साधे बिल के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई जायगी। मैं आप को सबसे पहले यह बता देना मुनासिब समझता हूँ कि नयाबाद के जो पुराने क़ायदे थे वह लड़ाई के दौरान में सस्पेंड कर दिये गये थे। पुराने क़ायदे जिनके मातहत इस ज़मीन का इन्तज़ाम होता था वह मुअत्तल कर दिये गये। इस वजह से वहाँ ऐसी बेनाप ज़मीन जो कि सरकारी ज़मीन है उसके लोगों को ग्रांट देना तो बन्द ही हो गया मगर जो लोग कानून

[श्री हरगोविन्द पन्त]

के विरुद्ध उस ज़मीन पर कब्ज़ा किये हुए हैं उनकी रोकथाम करने का भी कोई ज़रिया बाकी नहीं रह गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सरकारी ज़मीन जिस पर कि ग़रीब आदमियों की ग्रांट हासिल कर गुज़र होती थी और जिसमें से कुछ हिस्सा लड़ाई से लौटे हुए सिपाहियों को मिलने की उम्मीद थी उस ज़मीन पर जबर्दस्त आदमियों ने कब्ज़ा कर लिया है। इसलिए यह निहायत ज़रूरी है कि बेनाप ज़मीन के इन्तज़ाम के लिये कुछ न कुछ क़ायदे जल्द से जल्द बनाए जायँ नहीं तो वहाँ लोगों में आपस में भी झगड़ा हो जाने का अन्देशा है। हाल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के सिलसिले में सारे ज़िले का मैंने दौरा किया। मैंने हर जगह यह शिकायत सुनी कि नयाबाद में ज़मीन के लिए क़ायदे क्यों नहीं बनाए जाते। इतना ही नहीं, लोगों का ख्याल है कि सरकार किसी खास वजह से यह क़ानून नहीं बना रही है। सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा है। मैं समझता था कि आज बहुत अच्छा मौक़ा मिला है कि यह क़ायदे मंजूर हो जायेंगे और यह जो नया ऐक्ट बना है उसके लिये मैं श्रीमान माल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता था कि इतना काम होते हुए भी सरकार आज कमायूं को तरफ़ भी ध्यान दे रही है। अगर नयाबाद ज़मीन के बाबत कोई खास क़ायदे जल्द से जल्द न बने तो मुझे अन्देशा होता है कि वहाँ बलवे हो जायेंगे और अगर क़ायदा न बना तो कुछ लोग क़ानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे। इसके बारे में कई महीनों से एक जाँच भी हो रही है। यह जाँच कुमायूं फारेस्ट कमेटी कर रही है जिसमें सरकार के और वहाँ के रहने वालों के भी प्रतिनिधि हैं। उन्हीं के सिफ़ारिशों के आधार पर यह बिल बनाया गया है। ऐसी हालत में यह बहुत बुरी बात होगी और हम बड़ी भारी मुश्किल में पड़ जायेंगे अगर यह क़ानून जल्द से जल्द पास न हुआ। मैं तो खास तौर पर इसी बिल के लिये यहाँ आया हूँ वरना मुझे फुरसत नहीं थी। मैं कल और आज भी इसी बिल के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करने के लिये हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन खास हालात को देखते हुए यह स्थायी आदेश मुअत्तल कर दिया जाय और यह मौक़ा दिया जाय कि यह बिल हाउस से जल्द से जल्द पास हो जाय।

डिप्टी स्पीकर—अगर्चे इस बिल की नकलें ४ तारीख को मेज़ पर रखी गयी हैं और मैम्बर साहिबान को सात दिन का नोटिस नहीं है, लेकिन चूंकि इसके अलावा और कोई काम बाकी नहीं है अगर कोई काम और होता तो और इसे और ज्यादा दिन के लिये बढ़ा दिया जाता और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कोई इख्तलाफी मसला भी नहीं है, इसलिए मैं स्थायी आदेश ४७ के अमल को मुअत्तिल करता हूँ और माननीय माल सचिव को इजाज़त देता हूँ कि वह इस बिल को पेश करें।

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के सिल-सिले में जिन बातों को मुझे कहना था उनमें से कुछ का मैंने अपने लायक़ दोस्त

बाकी साहब के एतराज़ के सिलसिले में ज़िक्र किया भी है। सन् १८७४ ई० में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट बना था और उसके आधार पर नयाबाद रूल्स बनाया गया था और उस क़ायदे के अनुसार कुमायूं डिवीज़न में यह बेनाप ज़मीन का जिसको कैसरेहिन्द लैंड भी कहते हैं इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज़रिये हुआ करता था। उस नियम के अनुसार जो वहाँ क़ाश्तकारान थे उनको यह भी हुकूक़ थे कि अपनी जमीन से मिली हुई बेनाप ज़मीन पर भी वे क़ब्ज़ा करें और उसमें उनको हुकूक़ पैदा हुआ करते थे। लेकिन वह बहुत पुराने क़ायदे थे और सन् १९३७ ई० में वह शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट रद्द कर दिया गया था लेकिन उसके तहत में जो क़ायदे बनाये गये थे वे बदस्तूर क़ायम रखे गये थे। वे क़ायदे बड़े पुराने हैं और तजुर्बे से उनमें बहुत सी खामियाँ पाई गई हैं और उसमें संशोधन करने की ज़रूरत भी महसूस हुई। लेकिन जब तक कि कोई नया शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट की जगह पर क़ानून न बन जाय तब तक कोई नया नियम बनाया भी नहीं जा सकता है। मौजूदा स्थिति में हालात बहुत बदल गये, नई स्थिति पैदा हो गई और नई स्थिति के मुताबिक़ अमलदरामद करने के लिए नये नियमों की ज़रूरत हैं। पुराने नियमों में संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है और जब तक कोई ऐक्ट न तैयार हो जाय तब तक नया नियम बनाया नहीं जा सकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह बिल मैंने इस भवन के सामने आज पेश किया है। यह एक बिलकुल सीधासाधा बिल है जिससे कुमायूं के ग़रीबों को बहुत लाभ होना है।

ऐसी सूरत में मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ऐवान इस बिल पर विचार करेगा और इसको जल्द से जल्द क़ानून की शक्ल में मन्ज़ूर करेगा। जहाँ तक कि मेरे लायक़ दोस्त बाक़ी साहब का ताल्लुक़ है ग़ालिबन पन्त जी की तक़रीर के बाद जो कि कुमायूं डिवीज़न के नुमाइन्दे हैं और जिनका वहाँ की जनता से खास सम्पर्क है और जो वहाँ की हालत से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं उनकी ग़लतफ़हमी दूर हो गई होगी। मालूम होता है कि मेरे दोस्त आजमगढ़ से नैनीताल मोटर रोड पर तशरीफ़ ले गये हैं लेकिन उस प्रदेश के देहाती रक़बे में जाने का मौक़ा उनको नहीं मिला है। अब वे नैनीताल तशरीफ़ ले चलेंगे तो मैं उनको उधर ले चलने की कोशिश करूँगा। बहुत मुमकिन है कि मेरे दोस्त वहाँ के हालात से वाक़िफ नहीं हैं इसलिये उनको ग़लतफ़हमी हुई है और उन्होंने यह एतराज़ किया है। पण्डित हरगोविन्द पन्त वहाँ के हालात से बड़े प्रभावित प्रतीत होते हैं। और अब मुझे आशा है कि कृपा करके इस बिल को पास करने में मेरी पूरी पूरी मदद करेंगे।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जिन्होंने यह बिल पेश किया है और इतनी जल्दी से उसे पास करा लेना चाहते हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले महीने में जब मैं पौढ़ी गढ़वाल के इलाके में घूम रहा था तो मेरे पास नोटिस में यह आया कि कुछ

[श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स]

ऐसी जमीनें जंगलात हैं जिन्हें लोगों ने सरकार से खरीदा या और खरीदने के बाद अब उन पर देहात के लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अब हमें यह देखना है कि उनके ऊपर किसी सूरत में यह एक्ट दुःख दूर करने को आयद होता है या नहीं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है मेरी समझ में नहीं आया है क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं यह सोचता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, इसको बता सकते हैं इस तरीके के मामलात को रोकने के लिये बिल लागू किया गया या नहीं?

माननीय माल सचिव—यह बिल पास हो जाने के बाद जो नियम इसके तहत में बनेंगे उन नियमों के अनुसार कहीं पर भी कोई ज्यादती नहीं होगी और न कहीं ज्यादती की गुंजायश ही रहेगी। जो किसी को अपनी जमीन से हटाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। हाल में ही दो एक रोज हुए मेरे दोस्त फिलिप्स ने पौड़ी के कुछ वाक़्यात बतलाये थे मेरे ऊपर उनका बहुत असर हुआ। लिहाजा इस बिल के अन्दर आपके कहने के मुताबिक़ उजलत की गई है भरसक कोशिश करके उसको यहाँ पेश किया है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि के बिल सन् १९४८ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धाराएँ २—२६

रद्द किया जाना

२—कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि के नियम (कुमायूं नयाबाद एन्ड वेस्ट लेंड रूल्स) जो सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६१२।१४—३१२ (२४), दिनांक पहिली अगस्त, १९३४ ई० के साथ प्रकाशित किये गये थे और जिनका बाद में संशोधन हुआ है और भारतीय वन ऐक्ट, १९२७ ई० (इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई०) के आदेश जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल हैं, इस धारा के द्वारा रद्द किये जाते हैं।

३—इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या प्रसंग के विपरीत न हो—

(१) "बोर्ड" परगने का अधिकारी असिस्टेण्ट कलक्टर" (असिस्टेंट कलक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन) और "असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी" (असिस्टेंट कलक्टर फर्स्ट क्लास) के वही अर्थ होंगे जो अर्थ इनके मालगुजारी ऐक्ट, १९०१ ई० (लैंड रेवन्यू ऐक्ट १९०१ ई०) में जैसा कि उसका कुमायूं के सम्बन्ध में संशोधन हुआ है दिये हुये हैं। "डिप्टी कमिश्नर" और "कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर" के वही अर्थ होंगे जो अथ उस ऐक्ट में क्रम से "कलक्टर" और "कमिश्नर" के दिये हुए हैं।

(२) "विस्तार" का अर्थ किसी वर्तमान कृषि क्षेत्र में उससे सटकर क्षेत्रफल की वृद्धि है।

(३) "नयाबाद प्रदान" या "प्रदान से तात्पर्य किसी ऐसी बेनाप भूमि के प्रदान से है जो इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार किया जाय।

(४) "पुराने रक्षित (ओल्ड रिजर्व्स)" द्वतीय श्रेणी के वन (क्लास टू फारेस्ट्स) और प्रथम श्रेणी के वन (क्लास वन फारेस्ट) से तात्पर्य उन वनों से हैं जिनका भारतीय वन ऐक्ट, १९२७ ई० के अधीन वर्गीकरण किया गया हो।

(५) "पंचायत वन (पंचायत फारेस्ट)" से तात्पर्य किसी ऐसे वन से है जो उन पंचायत वन नियमों (पंचायत फारेस्ट रूल्स) के अधीन बनाया गया है जो कुमायूं पर लागू होते हैं।

(६) "नियत" से तात्पर्य इस ऐक्ट द्वारा या इस ऐक्ट के अन्तर्गत लगाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(७) सुरक्षित वृक्ष (प्रोटेक्टेड ट्रीज)" से तात्पर्य ऐसे वृक्षों से है जिनके गिराने अथवा छाँटने का निषेध भारतीय वन ऐक्ट १९२७ ई० के अधीन समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार कर दिया गया है।

(८) "जन पथ" से तात्पर्य ऐसे मार्ग से है जिसमें स्थानीय निवासी सार्वजनिक पथ मानते और उस प्रकार प्रयोग में लाते हैं चाहे उसका उल्लेख बन्दोबस्त के पत्रों में हो या न हो।

(९) "बन्दोबस्त मार्ग" से तात्पर्य किसी ऐसे मार्ग से है जिसका चालू बन्दोबस्त के लेख पत्रों में इस प्रकार उल्लेख हो।

(१०) "परम्परागत सीमा" से तात्पर्य गाँव की उस सीमा से है जो मि० ट्रेल के १८२३ ई० संवत् (१८८०) के बन्दोबस्त में निश्चित की गई हो परन्तु वह उन संशोधनों के साथ मानी जायगी जो इनके पश्चात् किसी सेटिल्मेंट या रिकार्ड आफिसर की आज्ञा या किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा हुए हों।

(११) बेनाप भूमि" से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो नापी न गई हो और जिस पर पिछले बन्दोबस्त में कोई मालगुजारी निर्धारित न की गई हो परन्तु इसमें कैसरे हिन्द भूमि सम्मिलित होगी।

विस्तार और नयाबाद प्रदान

४—बंजर भूमि कृषि के लिये निम्नलिखित प्रकार से तोड़कर व्यवहार में लायी जा सकती हैः—

(१) विस्तार द्वारा,

(२) नयाबाद प्रदान द्वारा।

५----धारा २५ के अधीन बनाये हुए नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो कुमायूं में खेती करता हो अपनी खेती की भूमि का विस्तार उससे मिली हुई बेनाप भूमि पर करने का अधिकार है और उक्त व्यक्ति को, जो इस प्रकार अपनी खेती भूमि का विस्तार करे ऐसी विस्तार की हुई भूमि पर वही अधिकार होंगे जो उसे अपनी मूल भूमि पर थे।
किन्तु कोई भी विस्तार ऐसे गाँव में न किया जायगा----

(१) जिसके खेती योग्य कुल भूमि के ५५ प्रतिशत या इससे अधिक क्षेत्र में पहले ही से खेती की जाती हो, या

(२) जिसके सम्बन्ध में कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर ने विस्तार के निषेध की घोषणा की हो तो उक्त पदाधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना वहाँ कोई विस्तार न किया जाय।

६----उस गाँव को छोड़कर जिसमें कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर की घोषणा द्वारा भूमि प्रदान करने का निषेध कर दिया गया हो, यदि किसी और गाँव में प्रदान करना हो तो उस परगना के अधिकारी असिस्टेन्ट कलक्टर को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर उक्त अधिकारी धारा २५ के अधीन बने नियमों के अनुसार नयाबाद प्रदान खेती या बाग़ लगाने या गृह निर्माण के लिये कर सकता है।

७----किसी विस्तार या प्रदान से (१) निम्नलिखित पर कोई अतिक्रमण (इंक्रोचमेंट) नहीं किया जायगा:---

(क) पुराने सुरक्षित, द्वितीय श्रेणी के और पंचायत बन;

(ख) दूसरे गाँव की परम्परागत सीमा,

(ग) ऐसी भूमि जो अन्य व्यक्ति के वैधानिक अधिकार या खेती में हों,

(घ) कोई बन्दोबस्त मार्ग या जनपथ, और

(२] विस्तार करने या नयाबाद प्रदान करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति के अवधिगत [प्रिस्क्रिप्टिव] या सुविधाजनक [ईज़मेंटरी] अधिकारों में हस्तक्षेप न किया जा सकेगा।

८----प्रदान या विस्तार न तो पहाड़ की ऐसी चोटियों या ढालू मार्ग पर किया जायगा जहाँ बनस्पति के काट दिये जाने के कारण भूमि के कटकर बह जाने की सम्भावना हो और न ऐसी भूमि पर किया जायगा जहाँ देवदार सरो [साईप्रस] अखरोट के या अन्य वृक्ष इतनी संख्या में हों कि प्रदान या विस्तार करना अवांछनीय हो जाय और न प्रदान ऐसे स्थानों में किये जायँगे, जहाँ प्रदान की जाने वाली भूमि में या उसके निकट की भूमि में चीड़ या सिन्दूर [वलूत] के पेड़ बड़ी संख्या में हों।

९—नयाबाद प्रदान पाने वाला किसी नयाबाद प्रदान या उसके कोई भाग का डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति पहले लिये बिना किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित न करेगा। यह स्वीकृति ऐसी दशा में दी जायगी जबकि डिप्टी कमिश्नर को संतोष हो जाय कि नयाबाद के सम्पूर्ण या अंश के हस्तान्तरित करने के उचित कारण विद्यमान हैं।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये प्रदान पाने वाले में वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिनका उसके द्वारा या उसके अधीन कोई स्वत्व होता हो।

१०—नयाबाद प्रदान बाग लगाने के लिये जा सकते हैं परन्तु धारा ५ में किसी बात के रहते हुए भी ऐसे प्रदान पर अधिकार होने के कारण से कोई विस्तार न किया जा सकेगा।

बाद

११—किसी प्रदान की स्वीकृति हो जाने पर, कोई व्यक्ति जो इस "स्वीकृति" से सहमत न हो, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर उपयुक्त दीवानी न्यायालय में प्रदान रद्द करने के लिये दीवानी अदालत में बाद प्रस्तुत कर सकता है:—

(क) कि प्रदान की जाने वाली भूमि में कुछ ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जिसमें उसका स्वामित्व है,

(ख) कि प्रदान से उसके अवधिगत या सुविधाजनक अधिकारों पर या उसके विस्तार के अधिकार पर विशेष प्रभाव पड़ेगा,

(ग) कि प्रदान उसके गाँव की परम्परागत सीमा के भीतर हैं न कि प्रदान पाने वाले के गाँव की सीमा भीतर,

(घ) कि प्रदान पाने वाला इस प्रयोजन के लिये नियत नियमों के अधीन कोई प्रदान पाने का अधिकारी नहीं है।

किन्तु कोई बाद ऐसे प्रदान के सम्बन्ध में नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये या कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भवन के निर्माण के लिये दिया गया हो।

धारा ११ के अधीन बाद के प्रस्तुत करने के लिए अवधि।

१२—भारतीय अवधि विधान, १९०८ ई० [दी इन्डियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८ ई०] में इसके विपरीत किसी आदेश के होने पर भी धारा ११ के अधीन किसी के बाद के प्रस्तुत करने की अवधि धारा ६ के अंतर्गत प्रदान की स्वीकृति के दिनांक से छः मास तक होगी।

परम्परागत सीमा और सुविधाजनक अधिकारों के लिये बाद।

१३—दीवानी न्यायालय में निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वत्व निर्णय (डिक्लेरेशन) या निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के लिये या दोनों के लिये बाद प्रस्तुत किया जा सकेगा:—

(क) गाँव की परम्परागत सीमा, या

(ख) बेनाप की भूमि से सम्बन्धित सुविधाजनक अधिकार।

माल तथा दीवानी के न्यायालयों का अधिकार

१४—अध्याय ३ के आदेशों का पालन करते हुए, इस ऐक्ट के अधीन तथा उसके अन्तर्गत बनाये हुए नियमों के अधीन, सब पर विचार और निर्णय माल के न्यायालयों द्वारा किया जायगा और माल के न्यायालय के अतिरिक्त कोई अन्य न्यायालय विचार के लिये किसी भी कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा।

१५—(१) (क) किसी परगने का अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर किसी कार्यवाही को किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलक्टर के न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकता है जिसे उक्त कार्यवाही पर विचार या निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो।

(ख) पर्याप्त कारण होने पर डिप्टी कमिश्नर किसी कार्यवाही को या किसी वर्ग की कावाइयों को किसी परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलक्टर के न्यायालय से किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट के न्यायालय कलक्टर के न्यायालय को, या किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलक्टर के न्यायालय से किसी दूसरे प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलक्टर के न्यायालय को जिसको उक्त कार्यवाही पर विचार और निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो, हस्तांतरित कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में उल्लिखित कोई कार्यवाही किसी ऐसे न्यायालय को जिसकी बैठक का स्थान उस परगने से बाहर हो जिसमें कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो।

(२) पर्याप्त कारण होने पर कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर किसी डिप्टी कमिश्नर को न्यायालय से किसी अपील को किसी दूसरे डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय को हस्तांरित कर सकता है।

१९०८ ई० के ऐक्ट संख्या ५ दीवानी विधि संग्रह का लागू होना

१६—कुमायूं डिवीजन में लागू करने के लिये संशोधित दीवानी विधि संग्रह (कोड आफ सिविल प्रोसीड्युअर) १९०८ ई० के आदेश, जब तक वे इस ऐक्ट के आदेशों से असंगत न हों ऐसी सब वादों तथा कार्यवाहियों पर लागू होंगे जो इस ऐक्ट के अधीन या इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये हुए नियमों के अधीन किये जायँ।

अपील।

१७—माल के किसी न्यायालय के द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि उसकी व्यवस्था ऐक्ट में न हो।

पहली अपील।

१८—इस ऐक्ट के अधीन किसी परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर या प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलक्टर द्वारा दी गई आज्ञाओं के विरुद्ध अपील डिप्टी कमिश्नर के समक्ष की जा सकेगी।

१९—धारा १८ के अधीन अपील में दी गई डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के विरुद्ध कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर के समक्ष दूसरी अपील हो सकेगी किसी ऐसे आधार पर जिसका निर्देश दीवानी विधि संग्रह १९०८ ई० की धारा १०० में हो। दूसरी अपील

२०—(१) कोई अपील डिप्टी कमिश्नर के समक्ष उस आज्ञा के दिनांक से जिसके विरुद्ध अपील की गई है ३० दिन समाप्त होने के बाद प्रस्तुत न की जा सकेगी। अपील की अवधि

(२) कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर के समक्ष कोई दूसरी अपील उस आज्ञा के दिनांक से साठ दिन समाप्त होने के पश्चात् नहीं की जा सकेगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

२१—किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर या अपने विचार से बोर्ड किसी ऐसी कार्यवाही के लेख पत्र मँगा सकता है जिसका किसी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ऐक्ट के अन्तर्गत निर्णय किया हो और यदि यह प्रकट हो कि उस न्यायालय ने किसी ऐसे अधिकार का उपयोग किया है जो विधान में उसे प्राप्त नहीं था या उसने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है या अपने अधिकार का अवैध रूप से प्रयोग किया है या उसके प्रयोग करने में विशेष रूप से व्यतिक्रम किया है तो बोर्ड ऐसी आज्ञा दे सकता है जैसा कि उस विषय में उचित समझे। रिकार्ड मांगने और दी गई आज्ञाओं में संशोधन करने के संबध में बोर्ड के अधिकार।

विविध

२२—इस ऐक्ट की कोई व्यवस्था डिप्टी कमिश्नर को धारा २५ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बेनाप भूमि को पट्टे पर उठाने से नहीं रोक सकेगी। बेनाप भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार।

२३—(१) उस दशा में जब कि इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये नियमों के आदेशों के प्रतिकूल विस्तार किया गया हो या प्रदान (ग्रांट) का उपयोग किया गया हो तो परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र देने पर या अपने विचार से उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस प्रकार नियम भंग करने के लिये उत्तरदायी हों, निम्नलिखित किसी विधि या विधियों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :— अवैध रूपसे भूमि का विस्तार करने और प्रदानों (ग्रांटों) का दुरुपयोग करने के संबध में दण्ड।

(क) विस्तार या प्रदान को खाली करने की आज्ञा दे सकता है, अथवा

(ख) यदि खाली कराने में या विस्तार हटाने में सरकार को व्यय करना पड़े तो उस व्यय को संबन्धित व्यक्ति से वसूल कर सकता है, अथवा

(ग) इस बात की आज्ञा दे सकता है कि जिस व्यक्ति ने अवैधरूप से विस्तार किया या प्रदान का दुरुपयोग किया है वह भविष्य में उस भूमि का कभी उपयोग न करे,

(घ) यदि कोई वृक्ष गिराये गये हों या उनमें से उपज ली गई हो तो उसका मूल्य ऐसे मुआवजा के साथ जो सौ रुपये से अधिक न हो, वसूल कर सकता है।

(२) यदि परगना का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर उपधारा (१) के वाक्यखंड (क), (ख) या (ग) के अधीन किसी भूमि को खाली कराने की आज्ञा या उसके उपयोग की निषेधाज्ञा दे तो वह प्रदान को रद्द करने के लिये उस विषय को उस जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास भेज देगा।

(३) उपधारा १ वाक्यखंड (घ) के अधीन लिया जाने वाला द्रव्य मालगुजारी के ढंग पर वसूल किया जायगा।

धारा २३ के अधीन दी गई आज्ञाओं के सम्बन्ध में दण्ड

२४—धारा २३ की उपधारा (१) के वाक्यखंड (क) या (ख) के अधीन की गई किसी आज्ञा की अवहेलना करने के कारण किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया जा सकता है और उसके दंडित होने पर उसको ऐसा अर्थ दंड दिया जा सकता है जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो।

नियम बनाने का नियम।

२५—प्रान्तीय सरकार पहिले से प्रकाशित करके निम्नांकित प्रयोजनों के लिये ऐसे नियम बना सकती है जो इस ऐक्ट के अनुरूप हों —

(१) यह नियत करने के लिये कि किस परिणाम तक और किस परिस्थिति में और किन प्रतिबन्धों के अधीन विस्तार किया जा सकता है।

(२) यह नियत करने के लिये कि किस विधि से उस व्यक्ति को और किन प्रतिबन्धों के साथ नयाबाद प्रदान दिया जा सकेगा।

(३) कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये बेनाप भूमि को पट्टे पर उठाने के लिये, और

(४) सामान्य रूप से इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये।

विचाराधीन वाद (स्यूट्स) (कार्यवाहियों प्रोसीडिंग्ज) का निपटाना

२६—कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि सम्बन्धी नियमावली (कुमायूं नयाबाद ऐण्ड वेस्ट लैन्ड्स रूल्स), जो इस ऐक्ट के लागू होने के तुरन्त पूर्व लागू थी, के किसी आदेश के अधीन प्रत्येक वाद या कार्यवाही पर निर्णय इस ऐक्ट के समान आदेश न हो तो वह बाद खारिज कर दिया जायगा या कार्यवाही का अन्त कर दिया जायगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा २ से धारा २६ तक सब धारायें इस बिल का हिस्सा मानी जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा १

१—(१) यह ऐक्ट "कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट, १९ ई०" कहलायेगा।

(२) यह ऐक्ट किसी म्युनिस्पैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरि की सीमाओं के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर, कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों पर लागू होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भूमिका

क्योंकि कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों में बिना नापी हुई भूमि पर कृषि करने तथा उसे उपयोग में लाने के सम्बन्ध में विधान में संशोधन करना उचित एवं आवश्यक है।

इसलिये निम्नलिखित विधान बनाया जाता है:—

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुमायूं, नयाबाद और बंजर भूमि का बिल सन् १९४८ ई० स्वीकार किया जाय।

श्री अर्नेस्ट माईकल फिलिप्स—श्रीमान् स्पीकर महोदय, इस बिल के मुताल्लिक़ जो हमारे लायक़ दोस्त मालमन्त्री महोदय ने बतलाया कि जिस तरीके से जो बातें इस सम्बन्ध में मैंने पूछी हैं उनमें बहुत फ़ायदा होगा। खुदा करे कि ऐसा ही फ़ायदा हो। मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ मैं सिर्फ इतनी बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आपके सामने जो वाक़यात हैं उनको आप ज़रा सुन लें। पौड़ी व राई के मुक़ाम पर जिस मौजे का नाम पूरा इस वक्त मुझे याद नहीं है।

उस पर मुझसे यह कहा गया कि साहब इन जंगलों पर तो गाँव वालों ने ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया है। मैंने कहा कि यह क्या बात है। तो कहा गया कि यहाँ तो इस वक्त १५ अगस्त के बाद सब गाँव वाले यही समझते हैं कि हमको बिल्कुल अख्तियार है कि जहाँ हमारा जी चाहे हम क़ब्ज़ा कर लें। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से मिला तो उन्होंने यह बताया कि यह मामला उन्होंने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है ताकि उन लोगों को बुलाया जाय जिन्होंने ऐसा क़ब्ज़ा किया था पुलिस से मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि लोगों ने कह दिया कि हम नहीं आते। अगर इस तरह के वाक़यात की रोक थाम करने के लिये जैसा कि हमारे दोस्त माल मंत्रीजी

[श्री अर्नेस्ट माईकल फिलिप्स]

ने कहा है इस बिल के अन्दर आते हैं तो ठीक है। मैं इस बात के लिये शर्मिन्दा हूँ कि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस बिल पर तैयार होकर गया हूँ, पढ़ तो लिया मगर मैंने स्टडी नहीं किया है। और आप चाहते हैं कि फ़ौरन का फ़ौरन बिल पास कर दिया जाय। अगर यह सब वाक़यात और यह दुःख जो पब्लिक के मैंने बयान किये हैं इस बिल से दूर नहीं होते तो जैस कि हमारे माननीय मन्त्री ने वादा किया है, मैं वहाँ (पौड़ी, गढ़वाल) इस असेम्बली के बाद फिर जा रहा हूँ और मैं मालूम करके यह फिर उनके नोटिस में लाऊँगा कि आप अपने वादे के बमूजिब दूसरा संशोधन बिल इसके मुताल्लिक़ पेश करें ताकि दुख दूर हो जाय। इस वक़्त मैं यह जरूरी समझता हूँ कि माल मंत्री दरख्वास्त के बमूजिब यह बिल पास कर दिया जाय।

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक हमारे लायक़ दोस्त फिलिप्स साहब के एतराज़ात का ताल्लुक़ है मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूँ कि इस बिल का ताल्लुक़ बेनाप ज़मीन से है और इसके अलावा अगर किसी ज़मींदार या ग्रांटी की ज़मीन पर कोई बेजा क़ब्ज़ा करता है तो उसके लिये क़ानून मौजूद है और जब कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने आवेगा तो मैं उसमें मदद करने के लिये हमेशा तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि फिलिप्स साहब को भी इत्मीनान हो गया है, वह सर हिला रहे हैं, अब मुझे ज्यादा कहना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मंज़ूर करेंगे।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि कुमायूं, नयाबाद और बंजर भूमि के बिल, सन् १९४८ ई० को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

असेम्बली का पुस्तकालय

***श्री खानचंद गौतम**—श्रीमान्, इस सेशन का यह आखिरी दिन है और बहुत सम्भव है कि काफी दिनों के लिये हम लोग अब अलग हों। मैं सदस्यों की एक असुविधा आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ और आपके ज़रिये गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सुविधा के लिए यहाँ एक पुस्तकालय है और इससे उम्मीद की जाती है कि उस पुस्तकालय का हम समुचित प्रयोग करें। गवर्नमेंट को सलाह, मदद दें ताकि माकूल क़िस्म के क़ानून हम बना सकें और हम जिन लोगों के प्रतिनिधि हैं उनके हित की ठीक ठीक रक्षा कर सकें। उसमें से कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि जितने ज्ञान भण्डार की आवश्यकता है वह अपने सिर में लिये फिरता है ऐसा होना भी मुश्किल है। इसी लिए पुस्तकालय होते हैं। और पुस्तकालयों की सुविधाएँ होती हैं। मगर मुझे दुख है कि जो पुस्तकालय हमारे लिये यहाँ पर उपलब्ध है, उसका हम समुचित प्रयोग

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं कर पाते। यह वजह नहीं है कि उस में पुस्तकें नहीं हैं। उसमें क़रीब अड़तालीस हजार पुस्तकें और रिपोर्ट्स् हैं। और इस साल गवर्नमेंट ने क़रीब पचास हज़ार रुपया पुस्तकों के ख़रीदने में खर्च भी किया है। मगर यह देखकर दुख होता है कि वहाँ पुस्तकें और रिपोर्ट्स् जिस हालत में हैं, वह पुस्तकों का ढेर कहिए गोदाम कहिये, जो कुछ कहिये, वह एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की शक्ल में नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह हरगिज न समझा जाय कि मैं पुस्तकालय के कर्मचारियों पर कोई दोषारोपण कर रहा हूँ कि वे अपना काम ठीक से नहीं करते। मैं क़रीब दस वर्ष से प्रान्त के एक प्रमुख पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे इससे ज्यादा उम्मीद रखना बेजा होगा। हत्तुलइम्कान जितना काम किया जा सकता है मैंने देखा कि उतना करते हैं। मैं पुस्तकालय समिति का सदस्य भी हूँ लेकिन जिस चीज़ का दुख है, वह यह है कि जगह इतनी कम है कि वहाँ ढेरों की तरह किताबें पड़ी हुई हैं। आदमी की दूनी ऊँची लम्बाई तक किताबें हैं। अगर आपको ऊपर किताब देखना है तो आपको सीढ़ी लगा कर देखना पड़ेगा। कैटलाग की भी कोई समुचित सुविधा नहीं है। जितना स्टाफ अब है, उससे तीन चार गुना स्टाफ जब लगातार दो तीन वर्ष तक काम करेगा, तब जितनी पुस्तकें उसमें हैं, वह कैटलाग्ड हो पायेंगी। एक पुस्तकालय में पुस्तकों के विषय क्रम से कम, पुस्तकों के नाम के क्रम से, प्रत्येक विषय में अपनी जगह पर अलग अलग उल्लेख होना चाहिये ताकि अगर कोई खोज करना चाहे तो उसको एक जगह कैटालाग में पूर्ण सामग्री मिल जाय। इस किस्म की सुविधा यदि नहीं होगी तो कोई पुस्तकालय उपयुक्त नहीं हो सकता और कोई लाइब्रेरियन ऐसा विद्वान मिलना मुश्किल है कि वह पूरी लाइब्रेरी का ज्ञान रखे। और जिस विषय पर जिस पुस्तक की आवश्यकता हो वह फ़ौरन निकाल कर दे दें। तो लाइब्रेरी की यह दो सुविधायें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ एक तो वहाँ पर जगह बहुत ज्यादा कम है। स्थान की इतनी कमी है कि किताबें मंगा मँगा करके ढेर करदी जा रही हैं और उनके वर्गीकरण और सूचीकरण का समुचित प्रबन्ध नहीं है। अब जब कि हम लोग अपनी अपनी कॉंस्टीटुएन्सी में जा रहे हैं, और वहाँ अपना काम देखेंगे, तो इस बीच में गवर्नमेंट को मौक़ा मिलेगा कि वह इस तरफ़ अपनी नजर डाले। मैं दरख़्वास्त करूँगा कि बारी बारी सभी मिनिस्टर पुस्तकालय में जाकर देखें कि उनके विभाग के लिये किन किन पुस्तकों की आवश्यकता है, और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, और किन किन प्रकार की सुविधा हम लोगों को देना। मैं समझूंगा कि हम सब लोगों पर बड़ा अहसान होगा और इस बीच देखें कि अगर इस इमारत की आखिर की पूरी विंग रेस्ट्रां से लेकर रीडिंग रूम तक लायब्रेरी को दे सकें तो देने की कृपा करें। अगर यह नहीं हो सकता हो तो समुचित स्थान के लिये

[श्री खानचन्द गौतम]

कोई दूसरी सुविधा दें। अगर कोई जगह न मिल सकती हो तो जल्द से जल्द कोई माकूल जगह जो यहाँ से नज़दीक हो निश्चित करके बिल्डिंग बनवाने का प्रबन्ध करें। यह कोई मामूली सवाल नहीं है बल्कि हमारी उपयोगिता का सवाल है। अगर हम आवश्यक सामग्री इकट्ठा करके गवर्नमेंट को सलाह नहीं दे सकते हैं तो हम बेकार है और अगर हमारी सलाह की ज़रूरत नहीं है तो यह भवन बेकार है। इस लिये मैं इस सवाल को खास अहमियत देता हूँ और गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्द से जल्द इस सुविधा को पूरा करे। इसमें ज्यादा रक़म खर्च होने वाली नहीं है। गवर्नमेंट कहीं न कहीं से इसके लिये रुपया और स्थान निकाले यही मेरी विनय है।

माननीय माल सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे लायक़ दोस्त श्री गौतम जी ने लायब्रेरी के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें की हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है गवर्नमेंट की नियत ठीक है। उनके बयान के मुताबिक़ ५० हज़ार रुपया खर्च करके नई किताबें मँगाई गई हैं। जगह की कमी के बारे में मेरा यह कहना है कि हमारे लायक़ दोस्त लायब्रेरी कमेटी के सदस्य हैं। हमारा जहाँ तक ख्याल है आज पहले पहल यह शिकायतें इस ऐवान के सामने पेश की गई है।

श्री खानचंद गौतम— गवर्नमेंट के सामने इस सवाल को रखे एक साल से ज्यादा हो गया है।

माननीय माल सचिव—बहैसियत गवर्नमेंट मिनिस्टर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट पेश की गई है या नहीं?

श्री खानचंद गौतम— लायब्रेरी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने मौजूद है और रिमाइन्डर्स वग़ैरा भी किये गये हैं।

माननीय माल सचिव— मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है गवर्नमेंट हमेशा सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। जगह के लिये भरसक कोशिश करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सके हैं। आप लोगों के लिए मकान अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं। दूसरा जो नया कौंसिलर्स रेज़ीडेंस तैयार हो रहा है वह बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन बहुत सी चीजों की कमी की वजह से अभी तक वह मुकम्मिल नहीं हो सका है। जहाँ तक इस तजवीज़ का ताल्लुक़ है कि रीडिंग रूम से रेस्ट्रां तक पूरी विंग लायब्रेरी को दे दी जाय, इसके लिए गवर्नमेंट बिलकुल तैयार है लेकिन जो बीच में रूम्स हैं और जिनमें आफिसेज हैं उनके लिए अभी कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में हम जब तक किसी और बिल्डिंग का प्रबन्ध न कर लें तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपकी यह दिक्क़त ज़रूर कुछ दिनों तक और क़ायम रहेगी। लेकिन मैं आपको यक़ीन दिलाता हूँ कि जब सुविधा हो

जायेगी गवर्नमेंट जरूर इस पर कार्यवाही करेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि आपकी रोजमर्रा पंतजी तथा और मिनिस्टरों से मुलाक़ात होती रहती है अगर आपने उनसे जिक्र कर दिया होता तो इसका इंतजाम जरूर हो गया होता और चलते वक्त ऐसी शिकायत का मौक़ा न आता। खैर देखिये इसके बाद हम और आप जब मिलेंगे तब कोशिश करेंगे। अगर चीजें मुयस्सर हो जायेंगी तब तो आपकी शिकायतें रफ़ा हो जायेंगी और अगर ऐसी दिक्क़तें रहें तो माफ़ कीजिये कि थोड़े दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री अहमद अशरफ़ का असेम्बली से अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र

डिप्टी स्पीकर— उठने से पहले मुझे एक इत्तला हाउस को देना है और वह यह है कि भवन को याद होगा कि श्री अहमद अशरफ के प्रार्थनापत्र पर ३० मार्च सन् १९४८ की बैठक में विचार किया गया था और उनके प्रार्थना पत्र को इस भवन ने स्वीकार नहीं किया आज असेम्बली शुरू होने के बाद उनका एक पत्र और आया है जो अंग्रेजी में है, मैं उसे पढ़े देता हूँ :—

By the order of the Government I was released from the District Jail, Meerut, on the 7th or 8th November 47, and was at once served with a notice from the Governor of the United Provinces externing me from the three divisions of the provinces where in my constituency lay. The order was that within 48 hours I was to leave Meerut. It was due to these facts that I could not attend the session of the Assembly in November last.

In the last session I applied for leave of absence and though, as yet I have not received any formal information as to the result of my application, I read in the papers that it has been rejected. I am also informed through newspapers that the next session is to be held from the 29th instant."

I had come to Lahore with the intention of proceeding to Lucknow to attend the session but unfortunately have again fallen ill and I am advised by the doctor to take rest for about a month and further not to use air for my travel and it is not possible for me to take the journey. Therefore, I request

(डिप्टी स्पीकर)

that I may kindly be granted leave of absence from this session.

I hope you would kindly put up my application and obtain necessary sanction.

(सरकार की आज्ञा से मैं डिस्ट्रिक्ट जेल, मेरठ से ७ या ८ नवम्बर १९४७ को छोड़ा गया और उसी समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर की ओर से मुझ पर एक नोटिस की तामील कराई गई जिसके अनुसार मुझे प्रान्त के ३ डिवीजनों में दाखिल न होने की आज्ञा दी गई। (जहाँ कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है) आज्ञा यह थी कि मैं ४८ घंटे के अन्दर मेरठ से चला जाऊँ। इन सब बातों की वजह से मैं पिछले नवम्बर में असेम्बली के अधिवेशन में उपस्थित न हो सका।

गत अधिवेशन में मैंने अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया और हालांकि मुझे अभी तक मेरे प्रार्थना पत्र के फल के विषय में कोई नियमपूर्वक सूचना नहीं मिली, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वह अस्वीकृत हो गया है। मुझे समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि अगला अधिवेशन इस मास की २९ तारीख से आरम्भ होगा

मैं इस इरादे से लाहौर आया था कि अधिवेशन में भाग लेने के लिये लखनऊ जाऊँ परन्तु दुर्भाग्यवश मैं फिर बीमार हो गया हूँ और डाक्टरों ने यह सलाह दी है कि मैं लगभग एक महीने तक आराम करूं और यह भी कहा है कि मैं हवाई जहाज द्वारा यात्रा न करूं और मेरे लिए यात्रा करना सम्भव नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपा करके इस अधिवेशन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जाय।

मुझे आशा है कि आप कृपा करके मेरे प्रार्थना पत्र को भवन के सामने रखेंगे और आवश्यक स्वीकृत प्राप्त करेंगे।)

इस सिलसिले में मैं भवन को यह भी इत्तला देना चाहता हूँ जिस दिन उनकी दरख्वास्त इस भवन ने मंजूर की, उसी दिन उस पते से जिस पते से उन्होंने दरख्वास्त भेजी थी यानी जो अपना पता उन्होंने दरख्वास्त में लिखा था उन्हें तार के जरिये से इत्तला भी दी गई और यह इत्तला भी दी गई कि आपका २५वां दिन ग़ैर हाजिरी का है और डाक के जरिये से उस तार की नक़ल भी रवाना कर दी गई। अब उनकी ग़ैरहाजिरी का ७वां दिन है पहली मई ख़त्म हो चुकने पर। मैं सिर्फ़ इस भवन की इत्तला के लिये यह चीज सामने रखना चाहता हूँ कि क़ायदे में इस क़िस्म की ग़ैर हाजिरी की दरख्वास्त सवालों के फ़ौरन् बाद ही ली जाना चाहिये थी मगर चूंकि हम लोग आज के बाद बहुत दिनों के बाद मिलेंगे इसलिये यह मैंने जरूरी समझा कि भवन की इत्तला में यह चीज ले आऊँ कि एक माननीय सदस्य का ख़त आया है और इस पर जो कुछ भी विचार करना है वह अगले दिन जब हम बैठेंगे तब होगा।

अब यह असेम्बली अनिश्चित समय के लिये स्थगित की जाती है।

श्री अब्दुल मजीद— क्या हमको इस पर विचार करने का अख़्तियार होगा ?

डिप्टी स्पीकर— यह सवाल तो उस दिन पेश होगा जिस दिन यह रखा जावेगा।

श्री अब्दुल मजीद— हम यह समझें कि यह जगह खाली हो गई है और इस जगह के लिये बाई इलेक्शन होगा।

डिप्टी स्पीकर— गालिबन आपको मालूम होगा कि जब तक प्रस्ताव पास न हो कि यह जगह खाली हो गई तब तक यह जगह खाली नहीं होती।

(इसके बाद भवन ४ बजकर ७ मिनट पर अनिश्चित समय के लिये स्थगित हो गया)।

कैलास चन्द्र भटनागर,
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
६ मई, १९४८ ई०

नत्थी 'क'

(देखिये स्टार्ड प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर ।)

संख्या	(माल के) पाये जाने का स्थान	अपराधी का नाम	पूरे बोरे में अन्न की क़िस्म						
			मटर	अरहर की दाल	चीनी	बीज	मक्का	चावल	उर्द
१	शिवरामपुर घाट	राधामोहन मिश्रा	११४	२०	...	...	...	...	...
२	दर्जनपुर गोला	मैसर्स रामजी मिश्रा राधा रमन मिश्रा	...	४८	१४	२	१८६	१८	...
३	,,	भृगुराम केसरबानी	४	५३	...	...	...	१/२	५
४	कदम्ब के पेड़ के आगे, बलिया	सीताराम	...	१	...	...	...	...	...
५	,,	विश्नू	१	...	...	...	...	...	...
६	,,	गंगा	१	...	...	...	...	...	...
७	,,	विश्वनाथ	१	...	...	...	...	...	...
८	,,	जमुना	१	...	...	...	...	...	...
९	,,	केदार	१	...	...	...	...	...	...
१०	,,	गोपाल जी	...	१	...	...	...	...	...

नत्थी 'ख'

(देखिये स्टार्ड प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर ।)

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	क्या अदालत में उन पर मुक़द्दमा चलाया गया यदि हाँ तो मुक़द्दमे का परिणाम	मुक़द्दमा न चलाये जाने के कारण
१	राधा मोहन मिश्रा	नहीं	माल को मुक्त कर दिया गया था क्योंकि सर्किल कमेटी बलिया के प्रधान ने माल को लाने ले जाने को परमिट दे दी थी।
२	मे० रामजो मिश्रा राधारमण मिश्रा	नहीं	क्योंकि अपराध साबित नहीं हुआ और मुकद्दमा चलाने के लिये संतोष-जनक गवाही नहीं मिली थी पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी।
३	भृगुराम केसरवानी	नहीं	„ „
४	सीताराम	हाँ और सज़ा मिली	„ „
५	विश्नू	„	„ „
६	गंगा	„	„ „
७	विश्वनाथ	„	„ „
८	जमुना	„	„ „
९	केदार	„	„ „
१०	गोपाल जी	„	„ „

नत्थी 'ग'

(देखिये स्टार्ड प्रश्न ७१ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर ।)

नाम जिला	दरख्वास्तों की संख्या जो कि प्राप्त हुई ।	जगह का नाम जहाँ से दरख्वास्तें आईं ।
नैनीताल	२	(१) नैनीताल (२) ग्राम नारायण नगर।
गढ़वाल	२	(१) पट्टी किमगडीगाड ।
		(२) मौजा ओलेट, पट्टी बुर्गा
अल्मोड़ा	२	(१) मौजा कोश्या और कल्याणपुर
		(२) मौजा जमढिया पट्टी तल्ला सल्ट ।

प्रश्न संख्या ७१ (ग) में वर्णित सूची ।

नाम जिला	क्षेत्रफल जो कि शिल्पकारों को देने के लिये मंजूर किया गया ।	क्षेत्रफल जो कि शिल्पकारों ने वास्तव में पाया ।	क्षेत्रफल जो कि अभी शिल्पकारों को मिलने वाला है ।
	एकड़	एकड़	एकड़
अल्मोड़ा	६७२.५	६४१.०	३१.५
नैनीताल	१७९२.०	७५६.०	१०३६.०
गढ़वाल	११३५.०	३४७.५	७८७.५
कुल	३५९९.५	१७४४.५	१८५५.०

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों में नयाबाद और बंजर भूमि के प्रदानों (ग्रान्ट्स) को नियमित करने के लिये

एक

विधानालेख (बिल)

क्योंकि कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों में विना नापी हुई भूमि पर कृषि करने तथा उसे उपयोग में लाने के सम्बन्ध में विधान में संशोधन करना उचित एवं आवश्यक है। भूमिका

इसलिए निम्नलिखित विधान बनाया जाता है।

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—(१) यह ऐक्ट "कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट, १९४८ ई०" कहलायेगा—।

(२) यह ऐक्ट किसी म्युनिस्पैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमाओं के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर, कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों पर लागू होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

२—कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि के नियम (कुमायूं नयाबाद एण्ड वेस्ट लैंड रूल्स) जो सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६१२/१४—३१२ (१२), दिनांक पहली अगस्त, १९३४ ई०, के साथ प्रकाशित किये गये थे और जिनका बाद में संशोधन हुआ है और भारतीय वन ऐक्ट, १९२७ ई० (इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई०) के आदेश जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल हैं, इस धारा के द्वारा रद्द किये जाते हैं।

३—इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या प्रसंग के विपरीत न हो।

(१) "बोर्ड" "परगने का अधिकारी असिस्टेंन्ट कलेक्टर" (असिस्टेन्ट कलेक्टर इंचार्ज आफ़ ए सब-डिवीजन) और "असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी" (असिस्टेन्ट कलेक्टर फर्स्ट क्लास) के वही अर्थ होंगे जो अर्थ इनके मालगुजारी ऐक्ट, १९०१ ई० (लैंड रेवन्यू ऐक्ट १९०१ ई०) में जैसा कि उसका कुमायूं के सम्बन्ध में संशोधन हुआ है दिये हुए हैं। "डिप्टी कमिश्नर" और "कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर" के वही अर्थ होंगे जो अर्थ उस ऐक्ट में क्रम से "कलेक्टर" और "कमिश्नर" के दिये हुये हैं।

(२) "विस्तार" का अर्थ किसी वर्तमान कृषि क्षेत्र में उससे सटकर क्षेत्रफल की वृद्धि है।

(३) "नयाबाद प्रदान" या "प्रदान" से तात्पर्य किसी ऐसी बेनाप भूमि के प्रदान से है जो इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार किया जाय।

(४) "पुराने रक्षित (ओल्ड रिज़र्व्स)" द्वितीय श्रेणी के बन (क्लास टू फारेस्ट्स) और प्रथम श्रेणी के बन [क्लास वन फारेस्ट्स] से तात्पर्य उन बनों से है जिनका भारतीय ऐक्ट, १९२७ ई० के अधीन वर्गीकरण किया गया हो।

(५) "पंचायत बन [पंचायत फारेस्ट]" से तात्पर्य किसी ऐसे बन से है जो उन पंचायत बन नियमों [पंचायत फारेस्ट रूल्स] के अधीन बनाया गया है जो कुमायूं पर लागू होते हैं।

(६) "नियत" समय से तात्पर्य इस ऐक्ट द्वारा इस ऐक्ट के अन्तर्गत लगाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(७) "सुरक्षित वृक्ष [प्रोटेक्टेड ट्रीज]" से तात्पर्य ऐसे वृक्षों से है जिनके गिराने अथवा छाटने का निषेध भारतीय बन ऐक्ट १९२७ ई० के अधीन समय समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार कर दिया गया है।

(८) "जन पथ" से तात्पर्य ऐसे मार्ग से है जिसे स्थानीय निवासी सार्वजनिक पथ मानते और उस प्रकार प्रयोग में लाते हैं चाहे उसका उल्लेख बन्दोबस्त के पत्रों में या न हो।

(९) "बन्दोबस्त मार्ग" से तात्पर्य किसी ऐसे मार्ग से है जिसका चालू बन्दोबस्त के लेख पत्रों में इस प्रकार उल्लेख हो।

(१०) "परम्परागत सीमा" से तात्पर्य गाँव की उस सीमा से है जो मि० ट्रेल के १८२३ ई० संवत् [१८८०] के बन्दोबस्त में निश्चित की गई हो परन्तु वह उन संशोधनों के साथ मानी जायगी जो इनके पश्चात् किसी सेटिल्मेंट या रिकार्ड आफ़िसर की आज्ञा या किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा हुए हों।

(११) "बेनाप भूमि" से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो नापी न गई हो और जिस पर पिछले बन्दोबस्त में कोई मालगुज़ारी निर्धारित न की गई हो परंतु इसमें कैसरे हिंद भूमि सम्मिलित होगी।

अध्याय २

विस्तार की और नयाबाद प्रदान

४—बंजर भूमि कृषि के लिये निम्नलिखित प्रकार से तोड़ कर व्यवहार में लाई जा सकती है:—

[१] विस्तार द्वारा ;

(२) नयाबाद प्रदान द्वारा।

५—धारा २५ के अधीन बनाये हुए नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो कुमायूं में खेती करता हो अपनी खेती की भूमि का विस्तार उससे मिली हुई बेनाप भूमि पर करने का अधिकार है और उक्त व्यक्ति को, जो इस प्रकार अपनी खेती का विस्तार करे ऐसी विस्तार की हुई भूमि पर वही अधिकार होंगे जो उसे अपनी मूल भूमि पर थे।

किंतु कोई भी विस्तार ऐसे गाँव में न किया जायगा:—

(१) जिसके खेती योग्य कुल भूमि के ५५ प्रतिशत या इससे अधिक क्षेत्र में पहले ही से खेती की जाती हो, या

(२) जिसके सम्बंध में कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर ने विस्तार के निषेध की घोषणा की हो तो उक्त पदाधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना वहाँ कोई विस्तार न किया जाय।

६—उस गाँव को छोड़कर जिसमें कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर की घोषणा द्वारा भूमि प्रदान करने का निषेध कर दिया गया हो, यदि किसी और गाँव में प्रदान करना हो तो उस परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर उक्त अधिकारी धारा २५ के अधीन बने नियमों के अनुसार नयाबाद प्रदान खेती या बाग लगाने या गृह निर्माण के लिये कर सकता है।

७—किसी विस्तार या प्रदान से (१) निम्नलिखित पर कोई अतिक्रमण (इंक्रोचमेंट) नहीं किया जायगा:—

(क) पुराने सुरक्षित, द्वितीय श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के और पंचायत वन;

(ख) दूसरे गाँव की परम्परागत सीमा;

(ग) ऐसी भूमि जो अन्य व्यक्ति के वैधानिक अधिकार या खेती में हो,

(घ) कोई बन्दोबस्त मार्ग या जनपथ, और

(२) विस्तार करने या नयाबाद प्रदान करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति के अवधिगत (प्रिस्क्रिप्टिव) या सुविधाजनक [ईजमेंटरी] अधिकारों में हस्तक्षेप न किया जा सकेगा।

८—प्रदान या विस्तार न तो पहाड़ की ऐसी चोटियों या ढालू मार्गों पर किया जायगा जहाँ वनस्पति के काट दिये जाने के कारण भूमि के कट कर बहने की सम्भावना हो और न ऐसी भूमि पर किया जायगा जहाँ देवदार सरो

(साइप्रस) अखरोट के या अन्य वृक्ष इतनी संख्या में हों कि प्रदान या विस्तार करना अवांछनीय हो जाय और न प्रदान ऐसे स्थानों में किये जायँगे, जहाँ प्रदान की जाने वाली भूमि में या उसके निकट की भूमि में चीड़ या सिंदूर (वलूत) के पेड़ बड़ी संख्या में हों।

९—नयाबाद प्रदान पाने वाला किसी नयाबाद प्रदान या उसके कोई भाग का डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति पहले लिये बिना किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांरित न करेगा। यह स्वीकृति ऐसी दशा में दी जायगी जब कि डिप्टी कमिश्नर को संतोष हो जाय कि नयाबाद के सम्पूर्ण या अंश के हस्तांतरित करने के उचित कारण विद्यमान हैं।

स्पष्टीकरण—

इस धारा के प्रयोजनों के लिये प्रदान पाने वालों में वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिनका उसके द्वारा या उसके अधीन कोई स्वत्व होता हो।

१०—नयाबाद प्रदान बाग़ लगाने के लिए दिए जा सकते हैं परन्तु धारा ५ में किसी बात के रहते हुए भी ऐसे प्रदान पर अधिकार होने के कारण से विस्तार न किया जा सकेगा।

अध्याय ३

वाद

११—किसी प्रदान की स्वीकृति हो जाने पर, कोई व्यक्ति जो इस "स्वीकृति" से सहमत न हो, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर उपयुक्त दीवानी न्यायालय में प्रदान रद्द करने के लिए दीवानी अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है:—

(क) कि प्रदान की जाने वाली भूमि में कुछ ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जिसमें उसका स्वामित्व है;

(ख) कि प्रदान उसके अवधिगत या सुविधाजनक अधिकारों पर या उसके विस्तार के अधिकार पर विशेष प्रभाव पड़ेगा;

(ग) कि प्रदान उसके गाँव की परम्परागत सीमा के भीतर है न कि प्रदान पाने वाले के गाँव की सीमा के भीतर;

(घ) कि प्रदान पाने वाला इस प्रयोजन के लिए नियत नियमों के अधीन कोई प्रदान पाने का अधिकारी नहीं है।

किंतु कोई वाद ऐसे प्रदान के सम्बन्ध में नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए या कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भवन के निर्माण के लिए दिया गया हो।

१२—भारतीय अवधि विधान, १९०८ ई० (दी इण्डियन लिमीटेशन ऐक्ट, १९०८ ई०) में इसके विपरीत किसी आदेश के होने पर भी धारा ११ के अधीन किसी के वाद के प्रस्तुत करने की अवधि धारा ६ के अंतर्गत प्रदान की स्वीकृति के दिनांक से छः मास तक होगी । धारा ११ के अधीन वाद के प्रस्तुत करने के लिये अवधि

१३—दीवानी न्यायालय में निम्नलिखित के सम्बंध में स्वत्व निर्णय (डिक्लेरेशन) या निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के लिये या दोनों के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा— परम्परागत सीमा और सुविधाजनक अधिकारों के लिये वाद ।

(क) गाँव की परम्परागत सीमा, या

(ख) बेनाप की भूमि से संबंधित सुविधाजनक अधिकार ।

अध्याय ४

१४—अध्याय ३ के आदेशों का पालन करते हुए, इस ऐक्ट के अधीन तथा उसके अंतर्गत बनाए हुए नियमों के अधीन, सब पर विचार और निर्णय माल के न्यायालयों द्वारा किया जायगा और माल के न्यायालयों के अतिरिक्त कोई अन्य न्यायालय विचार के लिए किसी भी कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा । माल तथा दीवानी के न्यायालयों का अधिकार ।

१५ (१) (क) किसी परगने का अधिकारी असिस्टेण्ट कलक्टर किसी कार्यवाही को किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेण्ट कलक्टर के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है जिसे उक्त कार्यवाही पर विचार या निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो ।

(ख) पर्याप्त कारण होने पर डिप्टी कमिश्नर किसी कार्यवाही को या किसी वर्ग की कार्यवाहियों को किसी परगने के अधिकारी असिस्टेण्ट कलक्टर के न्यायालय से किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेण्ट कलक्टर के न्यायालय को, या किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेण्ट कलक्टर के न्यायालय से किसी दूसरे प्रथम श्रेणी के असिस्टेण्ट कलक्टर के न्यायालय को जिसको उक्त कार्यवाही पर विचार और निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो, हस्तांतरित कर सकता है ।

किंतु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में उल्लिखित कोई कार्यवाही किसी ऐसे न्यायालय को जिसकी बैठक का स्थान उस परगने से बाहर हो जिसमें कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो ।

(२) पर्याप्त कारण होने पर कुमायूं कमिश्नरी के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर किसी डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय से किसी अपील को किसी दूसरे डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है ।

१९०८ ई० के ऐक्ट संख्या ५ दीवानी विधि संग्रह का लागू होना।

१६—कुमायूं डिवीजन में लागू करने के लिए संशोधित दीवानी विधि संग्रह (कोड आफ सिविल प्रोसीड्युअर) १९०८ ई० के आदेश, जब तक वे इस ऐक्ट के आदेशों से असंगत न हों ऐसी सब बादों तथा कार्यवाहियों पर लागू होंगे जो इस ऐक्ट के अधीन या इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये हुये नियमों के अधीन किए जायँ।

अपील।

१७—माल के किसी न्यायालय के द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि उसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में न हो।

पहली अपील।

१८—इस ऐक्ट के अधीन किसी परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर या प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलक्टर द्वारा दी गई आज्ञाओं के विरुद्ध अपील डिप्टी कमिश्नर के समक्ष की जा सकेगी।

दूसरी अपील

१९—धारा १८ के अधीन अपील में दी गई डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के विरुद्ध कुमायूं कमिश्नरी के इन्चार्ज डिप्टी कमिश्नर के समक्ष दूसरी अपील हो सकेगी किसी ऐसे आधार पर जिसका निर्देश दीवानी विधि संग्रह १९०८ ई० की धारा १०० में हो।

अपीलों की अवधि।

२०—(१) कोई अपील डिप्टी कमिश्नर के समक्ष उस आज्ञा के दिनांक से जिसके विरुद्ध अपील की गई है ३० दिन समाप्त होने के बाद प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(२) कुमायूं कमिश्नरी के इन्चार्ज डिप्टी कमिश्नर के समक्ष कोई दूसरी अपील उस आज्ञा के दिनांक से साठ दिन समाप्त होने के पश्चात् नहीं की जा सकेगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

रिकार्ड मांगने और दी गई आज्ञाओं में संशोधन करने के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार।

२१—किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर या अपने विचार से बोर्ड किसी ऐसी कार्यवाही के लेख-पत्र मँगा सकता है जिसका किसी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ऐक्ट के अन्तर्गत निर्णय किया हो और यदि यह प्रकट हो कि उस न्यायालय ने किसी ऐसे अधिकार का उपयोग किया है जो विधान में उसे प्राप्त नहीं था या उसने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है या अपने अधिकार का अवैध रूप से प्रयोग किया है या उसके प्रयोग करने में विशेष रूप से व्यतिक्रम किया है तो बोर्ड ऐसी आज्ञा दे सकता है जैसा कि उस विषय में उचित समझे।

अध्याय ६

विविध

बेनाप भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार।

२२—इस ऐक्ट की कोई व्यवस्था डिप्टी कमिश्नर को धारा २५ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बेनाप भूमि को पट्टे पर उठाने से नहीं रोक सकेगी।

२३—(१) उस दशा में जब कि इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये नियमों के आदेशों के प्रतिकूल विस्तार किया गया हो या प्रदान (ग्रांट) का उपयोग किया गया हो तो परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलक्टर किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र देने पर या अपने विचार से उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस प्रकार नियम भंग करने के लिये उत्तरदायी हों, निम्नलिखित किसी विधि या विधियों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :— अवैध रूप से भूमि का विस्तार करने और प्रदान (ग्रांटों) का दुरुपयोग करने के संबन्ध में दन्ड।

(क) विस्तार या प्रदान को खाली करने की आज्ञा दे सकता है, अथवा

(ख) यदि खाली कराने में या विस्तार हटाने में सरकार को व्यय करना पड़े तो उस व्यय को संबंधित व्यक्ति से वसूल कर सकता है.

अथवा

(ग) इस बात की आज्ञा दे सकता है कि जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से विस्तार किया या प्रदान का दुरुपयोग किया है वह भविष्य में उस भूमि का कभी उपयोग न करे,

(घ) यदि कोई वृक्ष गिराये गये हों या उनमें से उपज ली गई हो तो उसका मूल्य ऐसे प्रतिकर मुआवजा के साथ जो सौ रुपये से अधिक न हो, वसूल कर सकता है।

(२) यदि परगना का अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर उपधारा (१) के वाक्य खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन किसी भूमि को खाली कराने की आज्ञा या उसके उपयोग की निषेधाज्ञा दे तो वह प्रदान को रद्द करने के लिये उस विषय को उस जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास भेज देगा।

(३) उपधारा १ के वाक्य खंड (घ) के अधीन लिया जाने वाला द्रव्य मालगुजारी के ढंग पर वसूल किया जायगा।

२४—धारा २३, की उपधारा (१) के वाक्य खंड (क) या (ख) के अधीन दी गई किसी आज्ञा की अवहेलना करने के कारण किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया जा सकता है और उसके दंडित होने पर उसको ऐसा अर्थ-दण्ड दिया जा सकता है जो पाँच सौ रुपये से अधिक न हो। धारा २३ के अधीन दी गई आज्ञाओं की अवज्ञा के सम्बन्ध में दन्ड

२५—प्रांतीय सरकार पहिले से प्रकाशित करके निम्नांकित प्रयोजनों के लिये ऐसे नियम बना सकती है जो इस ऐक्ट के अनुरूप हों :— नियम बनाने का अधिकार

(१) यह नियत करने के लिये कि किस परिणाम तक और किस परिस्थिति में और किन प्रतिबन्धों के अधीन विस्तार किया जा सकता है।

(२) यह नियत करने के लिये कि किस विधि से उस व्यक्ति को और किन प्रतिबन्धों के साथ नयाबाद प्रदान किया जा सकेगा,

(३) कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये बेनाप भूमि को पट्टे पर उठाने के लिये, और

[४] सामान्य रूप से इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये

२६—कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि सम्बन्धी नियमावली [कुमायूं नयाबाद एण्ड वेस्ट लैंड्स रूल्स], जो इस ऐक्ट के लागू होने के तुरन्त पूर्व लागू थी, के कसी आदेश के अधीन वाद या कार्यवाही पर निर्णय इस ऐक्ट के समान [कोरेस्पोंडिंग] आदेशों के अनुसार किया जायगा और याद इस ऐक्ट में कोई समान आदेश न हो तो वह बाद खारिज कर दिया जायगा या कार्यवाही का अन्त कर दिया जायगा।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कुमायूं में बेनाप भूमि की खेती अभी तक कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि के नियमों के अधीन होती थी। यह नियम विज्ञप्ति संख्या ६१२/१४—३१२ (२४), दिनांक १ अगस्त, सन् १९३४ ई० के साथ प्रकाशित हुए थे और परिगणित जिलों के ऐक्ट १८७४ ई० [शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट १८७४] के अधीन बनाये गये थे। यह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया [ऐडैप्टेशन आफ इंडियन लौज] आर्डर १९३७ द्वारा रद्द कर दिया गया था। किन्तु उसके अधीन बनाये गये नियमों की वैधता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे नियम पूर्वत ही मान्य रहे। इस प्रकार उल्लिखित नियम अब भी वैध है। किन्तु क़ानून बनाये बिना उनका संशोधन नहीं हो सकता। कुमायूं विधान समिति [कुमायूं लौज कमैटी] ने इन नियमों के दोहराने का प्रस्ताव किया था और यह काय सन् १९४२-४४ ई० में प्रारम्भ किया था। किन्तु क़ानूनी और प्रविधि [टैकनिकल] की कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं हो सका। इसी बीच उक्त नियमों के अधीन कार्यवाही कुछ बर्षों के लिये स्थगित कर दी गई थी। अब उन नियमों का दोहराना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। कुमायूं नयाबाद और बंजर भूमि का विधान लेख [बिल] १९४७ ई० इस उद्देश्य से बनाया गया है कि सरकार उसके अधीन उपयुक्त नियम बना सके।

इस आलेख में पुराने नियमों के केवल वे महत्वपूर्ण आदेश हैं जिनका अब तक के अनुभव के अनुसार संशोधन कर दिया गया है और जब यह आलेख विधान रूप में आ जायेगा तो उसके अधीन बनाये जानेवाले नियमों में और विस्तृत रूप से विधि इत्यादि के आदेशों का उल्लेख कर दिया जायेगा।

हुकम सिंह विश्वेन,
माल सचिव

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ४९

प्रश्नोत्तर

भ

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी०-- ६२ एल० ए०--१९५०--६००